यूनियन बैंक
ऑफ इंडिया

Ref: ISD/19-20/78

May 31, 2019

| | |
|---|---|
| The Deputy General Manager,<br>Corporate Relationships Dept.<br>**BSE Ltd.**<br>Phiroze Jeejeebhoy Towers,<br>Dalal Street,<br>Mumbai-400 001.<br>Scrip Code-532 477 | The Deputy General Manager,<br>Listing Dept.<br>**National Stock Exchange of India Ltd.**<br>Exchange Plaza, Plot No.C/1, G Block<br>Bandra-Kurla Complex, Bandra (E),<br>Mumbai-400 051.<br>Scrip Symbol/Series-UNIONBANK-EQ |

Dear Madam /Sir,

**Subject: Notice of 17th Annual General Meeting and Annual Report 2018-19**

In compliance with Regulation 34 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we submit herewith the Annual Report 2018-19 containing Notice of Annual General Meeting (AGM) of the Bank which will be dispatched to the shareholders by the permitted modes from June 3, 2019.

The schedule of AGM is set out below:

| Particulars | Date |
|---|---|
| Cut-Off Date for E-Voting for Agenda Items | June 21, 2019 |
| Last date to submit proxy form & Appointment of authorised representative | June 21, 2019 |
| Book Closure | June 22, 2019 to June 28, 2019 (both days inclusive) |
| Commencement of E-Voting | June 25, 2019 (9:00 am IST) |
| End of E-voting | June 27, 2019 (5:00 pm IST) |
| Date of AGM | June 28, 2019 at 11.00 AM |

The Annual Report of the Bank for the year 2018-19 has also been made available on the Bank's website www.unionbankofindia.co.in.

Thanking you.

Yours faithfully,

Mangesh Mandrekar

(Mangesh Mandrekar)
Company Secretary

Encl.: As above

उत्कृष्टता के 100 वर्ष

Celebrating 100 years of excellence

भावी चुनौतियों हेतु तत्पर

We are future ready



# वार्षिक रिपोर्ट
# ANNUAL REPORT
# 2018-19

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

अच्छे लोग, अच्छा बैंक

Union Bank of India

Good people to bank with



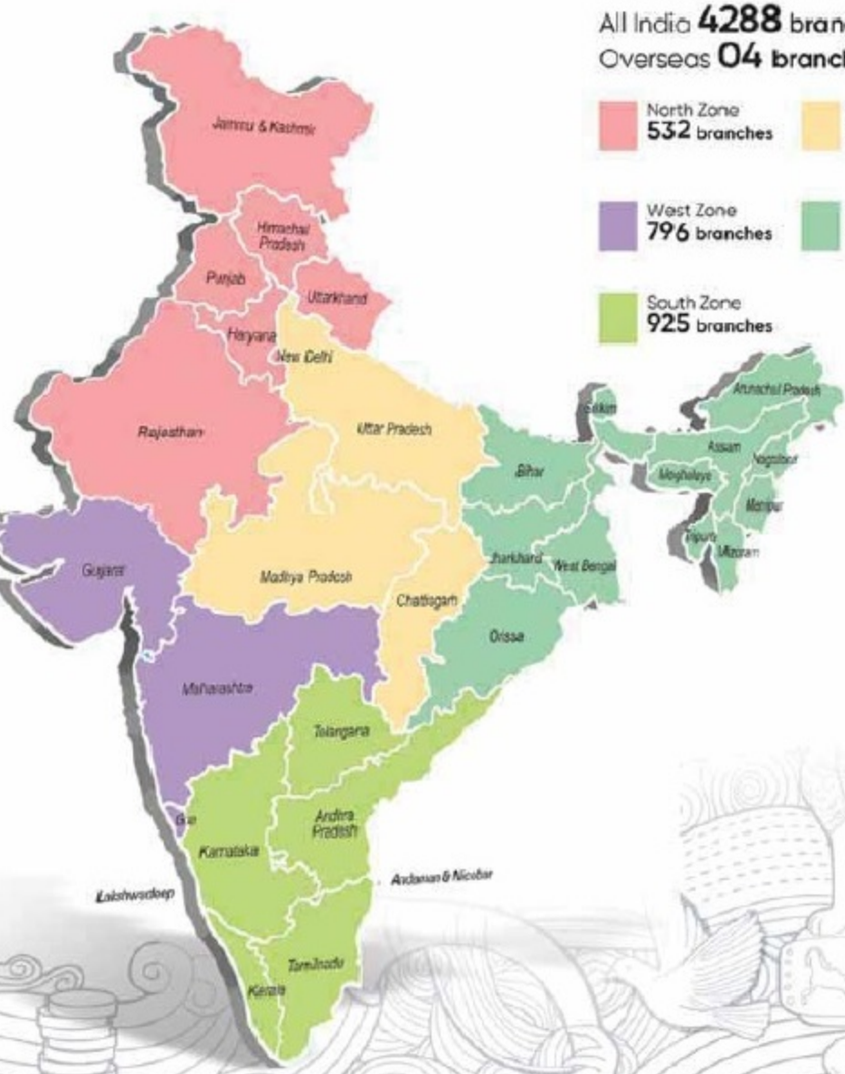
This building on Apollo Street, Bombay later MS Marg was the bank's head office for many years




New Central Office Building at Nariman Point, Mumbai

# THE UNION BANK NETWORK

Over the years, Union Bank continued its growth pattern, expanding to newer markets, reaching out to newer sectors and building its network.




All India **4288** branches
Overseas **04** branches

North Zone
**532** branches

Central Zone
**1371** branches

West Zone
**796** branches

East Zone
**664** branches

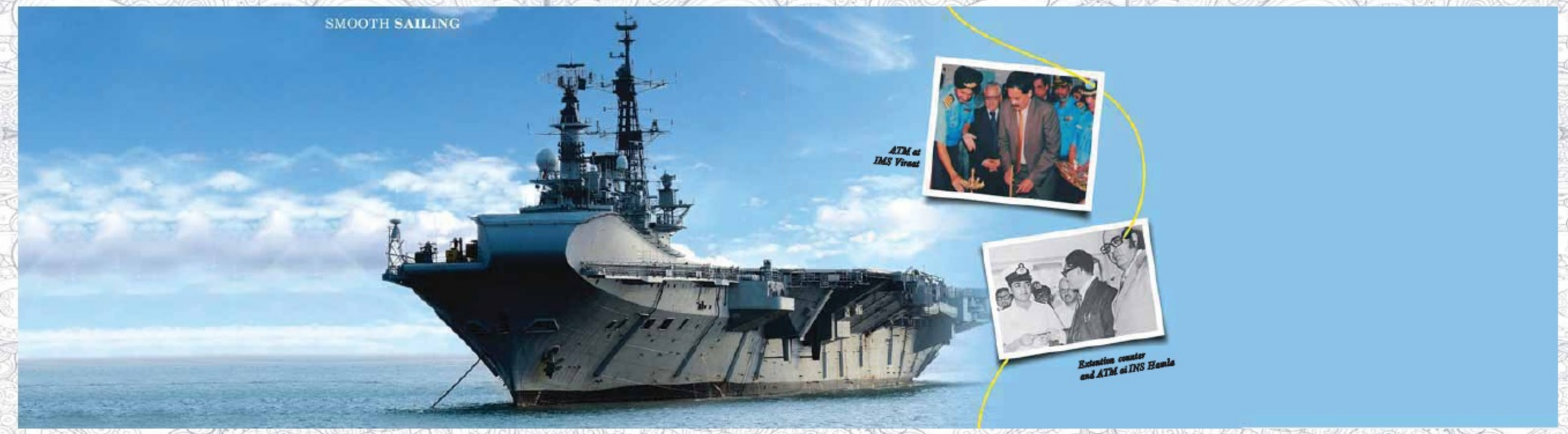
South Zone
**925** branches

*as on 31.03.2019




Among the several ATMs, the one at Nathula, near the Indo-Chinese Border, stands out as it is situated at an altitude of 14,300 feet - perhaps the highest height of an ATM in the world. This has benefited the army personnel and visiting tourists considerably.

## SMOOTH SAILING





*ATM at IMS Virat*



*Extention counter and ATM at INS Hamla*

# विषय सूची


निदेशक मंडल .....07
महाप्रबंधकों की सूची .....16
उप महाप्रबंधकों की सूची .....17
2018-19 की मुख्य बातें .....18
महत्वपूर्ण वित्तीय सूचक .....20
सूचना .....25
निदेशकों की रिपोर्ट .....32
प्रबंधकीय परिचर्चा एवं विश्लेषण .....40
कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट .....53
स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट (स्टैंड अलोन) .....84
स्टैंड अलोन तुलन-पत्र .....90
स्टैंड अलोन लाभ एवंम हानि लेखा .....91
स्टैंड अलोन अनुसूचियां 1से16 .....92
स्टैंड अलोन अनुसूचि 17 .....98
स्टैंड अलोन अनुसूचि 18 .....103
स्टैंड अलोन नकदी प्रवाह विवरण .....127
स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट (समेकित) .....129
समेकित तुलन-पत्र .....134
समेकित लाभ एवं हानि लेखा .....135
समेकित अनुसूचियां 1से16 .....136
समेकित अनुसूचि 17 .....143
समेकित अनुसूचि 18 .....148
समेकित नकदी प्रवाह विवरण .....157
जोखिम प्रबंधन .....159
कारोबारी उत्तरदायित्व रिपोर्ट .....160
लाभांश अधिदेश फार्म .....353
प्रॉक्सी फार्म (फार्म 'बी') .....355
हरित पहल - शेयरधारकों से अपील .....357


# CONTENTS


Board of Directors ..... 07
List of General Managers ..... 16
List of Deputy General Managers ..... 17
Highlights of 2018-19 ..... 19
Key Financial Indicators ..... 22
Notice ..... 177
Directors' Report ..... 186
Management Discussion and Analysis ..... 201
Corporate Governance Report ..... 217
Independent Auditors' Report (Standalone) ..... 251
Standalone Balance Sheet ..... 258
Standalone Profit & Loss Account ..... 259
Standalone Schedules 1 to 16 ..... 260
Standalone Schedule 17 ..... 266
Standalone Schedule 18 ..... 272
Standalone Cash Flow Statement ..... 298
Independent Auditors' Report (Consolidated) ..... 300
Consolidated Balance Sheet ..... 306
Consolidated Profit & Loss Account ..... 307
Consolidated Schedules 1 to 16 ..... 308
Consolidated Schedule 17 ..... 315
Consolidated Schedule 18 ..... 321
Consolidated Cash Flow Statement ..... 331
Risk Management ..... 333
Business Responsibility Report ..... 334
Dividend Mandate Form ..... 354
Proxy Form ..... 356
Green Initiative - Appeal to Shareholders ..... 357

## प्रधान कार्यालय

यूनियन बैंक भवन,
239, विधान भवन मार्ग,
नरीमन पॉइंट,
मुंबई - 400 021.

## Head Office

Union Bank Bhavan,
239, Vidhan Bhavan Marg,
Nariman Point,
Mumbai - 400 021.

## केंद्रीय कार्यालय

यूनियन बैंक भवन,
239, विधान भवन मार्ग,
नरीमन पॉइंट,
मुंबई - 400 021.

## Central Office

Union Bank Bhavan,
239, Vidhan Bhavan Marg,
Nariman Point,
Mumbai - 400 021.

## निवेशक सेवायें प्रभाग

यूनियन बैंक भवन,
239, विधान भवन मार्ग,
नरीमन पॉइंट,
मुंबई - 400 021.

## Investor Services Division

Union Bank Bhavan,
239, Vidhan Bhavan Marg,
Nariman Point,
Mumbai - 400 021.

## रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रान्सफर एजेंट

डाटामैटिक्स बिजनेस सोल्यूशन लि.
प्लॉट क्र. बी-5, पार्ट बी,
क्रॉस लेन, एम.आई.डी.सी., मरोल,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 093.

## Registrar & Share Transfer Agent

Datamatics Business Solutions Ltd.
Plot No. B-5, Part B,
Cross Lane, MIDC, Marol,
Andheri (E), Mumbai - 400 093.

---

## लेखा परीक्षक/AUDITORS

**एस. भंडारी एंड कं.**
सनदी लेखाकार

**सी एन के एंड एसोसिएट्स एलएलपी**
सनदी लेखाकार

**कीर्तने एंड पंडित एलएलपी**
सनदी लेखाकार

**S. Bhandari & Co.**
Chartered Accountants

**C N K & Associates LLP**
Chartered Accountants

**Kirtane & Pandit LLP**
Chartered Accountants

**आर एस पटेल एंड कं.**
सनदी लेखाकार

**एम जी बी एंड कं. एलएलपी**
सनदी लेखाकार

**बी एम चतरथ एंड कं. एलएलपी**
सनदी लेखाकार

**R S Patel & Co.**
Chartered Accountants

**M G B & Co. LLP**
Chartered Accountants

**B M Chatrath & CO. LLP**
Chartered Accountants

# निदेशक मंडल
# BOARD OF DIRECTORS



**श्री केवल हांडा**
गैर-कार्यकारी अध्यक्ष एवं अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक

**Shri Kewal Handa**
Non Executive Chairman &
Part-Time Non-Official Director

श्री केवल हांडा को वित्त मंत्रालय द्वारा 06 जुलाई, 2017 को जारी अधिसूचना के तहत बैंक के अध्यक्ष और अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है. श्री हांडा वर्ष 2005 से 2012 तक फाइजर लिमिटेड, इंडिया के प्रबंध निदेशक थे.

आपने फाइजर लिमिटेड के कार्यपालक निदेशक-वित्त तथा वर्ष 2009 से 2012 तक वाईथ लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की हैं. आपके कार्यकाल के दौरान आपके नेतृत्व में कार्यान्वित नई पहलों और नवोन्मेषी रणनीतियों की वजह से फाइजर इंडिया को भारत की शीर्ष दस फार्मास्युटिकल कंपनियों में स्थान प्राप्त हुआ. बहुआयामी संगठन का निर्माण आपका मुख्य उद्देश्य रहा है. इसके अंतर्गत आपने महिला सहकर्मियों की नियुक्ति एवं प्रबंधन में उन्हें बनाए रखने हेतु विभिन्न टीमों को प्रोत्साहित किया, विशेषकर आपने भारतीय फार्मास्युटिकल उद्योग में सेल्स पदों पर महिलाओं की नियुक्ति की, जो इससे पहले अप्रचलित थी. यह आपके द्वारा महिला हितों को ध्यान में रखकर बनायी गई संवेदनशील नीतियों के कारण ही संभव हो सका. ये पहलें अब अध्ययन का विषय हैं और तुर्की में आयोजित अनुसचिवीय गोलमेज सम्मेलन में भी इन्हें प्रदर्शित किया गया.

श्री हांडा को वित्त, वाणिज्य, रणनीति, कारोबार विकास, विलय और अधिग्रहण, बैंकिंग, कॉर्पोरेट मामलों का विविध अनुभव है और आपको श्रेडर स्कॉविल, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड (एचएलएल), विद्युत ब्लेड्स और राज्य औद्योगिक निवेश निगम, महाराष्ट्र (एसआईसीओएम) आदि जैसी कंपनियों में इंजीनियरिंग, उपभोक्ता और परियोजना वित्त जैसे क्षेत्रों में भी कार्य का अनुभव है. आपने घरेलू और वैश्विक जेनेरिक कारोबार में कार्य किया है तथा आपको अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे बाजारों में भी कार्य का व्यापक अनुभव है. वर्तमान में, आप परामर्शदाता के रूप में स्टार्ट अप्स और सामाजिक क्षेत्रों से भी जुड़े हैं.

आप एक योग्य प्रबंध लेखाकार एवं कंपनी सचिव हैं तथा आप वाणिज्य में स्नातकोत्तर हैं. आपने हावर्ड विश्वविद्यालय से फाइजर लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम एवं आईआईएम, अहमदाबाद से सीनियर मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम पूर्ण किया है. इसके साथ ही आपने कोलंबिया बिजनेस स्कूल, न्यूयॉर्क से मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में सर्टिफिकेट कोर्स किया है. आपको अंतर्राष्ट्रीय बाजार- मूल्यांकन समूह द्वारा "इंडिया सीएफ़ओ 2004 - बहुराष्ट्रीय कंपनियों में वित्तीय उत्कृष्टता" पुरस्कार 2007 में भारत शिरोमणि अवार्ड एवं वर्ष 2010 के फार्मा लीडर - फार्मा प्रोफेशनल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है.

Shri Kewal Handa has been appointed as Chairman & Part-Time Non-Official Director of the Bank vide MOF notification dated July 06, 2017. He has served as the Managing Director of Pfizer Limited, India from 2005 to 2012.

He was also the Executive Director - Finance, Pfizer Limited and Managing Director of Wyeth Ltd from 2009 to 2012. Under his leadership, Pfizer India became one of the top ten pharmaceutical companies in India, due to new initiatives and innovative strategies implemented during his term. Building a diverse organization is one of his key focuses. As part of this, he has driven the various teams to hire and retain women colleagues in management and most importantly in sales positions – an initiative unheard of in the Indian pharmaceutical industry. He has managed this by sensitization and developing policies that are women friendly. These initiatives are now case studies and were showcased at a ministerial roundtable held in Turkey.

Shri Handa has diverse experience in Finance, Commercial, Strategy, Business Development, Merger & Acquisition, Banking, Corporate Affairs and he has also experience in sectors like Engineering, Consumer and Project Finance in companies like Schrader Scovill, Hindustan Lever Limited (HLL), Vidyut Blades & State Industrial Investment Corporation of Maharashtra (SICOM). He has worked in the Domestic & Global Generic Businesses. He has wide experience in markets like US, South East Asia, Africa, Bangladesh and Sri Lanka. Currently, he also mentors start ups and works in Social Sector.

He is qualified Management Accountant and Company Secretary and has a Masters Degree in Commerce. He has completed the Pfizer Leadership Development Program from Harvard University and the Senior Management Development Program from IIM, Ahmadabad. He has also done a Certificate course on Marketing Strategy from Columbia Business School, New York. He was awarded the 'India CFO 2004 – Excellence in Finance in an MNC' by International Market – Assessment Group, the Bharat Shiromani Award in 2007 and the Pharma Leaders - Pharma Professional of the year 2010.

---



**श्री राजकिरण रै जी.**
प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

**Shri Rajkiran Rai G.**
Managing Director &
Chief Executive Officer

श्री राजकिरण रै जी. 01 जुलाई, 2017 से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ हैं. 19 मई, 1962 को जन्मे, श्री रै को बैंकिंग क्षेत्र में तीन दशक से अधिक का अनुभव प्राप्त है एवं आप औद्योगिक वित्त शाखा, क्षेत्र एवं अंचल कार्यालयों के प्रमुख रहे हैं.

आपने अपने करियर की शुरुआत 1986 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कृषि वित्त अधिकारी के रूप में की और 17 वर्ष से अधिक तक देश के विभिन्न भागों में अनेक शाखाओं के प्रमुख के रूप में कार्य करने का प्रचुर अनुभव प्राप्त किया. महा प्रबंधक के रूप में पदोन्नति पर उन्हें मानव संसाधन विकास विभाग का कार्यभार सौंपा गया. ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के कार्यपालक निदेशक के पद पर पदोन्नत होने से पूर्व आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मुंबई अंचल के क्षेत्र महा प्रबंधक थे.

वर्तमान में आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यू.के.) लि., यूनियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी, स्टार यूनियन दाई ईची लाइफ इंश्योरंस कंपनी लिमिटेड और एक्सिम बैंक के बोर्ड पर निदेशक हैं. इसके पहले, आप केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरंस कं. लि. के बोर्ड पर भी कार्यरत थे. साथ ही, आप बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस) एवं ग्रामीण विकास बैंकर संस्थान (बर्ड) के शासी परिषद के सदस्य हैं.

आप बैंकिंग बोर्ड ब्यूरो की उस सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं, जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में प्रबंधन वर्ग से जुड़े अधिकारियों के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण एवं विकास कार्यक्रम तैयार करती है और कर्मचारी संघों के साथ उनके मांग पत्र पर चर्चा करने हेतु बनाई गई आईबीए की निगोशीएटिंग समिति के कोर ग्रुप के सदस्य हैं.

उपर्युक्त के अलावा, श्री रै भारतीय बैंक संघ, बैंक बोर्ड ब्यूरो, नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट, नाबार्ड एवं भारतीय रिजर्व बैंक के विभिन्न समितियों पर सक्रिय हैं.

श्री रै ने कृषि विज्ञान में स्नातक किया और भारतीय बैंकर्स संस्थान के सर्टिफाइड एसोसिएट हैं.बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान (आईआईबीएफ) द्वारा उन्हें मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है. आप में सीखने की जिज्ञासा है एवं देशभर के प्रतिष्ठित संस्थाओं में विभिन्न कार्यपालक डेवलपमेंट कार्यक्रमों का हिस्सा रहे हैं.

Shri Rajkiran Rai G. is Managing Director & CEO of Union Bank of India since July 1, 2017. Born on May 19, 1962, Shri Rai has more than three decades of rich banking experience which includes heading Industrial Finance Branch, Regions and Zonal Offices.

Starting his career in 1986 as an Agricultural Finance Officer in Central Bank of India, Shri Rai rose through ranks while heading various branches at different parts of the country for more than 17 years. On his elevation as General Manager, he was given the responsibility of heading Human Resource Development Department. He was the Field General Manager of Mumbai Zone of Central Bank of India, before his elevation to the post of Executive Director of Oriental Bank of Commerce.

Presently, Shri Rai is also on the Boards of Union Bank of India (U.K.) Ltd., Union Asset Management Company, Star Union Dai-Ichi Life Insurance Company Limited and EXIM Bank. Earlier, he also served on the Board of Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Co. Ltd. He is also a member of Governing Council of Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) and Bankers Institute of Rural Development (BIRD).

He is Head of the Committee to advise the Banks Board Bureau (BBB) on evolving suitable training & development programs for management personal in public sector banks and member of the Core Group under Negotiating Committee of IBA for discussions on Charter of Demands with Workmen Unions.

Apart from the above, Shri Rai serves on various committees of Indian Banks' Association, National Institute of Bank Management , NABARD and Reserve Bank of India.

Shri Rai is an agricultural science graduate and also a Certified Associate of Indian Institute of Bankers. He has also been conferred Honorary Fellowship by Indian Institute of Banking & Finance (IIBF) in recognition of his invaluable contribution in the field of banking and finance. A vivid learner, he has benefitted of several executive development programmes at prestigious institutions of the country.

---



**श्री गोपाल सिंह गुसाईं**
कार्यपालक निदेशक
**Shri Gopal Singh Gusain**
Executive Director

श्री गोपाल सिंह गुसाईं ने 20 सितंबर, 2018 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है. श्री गोपाल सिंह गुसाईं, जिनकी उम्र 56 वर्ष है, गढ़वाल विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक हैं और इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एंड मैनेजमेंट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया तथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के एसोसिएट सदस्य हैं. आप ट्रेजरी, इंवेस्टमेंट एवं जोखिम प्रबंधन में भी डिप्लोमा धारक हैं.

पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी) से कैरियर प्रारम्भ करते हुए, श्री गुसाईं को 24 वर्षों का विभिन्न क्षेत्रों (फ़ील्ड) में तथा प्रशासनिक कार्यालयों में कार्य करने का अनुभव है. आपने ऋण एवं जोख़िम प्रबंधन में विस्तृत रूप से कार्य किया है. आपने विभिन्न पदों पर जैसे कि हांगकाँग परिचालनों के मुख्य कार्यपालक, ग्रुप मुख्य रिस्क ऑफिसर, ग्रुप अनुपालन अधिकारी एवं महा प्रबंधक वसूली, महाप्रबंधक कार्पोरेट क्रेडिट के रूप में भी कार्य किया है. आप पीएनबी की उस टीम में कोर सदस्य थे, जिसने रिस्क मॉडेल्स एवं सिस्टम्स विकसित किया तथा लार्ज कॉर्पोरेट क्रेडिट स्ट्रक्चर विचारधारा (संकल्पना) विकसित की.

आपको ट्रेकिंग में गहन रुचि है.

Shri Gopal Singh Gusain assumed the charge as Executive Director of Union Bank of India on September 20, 2018. Shri Gusain, aged 56 years, is a Science graduate from Garhwal University and is an Associate Member of Institute of Cost & Management Accountants of India and Indian Institute of Bankers. He also holds Diploma in Treasury, Investment and Risk Management.

As a career banker with the Punjab National Bank (PNB), Shri Gusain has exposure of 24 years of working in field as well as administrative offices. He has worked in credit and risk management function extensively. He has held various positions such as Chief Executive of Hong kong Operations, Group Chief Risk Officer, Group Compliance Officer, General Manager Recovery and General Manager Corporate Credit. He was core member of team which developed risk models & systems of PNB and also developed concept of large corporate credit structure.

He has active interest in trekking.

---



**श्री दिनेश कुमार गर्ग,**
कार्यपालक निदेशक
**Shri Dinesh Kumar Garg**
Executive Director

श्री दिनेश कुमार गर्ग ने 02 नवम्बर, 2018 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया. 57 वर्षीय, श्री गर्ग, इंदौर विश्वविद्यालय से वाणिज्य में (प्रथम श्रेणी से) स्नातकोत्तर हैं और आपने बी. कॉम ऑनर्स में विश्वविद्यालय की मेरिट सूची में 5 वां स्थान प्राप्त किया है. आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स (सीएआईआईबी) के सर्टिफाइड एसोसिएट हैं.

इस पदोन्नति से पूर्व, आप बैंक ऑफ इंडिया के (बीओआई) बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग तथा सिस्टम एवं मैनेजमेंट विभाग में महाप्रबंधक थे. श्री गर्ग को तीन दशक से अधिक के बैंकिंग कैरियर में, शाखाओं एवं प्रशासनिक कार्यालयों दोनों में गहन कार्य का अनुभव प्राप्त है. देश के कई भौगोलिक क्षेत्रों में विभिन्न आकार की शाखाओं के प्रमुख होने के अलावा, आपने बैंक ऑफ इंडिया के विभिन्न अंचलों में अंचल प्रमुख के रुप में कार्य किया है. आप कौशल विकास (भारत सरकार) के क्रेडिट फ़ंड योजना की प्रबंधन समिति के भी सदस्य थे. श्री गर्ग तीन वर्ष से अधिक समय तक विदेश में जापान केंद्र (टोकियो एवं ओसाका) में पदस्थ थे.

Shri Dinesh Kumar Garg assumed the charge as Executive Director of Union Bank of India on November 02, 2018. Shri Garg, aged 57 years, is a post graduate in Commerce (First Class) from Indore University and held 5th Rank in Merit List of the University in B. Com. Honours. He is also a Certified Associate of the Indian Institute of Bankers (CAIIB).

Prior to his elevation, he was General Manager at Bank of India (BOI), heading Business Process Re-engineering and Systems & Management Department of the Bank. In his banking career of over three decades, has worked extensively both in the field and administrative offices. Apart from heading various branches of all sizes in various geographic areas of the country, he also worked as Zonal Manager of different zones of BOI. He was also a member of Management Committee on Credit Fund Scheme for Skill Development (Govt. of India). Shri Garg also had a stint Abroad at Japan Centre (Tokyo and Osaka) for more than three years.

---



**श्री मानस रंजन बिस्वाल**
कार्यपालक निदेशक
**Shri Manas Ranjan Biswal**
Executive Director

श्री मानस रंजन बिस्वाल ने 01 मार्च, 2019 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यग्रहण किया है. 56 वर्षीय श्री बिस्वाल विज्ञान स्नातक हैं तथा भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान के सर्टीफाइड़ एसोसिएट (सीएआईआईबी) हैं.

आपने 1985 में पंजाब नेशनल बैंक में मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में कार्यग्रहण किया था तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक के रूप में पदोन्नति से पूर्व आप पीएनबी के कॉर्पोरेट कार्यालय में रेसोल्यूशन एण्ड एनसीएलटी प्रभाग के प्रमुख थे.

श्री बिस्वाल एक अनुभवी बैंकर हैं, आपको विभिन्न शाखाओं, क्षेत्रीय कार्यालयों, अंचलीय कार्यालयों एवं कॉर्पोरेट स्तर पर प्रशासनिक प्रमुख के रूप में कार्य करने का 33 वर्ष का अनुभव प्राप्त है. आपने पीएनबी, दुबई शाखा एवं मिडिल ईस्ट ऑपरेशन में सीईओ के रूप में 3 वर्ष से अधिक तक तथा पीएनबी पूर्वांचल के अंचल प्रमुख के रूप में कार्य किया है. आप कॉर्पोरेट स्तर पर पीएनबी के ऋण अनुश्रवण एवं समीक्षा प्रभाग, वसूली प्रभाग, रेसोल्यूशन एण्ड एनसीएलटी प्रभाग के प्रमुख रह चुके हैं.

Shri Manas Ranjan Biswal assumed the charge as Executive Director of Union Bank of India on March 01, 2019. Shri Biswal, aged 56 years is a Graduate in science and a Certified Associate of Indian Institute of Bankers (CAIIB).

He joined Punjab National Bank (PNB) in 1985 as a Management Trainee. Prior to his elevation as Executive Director of Union Bank of India, he was General Manager at the Corporate Office of the PNB heading the Resolution and NCLT Division.

Shri Biswal is a seasoned banker with over 33 years of rich experience in various administrative and functional capacities at Branches, Regional Offices, Zonal Offices and Corporate Office Level. He has also worked for more than 3 years as CEO of PNB's Dubai Branch and Middle East operations and as Zonal Head of PNB's Eastern Zone. At Corporate level, he has headed the Credit Monitoring and Review Division, Recovery Division, Resolution and NCLT Division of PNB.

---



**डॉ. मदनेश कुमार मिश्रा**
सरकार द्वारा नामित निदेशक
**Dr. Madnesh Kumar Mishra**
Government Nominee Director

डॉ. मदनेश कुमार मिश्रा भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के 1990 बैच के अधिकारी हैं. वर्तमान में आप वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार में संयुक्त सचिव हैं.

आपको 22 जुलाई, 2016 से बैंक के बोर्ड में सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है. उन्होंने एक्सएलआरआई, जमशेदपुर से संस्थागत व्यवहार (ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर) में पीएचडी और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में बी.टेक किया है. उन्होंने आयकर विभाग में विभिन्न पदों पर कार्य किया है और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय में सेंट्रल स्टाफिंग योजना के अंतर्गत भारतीय खेल प्राधिकरण के कार्यपालक निदेशक के रूप में प्रतिनियुक्ति पर कार्य किया है. वे स्पोर्ट्स ऑथारिटी ऑफ इंडिया के नेशनल डोप टेस्टिंग लैब के प्रथम मुख्य कार्यपालक अधिकारी रहे हैं और आपने वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के संस्थापक सदस्य के रूप में मांट्रियल में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया. वर्तमान में, आप युनाइटेड इंडिया इंश्योरंस कंपनी. लि., पेंशन फ़ंड रेग्यूलेटरी एंड डेवलपमेंट ऑथारिटी, इंडिया और गवर्नर ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, गुड़गाँव के निदेशक मंडल के सदस्य हैं.

डॉ मिश्रा को ISO 9001 एवं ISO 17025 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में अग्रणी लेखापरीक्षक प्रमाणित किया गया हैं. आपने योग, समत्व, और संस्थागत सृजनात्मकता से संबंधित विषयों पर सेमिनार में 9 पर्चे प्रस्तुत किए हैं. आपने व्यक्ति के समत्व को आँकने के लिए साईकोमेट्रिक स्केल विकसित की है, जो कि उनके पीएचडी का थीसिस है.

Dr. Madnesh Kumar Mishra is an officer of Indian Revenue Services (IRS) belonging to 1990 batch. At present, he is Joint Secretary, Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India.

He has been appointed as Government Nominee Director on the Board of Union Bank of India w.e.f. July 22, 2016. He has done Ph.D. in Organisational Behaviour from XLRI, Jameshdpur and B.Tech in Production Engineering. He has worked in various capacities in Income Tax Department and on deputation in Ministry of Youth Affairs and Sports as Executive Director of Sports Authority of India under Central Staffing Scheme. He was the first Chief Executive Officer of National Dope Testing Lab of Sports Authority of India and founding member of World Anti-Doping Agency representing India at Montreal. At present, he is also a Director on the Board of United India Insurance Co. Ltd., Member in the Board of Pension Fund Regulatory & Development Authority, India and Member in the Board of Governors of Management Development Institute, Gurgaon.

Dr. Mishra was certified lead auditor of ISO 9001 and ISO 17025 Quality Management System. He has presented 9 papers in Seminars on topics related to Yoga, Samatva and Organisational Creativity. He has developed psychometric scale to measure Samatva in a person as his Ph.D. thesis.

---



**श्री अनिल कुमार मिश्रा**
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित निदेशक

**Shri Anil Kumar Misra**
RBI Nominee Director

श्री अनिल कुमार मिश्रा भारतीय रिज़र्व बैंक में बैंकिंग और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार कार्यपालक निदेशक थे और आप जुलाई 2018 में सेवानिवृत्त हुए. उन्हें केंद्रीय बैंकर के रुप में 1982 से भारतीय रिज़र्व बैंक में मुद्रा प्रबंधन, विदेशी विनिमय, भुगतान प्रणाली, बैंकिंग एवं गैर-बैंकिंग संस्थानों के विनियम एवं पर्यवेक्षण, वित्तीय समावेशन तथा जोखिम अनुश्रवण क्षेत्र का अनुभव प्राप्त हैं.

आपको वैश्विक वित्तीय क्षेत्र के मामलों तथा सुधारों के लिए कार्य करने वाली जी-20 इकाई, वित्तीय स्थिरता बोर्ड (स्विट्ज़रलैंड, बासेल) के सचिवालय में सदस्य के रुप में कार्य करने का साढ़े चार वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय अनुभव भी है. एफएसबी में, एफएसबी के इंटरनैशनल को-ऑपरेशन एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज इनिशिएटीव के शुभारंभ में आपकी सक्रिय भूमिका रही. इससे वैश्विक स्ट्रेटीजी के जरिए 6 विश्व व्यापी क्षेत्रीय परामर्शी समूहों के द्वारा 65 से अधिक देशों में पहुंच हुई एवं गवर्नेंस में सुधार हुआ, फलस्वरूप एफएसबी में कुछेक ढांचागत परिवर्तन हुए. उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट (बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय) तथा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (हावर्ड विश्वविद्यालय, यूएसए) से स्नातकोत्तर की पदवी प्राप्त की है.

Shri Anil Kumar Misra was an Executive Director in the Reserve Bank of India, responsible for supervision of banking as well as non-banking-financial institutions, and retired in July 2018. As a career central banker since 1982, his experience encompasses the areas of currency management, foreign exchange, payment systems, regulation and supervision of banking and non-banking-credit intermediaries, financial inclusion, and risk monitoring in the Reserve Bank.

His international experience includes a four-and-a-half year stint as a Member of Secretariat at the Financial Stability Board (in Basel, Switzerland), which is the G20 arm for dealing with the global financial-sector issues and policy reforms. At the FSB, he was closely involved with the roll out of the FSB's International Cooperation and Information Exchange Initiative, its global outreach strategy via the six world-wide Regional Consultative Groups comprising over 65 countries,and its governance reforms, which led to certain structural changes in the FSB.

He holds Master's degrees in Business Management (Banaras Hindu University) and in Public Administration (Harvard University, USA).



**श्री राजीव कुमार सिंह**
सनदी लेखाकार निदेशक
**Shri Rajiv Kumar Singh**
Chartered Accountant Director

श्री राजीव कुमार सिंह को बैंक के निदेशक मण्डल में दिनांक 06 फरवरी, 2018 से सनदी लेखाकर निदेशक के रूप में नामित किया गया है. श्री राजीव कुमार सिंह भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान (आईसीएआई) के फ़ेलो सदस्य, सूचना प्रणाली के प्रमाणित लेखापरीक्षक (यूएसए) तथा आईबीबीआई के पंजीकृत मूल्यांकक हैं. आप कारोबार के मूल्यांकन, बैंकिंग, कॉर्पोरेट वित्त और रणनीति, विलयन और अधिग्रहण, रिस्ट्रक्चरिंग, विदेशी विनिमय जोखिम प्रबंधन, आंतरिक नियंत्रण और मूल्यांकन के साथ-साथ आर्थिक हर्जाने से संबंधित कानूनी कार्रवाई के विशेषज्ञ हैं.

उन्होंने पिछले 23 वर्षों में, आईएफ़आरएस/इंड-एएस/एनएफ़आरएस/सिंगापुर-एफ़आरएस के लिए जटिल संव्यवहारिक मूल्य विश्लेषण, अंतरण मूल्यांकन, उचित मूल्य की गणना, फेमा के लिए मूल्यांकन तथा अमूर्त संपत्तियों के लिए मूल्यांकन किया है.

श्री सिंह का शैक्षणिक क्षेत्र में भी योगदान रहा है, उन्होंने पहली बार भारत में कारोबार मूल्यांकन मानक (आईसीएआई), मूल्यांकन पाठ्यक्रम (आईसीएआई व आईसीएसआई), विदेशी विनिमय व ट्रेजरी प्रबंधन पाठ्यक्रम और मास्टर ऑफ बिज़नेस फ़ाइनेंस कोर्स (आईसीएआई) तैयार कर लागू करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

श्री सिंह एक प्रशिक्षक और वक्ता भी हैं. उन्होंने भारत और नेपाल में 5000 से अधिक सनदी लेखाकारों/कंपनी सचिवों/एमबीए को प्रशिक्षित किया है और विभिन्न व्यावसायिक/औद्योगिक मंचों से बैंकिंग और वित्त से संबंधित विषयों पर 750 से अधिक संगोष्ठियों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में व्याख्यान दिये हैं.

श्री सिंह इंड एएस-113 (उचित मूल्य मापन) विकसित करने हेतु आईसीएआई के लेखांकन मानक बोर्ड के सदस्य रहे हैं. वे आईसीएआई के मूल्यांकन और मास्टर ऑफ बिज़नेस फ़ाइनेंस कोर्स के प्रथम संयुक्त तकनीकी निदेशक और विजिटिंग प्रोफेसर रहे हैं.

Shri Rajiv Kumar Singh has been nominated as Chartered Accountant Director on the Board of the Bank w.e.f. February 6, 2018. he is a fellow member of the ICAI, a qualified Certified Information Systems Auditor, USA and a Valuer registered with IBBI. He is an expert on Business Valuation, Banking, Corporate Finance & Strategy, M&A, Restructuring, Forex Risk Management, Internal Controls and Valuation related to litigation including economic damages.

Over the past twenty three years, he has carried out complex transactional valuation analyses, transfer pricing valuation, fair value measurement for IFRS/Ind-AS/NFRS/ Singapore-FRS, valuation for FEMA and intangible asset valuation.

He has contributed in academics by designing and delivering the maiden standards & courses viz. Business Valuation Standards in India (ICAI), the Valuation Course (ICAI & ICSI), Forex & Treasury Management Course and Master of Business Finance Course (ICAI).

Shri Singh is also a trainer and speaker. He has trained more than 5000 Chartered Accountants/Company Secretaries/MBAs in India and Nepal and has been a speaker in more than 750 seminars and training programs on valuation, banking and finance related topics at different professional/industry platforms.

He was a member of the Accounting Standards Board of the ICAI for development of Ind AS-113 (Fair Value Measurement). He was the first Joint Technical Director and Visiting Professor of Valuation and Masters in Business Finance courses of the ICAI.

---



**डॉ. के. रमेश**
अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक
**Dr. K. Ramesha**
Part-Time Non-Official Director

डॉ. के. रमेश अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी में मास्टर एवं डॉक्टरेट ने 80 के दशक में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, मैसूर विश्वविद्यालय में प्रवकता के रूप में अपनी करियर की शुरुआत की तथा बाद में केरल कृषि विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर का पदभार ग्रहण किया.

संकाय सदस्य के रूप में नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रुरल बैंकिंग में कार्य करने के पश्चात डॉ. रमेश ने 1996 में नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट, पुणे में कार्य ग्रहण किया. फाइनांस एरिया ग्रुप में प्रोफेसर के रूप में डॉ. रमेश स्नातकोत्तर शिक्षण, कॉर्पोरेट प्रशिक्षण और शोध /परामर्श गतिविधियों में सक्रिय हैं. पुणे विश्वविद्यालय के शोध छात्रों को बैंकिंग और वित्त में मार्गदर्शन देने के अलावा डॉ. रमेश के व्यावसायिक जर्नल और विख्यात पत्रिकाओं में सामान्य बैंकिंग, एसएमई वित्त, माइक्रो क्रेडिट/एसएचजी, को-ऑपरेटिव बैंकिंग और रिटेल वित्त से संबंधित 50 शोध लेख प्रकाशित हुए हैं.

डॉ. रमेश एन आई बी एम में डीन - एज्यूकेशन एवं डीन अनुसंधान के रूप में पदस्थ रहें. आपके नेतृत्व में एनआईबीएम में

अनेक उच्च/ वरिष्ठ स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, सेमिनारों का सफल आयोजन किया गया और परामर्शदात्री कार्य संपन्न हुए.

नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट में दो दशक से अधिक प्रोफेसर एवं डीन के रूप में कार्य करने के पश्चात आपने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रायोजित संस्था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट, गुवाहाटी में निदेशक के रूप में कार्य ग्रहण किया.

Dr. K Ramesha with first-class Masters and Doctorate in Economics started his career as Lecturer with Department of Economics, University of Mysore in the early 80s and subsequently worked for Kerala Agricultural University as Assistant Professor.

After a brief stint with National Centre for Rural Banking as a member of faculty, Dr. Ramesha joined National institute of Bank Management, Pune in 1996. As a Professor in the Finance Area Group, he actively participated in post graduate teaching, corporate training and research/consulting activities. Apart from guiding Ph.D , students of University of Pune, in the area of banking and finance, he has published around 50 research papers in professional journals and reputed magazines mainly in the areas of general banking, SME finance, micro credit /SHGs, co-operative banking and retail finance.

At NIBM, Dr. Ramesha also served as Dean – Education and Dean – Research. At NIBM, several top/senior level training programmes, workshops, seminars and consulting assignments were successfully organized/completed under the stewardship of Dr. Ramesha.

After serving NIBM as Professor & Dean for more than two decades, he has taken charge as the Director, Indian Institute of Bank Management, Guwahati another RBI sponsored institute.

---



**डॉ मदुरा स्वामीनाथन**
अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक

**Dr. Madhura Swaminathan**
Part-Time Non-Official Director

डॉ. मदुरा स्वामीनाथन को 27 दिसंबर, 2017 से बैंक के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है.

आपने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की पदवी प्राप्त की है तथा खाद्य सुरक्षा, कृषि एवं ग्रामीण विकास से संबंधित मुद्दों पर कार्य कर रही हैं. डॉ मदुरा एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की अध्यक्ष तथा इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, बेंगलोर के इक्नोमिक्स एनालिसिस यूनिट की प्राध्यापक एवं प्रमुख हैं.

आप प्रगतिशील अर्थशास्त्री के रूप में आठ किताबें लिख चुकी हैं जिसमें से एक किताब भारत में खाद्य नीति पर है. आपने भारत सरकार की दीर्घावधि अनाज पॉलिसी पर उच्च स्तरीय समिति, यूएन कमिटी ऑन डेवलप्मेंट पॉलिसी एवं इंटरनैशनल पोटेटो सेंटर, लिमा, पेरु के निदेशक मंडल में अपनी सेवाएँ प्रदान की हैं.

Dr. Madhura Swaminathan has been appointed as Part-Time Non-Official Director of the Bank w.e.f. December 27, 2017.

She has a doctorate in Economics from the University of Oxford and works on issues pertaining to food security, agriculture and rural development. Dr. Madhura is the Chairperson of M S Swaminathan Research Foundation and Professor & Head of Economic Analysis Unit of Indian Statistical Institute, Bangalore.

A development economist, she has authored eight books including one on food policy in India. She has served on Government of India's High Level Committee on Long Term Grain Policy, the UN Committee on Development Policy and on the Board of International Potato Centre in Lima, Peru.



**डॉ उत्तम कुमार सरकार**
शेयरधारक निदेशक
**Dr. Uttam Kumar Sarkar**
Shareholder Director

डॉ उत्तम कुमार सरकार को 28 जून, 2018 से तीन वर्ष की अवधि के लिए बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में पुन:चयनित किया गया है. कोलकता निवासी 54 वर्षीय डॉ सरकार ने आईआईटी खड़गपुर से कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग में अपनी बी.टेक, एम.टेक तथा पीएचडी की उपाधि प्राप्त की.

डॉ सरकार आईआईएम कलकत्ता के प्रोफेसर एवं भूतपूर्व अध्यक्ष हैं तथा विगत 22 वर्षों से अधिक संस्था से जुड़े हैं. आपने पहले आईआईटी दिल्ली एवं मियामी विश्वविद्यालय यूएसए में भी शिक्षण कार्य किया. बिजनेस एनालिस्ट, सोशल नेटवर्क एनालिस्ट और एमबीए एवं एक्सिक्यूटिव एज्यूकेशन प्रोग्राम से संबद्ध विषयों में पढ़ाने के अलावा, आप भारत सरकार एवं निजी कंपनियों द्वारा प्रायोजित परामर्शी कार्यों में भी शामिल हैं.

Dr. Uttam Kumar Sarkar has been re-elected as Shareholder Director of the Bank w.e.f. June 28, 2018 for a period of three years. Dr. Sarkar from Kolkata aged 54 years is a B.Tech, M.Tech, and Ph.D. in Computer Science and Engineering from IIT Kharagpur.

He is a Professor and former Dean of IIM Calcutta and is with the Institute for over 22 years. He had earlier taught at IIT Delhi and at the University of Miami, USA. Apart from teaching Business Analytics, Social Network Analytics and related subjects in MBA and Executive Education programmes, he has been involved with consulting works sponsored by the Govt of India and private companies.

---



**श्री के केदिरेसन**
शेयरधारक निदेशक
**Shri K. Kadiresan**
Shareholder Director

श्री केदिरेसन को 28 जून, 2018 से तीन वर्ष की अवधि के लिए बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में चयनित किया गया है.

चेन्नई निवासी 57 वर्षीय श्री के केदिरेसन ने विपणन प्रबंधन में स्नातकोत्तर एवं स्नातकोत्तर कला विशारद उपाधि प्राप्त की है. आप भारतीय जीवन बीमा निगम के दक्षिण अंचल के अंचल प्रमुख हैं. आप भारतीय जीवन बीमा निगम के पूर्णत: स्वामित्व वाले समुद्रपारीय सहायक एलआईसी सिंगापुर प्रा. लि. के प्रथम सीईओ रहे हैं.

Shri K. Kadiresan has been elected as Shareholder Director of the Bank w.e.f. June 28, 2018 for a period of three years.

Shri Kadiresan from Chennai aged 57 years is a Master of Marketing Management and Master of Arts. He is the Zonal Manager of Southern Zone of Life Insurance Corporation of India. He has served as the first CEO of the LIC's wholly owned overseas subsidiary LIC Singapore Pvt. Ltd.

---



**डॉ. जयदेव एम**
शेयरधारक निदेशक
**Dr. Jayadev M.**
Shareholder Director

डॉ. जयदेव एम. को दिनांक 28 जून 2018 से प्रभावी, तीन वर्षों की अवधि के लिए बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में चयनित किया गया है. आप कॉमर्स में स्नातकोत्तर, एम.फिल एवं पीएचडी. हैं. वर्तमान में, आप भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलोर (आईआईएम-बी) में वित्त एवं लेखांकन के प्रोफेसर हैं.

डॉ. जयदेव को न केवल भारत के प्रमुख संस्थाओं में बल्कि विभिन्न विदेशी विश्वविद्यालयों में भी एक अतिथि प्रोफेसर के रूप में अध्यापन का पर्याप्त अनुभव है. आपने अनुसंधान एवं व्यवसायिक पत्रिकाओं में अनुसंधान संबंधी लेख प्रकाशित किए हैं तथा बैंकिंग एवं वित्त में अनुसंधान प्रोजेक्ट्स की रचना की है. आप बीजीएसई फाइनेंशियल्स लिमिटेड के निदेशक मण्डल के एक सदस्य एवं गैर-कार्यकारी अध्यक्ष (2011-15) एवं स्टार्ट-अप वेंचर्स के बोर्ड में थे.

Dr. Jayadev M has been elected as Shareholder Director of the Bank w.e.f. June 28, 2018 for a period of three years. He is Post Graduate in Commerce, M.Phil and Ph.D. Presently, he is Professor of Finance & Accounting at Indian Institute of Management Bangalore (IIM-B).

Dr. Jayadev has rich experience of teaching not only in premier institutions in India but also as a Visiting Professor in various universities abroad. He published research articles in research and professional journals and authored research projects in banking and finance. He was a member of Board of Directors of BgSE Financials Limited and Non-Executive Chairman (2011-15) and on the Board of start-up ventures.



## निदेशक मंडल / BOARD OF DIRECTORS

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
अच्छे लोग, अच्छा बैंक

Union Bank of India
Good people to bank with

## मुख्य सतर्कता अधिकारी / CHIEF VIGILANCE OFFICER

यथा / As on 31.03.2019

श्री एम. वी. एस. एन. मूर्ति — **Shri M. V. S. N. Murthy**

## महा प्रबंधक / GENERAL MANAGER

| | | |
|---|---|---|
| 1. | श्री जी आर पाडलकर | **Shri G R Padalkar** |
| 2. | श्री डी डी मिस्त्री | **Shri D D Mistry** |
| 3. | श्री पी सी पाणिग्रही | **Shri P C Panigrahi** |
| 4. | श्री आर कंदासामी | **Shri R Kandasamy** |
| 5. | श्री संजय शर्मा | **Shri Sanjay Sharma** |
| 6. | श्रीमती मोनिका कालिया | **Smt Monika Kalia** |
| 7. | श्री एस के महापात्रा | **Shri S K Mohapatra** |
| 8. | श्री ब्रजेश्वर शर्मा | **Shri Brajeshwar Sharma** |
| 9. | श्री लाल सिंह | **Shri Lal Singh** |
| 10. | श्री डी सी चौहान | **Shri D C Chauhan** |
| 11. | श्री एस एन कौशिक | **Shri S N Kaushik** |
| 12. | डॉ. के एल राजू | **Dr. K L Raju** |
| 13. | श्री आई ए खान | **Shri I A Khan** |
| 14. | श्री के पी आचार्या | **Shri K P Acharya** |
| 15. | श्री ए के सिंह | **Shri A K Singh** |
| 16. | श्री एम वेंकटेश | **Shri M Venkatesh** |
| 17. | श्री एस एस चंद्रशेखर | **Shri S S Chandrashekhar** |
| 18. | श्री बी श्रीनिवास राव | **Shri B Sreenivasa Rao** |
| 19. | श्री योगेन्द्र सिंह | **Shri Yogendra Singh** |
| 20. | श्री नितेश रंजन | **Shri Nitesh Ranjan** |
| 21. | श्री आर के कश्यप | **Shri R K Kashyap** |
| 22. | श्री पी सत्यनारायण | **Shri P Satyanarayana** |
| 23. | श्री अतुल कुमार | **Shri Atul Kumar** |
| 24. | श्री पी एस राजन | **Shri P S Rajan** |
| 25. | श्री एच सी मित्तल | **Shri H C Mittal** |
| 26. | श्री जगमोहन सिंह | **Shri Jagmohan Singh** |
| 27. | श्री प्रवीण शर्मा | **Shri Pravin Sharma** |
| 28. | श्री आशीष पांडे | **Shri Asheesh Pandey** |
| 29. | श्री वी के टेंभूर्णे | **Shri V K Tembhurne** |
| 30. | श्री कल्याण कुमार | **Shri Kalyan Kumar** |

# उप महा प्रबंधक / Dy. GENERAL MANAGER

यथा / As on 31.03.2019

| | | |
|---|---|---|
| 1. | श्री एस एच कंथारिया | Shri S H Kantharia |
| 2. | श्री ए कृष्णास्वामी | Shri A Krishnaswamy |
| 3. | श्री डी ए कामथ | Shri D A Kamath |
| 4. | श्री वी के श्रीवास्तव | Shri V K Srivastava |
| 5. | श्री डी के नायक | Shri D K Naik |
| 6. | श्री भोला प्रसाद | Shri Bhola Prasad |
| 7. | श्री आर के जगलान | Shri R K Jaglan |
| 8. | श्री वी के सिंहल | Shri V K Singhal |
| 9. | श्री एस के अग्रवाल | Shri S K Agrawal |
| 10. | श्री के एस एन मूर्ति | Shri K S N Murthy |
| 11. | श्री आशुतोष कुमार | Shri Ashutosh Kumar |
| 12. | श्री एस के सिंह | Shri S K Singh |
| 13. | श्री डी बी कांबले | Shri D B Kamble |
| 14. | श्री सी बी झा | Shri C B Jha |
| 15. | श्रीमती रश्मि ई ईरानी | Smt. Rashmi E Irani |
| 16. | श्री बी एस वेंकटेश | Shri B S Venkatesha |
| 17. | श्री एस के पाणिग्रही | Shri S K Panigrahi |
| 18. | श्री सी एम गुप्ता | Shri C M Gupta |
| 19. | श्री एस सी तेली | Shri S C Teli |
| 20. | श्री आर गणेशन | Shri R Ganesan |
| 21. | श्रीमती एस के नारकर | Smt. S K Narkar |
| 22. | श्री पी के दास | Shri P K Das |
| 23. | श्री टी वी वेणुगोपाल | Shri T V Venugopal |
| 24. | सुश्री मीना आर खन्ना | Sushri Meena R Khanna |
| 25. | श्री ए नारायणन | Shri A Narayanan |
| 26. | श्री एस एस सरोया | Shri S S Saroya |
| 27. | श्री एन आर सामल | Shri N R Samal |
| 28. | श्री पी के सोनी | Shri P K Soni |
| 29. | श्री ए के सिरोही | Shri A K Sirohi |
| 30. | श्री ए एम कुलश्रेष्ठ | Shri A M Kulshrestha |
| 31. | श्री ए वी मराठे | Shri A V Marathe |
| 32. | श्री दिलीप सरूप्रिया | Shri Dilip Saruprria |
| 33. | श्री ए ए जैन | Shri A A Jain |
| 34. | श्री सी एम मिनोचा | Shri C M Minocha |
| 35. | श्री अभिजीत बसाक | Shri Abhijit Basak |
| 36. | श्री वी के एस शास्त्री | Shri V K S Sastry |
| 37. | श्री के एस यादव | Shri K S Yadav |
| 38. | श्री एम पी सिंह | Shri M P Singh |
| 39. | श्री अखिलेश कुमार | Shri Akhilesh Kumar |
| 40. | श्री वासुदेवन बीजू | Shri Vasudevan Biju |
| 41. | श्री राकेश चोपड़ा | Shri Rakesh Chopra |
| 42. | श्री नागेन्द्र कुमार राउत | Shri Nagendra Kumar Rout |
| 43. | श्री डी चिरंजीवी | Shri D Chiranjeevi |
| 44. | श्री जितेन्द्र सिंह तोमर | Shri Jitendra Singh Tomar |
| 45. | श्री टी सरावानै | Shri T Saravanai |
| 46. | श्री एन आर जैन | Shri N R Jain |
| 47. | श्रीमती राजश्री बगलरी | Smt. Rajashri Baglari |
| 48. | श्री राजीव मिश्रा | Shri Rajiv Mishra |
| 49. | श्री सर्वेश रंजन | Shri Sarvesh Ranjan |
| 50. | श्री सुमित श्रीवास्तव | Shri Sumit Srivastava |
| 51. | श्री जी सी जोशी | Shri G C Joshi |
| 52. | श्री विकास कुमार | Shri Vikash Kumar |
| 53. | श्री अमरेन्द्र कुमार | Shri Amarendra Kumar |
| 54. | श्री के जे श्रीनिवास राव | Shri K J Srinivasa Rao |
| 55. | श्री पी के श्रीवास्तव | Shri P K Srivastava |
| 56. | श्री रंजन कुमार | Shri Ranjan Kumar |
| 57. | श्री पी आर गुप्ता | Shri P R Gupta |
| 58. | श्री ओ पी कारवा | Shri O P Karwa |
| 59. | श्री जी के सुधाकर | Shri G K Sudhakar |
| 60. | श्री आर के गुप्ता | Shri R K Gupta |
| 61. | श्री अनुराग चतुर्वेदी | Shri Anurag Chaturvedi |
| 62. | श्री अरुण कुमार | Shri Arun Kumar |
| 63. | श्री एस पी कर | Shri S P Kar |
| 64. | श्री आर विश्वेश्वरन | Shri R Viswesvaran |
| 65. | श्री गुरतेज सिंह | Shri Gurtej Singh |
| 66. | श्री एस के सिंह | Shri S K Singh |
| 67. | श्री महाबीर वर्मा | Shri Mahabir Verma |
| 68. | श्री एल ए खान | Shri L A Khan |
| 69. | श्री ए के अग्निहोत्री | Shri A K Agnihotri |
| 70. | डॉ. आर कोसाराजू | Dr. R Kosaraju |
| 71. | श्री जितेन्द्र मणिराम | Shri Jithender Maniram |
| 72. | श्री विपन सिंह | Shri Vipan Singh |
| 73. | श्री धीरेन्द्र जैन | Shri Dhirendra Jain |
| 74. | श्री आर के झा | Shri R K Jha |
| 75. | श्री अजय श्रीवास्तव | Shri Ajay Shrivastava |
| 76. | श्री एन चेजीयन | Shri N Chezhian |
| 77. | श्री ओ पी बलोदी | Shri O P Balodi |
| 78. | श्री गोकुलानंद दास | Shri Gokulananda Das |
| 79. | श्री ए के दास | Shri A K Dash |
| 80. | श्री राजेश कुमार | Shri Rajesh Kumar |
| 81. | श्री आलोक कुमार | Shri Alok Kumar |
| 82. | श्री आर एल मीणा | Shri R L Meena |
| 83. | श्री ए के परीडा | Shri A K Parida |
| 84. | श्री जी पी त्रिपाठी | Shri G P Tripathy |
| 85. | श्री मनोज कुमार | Shri Manoj Kumar |
| 86. | श्री ए के एस चौहान | Shri A K S Chauhan |
| 87. | श्री नवनीत कुमार | Shri Navneet Kumar |
| 88. | श्री के एस अनंत | Shri K S Anantha |
| 89. | श्री कबीर भट्टाचार्य | Shri Kabir Bhattacharya |
| 90. | श्री एम के नंदा | Shri M K Nanda |
| 91. | श्री संजय नारायण | Shri Sanjay Narayan |
| 92. | श्री अनिल कुरील | Shri Anil Kuril |
| 93. | श्री एम आर महाले | Shri M R Mahale |

# वित्त वर्ष 2018-19 की मुख्य बातें

- बैंक का वैश्विक कारोबार 31 मार्च, 2018 के ₹ 7,22,362 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2019 को ₹ 7,41,307 करोड़ रहा. देशी कारोबार 31 मार्च, 2018 के ₹ 6,91,533 करोड़ की तुलना में 4.7% वृद्धि के साथ ₹ 7,42,031 करोड़ हो गया.
- कुल जमाराशियां 31 मार्च, 2018 के ₹ 4,08,502 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च, 2019 को ₹ 4,15,915 करोड़ हो गयीं.
- कुल अग्रिम 31 मार्च, 2018 के ₹ 3,13,860 करोड़ की तुलना में 31 मार्च, 2019 को ₹ 3,25,392 करोड़ हो गए. घरेलू अग्रिम 31 मार्च, 2018 के ₹ 2,88,336 करोड़ की तुलना में 7.8% बढ़कर 31 मार्च, 2019 को ₹ 3,10,932 करोड़ हो गए
- कासा जमाराशियां 31 मार्च, 2018 के ₹ 1,39,241 करोड़ की तुलना में 7.8% बढ़कर 31 मार्च, 2019 को ₹ 1,50,141 करोड़ हो गयीं. कुल जमाराशियों में कासा जमाराशियों का प्रतिशत 31 मार्च, 2018 के 34.1% की तुलना में 31 मार्च, 2019 को 36.1% रहा.
- 31 मार्च, 2019 तक अग्रिमों में रैम क्षेत्र (रिटेल, कृषि एवं एमएसएमई) 9.2% बढ़ा और घरेलू ऋणों में इसका योगदान 55.7% रहा.
- नकद वसूली एवं अपग्रेडेशन वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 2,235 करोड़ था, जो वित्तीय वर्ष 2018-19 में 188.5% बढ़कर ₹ 6,447 करोड़ हो गया.
- शुद्ध ब्याज आय (एनआईआई) ₹ 9305 करोड़ से 9.8% बढ़कर ₹ 10,215 करोड़ हो गई. एनआईआई पहली बार ₹ 10,000 करोड़ के ऐतिहासिक स्तर को पार कर गई.
- प्रावधान कवरेज अनुपात 31 मार्च, 2018 के 57.2% की तुलना में 908 आधार अंक बढ़कर 31 मार्च, 2019 को 66.2% हो गया.
- सकल एनपीए 31 मार्च, 2018 के 15.7% की तुलना में 31 मार्च, 2019 को 15% (14.98%) से भी कम हो गया. शुद्ध एनपीए अनुपात 31 मार्च, 2018 के 8.4% की तुलना में 31 मार्च, 2019 को 6.8% रहा.
- शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 16 आधार अंकों (बीपीएस) की बढ़ोत्तरी के साथ 2.23% हो गया.
- अग्रिमों पर आय 4 आधार अंक बढ़ी जबकि जमाराशियों की लागत 9 आधार अंक कम हुई.
- बासल III के अंतर्गत पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) 31 मार्च, 2019 को 10.875% की न्यूनतम विनियामक अपेक्षाओं की तुलना में 11.78% रहा. कॉमन इक्विटी टियर 1 अनुपात 7.375% की न्यूनतम विनियामक अपेक्षाओं की तुलना में 8.02% रहा.
- परिचालन लाभ वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 7,521 करोड़ रहा. ट्रेज़री लाभ, जो ब्याजदर संवेदनशील है, को छोड़कर कोर परिचालन लाभ वित्तीय वर्ष 2017-18 के रु.5,806 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018-19 में 14.1% बढ़कर ₹ 6,622 करोड़ हो गया.

# Highlights for FY 2018-19

- Global Business as on March 31, 2019 stood at ₹ 7,41,307 crore compared to ₹ 7,22,362 crore as on March 31, 2018. Domestic business grew by 4.7% to ₹ 7,42,031 crore as on March 31, 2019 compared to ₹ 6,91,533 crore as on March 31, 2018.
- Total Deposits grew from ₹ 4,08,502 crore as on March 31, 2018 to ₹ 4,15,915 crore as on March 31, 2019.
- Gross Advances stood at ₹ 3,25,392 crore as on March 31, 2019 compared to ₹ 3,13,860 crore as on March 31, 2018. Domestic Advances increased by 7.8% to ₹ 3,10,932 crore as on March 31, 2019 compared to ₹ 2,88,336 crore as on March 31, 2018.
- CASA deposit increased by 7.8% to ₹ 1,50,141 crore as on March 31, 2019 from ₹ 1,39,241 crore as on March 31, 2018. Share of CASA deposit in total deposit increased to 36.1% as on March 31, 2019 compared to 34.1% as on March 31, 2018.
- In Advances as on March 31, 2019, RAM sector (Retail, Agriculture & MSME) increased by 9.2% and contributes 55.7% of domestic loan book.
- Cash recovery & up-gradation during FY 2018-19 increased by 188.5% to ₹ 6,447 crore from ₹ 2,235 crore during FY 2017-18.
- Net Interest Income (NII) rose by 9.8% to ₹ 10,215 crore from ₹ 9305 crore. NII has crossed ₹ 10,000 mark for the first time in history.
- Provision coverage ratio (PCR) has risen by 908 bps to 66.2% as of March 31, 2019 compared to 57.2% as of March 31, 2018.
- Gross NPA as on March 31, 2019 stood below 15% (14.98%) compared to 15.7% as of March 31, 2018. Net NPA ratio stood at 6.8% as of March 31, 2019 as compared to 8.4% as on March 31, 2018.
- Net Interest margins (NIM) has improved by 16 basis points (bps) to 2.23 % for FY19.
- Yield on Advances has improved by 4 bps while cost of deposits has fallen by 9 bps.
- Capital Adequacy Ratio (CRAR) under Basel III stood at 11.78% as on March 31, 2019 against the minimum regulatory requirement of 10.875%. Common equity tier 1 ratio stood at 8.02% against minimum regulatory requirement of 7.375%.
- Operating profit stood at ₹ 7,521 crore during FY 2018-19. Excluding Treasury Profit, which is interest rate sensitive, core Operating Profit increased by 14.1% to ₹ 6,622 in FY 2018-19 from ₹ 5,806 Crore in FY 2017-18

# महत्वपूर्ण वित्तीय सूचक

| क्र.सं. | विवरण % (प्रतिशत में) | 31.03.2009 | 31.03.2010 | 31.03.2011 | 31.03.2012 | 31.03.2013 | 31.03.2014 | 31.03.2015 | 31.03.2016 | 31.03.2017 | 31.03.2018 | 31.03.2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ब्याज आय/औसत कार्यशील निधियां (एडब्ल्यूएफ) | 8.78 | 8.04 | 8.33 | 9.35 | 9.19 | 8.95 | 8.88 | 8.37 | 7.60 | 6.71 | 6.85 |
| 2 | ब्याज व्यय/एडब्ल्यूएफ | 5.96 | 5.51 | 5.19 | 6.33 | 6.43 | 6.55 | 6.54 | 6.21 | 5.53 | 4.80 | 4.79 |
| 3 | ब्याज स्प्रेड/एडब्ल्यूएफ | 2.82 | 2.53 | 3.14 | 3.02 | 2.76 | 2.40 | 2.34 | 2.16 | 2.07 | 1.91 | 2.05 |
| 4 | गैर-ब्याज आय/एडब्ल्यूएफ | 1.09 | 1.19 | 1.03 | 1.09 | 0.93 | 0.86 | 0.97 | 0.94 | 1.16 | 1.02 | 0.90 |
| 5 | परिचालन व्यय/एडब्ल्यूएफ | 1.63 | 1.52 | 2.00 | 1.77 | 1.65 | 1.67 | 1.70 | 1.62 | 1.50 | 1.38 | 1.44 |
| 6 | लागत आय अनुपात | 41.81 | 40.66 | 47.85 | 43.15 | 44.70 | 51.24 | 51.34 | 52.10 | 46.42 | 47.26 | 48.80 |
| 7 | सकल (परिचालन) लाभ/एडब्ल्यूएफ | 2.28 | 2.21 | 2.18 | 2.34 | 2.04 | 1.59 | 1.61 | 1.49 | 1.73 | 1.54 | 1.51 |
| 8 | नेट वर्थ पर प्रतिलाभ | 24.79 | 23.69 | 18.63 | 13.67 | 13.68 | 9.99 | 9.73 | 6.84 | 2.86 | (27.99) | (15.57) |
| 9 | अंतिम आस्तियों पर प्रतिलाभ | 1.07 | 1.06 | 0.88 | 0.68 | 0.69 | 0.48 | 0.47 | 0.33 | 0.12 | (1.08) | (0.60) |
| 10 | औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ | 1.27 | 1.25 | 1.05 | 0.79 | 0.79 | 0.52 | 0.49 | 0.35 | 0.13 | (1.07) | (0.59) |
| 11 | अग्रिमों पर प्रतिफल | 11.06 | 9.94 | 9.86 | 11.22 | 11.05 | 10.53 | 10.42 | 9.63 | 8.72 | 7.67 | 7.71 |
| 12 | जमाराशियों की लागत | 6.50 | 5.94 | 5.53 | 6.93 | 7.38 | 7.37 | 7.31 | 7.00 | 6.28 | 5.66 | 5.57 |
| 13 | शुद्ध लाभ का लाभांश भुगतान अनुपात (कार्पोरेट लाभांश कर सहित) | 17.11 | 15.66 | 23.44 | 28.64 | 25.89 | 17.39 | 25.76 | 11.95 | - | - | - |
| 14 | ऋण जमा अनुपात | 73.22 | 73.71 | 78.11 | 84.94 | 84.11 | 82.04 | 86.65 | 83.69 | 81.45 | 78.18 | 79.27 |
| 15 | ऋण + गैर एसएलआर निवेश (अनुषंगी ईकाइयों में निवेश को छोड़कर)-जमा अनुपात | 76.75 | 80.75 | 84.08 | 86.51 | 87.63 | 90.36 | 93.51 | 88.91 | 87.82 | 83.77 | 86.96 |
| 16 | पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बासल III) | - | - | - | - | - | 10.80 | 10.22 | 10.56 | 11.79 | 11.50 | 11.78 |
| | टियर I | | | | | | 7.54 | 7.50 | 8.14 | 9.02 | 9.07 | 9.48 |
| | टियर II | | | | | | 3.26 | 2.72 | 2.42 | 2.77 | 2.43 | 2.30 |

# महत्वपूर्ण वित्तीय सूचक

| क्र. सं. | विवरण | 31.03.2009 | 31.03.2010 | 31.03.2011 | 31.03.2012 | 31.03.2013 | 31.03.2014 | 31.03.2015 | 31.03.2016 | 31.03.2017 | 31.03.2018 | 31.03.2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कर्मचारी (संख्या) | 27510 | 27772 | 27746 | 30838 | 31798 | 33806 | 35514 | 35473 | 36877 | 37587 | 37262 |
| 2 | शाखाएं (संख्या) | 2558 | 2805 | 3016 | 3201 | 3511 | 3871 | 4081 | 4200 | 4282 | 4301 | 4292 |
| 3 | प्रति कर्मचारी कारोबार (₹ करोड़ में)* | 6.94 | 8.53 | 10.43 | 10.70 | 12.15 | 13.76 | 14.46 | 15.51 | 16.43 | 17.83 | 18.79 |
| 4 | प्रति कर्मचारी सकल लाभ (₹ लाख में) | 11.20 | 13.18 | 15.52 | 17.04 | 17.56 | 15.44 | 16.40 | 16.13 | 20.15 | 20.06 | 20.18 |
| 5 | प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ (₹ लाख में) | 6.28 | 7.47 | 7.50 | 5.80 | 6.79 | 5.02 | 5.02 | 3.81 | 1.51 | (13.96) | (7.91) |
| 6 | प्रति शाखा कारोबार (₹ करोड़ में)* | 74.61 | 84.49 | 95.93 | 103.11 | 110.05 | 120.16 | 125.80 | 130.96 | 141.50 | 155.80 | 163.16 |
| 7 | प्रति शाखा सकल लाभ (₹ करोड़ में) | 1.20 | 1.30 | 1.43 | 1.64 | 1.59 | 1.35 | 1.43 | 1.36 | 1.74 | 1.78 | 1.75 |
| 8 | प्रति शाखा शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में) | 0.68 | 0.74 | 0.69 | 0.56 | 0.61 | 0.44 | 0.44 | 0.32 | 0.13 | (1.22) | (0.69) |
| 9 | प्रति शेयर आय (₹ में) | 34.18 | 41.08 | 39.71 | 34.07 | 38.93 | 27.99 | 28.05 | 20.42 | 8.08 | (69.45) | (25.08) |
| 10 | प्रति शेयर बही मूल्य (₹ में) | 137.87 | 173.38 | 213.17 | 237.48 | 264.37 | 269.37 | 288.01 | 287.51 | 277.76 | 157.40 | 107.36 |

**नोट : * औसत कारोबार**

**परिभाषाएं :**

| | | |
|---|---|---|
| औसत कार्यशील निधियां (एडब्ल्यूएफ) | : | कुल आस्तियों का पाक्षिक औसत |
| औसत जमाराशियां | : | कुल जमाराशियों का पाक्षिक औसत |
| औसत अग्रिम | : | कुल अग्रिमों का पाक्षिक औसत |
| औसत कारोबार | : | औसत जमाराशियों और औसत अग्रिमों का योग |
| औसत निवेश | : | कुल निवेश का पाक्षिक औसत |
| ब्याज आय/एडब्ल्यूएफ | : | कुल ब्याज आय को एडब्ल्यूएफ से भाग दें |
| ब्याज व्यय/एडब्ल्यूएफ | : | कुल ब्याज व्यय को एडब्ल्यूएफ से भाग दें |
| ब्याज स्प्रेड/एडब्ल्यूएफ | : | कुल ब्याज आय में से कुल ब्याज व्यय को घटाकर एडब्ल्यूएफ से भाग दें |
| गैर-ब्याज आय/एडब्ल्यूएफ | : | कुल गैर ब्याज आय को एडब्ल्यूएफ से भाग दें |
| परिचालन व्यय | : | कुल व्यय में से ब्याज व्यय घटायें |
| परिचालन व्यय/एडब्ल्यूएफ | : | परिचालन व्यय को एडब्ल्यूएफ से भाग दें |
| आय लागत अनुपात | : | परिचालन व्यय/गैर ब्याज आय + ब्याज स्प्रेड |
| सकल लाभ/एडब्ल्यूएफ | : | सकल लाभ को एडब्ल्यूएफ से भाग दें |
| नेट वर्थ पर प्रतिलाभ | : | शुद्ध लाभ/नेट वर्थ (पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधियां एवं अमूर्त आस्तियों को छोड़कर) |
| आस्तियों पर प्रतिफल | : | शुद्ध लाभ/कुल आस्तियां |
| औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ | : | शुद्ध लाभ/एडब्ल्यूएफ |
| अग्रिमों पर आय | : | आग्रिमों पर अर्जित ब्याज/औसत अग्रिम |
| जमाराशियों की लागत | : | जमाराशियों पर प्रदत्त ब्याज को औसत जमाराशियों से भाग दें |
| लाभांश भुगतान अनुपात | : | कार्पोरेट लाभांश कर सहित लाभांश/शुद्ध लाभ (कार्पोरेट लाभांश कर सहित) |
| ऋण जमा अनुपात | : | कुल अग्रिम/ग्राहकों की जमाराशियां (यथा कुल जमाराशियां-अंतर बैंक जमाराशियां ) |
| ऋण + गैर सांविधिक तरलता अनुपात निवेश (अनुषंगी ईकाइयों में निवेश को छोड़कर)-जमाराशि अनुपात | | कुल अग्रिम +गैर एसएलआर निवेश-अनुषंगी ईकाइयों में निवेश/ग्राहकों की जमाराशियां |
| प्रति कर्मचारी कारोबार | : | औसत जमाराशियां (बैंक जमाराशियों को छोड़कर) + औसत अग्रिम/कर्मचारियों की कुल संख्या |
| प्रति कर्मचारी सकल लाभ | : | सकल लाभ को कर्मचारियों की कुल संख्या से भाग दें |
| प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ | : | शुद्ध लाभ/कर्मचारियों की कुल संख्या |
| प्रति शाखा कारोबार | : | औसत जमाराशियां (बैंक जमाराशियों को छोड़कर) + औसत अग्रिम/शाखाओं की संख्या |
| प्रति शाखा सकल लाभ | : | सकल लाभ/शाखाओं की संख्या |
| प्रति शाखा शुद्ध लाभ | : | शुद्ध लाभ/शाखाओं की संख्या |
| प्रति शेयर आय | : | शुद्ध लाभ को इक्विटी शेयर कैपिटल से भाग दें |
| प्रति शेयर बही मूल्य | : | नेट वर्थ (पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि एवं अमूर्त आस्तियों को छोड़कर) को इक्विटी शेयर कैपिटल से भाग दें |

# KEY FINANCIAL INDICATORS

| S.No. | Particulars % (In Percentage) | 31.03.2009 | 31.03.2010 | 31.03.2011 | 31.03.2012 | 31.03.2013 | 31.03.2014 | 31.03.2015 | 31.03.2016 | 31.03.2017 | 31.03.2018 | 31.03.2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Interest Income/Average Working Funds (AWF) | 8.78 | 8.04 | 8.33 | 9.35 | 9.19 | 8.95 | 8.88 | 8.37 | 7.60 | 6.71 | 6.85 |
| 2 | Interest Expenses/AWF | 5.96 | 5.51 | 5.19 | 6.33 | 6.43 | 6.55 | 6.54 | 6.21 | 5.53 | 4.80 | 4.79 |
| 3 | Interest Spread/AWF | 2.82 | 2.53 | 3.14 | 3.02 | 2.76 | 2.40 | 2.34 | 2.16 | 2.07 | 1.91 | 2.05 |
| 4 | Non-Interest Income/ AWF | 1.09 | 1.19 | 1.03 | 1.09 | 0.93 | 0.86 | 0.97 | 0.94 | 1.16 | 1.02 | 0.90 |
| 5 | Operating Expenses/ AWF | 1.63 | 1.52 | 2.00 | 1.77 | 1.65 | 1.67 | 1.70 | 1.62 | 1.50 | 1.38 | 1.44 |
| 6 | Cost Income Ratio | 41.81 | 40.66 | 47.85 | 43.15 | 44.70 | 51.24 | 51.34 | 52.10 | 46.42 | 47.26 | 48.80 |
| 7 | Gross (Operating) Profit/ AWF | 2.28 | 2.21 | 2.18 | 2.34 | 2.04 | 1.59 | 1.61 | 1.49 | 1.73 | 1.54 | 1.51 |
| 8 | Return on Net Worth | 24.79 | 23.69 | 18.63 | 13.67 | 13.68 | 9.99 | 9.73 | 6.84 | 2.86 | (27.99) | (15.57) |
| 9 | Return on Terminal Assets | 1.07 | 1.06 | 0.88 | 0.68 | 0.69 | 0.48 | 0.47 | 0.33 | 0.12 | (1.08) | (0.60) |
| 10 | Return on Average Assets | 1.27 | 1.25 | 1.05 | 0.79 | 0.79 | 0.52 | 0.49 | 0.35 | 0.13 | (1.07) | (0.59) |
| 11 | Yield on Advances | 11.06 | 9.94 | 9.86 | 11.22 | 11.05 | 10.53 | 10.42 | 9.63 | 8.72 | 7.67 | 7.71 |
| 12 | Cost of Deposits | 6.50 | 5.94 | 5.53 | 6.93 | 7.38 | 7.37 | 7.31 | 7.00 | 6.28 | 5.66 | 5.57 |
| 13 | Dividend payout Ratio to Net Profit (including Corporate Dividend Tax) | 17.11 | 15.66 | 23.44 | 28.64 | 25.89 | 17.39 | 25.76 | 11.95 | - | - | - |
| 14 | Credit - Deposit Ratio | 73.22 | 73.71 | 78.11 | 84.94 | 84.11 | 82.04 | 86.65 | 83.69 | 81.45 | 78.18 | 79.27 |
| 15 | Credit + Non SLR Investment (excluding Investments in Subsidiaries) - Deposit Ratio | 76.75 | 80.75 | 84.08 | 86.51 | 87.63 | 90.36 | 93.51 | 88.91 | 87.82 | 83.77 | 86.96 |
| 16 | Capital Adequacy Ratio (Basel III) | - | - | - | - | - | 10.80 | 10.22 | 10.56 | 11.79 | 11.50 | 11.78 |
| | Tier I | | | | | | 7.54 | 7.50 | 8.14 | 9.02 | 9.07 | 9.48 |
| | Tier II | | | | | | 3.26 | 2.72 | 2.42 | 2.77 | 2.43 | 2.30 |

# KEY FINANCIAL INDICATORS

| S. No. | Particulars | 31.03.2009 | 31.03.2010 | 31.03.2011 | 31.03.2012 | 31.03.2013 | 31.03.2014 | 31.03.2015 | 31.03.2016 | 31.03.2017 | 31.03.2018 | 31.03.2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Employees (Number) | 27510 | 27772 | 27746 | 30838 | 31798 | 33806 | 35514 | 35473 | 36877 | 37587 | 37262 |
| 2 | Branches (Number) | 2558 | 2805 | 3016 | 3201 | 3511 | 3871 | 4081 | 4200 | 4282 | 4301 | 4292 |
| 3 | Business per Employee (Rs in Crore) * | 6.94 | 8.53 | 10.43 | 10.70 | 12.15 | 13.76 | 14.46 | 15.51 | 16.43 | 17.83 | 18.79 |
| 4 | Gross Profit per Employee (Rs in Lacs) | 11.20 | 13.18 | 15.52 | 17.04 | 17.56 | 15.44 | 16.40 | 16.13 | 20.15 | 20.06 | 20.18 |
| 5 | Net Profit per Employee (Rs in Lacs) | 6.28 | 7.47 | 7.50 | 5.80 | 6.79 | 5.02 | 5.02 | 3.81 | 1.51 | (13.96) | (7.91) |
| 6 | Business per branch (Rs in Crore) * | 74.61 | 84.49 | 95.93 | 103.11 | 110.05 | 120.16 | 125.80 | 130.96 | 141.50 | 155.80 | 163.16 |
| 7 | Gross Profit per branch (Rs in Crore) | 1.20 | 1.30 | 1.43 | 1.64 | 1.59 | 1.35 | 1.43 | 1.36 | 1.74 | 1.78 | 1.75 |
| 8 | Net Profit per branch (Rs in Crore) | 0.68 | 0.74 | 0.69 | 0.56 | 0.61 | 0.44 | 0.44 | 0.32 | 0.13 | (1.22) | (0.69) |
| 9 | Earnings per Share (in Rupees) | 34.18 | 41.08 | 39.71 | 34.07 | 38.93 | 27.99 | 28.05 | 20.42 | 8.08 | (69.45) | (25.08) |
| 10 | Book Value per Share (in Rupees) | 137.87 | 173.38 | 213.17 | 237.48 | 264.37 | 269.37 | 288.01 | 287.51 | 277.76 | 157.40 | 107.36 |

**Note :** * Average Business

**Definitions :**

| | | |
|---|---|---|
| Average Working Funds (AWF) | : | Fornightly average of total assets |
| Average Deposits | : | Fornightly average of total deposits |
| Average Advances | : | Fornightly average of total advances |
| Average Business | : | Total average deposits and average advances |
| Average Investments | : | Fornightly average of total investments |
| Interest Income/AWF | : | Total interest income divided by AWF |
| Interest Expenses/AWF | : | Total interest expenses divided by AWF |
| Interest Spread/AWF | : | Total interest income minus Total interest expenses divided by AWF |
| Non Interest Income/AWF | : | Total Non interest income divided by AWF |
| Operating Expenses | : | Total Expenses minus Interest Expenses |
| Operating Expenses/AWF | : | Operating profit divided by AWF |
| Cost Income Ratio | : | Operating Expenses / Non Interest Income plus interest spread |
| Gross Profit/AWF | : | Operating profit divided by AWF |
| Return on Net Worth | : | Net Profit / Net Worth (excluding revaluation reserves and intangible assets) |
| Return on Assets | : | Net Profit / Total Assets |
| Return on Average Assets | : | Net Profit / AWF |
| Yield on Advances | : | Interest Earned on Advances / Average Advances |
| Cost of Deposits | : | Interest paid on deposits divided by average deposits |
| Dividend Payout Ratio | : | Dividend including corporate Dividend Tax / Net Profit (including Corporate dividend tax) |
| Credit Deposit Ratio | : | Total advances / Customer Deposits (i.e. Total Deposits minus Inter Bank Deposits) |
| Credit + Non SLR Investments (excluding Investment in Subsidiaries) - Deposit Ratio | : | Total Advances + Non-SLR Investments minus Investments in subsidiaries / Customer Deposits |
| Business per employee | : | Average Deposits (excluding Bank Deposits ) plus Average Advances / Total No. of employees |
| Gross Profit per Employee | : | Gross Profit divided by total No. of employees |
| Net Profit per Employee | : | Net Profit / Total No. of Employees |
| Business per Branch | : | Average Deposits (excluding Bank Deposits ) plus Average Advances / Total No. of branches |
| Gross Profit per Branch | : | Gross Profit / No. of Branches |
| Net Profit per Branch | : | Net Profit / No. of Branches |
| Earning per Share | : | Net Profit divided by equity share capital |
| Book Value per share | : | Net worth (excluding Revaluation Reserve and intangible assets)/ equity share capital |



#startupindia

हिंदुस्तान में कोई ऐसा जिला न हो,
ऐसा ब्लॉक न हो जहाँ कोई स्टार्टअप न शुरू हो।
**"Start-up India"**

# The first to start



## Union StartUp

Union Bank pioneers yet another first…Union StartUp
A loan product to support and promote Start-up India

- Working Capital & Term Loan Finance up to ₹5 crore
- Low Interest Rate
- No Processing Charges
- Repayment Period for Term Loan up to 120 months

*C'mon India, buck up and start-up, we are here for backup!*

सपना साकार हो अपना MAKING EVERY DREAM COUNT
100 वर्ष YEARS
1919 - 2019

Proud to be associated with

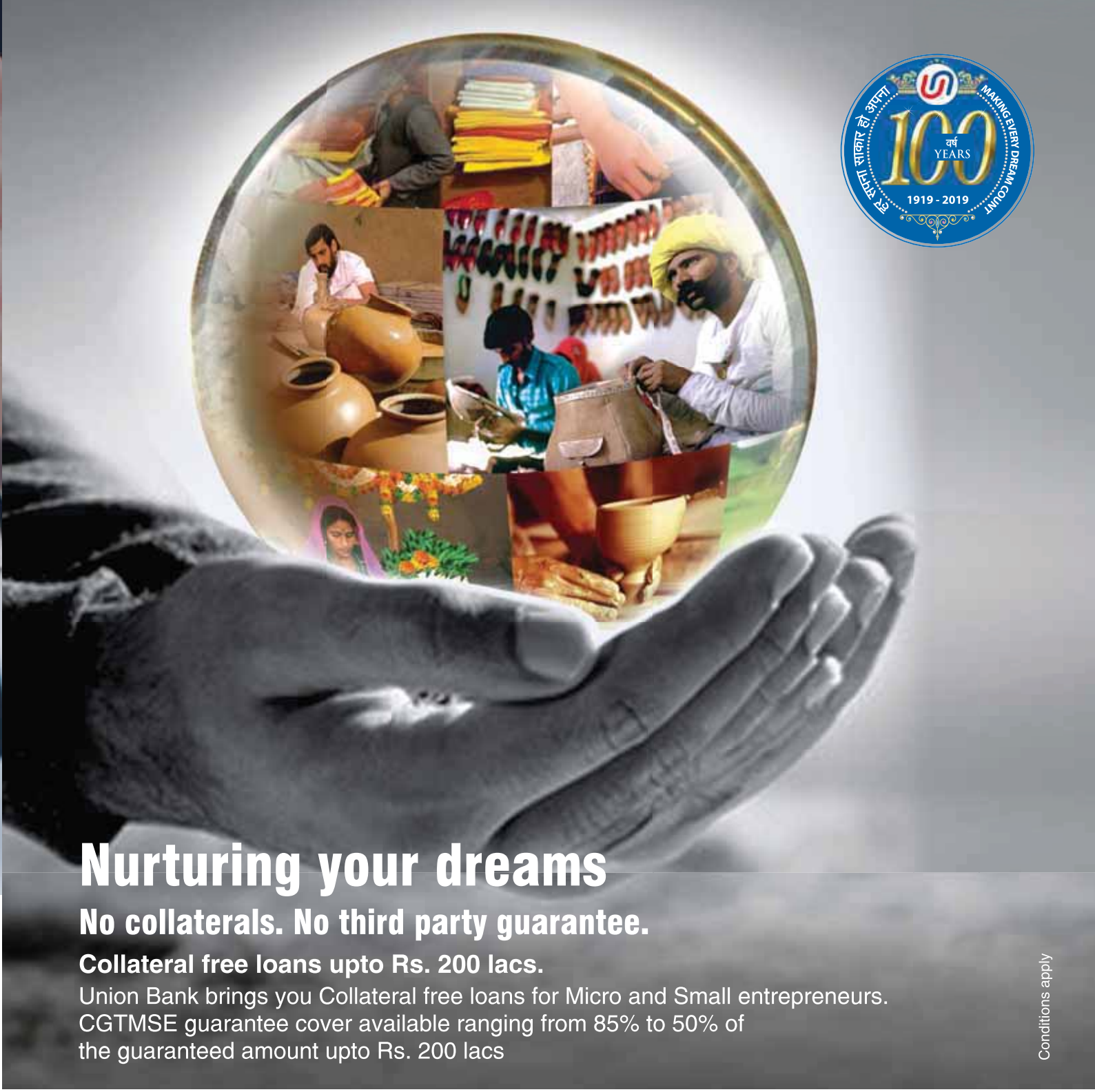
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
अच्छे लोग, अच्छा बैंक

Union Bank of India
Good people to bank with

भारतीय बैंकिंग कोड एवं मानक बोर्ड के सदस्य Member of Banking Codes & Standards Board of India

Helpline Nos.: **1800 22 2244 / 1800 208 2244** (Toll free no.) | **080 6181 7110** (Chargeable) | **+91 80 6181 7110** (For NRIs) **www.unionbankofindia.co.in**

Connect with us: UnionBankOfIndia UnionBankTweets unionbankinsta UnionBankofIndiaUtube unionbankofindia




# Nurturing your dreams

## No collaterals. No third party guarantee.

**Collateral free loans upto Rs. 200 lacs.**

Union Bank brings you Collateral free loans for Micro and Small entrepreneurs.
CGTMSE guarantee cover available ranging from 85% to 50% of
the guaranteed amount upto Rs. 200 lacs

Conditions apply

Proud to be associated with

Digital India

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

अच्छे लोग, अच्छा बैंक

Union Bank of India

Good people to bank with

भारतीय बैंकिंग कोड एवं मानक बोर्ड के सदस्य Member of Banking Codes & Standards Board of India

Helpline Nos.: **1800 22 2244 / 1800 208 2244** (Toll free no.) | **080 6181 7110** (Chargeable) **+91 80 6181 7110** (For NRIs)

www.unionbankofindia.co.in | UnionBankOfIndia UnionBankTweets unionbankinsta UnionBankofIndiaUtube unionbankofindia

# वार्षिक साधारण बैठक की सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ("बैंक") के शेयरधारकों की **सत्तरहवीं** वार्षिक साधारण बैठक **शुक्रवार, दिनांक 28 जून, 2019 को प्रात: 11.00 बजे रामा एण्ड सुंदरी वाटूमल ऑडिटोरियम, के. सी. कॉलेज, दिनशॉ वाचा रोड, चर्चगेट, मुंबई-400020** में निम्नलिखित कार्यों के लिए आयोजित की जाएगी:

**सामान्य कारोबार**

**मद क्र. 1**

दिनांक **31 मार्च, 2019** के तुलन पत्र तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ व हानि लेखा, लेखों में कवर की गयी अवधि के लिए बैंक की गतिविधियों तथा कार्यकलापों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन पत्र और लेखों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन एवं अंगीकरण हेतु.

**विशेष कारोबार**

**मद क्र. 2**

**एफपीओ/ राइट्स/ क्यूआईपी/ अधिमान आबंटन आदि के माध्यम से पूंजी का अर्जन.**

विचारोपरांत उचित पाये जाने पर आशोधनों सहित या रहित निम्नलिखित विशेष संकल्प पारित करना.

**"संकल्प किया** कि बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 **("अधिनियम")** के प्रावधानों, राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 **("योजना")** तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर तथा बैठक) विनियम 1998 यथा समय-समय पर संशोधित, भारतीय रिजर्व बैंक **("आरबीआई"),** भारत सरकार **("जीओआई"),** भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड **("सेबी")** और/ या इस संबंध में आवश्यक होने पर किसी अन्य प्राधिकारी के अनुमोदन, सहमति, मंजूरी, यदि कोई हो, के अध्यधीन तथा उनके द्वारा अनुमोदन के लिये आवश्यक निर्धारित शर्तों, निबंधनों और संशोधनों तथा बैंक के निदेशक मंडल द्वारा दी गयी सहमति के अनुसार तथा सेबी (पूंजी का निर्गम एवं आवश्यक प्रकटीकरण) विनियम 2018 **("आईसीडीआर विनियम")** यथा अद्यतन संशोधित, भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी द्वारा निर्धारित दिशानिर्देश यदि कोई हों; बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के अंतर्गत जारी अधिसूचना/ परिपत्र एवं स्पष्टीकरण तथा समय-समय पर लागू अन्य नियमों एवं सेबी (लिस्टिंग दायित्व एवं आवश्यक प्रकटीकरण) विनियम 2015 **("लिस्टिंग विनियम")** संबंधित प्राधिकरणों तथा स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, में दर्ज सूचीयन करार के अध्यधीन बैंक के शेयरधारकों की सहमति है और एतद्द्वारा बैंक के निदेशक मंडल (जिसे इसके बाद **"बोर्ड"** कहा जायगा, जिसमें इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित इसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बोर्ड द्वारा गठित की गयी/ की जाने वाली समिति भी शामिल है) को प्रदान की जाए एवं एतद्द्वारा प्रदान की जाती है कि प्रस्ताव दस्तावेज/प्रास्पेक्टस अथवा ऐसे किसी अन्य दस्तावेज के माध्यम से भारत या भारत से बाहर **रू. 4900 करोड़ (रुपये चार हजार नौ सौ करोड़ मात्र)** के इक्विटी शेयर (प्रीमियम सहित, यदि कोई हो) **जो रु.1763.02 करोड़ (रुपये एक हज़ार सात सौ तिरसठ एवं दो लाख मात्र)** की वर्तमान चुकता इक्विटी शेयर पूंजी सहित **रु. 3000 करोड़ (रुपये तीन हजार करोड़ मात्र),** जो बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम,1970 की धारा 3(2ए) अथवा भविष्य में अधिनियम के अधीन संशोधन (यदि कोई हो), के द्वारा बढ़ाई गई सीमा के अंदर हो तथा इस प्रकार की किसी भी स्थिति में केंद्र सरकार की अंशधारिता बैंक की चुकता इक्विटी पूंजी के 51% से कम न हो, चाहे बाजार मूल्य से छूट पर अथवा प्रीमियम पर तथा एक या अधिक अवसरों पर, एक अथवा अधिक शेयरधारकों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीयों **("एनआरआई")**, निजी अथवा सार्वजनिक कंपनियों, विनिवेश संस्थाओं, समितियों, न्यासों, शोध संस्थानों, अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेताओं **("क्यूआईबी"),** विदेशी संस्थागत निवेशकों **("एफआईआइ"),** बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, भारतीय म्युचुअल फंडों, उद्यम पूंजी निधियों, विदेशी उद्यम पूंजी निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों, बीमा कंपनियों, भविष्य निधियों, पेंशन निधियों, विकास वित्त संस्थाओं या अन्य इकाइयों, प्राधिकरणों या अन्य किसी संवर्ग के निवेशकों, जो विद्यमान विनियमों/ दिशानिर्देशों या उपर्युक्त दोनों के किसी संयोजन, जिसे बैंक द्वारा उचित समझा जाए, के अनुसार बैंक के इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों में निवेश करने हेतु अधिकृत हैं, को पूंजी का सृजन, प्रस्ताव, निर्गम और आबंटन (निश्चित आबंटन और/या निर्गम का ऐसा भाग और ऐसे संवर्ग के व्यक्तियों, जो उस समय लागू नियमों के तहत अनुमत हों, को आरक्षित प्रावधानों सहित) किया जाए.

**"पुन: संकल्प किया** कि ऐसा निर्गम, प्रस्ताव या आबंटन सार्वजनिक निर्गम (यथा अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम) और/ या अधिकार निर्गम और/ या निजी स्थापन, अर्हता प्राप्त संस्थागत स्थापन, अधि आबंटन विकल्प सहित या रहित के जरिए होगा तथा ऐसा प्रस्ताव, निर्गम, स्थापन या आबंटन, अधिनियम आईसीडीआर विनियम, लिस्टिंग विनियम तथा भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी या अन्य संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी सभी अन्य दिशानिर्देशों और ऐसे समय या समयों पर इस प्रकार तथा ऐसी शर्तों एवं निबंधनों पर, जिन्हें बोर्ड द्वारा अपने पूर्ण विवेक से उचित समझा जाए, के प्रावधानों के अनुसार किया जाए."

**"पुन: संकल्प किया** कि बोर्ड को अधिकार होगा कि वह निर्गम ऐसे मूल्य या मूल्यों पर इस प्रकार से और यदि आवश्यक हो, तो लीड मैनेजरों और/या अंडरराइटरों और/ या अन्य परामर्शदाताओं या अन्यथा के परामर्श से अपने पूर्ण विवेकानुसार ऐसी शर्तों एवं निबंधनों पर तथा आईसीडीआर विनियमों, अन्य विनियमों और लागू अन्य कानूनों, नियमों, विनियमों तथा दिशानिर्देशों के अधीन ऐसे मूल्य या मूल्यों पर जारी करे, जो आईसीडीआर विनियमों के संबद्ध प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मूल्य से कम न हो; चाहे ऐसे निवेशक (गण) बैंक के विद्यमान शेयरधारक हों या नहीं."

**"पुन: संकल्प किया** कि संबंधित शेयर बाज़ार के साथ किए गए लिस्टिंग करारों, अधिनियम के प्रावधानों, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर तथा बैठक) विनियम 1998 के प्रावधानों, आईसीडीआर विनियमों के प्रावधानों, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूतियों का अंतरण व निर्गम) विनियम, 2017 के प्रावधानों तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), शेयर बाजार, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय (डीआईपीपी), वित्त मंत्रालय तथा अन्य सभी अपेक्षित प्राधिकारी वर्ग (जिन्हें इसके बाद सामूहिक रुप में "सम्यक प्राधिकारी" कहा जाएगा) तथा उपर्युक्त में से किसी के भी द्वारा इस प्रकार का अनुमोदन, सहमति, अनुमति और/ या मंजूरियां (जिन्हें इसके बाद "अपेक्षित अनुमोदन" कहा जाएगा) प्रदान करते समय निर्धारित की जाने वाली शर्तों के अध्यधीन बोर्ड, स्थापन दस्तावेज और/ या ऐसे अन्य दस्तावेजों/ लेखों/ परिपत्रों/ ज्ञापनों के जरिये तथा समय-समय पर एक या अधिक अवसरों पर अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेताओं (क्यूआईबी) (जिन्हें आईसीडीआर विनियमन के अध्याय VI में परिभाषित किया गया है), को अर्हता प्राप्त संस्थागत स्थापन (क्यूआईपी), जैसा कि आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VI में उल्लेख है, के अनुसार

आईसीडीआर विनियमों के या उस समय प्रचलित कानूनों के अन्य प्रावधानों के अनुसार बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाने वाली शर्तो एवं निबंधनों के तहत ऐसे मूल्य एवं तरीके से इक्विटी शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों (वारंटों को छोड़कर), जो बाद में इक्विटी शेयरों के बदले परिवर्तनीय हैं, का बोर्ड अपने सम्यक विवेक से इस प्रकार सृजन, प्रस्ताव, निर्गम एवं आबंटन कर सकता है कि किसी भी समय भारत सरकार की धारिता बैंक की इक्विटी पूंजी के 51% से कम न हो."

**"पुन: संकल्प किया** कि आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI के अनुसार पात्र संस्थागत स्थापन के मामले में:

क) प्रतिभूतियों का आबंटन केवल आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI के अन्तर्गत परिभाषित पात्र संस्थागत क्रेताओं को ही किया जाएगा. ये प्रतिभूतियां पूर्णत: प्रदत्त होंगी तथा ऐसी प्रतिभूतियों का आबंटन इस संकल्प की तिथि से 365 दिनों के अंदर पूरा कर लिया जाएगा.

ख) आईसीडीआर विनियमन के विनियम 176(I) के प्रावधान के अनुक्रम में बैंक, विनियमों द्वारा निर्धारित आधार मूल्य से अधिकतम 5 प्रतिशत से अनाधिक छूट पर शेयर का प्रस्ताव देने हेतु अधिकृत है.

ग) प्रतिभूतियों का आधार मूल्य निर्धारित करने हेतु संबद्ध तारीख आईसीडीआर विनियम के अनुसार होगी."

**"पुन: संकल्प किया** कि भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/ भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड/स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या इस संबंध में बोर्ड द्वारा दी गयी सहमति के अनुसार निर्गम, आबंटन एवं सूचीयन अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं मंजूरी प्रदान करते समय उनके द्वारा वांछित संशोधन को स्वीकार करने का अधिकार बोर्ड के पास निहित होगा."

**"पुन: संकल्प किया** कि एनआरआई/एफआईआई और/या अन्य पात्र विदेशी निवेशों को नये इक्विटी शेयरों एवं प्रतिभूतियों, यदि कोई है, का निर्गम और आबंटन, लागू विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम,1999 के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन अधिनियम द्वारा निर्धारित समग्र सीमा के अध्यधीन होगा."

**"पुन: संकल्प किया** कि जारी किये जाने वाले नए इक्विटी शेयर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर तथा बैठक) विनियमन 1998 समय-समय पर यथा संशोधित (विनियमन) के अध्यधीन तथा बैंक के मौजूदा शेयरों के समरुप होंगे एवं लाभांश की घोषणा के समय प्रभावी सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुरुप लाभांश, यदि कोई है, के लिये पात्र होंगे."

**"पुन: संकल्प किया** कि इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों के निर्गम या आबंटन करने के लिये बोर्ड को निवेशक संवर्ग, जिन्हें प्रतिभूतियां आबंटित की जानी हैं, प्रत्येक अवसर पर आबंटित किए जाने वाले शेयरों/ प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम राशि, जिसे बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से उचित समझे, सहित सार्वजनिक निर्गम की शर्तें निर्धारित करने तथा ऐसे सभी कार्य, कार्रवाई, मामले और काम निपटाने तथा ऐसे कार्य, दस्तावेज एवं करार निष्पादित करने, जिसे वह अपने विवेकानुसार आवश्यक, उचित एवं वांछनीय समझे तथा इक्विटी शेयरों के प्रस्ताव, निर्गम एवं आबंटन तथा निर्गम राशि के उपयोग करने के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी प्रश्न, कठिनाई या शंका का समाधान करने या उन्हें निपटाने के अनुदेश या निर्देश जारी करने तथा अपने पूर्ण विवेक से बैंक के सर्वोत्तम हित में ठीक एवं उचित माने जाने वाले निबंधनों व शर्तों, जो भी हों, में ऐसे संशोधन, परिवर्तन, फेरबदल, विलोपन तथा परिवर्धन आगे शेयरधारकों की कोई और सहमति या अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता के बिना स्वीकार करने के लिये इस संकल्प द्वारा बैंक तथा बोर्ड को दिये गये सभी या किसी अधिकार का प्रयोग करने हेतु बोर्ड को अधिकृत किया जाए और एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है."

**"पुन: संकल्प किया** कि बोर्ड यथा आवश्यक इक्विटी/प्रतिभूतियों के प्रस्ताव के लिये बुक रनर, लीड मैनेजर, बैंकर्स, अंडरराइटर, डिपॉजिटरी, रजिस्ट्रार, लेखापरीक्षक तथा अन्य ऐसी एजेन्सियों, जो इक्विटी शेयरों एवं प्रतिभूतियों के प्रस्ताव संबंधी कार्य में शामिल हों, को कमीशन, दलाली, शुल्क या ऐसे अन्य प्रभार के भुगतान हेतु ऐसी एजेंसियों के साथ इस प्रकार की सभी व्यवस्थाओं, करारों, ज्ञापनों, दस्तावेजों आदि को निष्पादित करने के लिये बोर्ड को अधिकृत किया जाय एवं एतद्द्वारा ऐसा किया जाता है."

**"पुन: संकल्प किया** कि उक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिये लीड मैनेजरों, अंडरराइटरों, परामर्शदाताओं और/ या बैंक द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों के परामर्श से बोर्ड को निर्गम की शर्तें निर्धारित करने हेतु अधिकृत किया जाए एवं किया जाता है, जिसमें निवेशक संवर्ग, जिन्हें प्रतिभूतियां आबंटित की जानी हैं, का निर्धारण, प्रत्येक अवसर पर आबंटित किए जाने वाले इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य (प्रीमियम सहित, यदि कोई हो), अंकित मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम राशि/ प्रतिभूतियों का कंवर्जन/ वारंट की प्रक्रिया/ प्रतिभूतियों का शोधन (रिडेम्प्शन), ब्याज दर, शोधन अवधि, प्रतिभूतियों के परिवर्तन या शोधन या निरस्तीकरण पर इक्विटी शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों की संख्या, इक्विटी शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों के निर्गम/ कंवर्जन पर प्रीमियम या छूट, ब्याज दर, कंवर्जन की अवधि, रिकार्ड तिथि या बुक क्लोजर एवं अन्य संबंधित प्रासंगिक मामलों का निर्धारण, भारत और/या विदेश में एक या अधिक शेयर बाजारों में लिस्टिंग, जिसे बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से उचित समझे, आदि शर्तों का निर्धारण शामिल है."

**"पुन: संकल्प किया** कि इनमें से ऐसे शेयर/प्रतिभूतियां, जो अभिदत्त नहीं हुए हैं, को बोर्ड अपने सम्यक विवेक, जिसे बोर्ड उचित समझे तथा विधि सम्मत तरीके से निस्तारित कर सकता है."

**"पुन: संकल्प किया** कि उक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिये बोर्ड द्वारा ऐसे सभी कार्य, कृत्य, मामले व चीजें निपटाने, जिन्हें बोर्ड अपने सम्यक विवेक से उचित समझे तथा शेयरों/प्रतिभूतियों के निर्गम के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी प्रश्न, कठिनाई या शंका का समाधान करने, पुन: ऐसे सभी कार्य, कृत्य, मामले व चीजें निपटाने, सभी आवश्यक, वांछनीय एवं उचित दस्तावेज व ज्ञापनों को निष्पादित करने, जिन्हें बोर्ड अपने सम्यक विवेक से ठीक, उचित एवं वांछनीय समझे, को आगे शेयरधारकों की कोई और सहमति या अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता के बिना स्वीकार करने के लिये इस संकल्प द्वारा बैंक तथा बोर्ड को दिये गये किसी या सभी अधिकारों का प्रयोग करने हेतु बोर्ड को अधिकृत माना जाए तथा एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है."

**"पुन: संकल्प किया** कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने हेतु बोर्ड को इसमें प्रदत्त सभी प्राधिकार प्रबंध निदेशक एवं सीईओ या कार्यपालक निदेशक/निदेशकों की समिति को पूंजी निधि एकत्रित करने हेतु अधिकृत किया जाए एवं एतद्द्वारा किया जाता है."

**निदेशक मंडल के आदेशानुसार**
**कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया**



**(राजाकिरण रै जो.)**
**प्रबंध निदेशक एवं सीईओ**

स्थान : मुंबई
दिनांक : 15 मई, 2019

**नोट:**

**1) व्याख्यात्मक विवरण**

बैठक की कारोबार कार्यसूची क्रमांक 02 के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य युक्त व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है.

**2) परोक्षी की नियुक्ति**

बैठक में भाग लेने तथा वोट देने के हकदार शेयरधारक अपने स्वयं के स्थान पर भाग लेने तथा वोट देने हेतु (बैंक के अधिकारी अथवा कर्मचारी को छोडकर) उपस्थित रहने व वोट देने हेतु परोक्षी नियुक्त कर सकते हैं और यह आवश्यक नहीं है कि ऐसा परोक्षी बैंक का शेयरधारक हो. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियम 1998 के विनियम 70(vi) के अनुसार परोक्षी प्रपत्र प्रदान करने वाला व्यक्ति उस बैठक में, जिससे संबंधित प्रपत्र है, व्यक्तिगत रुप से वोट देने का हकदार नहीं होगा. वार्षिक रिपोर्ट के अनुलग्नक फार्म 'बी' के अलावा परोक्षी का अन्य कोई भी प्रपत्र वैध नहीं होगा.

परोक्षी फार्म को प्रभावी बनाने के लिए बैंक के केन्द्रीय कार्यालय में **कंपनी सचिव को निवेशक सेवाएं प्रभाग, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, 12वां माला, यूनियन बैंक भवन, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पाइंट, मुंबई-400021** के पते पर बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात् **शुक्रवार, 21 जून, 2019** को बैंक के कार्य-समाप्ति पर **सायं 5.00 बजे** तक या उससे पूर्व मुख्तारनामा अथवा अन्य अधिकार पत्र, यदि कोई है, तो उसके साथ, जिसके अन्तर्गत यह हस्ताक्षरित है अथवा उस मुख्तारनामा की प्रति अथवा अन्य अधिकार पत्र, जिसे पब्लिक नोटरी अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रुप में प्रमाणित किया गया हो, जब तक कि इस प्रकार के मुख्तारनामा अथवा अन्य अधिकार पत्र को बैंक के पास पूर्व में ही जमा और पंजीकृत न किया गया हो, अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए.

**3) प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति :**

किसी कंपनी या किसी निकाय, निगम, जो बैंक के शेयरधारक हैं, के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति बैठक में उपस्थित रहने या वोट देने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने के संकल्प की उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्य प्रति, जिसमें वह संकल्प पारित किया गया हो, बैंक के केन्द्रीय कार्यालय में, उक्त पते पर बैठक की तिथि से **कम से कम चार दिन** पूर्व अर्थात् **शुक्रवार, 21 जून, 2019 को कार्य-समाप्ति अर्थात सायं 5.00 बजे** तक या उससे पूर्व जमा न करा दिया गया हो.

**4) उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र**

शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र इस रिपोर्ट के साथ, पहले से ही छपे हुए अपेक्षित ब्यौरे, ई-वोटिंग लॉग-इन आईडी व पासवर्ड के साथ, प्रेषित किया गया है. शेयरधारकों को यह विकल्प है कि वे ई-वोटिंग प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए अपना वोट डाल सकते हैं. लेकिन जो शेयरधारक रिमोट ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग नहीं करते है, वे एजीएम की तिथि पर, बैठक के स्थान पर आयोजित होने वाली निर्वाचन प्रक्रिया में अपना वोट डाल सकते हैं. इस प्रकार के शेयरधारकों/ परोक्षियों/ प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उपस्थिति पर्ची में छपे हुए ब्यौरे का सत्यापन करें और खाली स्थान, यदि कोई है, तो उसे भरें और उसमें उपलब्ध कराए गए निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें तथा उसे बैठक के स्थान पर सुपुर्द करें. शेयरधारकों के परोक्षी या प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र पर 'परोक्षी' अथवा 'प्राधिकृत प्रतिनिधि' जैसी भी स्थिति हो, का उल्लेख किया जाए. उपस्थिति पर्ची एजीएम के स्थान पर प्रवेश के समय सुपुर्द की जाए और उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र को मतदान के समय मतपत्र प्राप्त करने हेतु सुपुर्द किया जाए.

**5) बुक क्लोजर**

शेयर धारकों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण रजिस्टर **शनिवार, दिनांक 22 जून, 2019 से शुक्रवार दिनांक 28 जून, 2019** तक (दोनों दिन मिलाकर) वार्षिक साधारण बैठक के उद्देश्य से बंद रहेगा.

**6) अदावाकृत /अदत्त लाभांश, यदि कोई हो**

ऐसे शेयरधारक, जिन्होंने पिछली अवधि के अपने लाभांश पत्र का नकदीकरण नहीं कराया है/ लाभांश पत्र प्राप्त नहीं किया है, यदि कोई हैं, तो उनसे अनुरोध है कि वे अदत्त लाभांश के लिए बैंक के आरटीए से उक्त पते पर अथवा निवेशक सेवा प्रभाग से संपर्क करें.

शेयरधारकों से यह ध्यानपूर्वक नोट करने का अनुरोध है कि बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 10बी के अनुसार लाभांश घोषित होने की तिथि के 30 दिनों तक लाभांश अदावाकृत/ अदत्त रहने पर 30 दिन की निर्धारित अवधि समाप्त होने के 7 दिनों के अंदर उन्हें "अदत्त लाभांश खाते" में अंतरित कर दिया जायेगा.

उक्त "अदत्त लाभांश खाते" में अंतरित राशि, अंतरण की तिथि से सात वर्षो तक अदावाकृत/ अदत्त रहने पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 125 के अन्तर्गत केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) को अंतरित की जानी अपेक्षित है. बैंक द्वारा वित्त वर्ष 2010-11 तक के अदत्त लाभांश को आईईपीएफ में पहले ही अंतरित किया जा चुका है. वर्ष 2011-12 से अदत्त लाभांश के ब्यौरे हेतु संबंधित शेयरधारक बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध अदावाकृत लाभांश सर्च सुविधा के लिंक: https://eremit.unionbankofindia.co.in/UnclaimedDividend/GUIs/CustomerList.aspx का अवलोकन कर सकते हैं. अदावाकृत लाभांश की प्रक्रिया तथा अपेक्षित फार्म्स भी उपरोक्त लिंक पर उपलब्ध हैं.

**7) पता/ बैंक ब्यौरा/ बैंक खाता मैंडेट में परिवर्तन :**

(क) लाभांश का भुगतान करने हेतु बैंक एनएसडीएल/ सीडीएसएल के साथ पंजीकृत और संबंधित डीपॉजिटरी से आरटीए द्वारा डाउनलोड किये गये बैंक खाते के ब्यौरे का उपयोग करेगा. जिन शेयरधारकों के पास इलेक्ट्रॉनिक रुप में शेयर रखे हुए हैं, उन्हें सूचित किया जाता है कि उनके संबंधित डीपॉजिटरी खाते में रजिस्टर्ड बैंक खाते के विवरणों को संबंधित डीपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ अद्यतन किया जाना चाहिए; ताकि बुक क्लोजर प्रक्रिया प्रारंभ होने के पूर्व इसे अद्यतन किया जा सके. बैंक अथवा इसके शेयर अंतरण एजेन्ट इलेक्ट्रॉनिक रुप में रखे शेयरों के धारकों से बैंक विवरणों अथवा बैंक मैंडेट में किसी परिवर्तन हेतु सीधे ही प्राप्त किसी अनुरोध पर कार्रवाई नहीं कर सकता है. केवल शेयरधारक के डीपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को इन परिवर्तन की जानकारी दी जाएं.

(ख) जिन शेयरधारकों के पास भौतिक रुप में शेयर मौजूद हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने पते में यदि कोई परिवर्तन करते हैं, तो इसकी सूचना बैंक के आरटीए को विधिक दस्तावेजी सबूत एवं हस्ताक्षरित औपचारिक अनुरोध आवेदन के साथ निम्न पते पर प्रस्तुत करें:

**डाटामैटिक्स बिजनेस सोल्यूशन लि.**
यूनिट : यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
प्लॉट क्र. बी 5, पार्ट बी,
एमआईडीसी, क्रॉस लेन, मरोल
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 093

(ग) बैंक खाते का ब्यौरा प्रदान किया जाने वाला फार्मेट वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है तथा बैंक की बेवसाइट www.unionbankofindia.co.in पर भी उपलब्ध है.

(घ) इलेक्ट्रॉनिक रुप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने पते में यदि कोई परिवर्तन करते हैं तो इसकी सूचना केवल अपने संबंधित डीपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को दें, न कि बैंक अथवा बैंक के आरटीए को.

(ङ) शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैंक अथवा बैंक के आरटीए के साथ किसी भी प्रकार का पत्राचार करते समय संबंधित फोलियो क्रमांक (भौतिक रुप में शेयर रखने वाले सदस्य) और संबंधित डीपी आईडी/ ग्राहक आईडी क्रमांक (इलेक्ट्रॉनिक/ डीमेट रुप में शेयर रखने वाले सदस्य) का अनिवार्य रुप से उल्लेख करें.

**8) स्थिति में परिवर्तन की रिकॉर्डिंग**

अनिवासी भारतीय शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित के बारे में बैंक के आरटीए- डाटामैटिक्स बिजनेस सोल्यूशन लि. को तत्काल सूचित करें:

क. स्थायी निवास हेतु भारत में वापसी पर निवासी स्थिति में परिवर्तन.

ख. भारत में संचालित बैंक खाते का पूर्ण विवरण यथा पूरा नाम, शाखा, खाते का स्वरुप, खाता संख्या तथा बैंक का पता, पिन कोड सहित आदि, यदि पहले न दिया गया हो.

**9) वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां**

कृपया ध्यान दें कि जिन शेयरधारकों ने अपने ई-मेल आईडी बैंक में पंजीकृत नहीं करवाएं हैं, उनको वार्षिक रिपोर्ट 2018-19 की हार्ड प्रतियां भारतीय डाक/ कुरियर सेवा द्वारा भेजी जायेंगी तथा जिन शेयरधारकों ने अपने ई-मेल आईडी बैंक/ डीपी में पंजीकृत करवाया है, उनको सॉफ्ट प्रतियां ई-मेल द्वारा भेजी जायेंगी. बैंक की वेबसाइट पर भी वार्षिक रिपोर्ट को रखा गया है. वार्षिक साधारण बैठक में वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां बांटी नहीं जाएंगी और इसलिए शेयरधारकों से अनुरोध है कि अपने साथ वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां साथ लाएं.

**10) ई-वोटिंग हेतु कट ऑफ तारीख**

संशोधित कंपनी नियम (प्रबंधन एवं प्रशासन) 2014 के नियम 20 के अनुसार, कार्यसूची मद संख्या 1 एवं 2 के संबंध में शेयरधारकों को वोट देने का अधिकार **शुक्रवार 21 जून 2019** से माना जाएगा.

**11) वोट देने का अधिकार**

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 की उप धारा (2ई) के प्रावधानों के अनुसार, इस समय केंद्र सरकार के अलावा, संपर्की नए बैंक का कोई भी शेयरधारक, **बैंक के सभी शेयरधारकों के वोटिंग अधिकार के 10 प्रतिशत** से अधिक के उसके द्वारा धारित किन्हीं शेयरों के संबंध में वोट देने का अधिकारी नहीं होगा.

उपर्युक्त के अधीन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर तथा बैठक) विनियमन, 1998 के विनियम 68 के अनुसार प्रत्येक शेयरधारक, जो **कट ऑफ तारीख अर्थात शुक्रवार, 21 जून 2019** को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत है, प्रत्येक शेयर के लिये एक वोट देने का अधिकारी होगा/होगी.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर तथा बैठक) विनियमन, 1998 के विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नाम पंजीकृत है, तो रजिस्टर में जिसका नाम प्रथम स्थान पर अंकित होगा, वह वोट देने के लिए, उसका अकेला धारक माना जायगा. इस प्रकार यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम पर है, तो केवल प्रथम नामित व्यक्ति ही बैठक में भाग लेने का अधिकारी होगा और वही नामांकन करने, बैठक में वोट देने का अधिकारी होगा.

**12) लेखों की जानकारी**

जो शेयरधारक लेखों पर किसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि इस हेतु बैंक को लिखें, जो वार्षिक साधारण बैठक की तारीख से कम से कम एक सप्ताह पहले प्राप्त हो जाना चाहिए; ताकि प्रबंधन द्वारा वह सूचना तैयार रखी जा सके. जवाब केवल वार्षिक साधारण बैठक में ही दिये जाएंगे.

**13) भौतिक रूप से धारित शेयरों का डिमैटेरियलाइजेशन**

शेयरों को भौतिक रूप से धारण करने वाले शेयरधारको से अनुरोध है कि अपने शेयरों को डिमैटेरियलाइज रूप में परिवर्तित करायें, जिसके लिए उन्हें अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से संपर्क करना होगा, जहां वे अपना संबंधित डिमेट खाता संचालित कर रहे हैं.

**14) ई-वोटिंग**

I. सेबी (लिस्टिंग दायित्व एवं आवश्यक प्रकटीकरण) विनियमन 2015 के विनियम 44 तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 2014, यथा संशोधित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) संशोधन नियम 2015 के प्रावधानों के अनुपालन में बैंक को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वार्षिक साधारण बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत संकल्पों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोट देने और ई-वोटिंग सेवाओं के द्वारा कार्यवाही की सुविधा प्रदान की गई है.

II वोटिंग की सुविधा वार्षिक साधारण बैठक में रहेगी और इस बैठक में उपस्थित वे शेयरधारक अपने वोटिंग अधिकारों का प्रयोग कर सकेंगे, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा अपना वोट नहीं दिया है.

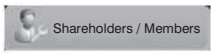
III जिन शेयरधारकों ने वार्षिक साधारण बैठक से पहले रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा अपना वोट दे दिया है, वे भी वार्षिक साधारण बैठक में भाग ले सकते हैं, परन्तु वे दोबारा वोट नहीं कर सकेंगे.

IV वार्षिक साधारण बैठक स्थल के अलावा अन्य स्थान ("रिमोट ई-वोटिंग") से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग तथा बैठक स्थल पर वोटिंग की सुविधा **सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (CDSL)** द्वारा प्रदान की जायेगी.

V रिमोट ई-वोटिंग की अवधि **मंगलवार दिनांक 25 जून 2019 (प्रात: 9.00 बजे आईएसटी) से** प्रारम्भ होकर **गुरुवार, दिनांक 27 जून 2019 (सायं 5.00 बजे आईएसटी)** तक रहेगी. बैंक के शेयरधारक इस अवधि के दौरान, वोटिंग के लिए कट ऑफ तारीख शुक्रवार, 21 जून, 2019 को फिजिकल या डिमैटेरियलाइज्ड फार्म में शेयर धारण करते हों, कार्यसूची मद संख्या 1 एवं 2 के लिए रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा वोट कर सकते हैं. इस अवधि के बाद सीडीएसएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग को बन्द कर दिया जाएगा. शेयरधारकों द्वारा एक बार संकल्प पर वोट करने के बाद उसमें परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी.

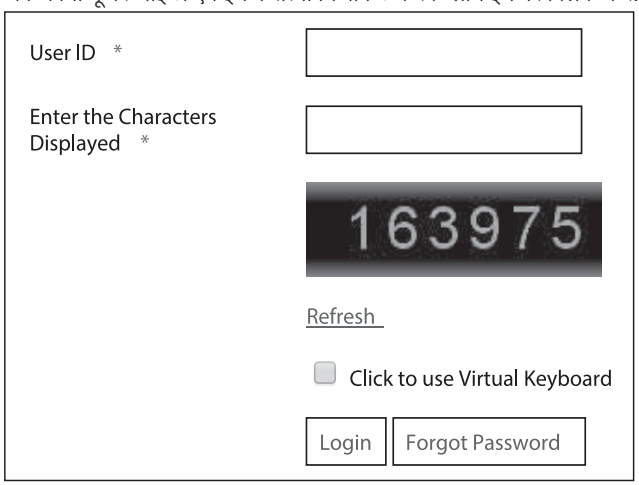
VI **रिमोट ई-वोटिंग के लिए प्रक्रिया और तरीका निम्नानुसार है:**

(i) ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉग ऑन करें **www.evotingindia.com**

(ii) अपना वोट देने के लिए 

टैब पर क्लिक करें.

(iii) अब अपना यूजर आईडी एवं इमेज सत्यापन प्रविष्ट करके लॉग इन पर क्लिक करें.



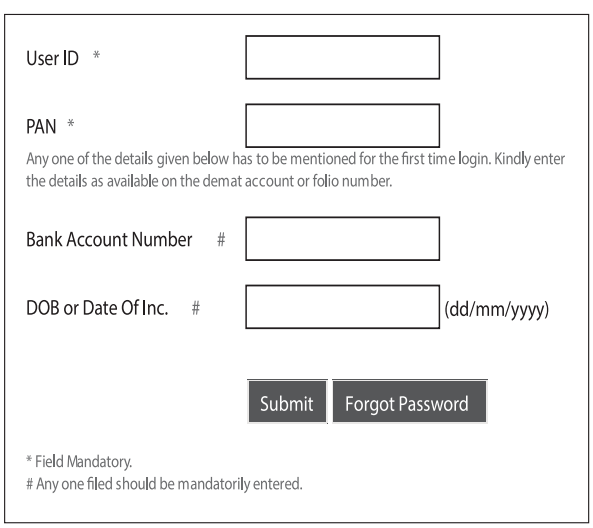

क) सीडीएसएल हेतु : 16 अंकों की लाभार्थी आईडी,

ख) एनएसडीएल हेतु : 8 अंकों की क्लाइंट आईडी के बाद 8 अंकों की कैरेक्टर डीपी आईडी,

ग) भौतिक रुप में शेयर धारिता करने वाले शेयरधारकों को बैंक के साथ पंजीकृत फोलियो संख्या प्रविष्ट करनी है.

(iv) यदि आपके शेयर डीमैट रुप में है एवं आपने www.evotingindia.com पर लॉग-ऑन कर पूर्व वोटिंग में किसी कंपनी या बैंक को वोट कर दिया है, तो आपकी विद्यमान पासवर्ड का उपयोग किया जाएगा.

(v) यदि आप प्रथम बार उपयोगकर्ता है तो निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करें :

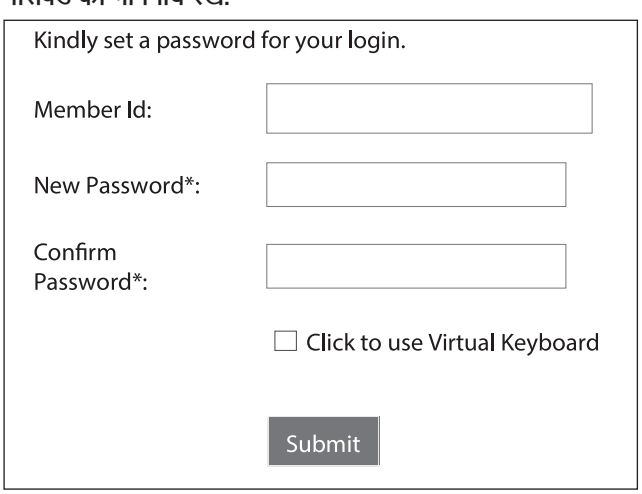



| | |
|---|---|
| पैन | • आयकर विभाग (डीमैट शेयरधारक के साथ-साथ भौतिक शेयरधारक दोनों के लिए लागू) द्वारा जारी 10 अंकों के अल्फा-न्यूमैरिक पैन की प्रविष्टि करें.<br>• जिन सदस्यों ने अपने पैन कार्ड को बैंक/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ अद्यतन नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि पैन फील्ड अथवा सीडीएसएल द्वारा प्रेषित ईमेल में उल्लिखित उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास में मुद्रित क्रम संख्या का उपयोग करें. |
| लाभांश का बैंक विवरण अथवा जन्म-तिथि (डीओबी) | • लॉन इन करने के लिए, बैंक में अथवा आपके डीमैट खाते में दर्ज लाभांश बैंक विवरण या जन्म तिथि (दिनांक/माह/वर्ष प्रारुप में) प्रविष्ट करें.<br>• यदि डिपॉजिटरी या बैंक में दोनों विवरण दर्ज नहीं हुए हैं, तो कृपया निर्देश (iii) में उल्लिखित लाभांश बैंक विवरण फील्ड के अनुसार सदस्य आईडी / फोलियो संख्या प्रविष्ट करें. |

(vi) इन विवरणों की उचित रुप से प्रविष्टि के बाद ''SUBMIT'' टैब पर क्लिक करें.

(vii) इसके बाद भौतिक रुप में शेयर धारित सदस्य सीधे कंपनी चयन स्क्रीन पर पहुँच जाएंगे.

(viii) अब डीमैट रुप में शेयर धारित सदस्य 'पासवर्ड क्रिएशन' मेन्यू में जाएं, जिसमें नए पासवर्ड फील्ड में उन्हें अनिवार्यत: अपने लॉग-इन पासवर्ड की प्रविष्टि करनी होगी. कृपया ध्यान दें कि इस पासवर्ड का उपयोग डीमैट धारकों द्वारा किसी भी अन्य कंपनी के प्रस्तावों हेतु वोटिंग के लिए किया जाना चाहिए, जिस पर वे वोट देने के पात्र हैं, बशर्ते कंपनी सीडीएसएल के माध्यम से ई-वोटिंग का विकल्प दें. **आपको यह सलाह दी जाती है कि अपने पासवर्ड को किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें एवं अपने पासवर्ड को गोपनीय रखें.**



(ix) भौतिक रुप में शेयर धारित सदस्यों हेतु, इस सूचना में दिए संकल्पों पर केवल ई-वोटिंग के लिए विवरणों का उपयोग किया जा सकता है.

(x) **"यूनियन बैंक ऑफ इंडिया"** के ईवीएसएन पर क्लिक करें.

(xi) वोटिंग पृष्ठ पर, आपको ''संकल्प विवरण'' दिखाई देगा एवं इसी के साथ-साथ वोटिंग विकल्प ''हाँ/नहीं'' के लिए प्राप्त होगा. स्वेच्छानुसार हाँ या नहीं विकल्प का चयन करें. हाँ विकल्प का अर्थ है कि आप संकल्प से सहमत हैं जबकि नहीं का अर्थ है कि आप संकल्प से असहमत हैं.

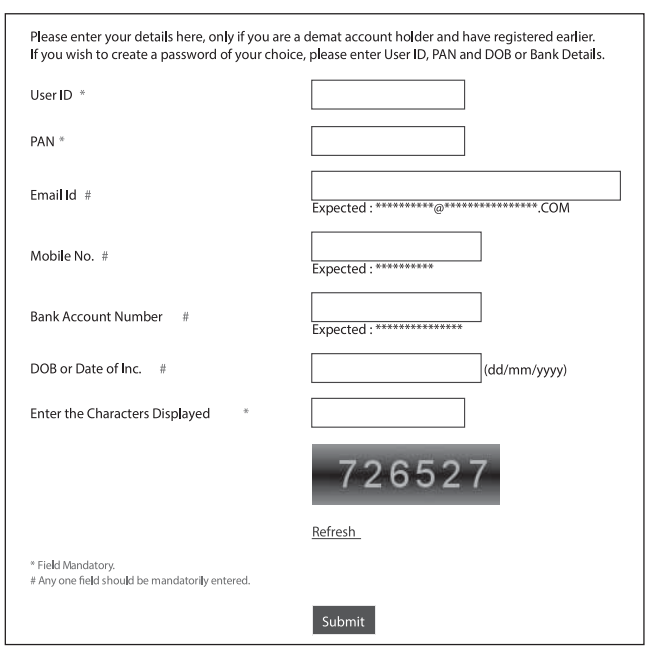
(xii) सम्पूर्ण संकल्प विवरण देखने के लिए ''रिसोल्यूशन फाइल लिंक'' पर क्लिक करें.

(xiii) संकल्प चयन के बाद आपको वोट देने का निर्णय करना होगा, और इस हेतु "SUBMIT" पर क्लिक करें. एक पुष्टीकरण बॉक्स प्रदर्शित होगा. यदि आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं तो "OK" पर क्लिक करें अन्यथा अपना वोट बदलने के लिए "CANCEL" पर क्लिक करें एवं तदनुसार अपना वोट परिवर्तित करें.

(xiv) संकल्प पर अपना वोट ''पुष्टि'' (CONFIRM) करने के बाद आपको वोट बदलने की अनुमति नहीं होगी.

(xv) वोटिंग पृष्ठ के "Click here to print" पर क्लिक कर आप दिए गए वोट का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं.

(xvi) यदि कोई डीमैट खाता धारक अपना लॉग-इन पासवर्ड भूल गया है, तो उसे अपनी यूजर आईडी एवं छवि सत्यापन कूट प्रविष्ट कर "Forgot Password" पर क्लिक करना होगा एवं सिस्टम द्वारा दिए गए विवरण की प्रविष्टि करनी होगी.


Please enter your details here, only if you are a demat account holder and have registered earlier.
If you wish to create a password of your choice, please enter User ID, PAN and DOB or Bank Details.

User ID *

PAN *

Email Id #
Expected : **********@**********.COM

Mobile No. #
Expected : **********

Bank Account Number #
Expected : **********

DOB or Date of Inc. # (dd/mm/yyyy)

Enter the Characters Displayed *

726527

Refresh

* Field Mandatory.
# Any one field should be mandatorily entered.

Submit

(xvii) शेयर धारक एंड्रोएड आधारित मोबाइलों पर उपलब्ध सीडीएसएल के एम-वोटिंग मोबाइल एप से भी अपना वोट दे सकते हैं. गूगल प्ले स्टोर से एम-वोटिंग एप डाउनलोड किया जा सकता है. एप्पल एवं विंडोज फोन के उपयोगकर्ता क्रमश: एप स्टोर एवं विंडोस फोन स्टोर से इस एप को डाउनलोड कर सकते हैं. मोबाइल एप से वोट करते समय एप द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें.

(xviii) गैर-वैयक्तिक शेयर धारकों एवं अभिरक्षकों हेतु नोट

- गैर-वैयक्तिक शेयर धारकों (जैसे वैयक्तिक, एचयूएफ़, एनआरआई इत्यादि के अलावा) और अभिरक्षकों को, www.evotingindia.com पर लॉग ऑन करके स्वयं को कॉर्पोरेट के रुप में पंजीकृत कराना अपेक्षित है.
- संस्था के हस्ताक्षर एवं मुहर सहित पंजीकरण फॉर्म की स्कैन प्रति को helfdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल करें. लॉग-इन विवरण प्राप्त होने के उपरांत एडमिन लॉन इन और पासवर्ड के माध्यम से एक अनुपालन यूजर बनाया जाए जिससे अनुपालन यूजर जिस खाते को वोट देना चाहता है, उसको लिंक करने में सक्षम हो सकें.
- अभिरक्षक के पक्ष में जारी बोर्ड संकल्प और मुख्तारनामा (पीओए) की स्कैन प्रति, यदि कोई हो, तो जांचकर्ता द्वारा सत्यापन हेतु सिस्टम में उसकी पीडीएफ़ प्रति अपलोड की जाए.

VII. ई-वोटिंग से संबंधित मामले में किसी प्रकार की शंका या पूछताछ होने की दशा में हेल्प सेक्शन में, www.evotingindia.com पर उपलबध "अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न" (FAQs ) और ई-वोटिंग मैन्युअल का संदर्भ ले सकते हैं या टोल फ्री नं. 1800225533 पर संपर्क किया जा सकता है.

VIII. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा वोटिंग की सुविधा से जुड़े समस्त शिकायतों के लिए श्री राकेश दलवी, प्रबंधक, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल), ए विंग, 25वां तल, मैराथन फ्यूचरेक्स, मफ़तलाल मिल कंपाउंड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई - 400013 को संबोधित कर सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल करें या 1800225533 पर कॉल करें.

IX. जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ की तारीख को शेयरहोल्डर के रजिस्टर या डिपॉजिटरीज द्वारा रखे गए लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वहीं व्यक्ति रिमोट ई-वोटिंग द्वारा या बैठक स्थल पर वोटिंग के लिए पात्र होगा.

X. वोटिंग की जांच करने और रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए, मेसर्स विनय आंगने एण्ड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव, को जांचकर्ता के रुप में नियुक्त किया गया है.

XI. वार्षिक साधारण बैठक शुरु होने के बाद अध्यक्ष द्वारा वहां उपस्थित उन्हीं शेयरधारकों को वोटिंग की अनुमति प्रदान की जाएगी, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा के द्वारा अपना वोट नहीं दिया है.

XII. जांचकर्ता द्वारा वार्षिक साधारण बैठक में वोटिंग समाप्त होने के उपरांत तथा बैठक की समाप्ति के बाद अधिकतम 48 घंटों के अंदर पक्ष और विपक्ष में पड़े कुल वोटों की समेकित रिपोर्ट बनाकर, यदि कोई हो, बैठक के अध्यक्ष या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को प्रस्तुत की जाएगी.

**15. वोटिंग के परिणाम :**

रिमोट ई-वोटिंग तथा बैठक स्थल की वोटिंग के समेकित परिणाम, जांचकर्ता की रिपोर्ट के साथ बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in तथा एनएसडीएल, ई-वोटिंग की वेबसाइट: www.evotingindia.com पर परिणाम

घोषित होने के तुरंत बाद उपलब्ध करा दिया जायेगा. ये परिणाम तुरन्त स्टॉक एक्सचेंज को भी भेजे जाएंगे.

**16. बैठक में ई-वोटिंग के लिए जांचकर्ता :**

ई-वोटिंग के संबंध में जैसा पहले ही इंगित किया है कि कार्यसूची मद संख्या 1-2 के लिए कंपनी सचिव, मेसर्स विनय आंगने एण्ड एसोसिएट्स जांचकर्ता के रूप में कार्य करेंगे. वे बैठक में अन्य शेयरधारक के ई-वोटिंग के लिए भी जांचकर्ता के रुप में कार्य करेगें.

## व्याख्यात्मक विवरण

**एफपीओ/राइट्स/क्यूआईपी इत्यादि के द्वारा पूंजी का निर्गम:**

बासेल-III अधिनियम की अपेक्षानुसार बैंक को 31 मार्च, 2020 तक इक्विटी शेयर पूंजी के रूप में कॉमन इक्विटी टियर-1 (सीईटी-1) के तहत न्यूनतम 5.5% व पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) के रूप में 2.5%, टियर 1 अनुपात (सीसीबी सहित) 9.5% और समग्र सीआरएआर (सीसीबी सहित) को 11.50% बनाये रखना है.

वित्त वर्ष 2020 तक 0.625% पूंजी संरक्षण बफर की बढ़ती अपेक्षाओं, बैंक की भावी विस्तार एवं समृद्धि योजनाओं एवं फलस्वरूप पूंजी प्रभार के कारण पूंजी की बढ़ती अपेक्षाओं के चलते बैंक को अपनी पूंजी बढ़ाने की आवश्यकता है; ताकि पूंजी पर्याप्तता अनुपात को सुदृढ़ करते हुए बासेल -III की अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके.

विकास अनुमानों के आधार पर आपके निदेशकों ने रु. 4900 करोड़ (रूपये चार हजार नौ सौ करोड़ मात्र) की इक्विटी पूंजी जुटाने का फैसला किया है, जो भारत सरकार द्वारा पूंजी प्रदान किए जाने के साथ-साथ बैंक द्वारा इक्विटी पूंजी जुटाने के विकल्पों जैसे सार्वजनिक निर्गम (फॉलो-ऑन-पब्लिक इश्यू) और/या राइट इश्यू और/या पात्र संस्थागत स्थापन सहित निजी स्थापन और/या सरकार तथा दूसरे नियामक प्राधिकरणों और सेबी आईसीडीआर विनियमों के प्रावधानों के अधीन अन्य किसी माध्यम से किया जा सकता है. बढ़ी हुई पूंजी का प्रयोग बैंक के सामान्य कारोबारी उद्देश्य के लिए किया जाएगा.

दिनांक 27 जून, 2018 को आयोजित वार्षिक साधारण बैठक में, पब्लिक इश्यू (अर्थात फॉलो-ऑन पब्लिक इश्यू) और/या राइट इश्यू और / या निजी प्लेसमेंट, अर्हता प्राप्त संस्थागत (क्यूआईपी) और/या भारत सरकार या अन्य संस्थाओं को अधिमानी आबंटन और/या किसी अन्य माध्यम से, भारत सरकार और अन्य नियामक प्राधिकरणों और सेबी आईसीडीआर नियामकों से अनुमोदन की शर्त पर, बैंक को रु.6,850/- करोड़ (रुपये छह हजार आठ सौ पचास करोड़ मात्र) तक की इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए शेयर धारकों का अनुमोदन प्राप्त हुआ है, जो दिनांक 26 जून, 2019 तक वैध है.

बैंक द्वारा मार्च, 2019 में कर्मचारी शेयर खरीद योजना कार्यान्वित करके बैंक के कर्मचारियों को प्रति शेयर रु.77.98 गणना मूल्य पर 25% की छूट के साथ प्रति शेयर रु.58.49 (प्रति शेयर रु.48.49 शेयर प्रीमियम सहित) निर्गम मूल्य के 7,28,80,275 इक्विटी शेयरों के आबंटन द्वारा रु.568.32 करोड़ (रुपये पांच सौ अड़सठ करोड़ एवं बत्तीस लाख मात्र) की इक्विटी पूंजी जुटाई गई है. इसके अतिरिक्त, बैंक ने मार्च 2019 में अधिमानी आधार पर भारत सरकार को प्रति शेयर रु.78.84 के निर्गम मूल्य पर 52,15,62,658 इक्विटी शेयरों (प्रति शेयर रु.68.84 के शेयर प्रीमियम सहित) का आबंटन कर रु.4,112 करोड़ (रुपये चार हजार एक सौ बारह करोड़ मात्र) की इक्विटी पूंजी एकत्रित की है.

भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अब इक्विटी पूंजी को रु. 4900 करोड़ (रुपये चार हजार नौ सौ करोड़ मात्र) तक बढ़ाने की योजना है.

बोर्ड द्वारा लिए गए/लिए जाने वाले निर्णय के अनुसार कारोबार आस्तियों में बढ़ोत्तरी हेतु बासल III दिशानिर्देशों के अधीन कारोबार आस्तियों के विस्तार के लिए न्यूनतम पूंजी एवं नियंत्रित अनुपात अपेक्षाओं की प्राप्ति हेतु बैंक ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड(पूंजी का निर्गम एवं आवश्यक प्रकटीकरण) विनियमन 2018 के अनुसार यथा तारीख संशोधित एवं इस संबंध में सेबी / भारतीय रिज़र्व बैंक के अन्य लागू विनियम दिशानिर्देशों के अनुसार योग्यता प्राप्त संस्थागत खरीददार (क्यूआईपी) या किसी अन्य अनुमत माध्यम से समान इक्विटी की ऊगाही प्रस्तावित की है. यदि क्यूआईपी के द्वारा प्रतिभूतियों को जारी किया जाना है तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (पूंजी का निर्गम एवं आवश्यक प्रकटीकरण) विनियमन 2018 के अध्याय VI के अनुरुप किया जाएगा.

वर्तमान संकल्प प्रस्तावित है ताकि बैंक का निदेशक मंडल उचित समय, माध्यम, प्रीमियम एवं अन्य शर्तों पर इक्विटी शेयर जारी कर सकें.

विशेष संकल्प के अनुरुप प्रस्तावित इक्विटी शेयरों को लागू सभी विधिक प्रावधानों के अनुरुप जारी किया जाएगा.

आपके निदेशक गण इस कार्यसूची की नोटिस में उल्लिखित विशेष संकल्प को पारित करने की संस्तुति करते हैं.

बैंक के कोई भी निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति एवं उसके रिश्तेदारों को अपनी शेयर धारिता तक, यदि कोई हो, उपर्युक्त संकल्प (पों) से संबद्ध और इच्छुक माना जाएगा.

**निदेशक मंडल के आदेशानुसार**
**कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया**

**(राजकिरण रै जी.)**
**प्रबंध निदेशक एवं सीईओ**

स्थान : मुंबई
दिनांक : 15 मई, 2019

# निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय शेयरधारकों,

निदेशक मण्डल को वित्त वर्ष 2018-19 का "लेखा परीक्षित तुलनपत्र" "लाभ एवं हानि खाता", "नकदी प्रवाह विवरण", और "प्रबंधकीय चर्चा विश्लेषण" पर रिपोर्ट सहित आपके बैंक की 100वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है. "कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट" एवं "कारोबारी दायित्व रिपोर्ट" भी वार्षिक रिपोर्ट 2018-19 का एक भाग है.

**प्रमुख बातें**

1.1 भारतीय अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2018-19 में 7.2% की वृद्धि का अनुमान लगाया. इसके साथ ही, भारत विश्व की 6 वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है. अर्थव्यवस्था की वृद्धि, वित्तीय सेवा उद्योग में बेहतर परिवर्तन के साथ हुई. बैंक के वाणिज्यिक क्षेत्र से फंड का कुल प्रवाह (बैंक क्रेडिट) वित्त वर्ष 2017-18 में औसतन 6.2% की वृद्धि के सापेक्ष वित्त वर्ष 2018-19 में औसतन 11.0% रहा. प्रारम्भिक स्तर के बाद, औद्योगिक क्षेत्र में ऋण प्रवाह में धीरे-धीरे सुधार हुआ है.

1.2 सरकार वित्तीय क्षेत्र सहित सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था में विभिन्न आधारभूत सुधारों को लागू करने में आशावादी रही, जिसके परिणामस्वरूप भारत वर्ल्ड बैंक के ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नस रैंकिंग में आसानी से अपना स्थान बना पाया. एमएसएमई के लिए वन-टैप ऋण प्रोसेसिंग ढांचे को चालू किया जाना एक एतिहासिक परिवर्तन था.

1.3 वृद्धि को सरल बनाने के उद्देश्य के अनुरूप, भारतीय रिजर्व बैंक ने अल्पकालिक चलनिधि की कमी को दूर करने के लिए विभिन्न उपायों की शुरुआत की है. भारतीय रिजर्व बैंक एनबीएफ़सी के गिरावट को रोकने के लिए समय से हस्तक्षेप करता है. प्रतिस्पर्धी माहौल के समर्थन के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय क्षेत्र में नए समावेश के समर्थन में विभिन्न कदम उठाए हैं. सुदृढ़ ऋण वृद्धि तथा अधिकतम विनियामक माहौल के बावजूद, बैंकिंग क्षेत्र को आस्ति गुणवत्ता चुनौतियों का सामना करना अभी भी बाकी है. लागू चुनौतियों एवं अवसरों के बीच, बैंकिंग क्षेत्र विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है.

1.4 आगामी वर्ष में व्यावसायिक संभावना को ध्यान में रखते हुए, आपके बैंक ने ग्राहक अर्जन समूह के माध्यम से नए व्यवसाय अर्जित करने हेतु नया खाका तैयार किया है जिसमें कॉर्पोरेट, एमएसएमई, रिटेल और कृषि ऋण कारोबार की सीमा को ध्यान में रखे बगैर केंद्रीयकृत प्रोसेसिंग शामिल है.

1.5 इसके अतिरिक्त, आपके बैंक ने निगरानी संकल्प तथा वसूली कार्यों के लिए डिजिटल तकनीक का लाभ उठाया है. इसकी निगरानी सक्रिय रूप से की जाती है, जिसका एक्सपोजर की पूरी अवधि के दौरान ऋण आवेदन की प्राप्ति ऋण प्रोसेसिंग, प्रलेखन, संवितरण और सर्विसिंग के द्वारा प्रवाह होता है.

1.6 वर्ष 1919 में स्थापित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की 29 राज्यों एवं 5 केंद्र शासित प्रदेशों में 31 मार्च, 2019 को 4 विदेशी शाखाओं सहित 4,292 शाखाएं, 6650 एटीएम तथा 5586 सूक्ष्म एटीएम का नेटवर्क है. आपके बैंक का ग्राहक आधार 74 मिलियन से अधिक का है तथा कर्मचारियों की संख्या 37,000 से भी अधिक है.

वित्त वर्ष 2018-19 में आपके बैंक द्वारा ₹ 4,680 करोड़ की इक्विटी कैपिटल जुटाई गई है.

**2. "विजन 2020" - की ओर अग्रसर**

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान आपके बैंक ने अपनी प्रक्रियाओं को दक्ष एवं कारगर बनाने के लिए विभिन्न पहल की हैं. पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान, बैंक ने "विजन 2020" के तहत बैंक द्वारा निर्धारित आकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए वांछित मूलभूत सुविधाएं तैयार करने पर अपना ध्यान केन्द्रित किया. संरचनात्मक पहल को चार श्रेणियों में बाटा जा सकता है.

**2.1 यूनियन ऋण पॉइंट प्रोसेसिंग का केन्द्रीकरण:** गुणवत्ता को बेहतर बनाने तथा त्वरित वितरण के लिए विशेष कौशल सेट को तैयार करने के लिए आपके बैंक ने ऋण जोखिम अंकन के लिए केंद्रीयकृत प्रसंस्करण केन्द्रों (सीपीसी) की स्थापना द्वारा एकीकृत ऋण वितरण और प्रसंस्करण संरचना को बढ़ाया है.

- **यूनियन ऋण पॉइंट (यूएलपी)** सभी रिटेल ऋण उत्पादों का प्रसंस्करण कर रहे हैं. यूएलपी को भी रिटेल ऋण संवर्ग के तहत नए व्यापार अर्जक के रूप में विकसित किया गया है. आपके बैंक के पास 48 क्षेत्रों में 1238 शाखाओं को 73 यूएलपी से जोड़ा गया है.
- **यूनियन समृद्धि केंद्र (यूएसके):** ग्रामीण और अर्ध-शहरी जरूरतों को पूरा करने के लिए, आपके बैंक ने हब और स्पोक मॉडल की शुरुआत कर RUSU (ग्रामीण और अर्ध-शहरी) के लिए एक नए परिचालन मॉडल को कार्यान्वित किया है, जहां "हब" एक केंद्रीयकृत प्रोसेसिंग कक्ष (USR) तथा "स्पोक" को RUSU शाखाओं से संबद्ध किया गया है. यूएसके RUSU क्षेत्रों में सभी प्रकार के अग्रिम की प्रासेसिंग में मदद कर रहा है. यूएसके में ऋण प्रसंस्करण समग्र रूप से लिंक्ड शाखाओं के साथ डिजिटल है, जो उधारकर्ता के डेटा को टेबलेट के माध्यम से (एक हस्तचालित विद्युत उपकरण) प्राप्त कर प्रसंस्करण हेतु सीधे यूएसके को स्थानांतरित कर दिया जाता है. आपके बैंक के 38 क्षेत्रों में 556 शाखाओं के लिए 38 यूनियन समृद्धि केंद्र कार्यरत हैं.
- **सरल:** चूंकि यह संरचना पहले से ही मौजूद थी, आपके बैंक ने एमएसएमई के ऋण प्रवाह में तेजी लाने, आस्ति गुणवत्ता को बेहतर बनाने तथा छोटे केन्द्रों में ग्राहक सेवा को बढ़ाने के लिए सरल के कार्यक्षेत्र को और बढ़ाते हुए सरल लाइट की स्थापना की है.

**2.2 स्रोतों का वर्गीकरण :** आपके बैंक ने कारोबार के स्रोतों के वर्गीकरण के लिए ग्राहक अर्जन समूह (सीएजी) की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य अनवरत कारोबार की वृद्धि के लिए नई साझेदारी का विकास, डिजिटल चैनल के माध्यम से सोर्सिंग हेतु फिनटेक के साथ टाई-अप विकसित करना तथा लंबे समय के लिए संगठन में एक जीवंत बिक्री

कल्चर को विकसित करना है. सीएजी को अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है तथा इससे सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं.

**2.3 निगरानी एवं वसूली में विशेषज्ञता :** हमारे बैंक ने ऋणों की निगरानी के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं जैसे;

- दबावग्रस्त आस्तियों में आवश्यक कार्रवाई की पहचान एवं वर्गीकरण हेतु प्रणाली आधारित ट्रिगर एवं अलर्ट्स.
- निगरानी के उद्देश्य हेतु बैंक द्वारा निर्मित वेब पोर्टल को विकसित किया गया है. यह वेब पोर्टल शाखाओं/प्रशासनिक कार्यालयों को एक विस्तृत डैशबोर्ड प्रदान करता है, जिसमें विभिन्न मानदंडों जैसे एसएमए, क्रिलिक, समीक्षा एवं नवीकरण आदि शामिल हैं तथा दैनिक प्रगति की निगरानी वास्तविक समय के आधार पर की जा सकती है.
- आपके बैंक ने बैंक द्वारा निर्मित वसूली एप को भी विकसित किया है जिसका उद्देश्य एनपीए वसूली में सहायता करना है ताकि कर्मचारियों को उधारकर्ताओं से आगे की कार्यवाही हेतु खाता क्र., पता एवं उसकी भौगोलिक स्थिति, दौरे तथा अनुवर्ती रिपोर्ट की जानकारी प्राप्त हो सके.

**2.4 इष्टतम लागत:** आपका बैंक समग्र लाभप्रदता में सुधार के लिए उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर रहा है. आपके बैंक में ग्राहकों की विभिन्न वित्तीय और गैर-वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजिटल सेवाओं का एक पूर्ण एप है, जिसमें मोबाइल में पासबुक, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ऋण आवेदन, मुद्रा ऋण के लिए ऑनलाइन आवेदन आदि उपलब्ध हैं.

## 3. ईएएसई (बेहतर सेवा और पहुँच को बढ़ाना):

सभी क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में दक्षता को बढ़ाने, जैसे ऋण जोखिम अंकन, अनुश्रवण, वसूली तथा बैंक के ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए, वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान भारत सरकार ने सुधार एजेंडा (ईएएसई के नाम से भी जाना जाता है) शुरू किया है, जिसमें 6 विषय एवं 30 एक्शन पॉइंट शामिल हैं, जिन्हें सभी पीएसबी में समयबद्ध तरीके से लागू करने की आवश्यकता है. एक्शन पॉइंट के कार्यान्वयन के आधार पर, पीएसबी का वाह्य एजेंसी द्वारा विकसित सूचकांक पर मूल्यांकन किया जाना था.

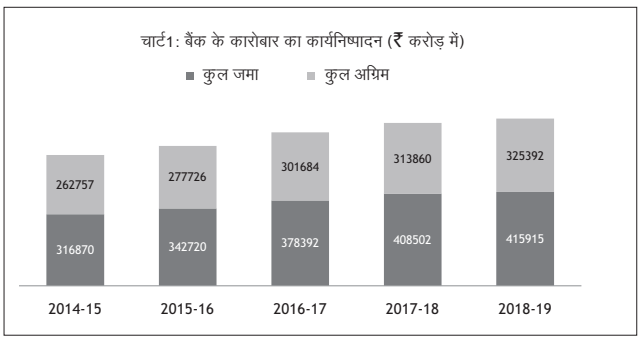
आपका बैंक "पीएसबी के लिए उदयमित्र" थीम हेतु पहले स्थान पर था, जिसने भारत में एमएसएमई की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने में बैंक की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया है.

आपका बैंक सभी क्षेत्रों में अपनी प्रक्रियाओं को और मजबूत कर रहा है तथा अगली पीढ़ी का बैंक बनने के लिए मौजूदा बुनियादी ढांचे का निर्माण और विस्तार कर रहा है, जिससे वह ग्राहकों को उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान कर उनकी अनुभूति में वृद्धि कर सके.

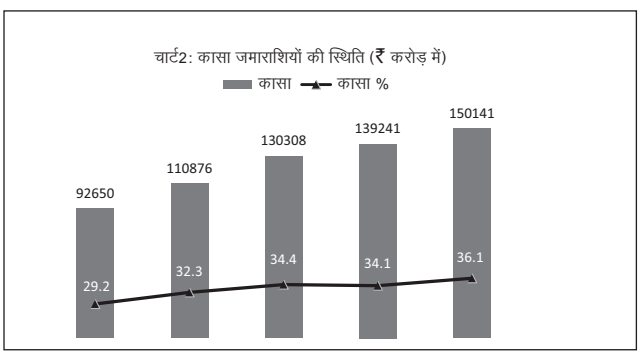
भारत सरकार अब वित्त वर्ष 2019-20 के लिए नया ईएएसई इंडेक्स 2.0 लेकर आई है, जो वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान स्थापित आवश्यक ढांचे के "परिणामों" को प्रदर्शित करने के लिए है. आवश्यक बुनियादी ढांचे के साथ, आपका बैंक ईएएसई इंडेक्स 2.0 के तहत सर्वश्रेष्ठ बैंकों के बीच उभरने की आकांक्षा रखता है.

## 4. कारोबार:

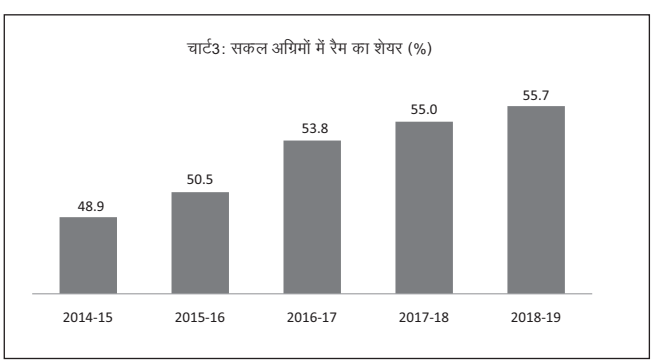
4.1 बैंक का कुल वैश्विक व्यापार 31 मार्च, 2018 के ₹ 7,22,362 करोड़ के सापेक्ष 31 मार्च, 2019 को ₹ 7,41,307 करोड़ हो गया, जो 2.6% की वार्षिक वृद्धि को दर्शाता है.




4.2 कुल जमाराशियाँ 31 मार्च, 2018 के ₹ 4,08,502 करोड़ के सापेक्ष 31 मार्च, 2019 को ₹ 4,15,915 करोड़ हो गईं. इसमें वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 1.8% की वृद्धि दर्ज की गई. 31 मार्च, 2019 का कुल जमाराशियों में कासा (चालू और बचत खाते) का अंश 36.1% था. वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बचत जमा में 8.3% की वृद्धि हुई है.




4.3 सकल अग्रिम 31 मार्च, 2018 के ₹ 3,13,860 करोड़ में 3.7% की वार्षिक वृद्धि दर्ज करते हुए 31 मार्च, 2019 को ₹ 3,25,392 करोड़ रहा. वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान घरेलू अग्रिमों में 7.8% की वृद्धि हुई. रैम (रिटेल, कृषि एवं एमएसएमई) क्षेत्र 31 मार्च, 2018 ₹ 1,58,642 करोड़ के सापेक्ष 31 मार्च, 2019 को ₹ 1,73,237 करोड़ रहा. रैम क्षेत्र समग्र रूप में 9.2% की वार्षिक दर से बढ़ा.




4.4 बैंक का विदेशी कारोबार 31 मार्च, 2018 के ₹ 30,829 करोड़ के सापेक्ष 31 मार्च, 2019 को ₹ 17,276 करोड़ रहा. आपके बैंक की

हांगकांग, डीआईएफ़सी (दुबई), एंटवर्प (बेल्जियम), और सिडनी (आस्ट्रेलिया) में चार विदेशी शाखाएं हैं. बैंक अपनी पूर्णत: स्वाधिकृत सहायक कंपनी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लिमिटेड के माध्यम से यूके में भी कारोबार करता है.

## 5. आय एवं व्यय:

**तालिका 1: आय एवं व्यय विवरण (₹ करोड़ में)**

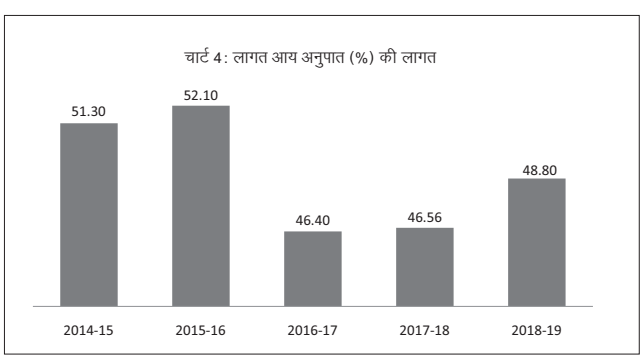
| क्र. | मानदंड | वित्त वर्ष 2018-19 | वित्त वर्ष 2017-18 | वार्षिक वृद्धि | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | वास्तविक | (%) |
| 1 | अर्जित ब्याज | 34067 | 32748 | 1319 | 4.03 |
| 2 | अन्य आय | 4474 | 4990 | -516 | -10.34 |
| 3 | कुल आय (1+2) | 38541 | 37738 | 803 | 2.13 |
| 4 | व्यय किया गया ब्याज | 23852 | 23443 | 409 | 1.74 |
| 5 | शुद्ध ब्याज आय (1-4) | 10215 | 9305 | 910 | 9.78 |
| 6 | परिचालन व्यय | 7168 | 6655 | 513 | 7.71 |
| | जिसमें से स्थापना व्यय | 3151 | 3155 | -4 | -0.13 |
| 7 | कुल व्यय | 31020 | 30098 | 922 | 3.06 |
| 8 | परिचालन लाभ (3-7) | 7521 | 7640 | -119 | -1.56 |
| 9 | प्रावधान | 10469 | 12887 | -2418 | -18.76 |
| 10 | शुद्ध लाभ/हानि | -2948 | -5247 | - | - |
| 11 | प्रति शेयर आय (₹) | -25.08 | -69.45 | - | - |

## 6. लाभप्रदता और दक्षता:

6.1 आपके बैंक का परिचालन लाभ वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 7,640 करोड़ के सापेक्ष वित्त वर्ष 2018-19 में ₹ 7,521 करोड़ दर्ज किया गया.

6.2 वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 5,247 करोड़ की हानि के सापेक्ष वित्त वर्ष 2018-19 में बैंक की शुद्ध हानि ₹ 2,948 करोड़ रही.

6.3 आपके बैंक का लागत आय अनुपात वित्त वर्ष 2017-18 के 46.56% के सापेक्ष वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान 48.80% हो गया.




6.4 वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ -0.59 प्रतिशत रहा, जबकि इक्विटी पर प्रतिलाभ -15.57 प्रतिशत रहा.

**तालिका 2: दक्षता अनुपात**

| मानदंड (%) | वित्त वर्ष 2018-19 | वित्त वर्ष 2017-18 |
|---|---|---|
| औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ | (-) 0.59 | (-) 1.07 |
| इक्विटी पर प्रतिलाभ | (-) 15.57 | (-) 28.53 |

6.5 वित्त वर्ष 2018-19 हेतु बैंक के प्रमुख उत्पादकता अनुपात निम्नानुसार हैं :

**तालिका 3: उत्पादकता अनुपात**

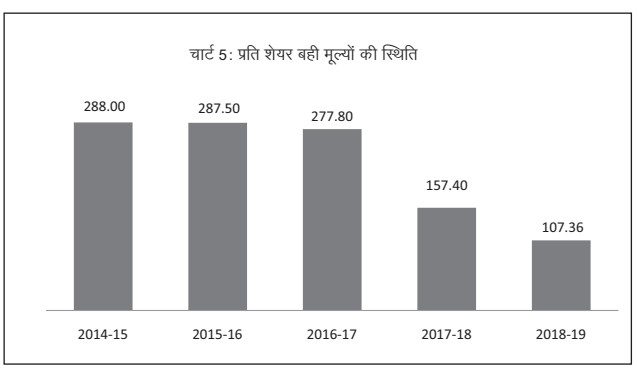
| मानदंड | वित्त वर्ष 2018-19 | वित्त वर्ष 2017-18 |
|---|---|---|
| प्रति कर्मचारी औसत कारोबार (₹ करोड़ में) | 18.8 | 17.8 |
| प्रति शाखा औसत कारोबार (₹ करोड़ में) | 163.2 | 155.8 |
| प्रति कर्मचारी सकल लाभ (₹ लाख में) | 20.2 | 20.3 |

## 7. लाभांश:

एनपीए हेतु अधिक प्रावधान के कारण आपके बैंक को वित्त वर्ष 2018-19 मे ₹ 2,948 करोड़ की हानि हुई है. तदनुसार, बोर्ड ने कोई लाभांश घोषित न करने का निर्णय लिया है.

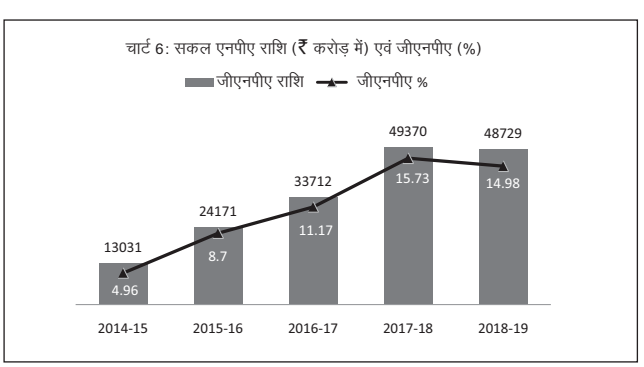
## 8. शेयरशारकों को प्रतिलाभ :

8.1 बैंक की शुद्ध संपत्ति 31 मार्च, 2018 के ₹ 18,394 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च, 2019 को ₹ 18,927 करोड़ हो गई.

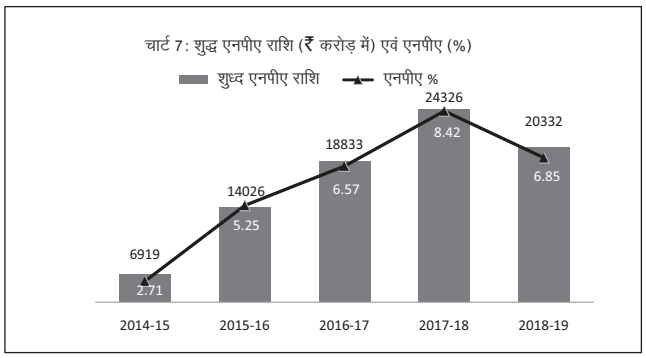



## 9. आस्ति गुणवत्ता :

9.1 बैंक की 31 मार्च, 2018 को सकल गैर-निष्पादित आस्तियां (जीएनपीए) ₹ 49,370 करोड़ की तुलना में 31 मार्च, 2019 को ₹ 48,729 करोड़ रहीं. सकल गैर-निष्पादित आस्तियों का प्रतिशत 31 मार्च, 2018 के 15.73 प्रतिशत के सापेक्ष 31 मार्च, 2019 को घटकर 14.98 प्रतिशत हो गया.



9.2 बैंक का शुद्ध एनपीए 31 मार्च, 2018 के ₹ 24,326 करोड़ के सापेक्ष 31 मार्च, 2019 को घटकर ₹ 20,332 करोड़ रहा.




## 10. पूंजी पर्याप्तता अनुपात:

10.1 बासल III मानदंडों के अनुसार 31 मार्च, 2019 को बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 11.78 प्रतिशत रहा. बैंक की कॉमन इक्विटी टियर (सीईटी I) पूंजी मार्च, 2019 में 8.02 प्रतिशत रही जो न्यूनतम विनियामक मानदंड से लगभग 64 बेसिस पॉइंट अधिक है.

**तालिका 4: पूंजी पर्याप्तता अनुपात - बासल III (₹ करोड़ में)**

| मानदंड | भा.रि.बैं. के न्यूनतम बेंचमार्च 31 मार्च, 2019 | 31 मार्च, 2019 | 31 मार्च, 2018 |
|---|---|---|---|
| कुल जोखिम भारित परिसंपत्तियां | लागू नहीं | 278344 | 286315 |
| कुल पूंजीगत निधि | | 32796 | 32817 |
| सीईटी 1 पूंजी | | 22328 | 21641 |
| टियर 1 पूंजी | | 26388 | 25857 |
| सीआरएआर (%) | 10.875 | 11.78 | 11.46 |
| सीईटी 1 (%) | 7.375 | 8.02 | 7.56 |
| टियर 1 (%) | 8.875 | 9.48 | 9.03 |
| टियर 2 (%) | लागू नहीं | 2.30 | 2.43 |

नोट: भारतीय रिजर्व बैंक के न्यूनतम बेंचमार्क में सीआरएआर, सीईटी I एवं टियर I के अनुपात में 1.875 प्रतिशत का सीसीबी (पूंजी संरक्षण बफर) सम्मिलित है. टियर II अनुपात हेतु कोई न्यूनतम निर्धारण नहीं है.

10.2 **वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान जुटाई गई पूंजी:** वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान आपके बैंक ने इक्विटी पूंजी से कुल ₹ 4680.32 करोड़ जुटाया है.

10.2.1 **भारत सरकार से प्राप्त पूंजी:** बैंक की पूंजी स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान आपके बैंक में ₹ 4112 करोड़ की पूंजी लगाई है. आपके बैंक ने 28 मार्च, 2019 को ₹ 68.84 प्रति शेयर के प्रीमियम सहित ₹ 78.84 प्रति शेयर के निर्गम मूल्य पर 52.16 करोड़ शेयर आबंटित किए हैं.

10.2.2 आपके बैंक ने ₹67.98 प्रति शेयर के प्रीमियम सहित गणना की गयी प्रति इक्विटी शेयर कीमत ₹77.98 प्रति शेयर पर 25% छूट देकर 7.29 करोड़ शेयर कर्मचारी शेयर खरीद योजना के अंतर्गत जारी कर ₹568.32 करोड़ जुटाए हैं. प्रति शेयर का प्रभावी निर्गम मूल्य ₹58.49 था.

| विवरण | ब्यौरा | | |
|---|---|---|---|
| ईएसपीएस के तहत जारी किए गए शेयरों की संख्या का विवरण | बैंक ने कर्मचारी शेयर खरीद योजना के अंतर्गत 7,28,80,275 शेयर जारी किये हैं. | | |
| कीमत, जिस पर शेयर जारी किए गए | ₹ 58.49 प्रति इक्विटी शेयर | | |
| **जारी किए गए शेयरों का कर्मचारी वार विवरण :** | | | |
| (I) वरिष्ठ प्रबंधकीय कर्मचारी | **नाम** | **पदनाम** | **आवंटित शेयर** |
| | राजकिरण रै जी. | प्रबंध निदेशक एवं सीईओ | 6725 |
| | राज कमल वर्मा | कार्यपालक निदेशक | 6725 |
| | गोपाल सिंह गुसाईं | कार्यपालक निदेशक | 6725 |
| | दिनेश कुमार गर्ग | कार्यपालक निदेशक | 6725 |
| | जी आर पाडलकर | महाप्रबंधक | 6725 |
| | दिनेशकुमार डी. मिस्त्री | महाप्रबंधक | 6725 |
| | पंकज शर्मा | महाप्रबंधक | 5044 |
| | किशोर पुंडलिक आचार्या | महाप्रबंधक | 6725 |
| | हरि चंद मित्तल | महाप्रबंधक | 6725 |
| | रवींद्र कुमार कश्यप | महाप्रबंधक | 6725 |
| | पूर्ण चन्द्र पाणिग्रही | महाप्रबंधक | 6725 |
| | धरम चन्द्र चौहान | महाप्रबंधक | 6725 |
| | पी. एस. राजन | महाप्रबंधक | 6725 |
| | अविनाश कुमार सिंह | महाप्रबंधक | 6000 |
| | आर कंदासामी | महाप्रबंधक | 6725 |
| | संजय शर्मा | महाप्रबंधक | 6725 |
| | एस एस चंद्रशेखर | महाप्रबंधक | 6044 |
| | वेंकटेश मुच्छल | महाप्रबंधक | 6725 |
| | इशराक अली खान | महाप्रबंधक | 6725 |
| | अतुल कुमार | महाप्रबंधक | 6725 |
| | योगेन्द्र सिंह | महाप्रबंधक | 6725 |
| | सत्यनारायण पातुरी | महाप्रबंधक | 6725 |
| | ब्रजेश्वर शर्मा | महाप्रबंधक | 6725 |
| | संग्राम केशरी महापात्रा | महाप्रबंधक | 6725 |
| | बी. श्रीनिवास राव | महाप्रबंधक | 6725 |
| | जगमोहन सिंह | महाप्रबंधक | 6725 |
| | शिव नारायण कौशिक | महाप्रबंधक | 6725 |
| | लाल सिंह | महाप्रबंधक | 6725 |
| | कल्याण कुमार | महाप्रबंधक | 6725 |
| | पी आर राजगोपाल | महाप्रबंधक | 1500 |
| | आशीष पांडे | महाप्रबंधक | 6000 |
| | मोनिका कालिया | महाप्रबंधक | 6725 |
| | प्रवीण शर्मा | महाप्रबंधक | 5898 |
| | नितेश रंजन | महाप्रबंधक | 6725 |

| विवरण | ब्यौरा |
|---|---|
| (ii) कोई अन्य कर्मचारी, जिसे वर्ष के दौरान एक वर्ष में 5% या उससे अधिक शेयर जारी किए गए हों. | कोई नहीं |
| (iii)ऐसे चिन्हित कर्मचारी, जिन्हें एक वर्ष के दौरान निर्गम के समय कंपनी की निर्गम पूंजी के 1% या उससे अधिक शेयर जारी किए गए हों. | कोई नहीं |
| यदि कंपनी के द्वारा सीधे योजना का कार्यान्वयन किया गया है, तो शेयर के निर्गम से प्राप्त प्रतिफल | ₹ 4,26,27,67,284.75 |
| ट्रस्ट द्वारा वर्ष के दौरान इस योजना से प्राप्त राशि से चुकाया गया ऋण | लागू नही |

**11. सोशल मीडिया :**

11.1 आपके बैंक ने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे सभी सोशल मीडिया प्लैटफार्मों पर अपने फॉलोवर की पहुँच का विस्तार किया है. सभी चार प्लैटफार्मों पर कुल फॉलोवर की संख्या बढ़कर 14,05,487 हो गयी है.

11.2 वास्तविक समय में प्रश्नों के निवारण हेतु आपके बैंक के आधिकारिक फेसबुक पेज को फेसबुक द्वारा "मोस्ट रिस्पोंसिव विथ 100% रिस्पोंसिव रेट" और ट्विटर हैंडल में "रिस्पोंसिव 24/7" के रूप में रेट किया गया है.

11.3 आपके बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (एसबीआई सहित) के फॉलोवर के संबंध में फेसबुक और ट्विटर पर दूसरा स्थान प्राप्त किया है.

**12. नेटवर्क :**

12.1 आपके बैंक की 31 मार्च, 2019 को देश भर में 4,288 देशी शाखाएं हैं. आपके बैंक की चार पूर्ण विदेशी शाखाएं हैं.

12.2 आपके बैंक के पास 31 मार्च, 2019 तक 6650 एटीएम एवं 5586 माइक्रो एटीएम का नेटवर्क है. वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान आपके बैंक द्वारा देश के विभिन्न स्थानों में 35 नई ई-लॉबी एवं 78 नए कैशलेस कैंपस का शुभारंभ किया गया है.

12.3 आपके बैंक के पास बैंक-रहित क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए कुल 5439 बिजनेस करेस्पांडेंट (बैंक मित्र) हैं.

**13. सचिवालयीन लेखापरीक्षा**

सेबी (लिस्टिंग के दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018 के विनिमय 24ए के प्रावधानों और सेबी परिपत्र क्रमांक CIR/CFD/CMD1/27/2019 दिनांक 8 फरवरी, 2019 के आधार पर, बैंक ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के सचिवीय लेखा परीक्षा हेतु मेसर्स सुभाष कुलकर्णी एंड असोसिएट्स, कंपनी सेक्रेटरी, मुंबई को नियुक्त किया है। उक्त परिपत्र में निर्धारित मामलों से संबंधित पूरे वर्ष की सचिवीय लेखा परीक्षा की गई थी जिसे वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट में वर्णित किया गया है, उक्त लेखापरीक्षा रिपोर्ट इस वार्षिक रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या **195** पर उपलब्ध है.

सचिवीय लेखापरीक्षा फर्म ने रिपोर्ट में कोई भी प्रतिबंध नहीं दिखाया है परंतु बैंक द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कॉर्पोरेट गवर्नेंस आचरण में सुधार करने के लिए कुछ टिप्पणियाँ/सुझाव दिये गए हैं. उसी का सार नीचे दिया गया है:

- भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान धोखाधड़ी रिपोर्टिंग में देरी, उधारकर्ता की सूचना के आदान-प्रदान में देरी एवं भारतीय रिजर्व बैंक के अनिवार्य निदेशों के अनुपालन में देरी के लिए तीन दंड लगाए हैं.
- बोर्ड कार्रवाई की, बैठकों में कुछ एजेंडा मदों को बैठक में रखने में देरी के कुछ मामले सामने आए हैं एवं वीडियो कान्फ्रेंसिंग की प्रक्रिया को सचिवीय मानदंड के अनुसार अपनाने के सुझाव दिये गए हैं.
- बोर्ड की संरचना के विषय में यह सुझाव दिया जाता है कि बोर्ड के स्वतंत्र निदेशकों की संख्या, वर्तमान संख्या 3 के बजाय कम से कम 5 होनी चाहिए (अर्थात निदेशकों की कुल संख्या 15 का 1/3).
- सेबी (भेदिया ट्रेडिंग का निषेध) विनियम 2015 के खंड 7(2) के अनुसार एवं भेदिया ट्रेडिंग का निषेध आचरण संहिता 2018-19 के अनुसार यह सुझाव दिया गया था कि बैंक के निदेशकों एवं पदनामित कार्मिकों से समय पर निर्धारित प्रारूप में प्रकटीकरण प्राप्त किया जाये.
- व्हिस्टिल ब्लोवर पॉलिसी में शिकायतों के निपटान के लिए विशिष्ट समय सीमा को लागू करने का सुझाव दिया जाता है.
- सुझाव दिया जाता है कि आवधिक/इवैंट आधारित विवरण के अनुश्रवण के लिए एक विवरणात्मक अनुपालन चेक लिस्ट होनी चाहिए एवं इस के लिए बैंक द्वारा तैयार सॉफ्टवेयर होना चाहिए. इसके अतिरिक्त यह सुझाव दिया जाता है कि अनुपालन विभाग को अन्य विभागों द्वारा किए गए अनुपालनों का सैंपल चेक करना चाहिए और एमडी/ईडी को समेकित अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करना चाहिए.

सर्वप्रथम, प्रबंधन सचिवीय लेखापरीक्षा टीम की टिप्पणियों, अवलोकनों एवं सुझावों के लिए आभारी है. एक राष्ट्रीयकृत बैंक, बैंकिंग कंपनियों के अंतर्गत (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970, के अंतर्गत गठित होने के नाते सेबी (एलओडीआर) विनियामकों के अंतर्गत वर्णित कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रावधान इस सीमा तक लागू हैं जिससे कि बैंक पर लागू दिशानिर्देशों एवं निदेशों के उल्लंघन की स्थिति उत्पन्न न हो. बैंक, जहां तक संभव हो, दिये गए प्रारूप के अंदर सचिवीय लेखापरीक्षा टीम के सुझावों को अपनाने और पालन करने का प्रयास करेगा.

## 14. पुरस्कार एवं उपलब्धियां

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान आपके बैंक को डिजिटाइजेशन, वित्तीय समावेशन, मानव संसाधन प्रबंधन, ग्राहक सेवा आदि क्षेत्र में की गयी नई पहलों के लिए विभिन्न पुरस्कार प्राप्त हुए हैं.

| सम्मान देने वाली संस्था | पुरस्कार | सम्मान श्रेणी |
|---|---|---|
| भारत सरकार | उद्यमीमित्र फॉर एमएसएमई | पीएसबी रिफार्म एजेंडा के अधीन एक्सेस एंड सर्विस एक्सेलेंस (ईज़) अवार्ड |
| गोल्डेन पीकॉक | नेशनल ट्रेनिंग अवार्ड | कॉर्पोरेट लीडरशिप एंड इंस्टीट्यूशनल एक्सेलेंस - नेशनल ट्रेनिंग अवार्ड |
| एशिया पैसिफिक एचआरएम कांग्रेस | एशिया पैसिफिक एचआरएम कांग्रेस अवार्ड | एचआर प्रैक्टिस में नई पहलों वाली संस्था |
| वर्ल्ड एचआरडी कांग्रेस | ग्लोबल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट लीडरशिप अवार्ड | उच्च प्रबंधन हेतु सार्वजनिक क्षेत्र में लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम |
| | | एक्सेलेंस इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम |
| | | प्रशिक्षण में तकनीक का सर्वोत्तम प्रयोग |
| इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट | स्पेशल कमेंडेशन अवार्ड | सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं में इनोवेटिव ट्रेनिंग प्रैक्टिस |
| भारतीय बैंक संघ | बेस्ट फाइनेंशियल इन्क्ल्युज़न इनीशिएटिव अवार्ड | बड़े बैंकों के बीच बेस्ट फाइनेंशियल इन्क्ल्युज़न इनीशिएटिव |
| | बेस्ट टेक्नॉलाजी बैंक अवार्ड | बड़े बैंकों में बेस्ट टेक्नालाजी बैंक |
| | बेस्ट आईटी रिस्क मैनेजमेंट एंड साइबर सेक्युरिटी अवार्ड | बड़े बैंकों में आईटी रिस्क मैनेजमेंट एवं साइबर सेक्युरिटी में सर्वोत्कृष्ट पहल |
| बैंकिंग वित्तीय सेवाएं एवं बीमा | बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज़ एंड इंश्युरेंस अवार्ड | लीडिंग फाइनेंशियल इन्क्ल्युज़न इनीशिएटिव |
| पीएफआरडीए | बेस्ट परफार्मिंग बैंक | बेस्ट परफार्मिंग बैंक - एपीवाई फार्मेशन डे |
| | | बेस्ट परफार्मिंग बैंक - क्वेस्ट फार क्राउन |
| एसोचेम | एसोचेम एसएमई एक्सेलेंस अवार्ड | "बेस्ट एसएमई ऑफरिंग" - एमएसएमई हेतु इनोवेटिव फाइनेंशियल सॉल्यूशन |
| राष्ट्रीय सतर्कता आयोग, भारत सरकार | विजिलेंस एक्सेलेंस अवार्ड | सतर्कता जागरुकता गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन |
| एनपीसीआई | एनपीसीआई अवार्ड | रूपे कार्ड में एक्सेलेंट परफार्मेंस |
| स्कॉच | स्कॉच गोल्ड अवार्ड | प्रौद्योगिकी हेतु बैंकिंग एंड फाइनेंस गोल्ड - स्ट्रैटेजिक ट्रांसफार्मेशन (यूनियन समृद्धि केन्द्र) |
| | | गवर्नेंस रिस्क मैनेजमेंट एंड कंप्लाएंस टूल हेतु साइबर सेक्युरिटी गोल्ड |
| | स्कॉच आर्डर ऑफ मेरिट | फाइनेंशियल इंक्ल्युज़न इनीशिएटिव |
| | | टेक्नॉलाजी : भारत में उच्च बैंकिंग एंड फाइनेंस प्रोजेक्ट के अधीन स्ट्रैटेजिक ट्रांसफार्मेशन एंड फाइनेंशियल इंक्ल्युज़न इनीशिएटिव |
| | | एसआईईएम टूल, गवर्नेंस रिस्क मैनेजमेंट |
| | | भारत में उच्च साइबर सेक्युरिटी प्रोजेक्ट के अधीन कंप्लायंस टूल एवं एंटी डीडीओ साल्यूशन |

## 15. निदेशक

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान आपके बैंक के निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए.

15.1 श्री विनोद कथूरिया, कार्यपालक निदेशक ने दिनांक 31 जुलाई 2018 को बैंक में अपना कार्यकाल पूरा किया.

15.2 श्री गोपाल सिंह गुसाईं को भारत सरकार की अधिसूचना क्र. F. No. 4/5/2018-BO.I दिनांक 20 सितंबर 2018 के द्वारा दिनांक 20 सितंबर 2018 से बैंक का कार्यपालक निदेशक नियुक्त किया गया.

15.3 श्री अतुल कुमार गोयल, कार्यपालक निदेशक, यूको बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के रुप में पदोन्नत होने के कारण दिनांक 1 नवंबर 2018 को कार्यभार मुक्त हुए.

15.4 डा. आर एच ढोलकिया, शेयरधारक निदेशक ने दिनांक 26 जून 2019 को बैंक में अपना कार्यकाल पूरा किया.

15.5 डॉ उत्तम कुमार सरकार शेयरधारक निदेशक के रूप में कार्यकाल दिनांक 26 जून 2018 को पूर्ण किया.

15.6 डा. उत्तम कुमार सरकार, शेयरधारक निदेशक को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (i) के अधीन दिनांक 28.06.2018 से 27.06.2021 तक 3 वर्षों की अवधि के लिए पुन: शेयरधारक निदेशक चुना गया.

15.7 श्री गोपाल कृष्ण लाठ, शेयरधारक निदेशक ने दिनांक 26 जून 2019 को बैंक में अपना कार्यकाल पूरा किया.

15.8 श्री के. कदिरेसन को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (i) के अधीन दिनांक 28.06.2018 से 27.06.2021 तक 3 वर्षों की अवधि के लिए शेयरधारक निदेशक चुना गया.

15.9 श्री जयदेव एम. को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (i) के अधीन दिनांक 28.06.2018 से 27.06.2021 तक 3 वर्षों की अवधि के लिए पुन: शेयरधारक निदेशक चुना गया.

15.10 श्री दिनेश कुमार गर्ग को भारत सरकार की अधिसूचना क्र. F. No. 4/5/2018-BO.I दिनांक 20 सितंबर 2018 के द्वारा दिनांक 20 सितंबर 2018 से बैंक का कार्यपालक निदेशक नियुक्त किया गया.

15.11 श्री राजकमल वर्मा, कार्यपालक निदेशक ने दिनांक 28 फरवरी 2019 को बैंक में अपना कार्यकाल पूरा किया.

15.12 श्री मानस रंजन बिस्वाल को भारत सरकार की अधिसूचना क्र. F. No. 4/5/2018-BO.I दिनांक 20 सितंबर 2018 के द्वारा दिनांक 20 सितंबर 2018 से बैंक का कार्यपालक निदेशक नियुक्त किया गया.

## 16. निदेशकों का उत्तरदायित्व के बारे में कथन

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक खातों को बनाए जाने के संबंध में निदेशकों द्वारा निम्न बातों की पुष्टि की गयी है :

16.1 लागू लेखामानकों का पालन किया गया है एवं निर्धारित लेखा मानकों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

16.2 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित लेखा नीति का पूर्ण पालन किया गया है.

16.3 तार्किक एवं विवेकपूर्ण निर्णय व अनुमानों का इस प्रकार उपयोग किया गया है कि वे वित्त वर्ष की समाप्ति पर बैंक के कार्यकलापों एवं 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ के लिए सही व उचित रहें.

16.4 भारत में बैंकों में लागू विधि के प्रावधानो के अनुरूप पर्याप्त लेखा रिकार्ड के रखरखाव में समुचित और पर्याप्त सावधानी बरती गयी है.

16.5 खाते संस्था की निरंतरता के आधार पर तैयार किए गए हैं.

## 17. कार्पोरेट गवर्नेंस

बैंक का निदेशक मंडल कार्पोरेट गवर्नेंस पद्धतियों का पूरी तरह से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है. कार्पोरेट गवर्नेंस पर विस्तृत रिपोर्ट इस वार्षिक रिपोर्ट के अलग खंड में दी गयी है. वित्त वर्ष 2018-19 की कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट पर कोई लेखापरीक्षा आपत्ति नहीं है.

## 18. कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

18.1 आपका बैंक समाज में योगदान देने के लिए अपने कार्पोरेट सामाजिक दायित्व के प्रति प्रतिबद्ध है. इसी प्रयास में, बैंक ने कार्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) में अपने योगदान को अधिकतम बनाने के लिए वर्ष 2006 में 'यूनियन बैंक सोशल फाउंडेशन ट्रस्ट' (यूबीएसएफटी) की सथापना की है. आपके बैंक ने वर्ष 2018-19 के दौरान यूबीएसएफटी को सीएसआर गतिविधियों के लिए ₹.45.43 लाख का अंशदान दिया है.

18.2 यूबीएसएफटी ने वर्ष 2018-19 के दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, सामुदायिक विकास, स्वच्छता, दिव्यांग क्षेत्र आदि जैसे विभिन्न सामाजिक कार्यों हेतु 10 प्रोजेक्ट हेतु दान दिया.

## 19. आभार

निदेशक मंडल भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग व अन्य संस्थाओं से प्राप्त उनके बहुमूल्य मार्गदर्शन और समर्थन के लिए आभार व्यक्त करता है. निदेशक मंडल वित्तीय संस्थाओं, संपर्की बैंकों के प्रति भी उनके सहयोग एवं समर्थन के लिए आभारी है. बोर्ड अपने माननीय शेयरधारकों, ग्राहकों एवं अन्य सभी स्टेकधारकों के निरंतर सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता है. निदेशक मंडल बैंक के समग्र कार्यनिष्पादन के लिए स्टाफ सदस्यों की समर्पित सेवा और उनके योगदान की सराहना करता है.

**निदेशक मंडल के लिए एवं की ओर से**

**(श्री राजकिरण रै. जी.)**
**एमडी एवं सीईओ**

स्थान: मुंबई
दिनांक: 14 मई, 2019

# प्रबंधकीय परिचर्चा एवं विश्लेषण

## क. बृहद आर्थिक परिदृश्य

### 1. वैश्विक अर्थव्यवस्था

1.1 वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, वैश्विक आर्थिक स्थिति अस्थिर रही, मुख्यत: यूएस एवं चीन के बीच व्यावसायिक युद्ध तथा तेल की कीमतों में वृद्धि. वैश्विक विकास की गति में लगातार गिरावट जारी रही तथा विभिन्न अहितकर/असुविधाजनक जोखिमों के कारण स्थिति सामान्य होने का अनुमान था. उभरते बाजारों में कमजोर (ईएम) माँग, वैश्विक औद्योगिक उत्पादन तथा विश्वस्तरीय व्यापार में कमी हेतु एक मुख्य घटक/चालक रहा. कुछ बड़ी उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में, (ईएमई) आर्थिक गतिविधियों में भी मंदी आयी है.

1.2 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ़) अपने नवीनतम जानकारियों में, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (डब्ल्यूईओ) के मुताबिक अपेक्षा करता है कि वैश्विक विकास 2019 एवं 2020 में क्रमश: लगभग 3.3 प्रतिशत एवं 3.6 प्रतिशत रहे, इसके पहले के पूर्वानुमानों में आंशिक संशोधन करते हुए इसमें कुछ कमी की गई है और फैडरल रिजर्व से बढ़ते व्यावसायिक तनाव एवं सख़्त मुद्रा नीति से जोखिम को कारण बताया गया है. हालांकि 3.3 प्रतिशत वैश्विक विकास अभी भी युक्तिसंगत है, कई देशों के लिए यह दृष्टिकोण काफी चुनौतीपूर्ण है, जिसमें अल्पावधि में, पर्याप्त अनिश्चितताएं तथा विशेष रूप से विकसित आर्थिक विकास दरें, उनके साधारण दीर्घावधि संभावनाओं के एक बिन्दु पर आकर मिलते हैं.

1.3 यूएस आर्थिक विकास 2019 में 2.3 प्रतिशत कम होने की अपेक्षा है और आगे 2020 में राजकोषीय प्रोत्साहन की कमी के कारण और कमजोर होकर यह 1.9 प्रतिशत यूरो क्षेत्र में 2018 में 1.8 प्रतिशत की वृद्धि 2019 में 1.3 प्रतिशत और 2020 में 1.5 प्रतिशत निश्चित है. जापान की अर्थव्यवस्था 2019 में 1.0 प्रतिशत से विकसित होना निश्चित है. चीन में आर्थिक विकास, राजकोषीय प्रोत्साहनों के बावजूद एवं यूनाइटेड स्टेट्स से आगे प्रशुल्क (टैरिफ़) में सितंबर 2018 में कोई वृद्धि न होने के बावजूद 2019 एवं 2020 में वार्षिक आधार पर धीमी होने की अपेक्षा की गई है. यूएस फ़ेड एवं अन्य बड़े विकसित अर्थव्यवस्थाओं (एई) के केन्द्रीय बैंकों की मौद्रिक नीतियों का रुख़ पक्षपाती हैं.

1.4 ओपीईसी द्वारा उत्पादन में कटौती करने से क्रूड ऑयल की कीमतों में वृद्धि हुई है. यदि भूराजनीतिक तनावों के कारण तेलों की आपूर्ति में कमी तथा ओपेक (ओपीईसी) द्वारा, तेल उत्पादनों की कटौती की जाती है तो तेल की कीमतों में अचानक एवं विशाल ऊर्द्धगामी दबाव हो सकता है.

### 2. घरेलू अर्थव्यवस्था

2.1 भारत ने उपयोग में कमी को नोट किया है, जो कि पारंपरिक रूप से घरेलू माँग का संबल रहा है. शुद्ध निर्यात एवं निवेश के बावजूद भी, उच्च आवृति संकेतक जैसे यात्री कारों की बिक्री, उपभोक्ता वस्तुएं एवं घरेलू हवाई यात्री यातायात से शहरी माँग में कमी, जबकि ट्रैक्टरों की बिक्री एवं तेजी से बढ़ने वाले उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री में कमजोरी से ग्रामीण माँग भी कमी का संकेत करता है. चूँकि मुद्रास्फीति पूरी तरह से कंफर्ट जोन के अंदर है इसलिए इसमें मौद्रिक बढ़ोत्तरी की और भी संभावनाएं हैं.

2.2 आईएमएफ़ ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए भारत के विकास का पूर्वानुमान 7.3 प्रतिशत एवं अगले वित्त वर्ष के लिए 7.5 प्रतिशत रखा है. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भी वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अप्रैल 2019 की मौद्रिक नीति में जीडीपी विकास पूर्वानुमान 7.4 प्रतिशत से कम करके 7.2 प्रतिशत किया गया है.

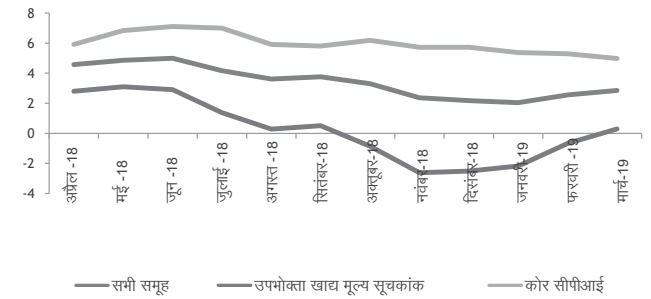
2.3 विकसित अनुमानों के आधार पर केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) द्वारा, भारतीय जीडीपी विकास वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान 7.0 प्रतिशत अनुमान था जो कि पूर्व में 7.2 प्रतिशत था. विकास में कमी मुख्यत: खनन निर्माण, लोक प्रशासन, रक्षा एवं अन्य सेवाओं के कारण है.

2.4 भारत सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2018-19 के लिए राजकोषीय घाटों का लक्ष्य 3.4 प्रतिशत संशोधित किया गया है जो पहले 3.3 प्रतिशत था, यह कल्याणकारी योजनाओं में अत्यधिक व्यय वृद्धि विकास के कारण है. सरकार द्वारा अपने राजकोषीय घाटे का लक्ष्य वित्त वर्ष 2019-20 में यह मानते हुए उसी स्तर पर रखा गया, कि सामान्य जीडीपी विकास 11.5 प्रतिशत रहेगा, जो कृषि एवं उद्योग के क्षेत्र में बजट आबंटन ज्यादा उपलब्ध कराने के कारण है. विजन 2030 में संयुक्त रूप से विकास के सभी क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है जिससे कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मध्यावधि एवं दीर्घावधि के लिए स्थायी विकास को गति मिल सके.

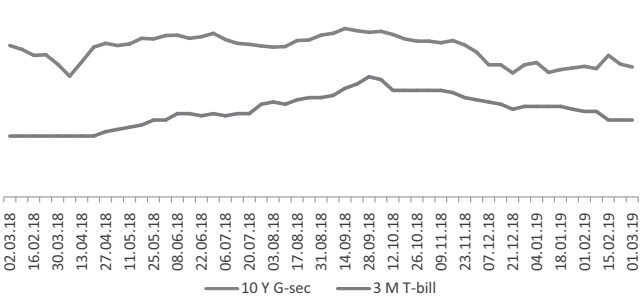
### 3. मूल्य परिदृश्य

3.1 वित्त वर्ष 2018-19 की दूसरी छमाही के दौरान विभिन्न देशी एवं वैश्विक कारणों से हैडलाइन मुद्रास्फीति में नरमी आई. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के द्वारा मापित रिटेल मुद्रास्फीति जून 2018 के 5 प्रतिशत से गिरकर दिसंबर 2018 में 2.4 प्रतिशत हो गयी. तथापि वित्तीय वर्ष 2018-19 में कोर मुद्रास्फीति (खाद्य एवं ईंधन मुद्रास्फीति के अलावा) अपनी स्थिति से ऊपर की ओर लगभग 5 प्रतिशत पर रही. वित्तीय वर्ष 2018-19 की दूसरी छमाही में फलों, सब्जियों, दलहनों व उत्पाद तथा चीनी व मिष्ठान के अक्षांक में भारी गिरावट के कारण इस क्षेत्र पर नकारात्मक पभाव पड़ा. वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान थोक मूल्य मुद्रास्फीति में उतार-चढ़ाव रहा. डबल्यूपीआई जून 2018 में 5.8 प्रतिशत था तथा यह जनवरी 2019 में कम होकर 2.8 प्रतिशत पर पहुँच गया। यह नोट करना उपयुक्त होगा कि सीपीआई मुद्रास्फीति, मौद्रिक नीति अधिदेश के 4 प्रतिशत के अंदर है.

चार्ट - 1: सीपीआई एवं उसके अवयवों की गतिविधियां



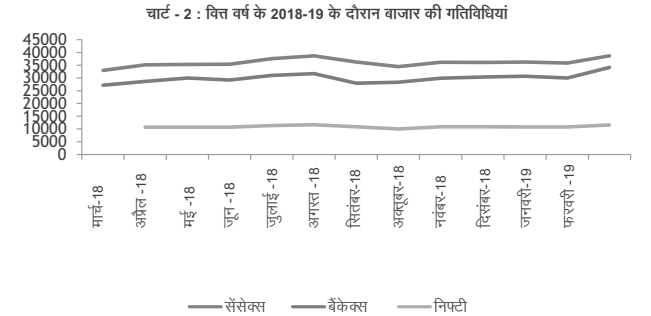

चार्ट - 3 : अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन आय की गतिविधियां




## 4. स्टॉक मार्केट का निष्पादन

4.1 भारतीय इक्विटी बाज़ारों में वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, विभिन्न गतिविधियों, वित्तीय एवं राजनैतिक के कारण, अच्छा प्रदर्शन किया इक्विटी बाजार, जो अगस्त 2018 तक अच्छी स्थिति में रहा, वह सितंबर में तीव्र गति से गिरा, जो आईएल एंड एफ़एस एपिसोड के कारण था. अक्तूबर में निम्नगामी रुख में वृद्धि हुई, क्योंकि बाजार के मनोभावों में, एनबीएफ़सी क्षेत्र की तरलता में सख्ती एवं साथ ही विश्वस्तर पर तनावों ने प्रभावित किया. नवंबर 2018 में, मुख्यत: एनबीएफ़सी के क्षेत्र में बाजार में अल्पाविधि के लिए, टर्नएराउंड रहा क्योंकि तरलता संबंधी मामलों में ढील दी गयी. इसके बाद से बाज़ारों में उतार-चढ़ाव रहा किन्तु इसमें मार्च 2019 के महीने में लगातार तेजी आई फलस्वरूप भारत ने अपने समकक्ष अधिकतर बड़े ईएमई एवं कुछ एई के बीच अच्छा काम किया. सभी तीन बड़े बाज़ार सूचकांकों सेंसेक्स, बैंककेक्स एवं निफ्टी ने वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान क्रमश: 17.3 प्रतिशत, 25.5 प्रतिशत एवं 14.09 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर्ज की.

चार्ट - 2 : वित्त वर्ष के 2018-19 के दौरान बाजार की गतिविधियां




## 5. बॉन्ड मार्केट कार्यनिष्पादन

5.1 10 वर्ष बेंचमार्क पर प्रतिफल में वित्तीय वर्ष 2018-19 की पहली छमाही के दौरान महत्वपूर्ण कमी आयी और यह सितंबर 2018 के 8.18 प्रतिशत तक पहुंचकर वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर 7.47 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गया. वैश्विक जमा स्टॉक एवं घरेलू तत्वों, जिनमें क्रूड आयल की कम कीमतें, घरेलू तेजी का सामान्य दृष्टिकोण, मुद्रा नीति की माप एवं शिफ्ट के उदाहरणों के संदर्भ में वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही में, अल्पाविधि तथा दीर्घावधि लाभों के बीच अंतर में कमी आई है. लघु एवं मध्यम दोनों अवधि खंडों (7 वर्ष तक) एवं दीर्घावधि में (20 वर्षों से ऊपर) लाभ वक्र का निम्नगामी होना फरवरी में, रेपो दर में कमी का कारण है.

## 6. बाहरी क्षेत्र

6.1 वैश्विक विकास संबंधी दृष्टिकोणों में धीमेपन ने बाहरी क्षेत्रों के कार्यनिष्पादन को प्रभावित किया है. वित्त वर्ष 2018-19 की तीसरी तिमाही (अक्तूबर-दिसम्बर) में चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद का पूर्ववर्ती तिमाही के 2.9 प्रतिशत की तुलना में 2.5 प्रतिशत रहा. अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के फलस्वरूप पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में आयी कमी के कारण वित्त वर्ष 2018-19 में निर्यात वृद्धि कमजोर रही. गैर-तेल निर्यातों, इंजीनियरिंग वस्तुओं, रसायन, चमड़ा और समुद्री उत्पादों में या तो क्रमिक गिरावट या नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है. आयातों के मामलों में, अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट से तेल आयात बिल में कटौती हुई है. व्यापार घाटा वित्त वर्ष 2018-19 में क्रमिक रूप से और वर्ष दर वर्ष आधार पर दोनों तरीकों से 17 महीनों में अपने निम्नतम स्तर पर सीमित हो गया है. इसके साथ-साथ सेवाओं के निर्यात में वृद्धि और आय के भुगतान के कम होने के कारण, चालू खाते का घाटा लगातार कम होता गया है.

6.2 वित्त वर्ष 2018-19 में वित्तपोषण की दृष्टि से, शुद्ध एफ़डीआई अंतर्प्रवाह मजबूत रहा था. जहां तक इस वर्ष का संबंध है, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफ़पीआई), ने सेंट्रल बैंक द्वारा एफ़पीआई ढांचे के उदारीकरण के समर्थन के साथ-साथ तरलता को सुदृढ़ करने के लिए $5 बिलियन विदेशी मुद्रा विनिमय स्वैप करने की घोषणा की है. 2018-19 के दूसरे अर्धवर्ष के दौरान, म्यूचुअल फंड और एफ़पीआई द्वारा इक्विटी में कुल खरीद क्रमश: ₹326 बिलियन और ₹288 बिलियन की गई. उल्लेखनीय है कि विदेशी निवेशकों ने अक्तूबर 2017 से बॉन्ड की सबसे अधिक खरीद केवल मार्च में की जो कि $2.03 बिलियन की सबसे बड़ी खरीद है. मुद्रास्फीति के कारण व्यापार में हुई कमी और एफ़पीआई निवेश में वसूली से देशी-विदेशी विनिमय बाजार पर दबाव को कम करने में सहायता मिली. फरवरी-19 में बकाया विदेशी विनिमय आरक्षित निधि 399 यूएस$ मिलियन थी, जो कि मार्च-19 में बढ़कर 412 यूएस$ हो गई.

## 7. तरलता परिदृश्य

7.1 वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, भारतीय रिजर्व बैंक ने बाजार आवश्यकताओं के अनुसार तरलता बढ़ाई व अवशोषित की, ताकि अर्थव्यवस्था में सिस्टम आधारित तटस्थता लायी जा सके. अंतिम तिमाही के दौरान प्रचलन में मुद्रा का तेजी से विस्तार हुआ है. वर्ष 2018-19 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ओएमओ के माध्यम से औसतन ₹ 2,98,500 करोड़ (₹ 2985 बिलियन) की कुल स्थायी तरलता प्रदान

की गई चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़) और खुले बाज़ार के परिचालन (ओएमओ) के अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक ने दिन-प्रतिदिन तरलता प्रबंधन के लिए परिवर्ती रेपो दर और रिर्वस रेपो दर नीलामी का भी आयोजन किया. इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 वर्षों की अवधि के लिए बैंकिंग सिस्टम में ₹ 34,561 करोड़ (₹ 346 बिलियन) की स्थायी तरलता का निवेश और वर्तमान में तरलता की कमी को कम करने हेतु US$5 बिलीयन की दीर्घा-अवधि विदेशी विनिमय बिक्री/खरीद के स्वैप का संचालन किया. वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान 10 साल की जी-सेक यील्ड 7.2 प्रतिशत से 8.2 प्रतिशत पर ट्रेड हुई है.

7.2 वित्त वर्ष 2019-20 के प्रथम अर्ध-वर्ष के दौरान सरकार की सकल उधारी ₹ 4.42 लाख करोड़ की होगी, जो कि वर्ष की पहली छमाही के 26 सप्ताह के लिए प्रत्येक सप्ताह ₹ 17,000 करोड़ की दर से पूरे वर्ष के लिए कुल लक्ष्य के 62.3 प्रतिशत के बराबर होगी. वित्त वर्ष 2019-20 की दूसरी छमाही के लिए शेष ₹ 2.68 लाख करोड़ विभिन्न उधारी कार्यक्रमों से अर्जित किए जाएगें. पिछले वित्त वर्ष में ₹ 5.71 लाख करोड़ की उधारी ली थी जो कि इस वर्ष में ₹ 7.10 लाख करोड़ की हो गई है. भारत की वित्त वर्ष 2019-20 में योजनाबद्ध सकल उधारी कम से कम पिछले 9 वर्षों में अधिकतम रही है क्योंकि सरकार ने किसानों के समर्थन में अतिरिक्त धन निवेश किया और कम-आय वाले श्रमिकों के लिए कर में कटौती की.

## 8. भारतीय रिजर्व बैंक के नीतिगत निर्णय

8.1 वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी नीतिगत रुख को "कैलिब्रेटेड टाइटनिंग" से "न्यूट्रल" में परिवर्तित करते हुए अपनी मूल्य स्थिरता लक्ष्य को 4 प्रतिशत पर जारी रखा है. भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान विभिन्न कारकों जैसे मुद्रास्फीति (जून 2018 में 5.0 प्रतिशत और जनवरी 2019 में 2.0 प्रतिशत के बीच), धीमी वृद्धि के अनुमान, तेल की कीमत में अस्थिरता और विस्तारित राजकोषीय नीतियों के कारण 25 बीपीएस तक रेपो दर कम कर दिया और नीतिगत दरों को 6 प्रतिशत पर बनाए रखा.

8.2 वित्त वर्ष 2019-20 में, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी पहली द्वि-मासिक नीति में पॉलिसी रेपो दर को 25 बीपीएस से घटाकर 6.00 प्रतिशत कर दिया है. एमपीसी ने तटस्थ मौद्रिक नीति रुख को बनाए रखने का निर्णय लिया था लेकिन अगले कुछ महीनों में कम मुद्रास्फीति की उम्मीद और वैश्विक एवं घरेलू अर्थव्यवस्था में मंदी को देखते हुए मुद्रास्फीति और वृद्धि हेतु जो अनुमान लगाए थे उसे कम कर दिया. मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) मॉनसून पर नजर बनाए हुए है, जो कि राजकोषीय जोखिमों के साथ मिलकर यह बताती है कि आगे की दरों में कटौती के लिए अगस्त की द्वि-मासिक समीक्षा तक इंतजार करना पड़ सकता है.

## 9. बैंकिंग वातावरण :

9.1 बैंकिंग सेक्टर को निरंतर खराब आस्ति गुणवत्ता, लाभप्रदता में ढिलाई के साथ-साथ निम्न कॉर्पोरेट मांग जैसी चुनौतियों को सामना करना पड़ रहा है. वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद, वित्त वर्ष 2018-19 में बैंकिंग उद्योग के ऋण संविभाग में 13.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान कुल जमा राशि में 10.0 प्रतिशत का उछाल आया है. एसएलआर प्रतिभूतियों में एससीबी के निवेश में 1.9 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई. एससीबी के लिए ऋण-जमा अनुपात 77.7 प्रतिशत रहा. चालू और अगले वित्तीय वर्ष के दौरान, रेपो दर में कमी, एसएलआर दरों में क्रमिक गिरावट, संकुचित मौद्रिक नीति कॉरिडर और मौद्रिक नीति तटस्थता का "न्यूट्रल" से "कैलिब्रेटेड टाइटनिंग" में परिवर्तन आदि को बैंकिंग उद्योग को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण सुधारों के रूप में मान्यता दी गई है.

9.2 31 मार्च, 2019 तक, गैर-खाद्य ऋण में पिछले वर्ष की तुलना में 13.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई. कृषि और सहायक गतिविधियों द्वारा मांग में वृद्धि रही जबकि औद्योगिक क्रेडिट ऑफ टेक में मांग में कमी रही. मार्च 2019 में सेवा क्षेत्र में ऋण में 23.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई. पर्सनल लोन और रिटेल लोन में सुधार हुआ है जो कि अर्थव्यवस्था में बढ़ती हुई मांग को दर्शाता है.

## ख. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का कार्यनिष्पादन :

## 10. संसाधन प्रबंधन :

10.1 चुनौतीपूर्ण समष्टि आर्थिक वातावरण के बावजूद, बैंक ने 31 मार्च, 2018 में ₹ 4,08,502 करोड़ की तुलना में निरंतर वृद्धि के साथ 31 मार्च, 2019 तक ₹ 4,15,915 करोड़ की महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की है. बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए बैंक के निरंतर प्रयास के कारण, बचत जमा (एसबी) में 8.27 प्रतिशत की वृद्धि हुई. 31 मार्च, 2019 तक बैंक की चालू जमा राशि ₹ 26,513 करोड़ रही और बचत जमा राशि ₹ 1,23,628 करोड़ रही, इस प्रकार से 31 मार्च, 2018 की तुलना में कासा जमाराशि ₹ 1,39,241 से बढ़कर ₹ 1,50,141 हो गई.

**तालिका 1: जमा की संरचना**

(₹ करोड़ में)

| पैरामीटर | 31.03.19 | 31.03.18 | वार्षिक वृद्धि | |
|---|---|---|---|---|
| | | | वास्तविक | (%) |
| कुल जमा | 415915 | 408502 | 7413 | 1.81% |
| कासा जमा | 150141 | 139241 | 10900 | 7.83% |
| बचत जमा | 123628 | 114183 | 9445 | 8.27% |
| चालू जमा | 26513 | 25058 | 1455 | 5.81% |

10.2 आपका बैंक अपने बैंकिंग परिदृश्य के साथ-साथ नए उत्पादों, नए चैनलों और नए सेवा अनुभवों को अपग्रेड करते हुए इस प्रगति को जारी रखेगा. नई पहल जैसे सूक्ष्म/लघु ग्राहकों के लिए यूनियन माइक्रो डिजिटल करेंट अकाउंट और मोटर एक्सीडेंट क्लेम एन्युइटी डिपॉजिट (एमएसीएडी) एवं एमएसीटी क्लेम एसबी अकाउंट बैंक के कारोबार को बढ़ाएंगें.

## 11. क्रेडिट प्रबंधन

### 11.1 रिटेल :

अर्थव्यवस्था में व्याप्त वर्तमान मांग की स्थिति को ध्यान में रखते हुए,

आपके बैंक ने सुदृढ़ खुदरा ऋण संविभाग में वृद्धि को बनाए रखा है. वित्त वर्ष 2018-19 में आपके बैंक के खुदरा ऋण संविभाग में 15.5% की वृद्धि दर्ज हुई है. 31 मार्च, 2018 की तुलना में 31 मार्च, 2019 तक ऋण संविभाग ₹ 49,446 करोड़ से बढ़कर ₹ 57,093 करोड़ हो गया है. खुदरा ऋण संविभाग में वृद्धि मुख्य रूप से होम लोन और सिक्योर्ड मोर्टगेज लोन में वृद्धि के कारण हुई है. बैंक ने क्वालिटी होम लोन में अर्जन को सुनिश्चित करने के लिए सिबिल स्कोर के आधार पर होम लोन में एक विभेदित मूल्य निर्धारण शुरू किया है. समुचित सावधानी प्रक्रिया को सुदृढ़ करने हेतु, बैंक ने मानकीकृत सीपीवी फॉर्मेट शुरू किया है. 2 पहिया एवं पुराने 4 पहिया वाहनों की खरीद के लिए स्वीकृत अग्रिमों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, बैंक ने प्रारम्भिक सिबिल स्कोर और बढ़ी हुई मार्जिन को अपनाया है. मार्केट शेयर में सुधार और गुणवत्तापूर्ण कारोबार अर्जित करने हेतु, बैंक ने अपनी डीएसए पेआउट को बढ़ाया है.

11.1.1 वित्त वर्ष 2019-20 में बैंक ने कारोबार को अधिकतम बढ़ाने के लिए अनेक रणनीतियाँ अपनायी जैसे कि (i) व्यक्तिगत वाहन एवं होम लोन में डिजिटल पहल द्वारा पूर्णत: डिजिटलाइजेशन, (ii) संभाव्य लीड जेनरेशन के लिए कारोबार विश्लेषिकी का लाभ, (iii) केंद्रीकृत प्रोसेसिंग सेंटर (यूएलपी) द्वारा शेयर के प्रोसेसिंग में सुधार.

### 11.2 कृषि :

11.2.1 यथा 31 मार्च, 2019 को बैंक का कृषि अग्रिम ₹ 52,517 करोड़ था. यथा 31 मार्च, 2019 को तिमाही औसत आधार पर कृषि अग्रिम समायोजित शुद्ध बैंक ऋण (एएनबीसी) का 18.20 प्रतिशत है.

11.2.2 लघु एवं सीमांत किसानों को अग्रिम 31 मार्च, 2019 को ₹ 28,770 करोड़ रहा जो कि एएनबीसी के 8 प्रतिशत बेंचमार्क के सापेक्ष एएनबीसी का 10.01 प्रतिशत है. वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान विशेष कृषि ऋण योजना (एसएसपी) के अधीन कुल ₹ 16735 करोड़ संवितरण किया गया जो कि ₹ 25000 करोड़ के लक्ष्य का 66.94 प्रतिशत है. वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 4.44 लाख नए किसानों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ा गया तथा ₹ 3458 करोड़ की ऋण सुविधा सहित 2.11 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए.

### 11.3 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) :

11.3.1 आपके बैंक में एमएसएमई की ऋण आवश्यकताओं के लिए बहुविध उत्पाद एवं योजनाएँ विद्यमान है. ये सेवाएँ सभी शाखाओं एवं कारोबार बैंकिंग शाखाएँ (बीबीबी), 35 सरल एवं 10 सरल लाइट के जरिए प्रदान की जाती हैं ताकि एमएसएमई ऋणों का त्वरित मूल्यांकन एवं मंजूरी हो सकें. सरल स्ट्रक्चर की पुन: समीक्षा की गई एवं रीवैम्प किया गया ताकि ऋण प्रोसेसिंग मानकों में संवृद्धि एवं टर्न अराउंड टाइम में सुधार हो सके

11.3.2 एमएसएमई संविभाग 6.0 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज करते हुए 31 मार्च, 2019 को ₹ 67,174 करोड़ रहा. एमएसएमई संविभाग 31 मार्च, 2019 को ₹ 50,424 करोड़ रहा एवं इसमें 4.64 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई.

**तालिका 2: एमएसएमई पोर्टफोलियो का विश्लेषण**

(₹ करोड़ में)

| पैरामीटर | यथा 31 मार्च, 2019 | यथा 31 मार्च, 2018 | वार्षिक वृद्धि | |
|---|---|---|---|---|
| | | | वास्तविक | (%) |
| सूक्ष्म अग्रिम | 22617 | 20071 | 2546 | 12.68 |
| लघु अग्रिम | 27807 | 28116 | -309 | -1.10 |
| एमएसई अग्रिम | 50424 | 48187 | 2237 | 4.64 |
| मध्यम अग्रिम | 16750 | 15185 | 1565 | 10.31 |
| एमएसएमई अग्रिम | 67174 | 63372 | 3802 | 6.00 |

11.3.3 आपका बैंक एमएसएमई खंड को उधारी हेतु टीआरईडीएस प्लैटफ़ार्म अंगीकृत करने में अग्रसर बैंक है. बैंक पहले से ही भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 3 पंजीकृत ट्रेड्स प्लैटफ़ार्म: आरएक्सआईएल, ए. ट्रेड्स और एम1एक्स्चेंज पर सक्रिय है. मार्च 2019 के लिए तीनों प्लैटफ़ार्म पर बिडिंग का आंकड़ा ₹ 438.34 करोड़ पार कर गया है. ये अनोखे ऑनलाइन प्लैटफ़ार्म में अंतर्निहित बाधारहित प्रोसेस है जो एमएसएमई को पर्याप्त वित्तीय सहायता सुनिश्चित करेगा एवं इससे कारोबार को अंगीकृत करने में आसानी होगी.

11.3.4 आपके बैंक को "psbloansin59minutes.com" पोर्टल पर उत्कृष्ट कार्यनिष्पादक बैंक का सम्मान प्राप्त है. मार्च, 2019 तक सैद्धांतिक रूप से मंजूरी प्रदान करने वाले एमएसएमई की संख्या 3503 है, जिसमें से ₹ 538.44 करोड़ राशि के 1896 प्रस्तावों को अंतिम मंजूरी दे दी गयी है.

11.3.5 वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान आपके बैंक ने एमएसएमई अग्रिमों जैसे केमिकल ट्रेड्स, लकड़ी आधारित फ्लाईवूड, ऑटो एन्सिलरी, ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग एवं सहायक इकाइयों एवं ऑटो सहायक मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों का वित्तपोषण आदि 8 नई क्लस्टर विशिष्ट योजनाएँ आरंभ की है. दिनांक 31 मार्च, 2019 तक एमएसएमई खंड में क्लस्टर विशिष्ट योजनाओं की संख्या 37 है.

11.3.6 एमएसएमई की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए बैंक के पास अनेक योजनाएँ हैं, जैसे यूनियन एंटरप्राइजेस, यूनियन परिवहन, यूनियन मुद्रा आदि.

### 11.4 वृहद कॉर्पोरेट क्रेडिट :

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान वृहद कॉर्पोरेट अग्रिम ₹ 1,37,695 करोड़ रहा एवं इसमें वर्ष दर वर्ष आधार पर 6.17 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई. देश भर की आठ औद्योगिक वित्तीय शाखाएं (आईएफ़बी) वृहद कॉर्पोरेट ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं. बैंक वृहद कॉर्पोरेट के निवेश ग्रेड प्रोजेक्ट को उचित संवितरण एवं उसके वैश्विक संपर्की को वृद्धि के सुअवसर प्रदान कर रहा है.

**तालिका 3: लार्ज कॉर्पोरेट अग्रिम**

(₹ करोड़ में)

| पैरामीटर | यथा 31 मार्च, 2019 | यथा 31 मार्च, 2018 | वार्षिक वृद्धि | |
|---|---|---|---|---|
| | | | वास्तविक | (%) |
| लार्ज कॉर्पोरेट | 137695 | 129695 | 8000 | 6.17 |
| जिसमें से आईएफ़बी से कुल अग्रिम | 104994 | 90186 | 14808 | 16.42 |

## 11.5 प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र अग्रिम :

11.5.1 आपके बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों के अंतर्गत 4.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 140530 करोड़ की प्राप्ति की. प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र समायोजित शुद्ध बैंक ऋण (एएनबीसी) का 48.33 प्रतिशत है. वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही के दौरान बैंक ने पीएसएलसी - लघु एवं सीमांत किसान के अधीन ₹ 2000 करोड़ अतिरिक्त निवेश किया है.

**तालिका 4: प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम**

(₹ करोड़ में)

| पैरामीटर | 31.03.19 | 31.03.18 | वर्ष दर वर्ष (%) | एएनबीसी के लिए % | मानदंड वित्त वर्ष 2019 (एएनबीसी का %) |
|---|---|---|---|---|---|
| प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र हेतु ऋण* | 140530 | 133922 | 4.9 | #48.33 | 40% |
| कृषि क्षेत्र* | 52517 | 52148 | 0.7 | #18.20 | 18% |
| लघु एवं सीमांत किसान* | 28770 | 27235 | 5.6 | #10.0 | 8% |
| कमजोर वर्ग को ऋण | 39971 | 36430 | 9.72 | 13.4 | 10% |
| माइक्रो इंटरप्राइज़ | 22617 | 20071 | 12.7 | 7.58 | 7.5% |
| महिला लाभार्थियों को ऋण | 20751 | 19022 | 9.1 | 6.9 | 5% |

*₹2000 करोड़ के पीएसएलसी की बिक्री के अतिरिक्त

# तिमाही औसत आधार पर

11.5.2 वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान विशेष कृषि क्रेडिट प्लान (एसएसीपी) के अंतर्गत ₹ 16735 करोड़ कुल संवितरण किया गया जो ₹ 25000 करोड़ के लक्ष्य का 66.94 प्रतिशत है. वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 4.44 लाख नए कृषकों को बैंकिंग से जोड़ा गया एवं ₹ 3458 करोड़ से अधिक ऋण सुविधा सहित 2.11 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए.

### सामाजिक उद्धार के लिए विशिष्ट ऋण

11.5.3 आपके बैंक ने सामाजिक विकास एवं समाज के सभी वर्ग को समान सुअवसर प्रदान करने के प्रयासों को बनाए रखते हुए समाज के विभिन्न कमजोर एवं अनारक्षित तबके विशेषकर महिलाओं, अल्पसंख्यक समुदाय एवं स्वयं सहायता समूह को ऋण सुविधाएं प्रदान की है.

11.5.4 **महिला लाभार्थी :** आपका बैंक, महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला उद्यमियों को ऋण देने में अग्रणी है. वित्त-वर्ष 2018-19 के दौरान, बैंक ने 10.22 लाख महिला लाभार्थियों को ऋण प्रदान किया है. महिला लाभार्थियों के कुल बकाया ऋण की राशि ₹ 19022 करोड़ से बढ़कर ₹ 20751 करोड़ अर्थात 5.0 प्रतिशत बेंचमार्क के सापेक्ष एएनबीसी का 6.97 का प्रतिशत हुई. इस श्रेणी के अंतर्गत 9.08 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त हुई.

11.5.5 **अल्पसंख्यक समुदाय:** आपका बैंक भारत सरकार के निदेशों के अनुसार सिक्खों, मुस्लिमों, ईसाइयों, पारसियों, बौद्धों एवं जैन जैसे अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण हेतु वित्त प्रदान कर रहा है. दिनांक 31 मार्च 2019 को अल्पसंख्यक समुदाय को बकाया राशि ₹ 12402 करोड़ रही, जो प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों का 8.70 प्रतिशत है.

11.5.6 **कमजोर वर्ग:** आपका बैंक समाज के कमजोर वर्ग को वित्त प्रदान करने में सक्रिय रूप से भागीदार रहा है. दिनांक 31 मार्च, 2019 तक कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत के बेंचमार्क के सापेक्ष एएनबीसी की 13.4 प्रतिशत के स्तर पर पहुँचकर 9.72 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज़ करते हुए ₹ 36430 करोड़ से बढ़कर ₹ 39971 करोड़ ऋण प्रदान किया है.

11.5.7 **ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी):** ग्रामीण युवाओं की रोजगार संबंधी समस्या को कम करने के उद्देश्य से बैंक ने उन जिलों में 14 आरसेटी की स्थापना की है जिन जिलों में बैंक "अग्रणी (लीड) बैंक की भूमिका" में है. दिनांक 31 मार्च, 2019 तक हमारे आरसेटी में प्रशिक्षित कुल अभ्यर्थियों की संख्या 73540 है, जिसमें से 47495 अभ्यर्थी जीविकोपार्जन कर रहे हैं. ग्रामीण विकास मंत्रालय के मूल्यांकन के अनुसार वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान हमारे 14 आरसेटी में से 1 आरसेटी ने "एए" ग्रेड, 9 आरसेटी को "बीए" ग्रेड एवं 4 आरसेटी को "बीबी" ग्रेड प्राप्त हुए हैं.

11.5.8 **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी):** आपका बैंक काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक (केजीएसजीबी), वाराणसी का प्रायोजक है. इसकी पूर्वी उत्तर प्रदेश के 8 जिलों यथा वाराणसी, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, मऊ, भदोही और अंबेडकर नगर में 459 शाखाएं हैं. वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान केजीएसजीबी का कारोबार 8.98 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹ 15739.58 करोड़ रहा. कासा जमाराशियों के 61.16 प्रतिशत सहित जमाराशियाँ ₹ 11779.16 करोड़ रहीं. अग्रिम ₹ 3960.42 करोड़ रहा, जिसमें से प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों का योगदान 81.32 प्रतिशत एवं कृषि का योगदान 46.95 प्रतिशत रहा. केजीएसजीबी ने किसानों के लाभ के लिए एटीएम सक्षम केसीसी पेश किया है. त्वरित सेवा उपलब्ध कराने में सक्षम बनाने के लिए आरटीजीएस/एनईएफ़टी सेवा और डिजिटल अथॉरिटी चेक सिस्टम भी प्रारम्भ किया है.

### प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने हेतु प्रमुख पहल :

11.5.9 **यूनियन समृद्धि केंद्र (यूएसके):** क्षेत्रीय कार्यालय करनाल एवं क्षेत्रीय कार्यालय नासिक में हब एवं स्पोक मॉडल, यूनियन समृद्धि केंद्र (यूएसके) की स्थापना एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में प्रारम्भ की गयी. वर्ष 2018-19 के दौरान ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में इन प्रोसेसिंग केन्द्रों ने कृषि एवं एमएसएमई ऋणों की प्रोसेसिंग आरंभ की. ग्रामीण विकास अधिकारियों (स्पोक के रूप में कार्य) द्वारा टैब में ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में उधारकर्ता के डाटा कैप्चर किए जाते हैं एवं प्रोसेसिंग हेतु इन डाटा को यूएसके (हब के रूप में कार्य) को भेजा जाता है. उन यूएसके से ऋण प्रोसेसिंग में लगने वाले समय की बचत होती है और इसके परिणाम बहुत ही उत्साहवर्धक होते हैं. दिनांक 31 मार्च, 2019 तक 38 यूएसके की स्थापना की गयी है एवं बैंक, मार्च 2020 तक इसे 68 यूएसके तक बढ़ाने की योजना बना रहा है.

11.5.10 **प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफ़बीवाई):** आपका बैंक उन किसानों के लाभ हेतु पीएमएफ़बीवाई लागू कर रहा है जिन्हें अक्सर मौसम संबंधी प्रतिकूलताओं सहित अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है. पीएमएफ़बीवाई के अंतर्गत आने वाले बटाईदार एवं काश्तकार सहित सभी किसान अधिसूचित फसलों को उगा रहे हैं. अप्रैल 2018 से, बैंक ने पीएमएफ़बीवाई पोर्टल में पॉलिसी धारक के सभी कवरेज विवरणों

की प्रविष्टि का कार्य प्रारम्भ किया है. बैंक ने संबन्धित क्षेत्र में किसानों को लाभ के लिए उपलब्ध क्षमता के आधार पर 37 क्षेत्र विशिष्ट योजनाएँ बनाई हैं.

11.5.11 **क्षेत्र विशिष्ट योजनाएं :** बैंक ने संबंधित क्षेत्रों के कृषकों के लाभ हेतु संभाव्य उपलब्धता के आधार पर 37 क्षेत्र विशिष्ट योजनाएं बनाई हैं.

11.5.12 **अंकुर :** क्षेत्र कर्मियों/आरडीओ को कृषि से संबन्धित नवीनतम विकास, उत्पाद की जानकारी प्रदान करने के लिए "अंकुर" ई-बुलेटिन का प्रकाशन मासिक अंतराल पर किया जाता है.

**11.6 वित्तीय समावेशन:** अयोग्य को सशक्त बनाना: आपके बैंक ने गरीब एवं जरूरतमंद लोगों तक वहनीय ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित की है. जेएएम (जनधन, आधार एवं मोबाइल) ट्रिनिटी गेनिंग ग्राउंड के साथ बैंक ने वित्त वर्ष 2018-19 में नवोन्मेष बैंकिंग प्रणाली के साथ-साथ छोटी बचत को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय अंतरण में लीकेज कम करने जैसे उत्पादक निवेश का लक्ष्य रखा है.

**तालिका 5 : वित्तीय समावेशन के अंतर्गत प्रगति**

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31.03.19 | 31.03.18 | वित्त वर्ष 2018-19 की प्रगति | वित्त वर्ष 2018-19 के प्रगति का % |
|---|---|---|---|---|
| कुल पीएमजेडीवाई खाते | 9811604 | 8622117 | 1189487 | 13.80% |
| पीएमजेडीवाई खातों में शेषराशि | 2404 | 1931 | 473 | 24.5% |
| आधार पंजीकृत पीएमजेडीवाई खाते | 8117145 | 6925858 | 1191287 | 17.20% |
| आधार पंजीकृत पीएमजेडीवाई खातों का % | 82.73 | 80.33 | - | 2.40% |
| मोबाइल पंजीकृत पीएमजेडीवाई खाते | 5654308 | 4585447 | 1068861 | 23.31% |
| मोबाइल पंजीकृत पीएमजेडीवाई खातों का % | 59.70 | 53.18 | - | 6.52% |
| पीएमजेडीवाई खातों में जारी रुपे कार्ड | 5615288 | 4884692 | 730596 | 14.96% |

11.6.1 वर्ष के दौरान, बैंक द्वारा वित्तीय समावेशन के अंतर्गत तुरंत पीएमजेडीवाई खाते खोलने जैसे अनेक कार्यनिष्पादनों की अनेक पहल सभी बीसी केन्द्रों पर की गई है. अब सभी बैंक मित्र माइक्रो एटीएम, मोबाइल एवं किओस्क के माध्यम से बीसी केन्द्रों पर नागरिकों के ई-केवाईसी खाते तुरंत खोल सकते हैं और इन खातों में एईपीएस के माध्यम से लेनदेन की सुविधा उप्लब्ध करा सकते हैं. बैंक मित्र ग्राहकों को एपीवाई, पीएमएसबीवाई, पीएमजेजेबीवाई जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए भी नामांकन कर सकते हैं. ग्राहकों को एटीएम एवं बीसी केन्द्रों द्वारा ₹ 10,000/- तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा भी उपलब्ध कराई गयी है.

11.6.2 **आधार नामांकन केंद्र :** - यूआईडीएआई दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी वाणिज्यिक बैंकों को 10 प्रतिशत बैंक शाखाओं में आधार नामांकन केंद्र खोलने का निर्देश यूआईडीएआई द्वारा दिया गया है. तदनुसार आपके बैंक ने पूरे भारत की 429 शाखाओं में आधार नामांकन केंद्र खोले हैं. वर्तमान में समस्त 429 बैंक शाखाओं में आधार नामांकन किया जा रहा है.

## 12. अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग :

12.1 वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक का विदेशी अग्रिम 43.3 प्रतिशत कम रहा. दिनांक 31 मार्च, 2018 के ₹ 9,895 करोड़ की तुलना में दिनांक 31 मार्च, 2019 को निर्यात अग्रिम कम होकर ₹ 9,081 करोड़ रहा. बैंक की एनआरआई जमाराशि 31 मार्च, 2018 के ₹ 19,072 करोड़ की तुलना में 31 मार्च, 2019 को ₹ 18,428 करोड़ है.

**तालिका 6: विदेशी परिचालन**

(₹ करोड़ में)

| पैरामीटर | यथा 31 मार्च, 2019 | यथा 31 मार्च, 2018 | वार्षिक वृद्धि | |
|---|---|---|---|---|
| | | | वास्तविक | (%) |
| विदेशी जमा | 2816 | 5305 | -2489 | -46.9% |
| विदेशी अग्रिम | 14460 | 25524 | -11064 | -43.3% |
| कुल विदेशी कारोबार | 17276 | 30829 | -13553 | -43.9% |

## 13. ट्रेजरी/कोषागार परिचालन :

13.1 ट्रेजरी प्रभाग में ग्राहकों के साथ-साथ स्वामित्व आधार पर घरेलू एवं विदेशी विनिमय परिचालन शामिल है. अपने ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की ट्रेजरी सुविधाएं प्रदान करने के लिए ट्रेजरी अत्याधुनिक व्यवहार कक्ष (डीलिंग रूम) से सुसज्जित है. ट्रेजरी में इससे संबंधित कार्यों के लिए प्रमाण पत्र एवं डिप्लोमा के साथ अनुभवी टीम है. स्वामित्व वाला व्यापारिक डेस्क निरंतर अंतरपणन एवं व्यापारिक अवसरों में संबद्ध रहता है.

13.2 ट्रेजरी का मुख्य उद्देश्य तरलता का प्रभावी ढंग से प्रबंध करना एवं विनियामक आरक्षित अनुपातों का पालन करना है. बैंक एक प्राधिकृत डीलर - श्रेणी - 1 के रूप में अपने ग्राहकों को विदेशी विनिमय से संबंधित सुविधाएं भी प्रदान करता है. बैंक अपने उत्पादों जैसे कि ब्याज दर स्वैप (आईआरएस), मुद्रा स्वैप, ब्याज दर वायदा, फॉरवर्ड्स और आवश्यकतानुसार ब्याज दर पूरा करने का विकल्प एवं अपने कॉर्पोरेट ग्राहकों की जरूरत के अनुसार विदेशी मुद्रा जोखिम न्यूनीकरण का प्रयोग कर अनुकूल समाधान प्रदान करता है.

13.3 बैंक को वर्ष 2018-19 हेतु कमीकाज़े बी2बी मीडिया द्वारा "कॉर्पोरेट ट्रेजरर ऑफ द ईयर" अवार्ड प्रदान किया गया.

## 14. आस्ति गुणवत्ता :

14.1 चुनौतीपूर्ण परिवेश के बावजूद, आपके बैंक ने वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 4509 करोड़ की नकद वसूली के अलावे ₹ 1938 करोड़ के खातों का उन्नयन किया. एनपीए प्रबंधन के लिए सुव्यवस्थित तरीके से तैयार कार्ययोजना के माध्यम से निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप गिरावट पर बेहतर नियंत्रण एवं कमी किया जाना संभव हो सका. वर्ष 2018-19 में एनपीए में उतार-चढ़ाव निम्नानुसार रहा:

| तालिका 7 : एनपीए की गतिविधियां | | |
|---|---|---|
| | | (₹ करोड़ में) |
| पैरामीटर | वित्त-वर्ष 2018-19 | वित्त-वर्ष 2017-18 |
| सकल एनपीए (प्रारंभिक) | 49370 | 33712 |
| जोड़े गए | 13577 | 21369 |
| कमी : घटाएं | 14218 | 5711 |
| (I) उन्नयन | 1938 | 400 |
| (II) वसूली | 4509 | 1835 |
| (III) राइट-ऑफ | 7771 | 3477 |
| सकल एनपीए (बंद) | 48729 | 49370 |
| शुद्ध एनपीए | 20332 | 24326 |

14.2 वसूली के प्रयासों को वर्गीकृत करने के लिए आपका बैंक सरफेसिया के अंतर्गत तुरंत कार्रवाई के साथ लोक अदालत में सक्रिय रूप से भागीदार रहा है. आपका बैंक अपने वसूली आर्सेनल में डिजिटल उपकरणों का प्रयोग कर रहा है. बैंक द्वारा निर्मित "यूनियन रिकवरी एप" ने क्षेत्र कर्मियों को एनपीए ऋणियों तक पहुँचने में प्रभावी रूप से सहायता की है. बैंक ने ऑनलाइन ओटीएस सुविधा भी प्रारम्भ की है, जो पात्र खातों के निपटान में तीव्रता से समाधान सुनिश्चित करेगी.

14.3 वित्त वर्ष 2017-18 के ₹ 21369 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2018-19 में स्लिपेज घटकर ₹ 13577 करोड़ हो गया. डिलिन्क्विंसी अनुपात वित्त वर्ष 2017-18 में 8.84 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 4.95 प्रतिशत हो गया है.

**14.4 सक्रिय निगरानी :**

14.4.1 **सीएमआरडी वेब पोर्टल का प्रारम्भ :** आपके बैंक ने क्रेडिट मॉनिटरिंग से संबंधित सभी मापदंडों पर शाखाओं/क्षेत्रीय कार्यालयों/क्षेमप्रका द्वारा डाटा प्राप्ति के लिए एकल बिन्दु स्त्रोत का वेब पोर्टल प्रारम्भ किया है. शाखाओं द्वारा प्रत्येक क्रेडिट मॉनिटरिंग मापदण्डों पर ऑनलाइन अद्यतन/प्रगति की रिपोर्टिंग की जा रही है.

14.4.2 **चूककर्ताओं की सूची का रखरखाव भंडारण, जिसमें 3.50 लाख से अधिक का रिकॉर्ड उपलब्ध :** इसमें जानबूझकर चूककर्ता, आरबीआई द्वारा एनबीएफ़सी के लाइसेन्स रद्द करना, आरबीआई मानदंडों के अंतर्गत पीबीओडी द्वारा जारी सतर्कता सलाह, सेंट्रल फ्रॉड रजिस्ट्री (सीएफ़आर) नियमों के चूककर्ता, एक्साइज एवं सेवा कर, आय कर, ईपीएफ़ओ, सेबी, शेल कंपनियाँ एवं सभी एमसीए डाटा इसमें शामिल हैं. इसमें चूककर्ता निदेशकों एवं कंपनी सचिवों के लिए एक उप-टैब भी है.

14.4.3 **सुधारात्मक मॉनिटरिंग से निवारक मॉनिटरिंग में परिवर्तित दृष्टिकोण:** आपके बैंक ने संभावित दवाबग्रस्त आस्तियों (पीएसए) की धारणा को उधार खाते और पीएसए के समाधान/सक्षम निगरानी द्वारा प्रारम्भिक दवाबग्रस्त संकेतक के आधार पर प्रारम्भ किया है. समाधान समिति का गठन: सभी क्षेत्रीय कार्यालय/क्षेमप्रका एवं केंद्रीय कार्यालय में भी पीएसए/एसएमए खातों के समाधान के लिए इसका गठन किया गया है.

14.4.4 **बड़े ऋणियों के खातों की निगरानी के लिए विशेष कक्ष का गठन:** आपके बैंक ने बड़े ऋणियों के खातों की निगरानी के लिए दो विशेष कक्षों का निर्माण किया है. एक ₹ 100 करोड़ से ₹ 250 करोड़ के कुल एक्सपोजर के अग्रिम के लिए एवं दूसरा ₹ 250 करोड़ से अधिक के कुल एक्सपोजर के लिए.

**15 संपदा प्रबंधन :**

15.1 आपके बैंक ने वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान कई नए उत्पाद एवं नई पहल आरंभ की है, जिसमें "यूनियन सुरक्षा कवच (बजाज एलांयज जनरल इंश्योरेंस कं. लि. के सहयोग से) एवं सामूहिक स्वास्थ्य बीमा उत्पाद (चोला एसएम के सहयोग से) शामिल हैं.

| तालिका 8 : वर्ष 2018-19 के दौरान तृतीय पक्ष उत्पाद कारोबार से प्राप्त आय | | | |
|---|---|---|---|
| | | | (₹ करोड़ में) |
| कारोबार पैरामीटर | 31.03.19 | 31.03.18 | % वृद्धि |
| जीवन बीमा | 84.71 | 71.33 | 18.7% |
| गैर जीवन बीमा | 13.43 | 9.37 | 43.4% |
| स्वास्थ्य बीमा | 10.95 | 8.49 | 28.9% |
| म्युचुअल फंड | 17.20 | 19.31 | -10.9% |
| कुल | 126.30 | 108.50 | 16.4% |

15.2 आपके बैंक ने कारोबार को बढ़ाने के लिए कई नई पहल की हैं, जिसमें (i) एलसीवी, एमएसएमई, एमसीवी, पीबीओडी, आरबीडी, सीएजी जैसे अन्य कारोबारी वर्टिकल की क्षमताओं का उपयोग करते हुए लीड्स प्राप्त करना और उनके आवश्यकतानुसार उत्पाद तैयार करना (ii) विद्यमान ग्राहकों के साथ-साथ "बैंक के नए" ग्राहको को बीमा एवं निवेश उत्पादों की क्रॉस सेलिंग करना. (iii) ग्राहक द्वारा प्राप्त किए गए तृतीय पक्ष उत्पादों की संख्या में वृद्धि करना (iv) सहायक सेवाएं विभाग के समन्वय से बैंक के एजेंसी कोड के अधीन बैंक की आस्तियों का बीमा. (v) इंटरनेट बैंकिंग एवं मोबाइल एप के माध्यम से बीमा एवं म्युचुअल फंड उत्पादों की खरीद का विकल्प उपलब्ध कराना. (vi) उत्पादों में दी जा रही सुविधाओं को बढ़ाकर नए उत्पाद आरंभ करना. (vii) बीमा एवं म्युचुअल फंड के अधीन शाखाओं के माहवार कार्यनिष्पादन का प्रभावी अनुश्रवण करना. (viii) बैंक के सोशल मीडिया प्लेटफार्म और ई-लर्निंग टूल्स के अधिकतम उपयोग और विषय आधारित प्रमोशनल गतिविधियों के द्वारा विभिन्न तृतीय पक्ष उत्पादों के बारे में जानकारी प्राप्त करना एवं जागरुकता पैदा करना.

**16. सरकारी कारोबार:**

16.1 सरकारी कारोबार से आय पिछले 3 वर्षों में ₹ 27 से ₹ 50 करोड़ हो गयी, जो 20.9 प्रतिशत का सीएजीआर है.

**16.2 सरकारी कारोबार को बढ़ाने के लिए की गयी नयी पहल :**

16.2.1 **एनपीएस खाता :** आपके बैंक ने ग्राहकों को ऑनलाइन एनपीएस खाता खोलने एवं अंशदान जमा करने, ग्राहकों को वैकल्पिक चैनलों में शिफ्ट करने और डिजिटाइजेशन के द्वारा नए ग्राहक जोड़ने आदि जैसी सुविधाएं आरंभ की हैं. ग्राहकों के खाता खोलने की प्रक्रिया को तेज

बनाने हेतु आपके बैंक ने सीबीएस में प्रान लाइब्रेरी कार्यान्वयन के माध्यम से तुरंत प्रान प्राप्त करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई है.

16.2.2 **सुकन्या समृद्धि खाता (एसएसए) :** आपके बैंक ने बैंक की इंटरनेट बैंकिंग सुविधा के माध्यम से ऑनलाइन सुकन्या समृद्धि खाता (एसएसए) खोलने की सुविधा प्रदान की है. साथ ही इसमें, टैक्स के उद्देश्य से ऑनलाइन खाता विवरण प्राप्त करने और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) खाते की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त करने की सुविधा भी प्रदान की गयी है.

## 17 मानव संसाधन प्रबंधन

17.1 आपका बैंक सर्वश्रेष्ठ मानव संसाधन प्रैक्टिस लागू करने में अग्रणी रहा है और अपने जनबल को हर चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम बनाने में बढ़-चढ़ कर निवेश करता है, जिससे कॉर्पोरेट लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके. मानव संसाधन की अवधारणा को मजबूती प्रदान करने के लिए इस वर्ष, एचआर विज़न, मिशन एवं नैतिक मूल्यों को परिभाषित किया गया, जो कर्मचारियों के बीच उत्साहवर्धक वातावरण तैयार करने और उनकी योग्यताओं और क्षमताओं का पूरा उपयोग करने में पथ-प्रदर्शक सिद्धान्त के रुप में उपलब्ध रहेगें. आपके बैंक ने अपना भी एचआर विज़न निर्धारित किया है कि वह "सर्वश्रेष्ठ रोजगार अनुभव प्रदान करने में एक ऐसा बैंक बने, जिसका अन्य अनुसरण करें".

17.2 **बैंक का कुल जनबल :** 31 मार्च 2019 को बैंक का कुल जनबल 37262 था.

तालिका 9 : जनबल

| वर्ष | अधिकारी | | लिपिक | | अधीनस्थ स्टाफ | | कुल | | कुल स्टाफ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | पुरुष | महिला | पुरुष | महिला | पुरुष | महिला | पुरुष | महिला | |
| 2017-18 | 16215 | 5019 | 8716 | 3267 | 3734 | 636 | 28665 | 8922 | 37587 |
| 2018-19 | 16557 | 5215 | 8503 | 3211 | 3202 | 574 | 28262 | 9000 | 37262 |

17.3 **जॉब फैमिली के द्वारा विशेषज्ञता हासिल करना :** आपके बैंक ने कार्यस्थल पर विशेषज्ञों की पदस्थी एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए जॉब फेमिली योजना आरंभ की है. कर्मचारियों को उनकी शैक्षिक योग्यता एवं चयनित क्षेत्र में उनके योगदान के आधार पर उनकी रुचि के क्षेत्र में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है. इस पहल से कोर बैंकिंग कार्यों के लिए विशिष्ट ज्ञान वाले विशेषज्ञ अधिकारियों का एक पूल तैयार करने में मदद मिलेगी.

17.4 **विद्वत्ता और क्षमता विकास :** आपके बैंक ने विद्वत्ता एवं शिक्षण तकनीकों के विकास में नई पहल की है. इसने ई-लर्निंग के माध्यम से एक ऐसा प्लेटफार्म अपने कर्मचारियों को उपलब्ध कराया है, जिससे वे कहीं से और किसी भी समय ज्ञानार्जन कर सकते हैं. बैंक ने अपनी ई-लर्निंग पहल के माध्यम से विभिन्न कार्यों से जुड़े हुए स्टाफ सदस्यों के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए हैं, जिससे उनके ज्ञान और क्षमता को निरंतर समृद्ध किया जा सके. हमारा प्रशिक्षण तंत्र बैंकिंग क्षेत्र में हो रहे परिवर्तनों को शामिल करते हुए लगातार नए प्रशिक्षण माड्यूल तैयार कर रहा है.

17.5 वित वर्ष 2018-19 के दौरान, 814 इन-हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रमों, 197 लोकेशनल प्रशिक्षण कार्यक्रमों और 68 कार्यशालाओं के माध्यम से 28950 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया, जबकि 548 स्टाफ विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु बाहरी संस्थाओं में भेजे गए, जिससे वे विभिन्न उद्योगों के बारे में अपने ज्ञान को और संवार सकें. क्रेडिट, फारेक्स, कृषि, ऋण अनुश्रवण/वसूली, सूचना प्रौद्योगिकी आदि विषयों को केन्द्रित करते हुए 26 नए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए. जनबल में व्याप्त विविधताओं को ध्यान में रखते हुए और दिव्यांग कर्मचारियों को समान अवसर प्रदान करते हुए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए.

17.6 **यूनियन भविष्य :** बैंक का अत्यंत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट - यूनियन भविष्य, जिसके द्वारा वित वर्ष 2017-18 में भावी लीडरों के लिए लीडरशीप डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम के अधीन 1000 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया था, में वित वर्ष 2018-19 दौरान 294 अन्य अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया. इसमें महिलाओं में लीडरशिप क्षमता विकसित करने के लिए महिला अधिकारियों का एक विशेष बैच भी शामिल है.

## 18. शाखा नेटवर्क

18.1 दिनांक 31 मार्च 2019 को आपके बैंक का शाखा नेटवर्क 4,292 शाखाओं में पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ है, जिसमें से 59 प्रतिशत शाखाएं ग्रामीण एवं अर्धशहरी क्षेत्रों में स्थित हैं.

तालिका 10 : 31-03-2019 को शाखा का नेटवर्क

| | ग्रामीण | अर्ध -शहरी | शहरी | मेट्रो | विदेशी | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कुल शाखाएं | 1249 | 1287 | 848 | 904 | 4 | 4292 |
| शाखाएं (%) | 29 | 30 | 20 | 21 | - | |

## 19. डिजिटल नेटवर्क को बढ़ाने के उपाय

19.1 आपके बैंक के डिलीवरी चैनल का पूरे भारतवर्ष में समुचित विस्तार है. आपके बैंक ने चैनलों के कई विकल्प प्रदान किए हैं, जिसमें परंपरागत शाखाओं के अलावा मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल वालेट और 24x7 काल सेंटर शामिल हैं और यह निरंतर नए उत्पादों का आरंभ कर डिलीवरी चैनलों का विस्तार करने के लिए प्रयासरत है.

19.2 आपका बैंक ग्राहकों को बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को अपना रहा है, जिसमें कैश रीसाइक्लर मशीनें, बंच नोट एक्सेप्टर, पॉस, भीम आधार, कैशलेस केंपस, चेक डिपॉज़िट मशीन, सेमी ऑटोमैटिक पास बुक प्रिंटर और डिजीपर्स अत्यादि शामिल हैं. वित वर्ष 2018-19 के दौरान, बैंक ने 35 नई ई-लॉबी खोली हैं, जहां रात-दिन, सात-दिन ग्राहकों को ऑटोमेटेड बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध रहती हैं.

| तालिका 11 : डिजिटल चैनलों में वृद्धि (वास्तविक इकाई) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | (₹ करोड़ में) |
| चैनल | 31.03.19 | 31.03.18 | वार्षिक वृद्धि | |
| | | | वास्तविक | (%) |
| *एटीएम+माइक्रो एटीएम | 12236 | 13049 | -813 | -6.23% |
| जिसमें से कैश रीसाइक्लर मशीन एवं बंच नोट एक्सेप्टर | 1041 | 1016 | 25 | 2.5% |
| पॉस/मीम आधार | 68635 | 61401 | 7234 | 11.8% |
| ई-लॉबी | 236 | 201 | 35 | 17.4% |
| कैशलेस कैंपस | 230 | 152 | 78 | 51.3% |
| सेमी आटोमेटिक पास बुक प्रिंटर | 2512 | 1375 | 1137 | 82.7% |
| चेक डिपॉज़िट मशीन | 574 | 574 | - | - |
| डिजीपर्स | 305465 | 279911 | 25554 | 9.1% |

* कम हिट होने/अलाभप्रद होने के कारण एटीएम बंद किए गए.

**नयी पहल**

19.3 **नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड:** यह एक नए प्रकार का प्रारम्भ किया गया कार्ड रुपे क्यूस्पार्क (क्विक स्पेसिफिकेशन फॉर पेमेंट एप्लिकेशन ऑफ रुपे चिप) पर आधारित है जो सरकार की पहल नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) को मूर्त रूप देने के लिए प्रारम्भ किया गया है.

19.4 **कॉम्बो कार्ड:** कॉम्बो कार्ड एक टू-इन-वन कार्ड है जो कार्डधारक को उपयुक्त, लचीलापन एवं डेबिट/क्रेडिट सुविधा के लिए एक भौतिक कार्ड चुनने की सुविधा प्रदान करता है तथा जिसमें कार्डधारक को दो कार्ड रखने की आवश्यकता नहीं होती है. कॉम्बो कार्ड विशेष रूप से कॉर्पोरेट, वेतनभोगी एवं पेशेवर श्रेणी के ग्राहकों के लिए तैयार किया गया है, जिनकी मासिक वेतन आय होती है एवं जिन्हें व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए क्रेडिट कार्ड की भी जरूरत होती है.

19.5 **नेशनल इलेक्ट्रोनिक टोल कलेक्शन (यूनियन बैंक फास्टैग) :** नेशनल इलेक्ट्रोनिक टोल कलेक्शन (एनईटीसी) प्रणाली टोल प्लाज़ा पर चलते हुए वाहनों से इलेक्ट्रोनिक रूप से टोल एकत्र करता है. एनईटीसी के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक तकनीक, जो आरएफ़आईडी पर आधारित है, फास्टैग कहा जाता है. फास्टैग को वाहनों के विंडस्क्रीन पर लगा दिया जाता है और चालक को टोल प्लाज़ा के माध्यम से बिना नकद लेनदेन के ड्राइव करने में सक्षम बनाता है. टैग प्रीपेड खाते से जुड़ा होता है और वाहन के चालक को उसकी आवश्यकता के अनुसार रिचार्ज/टॉप अप करना होता है.

19.6 **वीसा सिग्नेचर डेबिट कार्ड :** आपके बैंक ने विशेष ग्राहकों के लिए वीसा सिग्नेचर कांटैक्टलेस डेबिट कार्ड प्रारम्भ किया है.

19.7 **ऑनलाइन डेबिट कार्ड एप्लिकेशन :** ग्राहकों को नए कार्ड के आवेदन अथवा विद्यमान कार्ड को बदलने में सक्षम बनाने के लिए ऑनलाइन डेबिट कार्ड एप्लिकेशन प्रारम्भ किया गया है. ग्राहक शाखा गए बिना ही अपनी पसंद के अनुसार डेबिट कार्ड हेतु आवेदन कर सकता है. यह सुविधा बैंक के कॉर्पोरेट वेबसाइट के माध्यम से प्रदान की गयी है.

19.8 **न्यू यूमोबाइल :** बैंक ने वर्धित विशेषताओं एवं कार्यक्षमताओं के साथ मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन के नए वर्जन को प्रारम्भ किया है. यह एक ऑल-इन-वन एप्लिकेशन है जिसके माध्यम से ग्राहक अनेक प्रकार की सुविधाएं जैसे - मियादी एवं आवर्ती जमा खाते खोलना/बंद करना, शेषराशि की जानकारी, संक्षिप्त विवरण, निधि-अंतरण (बैंक में एवं बैंक के बाहर), यूपीआई, बिल भुगतान, मोबाइल रिचार्ज इत्यादि प्राप्त कर सकते हैं.

**20. जोखिम प्रबंधन - जोखिम पहचान एवं उसे कम करने के लिए एक अग्रसक्रिय दृष्टिकोण :**

20.1 जोखिम प्रबंधन के प्रति आपका बैंक अग्रसक्रिय रहा है. जोखिम के बारे में बैंक की सोच अपनी जोखिम क्षमता और नियामक फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए एक स्वस्थ्य पोर्टफोलियो विकसित करना एवं उसे बनाए रखना है. आपका बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयासरत है कि हमारा कारोबारी कार्य जोखिम प्रबंधन से कदम से कदम मिलाकर चले, जिससे शेयरधारकों के मूल्य में वृद्धि हो और उपलब्ध पूंजी का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जा सके.

20.2 जोखिम प्रबंधन बैंक में विभिन्न जोखिमों के प्रबंधन के लिए उच्च कार्यपालकों की परिचालन स्तरीय समिति द्वारा शीर्ष स्तर पर समर्थित जोखिम प्रबंधन पर बोर्ड की पर्यवेक्षी समिति एवं आस्ति देयता प्रबंधन के साथ बोर्ड से नियंत्रित है. बैंक का निदेशक मंडल बैंक की जोखिम नीतियाँ एवं जोखिम रणनीति को अनुमोदन प्रदान करता है. एससीआर एवं एएलएम, जोखिम रणनीति एवं नीतियों के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करता है, जोखिम के स्तर एवं दिशा की समीक्षा करता है, अधिकतम निर्धारित सीमा, पोर्टफोलियो विविधिकरण एवं जोखिम रिपोर्टिंग का अनुश्रवण करता है. जोखिम रणनीतियाँ एवं नीतियाँ बैंक की सभी शाखाओं एवं कार्यालयों को प्रभावी तौर पर संप्रेषित की जाती हैं.

20.3 आपका बैंक ऋण, मार्केट एवं परिचालन जोखिम को उपयुक्त नीतियों, संघटन संरचना, जोखिम प्रबंधन तकनीकों, उपयुक्त प्रणालियों, प्रक्रियाओं, अनुश्रवण एवं रिपोर्टिंग तंत्रों से जोडते हुए ध्यान केंद्रित करता है. इसकी सुपरिभाषित जोखिम वहन क्षमता एवं स्वतंत्र जोखिम कार्य हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि बैंक अपनी जोखिम वहन क्षमता के अंदर परिचालन करता करे.

**20.4 ऋण जोखिम प्रबंधन :**

20.4.1 **ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी)**: सीआरएमसी बैंक के ऋण जोखिम कार्य का पर्यवेक्षण करता है. अपनी आस्ति गुणवत्ता प्रबंधन उद्देश्य के अनुरूप, बैंक अनुशासित ऋण जोखिम प्रबंधन के माध्यम से एक सुदृढ़ आस्ति गुणवत्ता बनाए रखने का प्रयास करती है. बैंक के पास पहचान, मापन एवं अनुश्रवण के नियंत्रण हेतु सुदृढ़ ऋण मूल्यांकन एवं जोखिम निर्धारण प्रणाली है. बैंक के पास ऋण जोखिम प्रबंधन के लिए विभिन्न साधन हैं, जिसमें ऋण जोखिम प्रबंधन नीतियाँ, ऋण अनुमोदन समिति, विवेकपूर्ण ऋण सीमाएं, जोखिम रेटिंग प्रणाली, जोखिम आधारित कीमत एवं संविभाग प्रबंधन शामिल है.

20.4.2 आपके बैंक के पास रिटेल एवं कॉर्पोरेट ऋण जोखिम मूल्यांकन के लिए

सुपरिभाषित आंतरिक रेटिंग/स्कोरिंग मॉडल है. साथ ही, बैंक ने रेटिंग गुणवत्ता में सुधार लाने, रेटिंग मॉडलों के बेहतर प्रशासन के लिए सशक्त रेटिंग डाटाबेस बनाने हेतु केंद्रीय कार्यालय स्तर पर केंद्रीकृत रेटिंग पूल की स्थापना की है. जोखिम मूल्यांकन के बेहतर प्रशासन के लिए, केंद्रीकृत रेटिंग पूल शाखा स्तर पर तैयार किए गए कॉर्पोरेट लेनदारों की रेटिंग के निर्धारण को अंतिम रूप देने का कार्य करता है.

20.4.3 बैंक ने सभी अग्रिमों के लिए बैंक की मानकीकृत एवं पूर्ण परिभाषित अनुमोदन प्रक्रिया अपनाई है, जिसमें ऋण मंजूरी हेतु समिति आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाता है एवं विभिन्न स्तरों पर ऋण अनुमोदन समितियां कार्यरत हैं.

20.4.4 **आरडबल्यूए संगणना पद्धति:** ऋण एवं अग्रिम के लिए क्रेडिट आरडबल्यूए की गणना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानकीकृत तरीकों द्वारा की जाती है.

**20.5 बाजार जोखिम प्रबंधन:**

20.5.1 **आस्ति देयता समिति (अलको):** अलको, बैंकिंग एवं ट्रेडिंग कारोबार में बैंक जोखिम को कम करने के लिए आस्ति देयता प्रबंधन नीति, ट्रेजरी नीति एवं बाजार जोखिम नीति प्रस्तुत करती है. आस्ति देयता प्रबंधन समिति की नियमित बैठकें होती हैं, जो विभिन्न आस्तियों एवं देयताओं की मात्रा, संमिश्र अवधि, मूल्य एवं संरचना के बारे में समीक्षा करती है. आस्ति देयता प्रबंध समिति आस्तियों और देयताओं का मूल्य-निर्धारण भी करती है. अलको तरलता एवं ब्याज दर जोखिम की पहचान, माप, अनुश्रवण एवं प्रबंधन करती है. बाज़ार जोखिम प्रबंधन के जरिये, बैंक सक्रिय तरलता प्रबंधन सुनिश्चित करता है, दबावग्रस्त परिदृश्य परिकल्पित करता है और साथ ही बैंक के लिए आकस्मिक निधि योजना बनाता है.

20.5.2 **तरलता प्रबंधन रणनीतियाँ:** आपके बैंक ने तरलता मानक पर बासल III के ढांचे के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार तरलता जोखिम प्रबंधन को अंगीकृत किया है. बैंक तरलता जोखिम को तरलता कवरेज अनुपात एवं संरचनात्मक स्थिति का अनुश्रवण दैनिक आधार पर करता है.

20.5.3 **बाजार जोखिम पूंजी प्रभार संगणना पद्धति:** बाजार जोखिम पूंजी का मापन मानकीकृत तरीके (एसएमएम) से किया जाता है.

**20.6 परिचालन जोखिम प्रबंधन:**

20.6.1 परिचालन जोखिम के प्रबंधन हेतु बैंक व्यापक प्रक्रियाओं एवं पद्धतियों, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और लेखापरीक्षा का प्रारंभिक साधनों के रूप में प्रयोग करता है. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति है. बैंक द्वारा प्रस्तुत सभी नए उत्पादों में परिचालन जोखिम संबंधी मामलों की पहचान, जांच और समाधान के लिए सभी नए उत्पादों को नव-उत्पाद अनुमोदन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है. वर्तमान उत्पादों में बदलाव एवं साथ ही आउटसोर्सिंग गतिविधियों में जोखिमों की भी समीक्षा की जाती है. आपके बैंक ने विगत तेरह वर्षों के दौरान परिचालनगत हानियों से संबंधित आंकड़ों का समेकन किया है तथा सुधारात्मक कदम उठाने हेतु उनका विश्लेषण किया है, ताकि आगे ऐसी हानियों की पुनरावृति न हो. स्व-मूल्यांकन में जोखिम एवं नियंत्रण (आरसीएसए) के संचालन हेतु प्रक्रिया भी उपलब्ध है, जिससे कि बैंक के विभिन्न उत्पादों की प्रक्रिया में, शेष जोखिमों का निर्धारण किया जा सके. विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए मुख्य जोखिम संकेतकों की पहचान की गयी है एवं प्रारंभिक सीमा निर्धारित की गयी है.

20.6.2 आपका बैंक वर्तमान में परिचालन जोखिम के अंतर्गत, पूंजी संगणना के लिए, मूल संकेतक दृष्टिकोण अपना रहा है. बैंक ने मार्च 2015 से समानान्तर आधार पर, परिचालन जोखिम के लिए, "मानकीकृत एप्रोच" (टीएसए) अपनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त किया है. हालांकि, समानांतर आधार पर बैंकों के लिए परिचालन जोखिम पूंजी प्रभार, संगणना के प्रस्तुतीकरण को बंद करने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिशानिर्देश जारी किए हैं. बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति के बासल III ढांचे के/में पुनरीक्षण के कारण, परिचालन जोखिम के मापन के लिए "मानकीकृत मापन एप्रोच" को प्रस्तावित किया है. बैंक इस अप्रोच का प्रयोग करेगा, जब विनियामक द्वारा आवश्यक दिशानिर्देश जारी हो जाएगें. तब तक मूल संकेतक दृष्टिकोण द्वारा ही परिचालन जोखिम के अंतर्गत पूंजी प्रभार की गणना करनी जारी रहेगी.

20.6.3 एक अच्छे कॉरपोरेट गवर्नेंस उपाय के तौर पर, बैंक ने अपने कार्य-संचालन में, अधिक पारदर्शिता रखने के लिए, प्रकटीकरण नीति बनाई है. कारोबार निरंतरता योजना (बीएसपी) की महत्ता को पहचानते हुए, व्यापारिक अव्यवस्था एवं प्रणालीगत असफलता के विपरीत प्रभावों को कम करने के लिए, बैंक ने बीसीपी नीति लागू की है, जो उसके स्टाफ, ग्राहकों एवं आस्तियों के हित को बचाने के लिए, अव्यवस्थित माहौल के अंतर्गत एक विस्तृत जवाबी विवरण देता हुआ, ब्लू प्रिंट प्रदान करता है.

**20.7 समूह जोखिम प्रबंधन**

20.7.1 हमारे बैंक ने विविध वित्तीय सेवाओं जैसे बैंकिंग, प्रतिभूतियाँ एवं पूंजी बाजारों, बीमा एवं रिटेल आस्ति व्यापारों में भाग लिया है. बैंक ने प्रतिष्ठित बाहरी परामर्शदाता की सहायता के साथ सामान्य एवं दबावग्रस्त स्थितियों के अंतर्गत अपनी सामूहिक इकाईयों, आंतरिक नियंत्रणों एवं न्यूनीकरण उपायों एवं पूंजी निर्धारण में जोखिमों के निर्धारण के लिए एक ढांचा/नीति प्रस्तुत की हैं. बैंक अपनी समूह जोखिम प्रबंधन नीति के माध्यम से समूह-वार अप्रोच लागू करने की ओर अग्रसर है, ताकि कारोबार संचालन में जोखिम के प्रमुख पहलुओं, जो सभी कारोबार समूहों को प्रभावित करते हैं, को सुनिश्चित करने पर ध्यान दिया जा सके. तदनुसार, बैंक द्वारा सामान्य तथा तनावग्रस्त स्थितियों में अपने समूह प्रतिष्ठानों, आंतरिक नियंत्रणों तथा मिटीगेशन उपायों, पूंजी आकलन हेतु व्यवस्थित नीति लागू करने की प्रक्रिया शुरू की गयी है.

**20.8 धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन**

20.8.1 बैंक की बोर्ड द्वारा अनुमोदित धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति है. बैंक की आंतरिक धोखाधड़ी समीक्षा परिषद धोखाधड़ी के सभी मामलों की जांच करती है और सुदृढ़ प्रणाली और प्रक्रियाएँ बनाए रखने के लिए सुधारात्मक उपाय, सुझाव जिनका कार्यान्वयन किया जा सकता हो, के लिए विभाग को कार्ययोजना सुझाए जाते हैं. बोर्ड को ₹ 1.00 लाख या उससे अधिक राशि के सभी धोखाधड़ी मामलों की रिपोर्टिंग के अलावा,

बैंक ₹ 1 करोड़ के या उससे अधिक राशि के धोखाधड़ी मामलों की रिपोर्टिंग बोर्ड की विशेष अनुश्रवण समिति को करता है.

20.8.2 हमारे बैंक ने उद्यम-वार धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन सोल्युशन (ईएफ़आरएम) के अंतर्गत सूचना मॉड्यूल (सीबीएस/ट्रेजरी लेनदेन) चालू की है, जिसके द्वारा संदिग्ध/धोखाधड़ीपूर्ण लेनदेनों पर पूरी नजर रखी जा सके एवं धोखाधड़ी की जल्द पहचान करके एवं रोकथाम सुनिश्चित करने की सोच विकसित की जा सके. अन्य मॉड्यूलों, अर्थात आरएसए (मोबाइल बैंकिंग/इंटरनेट बैंकिंग लेनदेनों) एवं धोखाधड़ी नेवीगेटर (कार्ड लेनदेन) चरणबद्ध ढंग से लागू होंगे.

## 21 अनुपालन

21.1 आपके बैंक ने एक सुदृढ़ अनुपालन प्रणाली अच्छी तरह से दस्तावेजीकृत अनुपालन नीति के साथ कार्यान्वित की है. अनुपालन कार्य का मुख्य उद्देश्य विनियामक अनुपालन, सांविधिक अनुपालन, सही अभ्यास कोडों के अनुपालन एवं स्वयं विनियामक संगठनों द्वारा अन्य निर्धारित/प्रस्तावित कोड, सरकारी नीतियों, बैंक की आंतरिक नीतियों एवं धनशोधन से बचाव एवं गैर कानूनी गतिविधियों की फंडिंग से बचाव आदि का पालन करना है.

21.2 आपके बैंक ने अनुपालन पैकेज विनियामकों/मंत्रालयों से प्राप्त संप्रेषणों के अनुश्रवण, नियंत्रण एवं अनुवर्ती कार्रवाई के लिए बनाया है. आवधिक अनुपालन टेस्ट चेक आवश्यक दिशानिर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए है. अनुपालन कार्य की भूमिका एवं ज़िम्मेदारी बैंक के हर टायर में स्पष्ट की गयी है. आपके बैंक के पास विनियामक एवं सांविधिक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए स्वप्रमाणन प्रक्रिया के द्वारा एक सुस्थापित रिपोर्टिंग प्रणाली है, अनुपालन प्रमाणपत्र शाखाओं द्वारा उच्च कार्यालयों को प्रस्तुत किया जाता है.

## 22 लेखापरीक्षा

22.1 आपके बैंक ने जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा, प्रबंधन लेखापरीक्षा, समवर्ती लेखापरीक्षा, सूचना सुरक्षा लेखापरीक्षा एवं विदेशी शाखा लेखापरीक्षा के संबंध में एक सुपरिभाषित लेखापरीक्षा नीति, जिसकी बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है.

22.2 वर्ष के दौरान 3897 शाखाओं के लक्ष्य के पेटे 3978 शाखाओं की नियमित लेखापरीक्षा एवं आईएस लेखापरीक्षा संचालित की गयी. "अधिक जोखिम" वाली शाखाओं की संख्या वित्तीय वर्ष 2017-18 में 210 से घटकर वित्तीय वर्ष 2018-19 में 58 शाखाओं तक हो गयी है. ₹ 131.34 करोड़ आयक्षरण की पहचान की गयी है, हालांकि कोई भी शाखा "अत्याधिक जोखिम" वाली शाखा में रेट नहीं की गयी है एवं एक शाखा जिसका नाम लबीपेट शाखा है को "बहुत अधिक जोखिम" के अंतर्गत रेट किया गया है.

22.3 ऑफसाइट अनुश्रवण प्रणाली को नए बनाए गए सॉफ्टवेयर के कार्यान्वयन के साथ केंद्रीय ओएमसी (ऑफ साईट मॉनिटरिंग सेल) एवं क्षेत्रीय ओएमसी दोनों ही स्तर पर सुधारा गया है. आपके बैंक ने मार्च 2019 में आंतरिक लेखापरीक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया, ताकि लेखापरीक्षा विभाग में कार्यरत लगभग 100% लेखापरीक्षकों को कार्यनिष्पादन मूल्यांकन के साथ कवर किया जा सके.

22.4 बोर्ड निदेशकों की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) वर्ष के दौरान 12 बार मिल चुकी है एवं कार्यपालकों की लेखापरीक्षा समिति (एसीई) वर्ष के दौरान 6 बार मिल चुकी है.

22.5 आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष 2018-19 से सभी लेखापरीक्षकों को कवर करने वाले जैसे कि जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा, प्रबंधन लेखापरीक्षा, समवर्ती लेखापरीक्षा, सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा, करेंसी चेस्ट की लेखापरीक्षा, सेवा शाखा आदि लेखापरीक्षा को कवर करते हुए अप्रैल 2018 के प्रभाव से वेब आधारित लेखापरीक्षा सोल्युशन प्रयोग करना शुरू कर दिया है.

## 23 साइबर सिक्योरिटी

23.1 आपके बैंक में मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीसो) का पद है, जो सीधे बैंक के कार्यपालक निदेशक को रिपोर्ट करता है. आपके बैंक ने साइबर सिक्योरिटी कार्य के लिए 54 स्त्रोतों से अधिक की समर्पित दक्षता प्राप्त टीम को तैनात किया है. बैंक आईएसएमएस आईएसओ 27001 एवं बीसीएमएस आईएसओ 22301 प्रमाणित भी है. बैंक ने तकनीकी सिक्योरिटी सोल्यूशन्स बैंक को पूरी सक्रियता से दोनों नेटवर्क आंतरिक एवं साथ ही परिमाप में किसी भी असामान्यता को पहचानने में मदद करने के लिए लगाया गया है.

23.2 बैंक के साइबर सिक्योरिटी स्थिति के विकास को देखने के लिए आपके बैंक ने साइबर सिक्योरिटी गवर्नेंस संरचना जिसमें नीतियां एवं कार्यपालक स्तर एवं बोर्ड स्तर समितियां शामिल है, तैयार की है. आपके बैंक ने साइबर सिक्योरिटी नीति एवं सूचना सिक्योरिटी नीति भी तैयार की है और आपके बैंक ने साइबर एवं सूचना सुरक्षा के प्रत्येक क्षेत्र के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया विकसित की है. बैंक ने आकस्मिक कार्रवाई को संभालने के लिए साइबर प्ले बुक भी विकसित किया है.

23.3 **साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम (सीसीएसएपी):** आपके बैंक ने सीसीएसएपी कार्यक्रम अपने ग्राहकों एवं कार्मिकों के बीच साइबर सुरक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए किया गया है जिससे सम्पूर्ण साइबर लचीलापन बढ़ गया है.

**नई पहल:**

23.4 **साइबर सुरक्षा परिचालन केंद्र (सीएसओसी):-** आपके बैंक के पास साइबर खतरे के विरुद्ध महत्वपूर्ण बचाव व्यवस्था के तौर पर नैक्सट जेनरेशन समन्वित परिचालन केंद्र (एनजी आईओसी) शुरू किया है. इस केंद्र में रात दिन सात दिन (24*7) नैक्सट जेनरेशन साइबर सुरक्षा परिचालन केंद्र एवं बैंक के सूचना प्रोद्योगिकी परिचालन शामिल है. बैंक ने स्टेट ऑफ आर्ट तकनीक को साइबर सुरक्षा परिचालन केंद्र के परिसर पर अगले नैक्सट जेनरेशन 30 सुरक्षा सोल्युशन परिनियोजित एवं समन्वित कर स्थापित किया है. सीएसओसी बैंक के साइबर सुरक्षा अवस्था पर रात दिन सात दिन (24*7) एकल/केवल एक ही दृष्टिकोण प्रदान करता है.

23.5 **साइबर जोखिम बीमा:** आपके बैंक ने ₹ 325 करोड़ का साइबर देयता बीमा साइबर जोखिमों को कम करने के लिए लिया है.

23.6 **असुरक्षा/संवेदनशीलता मूल्यांकन एवं प्रबंधन (वीएएम) कार्यक्रम:** आपके बैंक ने एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया है जिसमें आंतरिक

एवं बाहरी महत्वपूर्ण एप्लिकेशन प्रणालियों एवं बैंक के आईटी ढांचा पद्धतियों के लिए असुरक्षा मूल्यांकन, पेनेट्रेशन परीक्षण, रेड टीम एवं थ्रेट हंटिंग अभ्यास शामिल हैं.

23.7 **साइबर थ्रेट हंटिंग कार्यक्रम:-** आपके बैंक ने साइबर थ्रेट हंटिंग कार्यक्रम स्थापित किया है एवं नियमित अवधि पर एक मॉक ड्रिल निष्पादित करता है. हैकर्स को पहचानने के लिए, यह बहुत आवश्यक है कि किसी भी संदेहजनक गतिविधि को पहचानने, समझने एवं साइबर अटैक से उबरने लिए विभिन्न सुरक्षा प्रणालियों के लॉग का विश्लेषण करना बहुत ही जरूरी है. थ्रेट हंटिंग एक ऐसी सक्रिय साइबर बचाव गतिविधि है, जिसको विभिन्न सुरक्षा प्रणालियों एवं नेटवर्क लॉग के एसे अग्रिम थ्रेट को पहचानने एवं अलग करने के लिए विश्लेषण किया जाता है, जो विद्यमान सुरक्षा सोल्युशन की पकड़ में नहीं आता.

**24 तकनीकी उन्नयन:**

24.1 आपके बैंक का सूचना प्रोद्योगिकी वर्टिकल ग्राहक की पूर्ण संतुष्टि के लिए, सभी सेवाओं की वक्त पर एवं त्रुटि मुक्त वितरण को सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करता हैं. सूचना प्रोद्योगिकी मॉडर्न बैंकिंग को नए विचारों, सफल नयी पद्धति एवं तीव्र, भरोसेमंद एवं समस्या मुक्त बैंकिंग अनुभव को पूरा करता है. आपका बैंक साथ ही पर्याप्त एवं नवीन तरीके, अत्याधुनिक प्रोद्योगिकी एवं गतिशील जनबल के साथ ग्राहकों के लिए बैंकिंग आसान बनाने के उपाय अपना रहा है. बैंक ग्राहकों के महत्व को अधिक बढ़ाने के लक्ष्य के साथ बैंकिंग की तरफ नवीन दृष्टिकोण के साथ काम कर रहा है.

24.2 आपके बैंक ने विशेषताओं से युक्त फिनेकल ई-बैंकिंग एप्लिकेशन को (फ़ेबा), ऑल इन वन मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन, साइबर सुरक्षा परिचालन केंद्र (सीएसओसी) कार्यान्वयन, ऑन-प्रेमाइसेज़ प्राइवेट क्लाउड के लिए डी आर ऑटोमेशन, डेबिट कार्ड के लिए ग्रीन पिन उत्पन्न करना, मुद्रा एवं कृषि ऋणों के लिए टैबलेट एप्लिकेशन, डाटा समृद्ध सुविधा के साथ केंद्रीकृत चेक ट्रंकेशन प्रणाली का कार्यान्वयन, ग्राहक अर्जन समूह के लिए मोबाइल एप्लिकेशन, 59 मिनटों में एमएसएमई ऋणों के सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन के लिए सिडबी से समन्वयन, वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान की गई मुख्य पहल हैं.

24.3 आपके बैंक ने कारोबार प्रक्रिया के डिजिटाइजेशन एवं प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपायों को अपनाया है जैसे कि शाखाओं/ प्रशासनिक कार्यालयों को मुफ्त वाई-फाई प्रदान करना, सभी शाखाओं के लिए न्यूनतम 2 एमबीपीएस की बैंडविड्थ एवं सभी कार्यालयों के लिए न्यूनतम 4 एमबीपीएस तक, वीसैट शाखाओं के लिए न्यूनतम 1 एमबीपीएस की "हाई-स्पीड" समर्पित बैंडविड्थ, सभी शाखाओं के लिए न्यूनतम 512 केबीपीएस के साथ वैकल्पिक एमपीएलएस कनेक्टिविटी, दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत केंद्रीकृत खाता खोलना, आवश्यक प्रबंधन का कार्यान्वयन, लेखापरीक्षा प्रबंधन, ऋण वसूली का एनपीए अनुश्रवण पोर्टल, टीआरईडीएस प्लैटफॉर्म का समन्वयन इनलैंड बिल निपटान करने के लिए, यूनियन ग्रीन कार्ड ग्राहकों को एसएमएस अलर्ट एवं गोल्ड ऋण नवीकरण, जो बैंकों को विभिन्न निर्बाध चैनलों से लक्षित उपभोक्ताओं को बेहतर उत्पादों को वितरित करने में सहायता करता है.

24.4 अब आपका बैंक सरल एवं सुखद शाखारहित अनुभव प्रदान करने के लिए कोर बैंकिंग सोल्युशन को अद्यतन करने की प्रक्रिया में है, तब बैंक यह भी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपाय कर रहा है कि ग्राहक बैंकिंग से रात दिन, सात दिन निर्बाध रूप से श्रेष्ठ मोबाइल एप्लिकेशन एवं गहन इंटरनेट बैंकिंग अनुभव के द्वारा विभिन्न सेवाएँ प्राप्त कर सकें. आज के समय में बैंकिंग विभिन्न तरह की चुनौतियों जैसे बदलते विनियमों, हमेशा बदलता हुआ तकनीकी माहौल, नए प्रतियोगी एवं ऊंची उम्मीदों वाले ग्राहकों का सामना कर रहा है.

24.5 **नई पहल:** कोर बैंकिंग एप्लिकेशन उन्नयन: अलग-अलग डिजिटल बैंकिंग परिदृश्य की गतिशीलता से समन्वयन के लिए, बैंक ने कोर बैंकिंग एप्लिकेशन उन्नयन को नए संस्करण जो एपीआई को डिजिटल भुगतान ईको-प्रणाली, ग्रीन डाटा केंद्र सुविधा का उन्नयन करने के लिए पहल की है ताकि इसके एनर्जी फुटप्रिंट को कम किया जा सके स्विफ्ट मैसेज की कुशलता से खोज के लिए ग्लोबल भुगतान नवोन्मेष का कार्यान्वयन एवं एमएसएमई ऋणों के प्रणाली आधारित प्रसंस्करण के लिए ऋण एप्लिकेशन मोड्यूल का उन्नयन.

24.6 **उद्यम डाटा वेयरहाउसिंग (ईडीडबल्यू):-** आपका बैंक उद्यम डाटा वेयरहाउसिंग (ईडीडबल्यू) के सांख्यिकी अनुश्रवण एवं कार्यान्वयन द्वारा संवर्धित डाटा-ड्राइवन निर्णय करने की तरफ जल्द परिवर्तित हो रहा है.

24.7 आपके बैंक ने ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम) एप्लिकेशन समन्वित सेवा अनुरोध प्रबंधन एवं बिक्री प्रबंधन के साथ विकसित जो शाखा उपयोगकर्ताओं को ग्राहक सेग्मेन्टेशन, धोखाधड़ी की पहचान एवं पोर्टफोलियो प्रबंधन के द्वारा शाखा उपयोगकर्ता को फैसला लेने के उपयुक्त बनाएगा.

24.8 आपके बैंक ने उच्च पारदर्शिता के साथ गवर्नेंस को सुधारने के लिए कदम उठाए हैं. बैंकिंग उद्योग पर परिष्कृत हमलों की बढ़ती हुई संख्या एवं बारंबारता व्यापक साइबर सुरक्षा कार्यक्रम को गवर्नेंस के सही स्तर, जोखिम एवं अनुपालन मानदंड के साथ कार्यान्वित की है.

24.9 कारोबार निरंतरता योजना एवं आपदा से बहाली प्रबंधन तैयारी नीति के भाग के तौर पर, बैंक के परिसरों पर प्राइवेट क्लाउड संरचना पर क्रिटिकल एप्लिकेशन के लिए डीआर ऑटोमेशन सोल्युशन कार्यान्वित किया है, अत: अत्यावश्यक स्थितियों में बैंक की तैयारी को प्रोत्साहन देता है.

**25 सतर्कता:**

25.1 सतर्कता संगठन में उत्कृष्टता लाने का एक आवश्यक टूल है क्योंकि यह परिचालन सुरक्षा एवं अनुशासन के साथ एक नैतिक माहौल बनाता है. बैंक में एक सुसंगठित सतर्कता प्रणाली है जो केंद्रीय सतर्कता कमीशन द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार है. बैंक का सतर्कता ढांचा, प्रणाली के साथ, कुशल अनुपालन के लिए एवं जमीनी स्तर पर, बैंक के दैनिक कामकाज की, प्रक्रियाओं के लिए, अलर्टनेस एवं जागरूकता के बोध को विकसित एवं पोषित करता है एवं प्रणालियों की कमजोरी को मिटाने के लिए एक मुख्य स्त्रोत के तौर पर कार्य करता है एवं जिसके चलते कारोबारी विकास के साथ भागीदारी करता है.

25.2 **सतर्कता जागरूकता पहल:**

आपके बैंक ने 1647 स्कूलों एवं 238 कॉलेजों में छात्रों एवं टीचरों के बीच भ्रष्टाचार मिटाने के संदेश को फैलाने के लिए, गतिविधियां संचालित की है, जिसमें 1,82,556 छात्रों ने भाग लिया है. निवारक सतर्कता संबंधी दौरों को तेज करने के लिए, सतर्कता विभाग ने वर्ष के दौरान छह नए क्षेत्रीय सतर्कता सेल खोलें हैं जिसमें सूरत, नागपुर, त्रिवेन्द्रम, विजयवाड़ा एवं आगरा, कोयंबटूर एवं इलाहबाद शामिल हैं. आपके बैंक ने असामान्य लेनदेन की सक्रिय पहचान के लिए ऑफसाइट निगरानी प्रणाली को प्रस्तुत किया है एवं इसी की फ्लैगिंग नियंत्रकों को उचित सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए की गयी है.

25.3 **"लेट्स बी अलर्ट" :** सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान आधार पर एक नई ज्ञान शृंखला "लेट्स बी अलर्ट" परिचालित की गई थी जिसमें विभिन्न संगठनों के विभिन्न केस स्टडीस एवं इसमें निहित ज्ञानवर्धक मदों की जानकारी बेहद सरल ढंग से दी गई है.

**26. परिदृश्य**

26.1 ऐसी अपेक्षा की जा रही है कि वर्ष 2019-20 में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होगी. ऐसी आशा है कि निजी उपभोग अपने मुख्य स्थान पर ही रहेगा और निवेश की गतिविधियों में वृद्धि होगी. बैंकिंग क्षेत्र धीरे-धीरे परिचालन में आयी बाधाओं से उभर रहा है इसका स्पष्ट प्रभाव गैर-निष्पादित ऋणों की वृद्धि में हुई कमी से पता चलता है. खराब ऋण के शीघ्र समाधान हेतु शामिल नई इंसोल्वेंसी एवं बैंकरप्सी लॉ तथा मशीनरी ने बैंक में वसूली प्रक्रिया को और प्रभावी बनाया है. इसके अलावा, सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों द्वारा हाल ही में प्राप्त किया गया केपिटल इंफ्यूशन तथा जिससे बैंक समुचित रूप से ऋण वृद्धि में आकर्षक प्रदर्शन की अपेक्षा कर रहा है, आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी. कॉर्पोरेट को दिया जाने वाले ऋण प्रवाह जो लम्बे समय से रुका हुआ था, में वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि होने की संभावना है. गत दो मौद्रिक नीति में निम्न घरेलू मुद्रास्फीति तथा बेंचमार्क रेपो दर में हाल में हुई कुल 50 आधार बिन्दु की कमी से अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार में तेजी आएगी तथा इससे बैंक के कारोबार वृद्धि में सहायता मिलेगी.

26.2 आपका बैंक इस अवसर का लाभ उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और साथ ही यह वृद्धि संबंधी कई पहल कर रहा है. आपके बैंक ने वृद्धि, लाभप्रदता और जोखिम प्रबंधन के लिए संतुलित कदम उठाएँ हैं. इस रणनीति ने आपके बैंक की मुख्य वित्तीय मानदंडों में निरंतर सुधार के साथ अपनी स्थिति को और सुदृढ़ करते हुए, एक सुदृढ़ जमा संविभाग, एक बड़ा एवं विस्तृत संवितरण नेटवर्क तथा यथेष्ट पूंजी स्थिति बनाने में सफलता पाई है, इस प्रकार से पिछले वर्ष में सुदृढ़ वृद्धि के लिए एक प्लैटफ़ार्म तैयार किया गया है. बैंक ने प्रोसैस रिडिजाइनिंग में पहले से ही विभिन्न उपाय किए हैं, जैसे बिक्री कार्यनिष्पादन में उन्नयन, विश्लेषण आधारित कैम्पेन प्रबंधन और डिजिटल चैनलों में सुधार करके अपने मार्जिन जेनरेट करने और पूंजी अपेक्षाओं को बढ़ाने के लिए, आपके बैंक ने लगातार अपनी आस्ति और देयता संविभाग का पुन:संतुलन किया है. आपका बैंक अपने विभिन्न हितधारकों के प्रति सार्थक आदर्शों के लिए वचनबद्ध है.

# कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट

**1. कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में बैंक की मान्यता :**

1.1 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया श्रेष्ठ कॉर्पोरेट गवर्नेंस कार्यान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध है. शेयरधारकों की संपदा वृद्धि और हितधारकों के हितों के संरक्षण के लिए बैंक ने अपने सभी स्तर के कार्यों में औचित्य, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के सिद्धांत को अत्यधिक महत्व प्रदान किया है.

1.2 बैंक स्वयं को अपने शेयरधारकों का ट्रस्टी मानता है और शेयरधारकों की संपदा सृजन करने और उसकी रक्षा करने की जिम्मेवारी स्वीकार करता है. आलोच्य वर्ष के दौरान बैंक कॉर्पोरेट कार्यनीति लागू करने और उसका अनुश्रवण करने, सुविचारित कारोबार योजना बनाने, बैंक के कारोबार की प्रमुख जोखिमों का अनुश्रवण करने तथा कानूनी एवं नैतिक जिम्मेदारियों के निर्वहन हेतु नीतियों और कार्यपद्धतियों के पालन के माध्यम से उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहा है.

1.3 उत्तम पद्धतियों को ध्यान में रखते हुए बैंक ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस की स्वैच्छिक संहिता तैयार की है. यह संहिता शीर्ष से ही अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की भावना का विकास करती है. इसमें मूलत: सभी हितधारकों के प्रति अपने कर्तव्यों के निर्वाह में बैंक में प्रचलित कार्यप्रणालियां सम्मिलित एवं प्रलेखित हैं, यथा :

- निदेशक मंडल एवं उसकी विभिन्न समितियों की कार्यप्रणालियां
- अनुपालन (विनियामक एवं पॉलिसी)
- शेयरधारकों के साथ संबंध
- बैंक एवं उसके निदेशकों द्वारा प्रकटन
- कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और
- अन्य विविध मामले जैसे आचार संहिता, आंतरिक व्यापार (इनसाइडर ट्रेडिंग) निषेध, संबंधित पक्ष संव्यवहार नीति, विसिल ब्लोवर नीति, स्टाफ संबंधी मामले, सतर्कता आदि.

1.4 बैंक सूचीबद्ध निकाय होने के कारण सेबी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी प्रावधानों (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 का इस प्रकार अनुपालन करता है कि संबंधित प्राधिकरण द्वारा जारी बैंक पर लागू होने वाले निर्देशों एवं दिशानिर्देशों का उल्लंघन न हो.

**2. निदेशक मंडल**

2.1 निदेशक मंडल का संघटन, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण), अधिनियम 1970 यथा संशोधित और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध प्रावधान) योजना, 1970 यथा संशोधित के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित है.

2.2 निदेशक मंडल के उत्तरदायित्व में नये उत्पाद विकसित करने के लिए नीतियों को मंजूर करना, लक्ष्यों के सापेक्ष कारोबार समीक्षा, ऋण, परिचालन, बाजार, तरलता जोखिम, जोखिम कार्यों की स्वतंत्रता का मूल्यांकन, तिमाही तथा वार्षिक वित्तीय परिणामों की विस्तृत संवीक्षा, एनपीए प्रबंधन एवं रिपोर्ट किए गए एनपीए तथा प्रावधानीकरण सत्यनिष्ठा, सांविधिक दिशानिर्देशों का अनुपालन, ग्राहक संरक्षण, वित्तीय समावेशन, मानव संसाधन का समग्र पर्यवेक्षण आदि संबंधी नीतियों का अनुमोदन सम्मिलित हैं.

2.3 निदेशक मंडल ने विभिन्न उप-समितियां बनाई हैं और विभिन्न कार्यक्षेत्रों में अधिकारों का प्रत्यायोजन किया है. निदेशक मंडल और समितियों की बैठकें आवधिक अंतराल पर होती हैं.

2.4 31 मार्च, 2019 को निदेशक मंडल में भारत सरकार द्वारा नियुक्त चार पूर्णकालिक निदेशक यथा प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एमडी एंड सीईओ) तथा तीन कार्यपालक निदेशकों के अतिरिक्त नौ गैर-कार्यपालक निदेशक भी हैं, जो समाज के विभिन्न वर्गों से चुने गये श्रेष्ठ व्यक्तित्व वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं. विभिन्न क्षेत्रों में उनके बहुमूल्य एवं बृहद् अनुभव बैंक की प्रगति एवं उपलब्धियों में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं.

**2.5 निदेशक मंडल की संरचना यथा 31 मार्च, 2019 निम्नानुसार है:**

| क्र सं | निदेशक का नाम, पदनाम एवं श्रेणी | नियुक्ति की तारीख | बैंक की समितियों में सदस्यता $ | बैंक के शेयरों की धारिता | बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी तथा एसआरसी में सदस्यता की संख्या | बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी/एसआरसी के अध्यक्ष वाले पदों की संख्या | टिप्पणियां (बैंक/ सूचीबद्ध कंपनियों में नियुक्ति का स्वरुप और विशेषज्ञता के क्षेत्र) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री केवल हांडा<br>अध्यक्ष एवं<br>अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक<br>(गैर-कार्यपालक) | 06.07.2007 | एसीबी<br>सीएससीबी<br>आईटीएससी<br>एनसी<br>आरसी<br>एससीएमएफ<br>एससीआर एण्ड एएलएम | शून्य | 6 | 3 | बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 (3) (एच) के अधीन अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक तथा गैर-कार्यपालक अध्यक्ष के रुप में उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तिथि से तीन वर्षों की अवधि अर्थात 05.07.2020 तक या अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक के लिए नामित. वह इन कंपनियों के निदेशक मंडल में भी निदेशक हैं:-<br>i. मुक्ता आर्ट्स लिमिटेड - स्वतंत्र निदेशक<br>ii क्लेरिएंट केमिकल्स (इंडिया) लिमिटेड - स्वतंत्र निदेशक<br>iii ग्रीव्स कॉटन लिमिटेड - स्वतंत्र निदेशक<br>iv बोरोसिल ग्लास वर्क लिमिटेड - स्वतंत्र निदेशक<br>विशेषज्ञता के क्षेत्र : प्रबंधन एवं वित्त |

| क्र सं | निदेशक का नाम, पदनाम एवं श्रेणी | नियुक्ति की तारीख | बैंक की समितियों में सदस्यता $ | बैंक के शेयरों की धारिता | बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी तथा एसआरसी में सदस्यता की संख्या | बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी/एसआरसी के अध्यक्ष वाले पदों की संख्या | टिप्पणियां (बैंक/ सूचीबद्ध कंपनियों में नियुक्ति का स्वरुप और विशेषज्ञता के क्षेत्र) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | श्री राजकिरण रै जी, एमडी व सीईओ (कार्यपालक) | 01-07-2017 | सीएसी-I<br>एमसीबी<br>सीडीआरसीएफ<br>सीईएसडी<br>सीएससीबी<br>सीएसआरसी<br>डीपीसी<br>डीपीसी-v<br>एचआरएससी<br>आरसीएनसीबी<br>आरसीडब्ल्यूडीबी<br>आरएमसीबी<br>एमसीएमएफ<br>एससीआर एण्ड एएलएम | 6725@ | 0 | 0 | बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(ए) के अधीन पूर्णकालिक निदेशक के रुप में नियुक्त 01.07.2017 को या उसके बाद पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्षों की अवधि अर्थात 30.06.2020 तक या अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक पद पर बने रहेंगे.<br>विशेषज्ञता के क्षेत्र : बैंकिंग एवं वित्त |
| 3 | श्री गोपाल सिंह गुसाईं कार्यपालक निदेशक (कार्यपालक) | 20-09-2018 | सीएसी-I<br>सीडीआरसीएफ<br>सीईएसडी<br>सीएससीबी<br>सीएसआरसी<br>एचआरएससी<br>आईटीएससी<br>एमसीबी<br>आरएमसीबी<br>एससीआर एण्ड एएलएम<br>एसआरसी<br>एसटीसीबी | 6725@ | 1 | 0 | बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के अधीन पूर्णकालिक निदेशक के रुप में नियुक्ति, पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्षों की अवधि अर्थात 19.09.2021 तक या अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक पद पर बने रहेंगे.<br>विशेषज्ञता के क्षेत्र : लागत लेखाकार, बैंकिंग एवं वित्त |
| 4 | श्री दिनेश कुमार गर्ग कार्यपालक निदेशक (कार्यपालक) | 02-11-2018 | एसीबी<br>सीएसी-I<br>सीडीआरसीएफ<br>सीईएसडी<br>सीएससीबी<br>सीएसआरसी<br>एचआरएससी<br>आईटीएससी<br>एमसीबी<br>आरएमसीबी<br>एससीएमएफ<br>एससीआर एण्ड एएलएम<br>एसआरसी<br>एसटीसीबी | 6725@ | 2 | 0 | बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के अधीन पूर्णकालिक निदेशक के रुप में नियुक्ति, पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्षों की अवधि या दि.30.09.2021 या अधिवर्षिता की तारीख या अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक पद पर बने रहेंगे.<br>विशेषज्ञता के क्षेत्र : बैंकिंग एवं वित्त |

| क्र सं | निदेशक का नाम, पदनाम एवं श्रेणी | नियुक्ति की तारीख | बैंक की समितियों में सदस्यता $ | बैंक के शेयरों की धारिता | बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी तथा एसआरसी में सदस्यता की संख्या | बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी/एसआरसी के अध्यक्ष वाले पदों की संख्या | टिप्पणियां (बैंक/ सूचीबद्ध कंपनियों में नियुक्ति का स्वरुप और विशेषज्ञता के क्षेत्र) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | श्री मानस रंजन बिस्वाल<br>कार्यपालक निदेशक<br>(कार्यपालक) | 01-03-2019 | सीएसी-I<br>सीडीआरसीएफ<br>सीईएसडी<br>सीएससीबी<br>सीएसआरसी<br>एचआरएससी<br>आईटीएससी<br>एमसीबी<br>आरएमसीबी<br>एससीआर एण्ड एएलएम<br>एसआरसी<br>एसटीसीबी | शून्य | 1 | 0 | बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के अधीन पूर्णकालिक निदेशक के रुप में नियुक्ति, पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्षों की अवधि अर्थात 28.02.2022 तक या अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक पद पर बने रहेंगे.<br>विशेषज्ञता के क्षेत्र : बैंकिंग एवं वित्त |
| 6 | डॉ मदनेश कुमार मिश्रा<br>सरकार नामित निदेशक<br>(गैर - कार्यपालक) | 22-07-2016 | एसीबी<br>सीएससीबी<br>डीपीसी - v<br>एचआरएससी<br>आईटीएससी<br>आरसी<br>आरएमसीबी<br>एससीएमएफ<br>डीपीसी | शून्य | 2 | 0 | केंद्र सरकार द्वारा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(बी) के अधीन निदेशक के रुप में नियुक्त. अगले आदेशों तक पद पर बने रहेंगे.<br>विशेषज्ञता के क्षेत्र : प्रबंधन एवं वित्त |
| 7 | श्री अनिल कुमार मिश्रा,<br>भारिबैं नामित निदेशक<br>(गैर-कार्यपालक) # | 06-07-2015 | एसीबी<br>डीपीसी - v<br>एमसीबी<br>आरसी | शून्य | 1 | 0 | केंद्र सरकार द्वारा भारिबैं की संस्तुति पर बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(सी) के अधीन निदेशक के रुप में नियुक्त. अगले आदेशों तक पद पर बने रहेंगे.<br>विशेषज्ञता के क्षेत्र : रिस्क, फॉरेक्स |
| 8 | श्री राजीव कुमार सिंह<br>सनदी लेखाकार<br>निदेशक<br>(गैर-कार्यपालक) | 06-02-2018 | एसीबी<br>सीएससीबी<br>एनसी<br>एससीआर एंड एएलएम<br>एसआरसी | शून्य | 2 | 2 | केंद्र सरकार द्वारा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3)(बी) के अधीन अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रुप में, अधिसूचना की तिथि से तीन वर्षों की अवधि अर्थात 05.02.2021 तक या अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक के लिए नामित.<br>विशेषज्ञता के क्षेत्र : वित्त एवं मूल्यांकन |
| 9 | डॉ. के. रमेश<br>अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक<br>(गैर-कार्यपालक) # | 25-04-2016 | सीएससीबी<br>एमसीबी<br>आरसी<br>एससीआर एंड एएलएम | शून्य | 0 | 0 | केंद्र सरकार द्वारा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(एच) के अधीन, अधिसूचना की तारीख से 3 वर्ष की अवधि यथा 24.04.2019 या अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक के रुप में नामित.<br>विशेषज्ञता के क्षेत्र : अर्थशास्त्र एवं जोखिम प्रबंधन |

| क्र सं | निदेशक का नाम, पदनाम एवं श्रेणी | नियुक्ति की तारीख | बैंक की समितियों में सदस्यता $ | बैंक के शेयरों की धारिता | बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी तथा एसआरसी में सदस्यता की संख्या | बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी/एसआरसी के अध्यक्ष वाले पदों की संख्या | टिप्पणियां (बैंक/ सूचीबद्ध कंपनियों में नियुक्ति का स्वरुप और विशेषज्ञता के क्षेत्र) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | डॉ मदुरा स्वामीनाथन अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (गैर कार्यपालक) | 27-12-2017 | सीएससीबी<br>सीएसआरसी<br>एचआरएचसी<br>एमसीबी<br>एनसी<br>आरसी | शून्य | 0 | 0 | केंद्र सरकार द्वारा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(एच) के अधीन, अधिसूचना की तारीख से 3 वर्ष की अवधि यथा 26.12.2020 या अगले आदेश, जो भी पहले हों, तक अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रुप में नामित.<br>विशेषज्ञता के क्षेत्र : अर्थशास्त्र |
| 11 | डॉ. उत्तम कुमार सरकार, शेयरधारक निदेशक (स्वतंत्र गैर-कार्यपालक) | 28-06-2018 | सीएसआरसी<br>आईटीएससी<br>आरसीएनसीबी<br>आरसीडब्ल्यूडीबी<br>एससीएमएफ़<br>एसआरसी | 100 | 1 | 0 | बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(आई) के अधीन. दि28.06.2018 से 27.06.2021 तक 3 वर्ष की अवधि हेतु शेयरधारक निदेशक के रुप में पुन: निर्वाचित.<br>विशेषज्ञता के क्षेत्र : सूचना प्रौद्योगिकी |
| 12 | श्री के केदिरेसन, शेयरधारक निदेशक (स्वतंत्र गैर-कार्यपालक) | 28-06-2018 | सीईएसडी<br>एचआरएससी<br>आरसीएनसीबी<br>आरसीडबल्यूडीबी<br>एसआरसी | 200 | 1 | 0 | बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(आई) के अधीन, 28.06.2018 से 27.06.2021 तक 3 वर्ष की अवधि हेतु शेयरधारक निदेशक के रुप में पुन: निर्वाचित.<br>विशेषज्ञता के क्षेत्र : बीमा एवं प्रबंधन |
| 13 | डॉ. जयदेव एम, शेयरधारक निदेशक (स्वतंत्र गैर-कार्यपालक) | 28-06-2018 | सीईएसडी<br>आईटीएससी<br>एमसीबी<br>एससीएमएफ़<br>एससीआर एंड एएलएम | 200 | 0 | 0 | बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(आई) के अधीन. दि. 28.06.2018 से 27.06.2021 तक 3 वर्ष की अवधि हेतु शेयरधारक निदेशक के रुप में निर्वाचित.<br>विशेषज्ञता के क्षेत्र : बैंकिंग एवं जोखिम प्रबंधन |

# डॉ के रमेश, अंश-कालिक गैर-कार्यपालक निदेशक ने निदेशक मण्डल में अपना कार्यकाल 24.04.2019 को पूरा किया और श्री अरुण कुमार सिंह, भारिबैं नामिती निदेशक की नियुक्ति पर दिनांक 26.04.2019 को श्री अनिल कुमार मिश्रा, भारिबैं द्वारा नामित निदेशक के रूप में इनकी कार्यकाल अवधि समाप्त हो गई.

@ दिनांक 28.03.2019 को ईएसपीएस के अंतर्गत आबंटित शेयर, स्टॉक एक्स्चेंज से व्यापार अनुमोदन प्राप्त होने के बाद दिनांक 22.04.2019 को निदेशकों के डी-मेट खाते में शेयर आबंटित कर दिये गए.

$ समिति के नाम का संक्षिप्ताक्षर

| | | |
|---|---|---|
| एसीबी | - | बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति |
| सीएसी - I | - | साख अनुमोदन समिति- I - |
| सीडीआरसीएफ | - | पूंजी निधि की उगाही हेतु निदेशकों की समिति |
| सीईएसडी | - | समिति द्वारा शेयरधारक निदेशकों का चुनाव किया जायेगा - पीएसबी द्वारा वोटिंग |
| सीएससीबी | - | बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति |
| डीपीसी | - | निदेशकों की पदोन्नति समिति |
| डीपीसी(-v) | - | निदेशकों की अनुशासनिक कार्यवाही समिति- सतर्कता/ गैर-सतर्कता |
| ईडीसी | - | निर्वाचन विवाद समिति |
| एचआरएससीबी | - | बोर्ड की मानव संसाधन उप समिति |

| | | |
|---|---|---|
| आईटीएससी | - | बोर्ड की आईटी रणनीति समिति |
| एमसीबी | - | बोर्ड की प्रबंध समिति |
| एनसी | - | नामांकन समिति |
| आरसी | - | पारिश्रमिक समिति |
| आरसीएनसीबी | - | गैर-सहयोगी उधारकर्ताओं के वर्गीकरण हेतु समीक्षा समिति |
| आरसीडब्ल्यूडीबी | - | बैंक के जानबूझकर चूककर्ताओं की समीक्षा समिति |
| आरएमसीबी | - | बोर्ड की वसूली प्रबंधन समिति |
| एससीएमएफ | - | ₹1.00 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी मामलों के अनुश्रवण हेतु विशेष समिति |
| एससीआर एण्ड एएलएम | - | जोखिम और आस्ति-देयता प्रबंधन पर निदेशकों की पर्यवेक्षी समिति |
| एसआरसी | - | हितधारकों की संबंध समिति |
| एसटीसीबी | - | बोर्ड की शेयर अंतरण समिति |
| सीएसआरसी | - | कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति |

**2.6 वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान नियुक्तियां/कार्यकाल समापन**

**नियुक्तियां: वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान बोर्ड में शामिल किए गए निदेशकों का संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार है:**

| क्र. | नाम | आयु | नियुक्ति की तारीख | वर्तमान कार्यकाल समाप्ति की तारीख | विशेषज्ञता का स्वरुप | संक्षिप्त परिचय |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री गोपाल सिंह गुसाईं | 57 | 20-09-2018 | 19-09-2021 | बैंकिंग एवं वित्त | श्री गोपाल सिंह गुसाईं, जिनकी उम्र 56 वर्ष है, गढ़वाल विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक हैं और इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एंड मैनेजमेंट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया तथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के एसोसिएट सदस्य हैं. आप ट्रेजरी, इंवेस्टमेंट एवं जोखिम प्रबंधन में भी डिप्लोमा धारक हैं. पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी) से कैरियर प्रारम्भ करते हुए, श्री गुसाईं को 24 वर्षों का विभिन्न क्षेत्रों (फ़ील्ड) में तथा प्रशासनिक कार्यालयों में कार्य करने का अनुभव है. |
| 2 | श्री दिनेश कुमार गर्ग | 57 | 02-11-2018 | 30-09-2021 | बैंकिंग एवं वित्त | 57 वर्षीय, श्री गर्ग, इंदौर विश्वविद्यालय से वाणिज्य में(प्रथम श्रेणी से) स्नातकोत्तर हैं, और आपने बी. कॉम ऑनर्स में विश्वविद्यालय की मेरिट सूची में 5 वां स्थान प्राप्त किया है. आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स (सीएआईआईबी) के सर्टिफाइड एसोसिएट हैं. इस पदोन्नति से पूर्व, आप बैंक ऑफ इंडिया के बिजनेस प्रोसेस रि-इंजीन्यरिंग तथा सिस्टम एवं मैनेजमेंट विभाग में महाप्रबंधक थे, श्री गर्ग को तीन दशक से अधिक के बैंकिंग कैरियर में, शाखाओं एवं प्रशासनिक कार्यालयों दोनों में गहन कार्य का अनुभव प्राप्त है. |
| 3 | डॉ मानस रंजन बिस्वाल | 56 | 01-03-2019 | 28-02-2022 | बैंकिंग एवं वित्त | 56 वर्षीय श्री बिस्वाल विज्ञान स्नातक हैं तथा भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान के सर्टीफाइड़ एसोसिएट (सीएआईआईबी) हैं. आपने 1985 में पंजाब नेशनल बैंक में मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में कार्यग्रहण किया था तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक के रूप में पदोन्नति से पूर्व आप पीएनबी के कॉर्पोरेट कार्यालय में रेसोल्यूशन एण्ड एनसीएलटी प्रभाग के प्रमुख थे. श्री बिस्वाल एक अनुभवी बैंकर हैं, आपको विभिन्न शाखाओं, क्षेत्रीय कार्यालयों, अंचलीय कार्यालयों एवं कॉर्पोरेट स्तर पर प्रशासनिक प्रमुख के रूप में कार्य करने का 33 वर्ष का अनुभव प्राप्त है. |
| 4 | श्री उत्तम कुमार सरकार | 54 | 28-06-2018 | 27-06-2021 | सूचना प्रौद्योगिकी | कोलकता निवासी 54 वर्षीय डॉ उत्तम कुमार सरकार ने आईआईटी खड़गपुर से कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग में अपनी बी.टेक, एम.टेक तथा पीएचडी की उपाधि प्राप्त की. आप आईआईएम कलकत्ता के प्रोफेसर एवं भूतपूर्व अध्यक्ष है तथा विगत 22 वर्षों से अधिक संस्था से जुड़े है. आपने पहले आईआईटी दिल्ली एवं मियामी विश्वविद्यालय यूएसए में पढ़ाया था. बिजनेस एनालिस्ट,सोशल नेटवर्क एनालिस्ट और एमबीए एवं एक्सिक्यूटिव एज्यूकेशन प्रोग्राम से संबद्ध विषयों में पढ़ाने के अलावा, आप भारत सरकार एवं निजी कंपनियों द्वारा प्रायोजित परामर्शी कार्यों में भी शामिल है. |

| क्र. | नाम | आयु | नियुक्ति की तारीख | वर्तमान कार्यकाल समाप्ति की तारीख | विशेषज्ञता का स्वरुप | संक्षिप्त परिचय |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | श्री के केदिरेसन | 57 | 28-06-2018 | 27-06-2021 | बीमा एवं प्रबंधन | चेन्नई निवासी 57 वर्षीय श्री के केदिरेसन ने विपणन प्रबंधन में स्नातकोत्तर एवं स्नातकोत्तर कला विशारद उपाधि प्राप्त की है. आप भारतीय जीवन बीमा निगम के दक्षिण अंचल के अंचल प्रमुख है. श्री केदिरेसन भारतीय जीवन बीमा निगम के पूर्णत: स्वामित्व वाले समुद्रपारीय सहायक एलआईसी सिंगापोर प्रा. लि. के प्रथम सीईओ रहे है. |
| 6 | डॉ. जयदेव एम | 54 | 28-06-2018 | 27-06-2021 | बैंकिंग एवं जोखिम प्रबंधन | डॉ. जयदेव एम. कॉमर्स में स्नातकोत्तर एम.फिल एवं पीएचडी. हैं. वर्तमान में, आप भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलोर (आईआईएम-बी) में वित्त एवं लेखांकन के प्रोफेसर हैं. डॉ. जयदेव को न केवल भारत के प्रमुख संस्थाओं में बल्कि विभिन्न विदेशी विश्वविद्यालयों में भी एक अतिथि प्रोफेसर के रूप में अध्यापन का पर्याप्त अनुभव है. आपने अनुसंधान एवं व्यवसायिक पत्रिकाओं में अनुसंधान संबंधी लेख प्रकाशित किए हैं तथा बैंकिंग एवं वित्त में अनुसंधान प्रोजेक्ट्स की रचना की है. |

**कार्यकाल समापन: निम्नांकित सदस्यों का कार्यकाल वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान पूर्ण हुआ.**

| क्र | निदेशक का नाम | पदनाम | कार्यकाल पूर्ण होने की तिथि | कारण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | डॉ आर एच ढोलकिया | शेयरधारक निदेशक | 26-06-2018 | कार्यकाल पूर्ण |
| 2 | श्री गोपाल कृष्ण लाठ | शेयरधारक निदेशक | 26-06-2018 | कार्यकाल पूर्ण |
| 3 | डॉ उत्तम कुमार सरकार | शेयरधारक निदेशक | 26-06-2018 | कार्यकाल पूर्ण |
| 4 | श्री विनोद कथुरिया | कार्यपालक निदेशक | 31-07-2018 | अधिवर्षिता |
| 5 | श्री अतुल कुमार गोयल | कार्यपालक निदेशक | 01-11-2018 | यूको बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के रूप में पदोन्नति |
| 6 | श्री राजकमल वर्मा | कार्यपालक निदेशक | 28-02-2019 | अधिवर्षिता |

### 2.7 निदेशकों का परस्पर संबंध :

किसी भी निदेशक का आपस में कोई भी नजदीकी संबंध नही है.

### 2.8 निदेशकों की समिति सदस्यता :

सेबी (एलओडीआर) विनिमयन, 2015 के विनिमयन 26(1) के क्रम में बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति की अध्यक्षता एवं सदस्यता (एसीबी) तथा स्टेकधारक संबंध समिति (एसआरसी) को प्रकटन के लिए ध्यान में रखा जाता है.

वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक का कोई भी निदेशक उन सभ सूचीबद्ध संस्थाओं/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों में जहां वे निदेशक थे 10 समिति से अधिक समिति के सदस्य नहीं रहे हैं ना ही उन्होंने 5 समिति से अधिक समिति की अध्यक्षता की है.

बैंक की समितियों पर निदेशकों द्वारा धारित सदस्यता/अध्यक्षता एवं अन्य सूचीबद्ध/ सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियाँ जहां वे निदेशक थे यथास्थिति 31.03.2019 का ब्यौरा निम्नानुसार है.

| क्र | निदेशक का नाम एवं पदनाम | कंपनी का नाम | समिति का नाम | सदस्य/ अध्यक्ष |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री केवल हांडा<br>अध्यक्ष एवं अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक | 1. मुक्ता आर्ट्स लिमिटेड<br>2. मुक्ता आर्ट्स लिमिटेड<br>3. ग्रीव्ज़ कॉटन लिमिटेड<br>4. क्लेरिएंट केमिकल्स (इंडिया) लिमिटेड<br>5. आर एम ड्रिप एवं स्प्रिंकलर्स सिस्टम लिमिटेड<br>6. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | एसीबी<br>एसआरसी<br>एसीबी<br>एसीबी<br>एसआरसी<br>एसीबी | अध्यक्ष<br>अध्यक्ष<br>अध्यक्ष<br>सदस्य<br>सदस्य<br>सदस्य |
| 2 | श्री गोपाल सिंह गुसाईं<br>कार्यपालक निदेशक | यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | एसआरसी | सदस्य |
| 3 | श्री दिनेश कुमार गर्ग<br>कार्यपालक निदेशक | 1. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया<br>2. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | एसआरसी<br>एसीबी | सदस्य<br>सदस्य |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | श्री मानस रंजन बिस्वाल<br>कार्यपालक निदेशक | यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | एसआरसी | सदस्य |
| 5 | डॉ. मदनेश कुमार मिश्रा<br>सरकार नामित निदेशक | 1. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया<br>2. युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस को. लिमिटेड | एसीबी<br>एसीबी | सदस्य<br>सदस्य |
| 6 | श्री अनिल कुमार मिश्रा<br>भारिबैं नामित निदेशक | यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | एसीबी | सदस्य |
| 7 | श्री राजीव कुमार सिंह<br>सनदी लेखाकार निदेशक | 1. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया<br>2. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | एसआरसी<br>एसीबी | अध्यक्ष<br>अध्यक्ष |
| 8 | डॉ उत्तम कुमार सरकार | यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | एसआरसी | सदस्य |
| 9 | श्री के केदिरेसन,<br>शेयरधारक निदेशक | यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | एसआरसी | सदस्य |

**2.9 निदेशकों द्वारा भाग लिये जाने वाले अभिज्ञता (परिचय) कार्यक्रमों का ब्यौरा :**

निदेशकों द्वारा भाग लिये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों का ब्यौरा बैंक की बेवसाइट पर निम्नांकित लिंक पर उपलब्ध कराया गया है:

http ://www.unionbankofindia.co.in/english/familiarisation.aspx

**2.10** सूचीबद्धता विनियमन की अनुसूची V की अपेक्षा के अनुरूप एस एन अनंत सुब्रमण्यम एंड कं. पेशारत कंपनी सचिव ने अपने प्रमाणपत्र दि. 14 मई, 2019 के जरिए प्रमाणित किया है कि सेबी/कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय या अन्य ऐसे सांविधिक प्राधिकारी द्वारा बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्ति या नियुक्ति पर बने रहने के संबंध में (बैंक के बोर्ड पर किसी भी निदेशक को) वर्जित या आयोग नहीं माना गया है. कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट के पीछे प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न है.

**2.11** बैंक का निदेशक मण्डल पुष्टि करता है कि बैंक के स्वतंत्र निदेशक (शेयरधारक निदेशक) सूचीबद्धता विनियम में निर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति करता हैं एवं वे प्रबंधन से स्वतंत्र है.

**3 वार्षिक सामान्य बैठक :**

बैंक के शेयरधारकों की 16वीं वार्षिक साधारण बैठक **बुधवार, दिनांक 27 जून, 2018** को आयोजित की गयी, जिसमें निम्नलिखित निदेशक उपस्थित थे:

| क्र | निदेशक का नाम | पदनाम |
|---|---|---|
| 1. | श्री केवल हांडा | अध्यक्ष एवं अंश-कालिक गैर सरकारी निदेशक |
| 2. | श्री राजकिरण रै जी. | प्रबंध निदेशक एवं सीईओ |
| 3. | श्री विनोद कथुरिया | कार्यपालक निदेशक |
| 4. | श्री राजकमल वर्मा | कार्यपालक निदेशक |
| 5. | श्री अतुल कुमार गोयल | कार्यपालक निदेशक |
| 6. | श्री राजीव कुमार सिंह | सनदी लेखाकार निदेशक, निदेशक मण्डल की लेखा-परीक्षा समिति के सदस्य |
| 7. | डॉ. के रमेश | अंश-कालिक गैर सरकारी निदेशक हितधारकों की संबंध समिति के अध्यक्ष |
| 8. | डॉ. मदुरा स्वामीनाथन | अंश-कालिक गैर सरकारी निदेशक |

**4 निदेशक मंडल की बैठकें :**

- **वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों का ब्यौरा:**

| क्र | निदेशक मंडल की बैठक की तारीख | निदेशक मंडल में निदेशकों की कुल संख्या | बैठक में उपस्थित निदेशकों की कुल संख्या |
|---|---|---|---|
| 1. | 16-04-2018 | 13 | 10 |
| 2. | 10-05-2018 | 13 | 12 |
| 3. | 18-05-2018 | 13 | 11 |
| 4. | 14-06-2018 | 13 | 10 |
| 5. | 12-07-2018 | 13 | 12 |
| 6. | 10-08-2018 | 12 | 10 |
| 7. | 30-08-2018 | 12 | 9 |
| 8. | 28-09-2018 | 13 | 8 |
| 9. | 29-10-2018 | 13 | 10 |
| 10. | 12-11-2018 | 13 | 11 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11. | 14-12-2018 | 13 | 12 |
| 12. | 16-01-2019 | 13 | 11 |
| 13. | 21-01-2019 | 13 | 10 |
| 14. | 14-02-2019 | 13 | 11 |
| 15. | 26-02-2019 | 13 | 10 |
| 16. | 25-03-2019 | 13 | 12 |

• निदेशक मंडल की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का ब्यौरा इस प्रकार है:

**निदेशक मंडल की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का ब्यौरा इस प्रकार है:**

| निदेशक का नाम | उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें | बैठकों में उपस्थिति |
|---|---|---|
| श्री केवल हांडा, अध्यक्ष एवं अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक | 16 | 16 |
| श्री राजकिरण रै जी, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ | 16 | 16 |
| श्री विनोद कथूरिया, कार्यपालक निदेशक | 5 | 5 |
| श्री राज कमल वर्मा, कार्यपालक निदेशक | 15 | 13 |
| श्री अतुल कुमर गोयल, कार्यपालक निदेशक | 9 | 9 |
| श्री गोपाल सिंह गुसाईं, कार्यपालक निदेशक | 9 | 8 |
| श्री दिनेश कुमार गर्ग, कार्यपालक निदेशक | 7 | 7 |
| श्री मानस रंजन बिस्वाल, कार्यपालक निदेशक | 1 | 1 |
| डॉ मदनेश कुमार मिश्रा, सरकार नामिती निदेशक | 16 | 12 |
| श्री अनिल कुमार मिश्रा, भारिबैं नामिती निदेशक | 16 | 0 |
| श्री राजीव कुमार सिंह, सनदी लेखाकार निदेशक | 16 | 16 |
| डॉ. के. रमेश, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक | 16 | 16 |
| डॉ मदुरा स्वामीनाथन, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक | 16 | 13 |
| डॉ.आर.एच. ढोलकिया, शेयरधारक निदेशक | 4 | 4 |
| श्री जी. के. लाठ, शेयरधारक निदेशक | 4 | 4 |
| डॉ. उत्तम कुमार सरकार, शेयरधारक निदेशक | 16 | 13 |
| श्री के केदिरेसन, शेयरधारक निदेशक | 12 | 5 |
| श्री जयदेव एम., शेयरधारक निदेशक | 12 | 11 |

## 5. बोर्ड की समितियां

बैंक के निदेशक मंडल ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस एवं जोखिम प्रबंधन पर भारतीय रिजर्व बैंक/सेबी/भारत सरकार के दिशानिर्देशों के संदर्भ में महत्वपूर्ण रणनीति के विभिन्न क्षेत्रों को देखने के लिए निदेशकों एवं/अथवा कार्यपालकों की विभिन्न समितियां गठित की हैं. महत्वपूर्ण समितियां निम्नानुसार हैं -

1. बोर्ड की प्रबंधन समिति (एमसीबी)
2. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी)
3. जोखिम एवं आस्ति देयता प्रबंधन पर निदेशक की पर्यवेक्षण समिति (एससीआर एवं एएलएम)
4. रू.1.00 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी के मामलों के अनुश्रवण हेतु निदेशक मंडल की विशेष समिति (एससीएमएफ)
5. बोर्ड की वसूली प्रबंधन समिति (आरएमसीबी)
6. निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी)
7. निदेशकों की मानव संसाधन उप-समिति (एचआरएससीबी)
8. हितधारकों की संबंध समिति (एसआरसी)
9. आईटी रणनीति समिति (आईटीएससी)
10. नामांकन समिति (एनसी)
11. पारिश्रमिक समिति (आरसी)
12. निदेशकों की पदोन्नति समिति (डीपीसी)
13. निदेशकों की अनुशासनिक कार्यवाही समिति- सतर्कता/ गैर सतर्कता (डीपीसी-V)
14. बोर्ड की शेयर अंतरण समिति (एसटीसीबी)
15. ऋणी को गैर सहयोगी ऋणी वर्गीकृत करने के लिए बोर्ड की समीक्षा समिति (आरसीएनसीबी)
16. बैंक के जानबूझ कर चूककर्ताओं की समीक्षा समिति (आरसीडब्ल्यूडीबी)
17. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा मतदान के माध्यम से शेयरधारकों के निदेशकों के चुनाव का निर्णय लेने हेतु समिति (सीईएसडी)
18. चुनाव विवाद समिति (ईडीसी)
19. ऋण अनुमोदन समिति-I (सीएसी- I)
20. पूंजीगत निधि की उगाही के लिए निदेशकों की समिति (सीडीआरसीएफ)
21. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति (सीएसआरसी)

### 5.1 बोर्ड की प्रबंधन समिति (एमसीबी)

#### 5.1.1 संघटन :

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना,1970 के खंड 13 (यथा संशोधित) के अनुक्रम में बोर्ड की प्रबंधन समिति में यथा 31.03.2019 को निम्नलिखित सदस्य शामिल है: -

- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
- कार्यपालक निदेशक,
- भारतीय रिजर्व बैंक नामित निदेशक का धारा 9(3) (सी) के अन्तर्गत नामांकन, एवं
- तीन अन्य गैर-कार्यपालक निदेशकों का धारा 9(3) (ई), (एफ), (एच) एवं (आई) के अन्तर्गत आवर्तन के आधार पर प्रत्येक छ: माह की अवधि के लिए बोर्ड द्वारा नामांकन.

श्री राजकिरण रै जी, बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ इस समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं.

#### 5.1.2 कार्य :

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुक्रम में विभिन्न

कारोबारी मामलों यथा ऋण प्रस्तावों की मंजूरी/समीक्षा, ऋण समझौता/ अपलेखन प्रस्ताव, साख अनुमोदन समिति-I के प्राधिकार से अधिक पूँजी एवं राजस्व व्ययों का अनुमोदन, परिसरों का अधिग्रहण एवं किराए पर लेने, निवेश, दान आदि को ध्यान में रखते हुए बोर्ड के निदेशकों द्वारा बोर्ड की प्रबंधन समिति गठित की गयी है.

### 5.1.3 एमसीबी बैठकों की उपस्थिति

वर्ष 2018-19 के दौरान, बोर्ड की प्रबंधन समिति की 23 बैठकें आयोजित हुईं, जिनमें उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है :

| निदेशक का नाम | कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या | बैठकों में उपस्थिति |
|---|---|---|
| श्री राज किरण रै जी., प्रबंध निदेशक एवं सीईओ समिति के अध्यक्ष | 23 | 23 |
| श्री विनोद कथूरिया, कार्यपालक निदेशक | 7 | 7 |
| श्री राज कमल वर्मा, कार्यपालक निदेशक | 21 | 18 |
| श्री अतुल कुमार गोयल , कार्यपालक निदेशक | 12 | 10 |
| श्री गोपाल सिंह गुसाईं, कार्यपालक निदेशक | 13 | 12 |
| श्री दिनेश कुमार गर्ग, कार्यपालक निदेशक | 11 | 11 |
| श्री मानस रंजन बिस्वाल, कार्यपालक निदेशक | 2 | 2 |
| श्री अनिल कुमार मिश्रा, भारतीय रिजर्व बैंक नामित निदेशक | 23 | 0 |
| डॉ. के. रमेश, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक | 11 | 11 |
| डॉ मदुरा स्वामीनाथन, अंश-कालिक गैर-सरकारी निदेशक | 18 | 11 |
| डॉ. आर.एच. ढोलकिया, शेयरधारक निदेशक | 5 | 5 |
| डॉ. उत्तम कुमार सरकार, शेयरधारक निदेशक | 16 | 10 |
| श्री जयदेव एम., शेयरधारक निदेशक | 18 | 15 |

## 5.2 बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी)

### 5.2.1 संघटन :

बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) भारतीय रिजर्व बैंक एवं वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार गठित की गयी है. बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति में निम्नानुसार सदस्य हैं :

- कार्यपालक निदेशक, आन्तरिक निरीक्षण एवं लेखापरीक्षा के प्रभारी
- भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती, एवं
- धारा 9(3)(जी) के अन्तर्गत दो अन्य गैर कार्यपालक निदेशक, जिनमें से एक सामान्यत: सनदी लेखाकार निदेशक हो.

अन्य कार्यपालक निदेशक/कों को आमंत्रित किया जा सकता है, यदि कार्यसूची में उनके क्षेत्र से संबंधित कोई मद चर्चा के लिए शामिल हो.

श्री राजीव कुमार सिंह, सनदी लेखाकार निदेशक जो कि समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं.

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 18(1)(ई) के अनुसार कंपनी सचिव लेखापरीक्षा समिति का सचिव होगा.

### 5.2.2 कार्य :

लेखापरीक्षा समिति, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी कैलेंडर मद के आदेश के अनुसार बैंक के कार्यों की समीक्षा करती है. निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) के प्रमुख कार्य निम्न प्रकार हैं:-

1. एसीबी बैंक के लेखापरीक्षा संबंधी समग्र कार्य का पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन करती है. समग्र लेखा परीक्षा कार्य में बैंक की आंतरिक लेखापरीक्षा और निरीक्षण का गठन, परिचालन तथा गुणवत्ता नियंत्रण और बैंक की सांविधिक/बाह्य लेखापरीक्षा और भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षणों पर अनुवर्ती कार्रवाई करना शामिल है.
2. एसीबी, बैंक के आंतरिक निरीक्षण/लेखापरीक्षा कार्यों अर्थात् उसकी प्रणाली, गुणवत्ता और अनुवर्ती कार्रवाई की प्रभावकारिता की समीक्षा करती है. यह विशेषीकृत शाखाओं और बहुत बड़ी शाखाओं तथा असंतोषजनक रेटिंग वाली सभी शाखाओं की निरीक्षण रिपोर्टों की समीक्षा करती है. इसके द्वारा विशेष रूप से निम्नलिखित कार्यों पर भी ध्यान केन्द्रित किया जाता है :-
   - अंतर-शाखा समायोजन खाते
   - अंतर बैंक खातों और नोस्ट्रो खातों में बहुत समय से बकाया प्रविष्टियां जिनका मिलान न हुआ हो.
   - विभिन्न शाखाओं में बहियों के मिलान की बकाया स्थिति
   - धोखाधड़ी
   - बहियों के मिलान से संबंधित सभी अन्य प्रमुख क्षेत्र.
3. एसीबी, भारिबैं एवं सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों में नियुक्त अनुपालन अधिकारी से तिमाही रिपोर्ट प्राप्त करती है एवं उसकी समीक्षा करती है.
4. सांविधिक लेखापरीक्षा के मामले में यह समिति लांग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट में उठाए गए सभी मुद्दों पर अनुवर्ती कार्रवाई करती है. बैंक के छमाही/ वार्षिक वित्तीय लेखों और रिपोर्टों को अंतिम रूप प्रदान करने के पहले यह बाह्य लेखापरीक्षकों से चर्चा करती है.
5. लेखापरीक्षा समिति, बैंक की लेखा नीति और कार्य प्रणाली, संबंधित पार्टी लेनदेन, व्हिसिल ब्लोअर तकनीक, प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण तथा बैंक के तिमाही और वार्षिक वित्तीय परिणामों की भी समीक्षा करती है.

### 5.2.3 एसीबी बैठकों में उपस्थिति :

वर्ष 2018-19 के दौरान समिति के 12 बैठके हुई. ये बैठकें दिनांक 16.04.18, 10.05.18, 13.06.18, 10.08.18, 16.08.18, 17.09.18, 29.10.18, 07.12.18, 21.01.19, 01.02.19, 11.03.19 एवं 18.03.19 को आयोजित हुई थी तथा उपस्थिति का ब्यौरा निम्नलिखित है.

| निदेशक का नाम | कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या | बैठकों में उपस्थिति |
|---|---|---|
| श्री राजीव कुमार सिंह, सनदी लेखाकार निदेशक समिति के अध्यक्ष | 12 | 12 |
| श्री केवल हांडा, अध्यक्ष एवं अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक | 9 | 8 |
| श्री राज कमल वर्मा, कार्यपालक निदेशक | 6 | 6 |
| श्री अतुल कुमार गोयल, कार्यपालक निदेशक | 1 | 1 |
| श्री दिनेश कुमार गर्ग, कार्यपालक निदेशक | 5 | 5 |
| डॉ. मदनेश कुमार मिश्रा, सरकार नामित निदेशक | 12 | 9 |
| श्री अनिल कुमार मिश्रा, भारिबैं नामित निदेशक | 12 | 0 |
| श्री जी.के. लाठ, शेयरधारक निदेशक | 3 | 3 |

## 5.3 जोखिम और आस्ति देयता प्रबंधन पर निदेशकों की पर्यवेक्षी समिति (एससीआर एंड एएलएम)

### 5.3.1 संघटन :

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुक्रम में जोखिम एवं आस्ति देयता प्रबंधन पर निदेशकों की पर्यवेक्षी समिति गठित की है. समिति में निम्नानुसार सदस्य शामिल हैं:

- अध्यक्ष
- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
- कार्यपालक निदेशक एवं
- तीन गैर-कार्यपालक निदेशक.

श्री केवल हांडा, बैंक के गैर-कार्यपालक अध्यक्ष एवं अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक, इस समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं.

### 5.3.2 कार्य :

बैंक ने जोखिम और आस्ति देयता प्रबंधन के कार्यकलापों के पर्यवेक्षण के लिए निदेशक मंडल की जोखिम और आस्ति देयता प्रबंधन पर्यवेक्षी समिति गठित की है. यह बैंक के सभी जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन और अनुश्रवण के लिए उत्तरदायी है.

### 5.3.3 एससीआर एवं एएलएम समिति की उपस्थिति

वर्ष 2018-19 में समिति की 5 बैठकें हुईं, जिनमें उपस्थिति निम्नानुसार रही:

| निदेशक का नाम | कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या | बैठकों में उपस्थिति |
|---|---|---|
| श्री केवल हांडा, अध्यक्ष एवं अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक, समिति के अध्यक्ष | 5 | 4 |
| श्री राज किरण रै जी, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ | 5 | 5 |
| श्री विनोद कथूरिया, कार्यपालक निदेशक | 1 | 1 |
| श्री राज कमल वर्मा, कार्यपालक निदेशक | 4 | 4 |
| श्री अतुल कुमार गोयल, कार्यपालक निदेशक | 2 | 2 |
| श्री गोपाल सिंह गुसाईं, कार्यपालक निदेशक | 3 | 3 |
| श्री दिनेश कुमार गर्ग, कार्यपालक निदेशक | 3 | 3 |
| श्री मानस रंजन बिस्वाल, कार्यपालक निदेशक | 1 | 1 |
| श्री राजीव कुमार सिंह, सनदी लेखाकार निदेशक | 4 | 4 |
| डॉ के रमेश, अंश-कालिक गैर-सरकारी निदेशक | 5 | 5 |
| श्री जी.के.लाठ, शेयरधारक निदेशक | 1 | 1 |
| डॉ. उत्तम कुमार सरकार, शेयरधारक निदेशक | 1 | 0 |
| श्री जयदेव एम., शेयरधारक निदेशक | 4 | 3 |

## 5.4 रू.1.00 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी के मामलों के अनुश्रवण हेतु निदेशक मंडल की विशेष समिति (एससीएमएफ)

### 5.4.1 संघटन:

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप ₹1.00 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी के मामलों के अनुश्रवण हेतु निदेशक मंडल की विशेष समिति का गठन किया गया है. वर्तमान में निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) से आंतरिक निरीक्षण, सांविधिक लेखापरीक्षा, अंतर शाखा/अंतर बैंक खातों, बहियों के मिलान के प्रमुख क्षेत्रों आदि का पर्यवेक्षण अपेक्षित है. एसीबी से यह भी अपेक्षित है कि वह बैंक में धोखाधड़ी के संबंध में निवारक पहलुओं तथा की जा रही अनुवर्ती कार्रवाई पर भी ध्यान दे. यह विशेष समिति ₹1.00 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी के मामलों का विशेष रूप से अनुश्रवण और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई पर ध्यान देती है, जबकि एसीबी सामान्य रूप से धोखाधड़ी के सभी मामलों का भी अनुश्रवण जारी रखेगी

यह विशेष समिति, निदेशक मंडल के निम्नलिखित सदस्यों को शामिल कर गठित की गई है.

- अध्यक्ष
- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
- निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति के दो सदस्य
- भारतीय रिज़र्व बैंक नामिती को छोड़कर निदेशक मंडल के दो अन्य सदस्य

श्री केवल हांडा, बैंक के गैर-कार्यपालक अध्यक्ष एवं अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक इस समिति के वर्तमान अध्यक्ष है.

**5.4.2 कार्य :**

इस विशेष समिति का प्रमुख कार्य रू.1.00 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी के सभी मामलों की समीक्षा एवं उनका अनुश्रवण करना होगा ताकि:

- धोखाधड़ी की संभावनाओं वाली कार्यप्रणालीगत कमियों को पहचानने और उन पर रोक लगाने हेतु आवश्यक उपाय करना.
- धोखाधड़ी का पता लगाने में हुई देरी का पता लगाने और/ अथवा बैंक के उच्च प्रबंधन या भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित करने में यदि कोई देरी हुई हो, तो उनके कारणों की पहचान करना.
- सीबीआई/ पुलिस जांच एवं वसूली स्थिति की प्रगति का अनुश्रवण करना.
- सुनिश्चित करना कि धोखाधड़ी के सभी मामलों में प्रत्येक स्तर पर स्टाफ उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा यदि स्टाफ संबंधी कोई कार्रवाई हो तो उसे तत्काल निपटाया जाता है.
- धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति रोकने हेतु आंतरिक नियंत्रणों को सुदृढ़ करने जैसी उपचारात्मक कार्रवाई की समीक्षा करना.
- धोखाधड़ी निवारक उपायों को सुदृढ़ बनाने हेतु यथावश्यक अन्य उपाय लागू करना.

**5.4.3 एससीएमएफ बैठकों में उपस्थिति :**

वर्ष 2018-19 के दौरान समिति की 4 बैठकें हुईं, जिनमें उपस्थिति निम्नानुसार रही:

| निदेशक का नाम | कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या | बैठकों में उपस्थिति |
|---|---|---|
| श्री केवल हांडा, अध्यक्ष एवं अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक, समिति के अध्यक्ष | 4 | 3 |
| श्री राज किरण रै जी, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ | 4 | 4 |
| श्री राज कमल वर्मा, कार्यपालक निदेशक | 2 | 2 |
| श्री दिनेश कुमार गर्ग, कार्यपालक निदेशक | 2 | 2 |
| डॉ. मदनेश कुमार मिश्रा, सरकार द्वारा नामित निदेशक | 4 | 3 |
| डॉ के. रमेश, अंश-कालिक गैर-सरकारी निदेशक | 2 | 2 |
| श्री जी.के.लाठ, शेयरधारक निदेशक | 1 | 1 |
| डॉ उत्तम कुमार सरकार, शेयरधारक निदेशक | 3 | 2 |
| श्री जयदेव एम., शेयरधारक निदेशक | 2 | 2 |

**5.5 बोर्ड की वसूली प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) :**

**5.5.1 संघटन :**

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुक्रम में नियमित आधार पर वसूली की प्रगति का अनुश्रवण करने के लिए वसूली प्रबंधन के लिए बोर्ड स्तर की उप समिति गठित की गयी हैं. यह समिति अपनी रिपोर्ट बोर्ड को प्रस्तुत करेगी.

समिति का संगठन इस प्रकार है:

- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
- कार्यपालक निदेशकगण
- भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्री राजकिरण रै जी., बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ इस समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं.

**5.5.2 कार्य :**

नियमित आधार पर वसूली की प्रगति का अनुश्रवण करना एवं बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत करना.

**5.5.3 आरएमसीबी बैठकों में उपस्थिति :**

वर्ष 2018-19 के दौरान समिति की 5 बैठकें हुई, जिनमें उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

| निदेशक का नाम | कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या | बैठकों में उपस्थिति |
|---|---|---|
| श्री राज किरण रै जी, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ समिति के अध्यक्ष | 5 | 5 |
| श्री विनोद कथूरिया, कार्यपालक निदेशक | 1 | 1 |
| श्री राज कमल वर्मा, कार्यपालक निदेशक | 4 | 4 |
| श्री अतुल कुमर गोयल, कार्यपालक निदेशक | 2 | 2 |
| श्री गोपाल सिंह गुसाईं, कार्यपालक निदेशक | 3 | 2 |
| श्री दिनेश कुमार गर्ग, कार्यपालक निदेशक | 3 | 2 |
| श्री मानस रंजन बिस्वाल, कार्यपालक निदेशक | 1 | 1 |
| डॉ मदनेश कुमार मिश्रा, सरकार द्वारा नामित निदेशक | 5 | 5 |

**5.6 बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी)**

**5.6.1 संघटन :**

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुक्रम में बैंक में ग्राहक सेवा की देखरेख के लिए बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति गठित की गयी है. समिति के सदस्य निम्नानुसार हैं :

- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
- कार्यपालक निदेशक
- सरकार द्वारा नामित निदेशक
- चार गैर-कार्यपालक निदेशक

इनके अतिरिक्त, इन बैठकों में आंतरिक लोकपाल तथा दो विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाता है.

श्री राजकिरण रै जी., बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ इस समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं.

**5.6.2 कार्य:**

समिति निम्नलिखित कार्य कर रही है:

i ग्राहक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए सुझाव देना.

ii मौजूदा नीतियों एवं कार्यपद्धतियों को युक्तियुक्त बनाने तथा सरलीकरण की दृष्टि से उनके कार्यान्वयन की समीक्षा करना तथा निरंतर आधार पर परिवर्तनों को सुविधाजनक बनाने हेतु समुचित प्रोत्साहनों का सुझाव देना

iii बोर्ड के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जाने से पूर्व नीतियों की वार्षिक आधार पर समीक्षा करके संस्तुति करना

**5.6.3 सीएससीबी बैठकों में उपस्थिति :**

वर्ष 2018-19 के दौरान समिति की 4 बैठकें हुई जिसमें उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

| निदेशक का नाम | कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या | बैठकों में उपस्थिति |
|---|---|---|
| श्री राजकिरण रै जी., प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, समिति के अध्यक्ष | 4 | 4 |
| श्री केवल हांडा, अध्यक्ष एवं अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक | 4 | 4 |
| श्री विनोद कथूरिया, कार्यपालक निदेशक | 1 | 1 |
| श्री राज कमल वर्मा, कार्यपालक निदेशक | 3 | 3 |
| श्री अतुल कुमार गोयल, कार्यपालक निदेशक | 2 | 2 |
| श्री गोपाल सिंह गुसाईं, कार्यपालक निदेशक | 2 | 2 |
| श्री दिनेश कुमार गर्ग, कार्यपालक निदेशक | 2 | 2 |
| श्री मानस रंजन बिस्वाल, कार्यपालक निदेशक | 1 | 1 |
| डॉ. मदनेश कुमार मिश्रा, सरकार द्वारा नामित निदेशक | 4 | 2 |
| श्री राजीव कुमार सिंह, सनदी लेखाकार निदेशक | 2 | 2 |
| डॉ. के. रमेश, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक | 3 | 3 |
| डॉ. मदुरा स्वामीनाथन, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक | 3 | 2 |
| डॉ. आर. एच. ढोलकिया, शेयरधारक निदेशक | 1 | 1 |
| डॉ. उत्तम कुमार सरकार, शेयरधारक निदेशक | 1 | 0 |
| श्री एस. रवीन्द्रनाथ, विशेष आमंत्रित | 4 | 4 |
| डॉ. एस. जगन्नाथ, विशेष आमंत्रित | 4 | 4 |
| श्री नन्दन श्रीवास्तव, आंतरिक लोकपाल | 1 | 1 |
| श्री विजय जसुजा, आंतरिक लोकपाल | 3 | 2 |

## 5.7 बोर्ड की एचआर उप-समिति (एचआरएससीबी)

**5.7.1 संघटन :**

समिति में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, कार्यपालक निदेशक, सरकार द्वारा नामित निदेशक तथा बोर्ड द्वारा नामित कोई दो निदेशक होते हैं. इसके अतिरिक्त, मानव संसाधन के दो विशेषज्ञ भी विशेष आमंत्रित के रुप में भाग लेते हैं.

श्री राजकिरण रै जी., बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ इस समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं.

**5.7.2 कार्य:**

निम्नलिखित पहलुओं के कार्यान्वयन का प्रबंधन एवं पुनरावलोकन

1. एचआर पर बैंक की संपूर्ण रणनीति.
   - समग्र जनबल आयोजना व कौशल अंतराल की पहचान
   - सही प्रतिभाओं को आकर्षित करने और उनके विकास के लिये प्रणाली, प्रक्रिया और संरचना
   - उत्तराधिकार की योजना
2. बैंक के सभी स्टाफ पर लागू होने वाली निष्पादन प्रबंधन प्रणाली का विकास
   - प्रमुख दायित्व क्षेत्रों का पारदर्शी निष्पादन आकलन
   - सभी स्टाफ को विकास संबंधी फीडबैक देने की प्रणाली
3. बैंक की रणनीति और बाजार की परिस्थितियों के अनुरूप एचआर नीतियों को सुव्यवस्थित करना
   - पुरस्कार व प्रोत्साहन
   - पदोन्नति
   - तैनाती
4. प्रशिक्षण
   - विशिष्ट कारोबारी कौशल प्रशिक्षण
   - सभी स्टाफ सदस्यों को सामान्य प्रशिक्षण/पुनश्चर्या

5 एचआर संबंधी सभी कार्यों का आईटी स्वचालन

**5.7.3 एचआरएससीबी बैठकों में उपस्थिति :**

वर्ष 2018 -19 के दौरान समिति की 5 बैठकें हुई, जिनमें उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

| निदेशक का नाम | कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या | बैठकों में उपस्थिति |
|---|---|---|
| श्री राजकिरण रै जी., प्रबंध निदेशक एवं सीईओ समिति के अध्यक्ष | 5 | 5 |
| श्री विनोद कथूरिया, कार्यपालक निदेशक | 2 | 2 |
| श्री राज कमल वर्मा, कार्यपालक निदेशक | 5 | 5 |
| श्री अतुल कुमार गोयल, कार्यपालक निदेशक | 3 | 3 |
| श्री गोपाल सिंह गुसाईं, कार्यपालक निदेशक | 2 | 2 |
| श्री दिनेश कुमार गर्ग, कार्यपालक निदेशक | 2 | 2 |
| डॉ. मदनेश कुमार मिश्रा, सरकार द्वारा नामित निदेशक | 5 | 5 |
| डॉ. मदुरा स्वामीनाथन, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक | 4 | 4 |
| डॉ. आर. एच. ढोलकिया, शेयरधारक निदेशक | 1 | 1 |
| डॉ. उत्तम कुमार सरकार, शेयरधारक निदेशक | 1 | 1 |

| निदेशक का नाम | कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या | बैठकों में उपस्थिति |
|---|---|---|
| श्री के. केदिरेसन , शेयरधारक निदेशक | 4 | 4 |
| श्री टी. वी. राव, विशेष आमंत्रित | 5 | 4 |
| श्री आर. आर. नायर, विशेष आमंत्रित | 5 | 3 |

### 5.8 हितधारकों की संबंध समिति (एसआरसी)

#### 5.8.1 संघटन :

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के अनुक्रम में कार्यपालक निदेशकों एवं तीन गैर-कार्यपालक निदेशकों की बोर्ड की स्टेकधारक संबंध समिति (एसआरसी) गठित की गयी है.

श्री राजीव कुमार सिंह, सनदी लेखाकार निदेशक समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं.

#### 5.8.2 कार्य :

यह समिति बैंक के प्रतिभूति धारकों की शेयर अंतरण, रिफंड आदेश, शेयर प्रमाण पत्र, लाभांश आदि की अप्राप्ति के संबंध में शिकायतों का अनुश्रवण करती है.

#### 5.8.3 एसआरसी बैठकों में उपस्थिति

वर्ष 2018-19 के दौरान समिति की 6 बैठकें हुई. ये बैठकें दिनांक 13.06.18, 30.08.18, 12.11.18, 03.01.19, 02.03.19 एवं 28.03.19 को आयोजित हुई थी तथा उपस्थिति का ब्यौरा निम्नलिखित है.

| निदेशक का नाम | कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या | बैठकों में उपस्थिति |
|---|---|---|
| श्री राजीव कुमार सिंह, सनदी लेखाकार निदेशक समिति के अध्यक्ष | 4 | 4 |
| श्री केवल हांडा, अध्यक्ष एवं अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक | 2 | 2 |
| श्री विनोद कथूरिया, कार्यपालक निदेशक | 1 | 1 |
| श्री राज कमल वर्मा, कार्यपालक निदेशक | 4 | 4 |
| श्री अतुल कुमार गोयल, कार्यपालक निदेशक | 2 | 1 |
| श्री गोपाल सिंह गुसाईं, कार्यपालक निदेशक | 4 | 4 |
| श्री दिनेश कुमार गर्ग, कार्यपालक निदेशक | 4 | 3 |
| श्री मानस रंजन बिस्वाल, कार्यपालक निदेशक | 2 | 2 |
| डॉ. के. रमेश, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक | 2 | 2 |
| डॉ. आर. एच. ढोलकिया, शेयरधारक निदेशक | 1 | 1 |
| डॉ. उत्तम कुमार सरकार, शेयरधारक निदेशक | 5 | 5 |
| श्री के. केदिरेसन, शेयरधारक निदेशक | 4 | 4 |

#### 5.8.4 अनुपालन अधिकारी का नाम एवं पदनाम :

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के विनियमन 6 के अनुक्रम में श्री मंगेश मांद्रेकर को कंपनी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया एवं निवेशक शिकायत निवारण के लिए बैंक के अनुपालन अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया.

#### 5.8.5 वर्ष 2018-19 के दौरान शेयरधारकों की शिकायतों का विवरण :

31.03.2019 को समाप्त वित्त वर्ष की तुलना में 31.03.2018 को समाप्त वित्त वर्ष में प्राप्त, निस्तारित एवं लम्बित शिकायतों की संख्या प्रदर्शित करने वाली तुलनात्मक तालिका निम्नानुसार है :-

| क्र.सं. | विवरण | 31.03.19 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए | 31.03.18 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए |
|---|---|---|---|
| ए. | वर्ष के प्रारम्भ में शेयरधारकों की लम्बित शिकायतों की संख्या | 0 | 0 |
| बी. | वर्ष के दौरान शेयरधारकों से प्राप्त शिकायतों की संख्या | 276 | 231 |
| सी. | वर्ष के दौरान शेयरधारकों की निस्तारित की गयी शिकायतों की संख्या | 276 | 231 |
| डी. | वर्ष की समाप्ति पर शेयरधारकों की लम्बित शिकायतों की संख्या | 0 | 0 |

### 5.9 आईटी रणनीति समिति (आईटीएससी)

#### 5.9.1 संघटन

आईटी सुशासन उपायों के एक भाग के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक ने बोर्ड को आईटी पर रणनीतिक मार्गदर्शन देने और बोर्ड की ओर से आईटी निवेश की समीक्षा के लिए आईटी रणनीति समिति बनाने की संस्तुति की है. समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे :

- कार्यपालक निदेशकगण
- सरकार द्वारा नामित निदेशक
- तीन गैर - कार्यपालक निदेशक जिसमें से एक स्वतंत्र निदेशक होगा
- एक बाहरी आईटी विशेषज्ञ
- मुख्य सूचना अधिकारी (बैंक के आईटी कार्यों के प्रमुख, महाप्रबंधक)

श्री केवल हांडा, अध्यक्ष एवं अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक इस समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं.

#### 5.9.2 कार्य

- आईटी रणनीति और नीति दस्तावेजों का अनुमोदन
- यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन ने प्रभावी रणनीतिक योजना प्रक्रिया बनाई है.
- यह पुष्टि करना कि कारोबारी रणनीति वास्तव में आईटी रणनीति के साथ संयोजित है.
- यह सुनिश्चित करना कि आईटी की संगठनात्मक संरचना, कारोबारी मॉडल और इसकी दिशा के अनुरूप है.
- सुनिश्चित करना कि प्रबंधन ने कारोबार बढ़ाने में आईटी का

उपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया एवं पद्धति का पालन किया है.

- यह सुनिश्चित करना कि आईटी में निवेश जोखिम और लाभ के संतुलन के अनुरूप रहें और बजट स्वीकार करने योग्य हों.
- रणनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक आईटी संसाधनों का प्रयोग तय करने के लिए प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त उपायों का अनुश्रवण और आईटी संसाधनों के स्रोत और उपयोग के बारे में उच्च स्तरीय मार्गदर्शन देना.
- बैंक के सुस्थिर विकास के लिए आईटी निवेश में उचित संतुलन सुनिश्चित करना.
- आईटी जोखिम और नियंत्रणों के प्रयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करना और अनुश्रवण के लिए प्रबंधन की तैयारी का मूल्यांकन करना.
- आईटी रणनीतियों के कार्यान्वयन में वरिष्ठ प्रबंधन के निष्पादन का मूल्यांकन करना.
- उच्च स्तरीय नीति संबंधी मार्गदर्शन (उदाहरणार्थ- जोखिम, फंडिंग या प्राप्ति स्रोत संबंधी)
- यह पुष्टि करना कि आईटी या कारोबारी संरचना इस प्रकार बनायी गयी है जिससे आईटी से अधिकतम कारोबारी लाभ प्राप्त हो.
- बैंक स्तर पर आईटी पर व्यय होने वाली समग्र राशि का पयर्वेक्षण और यह पता करना कि प्रबंधन के पास आईटी जोखिम के लिए संसाधन हैं.
- आईटी के कामकाज और कारोबार में इसके योगदान की समीक्षा (अर्थात् वायदे के अनुरूप लाभ मिल रहा है)
- आईटी आपदा प्रबंधन के लिए तंत्र स्थापित करना.
- बैंक के डिजिटल लेनदेनों को बढ़ाने के लिए तत्संबंधी परामर्श, दिशानिर्देश एवं अनुश्रवण हेतु डिजिटल लेनदेन पर बोर्ड स्तरीय उप समिति के रूप में कार्य करने के लिए.

### 5.9.3 आईटीएससी बैठकों में उपस्थिति :

वर्ष 2018-19 के दौरान समिति की 4 बैठकें हुई और उसमें निम्नलिखित उपस्थिति रही :

| निदेशक का नाम | कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या | बैठकों में उपस्थिति |
|---|---|---|
| श्री केवल हांडा, अध्यक्ष एवं अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक, समिति के अध्यक्ष | 4 | 4 |
| श्री विनोद कथूरिया, कार्यपालक निदेशक | 1 | 1 |
| श्री राज कमल वर्मा, कार्यपालक निदेशक | 3 | 3 |
| श्री अतुल कुमार गोयल, कार्यपालक निदेशक | 2 | 2 |
| श्री गोपाल सिंह गुसाईं, कार्यपालक निदेशक | 2 | 1 |
| श्री दिनेश कुमार गर्ग, कार्यपालक निदेशक | 2 | 2 |
| श्री मानस रंजन बिस्वाल, कार्यपालक निदेशक | 1 | 1 |
| डॉ. मदनेश कुमार मिश्रा, सरकार द्वारा नामित निदेशक | 4 | 3 |
| डॉ. उत्तम कुमार सरकार, शेयरधारक निदेशक | 3 | 1 |
| श्री जयदेव एम., शेयरधारक निदेशक | 3 | 2 |
| श्री जी. शिवकुमार, विशेष आमंत्रित | 4 | 3 |
| श्री आर. कंदासामी, महाप्रबंधक, डीआईटी | 4 | 4 |

## 5.10 नामांकन समिति (एनसी)

### 5.10.1 संघटन:

भारतीय रिज़र्व बैंक ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड के निदेशकों के रूप में चयनित किए गए व्यक्तियों द्वारा पूरे किए जाने के लिए विशिष्ट ''योग्य एवं उपयुक्त'' मानदंड निर्धारित किए हैं. उपर्युक्त दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने शेयरधारक निदेशकों की योग्य एवं उपयुक्त स्थिति के निर्धारण हेतु समुचित सावधानी प्रक्रिया करने के लिए नामांकन समिति का गठन किया है, जिसमें गैर-कार्यकारी अध्यक्ष और दो गैर-कार्यपालक निदेशक शामिल किये गए हैं.

### 5.10.2 कार्य:

- समुचित सावधानी के कार्य की जिम्मेदारी लेना और चयनित शेयरधारक निदेशकों की ''योग्य एवं उपयुक्त'' स्थिति की जांच करना.
- यह देखना कि क्या किसी मानदंड यथा (i) शैक्षिक योग्यता (ii) अनुभव एवं क्षेत्र की विशेषज्ञता (iii) ट्रैक रिकॉर्ड एवं सत्यनिष्ठा का गैर-अनुपालन वर्तमान चयनित निदेशक/प्रस्तावित उम्मीदवार को बैंक के बोर्ड में निदेशक के रूप में अपने कर्तव्यों को निभाने में रुकावट तो पैदा नहीं करता है. इसके अतिरिक्त, किसी प्राधिकार/नियामक एजेंसी के बारे में प्रतिकूल सूचना या दिवालियापन अथवा किसी बैंक या किसी वित्तीय संस्था से किसी ऋण में चूक की सूचना उम्मीदवार को बैंक के बोर्ड में निदेशक होने के लिए अयोग्य एवं अनुपयुक्त कर देगी.
- हस्ताक्षरित घोषणा के आधार पर यह समिति उम्मीदवार को स्वीकार करने या न करने का निर्णय करे और आवश्यक समझे जाने पर उपयुक्त प्राधिकारी/व्यक्तियों से संदर्भ प्राप्त करें ताकि इन अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके.

### 5.10.3 एनसी बैठकों में उपस्थिति :

वर्ष 2018-19 के दौरान समिति की 1 बैठक हुई. ये बैठकें दिनांक 14.06.2018 को आयोजित हुई तथा उपस्थिति का ब्यौरा निम्नलिखित है.

| निदेशक का नाम | कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या | बैठकों में उपस्थिति |
|---|---|---|
| श्री केवल हांडा, अध्यक्ष एवं अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक, समिति के अध्यक्ष | 1 | 1 |
| डॉ. मदनेश कुमार मिश्रा, सरकार द्वारा नामित निदेशक | 1 | 1 |
| डॉ. के. रमेश, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक | 1 | 1 |

### 5.11 पारिश्रमिक समिति (आरसी)

#### 5.11.1 संघटन:

भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के पूर्णकालिक निदेशको के कार्य निष्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन की एक योजना घोषित की है. भारत सरकार की सूचना के अनुसार बोर्ड की एक उप समिति बनाई गई है, जिसे ''पारिश्रमिक समिति'' कहा गया है. समिति के गठन में निम्नलिखित सदस्यों को शामिल किया गया है:

- अध्यक्ष
- सरकार द्वारा नामित निदेशक
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित निदेशक
- दो अन्य निदेशक

#### 5.11.2 कार्य:

भारत सरकार के उपर्युक्त दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों को दिए जाने वाले कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहनों का निर्धारण करना.

#### 5.11.3 आरसी बैठकों में उपस्थिति

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक. एफ.नं.12/1/2014 - बीओए दिनांकित 18.08.2015 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2015-16 से सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के बोर्ड के पूर्णकालिक निदेशकों के कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन हेतु प्रमुख कार्यनिष्पादन संकेतक में परिवर्तन किया गया है तथा विस्तृत कार्यनिष्पादन मूल्यांकन मैट्रिक्स के आधार पर सचिव (वित्तीय सेवाएँ) की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा पूर्णकालिक निदेशकों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन किया जाएगा. इसलिए वित्तीय वर्ष 2015-16 से बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों को भुगतान किए जाने वाले कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन को तय करने में पारिश्रमिक समिति की अब कोई भूमिका नहीं है. अत: वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान पारिश्रमिक समिति की कोई बैठक नहीं हुई.

### 5.12 निदेशकों की पदोन्नति समिति (डीपीसी)

#### 5.12.1 संघटन:

भारत सरकार ने अपने पत्रांक एफ.नं.4/3/1/2012 - आईआर दिनांक 08.12.2016 द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों को बोर्ड की सहमति से पदोन्नति प्रक्रिया के लिए चयन समिति की संरचना तय करने की स्वायत्तता प्रदान की है. बोर्ड निदेशकों ने समिति के गठन को निम्नानुसार अनुमोदित किया है -

- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ द्वारा अनुमोदित एचआर पोर्टफोलियो की देखरेख करने वाले कार्यपालक निदेशक या सरकार द्वारा नामित निदेशक
- डोमेन जानकारी रखने वाले एक बाहरी विशेषज्ञ
- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ द्वारा अनुमोदित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक से सेवानिवृत्त कार्यपालक निदेशक के अलावा किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक के सीएमडी/ईडी/एमडी एवं सीईओ के पद से सेवानिवृत्त एक अतिरिक्त स्वतंत्र सदस्य.

#### 5.12.2 कार्य:

यह समिति उच्च कार्यपालक ग्रेड स्केल VII में पदोन्नति के लिए अभ्यर्थियों का चयन करने के साथ-साथ उच्च प्रबंधन वर्ग वेतनमान VII में चयन/अनुमोदन न होने पर अधिकारियों द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर विचार करती है और उच्च कार्यपालक ग्रेड में अधिकारियों की सेवाएं जारी रखने संबंधी मामलों पर निर्णय लेती है.

#### 5.12.3 डीपीसी बैठकों में उपस्थिति :

2018-19 के दौरान समिति की एक बैठक हुई और उसमें निम्नलिखित उपस्थिति रही:

| निदेशक का नाम | उनके कार्यकाल के दौरान सम्पन्न बैठकों की संख्या | बैठकों में उपस्थिति |
|---|---|---|
| श्री राजकिरण रै जी., प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, समिति के अध्यक्ष | 1 | 1 |
| डॉ. मदनेश कुमार मिश्रा, सरकार द्वारा नामित निदेशक | 1 | 1 |
| श्री सुरेश एन. पटेल (विशेष आमंत्रित) | 1 | 1 |
| श्री एन. आर. भुसनुरमथ (विशेष आमंत्रित) | 1 | 1 |

### 5.13 अनुशासनिक कार्यवाही समिति - सतर्कता/गैर-सतर्कता (डीपीसी-V)

#### 5.13.1 संघटन:

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने बैंक की अनुशासनिक कार्यवाही समिति - सतर्कता/गैर सतर्कता को यह निर्देश दिया है कि तिमाही आधार पर सतर्कता अनुशासनात्मक मामलों व विभागीय जांच की समीक्षा की जानी चाहिए. इस समिति में निम्न सदस्य हैं:

- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
- भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित निदेशक

#### 5.13.2 कार्य:

यह समिति सतर्कता, गैर-सतर्कता संबंधी अनुशासनात्मक मामलों और विभागीय जांचों की समीक्षा करती है.

#### 5.13.3 डीपीसी -V सतर्कता बैठकों में उपस्थिति :

वर्ष 2018 -19 के दौरान समिति की 4 बैठकें संपन्न हुई, जिनमें उपस्थिति निम्नानुसार रही :

| निदेशक का नाम | कार्यकाल के दौरान सम्पन्न बैठकों की संख्या | बैठकों में उपस्थिति |
|---|---|---|
| श्री राजकिरण रै जी., प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, समिति के अध्यक्ष | 4 | 4 |
| डॉ. मदनेश कुमार मिश्रा, सरकार द्वारा नामित निदेशक | 4 | 4 |
| श्री अनिल कुमार मिश्रा, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित निदेशक | 4 | 0 |

### 5.14 बोर्ड की शेयर अंतरण समिति (एसटीसीबी)

#### 5.14.1 संघटन:

इस समिति में कार्यपालक निदेशकों, मुख्य अनुपालन अधिकारी/मुख्य वित्तीय अधिकारी और महा प्रबंधक/उप महा प्रबंधक/सहायक महा प्रबंधक - बोर्ड सचिव शामिल हैं.

श्री गोपाल सिंह गुसाईं, कार्यपालक निदेशक इस समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं.

#### 5.14.2 कार्य:

बैंक ने शेयरों के शीघ्र अंतरण के लिए निदेशक मंडल की शेयर अंतरण समिति गठित की है, जिसे शेयरों के अंतरण, प्रेषण, डीमैट एवं डुप्लीकेट शेयर जारी करने आदि की पुष्टि के अधिकार दिये गये हैं.

#### 5.14.3 एसटीसीबी बैठकों में उपस्थिति:

वर्ष के दौरान, समिति ने शेयरों के अंतरण, प्रेषण, डीमैट एवं डुप्लीकेट शेयर जारी करने इत्यादि पर कार्रवाई करने के लिए 36 बैठकें आयोजित की.

| निदेशक का नाम | उनके कार्यकाल के दौरान सम्पन्न बैठकों की संख्या | बैठकों में उपस्थिति |
|---|---|---|
| श्री गोपाल सिंह गुसाईं, कार्यपालक निदेशक, समिति के अध्यक्ष | 19 | 16 |
| श्री विनोद कथूरिया, कार्यपालक निदेशक | 11 | 8 |
| श्री राज कमल वर्मा, कार्यपालक निदेशक | 33 | 31 |
| श्री अतुल कुमार गोयल, कार्यपालक निदेशक | 21 | 20 |
| श्री दिनेश कुमार गर्ग, कार्यपालक निदेशक | 15 | 15 |
| श्री मानस रंजन बिस्वाल, कार्यपालक निदेशक | 3 | 3 |
| पदवार उपस्थिति | | |
| मुख्य अनुपालन अधिकारी/मुख्य वित्तीय अधिकारी | 36 | 27 |
| उप महाप्रबंधक/सहायक महाप्रबंधक - बोर्ड सचिव | 36 | 36 |

### 5.15 असहयोगी उधारकर्ता के वर्गीकरण पर बोर्ड की समीक्षा समिति (आरसीएनसीबी)

#### 5.15.1 संघटन:

अनुमोदन समिति द्वारा पारित असहयोगी उधारकर्ता के वर्गीकरण पर आदेशों की समीक्षा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों पर उधारकर्ता के असहयोगी उधारकर्ता के रूप में वर्गीकरण पर बोर्ड की समीक्षा समिति का गठन किया गया है. समिति में शामिल हैं :

- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
- दो स्वतंत्र निदेशक (शेयरधारक निदेशक)

श्री राजकिरण रै जी., बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ हैं, जो वर्तमान में समिति के अध्यक्ष हैं.

#### 5.15.2 कार्य :

- समिति, अनुमोदन समिति के आदेशों की समीक्षा करेगी, अर्थात् कार्यपालक निदेशक के नेतृत्व वाली समिति द्वारा उधारकर्ता की रिकार्डिंग असहयोगी के रूप में किये जाने पर बोर्ड की समीक्षा समिति द्वारा पुष्टि होने के बाद ही यह आदेश अंतिम होगा.
- सीआरआईएलसी को प्रस्तुत तिमाही रिटर्न की समीक्षा.
- छमाही आधार पर असहयोगी उधारकर्ताओं की स्थिति की समीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए करना कि क्या बोर्ड को प्रस्तुत करने से पूर्व ऋण अनुशासन रिटर्न व सहकारी व्यवहार द्वारा उनके नाम को अवर्गीकृत किया जा सकता है.

#### 5.15.3 आरसीएनसीबी बैठकों में उपस्थिति:

आवश्यकता के अनुसार बैठक का आयोजन किया जाता है. चूँकि इस संबंध में कोई आवश्यकता नहीं रही, अत: वर्ष 2018 -19 के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई.

### 5.16 बैंक के जानबूझकर चूककर्ताओं पर समीक्षा समिति (आरसीडब्ल्यूडीबी)

#### 5.16.1 संघटन:

जानबूझकर चूककर्ताओं पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक में जानबूझकर चूककर्ताओं पर समीक्षा समिति का गठन किया गया है. समिति में शामिल हैं :

- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
- दो स्वतंत्र निदेशक (शेयरधारक निदेशक)

श्री राजकिरण रै जी., बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ इस समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं.

#### 5.16.2 कार्य :

जानबूझकर चूककर्ता के रूप में उधारकर्ताओं के वर्गीकरण पर कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा समीक्षा व पारित आदेश की पुष्टि.

#### 5.16.3 आरसीडब्ल्यूडीबी बैठकों में उपस्थिति:

वर्ष 2018-19 के दौरान समिति की 4 बैठकें हुई और उसमें निम्नलिखित उपस्थिति रही:

| निदेशक का नाम | उनके कार्यकाल के दौरान सम्पन्न बैठकों की संख्या | बैठकों में उपस्थिति |
|---|---|---|
| श्री राजकिरण रै जी., प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, समिति के अध्यक्ष | 4 | 4 |
| डॉ. आर. एच. ढोलकिया, शेयरधारक निदेशक | 1 | 1 |
| श्री जी. के. लाठ, शेयरधारक निदेशक | 1 | 1 |
| डॉ. उत्तम कुमार सरकार, शेयरधारक निदेशक | 3 | 3 |
| श्री के. केदिरेसन, शेयरधारक निदेशक | 3 | 3 |

### 5.17 शेयरधारक निदेशकों के चुनाव पर निर्णय के लिए बोर्ड की समिति - सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा मतदान (सीईएसडी)

#### 5.17.1 संघटन:

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, वित्तीय संस्थानों सहित अन्य कंपनियों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के इक्विटी शेयर धारण करते हैं. भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अन्य कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों व वित्तीय संस्थाओं के शेयरधारक निदेशक के चुनाव में उम्मीदवारों का समर्थन करने पर निर्णय लेने के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के नेतृत्व में बोर्ड की एक समिति का गठन करना होता है. समिति में शामिल हैं :

- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
- कार्यपालक निदेशक
- बोर्ड द्वारा नामित दो अन्य सदस्य

श्री राजकिरण रै जी., बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ इस समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं.

#### 5.17.2 कार्य:

सभी बिन्दुओं अर्थात विभिन्न उम्मीदवारों की शिक्षा, अनुभव, प्रोफाइल एवं पृष्ठभूमि सहित सभी तथ्यों पर विचार करने के उपरांत चुनाव में उम्मीदवारों का समर्थन करने पर एक निर्णय लिया जाएगा. इसके साथ ही, पीएसबी के शेयरधारक निदेशक के चुनाव के मामलों में विभिन्न क्षेत्रों में बैंक के संदर्भ में आवश्यक विशेषज्ञता को भी ध्यान में रखा जाएगा.

#### 5.17.3 सीईएसडी बैठकों में उपस्थिति

आवश्यकता के अनुसार बैठक का आयोजन किया जाता है. चूँकि इस संबंध में कोई आवश्यकता नहीं रही, अत: वर्ष 2018 -19 के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई.

### 5.18 चुनाव विवाद समिति (ईडीसी)

#### 5.18.1 संघटन:

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर्स एवं बैठकें) विनियमन, 1998 के अनुसार शेयरधारक निदेशक के चयन में योग्यता या अयोग्यता अथवा चुने जाने की घोषणा या चुनाव की वैधता आदि के विषय में कोई संदेह या विवाद होने पर उसे निर्णय के लिए चुनाव विवाद समिति के पास भेजा जायेगा. समिति में शामिल होंगे :

- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक
- बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप - धारा (3) के खण्ड (बी) और (सी) के तहत नामित कोई दो निदेशक

श्री राजकिरण रै जी., बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ इस समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं.

#### 5.18.2 कार्य:

चुनाव विवाद समिति, आवश्यकता के अनुसार जांच करेगी और यदि यह पाती है कि वह चुनाव, वैध चुनाव था, तो वह घोषित चुनाव के परिणाम की पुष्टि करेगी अथवा यदि उसे लगे कि चुनाव वैध नहीं था तो तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार समिति जांच प्रारंभ होने के 30 दिनों के भीतर तदनुसार आदेश पारित करेगी, साथ नए सिरे से चुनाव कराने सहित इस प्रकार के आदेश जारी करेगी.

#### 5.18.3 ईडीसी बैठकों में उपस्थिति:

आवश्यकता के अनुसार बैठक का आयोजन किया जाता है. चूँकि इस संबंध में कोई आवश्यकता नहीं रही, अत: वर्ष 2018 -19 के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई.

### 5.19 ऋण अनुमोदन समिति-1 (सीएसी-1)

#### 5.19.1 संघटन:

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने ऋण अनुमोदन समिति-1 का गठन किया है. हमारे बैंक में यह समिति ₹ 400 करोड़ तक के किसी एक ऋण प्रस्ताव तथा ₹ 800 करोड़ तक के समूह ऋणों के संबंध में बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करेगी और यदि ऋण इस सीमा से अधिक है, तो बोर्ड की प्रबंधन समिति इस पर विचार करेगी.

सीएसी-1 में निम्न शामिल हैं:

- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
- कार्यपालक निदेशकगण
- महाप्रबंधक प्रभारी ऋण
- महाप्रबंधक प्रभारी वित्त/मुख्य वित्त अधिकारी और
- महाप्रबंधक प्रभारी जोखिम प्रबंधन

श्री राजकिरण रै जी., बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ इस समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं.

#### 5.19.2 कार्य:

अग्रिम से संबधित सभी मामले, जिसमें अनुमोदन/समीक्षा - नवीकरण, विविध अनुरोध, ब्याज में रियायत, समझौते/बट्टे खाते में डालने वाले प्रस्ताव, पूंजी एवं राजस्व व्यय का अनुमोदन, अधिग्रहण एवं किराए पर परिसर आदि जो इसके प्रत्यायोजन अधिकारों में आते हैं, सीएसी-I में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये जाते हैं.

#### 5.19.3 सीएसी -I की बैठकों में उपस्थिति :

वर्ष 2018 - 19 के दौरान समिति की 24 बैठकें आयोजित की गई और उनमें उपस्थिति निम्नानुसार रही:

| निदेशक का नाम | उनके कार्यकाल के दौरान सम्पन्न बैठकों की संख्या | बैठकों में उपस्थिति |
|---|---|---|
| श्री राजकिरण रै जी., प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, समिति के अध्यक्ष | 24 | 24 |
| श्री विनोद कथूरिया, कार्यपालक निदेशक | 6 | 4 |
| श्री राज कमल वर्मा, कार्यपालक निदेशक | 21 | 20 |
| श्री अतुल कुमार गोयल, कार्यपालक निदेशक | 14 | 13 |
| श्री गोपाल सिंह गुसाईं, कार्यपालक निदेशक | 13 | 12 |
| श्री दिनेश कुमार गर्ग, कार्यपालक निदेशक | 10 | 9 |

| | | |
|---|---|---|
| श्री मानस रंजन बिस्वाल, कार्यपालक निदेशक | 3 | 2 |
| **पदवार उपस्थिति** | | |
| महाप्रबंधक प्रभारी ऋण | 24 | 24 |
| महाप्रबंधक प्रभारी वित्त/सीएफओ | 24 | 20 |
| महाप्रबंधक प्रभारी जोखिम प्रबंधन | 24 | 24 |

## 5.20 पूंजीगत निधियों की उगाही के लिए निदेशकों की समिति (सीडीआरसीईएफ)

### 5.20.1 संघटन:

बोर्ड द्वारा दिए गए अनुमोदन के अनुसार पूंजीगत निधियों की उगाही के लिए आवश्यक औपचारिकताओं की पूर्ति की दृष्टि से समिति का गठन किया गया है. समिति में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ तथा कार्यपालक निदेशकगण भी शामिल हैं.

श्री राजकिरण रै जी., बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ इस समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं.

### 5.20.2 कार्य:

समिति को पूंजीगत निधियों की उगाही हेतु आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण करने तथा ऐसे सभी कार्य, कृत्य करने तथा विषय एवं मामले निपटाने, जो उसके सम्पूर्ण विवेकाधिकार के अनुसार आवश्यक, उचित एवं अपेक्षित है, करने के लिए प्राधिकार है. लेकिन यह बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय एवं सेबी विनियमन के अधीन प्रदत्त अनुसार प्रमात्रा एवं माध्यम, ट्रांच की संख्या, कीमत या कीमतें, डिस्काउंट/ प्रीमियम, कर्मचारियों, ग्राहकों, वर्तमान शेयरधारकों और/या अन्य किसी व्यक्ति को आरक्षण देने तथा ऐसे निर्गम(मों) का समय निर्धारण, अपने विवेकाधिकार पर निर्गम की शुरुआत करने के लिए प्रतिबंधित नहीं हैं. बशर्ते कि यह लागू नियमों एवं विनियमन तथा भारत सरकार एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के अध्यधीन है.

### 5.20.3 सीडीआरसीएफ बैठकों में उपस्थिति:

वर्ष 2018 - 19 के दौरान समिति की 2 बैठकें आयोजित की गई और उनमें उपस्थिति निम्नानुसार रही:

| निदेशक का नाम | कार्यकाल के दौरान सम्पन्न बैठकों की संख्या | बैठकों में उपस्थिति |
|---|---|---|
| श्री राजकिरण रै जी., प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, समिति के अध्यक्ष | 2 | 2 |
| श्री विनोद कथूरिया, कार्यपालक निदेशक | 1 | 0 |
| श्री राज कमल वर्मा, कार्यपालक निदेशक | 1 | 1 |
| श्री अतुल कुमार गोयल, कार्यपालक निदेशक | 1 | 1 |
| श्री गोपाल सिंह गुसाईं, कार्यपालक निदेशक | 1 | 1 |
| श्री दिनेश कुमार गर्ग, कार्यपालक निदेशक | 1 | 1 |
| श्री मानस रंजन बिस्वाल, कार्यपालक निदेशक | 1 | 1 |

## 5.21 कॉर्पोरेट सोशल रिस्पन्सिबिलिटी समिति (सीएसआरसी)

कॉर्पोरेट सोशल रिस्पन्सिबिलिटी समिति का उद्देश्य बोर्ड तथा बैंक के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पन्सिबिलिटी समिति को पूरा करने में सहायता करना है.

### 5.21.1 संघटन:

समिति में उपस्थिति निम्नलिखित है.

- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
- कार्यपालक निदेशकगण
- बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(एच) के तहत नामित कोई एक अंश-कालिक गैर-सरकारी निदेशक.
- बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(आई) के तहत चुने गए एक शेयरधारक निदेशक.

श्री राजकिरण रै जी. बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ है, जो वर्तमान में समिति के अध्यक्ष हैं.

### 5.21.2 कार्य:

- निदेशक मण्डल को सीएसआर नीति तैयार कर अनुशंसित किया जाना एवं आगे की जाने वाली गतिविधियों का संकेत करना.
- परियोजनाओं का अनुमोदन सीएसआर नीति के तहत समिति द्वारा अनुमोदित यूनियन बैंक सोशल फाउंडेशन ट्रस्ट या अन्य ऐसी इकाई/संस्था के माध्यम से किया जाना चाहिए.
- महाप्रबंधक/कार्यपालक निदेशक/प्रबंध निदेशक एवं सीईओ द्वारा उन्हें प्रत्यायोजित प्राधिकारों के प्रयोग की समीक्षा तिमाही आधार पर करना. यूनियन बैंक सोशल फाउंडेशन ट्रस्ट के कार्य निष्पादन का तिमाही आधार पर समीक्षा करना.

### 5.21.3 आरसीएफ बैठकों में उपस्थिति:

वर्ष 2018-19 के दौरान समिति की 3 बैठकें आयोजित की गई और उनमें उपस्थिति निम्नानुसार रही:

| निदेशक का नाम | कार्यकाल के दौरान सम्पन्न बैठकों की संख्या | बैठकों में उपस्थिति |
|---|---|---|
| श्री राजकिरण रै जी, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, समिति के अध्यक्ष | 3 | 3 |
| श्री राज कमल वर्मा, कार्यपालक निदेशक | 2 | 2 |
| श्री अतुल कुमार गोयल, कार्यपालक निदेशक | 1 | 1 |
| श्री गोपाल सिंह गुसाईं, कार्यपालक निदेशक | 2 | 2 |
| श्री दिनेश कुमार गर्ग, कार्यपालक निदेशक | 2 | 2 |
| श्री मानस रंजन बिस्वाल, कार्यपालक निदेशक | 1 | 1 |
| डॉ के. रमेश, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक | 2 | 2 |
| डॉ मदुरा स्वामीनाथन, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक | 1 | 0 |
| डॉ. उत्तम कुमार सरकार, शेयरधारक निदेशक | 3 | 2 |

**6. साधारण सभा की बैठकें:**

पिछले 3 वर्षों के दौरान आयोजित शेयरधारकों की साधारण बैठकों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

| बैठक का स्वरूप | दिनांक एवं समय | स्थान | विशेष संकल्प |
|---|---|---|---|
| चौदहवीं वार्षिक सामान्य बैठक | 27 जून, 2016 प्रात: 11.00 बजे | रामा एंड सुंदरी वाटुमल ऑडिटोरियम, के सी कॉलेज, विद्यासागर,प्राचार्य के.एम.कुंदनानी चौक, 124, दिनशा वाचा रोड, चर्चगेट, मुम्बई-400 020. | ऑफर दस्तावेज़/प्रोस्पेक्टस या ऐसे अन्य दस्तावेज़ के द्वारा भारत या विदेश में एफपीओ/राइट्स/क्यूआईपी आदि के जरिए ₹3200 करोड़ (प्रीमियम सहित यदि कोई हो) तक इक्विटी शेयर के लिए पूंजी में वृद्धि करना. |
| असाधारण सामान्य बैठक | 23 फरवरी, 2017 प्रात: 11.00 बजे | रामा एंड सुंदरी वाटुमल ऑडिटोरियम, के सी कॉलेज, विद्यासागर, प्राचार्य के.एम.कुंदनानी चौक, 124, दिनशा वाचा रोड, चर्चगेट, मुम्बई-400 020. | 1. ₹128.76 के प्रीमियम सहित ₹138.76 की दर से ₹541 करोड़ के नकदी आधार पर कुल 3,89,88,181 इक्विटी शेयर वरीयता आधार पर भारत सरकार को जारी करना.<br>2. ₹128.76 के प्रीमियम सहित ₹138.76 की दर से ₹180 करोड़ के नकदी आधार पर कुल 1,29,72,038 इक्विटी शेयर वरीयता आधार पर भारत सरकार को जारी करना. |
| पंद्रहवीं वार्षिक सामान्य बैठक | 23 जून, 2017 प्रात: 11.30 बजे | रामा एंड सुंदरी वाटुमल ऑडिटोरियम, के सी कॉलेज, विद्यासागर, प्राचार्य के.एम.कुंदनानी चौक, 124, दिनशा वाचा रोड, चर्चगेट, मुम्बई-400 020. | ऑफर दस्तावेज़/प्रोस्पेक्ट्स या ऐसे अन्य दस्तावेज़ के द्वारा भारत या विदेश में एफपीओ/राइट्स/ क्यूआईपी/अधिमानी आबंटन आदि के जरिए ₹4,950 करोड़ (प्रीमियम सहित यदि कोई हो) तक इक्विटी शेयर के लिए पूंजी में वृद्धि करना. |
| असाधारण सामान्य बैठक | 16 मार्च, 2018 प्रात: 11.00 बजे | वाई.बी.चव्हाण ऑडिटोरियम, जनरल जगन्नाथ भोसले मार्ग, मंत्रालय के विपरीत, नरीमन पॉइंट, मुंबई, महाराष्ट्र -400021,. | ₹134.62 के प्रीमियम सहित ₹144.62 की दर से ₹4,524 करोड़ के नकदी आधार पर कुल 31,28,19,803 इक्विटी शेयर वरीयता आधार पर भारत सरकार को जारी करना. |
| सोलहवीं वार्षिक सामान्य बैठक | 27 जून, 2018 प्रात: 11:00 बजे | रामा एंड सुंदरी वाटुमल ऑडिटोरियम, के सी कॉलेज, विद्यासागर, प्राचार्य के.एम. कुंदनानी चौक, 124, दिनशा वाचा रोड, चर्चगेट, मुम्बई-400 020 | ऑफर दस्तावेज़/प्रोस्पेक्ट्स या ऐसे अन्य दस्तावेज़ के द्वारा भारत या विदेश में एफपीओ/राइट्स/ क्यूआईपी/अधिमानी आबंटन आदि के जरिए ₹6,850 करोड़ (प्रीमियम सहित यदि कोई हो) तक इक्विटी शेयर के लिए पूंजी में वृद्धि करना. |
| पोस्टल बैलट **$$** | 14 फरवरी, 2019 | - | कर्मचारी शेयर खरीद योजना (यहाँ "यूनियन बैंक ईएसपीएस" के रूप में संदर्भित है) के अंतर्गत पात्र कर्मचारियों को एक या एक से अधिक भाग में ₹10/- (रूपए दस मात्र) प्रति अंकित मूल्य के 8,00,00,000 (आठ करोड़) तक के नए इक्विटी शेयर सृजित करना, प्रदान करना, जारी करना तथा आबंटित करना, जो बैंक की मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ परी पसु रैंकिंग के अनुरूप हैं. |
| असाधारण समान्य बैठक | 26 मार्च, 2019 प्रात: 11.00 बजे | रामा एंड सुंदरी वाटुमल ऑडिटोरियम, के सी कॉलेज, विद्यासागर, प्राचार्य के.एम. कुंदनानी चौक, 124, दिनशा वाचा रोड, चर्चगेट, मुम्बई-400 020 | ₹68.84 के प्रीमियम सहित ₹78.84 की दर से ₹4,112 करोड़ के नकदी आधार पर कुल 52,15,62,658 इक्विटी शेयर वरीयता आधार पर भारत सरकार को जारी करना. |

**$ $ पोस्टल बैलट का ब्यौरा :**

- श्री अंकुर कुमार, मेसर्स ईजी लॉ, एडवोकेट एंड कॉर्पोरेट लीगल एडवाइज़र को जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कि, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रुप से पोस्टल बैलेट एवं ई-वोट्स की जांच करेंगे
- सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 के विनियम 44 यथा संशोधित तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 एवं 22 के अधीन निर्धारित अनुसार पोस्टल बैलट एवं ई-वोटिंग की प्रक्रिया का अनुपालन किया गया.
- वोटिंग पैटर्न -

| विवरण | वैध मतदाताओं की संख्या | | | निहित वैध मतों की संख्या | | | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | पोस्टल बैलट फॉर्म | ई वोटर्स | कुल | पोस्टल बैलट फॉर्म | ई-वोटर्स | कुल | |
| सहमति | 1239 | 239 | 1478 | 78,82,32,164 | 22,09,51,108 | 1,00,91,83,272 | 97.45 |
| असहमति | 129 | 109 | 238 | 68,067 | 2,63,68,301 | 2,64,36,368 | 2.55 |
| कुल | 1368 | 348 | 1716 | 78,83,00,231 | 24,73,19,409 | 1,03,56,19,640 | 100 |

**7. प्रकटन**

बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन 2015 तथा भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार और सेबी द्वारा जारी दिशानिदेशों/परिपत्रों से बैंक संचालित होता है.

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन 2015 के अनुसार कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रावधान उन सूचीबद्ध प्रतिष्ठानों पर, जो कंपनी नहीं हैं, परंतु अन्य अधिनियमों के अंतर्गत निगमित कॉर्पोरेट निकाय हैं, पर उस सीमा तक ही लागू होंगे कि वह उनके संबंधित अधिनियमों और नियामक प्राधिकारियों द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन न करता हो.

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए यह घोषणा की जाती है कि बैंक सभी लागू अनिवार्य अपेक्षाओं का पालन करता है. उक्त खंड के अंतर्गत गैर-अनिवार्य अपेक्षाओं से संबंधित अनुपालन की जानकारी भी इस रिपोर्ट में दी गई है. खंड द्वारा निर्धारित अन्य प्रकटन अपेक्षाएं निम्नानुसार हैं:

**7.1 निदेशकों का पारिश्रमिक :**

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ तथा कार्यपालक निदेशकों को भारत सरकार द्वारा इस प्रयोजन से बनाये गये नियमों के अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान और यात्रा व्ययों एवं विराम व्ययों की प्रतिपूर्ति की जाती है. पूर्णकालिक कार्यपालकों की नियुक्ति के अन्य नियम एवं शर्तें राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 के खंड 8 के अनुसार हैं, जिनके विस्तृत विवरण लेखों की टिप्पणियों में दिए गए हैं.

**बैठक शुल्क (फीस) :**

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 के खंड 17(1) की शर्तों के अनुसार, केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित बोर्ड या किसी समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित निदेशक को छोड़कर गैर सरकारी निदेशक को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा बैठक में भाग लेने की शुल्क का भुगतान किया जाता है. तदनुसार, केंद्र सरकार ने अधिसूचना क्र.15/1/2011-बीओ.1 दिनांक 18 जनवरी, 2019 के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड में सभी गैर कार्यकारी निदेशकों को देय बैठक शुल्क की निम्नलिखित दरें निर्धारित की हैं:

| | | | |
|---|---|---|---|
| क. | बोर्ड की बैठकें | : | ₹ 40,000/- प्रति बैठक. |
| ख. | समिति की बैठकें | : | ₹ 20,000/- प्रति बैठक. |
| ग. | बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता हेतु | : | ₹ 10,000/- प्रति बैठक. [उपर्युक्त (क) के अतिरिक्त] |
| घ. | समिति की बैठकों की अध्यक्षता हेतु | : | ₹ 5,000/- प्रति बैठक. [उपर्युक्त (ख) के अतिरिक्त] |

उक्त जानकारी बैंक की वेब साइट पर भी, निम्न लिंक के तहत उपलब्ध है : http://www.unionbankofindia.co.in/english/Making-payment.aspx

**यात्रा एवं विराम भत्ता:** अपने लिये पात्र शुल्क के अतिरिक्त बैंक के कार्य से यात्रा करने वाले प्रत्येक निदेशक को राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 खंड 17 की शर्तों के अनुसार यात्रा व्यय एवं विराम व्यय, यदि कोई हो, का समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित दर से भुगतान किया जायेगा.

**7.2 महत्वपूर्ण लेनदेन एवं आर्थिक संबंधों का प्रकटन :**

बैंकिंग कारोबार की सामान्य प्रक्रिया के अतिरिक्त, बैंक ने बड़े स्तर पर बैंक के हितों की संभाव्य प्रतिकूलता को ध्यान में रखते हुए कोई महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं किया है, जो बैंक के हितों के विपरीत हो.

बैंक में यह स्थापित प्रथा है कि बोर्ड या बोर्ड की उप-समितियों की उन बैठकों में वे निदेशक भाग नहीं लेते हैं जिनमें उनके या उनके रिश्तेदारों/फ़र्मों/कंपनियों के हितों से संबंधित मामलों पर चर्चा होती है.

**7.3 आर्थिक संबंध या लेनदेन का प्रकटन :**

बैंक के गैर - कार्यपालक निदेशकों का सामान्य बैंकिंग कारोबार लेनदेन तथा बोर्ड एवं समिति की बैठकों हेतु उन्हें प्रदत्त बैठक शुल्क के अलावा उनका बैंक के साथ कोई आर्थिक संबंध या लेनदेन नहीं है.

**7.4 सार्वजनिक निर्गमों, राइट निर्गमों, अधिमानी निर्गमों आदि के आगम :**

**ईएसपीएस:** बैंक ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया - कर्मचारी शेयर खरीद योजना (यूनियन बैंक - ईएसपीएस) के अंतर्गत पात्र कर्मचारियों को ₹600 करोड़ तक के इक्विटी शेयरों के आबंटन के लिए फरवरी 2019, में पोस्टल बैलट के माध्यम से शेयरधारकों की स्वीकृति प्राप्त की है. बैंक ने यूनियन बैंक ईएसपीएस योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को प्रतिशेयर ₹ 58.49 के निर्गम मूल्य पर (₹48.49 के प्रीमियम सहित) ₹426.28 करोड़ इक्विटी पूंजी जुटाने के लिए 28 मार्च, 2019 को 7,28,80,275 शेयर आबंटित किए हैं -

**अधिमान्य निर्गम:** बैंक ने अधिमान्य आधार पर भारत सरकार (जीओआई) को कुल ₹4112 करोड़ के इक्विटी शेयर के आबंटन हेतु 26 मार्च, 2019 को आयोजित बैंक की असाधारण सामान्य बैठक में शेयरधारकों से स्वीकृति प्राप्त की है. बैंक ने भारत सरकार से 21 फरवरी 2019 को शेयर आवेदन पूंजी लंबित आबंटन के रूप में पूंजी के अंत: प्रवाह के तौर पर ₹4112 करोड़ प्राप्त किए. बैंक ने भारत सरकार को 28 मार्च, 2019 को प्रति शेयर ₹78.84 (₹ 68.84 की प्रीमियम सहित) के मूल्य पर 52,15,62,658 इक्विटी शेयर जारी किए हैं.

**बॉन्डस:** बैंक ने वर्ष 2018-19 के दौरान कोई बॉन्ड जारी नहीं किया है.

**7.5 दंड या आक्षेप :**

गत 3 वर्षों के दौरान बैंक पर स्टॉक एक्सचेज, सेबी या अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले पर कोई अर्थदंड या आक्षेप नहीं लगाया गया है.

**7.6 व्हिसिल ब्लोअर नीति :**

बैंक ने गुप्त सूचना नीति लागू की है और इसे निम्न लिंक पर देखा जा सकता है.

https ://www.unionbankofindia.co.in/english/aboutus-policiescodes.aspx.

लेखापरीक्षा समिति उक्त नीति के कार्य की आवधिक रूप से समीक्षा करती है. इसके अतिरिक्त, यह भी निर्दिष्ट किया जाता है कि किसी भी कर्मचारी को लेखापरीक्षा समिति से संपर्क करने से रोका नहीं गया है.

**7.7 प्रमुख सहायक निर्धारण की नीति :**

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के विनियम 46(2) (एच) के अनुपालन में बैंक ने प्रमुख सहायक निर्धारण की नीति निरुपित की है तथा इस तक निम्नलिखित लिंक के द्वारा पहुंचा जा सकता है https ://www.unionbankofindia.co.in/english/aboutus-policiescodes.aspx

हालांकि आज की तारीख में बैंक की कोई प्रमुख सहायक नहीं है.

**7.8 संबंधित पक्ष संव्यवहार नीति:**

बैंक द्वारा संबंधित पक्ष संव्यवहारों के निपटान हेतु संबंधित संव्यवहार नीति निरुपित की गयी है. इस तक निम्नलिखित लिंक के द्वारा पहुंचा जा सकता है.

https ://www.unionbankofindia.co.in/english/aboutus-policiescodes.aspx

बैंक का कोई भी संबंधित पक्ष संव्यवहार नहीं था, जिसका वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक का वृहद स्तर पर हित प्रभावित नहीं हुआ.

**7.9 प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण :**

इसे वार्षिक रिपोर्ट में अलग से दिया गया है.

**7.10 कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर अनुपालन रिपोर्ट :**

बैंक ने संबंधित तिमाही की समाप्ति के 15 दिन के भीतर कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर तिमाही रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में बीएसई एवं एनएसई को प्रस्तुत किया.

**7.11 वेबसाइट पर जानकारी का प्रचार :**

बैंक ने सूचियन विनियम के उप - विनियम 46 के खंड (बी) से (आई) तक के अधीन आवश्यक जानकारी को अपने वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in पर प्रदर्शित किया हैं.

**7.12 शाखा नेटवर्क:**

- बैंक का सुव्यवस्थित विविध शाखा नेटवर्क है.
- दिनांक 31 मार्च, 2019 तक बैंक की 4,288 देशी शाखाएं तथा एंटवर्प, सिडनी, हाँग-काँग और दुबई सहित 4 विदेशी शाखाएं हैं. भारत में शाखाओं की राज्य वार स्थिति मैप में दर्शायी गयी है.
- करीब 59% शाखाएँ ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी केन्द्रों में स्थित हैं.




**7.13 सांविधिक लेखापरीक्षकों को प्रदत्त फीस का ब्यौरा :**

वित्त वर्ष के दौरान सांविधिक लेखा परीक्षकों को बैंक एवं इसके सहायक द्वारा सभी सेवाओं हेतु समेकित रूप से कुल ₹46.07 करोड़ का भुगतान किया गया है.

**7.14 कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के संबंध में प्रकटीकरण (बचाव, रोकथाम एवं निवारण) अधिनियम, 2013:**

ए. वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान दाखिल की गयी शिकायतों की संख्या-7 (सात)

बी. वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान निपटाई गयी शिकायतों की संख्या-7 (सात)

सी. 31 मार्च, 2019 तक लंबित शिकायतों की संख्या-शून्य

**7.15 क्रेडिट रेटिंग**

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान भारत या विदेश में सभी डेब्ट इन्स्ट्रुमेंट या कोई मियादी जमा राशि कार्यक्रम या फंड को जुटाने हेतु बैंक का प्रस्ताव कोई योजना, सभी का पुनर्रिक्षण के सहित क्रेडिट रेटिंग्स की सूची प्राप्त की गई है.

**मुख्य एजेंसियों की रेटिंग्स**

| रेटिंग एजेंसी | | | बासल III | | बासल II | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | रेटींग की अद्यतन तारीख | एटी 1 | टियर 2 | लोअर टियर II | अपर टियर II | स्थायी (आईडीपीआई) | आउटलुक | रेशनल |
| ब्रिकवर्क | 30 मार्च 2019 | BWR AA | BWR AA+ | ------ | BWR AA+ | BWR AA+ | स्थायी | 04 अप्रैल 2018 को डाउनग्रेड |
| क्रिसिल | 31 अगस्त 2018 | ------ | CRISIL AA+ | CRISIL AA+ | CRISIL AA+ | CRISIL AA+ | स्थायी | पुन: पुष्टि |
| केयर | 02 जनवरी 2019 | CARE AA- | ------ | CARE AA+ | CARE AA | ------ | स्थायी | पुन: पुष्टि |
| इकरा | 09 मार्च 2018 | ------ | ------ | ICRA AA+ | ------ | ICRA AA | स्थायी | पुन: पुष्टि |
| इंडिया रेटिंग | 30 अक्तूबर 2018 | IND AA | IND AA+ | IND AA+ | ------ | ------ | नकारात्मक | 30 अक्तूबर 2018 को आउटलूक नकारात्मक में परिवर्तित |

**कारण:**

बैंक के कमजोर वित्तीयन यथा ट्रेजरी आय, संवर्धित' प्रावधान आवश्यकताओं एवं पूंजीगत पर्याप्तता पर उसके प्रभाव के कारण ब्रिकवर्क ने बैंक के रेटिंग को डाउनग्रेड किया.

सिस्टमिक आस्तियों एवं देयताओं के चालू स्थिति को बनाए के लिए बैंक की क्षमता में हानि के कारण इंडिया के रेटिंग आउटलूक में नकारात्मक परिवर्तन हुआ है. उच्चतम एनपीए एवं अपर्याप्त पूंजीगत अंत:प्रवाह के कारण आउटलूक में परिवर्तन हुआ है.

**मूड़ी के दिनांक 14 मार्च, 2019 की अद्यतन रेटिंग के अनुसार (वर्ष के दौरान कोई परिवर्तन नहीं हुआ):**

| संवर्ग | रेटिंग |
|---|---|
| यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | |
| आउटलूक | Stable |
| काउंटर पार्टी रिस्क रेटिंग | Baa3/P-3 |
| बैंक जमा राशियां | Baa3/P-3 |
| बेसलाइन क्रेडिट मूल्यांकन | baa3 |
| एड. बेसलाइन क्रेडिट मूल्यांकन | Baa3 |
| काउंटर पार्टी रिस्क मूल्यांकन | Baa3(cr)/P-3(cr) |
| सीनियर अनसिक्योर्ड एमटीएन | (P)Baa3 |
| सबॉर्डिनेट एमटीएन | (P)Ba3 |
| जूनियर सबॉर्डिनेट एमटीएन | (P)B1 |
| यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, हाँग काँग शाखा | |
| आउटलूक | Stable |
| काउंटर पार्टी रिस्क रेटिंग | Baa3/P-3 |
| काउंटर पार्टी रिस्क मूल्यांकन | Baa3(cr)/P-3(cr) |
| सीनियर अनसिक्योर्ड | Baa3 |
| सबॉर्डिनेट एमटीएन | (P)Ba3 |
| जूनियर सबॉर्डिनेट एमटीएन | (P)B1 |

**26 अक्तूबर, 2018 के अनुसार अद्यतन मानक एवं निम्न रेटिंग रिपोर्ट**

(वर्ष के दौरान कोई परिवर्तन नहीं):

| संवर्ग | रेटिंग |
|---|---|
| **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया** | |
| जारीकर्ता क्रेडिट रेटिंग | BB+/Stable/B |
| सीनियर अनसिक्योर्ड | BB+ |
| **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, हाँग काँग शाखा** | |
| सीनियर अनसिक्योर्ड | BB+ |

**8. संप्रेषण के साधन**

बैंक के तिमाही, छमाही और वार्षिक वित्तीय परिणाम बिजनेस स्टैन्डर्ड (अंग्रेजी) सहित फ्री प्रेस जर्नल (अंग्रेजी), नवभारत (हिंदी), नवशक्ति (मराठी) आदि अग्रणी समाचार पत्रों में प्रकाशित किए गए हैं. ये परिणाम

बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in पर भी दर्शाए गये हैं. इसी प्रकार बैंक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति, संबंधित प्रस्तुतियां, शेयरधारकों का पैटर्न आदि भी बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराये गये हैं.

**9. शेयरधारकों की सूचना**

**9.1 वित्त वर्ष - 1 अप्रैल से 31 मार्च**

**9.2 इक्विटी शेयर एवं बॉंड की सूचीबद्धता**

बैंक के इक्विटी शेयर बम्बई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया में सूचीबद्ध हैं तथा इसका स्क्रिप कोड निम्नानुसार है : -

| | |
|---|---|
| **बीएसई लिमिटेड (बीएसई),**<br>फिरोज़ जीजीभाय टावर,<br>दलाल स्ट्रीट, मुंबई - 400 001 | 532477 |
| **नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया**<br>लि. (एनएसई),<br>एक्सचेंज प्लाज़ा, प्लॉट नं सी/1,<br>जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स,<br>बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400 051 | UNION-<br>BANK-EQ |

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए इक्विटी शेयर के लिए वार्षिक सूचीबद्ध शुल्क दिनांक 30 अप्रैल, 2019 से पहले दोनों शेयर बाज़ारों को प्रदत्त कर दिया गया है.

बैंक ने समय-समय पर प्रॉमिजरी नोट (टियर I एवं II पूंजी) के रूप में आरक्षित गैर परिवर्तनीय-बांड जारी किए हैं. 31 मार्च 2019 को तत्संबंधित ब्यौरा निम्नानुसार है:

| शृंखला | मात्रा (₹करोड़ में) | आबंटन की तिथि | परिपक्वता तिथि | कूपन दर % (प्र.व.) | आईएसआईएन नं. |
|---|---|---|---|---|---|
| बॉण्ड सिरीज़ XIV-ए (परपेचुअल) | 200 | 16.06.2009 | स्थाई | 8.85% 10वर्ष तक, 10वर्ष के उपरांत 9.35% यदि मांग विकल्प का उपयोग न किया गया हो | आईएनई 692A09209 |
| बॉण्ड सिरीज़ XIV-बी (अपर टियर II) | 500 | 25.06.2009 | 15 वर्ष 25.06.2024 | 8.65% 10 वर्ष तक, 10 वर्ष के उपरांत 9.15%, यदि मांग विकल्प का उपयोग न किया गया हो | आईएनई 692A09217 |
| बॉण्ड सिरीज़ XIV-सी (अपर टियर II) | 500 | 27.01.2010 | 15 वर्ष 27.01.2025 | 8.55% 10 वर्ष तक, 10वर्ष के उपरांत 9.05% तक, यदि मांग विकल्प का उपयोग न किया गया हो | आईएनई 692A09225 |
| बॉण्ड सिरीज़ XV-ए (अपर टियर II) | 500 | 28.06.2010 | 15 वर्ष 28.06.2025 | 8.48% 10 वर्ष तक, 10 वर्ष के उपरांत 8.98% तक, यदि मांग विकल्प का उपयोग न किया गया हो | आईएनई 692A09233 |
| बॉण्ड सिरीज़ XVI-बी (लोअर टियर II) | 800 | 28.12.2012 | 28.12.2022 | 8.90% | आईएनई 692A09241 |
| बॉण्ड सिरीज़ XVII-ए (बासल III अनुपालन टियर II बॉन्ड) | 2000 | 22.11.2013 | 22.11.2023 | 9.80% | आईएनई 692A09266 |
| बॉण्ड सिरीज़ XVIII (बासल III अनुपालन टियर II बॉन्ड) | 1000 | 29.03.2016 | 29.03.2026 | 8.61% | आईएनई 692A09274 |
| बॉण्ड सिरीज़ XIX (बासल III अनुपालन टियर II बॉन्ड) | 1000 | 22.08.2016 | 22.08.2026 | 8.00%<br>मांग विकल्प का उपयोग आबंटन तारीख से 5 वर्ष की समाप्ति पर या उसके उपरांत किसी भी कूपन भुगतान तारीख से परिपक्वता तक | आईएनई 692A08011 |
| बॉण्ड सिरीज़ XX (बासल III अनुपालन अतिरिक्त टियर I बॉन्ड) | 1000 | 15.09.2016 | स्थाई | 9.50%<br>मांग विकल्प का उपयोग आबंटन तारीख से 10 वर्ष की समाप्ति पर या उसके उपरांत किसी भी कूपन भुगतान तारीख तक | आईएनई 692A08029 |
| बॉण्ड सिरीज़ XXI (बासल III अनुपालन अतिरिक्त टियर I बॉन्ड) | 1000 | 04.11.2016 | स्थाई | 9.00%<br>मांग विकल्प का उपयोग आबंटन तारीख से 5 वर्ष की समाप्ति पर या उसके उपरांत किसी भी कूपन भुगतान तारीख तक | आईएनई 692A08037 |
| बॉण्ड सिरीज़ XXII (बासल III अनुपालन टियर II बॉन्ड) | 750 | 24.11.2016 | 24.11.2026 | 7.74% | आईएनई 692A08045 |

| शृंखला | मात्रा (₹करोड़ में) | आवंटन की तिथि | परिपक्वता तिथि | कूपन दर % (प्र.व.) | आईएसआईएन नं. |
|---|---|---|---|---|---|
| बॉण्ड सिरीज़ XXIII खण्ड - 1 (बासल III अनुपालन अतिरिक्त टियर I बॉन्ड) | 250 | 29.03.2017 | स्थाई | 9.10%<br>मांग विकल्प का उपयोग आबंटन तारीख से 5 वर्ष की समाप्ति पर या उसके उपरांत किसी भी कूपन भुगतान तारीख तक | आईएनई 692A08052 |
| बॉण्ड सिरीज़ XXIII खण्ड - 2 (बासल III अनुपालन अतिरिक्त टियर I बॉन्ड) | 750 | 30.03.2017 | स्थाई | 9.10%<br>मांग विकल्प का उपयोग आबंटन तारीख से 5 वर्ष की समाप्ति पर या उसके उपरांत किसी भी कूपन भुगतान तारीख तक | आईएनई 692A08060 |
| बॉण्ड सिरीज़ XXIII खण्ड -3 (बासल III अनुपालन अतिरिक्त टियर I बॉन्ड) | 500 | 31.03.2017 | स्थाई | 9.10%<br>मांग विकल्प का उपयोग आबंटन तारीख से 5 वर्ष की समाप्ति पर या उसके उपरांत किसी भी कूपन भुगतान तारीख तक | आईएनई 692A08078 |
| बॉण्ड सिरीज़ XXIV (बासल III अनुपालन अतिरिक्त टियर I बॉन्ड) | 500 | 03.05.2017 | स्थाई | 9.08%<br>मांग विकल्प का उपयोग आबंटन तारीख से 5 वर्ष की समाप्ति पर या उसके उपरांत किसी भी कूपन भुगतान तारीख तक | आईएनई 692A08086 |
| **कुल** | **11,250** | | | | |

ये सभी बॉण्ड भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार पर सूचीबद्ध है एवं बैंक ने शेयर बाजार को वर्ष 2019-20 के लिए अग्रिम वार्षिक सूचीबद्ध शुल्क प्रदत्त किया है.

**9.3 लाभांश :**

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार पूंजी पर्याप्तता अनुपात को बढ़ाने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए बोर्ड निदेशकों ने वर्ष 2018-19 के लिए लाभांश नहीं देने का निश्चय किया है.

**9.4 वार्षिक साधारण बैठक के विवरण :**

| | |
|---|---|
| लेखों और लाभांश पर विचार विमर्श के लिए बोर्ड की बैठक | मंगलवार, 14 मई, 2019 |
| वार्षिक साधारण बैठक की तिथि, समय और स्थान | शुक्रवार, 28 जून, 2019 को प्रात: 11:00 बजे रामा एण्ड सुन्दरी वाटुमल ऑडिटोरियम, के.सी.कॉलेज, दिनशा वाचा रोड, चर्चगेट, मुंबई-400 020 |
| वार्षिक रिपोर्ट एवं वार्षिक साधारण बैठक के नोटिस का प्रेषण | मंगलवार, 4 जून, 2019 को या उससे पूर्व |
| बहियों के बंद रहने की तिथि | शुक्रवार 21 जून, 2019 से शुक्रवार 28 जून, 2019 (दोनों तिथियों को) |
| ई-वोटिंग के खुलने और बंद होने की तिथि | मंगलवार 25 जून, 2019 (सुबह 9:00 बजे आईएसटी) से गुरुवार 27 जून, 2019 (शाम 5:00 बजे आईएसटी) |

**9.5 वित्तीय कैलेंडर :**

वित्तीय वर्ष 2019-20 के वित्तीय परिणामों की घोषणा की संभावित तिथियां निम्नलिखित हैं:

| वित्तीय परिणाम | घोषणा की संभावित तिथि |
|---|---|
| 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम | 09 अगस्त, 2019 तक |
| 30 सितंबर, 2019 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम | 08 नवम्बर, 2019 तक |
| 31 दिसंबर, 2019 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम | 07 फरवरी, 2020 तक |
| 31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम | 12 मई, 2020 तक |

**9.6 शेयर अंतरण प्रणाली और निवेशकों की शिकायतों का निवारण :**

बैंक ने शेयरों के अंतरण और उससे संबंधित अन्य मामलों के निपटान के लिए बोर्ड की शेयर अंतरण समिति गठित की है. सेबी के दिनांक 08.06.2018 के दिशानिर्देशों एवं सेबी की प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 03.12.2018, दिनांक 31.03.2019 के बाद शेयरों को भौतिक अंतरण अनुमत नहीं है, अत: शेयधारकों से अनुरोध है कि अपने भौतिक शेयरधारिता को डिमेट खाता खोलकर डिमेट रूप में परिवर्तित करा लें.

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन 2015 के अनुपालन के क्रम में बैंक द्वारा मेसर्स डाटामैटिक्स बिज़नेस सोल्यूशन लिमिटेड को अपने रजिस्ट्रार तथा शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के रूप में शेयरों तथा लाभांश के अंतरण, शेयरधारकों के आवेदनों के रिकॉर्ड एवं शेयर से संबंधित

अन्य गतिविधियों में शेयरधारकों द्वारा की गई शिकायतों के निवारण हेतु अधिदेश द्वारा नियुक्त किया गया है. निवेशक अपने अंतरण विलेख/आवेदन/शिकायतें आरटीए के साथ नीचे दिए पते पर भेज सकते हैं.

बैंक ने अपने प्रधान कार्यालय, मुंबई में भी निवेशक सेवाएं प्रभाग स्थापित किया है. शेयरधारक अपनी शिकायतों के लिए कंपनी सचिव, निवेशक सेवाएं प्रभाग से संपर्क कर सकते हैं.

बैंक ने अपने प्रधान कार्यालय, मुंबई में भी निवेशक सेवाएं प्रभाग स्थापित किया है. शेयरधारक अपनी शिकायतों के लिए कंपनी सचिव, निवेशक सेवाएं प्रभाग से संपर्क कर सकते हैं.

| | |
|---|---|
| **रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए)**<br>**डाटामैटिक्स बिज़नेस सोल्यूशन लिमिटेड**<br>यूनिट: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया<br>प्लॉट नंबर बी-5, पार्ट बी क्रॉसलेन,<br>एमआईडीसी, अंधेरी (पूर्व), मुंबई- 400 093<br>फोन : 022 - 66712001-6<br>फैक्स : 022 - 66712011<br>ई-मेल : ubiinvestors@datamaticsbpm.com | **कंपनी सचिव निवेशक सेवाएं प्रभाग**<br>**यूनियन बैंक ऑफ इंडिया,**<br>12वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय,<br>239, विधान भवन मार्ग,<br>नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021.<br>फोन -(022) 2289 6636<br>फैक्स -(022) 22025238<br>ई-मेल: investorservices@unionbankofindia.com |

**9.7 अन्य सूचनाएं :**

शेयरधारकों की समस्याओं का समय से जवाब देने के अलावा, बैंक अपनी तरफ से पत्राचार और अन्य उपायों के माध्यम से निवेशकों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखता है.

इस वर्ष भेजे गए पत्रों में निम्नलिखित मुद्दों पर जोर दिया गया :

(i) छमाही कार्यनिष्पादन

(ii) सेबी दिशानिर्देश दिनांक 08.06.2018 और सेबी प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 03.12.2018 के अनुसार भौतिक शेयरों का अमूर्तीकरण

(iii) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की गयी पहल के अनुरूप कॉर्पोरेट गवर्नेंस में पर्यावरण अनुकूल पहल कार्यान्वित करना.

**9.8 शेयरों का अमूर्तिकरण:**

बैंक ने दोनों डिपोजिटरियों यथा नैशनल सिक्यूरिटीज डिपोजिटरीज लि.(एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) से बैंक के शेयरों का अमूर्तिकरण करने का करार किया है. बैंक के इक्विटी शेयरों के लिए आबंटित ISIN कोड, INE692A01016 है.

अत: यह अनुरोध है कि भौतिक रूप में शेयर धारित शेयरधारक अपने हित में अपने शेयरों का अमूर्तिकरण कराएं, इससे वे शेयर प्रमाणपत्र की अभिरक्षा और शेयर प्रमाणपत्र के खो जाने/ खराब हो जाने जैसी समस्याओं से बच जाएंगे. इसके अलावा यह उन्हें तुरंत तरलता (नकदीकरण) भी प्रदान करेगा, क्योंकि बैंक के शेयरों का क्रय- विक्रय केवल डीमैट के रूप में ही किया जा सकता है. इससे लाभांश भुगतान भी तेजी और आसानी से हो सकेगा. **31.03.2019 को शेयरधारकों द्वारा डीमैट एवं भौतिक रूप में रखे गए शेयरों का विवरण निम्नानुसार है :**

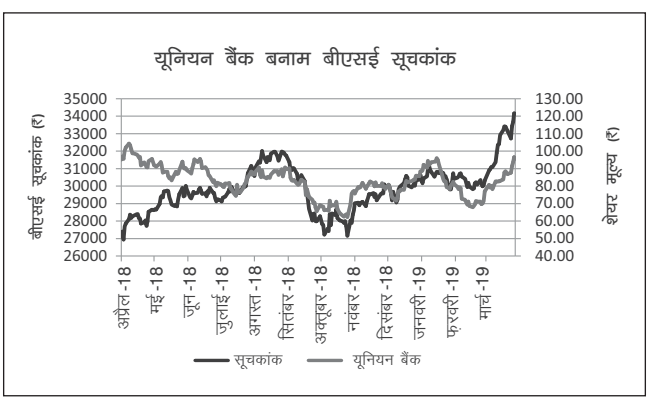
| श्रेणी | शेयर धारकों की संख्या | शेयरों की संख्या | शेयरधारिता का % |
|---|---|---|---|
| भौतिक | 54,433 | 1,17,52,321 | 0.67 |
| डीमैट | | | |
| एनएसडीएल | 1,23,769 | 37,75,22,483 | 21.41 |
| सीडीएसएल | 98,049 | 1,37,37,41,510 | 77.92 |
| कुल | 2,76,251 | 1,76,30,16,314 | 100 |

इसके अतिरिक्त, सेबी द्वारा जारी परिपत्र के अनुसरण में व्यवसायरत कंपनी सचिव ने भी तिमाही आधार पर शेयर पूंजी लेखापरीक्षा का मिलान किया गया है. शेयर पूंजी के मिलान के दौरान सदस्यों की बहियों के अद्यतनीकरण/ रखरखाव में अथवा डीमैट अनुरोध की प्रोसेसिंग में कोई विसंगति नहीं पायी गयी और भौतिक प्रणाली तथा डीमैट प्रणाली में रखी गई पूंजी का निर्गमित पूंजी से मिलान हुआ है.

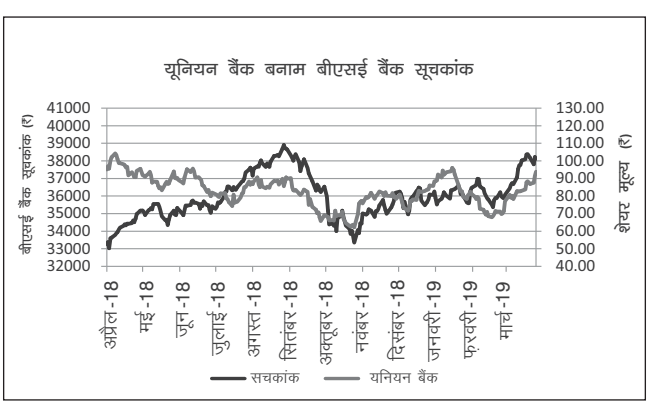
बैंक ने भौतिक रूप में शेयर धारित सभी धारकों को शेयरों के अमूर्तिकरण हेतु अनेक बार सूचित किया है. परिणामस्वरूप, वर्ष के दौरान 3,354 शेयरधारकों ने भौतिक रूप से धारित 8,71,223 शेयरों का आमूर्तिकरण किया है.

**9.9 बाजार मूल्य, शेयर बाजार में क्रय-विक्रय किए गये शेयरों की मात्रा :**

| माह | बीएसई | | | एनएसई | | | बीएसई सूचकांक | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | उच्चतम (₹) | न्यूनतम (₹) | मात्रा (संख्या) | उच्चतम (₹) | न्यूनतम (₹) | मात्रा (संख्या) | उच्चतम (₹) | न्यूनतम (₹) |
| **अप्रैल,18** | 105.75 | 89.55 | 123,26,289 | 105.45 | 89.50 | 1599,08,260 | 35,213.30 | 32,972.56 |
| **मई,18** | 96.00 | 82.15 | 128,14,220 | 96.00 | 82.10 | 1744,61,937 | 35,993.53 | 34,302.89 |
| **जून,18** | 97.00 | 79.50 | 98,15,097 | 96.95 | 79.35 | 1402,91,720 | 35,877.41 | 34,784.68 |
| **जुलाई,18** | 89.40 | 73.90 | 120,53,350 | 89.45 | 73.90 | 1518,87,866 | 37,644.59 | 35,106.57 |
| **अगस्त,18** | 91.45 | 83.60 | 134,30,489 | 91.45 | 83.65 | 1867,89,363 | 38,989.65 | 37,128.99 |
| **सितम्बर,18** | 93.15 | 64.80 | 133,47,828 | 93.20 | 64.75 | 1809,83,563 | 38,934.35 | 35,985.63 |
| **अक्तूबर,18** | 79.30 | 61.40 | 185,13,800 | 79.35 | 61.25 | 2551,00,212 | 36,616.64 | 33,291.58 |
| **नवम्बर,18** | 84.50 | 75.15 | 171,88,440 | 84.60 | 75.05 | 2079,48,445 | 36,389.22 | 34,303.38 |
| **दिसम्बर,18** | 87.20 | 68.50 | 158,99,396 | 87.20 | 69.10 | 1744,77,334 | 36,554.99 | 34,426.29 |
| **जनवरी,19** | 97.00 | 77.60 | 193,76,285 | 97.00 | 77.60 | 2321,55,600 | 36,701.03 | 35,375.51 |
| **फरवरी,19** | 84.15 | 67.50 | 118,91,708 | 84.35 | 67.50 | 1629,46,405 | 37,172.18 | 35,287.16 |
| **मार्च,19** | 98.25 | 71.75 | 208,08,826 | 98.15 | 71.80 | 2371,04,211 | 38,748.54 | 35,926.94 |
| **31.03.2019 को अन्तिम मूल्य** | 95.50 | | | 95.60 | | | - | |
| **बाजार पूंजीकरण** | ₹ 16,836.81 करोड़ | | | ₹ 16,854.44 करोड़ | | | - | |




* स्रोत-एनएसई/बीएसई वेबसाइट (www.nseindia.com/www.bseindia.com)




* स्त्रोत-बीएसई वेबसाइट (www.bseindia.com)

## 9.10 शेयरधारिता का वितरण :

बैंक में सरकार की शेयरधारिता ₹10 प्रति शेयर वाले 130.95 करोड़ इक्विटी शेयरों की है, जो ₹1763.02 करोड़ की कुल जारी पूंजी में ₹ 1309.48 करोड़ है, दिनांक 31.03.2019 तथा 31.03.2018 को शेयरधारिता का वितरण निम्न प्रकार है :

| शेयरधारिता | यथा 31.03.2019 | | | | यथा 31.03.2018 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | शेयरधारकों की संख्या | कुल का % | शेयरों की संख्या | कुल का % | शेयरधारकों की संख्या | कुल का % | शेयरों की संख्या | कुल का % |
| 500 तक | 2,22,055 | 80.38 | 3,17,05,940 | 1.80 | 2,18,734 | 88.54 | 3,10,15,108 | 2.61 |
| 501 से 1000 | 22,339 | 8.09 | 1,61,45,628 | 0.92 | 19,305 | 7.82 | 1,34,08,329 | 1.14 |
| 1001 से 2000 | 8,178 | 2.96 | 1,21,47,587 | 0.69 | 5,394 | 2.18 | 77,34,706 | 0.67 |
| 2001 से 3000 | 13,151 | 4.76 | 3,20,61,696 | 1.82 | 1,402 | 0.57 | 35,33,509 | 0.30 |
| 3001 से 4000 | 4,168 | 1.51 | 1,47,19,636 | 0.84 | 574 | 0.23 | 20,60,120 | 0.18 |
| 4001 से 5000 | 2,221 | 0.80 | 1,03,89,418 | 0.59 | 362 | 0.15 | 16,99,278 | 0.14 |
| 5001 से 10000 | 3,480 | 1.26 | 2,23,48,850 | 1.27 | 588 | 0.24 | 42,55,951 | 0.36 |
| 10001 से अधिक | 659 | 0.24 | 1,62,34,97,559 | 92.09 | 674 | 0.27 | 110,48,66,380 | 94.61 |
| **कुल** | **2,76,251** | **100.00** | **1,76,30,16,314** | **100.00** | **2,47,033** | **100.00** | **116,85,73,381** | **100.00** |

बैंक के शेयर का अंकित मूल्य ₹10/- है

## 9.11 शेयरधारिता का पैटर्न :

दिनांक 31.3.2019 तथा 31.03.2018 को बैंक की शेयरधारिता का पैटर्न निम्नानुसार रहा :

| शेयरधारक की श्रेणी | यथा 31.03.2019 | | यथा 31.03.2018 | |
|---|---|---|---|---|
| | धारित शेयरों की संख्या | कुल का % | धारित शेयरों की संख्या | कुल का % |
| **प्रोमोटर** | | | | |
| भारत सरकार | 1,30,94,77,239 | 74.27 | 78,79,14,581 | 67.43 |
| **निवेशक संस्था** | | | | |
| म्युच्युअल फंड & यूटीआई | 977,26,053 | 5.54 | 987,29,653 | 8.45 |
| बैंक, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनी (केंद्रीय/ राज्य सरकार संस्थान) | 1341,36,958 | 7.61 | 1337,09,328 | 11.44 |
| एफ़आईआई & विदेशी म्यूचुअल फंड | 555,60,754 | 3.15 | 585,51,117 | 5.01 |
| **अन्य** | | | | |
| निजी कॉर्पोरेट निकाय | 168,96,063 | 0.96 | 173,27,912 | 1.48 |
| भारतीय जनता | 1478,97,197 | 8.39 | 708,74,567 | 6.07 |
| एनआरआई/ओसीबी/योग्य विदेशी निवेशक | 13,22,050 | 0.08 | 14,66,223 | 0.12 |
| **कुल** | **1,76,30,16,314** | **100.00** | **1,16,85,73,381** | **100.00** |

## 9.12 बैंक के 10 शीर्ष शेयरधारकों की सूची :

31.03.2019 को शीर्ष 10 शेयरधारकों के नाम इस प्रकार हैं:

| क्र. | नाम | शेयर | पूंजी का% |
|---|---|---|---|
| 1 | भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) | 1,30,94,77,239 | 74.28 |
| 2 | भारतीय जीवन बीमा निगम | 11,33,23,095 | 6.49 |
| 3 | एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लि- ए/सी एचडीएफसी मिड कैप अपरच्यूनिटीज फंड | 5,24,96,308 | 2.98 |
| 4 | आईसीआईसीआई प्रूडेनशियल बैलेन्स्ड एडवांटेज फ़ंड | 2,51,97,723 | 1.43 |
| 5 | गवर्मेंट पेंशन फंड ग्लोबल | 98,71,327 | 0.56 |

| क्र. | नाम | शेयर | पूंजी का% |
|---|---|---|---|
| 6 | दि न्यू इंडिया एश्योरंस कंपनी लिमिटेड | 74,57,257 | 0.42 |
| 7 | कोटक इक्विटी आर्बिटेज फंड | 60,95,301 | 0.35 |
| 8 | नेशनल वेस्टमिनिस्टर बैंक पीएलसी एज़ ट्रस्टी ऑफ द जुपिटर इंडिया फ़ंड | 60,39,940 | 0.34 |
| 9 | जनरल इंश्योरंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया | 51,58,427 | 0.29 |
| 10 | पंजाब नैशनल बैंक | 41,70,306 | 0.24 |
| | **कुल** | **1,53,92,86,923** | **87.38** |

**9.13 अदावाकृत/ अदत्त लाभांश :**

अदत्त लाभांश खाते में लाभांश अंतरित किये जाने की तिथि से सात वर्ष तक लाभांश की रकम का दावा न किये जाने पर वह रकम निवेशक शिक्षण एवं संरक्षण निधि में अंतरित कर दी जायेगी. इसके बाद खाते में अंतरित उस रकम के लिये बैंक अथवा उक्त निधि के सापेक्ष कोई दावा नहीं किया जा सकेगा. अब तक घोषित लाभांशों तथा विभिन्न लाभांश खातों के सापेक्ष दावा करने की अंतिम तिथि की सूची निम्नानुसार दी गई है :

| लाभांश की अवधि | घोषित लाभांश का % | अंतरण की प्रस्तावित तिथि |
|---|---|---|
| लाभांश 2011-12 | 80% | 06-08-19 |
| लाभांश 2012-13 | 80% | 06-08-20 |
| अंतरिम लाभांश 2013-14 | 27% | 18-02-21 |
| अंतिम लाभांश 2013-14 | 13% | 05-08-21 |
| लाभांश 2014-15 | 60% | 05-08-22 |
| लाभांश 2015 -16 | 19.50% | 05-08-23 |

जिन शेयरधारकों ने अभी तक उपर्युक्त लाभांश का दावा नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि यथाशीघ्र अपना दावा बैंक के निवेशक सेवाएं प्रभाग या रजिस्ट्रार और शेयर ट्रान्सफर एजेंट को शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें. इससे संबंधित क्षतिपूर्ति बांड का प्रारूप बैंक की वेबसाइट (www.unionbankofindia.co.in) पर भी उपलब्ध है.

**9.14 अदावाकृत शेयर :**

**क) भौतिक रूप में :**

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन 2015 की अनुसूची VI (पहले सूचीयन करार 5 ए -II) अर्थात अदावाकृत शेयरों के निपटान का तरीका के अंतर्गत बैंक ने सेबी द्वारा अनुदेशित पद्धति का कार्य पूर्ण करने के बाद मार्च 2012 में एक अदावाकृत उचंत (सस्पेंस) खाता खोला है. बैंक द्वारा आवेदकों को वर्ष 2002 में बैंक के आईपीओ के समय आबंटित शेयर जो अभी तक अदावाकृत हैं, इस खाते में नियंत्रित किए गए हैं. इस खाते में पड़े शेयरों के विस्तृत विवरण इस प्रकार हैं :

| विवरण | शेयरधारकों की संख्या | शेयरों की संख्या |
|---|---|---|
| डीमैट उचंत खाते में 01.04.2018 को शेष | 4 | 600 |
| वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान अंतरण हेतु संपर्क करने वाले शेयरधारक | शून्य | शून्य |
| वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान जिन शेयरधारकों को शेयर अंतरित किए गए | शून्य | शून्य |
| 31.03.2019 को डीमैट उचंत खाते में शेष | 4 | 600 |

ऊपर बताए गए 600 शेयरों पर वोटिंग अधिकार तब तक अवरुद्ध किए गए हैं जब तक इन शेयरों के सही मालिक इनका दावा नहीं करते है.

**ख) डीमैट रूप में :**

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन 2015 की अनुसूची VI (पहले सूचीयन करार 5 ए -I) अर्थात अदावाकृत शेयरों के निपटान का तरीका के अंतर्गत बैंक ने सेबी द्वारा अनुदेशित पद्धति का कार्य पूर्ण करने के बाद मार्च 2010 में एक डीमैट उचंत (सस्पेंस) खाता खोला है. बैंक द्वारा आवेदकों को वर्ष 2006 में बैंक के एफ़पीओ के समय आबंटित शेयर जो किसी तकनीकी कमी के कारण आवेदकों के डीमैट खाते में क्रेडिट नहीं किए गए हैं, इस खाते में नियंत्रित किए गए हैं. इस खाते में पड़े शेयरों के विस्तृत विवरण इस प्रकार हैं :

| विवरण | शेयरधारकों की संख्या | शेयरों की संख्या |
|---|---|---|
| डीमेट उचंत खाते में 01.04.2018 को शेष | 222 | 27,033 |
| वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान अंतरण हेतु संपर्क करने वाले शेयरधारक | 2 | 128 |
| वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान जिन शेयरधारकों को शेयर अंतरित किए गए | 2 | 128 |
| 31.03.2019 को डीमैट उचंत खाते में शेष | 220 | 26,905 |

ऊपर बताए गए 26,905 शेयरों पर वोटिंग अधिकार तब तक अवरुद्ध किए गए हैं जब तक इन शेयरों के सही मालिक इनका दावा नहीं करते हैं.

## 10. सूचीबद्ध करार के विवेकाधीन अपेक्षाओं के अनुपालन की स्थिति

| क्रमांक | विवेकाधीन अपेक्षाएं | अनुपालन की स्थिति |
|---|---|---|
| 1. | **निदेशक मंडल**<br>एक गैर-कार्यपालक अध्यक्ष सूचीबद्ध इकाई के व्यय पर अध्यक्ष-कार्यालय का रखरखाव करने के लिए अधिकारी होता है तथा उसे अपने कर्तव्यपालन के संबंध में किये गये व्ययों की प्रतिपूर्ति की अनुमति होती है. | श्री केवल हांडा को बैंक के निदेशक मंडल के गैर- कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है तथा बैंक के केंद्रीय कार्यालय में अध्यक्ष का कार्यालय स्थित है. |
| 2. | **शेयरधारकों के अधिकार**<br>विगत छः माह की प्रमुख घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय कार्यनिष्पादन की अर्धवार्षिक घोषणा प्रत्येक शेयर धारक को भेजी जाए. | अर्द्ध-वार्षिक सूचना सभी शेयरधारकों को भेजी जाती है. |
| 3. | **लेखापरीक्षा में संशोधित अभिमत**<br>कंपनी बिना कमियों वाले वित्तीय विवरणों की दिशा में अग्रसर होनी चाहिए. | समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई लेखापरीक्षा कमी नहीं रही. |
| 4. | **आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्टिंग**<br>आंतरिक लेखापरीक्षक सीधे लेखापरीक्षा समिति को रिपोर्ट कर सकते हैं. | बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा नीति के अनुसार आंतरिक लेखापरीक्षक सीधे महा प्रबंधक, केन्द्रीय लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण विभाग को रिपोर्ट करता है. हालाकि, आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा दी गई फ्लैश रिपोर्ट तथा विशेष रिपोर्ट की अद्यतन जानकारी लेखापरीक्षा समिति की बैठक में प्रस्तुत की जाती है. |

## 11. आचार संहिता की घोषणा

बोर्ड द्वारा निदेशक मंडल के सभी सदस्यों तथा बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता का निर्धारण किया गया है तथा बैंक की वेबसाइट पर इसे प्रदर्शित भी किया गया है. निदेशक मंडल के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए संहिता के अनुपालन की पुष्टि की गई है.

कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

स्थान : मुंबई
दिनांक : 15 मई, 2019

(श्री राजकिरण रै जी.)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

**प्रति,**
**निदेशक मंडल**
**यूनियन बैंक ऑफ इंडिया**
**मुंबई.**

**संदर्भ : सेबी के विनियमन 17 (8) (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के तहत प्रमाणपत्र.**

यह प्रमाणित किया जाता है कि

(क) हमने वर्ष (2018-19) के वित्तीय विवरणों एवं नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार :

(i) इन विवरणों में कोई गलत बयानी या कोई भूल-चूक या ऐसा कोई विवरण नहीं है; जिससे भ्रामक स्थिति पैदा हो;

(ii) ये विवरण बैंक के कार्यों का एक वास्तविक और उचित चित्र प्रस्तुत करते हैं और इसमें मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू क़ानूनों एवं विनियमनों का अनुपालन किया गया है.

(ख) हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार बैंक द्वारा वर्ष के दौरान ऐसे किसी लेन-देन की प्रविष्टि नहीं की गई है, जो धोखाधड़ीपूर्ण या अवैध हो या जिससे बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन होता हो.

(ग) हम वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और उसके अनुपालन का दायित्व स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रामाणिकता का मूल्यांकन किया है तथा हमने लेखापरीक्षकों एवं लेखापरीक्षा समिति को आंतरिक नियंत्रण को तैयार करने अथवा उसे व्यवहार में लाने में आने वाली हमें ज्ञात कमियों, जो कोई हों और उन कमियों को सुधारने के लिए किए गए या प्रस्तावित उपायों की जानकारी दी है.

(घ) हमने लेखापरीक्षकों एवं बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति को निम्नलिखित की सूचना दी है. -

(i) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक नियंत्रण में हुए मुख्य परिवर्तन;

(ii) वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में हुए व्यापक परिवर्तन और वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में उनका उल्लेख किया गया है; और

(iii) हमें ज्ञात धोखाधड़ी के सभी प्रमुख मामले, जिनसे यदि प्रबंधन या ऐसा कोई कर्मचारी जुड़ा है; जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका है.

कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

**(श्रीनिवास राव बी.)**
महाप्रबंधक व सीएफ़ओ

कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

**(राजकिरण रै जी.)**
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान : मुंबई
दिनांक : 14 मई, 2019

# कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र

**सदस्यगण**
**यूनियन बैंक ऑफ इंडिया**

हमने सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 में निर्धारित किए अनुसार 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की स्थिति की जांच की है.

कॉर्पोरेट नियंत्रण संबंधी शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन का दायित्व है. हमारी जांच कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक द्वारा अपनाई गई पद्धतियों और उनके कार्यान्वयन तक सीमित है. यह न तो लेखापरीक्षा है और न ही बैंक के वित्तीय विवरणों के बारे में हमारा अभिमत है.

अपनी राय एवं सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए स्पष्टीकरण के आधार पर हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने उपर्युक्त सूचीकरण करार में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी शर्तों का अनुपालन किया है.

हम सूचित करना चाहते हैं कि स्टेकहोल्डरों की रिलेशनशिप समिति द्वारा रखे गए रिकार्डों के अनुसार बैंक के विरुद्ध एक माह से अधिक अवधि की निवेशकों से प्राप्त कोई शिकायत लंबित नहीं है.

हमारा यह भी अभिकथन है कि उक्त अनुपालन का अभिप्राय बैंक की भविष्य की सक्षमता के प्रति कोई आश्वासन नहीं है और न ही यह बैंक के कार्यकलापों के संचालन में प्रबंधन की कुशलता एवं प्रभावशीलता के बारे में आश्वासन है.

**कृते एस. भंडारी एंड कं.**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 000560C
**पी पी पारीक**
भागीदार
सदस्य.सं. 071213

**कृते सी एन के एंड एसोसिएट्स एलएलपी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 101961W/W-100036
**सुरेश एस अगस्कर**
भागीदार
सदस्य.सं. 110321

**कृते कीर्तने एंड पंडित एलएलपी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 105215W/W-100057
**एस बी भागवत**
भागीदार
सदस्य.सं. 008072

**कृते आर एस पटेल एंड कं.**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 107758W
**राजन बी शाह**
भागीदार
सदस्य.सं. 101998

**कृते एम जी बी एंड कं. एलएलपी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 101169W/W-100035
**संजय कोठारी**
भागीदार
सदस्य.सं. 048215

**कृते बी एम चतरथ एंड कं. एलएलपी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 301011E/E300025
**आनंद चतरथ**
भागीदार
सदस्य.सं. 052975

स्थान: मुंबई

दिनांक : 14 मई, 2019

**भारत के राष्ट्रपति/यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सदस्यगण**

**स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट**

**मत**

1. हमने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ("बैंक") के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों, जिसमें 31 मार्च 2019 का तुलन पत्र, लाभ एवं हानि खाता एवं नकदी प्रवाह विवरण एवं स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के नोट्स की लेखापरीक्षा की है, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल हैं. इन वित्तीय विवरणों में हमारे द्वारा लेखापरीक्षित 1 ट्रेजरी शाखा सहित 20 शाखाओं, 18 क्षेत्रीय कार्यालयों, सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 2,454 शाखाएँ तथा स्थानीय लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 4 विदेशी शाखाओं के विवरण शामिल हैं. बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार हमारे द्वारा लेखापरीक्षित शाखाएँ एवं अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखाओं का चयन किया गया है. तुलन पत्र और लाभ हानि लेखों में 1,814 शाखाएँ, 45 क्षेत्रीय कार्यालय के विवरणों का भी समावेश है जो लेखापरीक्षा के अधीन नहीं है. लेखापरीक्षा न की गयी इन शाखाओं का अग्रिम, बैंक के अग्रिमों का 6.18% जमाराशियाँ, बैंक की जमाराशियों का 21.53%, कुल ब्याज आय 6.92% और कुल ब्याज व्यय 20.18% है.
2. हमारे मत में एवं हमारी जानकारी के अनुसार एवं हमें दिये गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 द्वारा अपेक्षित एवं भारत में मान्य सामान्य तौर पर लेखांकन नीतियों के अनुरूप है एवं प्रस्तुत है:
   क. 31 मार्च, 2019 तक बैंक के मामलों में, तुलन पत्र के मामले में सही एवं उचित अवलोकन.
   ख. उक्त दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खातों के मामले में हानि का सही शेष.
   ग. उक्त दिनांक को समाप्त वर्ष के नकद प्रवाह विवरण के मामले में सत्य एवं उचित अवलोकन.

**अभिमत का आधार**

3. हमने अपना लेखा परीक्षण, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार किया है. उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियाँ हमारे रिपोर्ट के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के खंड के लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित है. हम आईसीएआई द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार बैंक से स्वतंत्र हैं जो आम तौर पर भारत में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक है, जिसमें आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक शामिल हैं और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधान और भारतीय रिजर्व बैंक ('आरबीआई') द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्रों और दिशानिर्देशों और हमने अपनी इन आवश्यकताओं तथा आचार संहिता सहित अन्य नैतिक जिम्मेदारियों के अनुसार पूरा किया है. हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य, हमारी लेखापरीक्षा अभिमत का आधार बनाने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं.

**मुख्य लेखा परीक्षा मामले**

4. मुख्य लेखा परीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, चालू अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण थे. इन मामलों को समग्र रूप से स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में हमारे लेखापरीक्षा के संदर्भ में बताया गया था और उसके बाद हमारा अभिमत बनाने तथा इन मामलों पर हम एक अलग अभिमत प्रदान नहीं करते हैं. हमने अपनी रिपोर्ट में जानकारी प्रदान करने हेतु निम्नलिखित मुख्य लेखा परीक्षा मामलों को निर्धारित किया है :

| क्र. | मुख्य लेखा परीक्षा मामले | हमारी रिपोर्ट में मामलों को कैसे बताया गया है |
|---|---|---|
| **1.** | **सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणाली एवं वित्तीय रिपोर्टिंग पर नियंत्रण** | |
| | बैंक की वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग प्रणाली, कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) के प्रभावी कामकाज तथा सीबीएस से जुड़े अन्य आईटी प्रणालियों या स्वतंत्र रूप से कार्य करने पर अत्यधिक निर्भर है. लेनदेन की व्यापक मात्रा, विविधता एवं जटिलता को दैनिक रूप से संसाधित किया जाता है तथा वहाँ एक जोखिम है जो स्वचालित लेखांकन प्रक्रियाएं तथा इससे संबंधित आंतरिक नियंत्रण सही ढंग से डिजाइन तथा प्रभावी रूप से संचालन नहीं हो सकते हैं. विशेष क्षेत्र का फोकस लॉजिक से संबंधित है, जो कि सिस्टम में डेटा की शुद्धता और विश्वसनीयता, एसेस प्रबंधन तथा कर्तव्यों के पृथक्करण को भरा जाता है. ये अंतर्निहित सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये सुनिश्चित करते हैं कि एप्लीकेशन एवं डेटा उचित, अधिकृत, शोधित तथा जांचे गए हैं ताकि सिस्टम वास्तविक एवं विश्वसनीय रिपोर्ट/रिटर्न तथा अन्य वित्तीय और गैर-वित्तीय सूचना जेनरेट कर सके जिसे कि वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुति हेतु उपयोग किया जा सके. | हमारे लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं में परीक्षण जांच के आधार पर सिस्टम से जेनरेट अन्य वित्तीय एवं गैर-वित्तीय सूचना का सत्यापन कर आईटी प्रणाली के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का सत्यापन, परीक्षण और समीक्षा करना शामिल है. हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं में शामिल है :<br>• यह सुनिश्चित करना कि परीक्षण जांच आधार पर हमारे सत्यापन में कमियों को सुधारात्मक कार्रवाई हेतु प्रबंधन को सूचित किया गया है.<br>• क्षेत्रों में कमियों को देखा गया है कि मौलिक परीक्षण की तरह स्वतंत्र वैकल्पिक लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं का पालन किया गया है.<br>• अनुपात विश्लेषण, ट्रेंड विश्लेषण, उचित परीक्षण, तुलनात्मक विश्लेषण की तरह विश्लेषणात्मक प्रक्रिया;<br>• सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा निष्पादित कार्य पर विश्वास एवं शाखा लेखा के परीक्षण के आधार पर सुधारक प्रविष्टियाँ (एमओसी) पारित की गई. |

| क्र. | मुख्य लेखा परीक्षा मामले | हमारी रिपोर्ट में मामलों को कैसे बताया गया है |
|---|---|---|
| | हमने निम्नलिखित के लिए सीबीएस एवं अन्य आईटी प्रणालियों के निरंतर एवं सटीक कामकाज पर विश्वास जताया है.<br>• भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आस्ति वर्गीकरण एवं आय निर्धारण<br>• अग्रिम संविभाग पर प्रावधान<br>• विभिन्न वर्गों में अग्रिमों एवं देयता मदों की पहचान एवं इसकी परिपक्वता का स्वरूप;<br>• उचंत एवं विविध खातों, अवैयक्तिक खाता एवं पुराने तथा अंतर-शाखा शेष तथा अन्य ऐसे खातों का समाधान<br>• निवेश लेनदेनों की रिकॉर्डिंग<br>• जमा एवं अन्य देयताओं पर ब्याज व्यय; | • बाहरी वेंडरों की जांच रिपोर्ट, जहां कभी भी उपलब्ध हो, पर निर्भरता. |
| **2.** | **विनियामक आवश्यकताओं के अनुसार ऋण एवं अग्रिमों तथा निवेशों पर आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) तथा प्रावधान** | |
| | यथा 31 मार्च, 2019 को ऋण एवं अग्रिम तथा निवेश कुल आस्तियों का 85.62% थे, जो आस्तियों का एक बड़ा वर्ग है. नियामकों (भारतीय रिजर्व बैंक विवेकपूर्ण मानदंडों एवं अन्य दिशानिर्देशों के अनुसार) द्वारा निर्धारित उद्देश्यपूर्ण मापदंडों पर वर्गीकरण, आय निर्धारण तथा हानि प्रावधानों आधारित है.<br>बैंक का प्रबंधन आस्ति वर्गीकरण निर्धारण, आय निर्धारण तथा हानि के लिए प्रावधानों हेतु आईटी प्रणालियों (कोर बैंकिंग सोल्यूशन सहित), महत्वपूर्ण अनुमानित एवं निर्णय कार्यप्रणाली, मैन्युअल हस्तक्षेप तथा विशेषज्ञों की सेवाओं का उपयोग (जैसे स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता, वकील, कानूनी विशेषज्ञ एवं अन्य पेशेवर) पर अधिक निर्भर करता है. | हमारा लेखा परीक्षण आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा शेष राशि से संबंधित दोषपूर्ण प्रावधानों के कारण अग्रिमों से संबंधित प्रावधानों पर अपना ध्यान केन्द्रित करता है.<br>हमारे लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं में आईआरएसी के अनुपालन तथा प्रावधानों के मानदंडों एवं इसके संचालित प्रभावकारिता के लिए सीबीएस तथा अन्य संबंधित आईटी प्रणालियों में तर्क एवं मान्यताओं पर नियंत्रण एवं अनुमोदन पर नियंत्रण का आकलन, ऋणों का संवितरण एवं निगरानी शामिल हैं. इनमें शामिल हैं :<br>• हमने आय का निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा अग्रिमों/निवेशों से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक के प्रासंगिक दिशानिर्देशों का अनुपालन करने में बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन किया एवं उसे समझा है.<br>• गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए/एनपीआई) के समयानुसार निर्धारण पर प्रणाली नियंत्रण एवं मैन्युअल नियंत्रण;<br>• आईटी प्रणालियों से प्रावधान गणना मॉडलों पर नियंत्रण का परिचालन अस्तित्व एवं प्रभावशीलता;<br>• अग्रिमों के मामलों में ऋण अनुमोदन के समग्र नियंत्रण, संवितरण तथा निगरानी प्रक्रिया और निवेश के मामले में खरीददारी पर नियंत्रण, बिक्री तथा नियंत्रण में रखने की निर्णय प्रणाली<br>• हमने ऋण/निवेशों (हमारे द्वारा शाखा निरीक्षण के मामलों में) के नमूनों का परीक्षण किया कि उन्होंने गैर-आस्तियों में समयानुसार पहचान, आय निर्धारण तथा आईआरएसी के मानदंडों के अनुसार प्रावधान किया.<br>• हमने परीक्षण अंतराल के आधार पर, जहां कहीं भी हमारे संज्ञान में आया है, हमने विश्वसनीयता, प्रभावशीलता और मध्यक्षेप की सटीकता की समीक्षा की है.<br>• हमारे द्वारा शाखाओं का निरीक्षण नहीं किए जाने के मामलों में अन्य सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों (एसबीए) द्वारा की गई रिपोर्ट/रिटर्न, जो एसए 600 के अनुसार समग्र अनुपालन के संबंध में समग्र सुविधा के लिए दूसरे लेखा परीक्षकों द्वारा दी गई हैं, पर विश्वास किया है. |

| क्र. | मुख्य लेखा परीक्षा मामले | हमारी रिपोर्ट में मामलों को कैसे बताया गया है |
|---|---|---|
| | | • हमने अन्य विशेषज्ञों जैसे स्वतंत्र मूल्यांककों, वकीलों, कानूनी विशेषज्ञों और ऐसे अन्य ऐसे पेशेवरों जो बैंक के लिए सेवा प्रदान करते हैं, के कार्यों की समीक्षा एस ए 620 के अनुसार लेखापरीक्षक विशेषज्ञ की सेवाएं लेकर कराई हैं.<br>• इसके अतिरिक्त हमने संभावित कमजोर और संवेदनशील खातों, जो दबावग्रस्त का संकेत देते हैं, वाले बैंक के निगरानी तंत्र की समीक्षा की है.<br>• हमने बैंक की आंतरिक लेखा परीक्षण/निरीक्षण रिपोर्ट के रिपोर्टों एवं उक्त हेतु समवर्ती लेखा परीक्षकों के रिपोर्टों एवं अवलोकनों की भी समीक्षा की है.<br>• अंक संबंधी सटीकता, डेटा सटीकता और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली पर नियंत्रण सहित हमारे मुख्य परीक्षण को लेकर मूल्यांकन, वर्गीकरण, प्रावधान एवं निवेश की आय की पहचान का सत्यापन. |
| **3.** | **आस्थगित करों की पहचान करना एवं मापना** | |
| | बैंक ने 31 मार्च, 2019 को ₹ 51,720,800 (₹ 000 में) शुद्ध आस्थगित कर आस्तियों की पहचान की है.<br>मापन संबंधी उद्देश्यों के अलावा, आस्थगित कर आस्तियों की पहचान एवं माप भविष्य में होने वाले लाभों की दृश्यता एवं उपलब्धता से संबंधित अनेक अनुमानों एवं निर्णयों पर आधारित है.<br>हाल ही में आस्थगित कर आस्तियों की मात्रा में वृद्धि, पहचान किए गए अनुमानों की उपलब्धता एवं एक विस्तारित समयावधि में लाभ का पूर्वानुमान, इस प्रकार से अनिश्चितता में वृद्धि एवं उक्त आस्ति में अंतर्निहित जोखिम व इसकी अनुचित पहचान. | हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में, लागू कर कानूनों एवं बैंक पर लागू प्रासंगिक विनियमनों के मध्य तालमेल प्राप्त करने के लिए जोखिम मूल्यांकन शामिल है. हमारे समझौते के आधार पर, हमनें कर विशेषज्ञों की सहायता से संबन्धित इंटरनल की कंट्रोल्स एवं स्वतंत्र लेखापरीक्षा प्रक्रिया के दोनों टेस्टों का कार्यनिष्पादन किया है. हमारे कंट्रोल टेस्टिंग के साथ निम्न लेखापरीक्षा प्रक्रिया के रूप में कार्यनिष्पादन किया है, लेकिन यह सीमित नहीं है :<br>• आय पर करों के लिए एएस 22 लेखांकन के अनुसार आस्थगित कर आस्तियों की मान्यता और मापन के लिए उपयोग की जाने वाली नीतियों का मूल्यांकन.<br>• एकरूपता, स्थिरता एवं निरंतरता, बजट और मिडटर्म जैसे अनुमान, प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए तरीके, धारणा और अन्य मापदंडों का आकलन किया, जिसमें प्रबंधन द्वारा विकास और कर की दरों को लागू किया और अंकगणितीय सटीकता का परीक्षण किया.<br>• लाभ की दृश्यता एवं उपलब्धता की संभाव्यता का आकलन किया गया, जिससे भविष्य में इस आस्थगित कर आस्तियों का उपयोग करने में बैंक सक्षम होगा. |
| **4.** | **टैक्स संबंधी मुक़दमे सहित लंबित मुकदमों का प्रभाव** | |
| | कुल 1129 लंबित एवं चालू कानूनी विवादों (टैक्स संबंधी मुक़दमेबाज़ी सहित), विनियामक जांच-पड़ताल एवं बैंक के विरुद्ध विभिन्न दावों जिनका कुल ₹ 31,049,729.00 (₹ 000 में) है, जिसे बैंक प्रबंधन द्वारा कर्ज के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है. कुछ निश्चित मुकदमों एवं विनियामक मामलों में प्रबंधन द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय यह तय करने के लिए अपेक्षित है कि क्या मांग एक देयता या एक आकस्मिक देयता है.<br>यदि वर्तमान में कोई देयता है एवं क्या एक प्रावधान स्वीकार किया जाना चाहिए या एक संभावित बाध्यता जो कि भूतपूर्व घटनाओं से उत्पन्न होती है और जिसकी विद्यमानता एक या अधिक अनिश्चित संभावित घटनाओं जोकि पूर्ण रूप से बैंक के नियंत्रण में नहीं हैं के उत्पन्न होने या न होने पर पुष्टि की जाएगी. | हमारे लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में मुख्यत: शामिल हैं:<br>• प्रबंधन के निर्णय की समीक्षा कानूनी विवादों, विनियामक जांच-पड़तालों एवं बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें कर्ज के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है का स्वरूप एवं स्थिति समझने के लिए ताकि यह तय किया जा सके कि एक प्रावधान को स्वीकार किया जाना चाहिए या नहीं.<br>• इस संबंध में बाहरी विशेषज्ञों या बैंक के विभागों से प्राप्त कानूनी मतों की समीक्षा (जहां भी लागू हो). |

| क्र. | मुख्य लेखा परीक्षा मामले | हमारी रिपोर्ट में मामलों को कैसे बताया गया है |
|---|---|---|
| | | • पहले के आंकड़े/ऐतिहासिक डाटा, निपटाए गए दावों का सत्यापन एवं वर्ष के दौरान नयी मांगें एवं कुछ निश्चित मामलों में, कानूनी मत के आधार पर, प्रबंधन के प्रतिनिधित्व की धारणा, की तुलना करके प्रावधानों की पर्याप्तता एवं आकस्मिक देयता के प्रकटीकरण के मूल्यांकन, की स्वतंत्र रूप से जांच.<br>• भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों एवं बैंक की नीतियों के अनुसार इन प्रावधानों एवं संबन्धित आकस्मिक देयता के प्रकटीकरण का सत्यापन.<br>• सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा दिये गए प्रमाणन पर भरोसा. |

**अन्य सूचना:**

5. बैंक के निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं को तैयार करने के लिए जिम्मेदार हैं. अन्य सूचनाओं में वार्षिक रिपोर्ट में वर्ष की मुख्य बातें, परिशिष्टों सहित निदेशकों की रिपोर्ट, मुख्य वित्तीय अनुपात, कारोबारी उत्तरदायित्व रिपोर्ट एवं कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट शामिल हैं, परंतु वित्तीय विवरण एवं हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट एवं नए पूंजी पर्याप्तता प्रारूप (बासल III प्रकटीकरण) के अंतर्गत पिल्लर III प्रकटीकरण शामिल नहीं है.

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारा मत अन्य सूचना एवं बासल III प्रकटीकरण कवर नहीं करता एवं हम उस पर किसी तरह का आश्वासन निष्कर्ष नहीं प्रकट करते.

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी ज़िम्मेदारी अन्य सूचना को पढ़ने की है एवं, ऐसा करने में यह ध्यान रखना चाहिए कि क्या सूचना एकल वित्तीय विवरणों के साथ तात्विक रूप से परिवर्तनशील है या हमारी जानकारी लेखापरीक्षा में प्राप्त या अन्यथा ही तात्विक रूप से गलत बयान की गयी है. यदि, हमारे द्वारा निष्पादित किए गए कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह अन्य सूचना की तात्विक गलतबयानी है; हमें इस तथ्य को रिपोर्ट करना अपेक्षित है. इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है.

**प्रबंधन की जिम्मेदारियाँ एवं वे जो स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए गवर्नेंस द्वारा प्रभारित हैं**

6. बैंक के निदेशक मंडल इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारियों के संबंध में जिम्मेदार हैं जो वित्तीय स्थिति के सत्य एवं निष्पक्ष विचार देते हैं, वित्तीय निष्पादन एवं भारत में सामान्य तौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखा नियमों के अनुरूप है, जिसमें आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानदंड हैं एवं बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के खंड 29 के प्रावधान एवं समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्र एवं दिशानिर्देश शामिल हैं. इस ज़िम्मेदारी में बैंकों की आस्तियों के बचाव के लिए एक्ट के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लेखांकन रिकॉर्डों का रखरखाव धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को पहचानने एवं उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन एवं प्रयोग ऐसे निर्णय एवं आकलन बनाना जो तर्कसंगत एवं विवेकपूर्ण हैं एवं सरंचना, उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का प्रबंधन एवं कार्यान्वयन जो लेखांकन रिकॉर्डों की पूर्णता एवं शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य कर रहे थे, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुति के संबंध में जो सत्य एवं सही विचार देते हैं तथा तात्विक गलत बयानी चाहे वह धोखाधड़ी या गलती की वजह से हो, से मुक्त हैं.

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रबंधन बैंक की कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए जिम्मेदार है, प्रकटीकरण, जैसा कि लागू है, कार्यशील संस्था से संबन्धित मामले एवं कार्यशील संस्था के लेखांकन आधार का प्रयोग करना जब तक प्रबंधन या तो बैंक का परिसमापन नहीं करता या परिचालन बंद नहीं करता, या उसके पास इसके अलावा कोई यथार्थवादी विकल्प न हो.

**स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियाँ**

7. हमारा उद्देश्य इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण समूचे तौर पर चाहे धोखाधड़ी या गलती की वजह से तात्विक गलतबयानी से मुक्त है, एवं एक लेखापरीक्षा रिपोर्ट, जिसमें हमारा मत शामिल है, को जारी करना. तर्कसंगत आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, पर कोई गारंटी नहीं है कि मानकीकृत मानदंड के अनुसार संचालित की गयी लेखापरीक्षा हमेशा तात्विक गलत बयानी को पकड़ लेगी. गलतबयानी धोखाधड़ी या गलती की वजह से उत्पन्न हो सकती है एवं उसे तात्विक माना जाता है यदि व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से, वो इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए प्रयोगकर्ताओं के आर्थिक फैसलों को विवेकपूर्ण तरीके से प्रभावित कर सके.

मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय का प्रयोग करते हैं एवं लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संशय को बनाए रखते हैं. हम साथ ही:

- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण की तात्विक गलतबयानी के जोखिमों को पहचानते एवं मूल्यांकन करते हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या गलती की वजह से हो, संरचना एवं उन जोखिमों के अनुकुल लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का निष्पादन एवं पर्याप्त लेखापरीक्षा सबूत प्राप्त करना एवं जो हमारे मत का आधार देने के लिए उपयुक्त है. धोखाधड़ी से उत्पन्न एक तात्विक गलतबयानी को न पहचानने का जोखिम गलती से उत्पन्न को न पहचान पाने से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिली-भगत, जालसाज, साभिप्राय चूक, गलतबयानी या आंतरिक नियंत्रण का निरस्तीकरण शामिल हो सकता है.
- प्रयोग की गयी लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन एवं लेखांकन अनुमानों की तर्कसंगतता एवं प्रबंधन द्वारा बनाए गए संबन्धित प्रकटीकरण.

- लेखांकन की कार्यशील संस्था के आधार के प्रयोग के विनियोजन पर हुए और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या घटनाओं या स्थितियों से संबन्धित ठोस अनिश्चितता नजर आती है जो बैंक को कार्यशील संस्था के रूप में कार्य करते रहने के लिए बैंक की सामर्थ्य पर संदेह बना सकती है. अगर हम यह निष्कर्ष निकालें कि ठोस अनिश्चितता नजर आती है, तो स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में संबन्धित प्रकटीकरण संबंधी हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तरफ ध्यान आकर्षित करना अपेक्षित है या, हमारे मत का आशोधन करने के लिए इस तरह के प्रकटीकरण अनुपयुक्त हैं. हमारे निष्कर्ष लेखापरीक्षा सबूतों पर आधारित हैं जो अबतक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर प्राप्त किए गए हैं. हालांकि, भविष्य की घटनाएँ या स्थितियाँ बैंक के कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने को रोक सकती हैं.
- प्रकटीकरण सहित, सम्पूर्ण प्रस्तुतीकरण, एकल वित्तीय विवरणों की सरंचना एवं विषय-वस्तु का मूल्यांकन एवं क्या एकल वित्तीय विवरण अंतर्हित लेनदेनों एवं घटनाओं को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं कि उसे उचित प्रदर्शन माना जाए.

वास्तविकता स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में गलतबयानी का परिमाण है जोकि, व्यक्तिगत या सामूहिक रुप से, संभावित बनाता है जिससे कि वित्तीय विवरणों के विवेकपूर्ण ज्ञानवान प्रयोगकर्ता के आर्थिक फैसले को प्रभावित किया जा सके. हम निम्न परिमाणात्मक वास्तविकता एवं गुणात्मक घटक का प्रयोग करते हैं i) हमारे लेखापरीक्षा कार्य के कार्यक्षेत्र की योजना बनाने एवं हमारे कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए एवं ii) वित्तीय विवरणों में पहचानी गयी किसी भी गलतबयानी के प्रभाव का मूल्यांकन करना.

हम अन्य मामलों के साथ-साथ उनसे सम्प्रेषण करते हैं जो गवर्नेंस से प्रभारित हैं, नियोजित कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा का समय एवं महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष, आंतरिक नियंत्रण में अन्य महत्वपूर्ण कमियों, जिन्हें हम लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं.

हम गवर्नेंस से प्रभारित को भी वचन देते हैं कि हमने स्वतन्त्र रूप से प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है, एवं उनसे सम्प्रेषण करने के लिए सभी रिश्ते एवं अन्य मामले जिनके बारे में माना जाता है कि वो विवेकपूर्ण तरीके से हमारी स्वतन्त्रता एवं सुरक्षोपाय संबंधी, जहां लागू हो, पर प्रभाव डालते हैं.

गवर्नेंस से प्रभारित संप्रेषित मामलों से, हमने ऐसे मामलों को निर्धारित किया है जो कि वर्तमान अवधि की एकल वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा के सबसे अधिक महत्व के हैं एवं इसलिए मुख्य लेखापरीक्षा मामले हैं. हम इन मामलों का अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन द्वारा मामले के बारे में लोक प्रकटीकरण पर रोक न लगा दी जाये या जब, अत्यधिक दुर्लभ मामलों में, हम यह तय करते हैं कि ऐसा मामला हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं होना चाहिये जिससे कि ऐसे प्रतिकूल सम्प्रेषण से खातों से अपेक्षित जनहित लाभ महत्वपूर्ण साबित होने के प्रतिकूल हों.

**अन्य मामलें:**

8. हमने बैंक के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में शामिल 2,458 शाखाओं के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है जिनका वित्तीय विवरण यह बताता है कि कुल आस्तियां 31 मार्च 2019 को ₹365,60,19,844 (₹000 में) है एवं कुल राजस्व उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए ₹38,17,80,379 (₹000 में) है, जैसा कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में लिया गया है. इन शाखाओं का वित्तीय विवरण शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित है जिसकी रिपोर्टें हमें प्रदान की गयी हैं, एवं हमारे विचार में जहां तक इसका संबंध राशियों एवं प्रकटीकरण से हैं जिन्हें शाखाओं के संबंध में जोड़े गए हैं, पूर्ण रूप से ऐसे शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित हैं.

हमारी राय इस मामले के संबंध में आशोधित नहीं है.

**अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट**

9. तुलन पत्र और लाभ एवं हानि खाता बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किए गए हैं.

10. ऊपर पैरा 6 से 8 में दी गयी लेखापरीक्षा की सीमाओं के अधीन और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980, और उनमें अपेक्षित प्रकटनों के अधीन हम रिपोर्ट करते हैं कि:

    क. हमारे द्वारा अपेक्षित जानकारियाँ और स्पष्टीकरण प्राप्त की गयी, जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया.

    ख. हमारे विचार से, हमारी जानकारी में आए बैंक के लेनदेन बैंक के अधिकारियों के अधिकार में किए गए हैं;तथा

    ग. बैंक के कार्यालय और शाखाओं से प्राप्त विवरण हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से पर्याप्त पाये गए हैं.

**11. हम आगे सूचित करते हैं कि:**

    क. हमारे मत में, जैसा कि अब तक इन बही के जांच से पाया गया है कि कानून द्वारा अपेक्षित खातों की उचित बही बैंक द्वारा रखा गया है तथा हमारे द्वारा न निरीक्षण की गयी शाखाओं से प्राप्त विवरण हमारे लेखापरीक्षा के उद्देश्य से उचित हैं.

    ख. इस रिपोर्ट में निहित तुलन पत्र, लाभ एवं हानि खाता एवं नकदी प्रवाह विवरण, लेखा बहियों एवं हमारे द्वारा निरीक्षण न की गयी शाखाओं से प्राप्त विवरण के अनुरूप हैं.

    ग. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अधीन बैंक के शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखा कार्यालयों से संबन्धित खातों पर रिपोर्ट हमें प्रेषित की गयी तथा इस रिपोर्ट को तैयार करने में उन पर विचार किया है; तथा

घ. हमारे मत में, तुलन पत्र, लाभ हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण, लागू लेखा मानकों के अनुरूप है, और वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों की सीमा से असंगत नहीं हैं.

**कृते एस. भंडारी एंड कं.**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 000560C

**कृते सी एन के एंड एसोसिएट्स एलएलपी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 101961W/W-100036

**कृते कीर्तने एंड पंडित एलएलपी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 105215W/W-100057

**पी पी पारीक**
भागीदार
सदस्य.सं. 071213

**सुरेश एस अगस्कर**
भागीदार
सदस्य.सं. 110321

**एस बी भागवत**
भागीदार
सदस्य.सं. 008072

**कृते आर एस पटेल एंड कं.**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 107758W

**कृते एम जी बी एंड कं. एलएलपी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 101169W/W-100035

**कृते बी एम चतरथ एंड कं. एलएलपी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 301011E/E300025

**राजन बी शाह**
भागीदार
सदस्य.सं. 101998

**संजय कोठारी**
भागीदार
सदस्य.सं. 048215

**आनंद चतरथ**
भागीदार
सदस्य.सं. 052975

स्थान : मुंबई
दिनांक : 14 मई, 2019

# 31 मार्च 2019 का स्टैंडअलोन तुलन पत्र

(₹ 000 में)

| विवरण | अनुसूची क्र. | यथा 31 मार्च 2019 | यथा 31 मार्च 2018 |
|---|---|---|---|
| **पूंजी एवं देयताएं** | | | |
| पूंजी | 1 | **17,63,01,63** | 11,68,57,34 |
| आरक्षित निधियां एवं अधिशेष | 2 | **2,47,23,99,11** | 2,39,28,19,78 |
| जमाराशियां | 3 | **41,59,15,26,95** | 40,85,01,63,57 |
| उधार | 4 | **4,28,63,82,49** | 4,56,80,76,81 |
| अन्य देयताएं एवं प्रावधान | 5 | **87,72,74,04** | 81,00,91,34 |
| **कुल** | | **49,40,38,84,22** | 48,73,80,08,84 |
| **आस्तियां** | | | |
| नकदी एवं भारतीय रिज़र्व बैंक में जमा शेष | 6 | **2,07,96,46,37** | 2,10,16,46,93 |
| बैंकों में जमा शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य शेष | 7 | **2,22,49,51,00** | 2,84,24,72,51 |
| निवेश | 8 | **12,60,46,64,26** | 12,37,54,21,73 |
| अग्रिम | 9 | **29,69,32,15,30** | 28,87,60,58,25 |
| अचल आस्तियां | 10 | **37,62,29,28** | 38,33,33,28 |
| अन्य आस्तियां | 11 | **2,42,51,78,01** | 2,15,90,76,14 |
| **कुल** | | **49,40,38,84,22** | 48,73,80,08,84 |
| आकस्मिक देयताएं | 12 | **19,84,05,69,68** | 26,65,73,93,23 |
| संग्रहण के लिए बिल | | **1,94,41,23,06** | 1,84,27,08,88 |
| प्रमुख लेखा नीतियां | 17 | | |
| खातों से संबंधित नोट | 18 | | |

उक्त वर्णित अनुसूचियां स्टैंडअलोन तुलन पत्र का अभिन्न अंग हैं

**(धीरेन्द्र जैन)**
उप महा प्रबंधक

**(बी. श्रीनिवास राव)**
महा प्रबंधक एवं सीएफओ

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

**(मानस रंजन बिस्वाल)**
कार्यपालक निदेशक

**(दिनेश कुमार गर्ग)**
कार्यपालक निदेशक

**(गोपाल सिंह गुसाईं)**
कार्यपालक निदेशक

**(राजकिरण रै जी.)**
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

**(केवल हांडा)**
अध्यक्ष

**(डॉ. मदनेश कुमार मिश्रा)**
निदेशक

**(अरूण कुमार सिंह)**
निदेशक

**(राजीव कुमार सिंह)**
निदेशक

**(डॉ. मदुरा स्वामीनाथन)**
निदेशक

**(डॉ. उत्तम कुमार सरकार)**
निदेशक

**(के. केदिरेसन)**
निदेशक

**(जयदेव एम)**
निदेशक

हमारी उक्त तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार.

**कृते एस. भंडारी एंड कं.**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 000560C
**(पी पी पारीक )**
भागीदार
(सदस्य.सं. 071213)

**कृते सी एन के एंड एसोसिएट्स एलएलपी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 101961W/W-100036
**(सुरेश एस अगस्कर)**
भागीदार
(सदस्य.सं. 110321)

**कृते कीर्तने एंड पंडित एलएलपी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 105215W/W-100057
**(एस बी भागवत)**
भागीदार
(सदस्य.सं. 008072)

**कृते आर एस पटेल एंड कं.**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 107758W
**(राजन बी शाह)**
भागीदार
(सदस्य.सं. 101998)

**कृते एम जी बी एंड कं. एलएलपी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 101169W/W-100035
**(संजय कोठारी)**
भागीदार
(सदस्य.सं. 048215)

**कृते बी एम चतरथ एंड कं. एलएलपी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 301011E/E300025
**(आनंद चतरथ)**
भागीदार
(सदस्य.सं. 052975)

स्थान : मुंबई
दिनांक : 14 मई, 2019

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
अच्छे लोग, अच्छा बैंक
Union Bank of India
Good people to bank with

# 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष का स्टैंडअलोन लाभ एवं हानि खाता

(₹ 000 में)

| विवरण | | अनुसूची क्र. | 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|---|---|
| **I.** | **आय** | | | |
| | अर्जित ब्याज | 13 | **3,40,66,65,89** | 3,27,47,99,92 |
| | अन्य आय | 14 | **44,73,94,67** | 49,89,86,84 |
| | **कुल** | | **3,85,40,60,56** | 3,77,37,86,76 |
| **II.** | **व्यय** | | | |
| | व्यय किया गया ब्याज | 15 | **2,38,51,74,82** | 2,34,43,33,60 |
| | परिचालन व्यय | 16 | **71,67,62,54** | 66,54,95,60 |
| | प्रावधान और आकस्मिक व्यय | | **1,04,68,68,03** | 1,28,86,94,41 |
| | **कुल** | | **4,14,88,05,39** | 4,29,85,23,61 |
| **III.** | **वर्ष का लाभ / (हानि)** | | **(29,47,44,83)** | (52,47,36,85) |
| | जोड़ें: आगे लाया गया लाभ / (हानि) | | **(54,06,17,95)** | - |
| | **कुल** | | **(83,53,62,79)** | (52,47,36,85) |
| **IV.** | **विनियोजन** | | | |
| | संविधिक आरक्षित में अंतरण | | **-** | - |
| | पूंजी आरक्षित में अंतरण | | **46,58,01** | 1,58,81,10 |
| | राजस्व और अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण | | **-** | - |
| | विशेष आरक्षित में अंतरण [आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(I)(viii)] | | **-** | - |
| | लाभ हानि लेखे में शेष | | **(84,00,20,80)** | (54,06,17,95) |
| | **कुल** | | **(83,53,62,79)** | (52,47,36,85) |
| | प्रति शेयर आय (बेसिक एवं डाइल्यूटेड) (अंकित मूल्य ₹ 10) | 18 (13) | **(25.08)** | (69.45) |
| | प्रमुख लेखा नीतियां | 17 | | |
| | खातों से संबंधित नोट | 18 | | |

उक्त वर्णित अनुसूचियां स्टैंडअलोन लाभ एवं हानि लेखों का अभिन्न अंग हैं

**(धीरेन्द्र जैन)**
उप महा प्रबंधक

**(बी. श्रीनिवास राव)**
महा प्रबंधक एवं सीएफओ

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

**(मानस रंजन बिस्वाल)**
कार्यपालक निदेशक

**(दिनेश कुमार गर्ग)**
कार्यपालक निदेशक

**(गोपाल सिंह गुसाईं)**
कार्यपालक निदेशक

**(राजकिरण रै जी.)**
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

**(केवल हांडा)**
अध्यक्ष

**(डॉ. मदनेश कुमार मिश्रा)**
निदेशक

**(अरूण कुमार सिंह)**
निदेशक

**(राजीव कुमार सिंह)**
निदेशक

**(डॉ. मदुरा स्वामीनाथन)**
निदेशक

**(डॉ. उत्तम कुमार सरकार)**
निदेशक

**(के. केदिरेसन)**
निदेशक

**(जयदेव एम)**
निदेशक

हमारी उक्त तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार.

**कृते एस. भंडारी एंड कं.**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 000560C
**(पी पी पारीक )**
भागीदार
(सदस्य.सं. 071213)

**कृते सी एन के एंड एसोसिएट्स एलएलपी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 101961W/W-100036
**(सुरेश एस अगस्कर)**
भागीदार
(सदस्य.सं. 110321)

**कृते कीर्तने एंड पंडित एलएलपी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 105215W/W-100057
**(एस बी भागवत)**
भागीदार
(सदस्य.सं. 008072)

**कृते आर एस पटेल एंड कं.**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 107758W
**(राजन बी शाह)**
भागीदार
(सदस्य.सं. 101998)

**कृते एम जी बी एंड कं. एलएलपी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 101169W/W-100035
**(संजय कोठारी)**
भागीदार
(सदस्य.सं. 048215)

**कृते बी एम चतरथ एंड कं. एलएलपी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 301011E/E300025
**(आनंद चतरथ)**
भागीदार
(सदस्य.सं. 052975)

स्थान : मुंबई
दिनांक : 14 मई, 2019

# 31 मार्च, 2019 के स्टैंडअलोन तुलन पत्र के भाग के रुप में अनुसूचियां

(₹ 000 में)

| | | | यथा 31 मार्च, 2019 | | यथा 31 मार्च, 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| **अनुसूची 1 - पूंजी :** | | | | | |
| **I.** | **प्राधिकृत:** | | | | |
| | ₹10 प्रति शेयर की दर से 30,00,00,00,00 इक्विटी शेयर | | **30,00,00,00** | | 30,00,00,00 |
| | (पिछले वर्ष ₹10 प्रति शेयर की दर से 30,00,00,00,00 इक्विटी शेयर) | | | | |
| **II.** | **निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त :** | | | | |
| | i. ₹10 प्रति शेयर की दर से 1,30,94,77,239 इक्विटी शेयर, भारत सरकार द्वारा धारित | | **13,09,47,72** | | 7,87,91,46 |
| | (पिछले वर्ष 78,79,14,600 इक्विटी शेयर) | | | | |
| | ii. ₹10 प्रति शेयर की दर से 4,53,53,90,75 इक्विटी शेयर जनता द्वारा धारित | | **4,53,53,91** | | 3,80,65,88 |
| | (पिछले वर्ष 38,06,58,800 इक्विटी शेयर) | | | | |
| | **कुल** | | **17,63,01,63** | | 11,68,57,34 |
| **अनुसूची 2 - आरक्षित निधियां एवं अधिशेष :** | | | | | |
| I. | सांविधिक आरक्षित : | | | | |
| | पिछले तुलन पत्र के अनुसार | **66,70,61,10** | | 66,70,61,10 | |
| | वर्ष के दौरान वृद्धि | **-** | **66,70,61,10** | - | 66,70,61,10 |
| II. | पूंजी आरक्षित: | | | | |
| | पिछले तुलन पत्र के अनुसार | **12,38,37,60** | | 10,79,56,50 | |
| | वर्ष के दौरान वृद्धि | **46,58,01** | **12,84,95,61** | 1,58,81,10 | 12,38,37,60 |
| III. | पुनर्मूल्यांकन आरक्षित : | | | | |
| | पिछले तुलन पत्र के अनुसार | **23,41,87,75** | | 24,56,79,77 | |
| | वर्ष के दौरान वृद्धि | **-** | | - | |
| | वर्ष के दौरान कमी | **1,07,06,75** | **22,34,81,00** | 1,14,92,02 | 23,41,87,75 |
| IV. | शेयर प्रीमियम : | | | | |
| | पिछले तुलन पत्र के अनुसार | **1,10,50,43,72** | | 44,84,37,91 | |
| | वर्ष के दौरान वृद्धि | **40,85,87,75** | | 65,83,86,77 | |
| | वर्ष के दौरान कमी | **6,34,62** | **1,51,29,96,85** | 17,80,96 | 1,10,50,43,72 |
| V. | राजस्व आरक्षित : | | | | |
| | i) राजस्व एवं अन्य आरक्षित : | | | | |
| | पिछले तुलन पत्र के अनुसार | **50,20,19,80** | | 50,73,91,75 | |
| | वर्ष के दौरान वृद्धि | **1,51,89,75** | | 3,09,20,02 | |
| | वर्ष के दौरान कमी | **3,66,90,00** | | 3,62,91,97 | |
| | **कुल** | **48,05,19,55** | | 50,20,19,80 | |
| | ii) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित | | | | |
| | पिछले तुलन पत्र के अनुसार | **28,75,00,00** | | 28,75,00,00 | |
| | वर्ष के दौरान वृद्धि | **-** | | - | |
| | **कुल** | **28,75,00,00** | | 28,75,00,00 | |
| | iii) विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित | | | | |
| | पिछले तुलन पत्र के अनुसार | **1,37,87,76** | | 1,07,48,20 | |
| | वर्ष के दौरान वृद्धि | **2,52,30** | | 41,94,01 | |
| | वर्ष के दौरान कमी | **16,74,26** | | 11,54,45 | |
| | **कुल** | **1,23,65,80** | **78,03,85,35** | 1,37,87,76 | 80,33,07,56 |
| VI. | लाभ-हानि खाते में शेष | | **(84,00,20,80)** | | (54,06,17,95) |
| | **कुल** | | **2,47,23,99,11** | | 2,39,28,19,78 |

# 31 मार्च, 2019 के स्टैंडअलोन तुलन पत्र के भाग के रुप में अनुसूचियां

(₹ 000 में)

| | | | यथा 31 मार्च, 2019 | | यथा 31 मार्च, 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| **अनुसूची 3 - जमाराशियां :** | | | | | |
| क. | | | | | |
| **I.** | **मांग जमाराशियां** | | | | |
| | i) बैंकों से | **4,89,32,22** | | 4,72,80,37 | |
| | ii) अन्य से | **2,60,24,07,25** | **2,65,13,39,47** | 2,45,85,54,04 | 2,50,58,34,41 |
| **II.** | **बचत बैंक जमाराशियां** | | **12,36,27,78,73** | | 11,41,82,88,41 |
| **III.** | **मीयादी जमाराशियां** | | | | |
| | i) बैंकों से | **49,38,53,26** | | 65,64,72,87 | |
| | ii) अन्यों से | **26,08,35,55,49** | **26,57,74,08,75** | 26,26,95,67,88 | 26,92,60,40,75 |
| | **कुल** | | **41,59,15,26,95** | | 40,85,01,63,57 |
| ख. | | | | | |
| | i). भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियां | | **41,30,99,22,20** | | 40,31,96,56,55 |
| | ii). भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां | | **28,16,04,75** | | 53,05,07,02 |
| | **कुल** | | **41,59,15,26,95** | | 40,85,01,63,57 |
| **अनुसूची 4 - उधार :** | | | | | |
| **क)** | **उधार : पूंजी लिखत** | | | | |
| | I. शाश्वत बांड | | **42,00,00,00** | | 45,40,00,00 |
| | II. अपर टियर II पूंजी | | **15,00,00,00** | | 15,00,00,00 |
| | III. लोअर टियर II पूंजी | | **55,50,00,00** | | 67,50,00,00 |
| **ख)** | **भारत में उधार** | | | | |
| | I. भारतीय रिज़र्व बैंक से | **90,00,00,00** | | 65,86,00,00 | |
| | II. अन्य बैंकों से | **-** | | - | |
| | III. अन्य संस्थाओ एवं एजेंसियों से | **43,72,44,31** | **1,33,72,44,31** | 11,96,37,90 | 77,82,37,90 |
| **ग)** | **भारत से बाहर उधार** | | **1,82,41,38,18** | | 2,51,08,38,91 |
| | **कुल** | | **4,28,63,82,49** | | 4,56,80,76,81 |
| उपर्युक्त (ख) I में सम्मिलित प्रतिभूत उधार | | | **90,00,00,00** | | 65,86,00,00 |
| **अनुसूची 5 - अन्य देयताएं एवं प्रावधान :** | | | | | |
| | I. देय बिल | | **11,71,25,84** | | 12,63,61,10 |
| | II. उपचित ब्याज | | **17,76,27,74** | | 17,45,18,43 |
| | III. अन्य (प्रावधान सहित) | | **58,25,20,46** | | 50,92,11,81 |
| | **कुल** | | **87,72,74,04** | | 81,00,91,34 |
| **अनुसूची 6 - नकदी एवं भारतीय रिज़र्व बैंक में जमा शेष :** | | | | | |
| | I. धारित नकदी (विदेशी करेंसी नोट एवं स्वर्ण सहित) | | **12,46,99,51** | | 12,90,34,40 |
| | II. भारतीय रिज़र्व बैंक में जमा शेष चालू खाते में | | **1,95,49,46,86** | | 1,97,26,12,53 |
| | **कुल** | | **2,07,96,46,37** | | 2,10,16,46,93 |

# 31 मार्च, 2019 के स्टैंडअलोन तुलन पत्र के भाग के रुप में अनुसूचियां

(₹ 000 में)

| | | | यथा 31 मार्च, 2019 | | यथा 31 मार्च, 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| **अनुसूची 7 - बैंकों में जमा शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन :** | | | | | |
| **I.** | **भारत में स्थित बैंकों में जमा शेष** | | | | |
| i) | क) चालू खातों में | **64,77,18** | | 56,85,65 | |
| | ख) अन्य जमा खातो में | **68,96,31,77** | | 71,24,26,81 | |
| ii) | मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन | | | | |
| | क) बैंकों से | **75,24,92,77** | | 1,19,28,91,33 | |
| | ख) अन्य संस्थाओं से | **-** | **1,44,86,01,72** | - | 1,91,10,03,79 |
| **II.** | **भारत के बाहर** | | | | |
| i) | चालू खातों में | **2,14,65,51** | | 4,29,34,63 | |
| ii) | अन्य जमा खातो में | **75,48,83,77** | | 87,68,99,76 | |
| iii) | मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन | **-** | **77,63,49,28** | 1,16,34,33 | 93,14,68,72 |
| | **कुल** | | **2,22,49,51,00** | | 2,84,24,72,51 |
| **अनुसूची 8 - निवेश :** | | | | | |
| **I.** | **भारत में निवेश** | | | | |
| i) | सरकारी प्रतिभूतियों में | | **9,44,06,72,58** | | 9,73,49,04,21 |
| ii) | शेयरों में | | **14,71,71,38** | | 18,46,94,21 |
| iii) | डिबेंचर एवं बॉण्डों में | | **2,26,32,46,73** | | 1,94,53,59,86 |
| iv) | सहायक कंपनियों एवं संयुक्त उपक्रमों / एसोसिएट में | | **2,67,31,68** | | 2,67,31,68 |
| v) | अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युचुअल फंड, वेंचर कैपिटल, प्रतिभूति रसीदों आदि में) | | **46,41,97,14** | | 23,58,43,59 |
| | **कुल** | | **12,34,20,19,51** | | 12,12,75,33,55 |
| **II.** | **भारत से बाहर निवेश** | | | | |
| i) | सरकारी प्रतिभूतियों में (स्थानीय प्राधिकारियों सहित) | | **15,07,85,31** | | 14,16,42,85 |
| ii) | शेयरों में | | **40,32** | | 40,32 |
| iii) | अन्य निवेश (बॉण्डों में) | | **4,68,85,62** | | 4,83,55,51 |
| iv) | सहायक कंपनियों एवं संयुक्त उपक्रम में | | **6,49,33,50** | | 5,78,49,50 |
| | **कुल** | | **26,26,44,75** | | 24,78,88,18 |
| | **कुल** | | **12,60,46,64,26** | | 12,37,54,21,73 |
| **III.** | **i) भारत में निवेश** | | | | |
| | सकल मूल्य | | **12,57,82,16,26** | | 12,40,19,17,58 |
| | मूल्यह्रास हेतु प्रावधान | | **23,61,96,76** | | 27,43,84,03 |
| | निवल मूल्य | | **12,34,20,19,50** | | 12,12,75,33,55 |
| | **ii) भारत से बाहर निवेश** | | | | |
| | सकल मूल्य | | **26,32,68,86** | | 25,05,28,22 |
| | मूल्यह्रास हेतु प्रावधान | | **6,24,10** | | 26,40,04 |
| | निवल मूल्य | | **26,26,44,76** | | 24,78,88,18 |
| | **कुल** | | **12,60,46,64,26** | | 12,37,54,21,73 |

# 31 मार्च, 2019 के स्टैंडअलोन तुलन पत्र के भाग के रुप में अनुसूचियां

(₹ 000 में)

| | | | यथा 31 मार्च, 2019 | यथा 31 मार्च, 2018 |
|---|---|---|---|---|
| **अनुसूची 9 - अग्रिम (निवल)** | | | | |
| क. | i) | खरीदे और भुनाए गए बिल | **44,75,22,40** | 88,93,93,48 |
| | ii) | कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिदेय ऋण | **13,15,55,76,69** | 13,24,87,82,92 |
| | iii) | मीयादी ऋण | **16,09,01,16,21** | 14,73,78,81,85 |
| | | **कुल** | **29,69,32,15,30** | 28,87,60,58,25 |
| ख. | i) | मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण के पेटे अग्रिमों सहित) | **25,57,21,01,41** | 25,64,42,25,53 |
| | ii) | बैंक / सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा संरक्षित | **1,34,60,71,82** | 1,01,54,67,51 |
| | iii) | अप्रतिभूत | **2,77,50,42,07** | 2,21,63,65,21 |
| | | **कुल** | **29,69,32,15,30** | 28,87,60,58,25 |
| ग. | अग्रिमों का क्षेत्रवार वर्गीकरण | | | |
| | I. | भारत में अग्रिम: | | |
| | | i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र | **11,56,08,32,12** | 11,05,56,83,14 |
| | | ii) सार्वजनिक क्षेत्र | **2,89,24,65,43** | 2,50,78,14,78 |
| | | iii) बैंक | **19,00,18,38** | 3,17 |
| | | iv) अन्य | **13,65,98,49,59** | 12,92,07,32,46 |
| | | **कुल** | **28,30,31,65,52** | 26,48,42,33,55 |
| | II. | भारत के बाहर अग्रिम: | | |
| | | i) बैंकों से प्राप्य | **24,11,89,98** | 72,82,29,73 |
| | | ii) अन्य से प्राप्य | **-** | - |
| | | क) खरीदे एवं भुनाए गए बिल | **6,91,25,00** | 58,62,42,36 |
| | | ख) सिंडिकेटेड ऋण | **2,26,66,68** | 2,23,98,63 |
| | | ग) अन्य | **1,05,70,68,12** | 1,05,49,53,98 |
| | | **कुल** | **1,39,00,49,78** | 2,39,18,24,70 |
| | | **कुल** | **29,69,32,15,30** | 28,87,60,58,25 |

**अनुसूची 10 - अचल आस्तियां :**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **क.** | **मूर्त आस्तियां** | | | | | |
| | **I.** | **परिसर** | | | | |
| | | पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत/मूल्यांकन पर | **38,32,05,10** | | 37,98,39,04 | |
| | | वर्ष के दौरान वृद्धि | **40,03,30** | | 33,66,06 | |
| | | वर्ष के दौरान कमी | **5,87,80** | | - | |
| | | | **38,66,20,60** | | 38,32,05,10 | |
| | | घटाएं : आज की तारीख तक अवमूल्यन | **11,04,29,83** | **27,61,90,77** | 9,70,44,95 | 28,61,60,15 |
| | **II.** | **प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य** | | | | |
| | | पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर | **33,49,18** | | 20,93,38 | |
| | | वर्ष के दौरान वृद्धि | **25,94,14** | | 27,17,73 | |
| | | वर्ष के दौरान कमी | **15,86,44** | **43,56,88** | 14,61,93 | 33,49,18 |
| | **III.** | **भूमि** | | | | |
| | | पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर | **69,53,13** | | 76,30,34 | |
| | | वर्ष के दौरान वृद्धि | **1,07** | | - | |
| | | वर्ष के दौरान कमी | **-** | | 6,77,21 | |
| | | | **69,54,20** | | 69,53,13 | |
| | | घटाएं : आज की तारीख तक अवमूल्यन | **6,21,92** | **63,32,28** | 5,44,15 | 64,08,98 |

# 31 मार्च, 2019 के स्टैंडअलोन तुलन पत्र के भाग के रुप में अनुसूचियां

(₹ 000 में)

| | | यथा 31 मार्च, 2019 | | यथा 31 मार्च, 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| **IV.** | **अन्य अचल आस्तियां (फर्नीचर्स एवं फिक्सचर्स सहित)** | | | | |
| | **क) पट्टे पर दी गयी आस्तियां** | | | | |
| | पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर | **26,53,52** | | 26,53,52 | |
| | घटाएं : आज की तारीख तक अवमूल्यन | **26,53,52** | **-** | 26,53,52 | - |
| | **ख) अन्य** | | | | |
| | पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत/मूल्यांकन पर | **25,94,13,20** | | 24,01,48,69 | |
| | वर्ष के दौरान वृद्धि | **2,35,61,96** | | 2,50,78,69 | |
| | वर्ष के दौरान कमी | **38,99,80** | | 58,14,18 | |
| | | **27,90,75,36** | | 25,94,13,20 | |
| | घटाएं : आज की तारीख तक अवमूल्यन | **19,26,79,59** | **8,63,95,77** | 17,49,91,40 | 8,44,21,80 |
| **ख.** | **अमूर्त आस्तियां** | | | | |
| | **कंप्यूटर सॉफ्टवेयर** | | | | |
| | पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर | **2,33,48,89** | | 2,15,22,52 | |
| | वर्ष के दौरान वृद्धि | **24,06,54** | | 26,91,37 | |
| | वर्ष के दौरान कमी | **25,35** | | 8,65,00 | |
| | | **2,57,30,08** | | 2,33,48,89 | |
| | आज की तारीख तक परिशोधित | **2,27,76,50** | **29,53,58** | 2,03,55,71 | 29,93,18 |
| | **कुल** | | **37,62,29,28** | | 38,33,33,28 |
| **अनुसूची 11 - अन्य आस्तियां :** | | | | | |
| I. | अंतरकार्यालयीन समायोजन (निवल) | | **11,21,09,82** | | 2,17,67,38 |
| II. | उपचित ब्याज | | **24,37,74,08** | | 35,29,57,86 |
| III. | आस्थगित कर आस्तियां | | **51,72,08,00** | | 41,92,87,00 |
| IV. | लेखन सामग्री एवं स्टाम्प | | **3,72,93** | | 3,89,64 |
| V. | दावों के समाधान से अर्जित गैर-बैंककारी आस्तियां | | **3,90** | | 3,90 |
| VI. | अन्य | | **1,22,75,39,89** | | 1,36,46,70,36 |
| VII. | स्त्रोत पर प्रदत्त कर/कर की कटौती (निवल प्रावधान) | | **32,41,69,39** | | - |
| | **कुल** | | **2,42,51,78,01** | | 2,15,90,76,14 |
| **अनुसूची 12 - संभाव्य देयताएं :** | | | | | |
| I. | बैंक के विरुद्ध दावे, जिन्हें ऋण के रुप में स्वीकार नहीं किया गया है | | **31,04,97,29** | | 34,42,10,19 |
| II. | अंशत: प्रदत्त निवेशों के लिए देयताएं | | **59,20** | | 59,20 |
| III. | बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएं | | **12,08,20,14,42** | | 18,36,90,35,19 |
| IV. | संघटकों की ओर से दी गयी गारंटी | | | | |
| | क) भारत में | **3,57,75,82,53** | | 3,94,10,11,51 | |
| | ख) भारत से बाहर | **6,20,84,91** | **3,63,96,67,43** | 3,55,36,11 | 3,97,65,47,62 |
| V. | स्वीकृतियां, पृष्ठांकन एवं अन्य बाध्यताएं | | **3,34,54,65,14** | | 3,56,43,82,59 |
| VI. | अपील के अधीन विवादास्पद कर मांग | | **34,82,45,20** | | 30,57,81,44 |
| VII. | डी ई ए एफ योजना - 2014 में अंतरित राशि | | **11,46,21,00** | | 9,73,77,00 |
| | **कुल** | | **19,84,05,69,68** | | 26,65,73,93,23 |

# 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष का स्टैंडअलोन लाभ एवं हानि खाता के रुप में अनुसूचियां

(₹ 000 में)

| | | 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|---|
| **अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज :** | | | |
| I. | अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा | **2,37,71,92,10** | 2,27,72,97,52 |
| II. | निवेशों से आय | **90,03,34,27** | 87,79,96,52 |
| III. | भारतीय रिज़र्व बैंक के जमाशेषों और अन्य अंतर बैंक निधियों पर प्राप्त ब्याज | **12,01,27,26** | 11,39,37,36 |
| IV. | अन्य | **90,12,26** | 55,68,52 |
| | **कुल** | **3,40,66,65,89** | 3,27,47,99,92 |
| **अनुसूची 14 - अन्य आय :** | | | |
| I. | कमीशन, विनिमय और दलाली | **6,00,05,65** | 5,21,81,71 |
| II. | निवेशों की बिक्री से लाभ - (निवल) | **5,73,71,92** | 12,66,34,08 |
| III. | स्थायी आस्तियों के विक्रय से लाभ/(हानि) - (निवल) | **2,96,50** | (8,46,59) |
| IV. | विनिमय संव्यवहारों से लाभ - (निवल) | **5,64,90,40** | 8,92,52,90 |
| V. | अन्य आय | **27,32,30,20** | 23,17,64,74 |
| | **कुल** | **44,73,94,67** | 49,89,86,84 |
| **अनुसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज :** | | | |
| I. | जमाराशियों पर ब्याज | **2,20,89,16,73** | 2,15,56,15,63 |
| II. | भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर-बैंक उधारी पर ब्याज | **8,54,46,55** | 8,52,92,82 |
| III. | अन्य | **9,08,11,54** | 10,34,25,15 |
| | **कुल** | **2,38,51,74,82** | 2,34,43,33,60 |
| **अनुसूची 16 - परिचालन व्यय :** | | | |
| I. | कर्मचारियों को किए गए भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान | **31,50,92,85** | 31,55,23,36 |
| II. | किराया, कर और बिजली | **6,03,02,53** | 5,64,39,34 |
| III. | प्रिंटिंग और स्टेशनरी | **53,72,02** | 56,57,48 |
| IV. | विज्ञापन एवं प्रचार | **47,64,85** | 56,93,65 |
| V. | बैंक की संपत्ति पर मूल्य ह्रास | **3,68,03,94** | 3,62,71,11 |
| VI. | निदेशकों की फीस, भत्ते एवं व्यय | **1,10,38** | 88,18 |
| VII. | प्रबंध/कार्यपालक निदेशकों को पारिश्रमिक | **1,05,89** | 1,04,63 |
| VIII. | लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखापरीक्षकों सहित) | **49,11,16** | 54,34,39 |
| IX. | विधि प्रभार | **47,40,27** | 36,97,84 |
| X. | डाक खर्च, तार एवं टेलीफोन आदि | **1,21,85,47** | 93,70,07 |
| XI. | मरम्मत एवं रखरखाव | **1,18,91,84** | 1,17,76,11 |
| XII. | बीमा | **4,32,84,43** | 3,93,17,38 |
| XIII. | अन्य व्यय | **21,71,96,91** | 17,61,22,06 |
| | **कुल** | **71,67,62,54** | 66,54,95,60 |

**अनुसूची 17-महत्वपूर्ण लेखा नीतियां :**

**1. प्रस्तुति का आधार**

ये वित्तीय विवरण, यदि अन्यथा वर्णित न हो, भारत में लेखाबंदी हेतु सामान्यत: स्वीकृत सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी), जिसमें लागू सांविधिक प्रावधान, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों एवं दिशानिर्देशों, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 द्वारा निर्धारित नियामक मानदंडों/दिशानिर्देशों, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी मानक लेखांकन (एएस) तथा भारतीय बैंकिंग उद्योग में मौजूदा रूप से लागू प्रचलित सामान्य व्यवहारों का पालन करते हुए सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के अनुरूप, प्रचलित लेखाबंदी के उपचय आधार पर ऐतिहासिक लागत रीति के अन्तर्गत तैयार किए गए हैं. विदेशी कार्यालयों के संबंध में संबंधित देश में लागू व्यवहार के सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया गया है.

**2. अनुमानों का उपयोग**

जीएएपी के साथ अनुरुपता में वित्तीय विवरण की तारीख को वित्तीय विवरणों की तैयारी में, प्रबंधन को रिपोर्ट की गई आस्तियों व देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) और रिपोर्टिंग की तारीख को रिपोर्ट किये गये आय और व्यय के बारे में अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है. प्रबंधन को विश्वास है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रयुक्त किये गये अनुमान विवेकपूर्ण एवं युक्तिसंगत हैं. वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं. लेखांकन अनुमानों में कोई भी संशोधन वर्तमान और भविष्य की अवधि में संभावित रुप से पहचाना जाता है.

**3. राजस्व की पहचान**

I) जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, आय और व्यय की गणना सामान्यत: उपचय आधार पर की गई है.

II) गैर-निष्पादक आस्तियों (एनपीए) पर आय की पहचान, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार, वसूल की गई सीमा तक की गई है. पिछले वर्ष अप्राप्त आय की गणना और बची हुई अप्राप्त आय की गणना वर्ष के दौरान एनपीए श्रेणी में वर्गीकृत आस्ति के रूप में की गई है.

III) अर्जित कमीशन, विनिमय एवं ब्रोकरेज, (तृतीय पक्ष उत्पाद से प्राप्त आय सहित) सुरक्षित जमा लॉकरों का किराया और बॉयोमैट्रिक्स कार्ड पर कमीशन, आधार कार्ड से आय आदि प्राप्ति के आधार पर लेखांकित किए गए हैं.

IV) "परिपक्वता तक धारित" (एचटीएम) श्रेणी के निवेशों पर प्राप्त आय (ब्याज के अतिरिक्त) की पहचान, अंकित मूल्य पर छूट के आधार पर निम्नानुसार की गई है:

क) ब्याज वाली प्रतिभूतियों पर प्राप्त आय, केवल विक्रय/शोधन के समय ही प्राप्त मानी गई है.

ख) शून्य-कूपन प्रतिभूतियों पर प्राप्त आय का समायोजन, निरंतर प्राप्ति के आधार पर प्रतिभूति की शेष अवधि के लिए किया गया है.

V) जहां लाभांश प्राप्त करने का अधिकार तय है, वहां लाभांश की गणना उपचित आधार पर की गई है.

VI) भारतीय रिज़र्व बैंक के विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए बिक्री को लेखांकित किया गया है.

VII) एटी-1 बॉन्ड के ब्याज के भुगतान से संबंधित ब्याज व्यय को लाभ-हानि खाता विवरण के माध्यम से दर्शाया गया है. भारतीय रिज़र्व बैंक ने परिपत्र संख्या DBR.DP.BC.No. 50/21.06.201/2016-17 दिनांक 02 फरवरी, 2017 के माध्यम से यह वर्णित किया है कि "वितरण करने योग्य मदों" से कूपन का भुगतान किया जाना चाहिए. इसी परिप्रेक्ष्य में, चालू वर्ष के लाभों के लिए कूपन का भुगतान किया जा सकता है. फिर भी, दिशानिर्देशों के अनुसार यदि चालू वर्ष का लाभ पर्याप्त न हो तो निम्न की उपलब्धता के आधार पर कूपन का भुगतान कर सकते है:

(i) विगत वर्षों में हुए लाभ, और/अथवा

(ii) शुद्ध लाभ को दर्शाने वाले आरक्षित निधि, सांविधिक आरक्षित निधि सहित, और शेयर प्रीमियम रहित, पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि, विदेशी मुद्रा विनिमय मुद्रा अंतरण आरक्षित निधि, निवेश आरक्षित निधि एवं समामेलन से उत्पन्न आरक्षित निधियां.

अत: चालू वर्ष के लाभ की अपर्याप्तता के मामलों में, उपरोक्त वर्णित के अनुसार कूपन का भुगतान आरक्षित निधियों के डेबिट के माध्यम से भी किया जा सकता है:

**4. नकद तथा नकद तुल्य**

नकद तथा नकद तुल्य मद में नकद शेष, भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष, अन्य बैंकों के पास शेष तथा मांग या अल्प सूचना की राशियां शामिल हैं.

**5. निवेश**

i) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के प्रारुप ए की अपेक्षाओं के अनुरुप, निवेशों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

क) सरकारी प्रतिभूतियां

ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां

ग) शेयर

घ) ऋणपत्र एवं बांड्स

ङ) अनुषंगी इकाइयों एवं संयुक्त उपक्रमों में निवेश, एवं

च) अन्य निवेश

बैंक के निवेश पोर्टफोलियो को, भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र क्र. DBR.No.BP.BC.6/21.04.141/2015-16 दिनांक 1 जुलाई, 2015 के दिशानिर्देशों के अधीन पुन: निम्नलिखित 3 संवर्गों में वर्गीकृत किया गया है, यथा

क) परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)

ख) बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)

ग) व्यापार के लिए धारित (एचएफटी)

ii) मूल्यांकन के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित सिद्धान्त अपनाए गए हैं.

क) "एचटीएम" में धारित प्रतिभूतियां - अधिग्रहण लागत पर.

i) अधिग्रहण लागत, अंकित मूल्य से अधिक होने की स्थिति में, परिपक्वता की शेष अवधि पर परिशोधित हैं तथा बट्टे की दशा में, इसे आय नहीं माना गया है.

ii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश संवहन लागत के आधार पर मूल्यांकित किया गया है.

iii) अनुषंगी इकाइयों एवं संयुक्त उपक्रम में निवेश लागत के आधार पर मूल्यांकित किया गया है.

iv) ऐसे निवेशों के मूल्यांकन में स्थायी ह्रास, यदि कोई है, का प्रावधान कर दिया गया है.

ख) "एएफएस" तथा "एचएफटी" श्रेणी में धारित प्रतिभूतियां

i) बिक्री के लिए उपलब्ध एवं व्यापार के लिए धारित श्रेणी में धारित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन वर्गवार एवं स्क्रिप-वार किया गया है और प्रत्येक वर्गीकरण में किसी प्रकार का शुद्ध ह्रास, लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया गया है, जबकि किसी प्रकार की शुद्ध वृद्धि को अनदेखा किया गया है.

ii) प्रतिभूतियों का मूल्यांकन निम्नानुसार किया गया है:

| | | |
|---|---|---|
| क | भारत सरकार की प्रतिभूतियां | फिक्स्ड इन्कम मनी मार्केट एवं डेरिवेटिव्स एसोसिएशन (एफआईएमएमडीए) के कोटेशन के अनुसार |
| ख | राज्य विकास ऋण, केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियां, पीएसयू बांड्स | एफआईएमएमडीए के दिशानिर्देशों के अनुसार, परिपक्वता पर समुचित प्राप्तियों के आधार पर. |
| ग | इक्विटी शेयर | यदि उल्लिखित हों, तो बाज़ार मूल्य पर, अन्यथा अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र (एक वर्ष से अधिक पुराना न हो) के अनुसार बही मूल्य पर, दोनों की अनुपस्थिति में ₹1/- प्रति कंपनी के अनुसार. |
| घ | वरीयता शेयर | यदि उल्लिखित हों, तो बाजार मूल्य पर या एफआईएमएमडीए के दिशा निर्देशानुसार परिपक्वता पर समुचित आय के आधार पर, लेकिन शोधन मूल्य से अधिक नहीं. |
| ङ | ऋण पत्र/बांड्स | यदि उल्लिखित हो, तो बाजार मूल्य पर या एफआईएमएमडीए के दिशानिर्देशानुसार परिपक्वता पर समुचित आय के आधार पर. |
| च | म्युचुअल फंड (एम एफ) | स्टॉक एक्सचेंज कोटेशन के अनुसार,यदि हों. अनकोटेड इकाईयों की स्थिति में, म्युचुअल फंड द्वारा घोषित नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य के अनुसार.यदि नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य घोषित न हो, तो शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) के अनुसार. |
| छ | राजकोषीय बिल /जमा प्रमाणपत्र /वाणिज्यिक पत्र | संवहन लागत पर |
| ज | उद्यम पूंजी निधियाँ (वीसीएफ) | घोषित एनएवी पर अथवा लेखापरीक्षित तुलन पत्र, जो 18 माह से अधिक पुरानी न हो, के अनुसार विश्लेषित एनएवी, यदि एनएवी/लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण लगातार 18 माह से उपलब्ध न हों, तो ₹1/- प्रति वीसीएफ के अनुसार. |
| झ | प्रतिभूति रसीदें | प्रतिभूतिकरण कंपनियों द्वारा घोषित एनएवी पर |

iii) अंतर बैंक रेपो/रिवर्स रेपो लेनदेन का लेखांकन, भारतीय रिज़र्व बैंक के विद्यमान दिशानिर्देश के अनुसार किया गया है.

iv) भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग में प्रतिभूतियों की शिफ्टिंग निम्नानुसार की गई है :

क) विक्रय के लिए उपलब्ध/ट्रेडिंग के धारित से परिपक्वता तक धारित की श्रेणी में, यथा शिफ्ट की तारीख पर पुस्तकीय मूल्य के निचले स्तर पर अथवा बाजार मूल्य पर; यदि कोई ह्रास है, तो लगाया गया है.

ख) परिपक्वता तक धारित श्रेणी से विक्रय के लिए उपलब्ध/ट्रेडिंग के लिए धारित श्रेणी में,

i) यदि परिपक्वता तक धारित श्रेणी में प्रतिभूति मूलत: डिस्काउंट पर हो तो, अधिग्रहण लागत /बही मूल्य पर.

ii) यदि प्रतिभूति मूलत: प्रीमियम पर हो, तो परिशोधित लागत पर.

इस प्रकार शिफ्ट की गयी प्रतिभूतियों का तुरंत पुनर्मूल्यांकन किया गया है और इसके परिणामस्वरूप मूल्य में होने वाली कमी के लिए पूरा प्रावधान किया गया है.

ग) विक्रय के लिए उपलब्ध से ट्रेडिंग के लिए धारित श्रेणी में या इसके विपरीत, बही मूल्य पर.

v) गैर-निष्पादक निवेश की पहचान की गई है और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यह्रास/प्रावधान किया गया है.

vi) किसी भी श्रेणी के निवेश की बिक्री से होने वाले लाभ/हानि को, लाभ और हानि खाते में लिया जाता है. तथापि, "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के निवेश की बिक्री से लाभ होने पर, लाभ के बराबर राशि (कर और सांविधिक आरक्षित निधियों को अंतरित राशि घटाकर शेष राशि) आरक्षित पूंजी खाते में समायोजित की गई है.

vii) प्रतिभूतियों पर कमीशन, दलाली, प्रतिभूतियों पर बीच की अवधि का ब्याज आदि, लाभ और हानि खाते में जमा/नामे किया गया है.

viii) भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, निवेश संव्यवहारों के लेखांकन के लिए बैंक द्वारा "निपटान तारीख" का पालन किया जाता है.

**6. डेरीवेटिव संविदा**

क) वित्तीय विवरण में ब्याज वहन करने वाली आस्ति अथवा देयता को संरक्षण देने वाली ब्याज दर स्वैप उपचित आधार पर लगाई गई है सिवाय उन स्वैप नामित आस्तियों और देयताओं के, जिन्हें बाजार मूल्य पर अथवा लागत या बाजार मूल्य, दोनों में जो कम हो, पर लिया गया है स्वैप की समाप्ति पर लाभ या हानि का स्वैप की शेष संविदा अवधि अथवा आस्ति/देयता की शेष अवधि, जो भी कम हो, के अनुसार निर्धारित किया गया है.

ख) ट्रेडिंग स्वैप संव्यवहार वित्तीय विवरण में दर्ज परिवर्तनों के साथ बाजार दर पर मार्क किये गए हैं.

ग) विकल्प संविदाओं के मामले में भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा समय-समय पर आय की पहचान, प्रीमियम और बट्टे से संबंधित जारी दिशानिर्देशों का पालन किया गया है.

**7. अग्रिम**

i) भारत में सभी अग्रिमों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:
(क) मानक, (ख) अवमानक, (ग) संदिग्ध तथा (घ) हानि आस्तियां. ऐसे अग्रिमों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मास्टर परिपत्र क्र. DBR.BP.BC No.2/21.04.048/2015-16 दिनांक 1 जुलाई, 2015 के शर्तानुसार विद्यमान विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुरूप आवश्यक प्रावधान सुनिश्चित किया गया है.

ii) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर ही अग्रिमों एवं ऋणों को निष्पादित एवं गैर निष्पादित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है. ऋण आस्तियां गैर-निष्पादित आस्तियां(एनपीए) में तभी वर्गीकृत होती है जब:

क) मीयादी ऋण के संबंध में, जब मूलधन का ब्याज और/अथवा किस्त 90 दिन से अधिक अवधि के लिए अतिदेय हो;

ख) ओवरड्राफ्ट या नकदी ऋण अग्रिम के संबंध में यदि खाता अनियमित रहता है यथा यदि बकाया शेष राशि, मंजूरी सीमा/आहरण शक्ति से निरंतर 90 दिनों की अवधि के लिए अधिक हो अथवा यदि निरंतर 90 दिनों की अवधि हेतु तुलन पत्र की अवधि तक कोई जमा न हों अथवा यदि उक्त अवधि हेतु खाते में देय ऋण को चुकाने हेतु खाते में पर्याप्त ऋण उपलब्ध न हों.

ग) खरीदे गए/रियायती बिलों के संदर्भ में, 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए बिल अतिदेय रहती है;

घ) अल्पावधि फसलों के लिए कृषि अग्रिम के संबंध में, जहां दो मौसमी फसलों के लिए ब्याज या मूलधन की किस्तें अतिदेय रहती हैं.

ङ) लंबी अवधि के फसल के लिए कृषि अग्रिम के संबंध में, जहां एक मौसमी फसल के लिए ब्याज या मूलधन की किस्तें अतिदेय रहती हैं.

च) एमएसएमई खातों के संबंध में जहां भारतीय रिज़र्व बैंक वितरण लाभ आगे बढ़ाया गया है, भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र DBR.No.BP.BC.100/21.04.048/2017-18 दिनांक 07 फरवरी, 2018 एवं परिपत्र DBR.No.BP.BC.108/21.04.048/2017-18 दिनांक 06 जून, 2018 में दिए गए आय निर्धारण मानदंडों का पालन बैंक द्वारा किया जाएगा.

छ) एमएसएमई खातों के संबंध में, जो भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र DBR.No.BP.BC.18/21.04.048/2018-19 दिनांक 01 जनवरी, 2019 के अनुसार पुनर्गठित किए जाएंगे एवं मानक श्रेणी में रखे जाएंगे, पहले से किए गए प्रावधान के अतिरिक्त 5% का प्रावधान बैंक मेंटेन करेगा. उक्त परिपत्र के अनुसार इस प्रावधान में परिवर्तन किया जाएगा.

iii) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर एनपीए को अवमानक, संदिग्ध और हानि आस्तियों में बांटा गया है:

क) अवमानक: ऐसी ऋण आस्ति, जो 12 महीनों तक या उससे कम अवधि के लिए गैर-निष्पादक रही है,

ख) संदिग्ध: ऐसी ऋण आस्ति, जो 12 महीनों तक अवमानक श्रेणी में रही है,

ग) हानि: ऐसी ऋण आस्ति, जिसमें हानि की पहचान की जा चुकी है, लेकिन ऋण राशि पूरी तरह से राइट ऑफ नहीं की गई है.

iv) विनियामक प्राधिकारी द्वारा जारी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए के लिए न्यूनतम किए जाने वाली राशि निम्नानुसार है:

| | |
|---|---|
| अवमानक आस्तियां: | i. कुल बकाया राशि का सामान्य 15%<br>ii. ऐसी ऋण राशि पर 10% अतिरिक्त प्रावधान, जो आरंभ से ही असुरक्षित हो.<br>iii. इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण खातों के असुरक्षित भाग के लिए 20% प्रावधान, जिसमें एस्क्रो खाते जैसी कुछ विशिष्ट प्रतिभूतियाँ उपलब्ध हों. |
| संदिग्ध-सुरक्षित भाग | i. एक वर्ष तक 25%<br>ii. एक से तीन वर्ष तक 40%<br>iii. तीन वर्ष से अधिक 100% |
| संदिग्ध-असुरक्षित भाग | 100% |
| हानि आस्ति | 100% |

v) अग्रिमों में विशेष हानि के लिए प्रावधान, प्रति चक्रीय बफर प्रावधान, पुनर्गठन से अग्रिमों के बाद उचित मूल्य में आई गिरावट के लिए प्रावधान तथा गैर निष्पादक आस्तियों से संबंधित वसूल न हुई विविध जमा में रखी ब्याज की राशि और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों के लिए ऋण गारंटी ट्रस्ट (सीजीटीएफ)/निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) से प्राप्त दावे की राशि को घटाकर निवल राशि ही दर्शाई गई है.

vi) विदेशी कार्यालयों के संबंध में, एनपीए के लिए ऋणों और अग्रिमों में वर्गीकरण या प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंडों या स्थानीय नियमों के अनुसार, जो भी अधिक उपयुक्त हो, किए गए हैं.

vii) पुनर्गठित/पुनर्निर्धारित आस्तियों में प्रावधान, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए हैं, जिसमें एनपीए हेतु प्रावधान के अलावा, पुनर्गठन के पहले और बाद में ऋण के उचित मूल्यों के बीच का अंतर होना आवश्यक होता है.

viii) एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों के मामलों में, यदि खाता नियामक द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप होता है तो खाते को निष्पादक आस्ति के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जा सकता है.

ix) पिछले वर्षों में राइट ऑफ किए गए ऋणों के मुक़ाबले वसूली गई राशि वसूली के वर्ष में आय के रूप में चिन्हित की गई है.

x) मानक अग्रिमों पर सामान्य प्रावधान को ''अन्य देयताओं और प्रावधानों'' में रखा गया है, जिन्हें तुलन पत्र की अनुसूची 5 में दर्शाया गया है तथा निवल अवमानक आस्तियों व निवल अग्रिमों की गणना में नहीं लिया गया है.

**8. स्थायी आस्तियां, ह्रास एवं परिशोधन**

i) स्थायी आस्तियों को, मूल्यह्रास और क्षतियों की राशि, यदि कोई हो, को समायोजित करने के बाद, लागत पर दिखाया गया है. खर्च में खरीदी की लागत और सभी व्यय जैसे साइट तैयार करने तथा इन्स्टॉलेशन लागत और आस्ति के तैयार होने से पूर्व व्यय किए गए पेशेवर शुल्क को शामिल किया गया है. इस तरह की आस्तियों से इसके बाद आस्ति पर किए गए व्ययों को तभी पूंजीकृत किया जाता है, जब आस्ति से भविष्य के लाभ में वृद्धि होती है या उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है. भूमि तथा भवन का यदि पुनर्मूल्यांकन किया जाता है तो उसकी पुनर्मूल्यांकित राशि दर्शाई गई है. पुनर्मूल्यांकन से बढ़ी हुई राशि को लाभ एवं हानि खाते के माध्यम से न जाते हुए पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि में जमा किया जाता है.

संशोधित लेखा मानक 10 - सम्पदा संयंत्र एवं उपकरण के अनुसार, पुनर्मूल्यांकित आस्तियों के संबंध में, पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप अतिरिक्त मूल्यह्रास तुलन-पत्र में पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि से राजस्व आरक्षित निधि में अंतरित की जाती है.

ii) एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को पूँजीगत किया जाता है तथा अमूर्त आस्तियों में मिला दिया जाता है. कम्प्यूटर एवं सॉफ्टवेयर पर ह्रास कम्प्यूटर हार्ड वेयर एवं एटीएम का एक भाग है जिस पर भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार सीधी रेखा पद्धति (एसएलएम) से 33.33% की दर पर ह्रास लगाया जाता है.

iii) अचल आस्तियों के मूल्यह्रास का प्रावधान घटती शेष प्रणाली के अनुसार प्रबंधन द्वारा उचित समझी गयी निम्नांकित दर पर की गई है :

| | आस्ति का प्रकार | मूल्य ह्रास की दर |
|---|---|---|
| I. | परिसर | 5 % |
| II. | अन्य स्थायी आस्तियां | |
| | - फर्नीचर और फिटिंग्स | 10 % |
| | - इलेक्ट्रिक फिटिंग और उपस्कर, कार्यालय उपकरण, एसडीवी/ स्ट्रांग रूम आदि | 15% |
| | - परिवहन वाहन | 20% |
| | - निर्बाध विद्युत आपूर्ति (यूपीएस) उपकरण | 33.33% |
| III. | आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप जोड़ी गयी राशि पर | संबंधित आस्ति पर लागू दर, उसके आर्थिक अवशिष्ट काल के आधार पर. |

iv) 30 सितंबर तक आस्तियों के परिवर्द्धन पर मूल्यह्रास पूर्ण दर से और उसके बाद हुए परिवर्द्धन पर आधी दर से लगाया गया है.

v) भूमि और भवन का मूल्य अलग-अलग पता न लगने पर, परिसर पर मूल्यह्रास संमिश्र लागत पर लगाया गया है.

vi) वर्ष के दौरान बेची/निपटान की गई आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान नहीं किया गया है.

vii) पट्टे पर ली गई आस्ति तथा इनमें संवर्धन पर मूल्यह्रास, पट्टे की मूल अवधि के लिए निर्धारित दर के आधार पर लगाया गया है.

**9. आस्तियों में क्षति**

आंतरिक/बाहरी कारकों से किसी प्रकार की क्षति का संकेत मिलने पर, प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को आस्तियों के संवहन लागत की समीक्षा की जाती है. किसी आस्ति की संवहन लागत उसकी वसूली योग्य लागत से अधिक होने पर क्षरण हानि मानी जाती है. क्षरण हानि उस समय मानी जाती है, जब उस आस्ति की संवहन लागत उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो. आस्ति के निवल विक्रय मूल्य और उपयोग मूल्य से वसूली योग्य राशि अधिक है. उपयोग मूल्य के निर्धारण हेतु, धन के समय मूल्य के लिए मौजूदा बाजार आंकलन और आस्ति के जोखिम विशेष के अनुसार, कर-पूर्व बट्टा दर पर भविष्य की अनुमानित नकदी प्रवाह का वर्तमान मूल्य पता किया जाता है. क्षरण के बाद आस्ति की शेष उपयोगिता अवधि की संशोधित संवहन लागत पर मूल्यह्रास लगाया जाता है. परिस्थितियों में परिवर्तन के अनुसार, पहले लगाई क्षरण हानि बढ़ाई या घटाई जाती है. लेकिन हानि कम होने से रिवर्सल के बाद भी, संवहन मूल्य उस संवहन लागत से अधिक नहीं होगी, जो क्षरण न होने पर सामान्य मूल्यह्रास लगाने के बाद होती.

**10. प्रति चक्रीय प्रावधान बफर**

प्रति चक्रीय बफर प्रावधान करने और उसके उपयोग हेतु, अग्रिम एवं निवेश के लिए बैंक की अपनी अलग-अलग अनुमोदित नीति है. प्रत्येक वित्त वर्ष की समाप्ति पर किए जाने वाले प्रावधान की मात्रा निर्धारित की जाती है. प्रति चक्रीय प्रावधानों का प्रयोग, केवल नीति में निर्दिष्ट असाधारण परिस्थितियों में, भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति से किया जाता है.

**11. विदेशी विनिमय संबंधी लेनदेन**

विदेशी विनिमय संबंधी लेनदेनों का लेखांकन आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 11 (विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव), के अनुसार किया जाता है. जैसा कि लेखा मानक 11 में निर्दिष्ट है. बैंक के विदेशी मुद्रा परिचालनों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है

**क) एकीकृत परिचालन एवं**

**ख) गैर एकीकृत परिचालन.**

समस्त विदेशी शाखाएं, सुदूर बैंकिंग इकाईयां, विदेशी अनुषंगियों के परिचालनों को गैर एकीकृत परिचालन एवं विदेशी विनिमय में घरेलू लेनदेनों एवं प्रतिनिधि कार्यालयों को एकीकृत परिचालन माना जाता है.

**क. एकीकृत परिचालनों के संबंध में लेखांकन**

i) आय एवं व्यय मदों को लेनदेन की तारीख पर, विद्यमान विनिमय दरों पर अभिलिखित किया गया है.

ii) विदेशी मुद्रा मौदिक एवं गैर-मौद्रिक आस्तियां एवं देयताओं का लेखांकन प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित अन्तिम तत्काल दरों पर किया जाता है.

iii) गारंटी, स्वीकरण, परांकन एवं अन्य बाध्यताओं के कारण होने वाली आकस्मिक देयताएं वर्ष के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित विनिमय दर के आधार पर दर्शायी गयी हैं.

iv) परिणामी विनिमय अंतरों की पहचान आय अथवा व्यय के रुप में की जाती है एवं उनका लेखा लाभ एवं हानि खाते में किया जाता है.

v) वायदा विनिमय संविदाओं को, वायदा की तारीख को विद्यमान विनिमय दर पर अभिलिखित किया गया है. फेडाई द्वारा विनिर्दिष्ट परिपक्वताओं और अंतरिम परिपक्वताओं के संविदा के लिए इंटरपोलेटेड दर के अनुसार बकाया वायदा विनिमय संविदाओं का पुनर्मूल्यांकन किया गया है. परिणामी लाभ-हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है.

**ख. गैर-एकीकृत परिचालनों के संबंध में लेखांकन**

i) आस्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयतओं सहित) का लेखा प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित अन्तिम तत्काल दरों पर किया जाता है.

ii) विदेशी विनिमय तत्काल एवं वायदा बकाया आकस्मिक देयताओं का अंतरिम परिपक्वताओं के अनुबंधों के लिए लेखा तुलन-पत्र की तारीख पर क्रमश: फेडाई द्वारा अधिसूचित तत्काल एवं वायदा दरों एवं इंटरपोलेटेड दरों पर पर किया जाता है.

iii) आय एवं व्यय का लेखा प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित तिमाही औसत दर पर किया जाता है.

iv) परिणामी विनिमय अन्तरों की पहचान इस अवधि के लिए आय अथवा व्यय के रुप में नहीं की जाती है बल्कि शुद्ध निवेश के निस्तारण तक उन्हें अलग "विदेशी मुद्रा लेखा रिजर्व" खाते में रखा जाता है.

**12. कर्मचारी लाभ**

भविष्य निधि के रूप में सेवानिवृत्ति लाभ एक परिभाषित अंशदायी योजना है. अंशदान देय होने पर, भविष्य निधि अंशदान की राशि, उस वर्ष के लाभ-हानि खाते में नामे की जाती है. भविष्य निधि में देय अंशदान के अतिरिक्त, बैंक का अन्य कोई उत्तरदायित्व नहीं है.

वर्ष के दौरान शुद्ध बीमांकिक लाभ/हानि को, लाभ-हानि खाते में लेखांकित किया गया है. ग्रेच्युटी देयता, पेंशन निधि अंशदान तथा अवकाश नकदीकरण का प्रावधान परिभाषिक दायित्व है और इसके लिए प्रावधान लेखा मानक 15(संशोधित) के अनुसार भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान द्वारा जारी "कर्मचारी लाभ" बीमांकिक आधार पर, वित्त वर्ष के अन्त में अनुमानित यूनिट क्रेडिट के आधार पर किया गया है. दिनांक 01.04.2010 को या उसके बाद बैंक में भर्ती कार्मिकों के लिए परिभाषित अंशदायी योजना नामक नई पेंशन योजना है.

बैंक द्वारा पूर्व निर्धारित दर से, एक निश्चित अंशदान का भुगतान किया जाता है. इस अंशदान को लाभ-हानि खाते में विकलित किया गया है. विदेशी कार्यालयों में नियोजित कर्मचारियों के कर्मचारी-लाभों का मूल्यांकन और लेखांकन, संबंधित देश के स्थानीय कानूनों/विनियमों के अनुसार किया गया है.

**13. खंडवार रिपोर्ट करना**

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों और भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 17 के अनुसार, बैंक का कारोबार प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड और भौगोलिक विस्तार को द्वितीयक कारोबार खंड के रूप में मान्यता प्राप्त है.

कारोबार खंड को

i) ट्रेजरी परिचालन,

ii) कार्पोरेट व होलसेल बैंकिंग,

iii) रिटेल बैंकिंग परिचालन और

iv) अन्य बैंकिंग परिचालन में वर्गीकृत किया गया है.

**14. लीज संव्यवहार**

परिचालन लीज पर लिए गये आस्तियों हेतु किया गया भुगतान, लीज अवधि के अनुसार लेखांकित किया गया है. बैंक द्वारा लीज/किराये पर ली गयी संपत्तियों के लीज की समाप्ति/नवीकरण का विकल्प बैंक के पास होता है. अतिरिक्त किराये/लीज संबंधी विवादों में, बैंक की देयताओं को समझौते या नवीकरण के समय मान्यता दी गई है.

**15. प्रति शेयर आय**

प्रति शेयर अर्जन की गणना आलोच्य वर्ष के निवल लाभ या हानि (कर पश्चात) को, वर्ष के दौरान इक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या से विभाजित करके की गई है. प्रति शेयर डायल्युटेड आय संभावित डायल्यूशन को प्रदर्शित करता है जो वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर निर्गम के अनुबंधों के होने अथवा परिवर्तित होने की स्थिति में होता है. प्रति इक्विटी शेयर की डायल्युटेड आय की गणना भारित औसत संख्या का उपयोग करते हुए वर्ष के अंत में बकाया डायल्युटीव इक्विटी शेयर का उपयोग करके की गई है.

**16. कराधान**

वर्तमान एवं आस्थगित दोनों करों के लिए प्रावधान किया गया है, कर योग्य आय पर वर्तमान दर एवं कर नियमों के अनुसार प्रावधान किया गया है, समय अंतराल के कारण उत्पन्न आस्तियों एवं आस्थगित कर देयताओं, जिन्हें आगामी अवधियों में रिवर्स किया जाना है, की पहचान तुलन पत्र की तारीख तक लागू कर दरों एवं बने हुए कर नियमों के अनुसार की गई है. आस्थगित कर आस्तियों का निर्धारण तभी किया जाता है, जब भविष्य में ऐसी आस्तियों के होने की ''पर्याप्त निश्चितता'' हो. अनवशोषित मूल्यह्रास एवं कर हानियों को आगे ले जाने के मामले में, यदि वहां, ''अप्रत्यक्ष तथ्य'' है तो केवल आस्थगित कर आस्तियां ही मान्य हैं.

**17. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां**

आईसीएआई द्वारा जारी लेखा प्रणाली 29 के अनुसार (प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां) बैंक केवल तभी प्रावधान करता है, जब पिछली घटनाओं के परिणाम स्वरुप वर्तमान देयताएं हों, ऐसी संभावना है कि आर्थिक लाभ सहित संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता देयताओं के निपटान और जब देयता की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया गया हो, में होगी. वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों की पहचान नहीं की गई है; क्योंकि इनकी पहचान कभी न वसूली जा सकने वाली आय के रुप में परिणित हो सकती है.

**18. शेयर निर्गम व्यय**

शेयर निर्गम व्यय, शेयर प्रीमियम खाते में प्रभारित किए गए हैं.

**अनुसूची 18 - लेखों पर नोट्स:**

**1. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रकटन इस प्रकार है**

**1.1 पूंजी**

बैंक 01 अप्रैल, 2013 से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बासल III के लिए निर्धारित पूंजी पर्याप्तता दिशानिर्देशों का अनुपालन कर रहा है. 31 मार्च, 2019 तक बासल III कार्यान्वयन के लिए परिवर्तन अनुसूची दिशानिर्देशों में दी गयी है. दिशानिर्देशों के अनुसार, टीयर-I पूँजी, कॉमन इक्विटी टीयर-I (सीईटी-I) एवं अतिरिक्त टीयर- I से बनी है.

बासल III के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक को 31 मार्च, 2019 तक न्यूनतम 7.375% (1.875% पूंजी संरक्षण बफर सहित) सीईटी I एवं न्यूनतम 8.875% टीयर I सीआरएआर के साथ जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूँजी का अनुपात (सीआरएआर) 10.875% रखना आवश्यक है.

फ्रेमवर्क के अनुसार पूँजी पर्याप्तता की गणना निम्नानुसार है :

| क्र. | विवरण | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|---|---|---|---|
| i) | सामान्य इक्विटी टीयर-I पूंजी अनुपात (सीईटी1) (%) बासल III | 8.02 | 7.56 |
| ii) | टीयर I पूंजी अनुपात (%) बासल III | 9.48 | 9.03 |
| iii) | टीयर II पूंजी अनुपात (%) बासल III | 2.30 | 2.43 |
| iv) | कुल पूंजी अनुपात (सीआरएआर) (%) बासल III | 11.78 | 11.46 |
| v) | भारत सरकार के शेयर होल्डिंग का प्रतिशत (%) | 74.27 | 67.43 |
| vi) | उगाही की गई इक्विटी पूंजी की राशि: (₹करोड़ में) | 46,80.32 | 70,65 |
| vii) | उगाही की गई अतिरिक्त टीयर-I पूंजी की राशि (₹करोड़ में) | शून्य | 5,00 |
| viii) | उगाही गई टीयर- 2 पूंजी की राशि: (₹करोड़ में) | शून्य | शून्य |
| | इसमें से ऋण पूंजी लिखतें: (₹करोड़ में) | शून्य | शून्य |

नोट:

1. भारत सरकार ने बैंक की पूंजी में ₹4112 करोड़ की राशि निवेशित की, जिससे बैंक ने दिनांक 28 मार्च, 2019 को अधिमान्य आधार पर भारत सरकार को प्रति शेयर ₹10/- के अंकित मूल्य के 52,15,62,658 इक्विटी शेयर ₹68.84 के प्रीमियम पर जारी किए हैं.
2. इसके अतिरिक्त, बैंक ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया-कर्मचारी शेयर खरीद योजना (ईएसपीएस) के अंतर्गत ₹568.32 करोड़ प्राप्त किए हैं. इस योजना के अंतर्गत बैंक ने प्रति शेयर अंकित मूल्य ₹10/- की कीमत पर 25% की छूट के साथ ₹77.98 प्रति शेयर के न्यूनतम मूल्य पर 7,28,80,275 इक्विटी शेयर आबंटित किए.

**1.2 निवेश**

बैंक निवेश का विवरण एवं बैंक निवेश पर मूल्य ह्रास, संचरण के लिए किए गए प्रावधान का विवरण निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

| क्र. | विवरण | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|---|---|---|---|
| 1 | निवेशों का मूल्य | | |
| i) | निवेशों का सकल मूल्य | 12,84,14.85 | 12,65,24.46 |
| | (क) भारत में | 12,57,82.16 | 12,40,19.18 |
| | (ख) भारत के बाहर | 26,32.69 | 25,05.28 |
| ii) | मूल्यह्रास का प्रावधान | 23,68.21 | 27,70.25 |
| | (क) भारत में | 23,61.97 | 27,43.84 |
| | (ख) भारत के बाहर | 6.24 | 26.41 |
| iii) | निवेशों का निवल मूल्य | 12,60,46.64 | 12,37,54.22 |
| | (क) भारत में | 12,34,20.19 | 12,12,75.34 |
| | (ख) भारत के बाहर | 26,26.45 | 24,78.88 |
| 2 | निवेशों पर मूल्यह्रास के पेटे किए गए प्रावधानो का संचरण | | |
| i) | आरंभिक शेष | 27,70.25 | 11,94.22 |
| ii) | जोडा: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान | 1,78.04 | 18,49.96 |
| iii) | घटाया: वर्ष के दौरान राइट-आफ/राइट-बैक किया गया आधिक्य प्रावधान | 5,80.08 | 2,73.93 |
| iv) | अंतिम शेष | 23,68.21 | 27,70.25 |

**1.2 (क) रेपो संव्यवहार (अंकित मूल्य के अनुसार)**

इंगित अवधि के लिए निर्धारित निम्नलिखित सारणी, जिसमें चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़) व सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) में संव्यवहार सहित क्रमश: रेपो व रिवर्स रेपो संव्यवहार के तहत खरीदे एवं बेचे गए प्रतिभूतियों के विवरण दिए गए है:

(रू. करोड़ में)

| | | वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया | वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया | वर्ष के दौरान औसत दैनिक बकाया | दिनांक 31.03.2019 को बकाया |
|---|---|---|---|---|---|
| **क** | **रेपो के अन्तर्गत बेची गई प्रतिभूतियां** | | | | |
| i) | सरकारी प्रतिभूतियां | 8.40 | 1,00,00 | 16,11.08 | 90,00 |
| ii) | कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां | - | - | - | - |
| **ख** | **रिवर्स रेपो के अंतर्गत क्रय की गई प्रतिभूतियां** | | | | |
| i) | सरकारी प्रतिभूतियां | 4.88 | 1,43,00 | 29,69.87 | 75,24.93 |
| ii) | कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां | - | - | - | - |

**1.2 (ख) गैर- एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो**

**i. गैर-एसएलआर निवेशों का जारीकर्ता संमिश्र**

सरकार एवं अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के अतिरिक्त प्रतिभूतियों में निवेशों के जारीकर्ता संमिश्र निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

| क्र. | जारीकर्ता | राशि | निजी आबंटन की मात्रा | निवेश स्तर से नीचे प्रतिभूतियां | गैर-निर्धारित प्रतिभूतियां** | गैर सूचीबद्ध प्रतिभूतियां** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| i) | पीएसयू | 28,27.21 | 6,15.58 | - | 7,17.46 | 0.58 |
| ii) | वित्तीय संस्थाएं | 8,98.00 | 6.88 | - | - | - |
| iii) | बैंक | 6,16.89 | 5,39.71 | - | - | - |
| iv) | निजी कॉर्पोरेट | 1,08,14.45 | 39,15.20 | 92.38 | 14.52 | 36.79 |
| v) | सहायक कंपनियां/ संयुक्त उद्यम | 9,16.65 | 9,16.65 | - | - | - |
| vi) | अन्य | 1,67,69.65 | 1,21,69.87 | - | - | - |
| vii) | मूल्यह्रास हेतु किया गया प्रावधान | (23,58.45) | 3.93 | - | - | - |
| | **योग** | **3,01,32.06** | **1,81,59.96** | **92.38** | **7,31.98** | **37.37** |

**(1) कॉलम 3 के अंतर्गत बैलेंस शीट में अनुसूची 8 में निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत शामिल निवेशों का कुल योग के साथ मिलान होना चाहिए:

क) शेयर

ख) डिबेंचर एवं बॉन्ड

ग) सहायक संस्थाएं/संयुक्त उद्यम

घ) अन्य

(2) कॉलम 4,5,6 और 7 के तहत रिपोर्ट की गई उपरोक्त राशि का परस्पर एक दूसरे से संबंध नहीं है.

| विवरण | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|---|---|---|
| शेयर | 14,72.11 | 18,46.94 |
| ऋण-पत्र व बॉन्डस | 2,26,32.47 | 1,94,53.60 |
| सहायक कम्पनियां/संयुक्त उद्यम | 9,16.65 | 8,46.22 |
| अन्य | 51,10.83 | 23,58.43 |
| **योग** | **3,01,32.06** | **2,45,05.19** |

### ii. गैर-निष्पादक गैर-एसएलआर निवेश

सरकार एवं अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के अतिरिक्त प्रतिभूतियों में सकल गैर निष्पादक निवेशों में संचलन निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|---|---|---|
| आरंभिक शेष | 23,47.70 | 20,91.48 |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | 1,49.42 | 20,37.49 |
| वर्ष के दौरान कमी | 2,63.08 | 17,81.27 |
| अंतिम शेष | 22,34.04 | 23,47.70 |
| **कुल धारित प्रावधान** | **20,24.27** | **18,45.57** |

### 1.2 (ग) एचटीएम श्रेणी से/को बिक्री व अंतरण

बैंक ने वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान वर्ष के प्रारम्भ में एचटीएम श्रेणी में धारित निवेश के 5 प्रतिशत से अधिक का एचटीएम श्रेणी से विक्रय एवं उसमें अंतरण नहीं किया है. उपर्युक्त से 5% सीमा अलग होगी:

क) प्रतिभूतियों के वन-टाइम हस्तांतरण को/एचटीएम श्रेणी से निदेशक मण्डल के अनुमोदन से लेखा वर्ष की शुरुआत में बैंकों के द्वारा किए जाने की अनुमति है.

ख) पूर्व-घोषित ओएमओ नीलामी के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक को बिक्री.

ग) भारत सरकार द्वारा बैंकों से सरकारी प्रतिभूतियों का पुन:क्रय.

### 1.3. डेरीवेटिव्स

1.3.1 वायदा दर अनुबंध/ब्याज दर स्वैप

(₹ करोड़ में)

| क्र. | विवरण | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|---|---|---|---|
| i) | स्वैप अनुबंध की कल्पित मूल राशि | 1,46,10.43 | 1,39,77.96 |
| ii) | अनुबंध के अनुसार संबंधित पक्षों द्वारा अपने दायित्वों की पूर्ति न किए जाने के फलस्वरुप होने वाली हानि | 1,36.95 | 41.07 |
| iii) | स्वैप प्रक्रिया अपनाने हेतु बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति | शून्य | शून्य |
| iv) | स्वैप से आयी क्रेडिट जोखिम का संकेन्द्रण | बैंकिंग उद्योग | बैंकिंग उद्योग |
| v) | स्वैप बही का उचित मूल्य* | 24,04.30 | 45,21.09 |

* आईआरएस डील के एमटीएम के साथ हेजिंग डील पर प्राप्त ब्याज.

**नोट:**

I. भारतीय रुपये में ब्याज दर स्वैप की परस्पर हेजिंग ऋण व्यवस्था की गई.

II. बैंक ने वर्ष के दौरान ट्रेडिंग के लिए फ्लोटिंग से स्थायी अथवा स्थायी से फ्लोटिंग ब्याज दर संव्यवहारों को अपनाया है.

III. हेज संव्यवहारों के लिए सभी अंतर्निहित, उपचय के आधार पर है.

### 1.3.2 एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव्स

(₹ करोड़ में)

| क्र | विवरण | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|---|---|---|---|
| i) | वर्ष के दौरान किए गए ब्याज दर डेरीवेटिव संव्यवहारों के कल्पित मूल राशि का विनिमय (लिखत-वार)<br>क) वायदा व्याज दर<br>खरीद<br>बिक्री | <br><br><br>31,94.44<br>32,08.46 | <br><br><br>42,78.13<br>41,05.65 |
| ii) | 31 मार्च 2019 को बकाया ब्याज दर डेरीवेटिव को विनिमयगत संव्यवहारों की कल्पित मूल राशि (लिखत-वार) | शून्य | शून्य |
| iii) | किए गए ब्याज दर डेरीवेटिव के विनिमयगत संव्यवहारों की बकाया और ''अत्यंत प्रभावित'' न हुई कल्पित मूल राशि (लिखत-वार) | शून्य | शून्य |
| iv) | किए गए ब्याज दर डेरीवेटिव के विनिमयगत संव्यवहारों की बकाया और ''अत्यंत प्रभावित'' न हुई मार्क टू मार्केट मूल्य (लिखत-वार) | शून्य | शून्य |

### 1.3.3 डेरीवेटिव्स में जोखिम एक्सपोजर का प्रकटन

**क) गुणात्मक प्रकटन:**

1. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के ढांचे के अधीन बैंक दो समूहों में संव्यवहार करता है:
   i) काउन्टर पर डेरीवेटिव संव्यवहार
   ii) एक्सचेंज के माध्यम से डेरीवेटिव संव्यवहार

काउन्टर पर डेरीवेटिव समूह में बैंक वायदा दर अनुबंध, ब्याज दर स्वैप, क्रॉस करेंसी स्वैप और करेंसी ऑप्शन में संव्यवहार करता है.

एक्सचेज में ट्रेड होने वाले डेरीवेटिव समूह में बैंक करेंसी वायदा और ब्याज दर वायदा में कारोबार करता है. भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति से बैंक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएससी), बाम्बे स्टॉक एक्सजेंज (बीएसई) एवं मेट्रोपौलिटन स्टॉक एक्सचेंज (एमएसईआईएल) का उनकी करेंसी डेरेविटव सेगमेंट में ट्रेडिंग एवं समाशोधन सदस्य है. बैंक इन बाजारों (एक्सचेंजो) में करेंसी फ्यूचर्स में स्वामित्व ट्रेडिंग करता है. बैंक ने फ्रंट, मिड एवं बैक ऑफिस परिचालनों के लिए आवश्यक मूलभूत संरचना का गठन किया है. इन बाजारों (स्टाक एक्सचेंजो) के साथ दैनिक संव्यवहार मार्क टू मार्केट (एमटीएम) और मार्जिन दायित्व, नियामक द्वारा दिये गए दिशानिर्देशों के अनुरुप निपटाए जाते हैं.

बैंक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में वायदा ब्याज दर पर व्यापार करता है. बैंक ने फ्रंट, मिड एवं बैंक ऑफिस परिचालनों के लिए आवश्यक मूलभूत संरचना का गठन किया है. इन बाजारों (स्टाक एक्सचेंजो) के साथ दैनिक संव्यवहार मार्क टू मार्केट (एमटीएम) और मार्जिन दायित्व, नियामकों द्वारा दिये गए दिशानिर्देशों के अनुरुप निपटाए जाते हैं.

बैंक लागू विनियमों के अंतर्गत स्वामित्व ट्रेडिग/मार्केट मेकिंग, अपने स्वयं के तुलनपत्र की हेजिंग और अपनी जोखिम हेज करने वाले ग्राहकों के लिए डेरीवेटिव संव्यवहार करता है. स्वामित्व ट्रेडिंग/मार्केट मेकिंग पोजीशन रुपया ब्याज दर स्वैप, करेंसी वायदा और ब्याज दर वायदा में की जाती है, जबकि डेरीवेटिव लिखतों में गैर-ब्याज आय बढ़ाने और बाजार जोखिम से सुरक्षा के प्रचुर अवसर सन्निहित होते हैं, किन्तु इससे बैंक की जोखिम भी बढ़ जाती है. बैंक ने डेरीवेटिव संव्यवहारों से उत्पन्न होने वाली विभिन्न जोखिमों के प्रबंधन के लिए निम्न युक्तियां अपनायी हैं:

क) ट्रेजरी शाखा में परिचालन को निम्न तीन कार्यात्मक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिन्हें आवश्यक मूलभूत संरचना एवं प्रशिक्षित अधिकारियों से सुसज्जित किया गया है और साथ ही उनकी जिम्मेदारियों का निर्धारण भी किया गया है:
   I) फ्रंट ऑफिस - डीलिंग रुम, बैंक की नीति और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ट्रेड करने के निर्देश का पालन करता है.
   II) मिड कार्यालय - जोखिम प्रबंधन, लेखांकन नीति और प्रबंधन
   III) बैक ऑफिस - निपटान, समाधान और लेखांकन.

   मिड ऑफिस ट्रेडिंग बही में लेनदेनों तथा आधिक्यों का अनुश्रवण करता है और यदि कोई आधिक्य है तो आवश्यक कार्रवाई के लिए उसे जोखिम प्रबंधन विभाग के ध्यान में लाता है. मिड ऑफिस मार्क टू मार्केट के जरिए दैनिक आधार पर ट्रेडिंग बुक में लेनदेनों के लिए वित्तीय जोखिमों को आंकता है और आस्ति व देयता प्रबंधन पर निदेशक मंडल की समिति को जोखिम प्रोफाइल की जानकारी देने के लिए दैनिक बाजार पोजीशन, जोखिम प्रबंधन विभाग को रिपोर्ट करता है.

   कॉर्पोरेट ग्राहकों के मामले में लेनदेन केवल अंतर्निहित ऋण सीमा की मात्रा का निर्धारण करने के बाद किए जाते हैं और ग्राहक औचित्य एवं अनुकूलता के लिए ट्रेजरी पॉलिसी में निर्धारित अनुमोदन प्रक्रिया के अनुसार अनुमोदित किए जाते हैं तथा आवश्यक दस्तावेज यथा आईएसडीए करारनामा आदि निष्पादित किए जाते हैं. बैंक ने ऋण निवेश (एक्सपोजर) के अनुश्रवण के लिए वर्तमान ऋण निवेश (करंट एक्सपोजर) पद्धति अपनाई है.

ख) बैंक की ट्रेजरी नीति में वित्तीय डेरीवेटिव लिखत के प्रकार, प्रचलन की गुंजाइश, अनुमोदन प्रक्रिया के साथ ही साथ अनुमोदित लिखतों में ट्रेडिंग के लिए ओपन पोजीशन सीमा, डील साइज सीमा और स्टॉप-लॉस सीमा तथा प्रतिपक्षी पार्टी एक्सपोजर सीमा जैसी सीमाओं का भी उल्लेख है.

   विभिन्न जोखिम सीमाएं तय की जाती हैं और उनके समक्ष वास्तविक एक्सपोजर की निगरानी की जाती है.

   ये सीमाएं बाजार की अस्थिरता, कारोबारी रणनीति और प्रबंधकीय अनुभव को ध्यान में रखकर तय की जाती हैं. जोखिम मानदण्डों यथा पीवी 01, स्टॉप-लॉस, प्रतिपक्षी पार्टी क्रेडिट एक्सपोजर के लिए हैं. आवधिक अंतराल पर इन सीमाओं के सापेक्ष वास्तविक स्थिति की समीक्षा की जाती है और यदि कोई उल्लंघन है तो उसकी रिपोर्ट तुरंत की जाती है. बैंक यह सुनिश्चित करता है कि सभी गैर ऑप्शन डेरीवेटिव संविदाओं से कुल पीवी 01 पोजीशन बैंक की नेटवर्थ के 0.25% के अंदर रहे.

ग) बैंक अपने तुलन पत्र एक्सपोजरों को हेज करने के लिए वित्तीय डेरीवेटिव्स लेनदेनों का भी प्रयोग करता है. बैंक की ट्रेजरी नीति में एक्सपोजरों को हेजिंग करने के लिए अनुमोदन प्रक्रिया बताई गई है. हेज लेनदेनों का नियमित आधार पर अनुश्रवण किया जाता है और इन लेनदेनों पर पीवी

01 एवं वीएआर बाजार दर (मार्क टू मार्केट) आधार पर परिकल्पित लाभ या हानि प्रत्येक माह आस्ति देयता प्रबंध समिति (एल्को) को रिपोर्ट किया जाता है. हेज प्रभाविता वह डिग्री है, जिसमें परिवर्तन से हेज किए गए मदों के उचित मूल्य या नकदी प्रवाह में होने वाला परिवर्तन, हेजिंग लिखत के नकदी प्रवाह या उचित मूल्य में शामिल हो जाता है. हेज की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए यह प्रक्रिया समय-समय पर की जाती है.

घ) हेज/अन-हेज्ड संव्यवहारों को अलग से रिकॉर्ड किया जाता है. हेज लेनदेनों की उपचय आधार पर गणना की जाती है. सभी ट्रेडिंग संविदा मार्क टू मार्केट किए जाते हैं और आय विवरण में परिणामी लाभ या हानि रिकॉर्ड की जाती है.

ऑप्शन कॉन्ट्रेक्ट के मामले में आय की पहचान, प्रीमियम एवं डिस्काउंट के लिए समय-समय पर फेडाई द्वारा जारी दिशानिर्देशों पर कार्रवाई की जाती है.

क्रेडिट जोखिम के लिए बैंक द्वारा प्रतिपक्षी बैंकों और प्रतिपक्षी ग्राहकों की लिमिट तय करने के लिए नीति बनाई हुई है. बैंक प्रति पक्षकार एक्सपोजर की निगरानी के लिए आवधिक अंतराल पर करंट एक्सपोजर प्रणाली अपनाता है. डेरीवेटिव लिमिट मंजूर करते समय, सक्षम प्राधिकारी उचित समझी जाने वाली संपार्श्विक/मार्जिन लेने की शर्त लगा सकते हैं. अन्य ऋण लिमिटों के साथ ही डेरीवेटिव लिमिटों की आवधिक समीक्षा की जाती है.

ग्राहक से संबंधित डेरीवेटिव संव्यवहार प्रतिपक्षी बैंक के साथ प्रत्येक मामले में समकक्ष राशि और अवधि के लिए कवर होते हैं और इनमें कोई बाजार जोखिम नहीं होती है.

**बी. मात्रात्मक प्रकटन:**

(₹ करोड़ में)

| मात्रात्मक प्रकटन | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 31-03-2019 | | 31-03-2018 | |
| **क्र.** | **विवरण** | **करेंसी डेरीवेटिव्स** | **ब्याज दर डेरीवेटिव्स** | **करेंसी डेरीवेटिव्स** | **ब्याज दर डेरीवेटिव्स** |
| (i) | डेरीवेटिव (कल्पित मूल राशि) | | | | |
| (क) | हेजिंग के लिए | 6,44.85 | 78,70.72 | 6,42.44 | 94,87.96 |
| (ख) | ट्रेडिंग के लिए | 16,95.51 | 67,40.00 | 13,06.81 | 44,90.00 |
| **(ii)** | **मार्क टू मार्केट पोजीशन (1)** | | | | |
| क | आस्तियां (+) | 26.09 | 55.90 | 29.31 | 24.93 |
| ख | देयताएं (-) | 23.12 | -41.99 | -24.58 | 48.04 |
| (iii) | ऋण एक्सपोज़र (*) | 1,54.19 | 2,65.95 | 2,25.43 | 1,69.44 |
| (iv) | ब्याज दर में 1 प्रतिशत बदलाव का संभावित प्रभाव (100*पीवी01) | | | | (लाख में) |
| क | हेजिंग डेरीवेटिव पर | 0.00 | 1,36,15.92 | 0.00 | 1,51,21.53 |
| ख | ट्रेडिंग डेरीवेटिव पर | 10.66 | 1,54.82 | 15.90 | 1,33.40 |
| (v) | वर्ष के दौरान अधिकतम और न्यूनतम 100*पीवी01 | | | | (लाख में) |
| क | अधिकतम | | | | |
| | क. हेजिंग पर | 0.00 | 1,51,13.41 | 0.00 | 1,79,86.56 |
| | ख. ट्रेडिंग पर | 15.81 | 24,35.22 | 26.59 | 38,37.97 |
| ख | न्यूनतम | | | | |
| | क. हेजिंग पर | 0.00 | 1,22,50.94 | 0.00 | 1,51,21.53 |
| | ख. ट्रेडिंग पर | 10.63 | 6.33 | 15.84 | 13.92 |

* ब्याज दर डेरीवेटिव के क्रेडिट एक्सपोजर में हेजिंग डील्स पर एक्सपोजर भी शामिल हैं.

**1.4. आस्ति गुणवत्ता:**

**1.4.1 गैर-निष्पादित आस्तियां**

सकल गैर-निष्पादित आस्तियां (एनपीए), शुद्ध एनपीए एवं प्रावधानों के संचलन का विवरण निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

| क्र. | विवरण | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|---|---|---|---|
| i) | शुद्ध अग्रिम में शुद्ध एनपीए (%) | 6.85 | 8.42 |
| ii) | एनपीए का संचलन (सकल) | | |
| | (क) आरंभिक शेष | **4,93,69.93** | 3,37,12.28 |
| | (ख) वर्ष के दौरान वृद्धि (नए एनपीए) | **1,34,53.04** | 2,13,05.35 |
| | (ग) वर्तमान एनपीए के शेष में वृद्धि | **1,23.68** | 63.76 |
| | **उप-योग (क)** | **6,29,46.65** | 5,50,81.39 |
| | घ) घटाया :- | | |
| | (i) अप-ग्रेडेशन | **19,38.45** | 3,99.70 |
| | (ii) वसूली (अपग्रेडेड खातों में हुई वसूली को छोड़कर) | **45,08.51** | 18,34.81 |
| | (iii) तकनीकी/विवेकाधीन राइट-ऑफ | **48,98.40** | 27,73.78 |
| | (iv) उपरोक्त (iii) के अतिरिक्त राइट-ऑफ | **28,72.14** | 7,03.17 |
| | **उप-योग (ख)** | **1,42,17.50** | 57,11.46 |
| | (घ) **अंतिम शेष (क-ख)** | **4,87,29.15** | 4,93,69.93 |
| iii) | एनपीए का संचलन (शुद्ध) | | |
| | (क) आरंभिक शेष | 2,43,26.31 | 1,88,32.10 |
| | (ख) वर्ष के दौरान वृद्धि | 21,41.32 | 78,69.27 |
| | (ग) वर्ष के दौरान कमी | 61,35.21 | 23,75.06 |
| | (घ) अंतिम शेष | 2,03,32.42 | 24,326.31 |
| iv) | एनपीए के प्रावधानों का संचलन | | |
| | (मानक आस्तियों पर प्रावधानो पर प्रावधानों को छोड़कर) | | |
| | (क) प्रारंभिक शेष | 2,50,43.63 | 1,48,80.17 |
| | (ख) वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान | 1,14,35.40 | 1,34,99.84 |
| | (ग) पुनर्संरचना खातों में बढ़ा हुआ प्रावधान | (-)3,56.06 | 1,40.55 |
| | (घ) अतिरिक्त प्रावधानों का राइट-ऑफ/राइट बैक | 77,26.24 | 34,76.93 |
| | (ङ) अंतिम शेष | 2,83,96.73 | 2,50,43.63 |

इन प्रावधानों में एनपीए के रुप में वर्गीकृत किये गये पुनर्गठित अग्रिमों के उचित मूल्य में हुए ह्रास के प्रावधानों को शामिल किया गया है. एनपीए के प्रावधानों के प्रारंभिक और अंतिम शेष में दावाकृत खातों में वसूली/प्राप्त ईसीजीसी दावा राशि को शामिल किया गया है और क्रमश: ₹202.87 करोड़ (पिछले वर्ष ₹181.91 करोड़) तथा ₹6.48 करोड़ (पिछले वर्ष ₹0.59 करोड़) की राशि को समायोजन हेतु लंबित रखा गया है.

1.4.2. वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2018 की समाप्त के लिए जोखिम आधारित निगरानी (आरबीएस) प्रक्रिया के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक के आस्ति वर्गीकरण तथा कुछ खातों में प्रावधान के संबंध में विचलन चिन्हित किया है. भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्रमांक डीबीआर.बीपी.बीसी. क्रमांक 32/21.04.018/2018-19, दिनांक 1 अप्रैल, 2019 तथा सेबी द्वारा 18 जुलाई, 2017 को जारी परिपत्र के अनुरूप निम्नलिखित तालिका आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधान में विचलन की रूपरेखा को दर्शाती है:

| क्रं सं | विवरण | ₹ करोड़ में |
|---|---|---|
| 1 | बैंक द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2018 को रिपोर्ट किया गया सकल एनपीए | 4,93,70 |
| 2 | भारिबैं द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2018 को आकलित किया गया सकल एनपीए | 5,02,37 |
| 3 | सकल एनपीए (2-1) में विचलन | 8,67 |
| 4 | बैंक द्वारा 31 मार्च, 2018 को रिपोर्ट किया गया शुद्ध एनपीए | 2,43,62 |
| 5 | भारिबैं द्वारा 31 मार्च, 2018 को आकलित किया गया शुद्ध एनपीए | 2,29,12 |
| 6 | शुद्ध एनपीए (5-4) में विचलन | (14,14) |
| 7 | बैंक द्वारा 31 मार्च, 2018 को रिपोर्ट किया गया एनपीए के लिए प्रावधान | 2,50,44 |
| 8 | भारिबैं द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2018 को आकलित किया गया एनपीए के लिए प्रावधान | 2,73,24 |
| 9 | प्रावधान (8-7) में विचलन | 22,81 |
| 10 | दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कर पश्चात (पीएटी) रिपोर्ट किया गया शुद्ध लाभ | (52,47) |
| 11 | दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए खाते में प्रावधान के विचलन के बाद समायोजित (कल्पित) कर पश्चात शुद्ध लाभ | (67,70) |

**1.4.3 पुनर्गठित खातों का विवरण**

(₹ करोड़ में)

| क्र. | आस्तियों का वर्गीकरण/ विवरण | | सीडीआर प्रक्रिया के अन्तर्गत | | | | | एसएमई ऋण पुनर्गठन प्रक्रिया के अन्तर्गत | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | मानक | अवमानक | संदिग्ध | हानि | योग | मानक | अवमानक | संदिग्ध | हानि | योग |
| 1 | 01.04.2018 तक पुनर्गठित खाते (वित्त वर्ष 2018 हेतु प्रारम्भिक आंकड़े) | उधारकर्ताओं की संख्या | 2 | 4 | 27 | 1 | 34 | 81 | 27 | 391 | 52 | 5,51 |
| | | बकाया राशि | 40.34 | 4,22.47 | 38,68.37 | 98.28 | 44,29.46 | 36.62 | 90.31 | 7,95.27 | 26.25 | 9,48.46 |
| | | उस पर प्रावधान | 1.00 | 53.79 | 2,74.51 | 0.00 | 3,29.30 | 1.19 | 3.21 | 9.65 | 0.24 | 14.29 |
| 2 | वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान नयी पुनर्संरचना | उधारकर्ताओं की संख्या | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,29 | 12 | 0 | 0 | 55,41 |
| | | बकाया राशि | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,25.06 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 2,26.05 |
| | | उस पर प्रावधान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.38 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 9.41 |
| 3 | वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान पुनर्गठित मानक संवर्ग में अपग्रेडेशन | उधारकर्ताओं की संख्या | 1 | | | | 1 | 10 | | | | 10 |
| | | बकाया राशि | 52.90 | | | | 52.90 | 55.20 | | | | 55.20 |
| | | उस पर प्रावधान | 3.69 | | | | 3.69 | 4.11 | | | | 4.11 |
| 4 | वित्त वर्ष 2018-19 के अंत में पुनर्गठित मानक अग्रिम और/अथवा अतिरिक्त जोखिम भारित अग्रिम, जिनकी वजह से उच्च प्रावधान किया जाना था और इसलिए उन्हें अगले वित्त वर्ष 2018-19 के प्रारंभ में पुनर्गठित मानक अग्रिम के रुप में दर्शाया गया | उधारकर्ताओं की संख्या | 1 | | | | 1 | 53 | | | | 53 |
| | | बकाया राशि | 17.88 | | | | 17.88 | 29.77 | | | | 29.77 |
| | | उस पर प्रावधान | 0.00 | | | | 0.00 | 1.22 | | | | 1.22 |
| 5 | वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान पुनर्गठित खातों का डाउन ग्रेडेशन | उधारकर्ताओं की संख्या | | 1 | 0 | 0 | 1 | | 12 | 0 | 0 | 12 |
| | | बकाया राशि | | 20.05 | 0 | 0 | 20.05 | | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.89 |
| | | उस पर प्रावधान | | 0.66 | 0 | 0 | 0.66 | | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 6 | वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान पुनर्गठित खातों में राइट-ऑफ | उधारकर्ताओं की संख्या | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 50 | 5 | 55 |
| | | बकाया राशि | 0.00 | 0.00 | 11,99.62 | 0.00 | 11,99.62 | 0.00 | 0.00 | 26.03 | 0.88 | 26.91 |
| 7 | 31.03.19 तक पुनर्गठित खाते (अंतिम आंकड़े) | उधारकर्ताओं की संख्या | 1 | 1 | 18 | 5 | 25 | 55,44 | 15 | 3,07 | 34 | 59,00 |
| | | बकाया राशि | 52.90 | 20.05 | 15,18.94 | 19,10.00 | 35,01.89 | 2,75.23 | 15.11 | 6,04.76 | 1,28.43 | 10,23.52 |
| | | उस पर प्रावधान | 3.69 | 0.66 | 10.23 | 0.00 | 14.58 | 10.62 | 0.03 | 10.86 | 0.02 | 21.54 |

(₹ करोड़ में)

| क्र. | आस्तियों का वर्गीकरण/ विवरण | | अन्य | | | | | कुल | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | मानक | अवमानक | संदिग्ध | हानि | योग | मानक | अवमानक | संदिग्ध | हानि | योग |
| 1 | 31.03.18 तक पुनर्गठित खाते (वित्त वर्ष 2018 हेतु प्रारम्भिक आंकड़े) | उधारकर्ताओं की संख्या | 24,70 | 5,56 | 28,88 | 3,53 | 62,67 | 25,53 | 5,87 | 33,06 | 4,06 | 68,52 |
| | | बकाया राशि | 11,57.71 | 20,76.67 | 49,45.55 | 5,31.87 | 87,11.81 | 12,34.67 | 25,89.45 | 96,09.20 | 6,56.41 | 1,40,89.72 |
| | | उस पर प्रावधान | 17.44 | 39.57 | 71.18 | 6.87 | 1,35.06 | 19.63 | 96.57 | 3,55.34 | 7.10 | 4,78.64 |
| 2 | वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान नयी पुनर्संरचना | उधारकर्ताओं की संख्या | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 55,32 | 13 | 0 | 0 | 55,45 |
| | | बकाया राशि | 3,99.32 | 96.54 | 0.00 | 0.00 | 4,95.86 | 6,24.37 | 97.53 | 0.00 | 0.00 | 7,21.90 |
| | | उस पर प्रावधान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.38 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 9.41 |
| 3 | वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान पुनर्गठित मानक संवर्ग में अपग्रेडेशन | उधारकर्ताओं की संख्या | 79 | | | | 79 | 90 | | | | 90 |
| | | बकाया राशि | 2.99 | | | | 2.99 | 1,11.09 | | | | 1,11.09 |
| | | उस पर प्रावधान | 0.10 | | | | 0.10 | 7.90 | | | | 7.90 |
| 4 | वित्त वर्ष 2018-19 के अंत में पुनर्गठित मानक अग्रिम और/अथवा अतिरिक्त जोखिम भारित, जिनकी वजह से उच्च प्रावधान किया जाना था और इसलिए उन्हें अगले वित्त वर्ष 2018-19 के प्रारंभ में पुनर्गठित मानक अग्रिम के रुप में दर्शाया गया | उधारकर्ताओं की संख्या | 2,10 | | | | 2,10 | 2,64 | | | | 2,64 |
| | | बकाया राशि | 2,02.36 | | | | 2,02.36 | 2,50.01 | | | | 2,50.01 |
| | | उस पर प्रावधान | 1.00 | | | | 1.00 | 2.23 | | | | 2.23 |
| 5 | वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान पुनर्गठित खातों का डाउन ग्रेडेशन | उधारकर्ताओं की संख्या | | 11,51 | 23 | 0 | 11,74 | | 11,64 | 23 | 0 | 11,87 |
| | | बकाया राशि | | 4,21.69 | 1.04 | 0.00 | 4,22.73 | | 4,42.63 | 1.04 | 0.00 | 4,43.67 |
| | | उस पर प्रावधान | | 4.62 | 0.04 | 0.00 | 4.66 | | 5.30 | 0.04 | 0.00 | 5.34 |
| 6 | वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान पुनर्गठित खातों में राइट-ऑफ | उधारकर्ताओं की संख्या | 2 | 1 | 6,57 | 10 | 6,70 | 2 | 1 | 7,14 | 15 | 7,32 |
| | | बकाया राशि | 0.14 | 0.09 | 12,15.35 | 0.81 | 12,16.38 | 0.14 | 0.09 | 24,41 | 1.69 | 24,42.91 |
| 7 | 31 मार्च को वित्त वर्ष 2018-19 हेतु पुनर्गठित खाते (अंतिम आंकड़े) | उधारकर्ताओं की संख्या | 8,65 | 11,65 | 21,38 | 3,34 | 45,02 | 64,10 | 11,81 | 24,63 | 3,73 | 1,04,27 |
| | | बकाया राशि | 9,88.64 | 4,22.08 | 48,45.39 | 7,68.28 | 70,24.39 | 13,16.76 | 4,57.23 | 69,69.09 | 28,06.71 | 1,15,49.80 |
| | | उस पर प्रावधान | 8.78 | 4.63 | 68.70 | 0.59 | 82.70 | 23.09 | 5.32 | 89.79 | 0.62 | 1,18.81 |

दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त तिमाही एवं वित्तीय वर्ष की समाप्त के लिए बैंक ने अपने कारोबारी परिणाम के प्रभाव को सम्यक रूप से रिकॉर्ड किया है.

**1.4.4 भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्रमांक RBI/2018-19/100/DBR. NO.BP.BC 18/21.04,048/2018-19 दिनांक 1 जनवरी, 2019 के अनुसार बैंक एवं एनबीएफ़सी, एमएसएमई खातों से संबंधित पुनर्रचना के लिए उचित प्रकटीकरण करेगा:**

| पुनर्रचना की गई खातों की संख्या | ₹ करोड़ में |
|---|---|
| 55,40 | 2,10.46 |

**1.4.5 आस्ति पुनर्गठन के लिए प्रतिभूतिकरण/पुनर्गठन कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण**

**क) सेल्स का विवरण**

(₹ करोड़ में)

| क्र. | विवरण | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|---|---|---|---|
| i) | खातों की संख्या | 7 | 7 |
| ii) | एससी/आरसी को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधानों में से घटाकर)<br>क) एनपीए खाते<br>ख) अपलिखित खाते<br>ग) एसएमए खाते | <br>7,97.65<br>0.00<br>शून्य | <br>2,86.22<br>शून्य<br>99.96 |
| iii) | कुल प्रतिफल<br>क) एनपीए खाते<br>ख) अपलिखित खाते<br>ग) एसएमए खाते | <br>7,82.74<br>11.12<br>शून्य | <br>2,16.91<br>शून्य<br>1,01.22 |
| iv) | विगत वर्षों में अंतरित खातों में वसूल किया गया अतिरिक्त प्रतिफल | शून्य | शून्य |
| v) | शुद्ध बही मूल्य पर कुल आय/(हानि)<br>क) एनपीए खाते<br>ख) अपलिखित खाते<br>ग)एसएमए खाते | <br>(14.91)<br>11.12<br>शून्य | <br>(69.31)<br>शून्य<br>1.26 |

**ख) 1 - एनपीए द्वारा समर्थित प्रतिभूति रसीदों में निवेश का बहीमूल्य**

(₹ करोड़ में)

| विवरण | अंतर्निहित द्वारा सुरक्षित एनपीए का बैंक द्वारा मौलिक रुप से विक्रय | | अंतर्निहित के रूप में एनपीए द्वारा समर्थित का अन्य बैंक/वित्तीय संस्थानों/ गैर बैंकिंग कंपनियों द्वारा मौलिक रुप से विक्रय | | योग | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31.03.2019 | 31.03.2018 | 31.03.2019 | 31.03.2018 | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
| प्रतिभूति रसीदों में निवेश का बही मूल्य | 5,65.86 | 6,22.63 | 10.60 | 12.83 | 5,76.46 | 6,35.46 |

**2 - प्रतिभूति रसीदों में एसएमए द्वारा समर्थित निवेश का बहीमूल्य**

(₹ करोड़ में)

| विवरण | अंतर्निहित द्वारा सुरक्षित एसएमए का बैंक द्वारा मौलिक रुप से विक्रय | | अंतर्निहित के रूप में एसएमए द्वारा समर्थित का अन्य बैंक/वित्तीय संस्थानों/गैर बैंकिंग कंपनियों द्वारा मौलिक रुप से विक्रय | | योग | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31.03.2019 | 31.03.2018 | 31.03.2019 | 31.03.2018 | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
| प्रतिभूति प्राप्तियों में निवेश का बहीमूल्य | 3,42.49 | 3,43.36 | शून्य | शून्य | 3,42.49 | 3,43.36 |

**1.4.6 खरीदी/ बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों के विवरण**

**क) खरीदी गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण**

(₹ करोड़ में)

| क्र. | विवरण | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|---|---|---|---|
| 1 | क. वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या<br>ख. समग्र बकाया | शून्य<br>शून्य | शून्य<br>शून्य |
| 2 | क. इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों की संख्या<br>ख. समग्र बकाया | शून्य<br>शून्य | शून्य<br>शून्य |

**ख. बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों के विवरण (एआरसी के अलावे)**

**(₹ करोड़ में)**

| क्र. | विवरण | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|---|---|---|---|
| 1 | बेचे गए खातों की संख्या | शून्य | शून्य |
| 2 | समग्र बकाया | शून्य | शून्य |
| 3 | समग्र प्राप्त प्रतिफल | शून्य | शून्य |

**1.4.7 मानक परिसम्पत्तियों हेतु प्रावधान**

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|---|---|---|
| मानक परिसम्पत्तियों हेतु प्रावधान | 14,64.27 | 13,19.65 |

बैंक द्वारा 31 मार्च, 2019 को मानक आस्तियों हेतु किया गया प्रावधान ₹14,64.27 करोड़ है. (विगत वर्ष में ₹13,19.65 करोड़)

**1.4.8 महत्वपूर्ण ऋण पुनर्रचना योजना पर प्रकटीकरण (खाते जो वर्तमान में रुकी हुई अवधि में है)**

(₹ करोड़ में)

| वैसे खातों की संख्या जहां एसडीआर मांगी गई है | 31.03.2019 तक बकाया राशि | | दिनांक 31 मार्च, 2019 तक बकाया राशि तथा जिनके इक्विटी में परिवर्तन लंबित है. | | दिनांक 31 मार्च, 2019 तथा उन खातों के बकाया राशि जिनके तथा इक्विटी में परिवर्तन किया गया है. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| के रूप में वर्गीकृत | मानक | एनपीए | मानक | एनपीए | मानक | एनपीए |
| | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |

**1.4.9 विद्यमान ऋण के लचीले संरचना का प्रकटीकरण**

(₹ करोड़ में)

| अवधि | लचीली संरचना हेतु लिए गए उधारकर्ताओं की संख्या | लचीली संरचना हेतु लिए गए ऋणों की राशि | | लचीली संरचना हेतु लिए गए ऋण की भारित औसत अवधि का एक्सपोजर | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | मानक के रूप में वर्गीकृत | एनपीए के रूप में वर्गीकृत | लचीली संरचना (वर्ष) के आवेदन करने से पहले | लचीली संरचना (वर्ष) के आवेदन करने के पश्चात |
| गत वर्ष 2017-18 | 4 | 8,30.96 | 10.04 | 10.13 वर्ष | 19.31 वर्ष |
| वर्तमान वर्ष 2018-19 | शून्य | शून्य | - | शून्य | शून्य |

### 1.4.10 बकाया एसडीआर योजना के अंतर्गत स्वामित्व के परिवर्तन का प्रकटीकरण (खाते जो वर्तमान में रुकी हुई अवधि में है)

(₹ करोड़ में)

| खातों की संख्या जहां बैंक ने स्वामित्व में प्रभावी परिवर्तन करने का निर्णय लिया है | रिपोर्टिंग तिथि तक बकाया | | रिपोर्टिंग तिथि तक बकाया राशि जहां ऋण का इक्विटी में परिवर्तन/इक्विटी शेयर की गिरवी के कारण लंबित है | | रिपोर्टिंग तिथि तक बकाया राशि जहां ऋण का इक्विटी में परिवर्तन/इक्विटी शेयर पर लागू गिरवी प्राप्त कर लिया गया है | | रिपोर्टिंग तिथि तक बकाया राशि जहां नए शेयर के निर्गम या प्रोमोटर के इक्विटी की बिक्री से स्वामित्व में परिवर्तन परिकल्पित है | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| के रूप में वर्गीकृत | मानक | एनपीए | मानक | एनपीए | मानक | एनपीए | मानक | एनपीए |
| | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |

### 1.4.11 क्रियान्वयन के तहत परियोजना के स्वामित्व के परिवर्तन का प्रकटीकरण (खाते जो वर्तमान में रुकी हुई अवधि में है)

(₹ करोड़ में)

| ऋण परियोजना खातों की संख्या, जहां बैंक ने स्वामित्व में प्रभावी परिवर्तन लाने का निर्णय लिया है | दिनांक 31 मार्च, 2019 तक बकाया राशि | | |
|---|---|---|---|
| | मानक के रूप में वर्गीकृत | मानक पुनर्रचना के रूप में वर्गीकृत | एनपीए के रूप में वर्गीकृत |
| शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |

### 1.4.12 दिनांक 31.03.2019 के दबावग्रस्त आस्तियों के बनाए रखे जाने योग्य संरचना के लिए योजना का प्रकटीकरण (एस4ए)

(₹ करोड़ में)

| खाते जहां एस4ए लागू किए गए हैं | | कुल बकाया राशि | बकाया राशि | | लागू उपबंध |
|---|---|---|---|---|---|
| आस्ति वर्गीकरण | खातों की संख्या | | पार्ट ए में | पार्ट बी में | |
| मानक खाते | 2 | 1,27.32 | 66.28 | 61.04 | 32.45 |
| एनपीए | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### 1.5. कारोबार अनुपात

| क्र. | विवरण | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|---|---|---|---|
| i) | कार्यशील निधियों में ब्याज आय के रुप में प्रतिशत | 6.85 | 6.71 |
| ii) | कार्यशील निधियों में गैर-ब्याज आय के रुप में प्रतिशत | 0.90 | 1.02 |
| iii) | कार्यशील निधियों में परिचालन लाभ के रुप में प्रतिशत | 1.51 | 1.56 |
| iv) | आस्तियों पर प्रतिफल | (0.59) | (1.07) |
| v) | प्रति कर्मचारी औसत कारोबार (जमाराशि एवं अग्रिम) **(₹ करोड़ में)** | 18.79 | 17.83 |
| vi) | प्रति कर्मचारी लाभ **(₹ करोड़ में)** | (0.08) | (0.14) |

### 1.6. आस्ति देयता प्रबंधन

31 मार्च, 2019 तक जमाराशि, उधार, अग्रिम एवं निवेश की परिपक्वता का स्वरूप, निम्न पर आधारित है:

- एएलएम पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश
- आस्ति एवं देयताओं का व्यावहारिक अध्ययन, जिसमें निहित विकल्प के लिए कोई निश्चित परिपक्वता नहीं है.
- तुलन पत्र आस्ति एवं देयताओं में विदेशी मुद्रा

**चालू वर्ष 2018-19**

(₹ करोड़ में)

| परिपक्वता का स्वरूप | जमाराशि | अग्रिम | निवेश/ प्रतिभूति | उधारी | विदेशी मुद्रा आस्ति | विदेशी मुद्रा देयता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **अगले दिन** | 17,98.85 | 39,82.85 | 1,45,38.74 | 12,75.44 | 44,91.09 | 31,76.95 |
| **2-7 दिन** | 78,14.46 | 79,93.48 | 22,88.99 | 1,86.89 | 23,93.06 | 2,39.13 |
| **8-14 दिन** | 69,75.17 | 72,85.90 | - | 90,00.00 | 3,10.28 | 75.04 |
| **15-30 दिन** | 62,09.31 | 1,12,78.69 | 25,28.21 | 10,10.47 | 25,08.35 | 11,96.44 |

| परिपक्वता का स्वरूप | जमाराशि | अग्रिम | निवेश/ प्रतिभूति | उधारी | विदेशी मुद्रा आस्ति | विदेशी मुद्रा देयता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **31 दिन से 2 माह** | 1,32,84.97 | 85,53.18 | 32,94.74 | 15,14.38 | 30,00.27 | 28,83.75 |
| **2 माह से अधिक और 3 माह तक** | 1,68,94.28 | 66,08.69 | 14,35.06 | 20,44.53 | 17,83.37 | 15,37.63 |
| **3 माह से अधिक और 6 माह तक** | 2,60,52.96 | 1,20,55.80 | 21,92.29 | 21,09.37 | 57,81.76 | 34,37.78 |
| **6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक** | 6,28,14.38 | 1,98,85.19 | 69,41.06 | 41,24.40 | 44,75.32 | 59,25.14 |
| **1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक** | 5,80,27.85 | 13,43,62.82 | 1,30,89.13 | 84,24.38 | 93,22.71 | 1,15,57.92 |
| **3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक** | 3,82,11.22 | 3,93,91.16 | 2,08,83.14 | 47,23.98 | 33,18.24 | 33,57.25 |
| **5 वर्ष से अधिक** | **17,78,31.84** | **4,55,28.89** | **5,88,55.26** | **84,50.00** | **21,00.99** | **2,66.11** |
| **योग** | **41,59,15.27** | **29,69,32.15** | **12,60,46.64** | **4,28,63.82** | **3,94,85.43** | **3,36,53.13** |

**गत वर्ष 2017-18**

(₹ करोड़ में)

| परिपक्वता पद्धति | जमा | अग्रिम | निवेश/प्रतिभूति | उधार | विदेशी मुद्रा आस्तियां | विदेशी मुद्रा देयताएं |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **अगले दिन** | 16,55.34 | 50,34.12 | 3,50.00 | 13,18.80 | 37,83.57 | 37,43.12 |
| **2-7 दिन** | 71,06.84 | 89,52.01 | 11,38.85 | 40,04.44 | 20,21.33 | 5,08.55 |
| **8-14 दिन** | 75,06.84 | 41,90.71 | 6,12.74 | 39,24.32 | 18,95.35 | 23,91.45 |
| **15-30 दिन** | 75,28.30 | 1,30,58.12 | 24,71.64 | 6,24.30 | 36,06.33 | 18,39.26 |
| **31 दिन - 2 माह** | 1,30,94.38 | 54,35.22 | 7,21.42 | 22,32.12 | 54,64.21 | 44,72.64 |
| **>2 माह - 3 माह** | 2,21,65.66 | 1,13,79.00 | 1,94.87 | 45,63.19 | 59,37.81 | 67,95.50 |
| **> 3 माह - 6 माह** | 3,84,37.26 | 1,44,44.54 | 14,65.15 | 35,56.26 | 1,03,22.07 | 72,26.01 |
| **> 6 माह - 1 वर्ष** | 5,20,60.68 | 2,67,90.59 | 1,20,15.61 | 26,87.36 | 51,19.37 | 54,79.17 |
| **> 1 वर्ष - 3 वर्ष** | 5,39,62.68 | 13,09,05.06 | 1,71,94.34 | 71,51.16 | 65,37.05 | 88,02.15 |
| **> 3 वर्ष - 5 वर्ष** | 3,76,41.32 | 3,52,98.59 | 2,28,46.01 | 50,82.89 | 98,39.29 | 75,60.76 |
| **> 5-वर्ष** | **16,74,32.34** | **3,32,72.61** | **6,47,69.98** | **1,09,10.93** | **20,74.47** | **3,80.53** |
| **योग** | **40,85,01.64** | **28,87,60.58** | **12,37,80.62** | **4,60,55.77** | **5,66,00.85** | **4,91,99.13** |

## 1.7. एक्सपोजर

### 1.7.1 रियल इस्टेट क्षेत्र में एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

| क्र. | संवर्ग | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|---|---|---|---|
| क) | प्रत्यक्ष निवेश | 3,54,66.65 | 4,06,22.49 |
| i) | आवासीय बंधक- | | |
| | आवासीय संपत्तियों पर ऋण पूरी तरह से बंधक द्वारा सुरक्षित है और ये सम्पत्तियां ऋण लेने वालों के कब्जे में हैं या किराये पर हैं. | 2,92,93.65 | 2,88,55.48 |
| | - उपर्युक्त के अंतर्गत रु.20 लाख तक व्यक्तिगत आवास ऋण. | 1,33,73.77 | 1,37,62.79 |
| ii) | वाणिज्यिक रियल इस्टेट- | 53,14.02 | 54,49.27 |
| | वाणिज्यिक अचल सम्पदा (कार्यालय, भवन, फुटकर स्थल, बहुउद्देश्यीय व्यावसायिक परिसर, बहु-परिवार आवासीय भवन, बहु-पट्टेदार व्यावसायिक परिसर, औद्योगिक या गोदाम स्थल, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास और निर्माण आदि) के ऋण बंधक द्वारा सुरक्षित. एक्सपोजर में गैर निधि आधारित (एनएफबी) सीमा भी शामिल हैं: | (17,31.82) | (17,34.82) |
| iii) | सीआरई आरएच | 16,24.45 | 59,64.68 |
| iv) | एलआरडी (पट्टा किराया छूट) | 21,13.83 | 20,84.04 |
| | जिसमें से सी आर ई | (17,31.82) | (17,34.82) |
| | जिसमें से सी आर ई के अलावा | (3,82.01) | (3,49.18) |

| क्र. | संवर्ग | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|---|---|---|---|
| v) | बंधक समर्थित/प्रतिभूतियों (एमबीएस) में निवेश तथा अन्य प्रतिभूत एक्सपोज़र - | | |
| | क. आवासीय | शून्य | शून्य |
| | ख. वाणिज्यिक रियल इस्टेट. | शून्य | शून्य |
| ख) | अप्रत्यक्ष एक्सपोजर | | |
| | राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) तथा गृह निर्माण वित्त कंपनियों (एचएफसी) पर निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित एक्सपोज़र | 1,87,83.06 | 1,30,14.81 |
| | **रियल इस्टेट क्षेत्र में कुल एक्सपोज़र** | **5,42,94.71** | **5,36,37.30** |

### 1.7.2 पूँजी बाजार में एक्सपोज़र

(₹ करोड़ में)

| क्र. | विवरण | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|---|---|---|---|
| i) | इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉन्ड्स, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों में सीधा निवेश, जिसकी आधारभूत निधि केवल कॉर्पोरेट ऋण में निवेश नहीं की गई है. | 13,04.63 | 13,63.22 |
| ii) | शेयरों/बांडों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों या शेयरों में निवेश हेतु बेजमानती आधार पर (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बॉन्ड्स, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड की इकाइयों के पेटे अग्रिम | 3.90 | 3.90 |
| iii) | किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम, जहां शेयरों, परिवर्तनीय बॉन्ड्स या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की इकाइयों को प्राथमिक प्रतिभूति के रुप में लिया गया है. | 2,93.23 | 3,22.82 |
| iv) | शेयरों या परिवर्तनीय बॉन्ड्स या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की इकाइयों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा सुरक्षित अन्य प्रयोजनों के अग्रिम, जहां शेयरों/परिवर्तनीय बॉन्ड्स/परिवर्तनीय डिबेचरों/इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की इकाइयों को छोड़कर अन्य मूल प्रतिभूति अग्रिमों को पूर्णत: सुरक्षित नहीं करती है. | 0.59 | 0.63 |
| v) | स्टॉक ब्रोकरों को जमानती एवं बेजमानती अग्रिम और स्टॉक ब्रोकरों एवं मार्केट मेकर्स की ओर से जारी गारंटियां | 5,94.67 | 5,41.58 |
| vi) | शेयरों/बॉन्डो/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के पेटे या बढ़ते संसाधनों की प्रत्याशा में नयी कंपनियों के इक्विटी के लिए प्रमोटर के अंशदान के लिए बेजमानती आधार पर कॉर्पोरेट्स को मंजूर ऋण | 25.00 | 1,13.57 |
| vii) | संभावित इक्विटी प्रवाहों/निर्गमों के पेटे कंपनियों को पूरक (ब्रिज) ऋण | शून्य | शून्य |
| viii) | शेयरों या परिवर्तनीय बॉन्ड्स या परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की इकाइयों के मूल निर्गम के संबंध में बैंकों द्वारा प्रतिबद्धताओं की जिम्मेदारी लेना. | शून्य | शून्य |
| ix) | मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ब्रोकरों को वित्त पोषण | शून्य | शून्य |
| x) | वेंचर पूंजी निधियों के सभी निवेश (पंजीकृत एवं अपंजीकृत दोंनो) इक्विटी के समान माने जाएगें और इसलिए उन्हें अनुपालन हेतु पूंजी बाजार निवेश सीमाओं (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोंनो) के साथ हिसाब में लिया जाएगा. ** | 3,77.98 | 4,15.50 |
| | **पूंजी बाजार में कुल एक्सपोजर** | **26,00.00** | **27,61.22** |

### 1.7.3 जोखिम संवर्ग वार कंट्री एक्सपोज़र

(₹ करोड़ में)

| जोखिम संवर्ग | शुद्ध एक्सपोज़र 31.03.2019 | शुद्ध एक्सपोज़र 31.03.2019 | प्रावधान यथा 31.03.2018 | प्रावधान यथा 31.03.2018 |
|---|---|---|---|---|
| अपर्याप्त | 80,93.66 | शून्य | 1,46,27.51 | शून्य |
| अल्प | 75,37.68 | शून्य | 59,86.13 | शून्य |
| सामान्य | 3,46.92 | शून्य | 3,49.18 | शून्य |
| उच्च | 5.48 | शून्य | 0.79 | शून्य |
| अत्यधिक उच्च | - | शून्य | - | शून्य |
| सीमित | - | शून्य | - | शून्य |
| ऑफ-क्रेडिट | - | शून्य | - | शून्य |
| **योग** | **1,59,83.74** | **शून्य** | **2,09,63.61** | **शून्य** |

कन्ट्री जोखिम नीति 2018-19 के अनुसार, भारत में ट्रेड एक्सपोजर के लिए बैक द्वारा ईसीजीसी कंट्री जोखिम वर्गीकरण का उपयोग भारत तथा विदेश दोनों में स्थित शाखाओं के अतिरिक्त व्यापार जोखिम के लिए किया गया है.

बैंक केवल उस देश के संबंध में ही कन्ट्री जोखिम नीति का प्रावधान करेगा, जहां निवल वित्त पोषित जोखिम अपनी कुल संपत्ति का 1% या उससे अधिक है.

**1.7.4 बैंक द्वारा एकल उधारकर्ता सीमा (एसबीएल), समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) को दी गई सीमा से अधिक का ब्यौरा (पूंजी निधि ₹32939.16 करोड़)**

(₹ करोड़ में)

| क्र. | | | एक्सपोजर की सीमा (₹) | कुल एक्सपोज़र (₹) | पूंजी निधि का एक्सपोज़र% | 31.03.19 की स्थिति | पूंजी निधि की % स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | एकल उधारकर्ता | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| 2. | समूह उधारकर्ता | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |

- व्यक्तिगत ऋण लेने की एक्सपोज़र सीमा कैपिटल फंड का 15% है. तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के अनुसार बोर्ड से अनुमोदन के बाद 5% अतिरिक्त एक्सपोज़र लिया गया.
- बुनियादी परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त 5% एकल इकाइयों वाले व्यक्ति (कैपिटल फंड का 20%)
- भारत सरकार द्वारा तेल बॉण्ड जारी की हुई तेल कंपनियों (जिनके पास एसएलआर स्टेटस नहीं है) की एकल इकाइयों वाले व्यक्तियों के लिए कैपिटल फ़ंड का 25%.
- समूह निवेश की सीमा- 40%
- आधारभूत संरचना के लिए ग्रुप एक्सपोजर सीमा 50%
- बोर्ड की अनुमति से अतिरिक्त एक्सपोज़र लिया जा सकता है.

**1.7.5 बेजमानती अग्रिम :**

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|---|---|---|
| अमूर्त प्रतिभूतियों जैसे राइट्स, लाइसेंस, अथॉरिटी आदि पर प्रभार के पेटे बकाया ऋण राशि | शून्य | शून्य |
| ऐसी अमूर्त सम्पार्श्विक प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य | शून्य | शून्य |

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्रमांक OD.BP.BC.No./83/08.12.014/2012-13 दिनांक 18 मार्च, 2013 के अनुसार सड़क/राजमार्ग परियोजनाएं और टोल संग्रह अधिकार से संबंधित अग्रिम, बिल्ड ऑपरेट ट्रान्सफर (बीओटी) के तहत वार्षिकी वृत्ति द्वारा समर्थित हैं.

**1.8 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटीकरण:**

| वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाया गया दंड | |
|---|---|
| दंड की संख्या | 3 |
| दंड की राशि | 5.00 करोड़ |

**2. भारतीय सनदी लेखाकारों द्वारा जारी लेखांकन मानक के अनुसार प्रकटीकरण**

**2.1. राजस्व पहचान (एएस 9)**

सार्थक लेखा नीति की अनुसूची 17 की लेखा नीति सं. 3.3 के अनुसार आय की कुछ मदों को वसूली के आधार पर ही माना गया है; तथापि इस प्रकार की आय को शामिल नहीं किया गया है.

**2.2 कर्मचारी लाभ (एएस 15 - संशोधित)**

**2.3 परिभाषित लाभ योजना - कर्मचारी पेंशन योजना और ग्रेच्युटी योजना :**

31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष की बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार बैंक ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानकों के अनुसार कर्मचारी हितों के लिए स्पष्टीकरण दिया है. प्रकटीकरण इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

| | विवरण | 31.03.2019 | | 31.03.2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ग्रेच्युटी | पेंशन | ग्रेच्युटी | पेंशन |
| i) | **पारिभाषित लाभ बाध्यताओं में परिवर्तन दर्शाने वाली सारणी :** | | | | |
| | वर्ष के आरंभ में देयता | 12,44.88 | 1,18,03.32 | 11,14.72 | 1,12,31.15 |
| | ब्याज लागत | 97.47 | 9,15.94 | 80.26 | 8,36.72 |
| | चालू सेवा लागत | 57.96 | 1,03.65 | 53.45 | 1,20.75 |
| | पिछली सेवा लागत (निहित लाभ परिशोधन) | शून्य | शून्य | 2,42.12 | शून्य |
| | पिछली सेवा लागत (निहित लाभ) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | देयता अंतरण आवक | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | देयता अंतरण जावक | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | प्रदत्त लाभ | (1,88.78) | (7,53.46) | (1,37.65) | (6,59.09) |
| | वित्तीय धारणा पर बीमांकिक(अर्जन)/बाध्यताओं पर हानि | 3.20 | (36.24) | 34.24 | 3,11.61 |
| | बीमांकिक(अर्जन)/बाध्यताओं पर हानि | 7.91 | 1,25.22 | (1,42.26) | (37.82) |
| | **वर्ष के अंत में देयताएं** | 12,22.64 | 1,21,58.43 | 12,44.88 | 1,18,03.32 |
| ii) | **योजना आस्तियों के उचित मूल्य की सारणी:** | | | | |
| | वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य | 13,02.00 | 1,21,15.00 | 13,33.03 | 1,12,14.89 |
| | योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिलाभ | 1,01.95 | 9,40.12 | 95.98 | 8,35.51 |
| | अंशदान | शून्य | शून्य | शून्य | 7,45.08 |
| | अन्य कंपनी से अंतरण | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | अन्य कंपनी को अंतरण | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | प्रदत्त लाभ | (1,88.78) | (7,53.46) | (1,37.65) | (6,59.09) |
| | योजना आस्तियों पर बीमांकिक (अर्जन)/हानि | 13.03 | (7.18) | (10.64) | 21.39 |
| | वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य अभिज्ञात किया जाने वाला | 12,02.14 | 1,23,08.84 | 13,02.00 | 1,21,15.00 |
| | उक्त अवधि में बीमांकिक(अर्जन)/बाध्यताओं पर हानि | 11.11 | 88.98 | (1,08.02) | 2,73.79 |
| | योजना आस्तियों पर बीमांकिक (अर्जन)/हानि | 13.03 | (7.18) | (10.64) | 21.39 |
| | **कुल चिन्हित बीमांकिक (अर्जन)/हानि** | 24.14 | 81.80 | (1,18.66) | 2,95.18 |
| iii) | **संक्रमणकालीन देयता की पहचान:** | | | | |
| | प्रारंभिक संक्रमणकालीन देयता | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | वर्ष के दौरान पहचानी गयी संक्रमणकालीन देयता | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | **अंत में संक्रमणकालीन देयता** | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| iv) | **योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ:** | | | | |
| | योजना आस्तियों पर संभावित प्रतिलाभ | 1,01.95 | 9,40.12 | 95.98 | 8,35.51 |
| | योजना आस्तियों पर वास्तविक लाभ/(हानि) | (13.03) | 7.18 | 10.64 | (21.39) |
| | योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ | 88.92 | 9,47.30 | 1,06.62 | 8,14.12 |
| v) | **आय विवरण में चिन्हित व्यय:** | | | | |
| | वर्तमान सेवा लागत | 57.96 | 1,03.65 | 53.45 | 1,20.75 |
| | ब्याज लागत | (4.48) | (24.18) | (15.72) | 1.21 |
| | योजना आस्तियों पर संभावित प्रतिलाभ | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | पहचानी गई पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ परिशोधन) पहचानी गई पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ) | शून्य | शून्य | 2,42.12 | शून्य |
| | संक्रमण देयता की पहचान | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | बीमांकिक लाभ या हानि | 24.14 | 81.80 | (1,18.66) | 2,95.18 |
| | **लाभ हानि खाते में चिन्हित व्यय** | 77.62 | 1,61.27 | 1,61.19 | 4,17.14 |

(₹ करोड़ में)

| | विवरण | 31.03.2019 | | 31.03.2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ग्रेच्युटी | पेंशन | ग्रेच्युटी | पेंशन |
| vi) | **तुलन पत्र समाधान:** | | | | |
| | प्रारंभिक शुद्ध देयता (पिछले वर्ष के तुलन-पत्र में चिन्हित शुद्ध राशि) | (57.12) | (3,11.68) | (2,18.31) | 16.26 |
| | उपर्युक्त के अनुसार व्यय | 77.62 | 1,61.27 | 1,61.19 | 4,17.14 |
| | अन्य कंपनियों से अंतरित (शुद्ध) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | अन्य कंपनियों को अंतरित (शुद्ध) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | नियोक्ता का अंशदान | शून्य | शून्य | शून्य | (7,45.08) |
| | **तुलन-पत्र में चिन्हित शुद्ध (आस्ति)/देयता राशि** | 20.50 | (1,50.41 | (57.12) | (3,11.68) |
| vii) | **अन्य ब्यौरे:** | | | | |
| | पेंशन सेवा के प्रत्येक साल के लिए वेतन के 1/66 की दर से देय है, जो कि अधिकतम 50% के अध्यधीन है. | | | | |
| | ग्रेच्युटी सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन की दर पर देय है, बशर्ते कि अधिकतम राशि ₹20,00,000.00 या बैंक की योजना के अनुसार हो. | | | | |
| | वर्ष के दौरान बीमांकिक अर्जन/हानि की गणना की गई है. | | | | |
| | वेतन वृद्धि कम्पनी द्वारा बताए अनुसार समायोजित की गई है, जो पदोन्नति, कर्मचारियों की मांग एवं पूर्ति को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग उद्योग में लागू प्रथा के अनुसार है. | | | | |
| | सदस्यों की संख्या | 37,267 | 15,154 | 37,502 | 16,443 |
| | वेतन प्रति माह | 1,13.20 | 91.04 | 1,71.21 | 92.65 |
| | **अगले वर्ष के लिए अंशदान** | 80.04 | शून्य | 0.84 | शून्य |
| viii) | **आस्तियों का संवर्ग:** | | | | |
| | भारत सरकार की आस्तियां | 74.78 | 2,03.33 | 94.78 | 2,50.28 |
| | कॉर्पोरेट बॉन्ड/ मियादी जमा | 1,32.71 | 15,39.48 | 1,78.50 | 13,42.84 |
| | विशेष जमा योजना | - | - | 8.01 | 4,10.00 |
| | राज्य सरकार | 1,66.50 | 7,35.89 | 1,74.58 | 7,61.71 |
| | संपत्ति | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | अन्य | 1,07.32 | 13,29.07 | 1,11.64 | 13,24.49 |
| | बीमाकर्ता प्रबंधित निधियां | 7,20.83 | 85,01.07 | 7,34.50 | 80,25.68 |
| | **योग** | 12,02.14 | 1,23,08.84 | 13,02.01 | 1,21,15.00 |

(₹ करोड़ में)

| **योजना में अधिशेष/कमी :** | **ग्रेच्युटी योजना** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **तुलन पत्र में चिन्हित राशि** | **31.03.19** | **31.03.18** | **31.03.17** | **31.03.16** | **31.03.15** |
| वर्ष के अंत में देयताएं | 12,22.64 | 12,44.88 | 11,14.72 | 11,10.33 | 10,88.16 |
| वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य | 12,02.14 | 13,02.00 | 13,33.03 | 12,51.27 | 12,64.00 |
| अंतर | (20.50) | 57.12 | 2,18.31 | 1,40.94 | 1,75.84 |
| पहचानी नहीं गई पूर्व सेवा लागत | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| पहचानी नहीं गई संक्रमण देयता | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| तुलन पत्र में पहचान की गई राशि | (20.50) | 57.12 | 2,18.31 | 1,40.94 | 1,75.84 |

| **तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त राशि** | **ग्रेच्युटी योजना** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **अनुभव समायोजन** | **31.03.19** | **31.03.18** | **31.03.17** | **31.03.16** | **31.03.15** |
| योजनागत देयताएं (लाभ)/हानि | 7.91 | (1,42.26) | (13.96) | शून्य | (21.18) |
| योजनागत आस्तियां (हानि)/लाभ | (13.03) | 10.64 | 42.42 | 29.80 | 38.03 |

| योजना में अधिशेष/कमी: | पेंशन | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **तुलन-पत्र में पहचान की गई राशि** | **31.03.19** | **31.03.18** | **31.03.17** | **31.03.16** | **31.03.15** |
| वर्ष के अंत में देयताएं | 1,21,58.43 | 1,18,03.32 | 1,12,31.15 | 96,19.00 | 82,18.43 |
| वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य | 1,23,08.84 | 1,21,15.00 | 1,12,14.89 | 95,25.70 | 78,61.00 |
| अंतर | 1,50.41 | 3,11.68 | (16.26) | (93.30) | (3,57.43) |
| पहचानी नहीं गई पूर्व सेवा लागत | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| पहचानी नहीं गई परिवर्तन देयता | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| तुलन-पत्र में पहचान की गई राशि | 1,50.41 | 3,11.68 | (16.26) | (93.30) | (3,57.43) |

| **तुलन-पत्र में पहचान की गई राशि** | **पेंशन** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **अनुभव समायोजन** | **31.03.19** | **31.03.18** | **31.03.17** | **31.03.16** | **31.03.15** |
| योजनागत देयताएं (लाभ)/हानि | 1,25.22 | (37.82) | 7,93.17 | 13,99.16 | 7,31.44 |
| योजनागत आस्तियां (हानि)/लाभ | (7.18) | (21.39) | 5,26.25 | 1,55.11 | 2,10.89 |

| **मुख्य बीमांकक पूर्वानुमान का उपयोग (%)** | **2018-19** | | **2017-18** | |
|---|---|---|---|---|
| | ग्रेच्युटी | पेंशन | ग्रेच्युटी | पेंशन |
| पिछली छूट दर | 7.83 | 7.76 | 7.20 | 7.45 |
| पिछली योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ की दर | 7.83 | 7.76 | 7.20 | 7.45 |
| पिछली वेतन वृद्धि | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| पिछली एट्रीशन दर | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| चालू छूट दर | 7.79 | 7.78 | 7.83 | 7.76 |
| वर्तमान योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ दर | 7.79 | 7.78 | 7.83 | 7.76 |
| वर्तमान वेतन वृद्धि | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| वर्तमान एट्रीशन दर | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |

### 2.4 परिभाषित अंशदान योजना:

बैंक द्वारा अंशदान पेंशन योजना (डीसीपीएस) लागू की गई है, जो दिनांक 01 अगस्त, 2010 से सभी संवर्ग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू है. इस योजना का प्रबंधन पेंशन फण्ड नियामक एवं विकास प्राधिकारी के अधीन एनपीएस ट्रस्ट द्वारा किया जाता है. एनपीएस के लिए नेशनल सिक्यूरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड को केन्द्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के रुप में नियुक्त किया गया है. वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक द्वारा एनपीएस को ₹100.20 करोड़ (पिछले वर्ष ₹86.48 करोड़) का अंशदान किया गया है.

### 2.5 अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ:

वर्ष के दौरान विभिन्न दीर्घावधि कर्मचारी लाभ के लिए किए गए प्रावधानों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

| **क्र.** | **अन्य दीर्घकालिक लाभ** | **31.03.2019** | **31.03.2018** |
|---|---|---|---|
| 1. | पेंशन | 1,61.27 | 4,17.14 |
| 2. | अवकाश नकदीकरण | (3.92) | 3.74 |
| 3. | अवकाश यात्रा रियायत | 36.06 | (19.02) |
| 4. | बीमारी अवकाश | शून्य | शून्य |

### 2.6 क्षेत्रवार रिपोर्ट (एएस-17)

(₹ करोड़ में)

| **कारोबार क्षेत्र** | | **स्टैंड अलोन** | |
|---|---|---|---|
| | | **वर्ष की समाप्ति** | |
| | | **(लेखापरीक्षित)** | **(लेखापरीक्षित)** |
| | | **31.03.2019** | **31.03.2018** |
| **(क)** | **क्षेत्रवार राजस्व** | | |
| 1 | ट्रेज़री परिचालन | 1,14,40.18 | 1,20,08.17 |
| 2 | रिटेल बैंकिंग परिचालन | 111,28.91 | 1,08,80.08 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग | 1,54,01.50 | 1,40,12.38 |
| 4 | अन्य बैंकिंग परिचालन | 6,46.77 | 5,50.49 |
| 5 | गैर आबंटित | 1,87.49 | 4,98.22 |
| | **योग** | **3,88,04.85** | **3,79,49.34** |
| | **घटाया: अंतर क्षेत्रवार राजस्व** | **(2,64.24)** | **(2,11.48)** |
| | **कुल राजस्व** | **3,85,40.61** | **3,77,37.86** |
| **(ख)** | **क्षेत्रवार परिणाम** | | |
| 1 | ट्रेज़री परिचालन | 27,67.14 | 16,48.99 |
| 2 | रिटेल बैंकिंग परिचालन | 9,47.37 | 4,24.88 |
| 3 | कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग | (81,14.53) | (94,88.47) |
| 4 | अन्य बैंकिंग परिचालन | 2,85.87 | 2,75.25 |
| 5 | गैर आबंटित | 1,87.49 | 4,98.22 |
| | **कर पूर्व कुल लाभ** | **(39,26.66)** | **(66,41.13)** |
| **(ग)** | **आयकर** | **(9,79.21)** | **(13,93.76)** |
| **(घ)** | **शुद्ध लाभ** | **(29,47.45)** | **(52,47.37)** |
| **(ङ)** | **क्षेत्रवार आस्तियां** | | |
| 1 | ट्रेज़री परिचालन | 17,50,59.13 | 17,40,24.01 |
| 2 | रिटेल बैंकिंग परिचालन | 12,73,10.28 | 11,62,79.02 |
| 3 | कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग | 17,88,51.72 | 18,72,88.80 |
| 4 | अन्य बैंकिंग परिचालन | शून्य | शून्य |
| 5 | गैर आबंटित | 1,28,17.71 | 97,88.25 |
| | **योग** | **49,40,38.84** | **48,73,80.08** |
| **(च)** | **क्षेत्रवार देयताएं** | | |
| 1 | ट्रेज़री परिचालन | **16,87,54.95** | **16,76,50.29** |
| 2 | रिटेल बैंकिंग परिचालन | 12,33,68.05 | 11,25,61.64 |
| 3 | कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग | 17,33,13.47 | 18,13,01.28 |
| 4 | अन्य बैंकिंग परिचालन | शून्य | शून्य |
| 5 | गैर आबंटित | 21,15.36 | 7,96.02 |
| 6 | पूंजी, निधियां एवं अधिशेष | 2,64,87.01 | 2,50,96.75 |
| | **योग** | **49,40,38.84** | **48,73,80.08** |

**टिप्पणियां:**

1. बैंक चार क्षेत्रों यथा: ट्रेज़री, रिटेल, कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग एवं अन्य बैंकिंग में परिचालन करता है. उत्पाद और सेवाओं की जोखिम प्रोफाइल और प्रकृति, लक्षित ग्राहक प्रोफाइल, बैंक की संगठनात्मक संरचना और आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली पर विचार करने के बाद, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी क्षेत्रवार रिपोर्टिंग से संबंधित लेखा मानक (एएस) 17 के अनुसार इन क्षेत्रों की पहचान की गयी है. बैंक ने कारोबार क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में प्रकट किया है. विदेशी शाखा की इस अवधि की आय और अन्य पैरामीटर, (एएस) 17 में बतायी गयी सीमा के अंतर्गत हैं. अत: बैंक का रिपोर्ट करने योग्य भौगोलिक क्षेत्र केवल एक ही है.
2. सीधे तौर पर आबंटित न किये जा सकने योग्य आय, व्यय, आस्तियां और देयताएं उचित समझे जाने वाले अनुमानों के आधार पर रिपोर्ट किये जाने वाले क्षेत्रों में आबंटित कर दिये गये हैं.
3. पिछले वर्ष के बारह महीनों/तिमाही के आकड़ों को आवश्यकतानुसार पुन: समूहीकृत/प्रस्तुत किया गया है; ताकि वर्तमान बारह महीनों/तिमाही के वर्गीकरण/प्रस्तुति के अनुरूप हो.

### 2.7 संबंधित पार्टियों का प्रकटन (एएस -18)

### 2.7.1 संबंधित पार्टियों की सूची

**(क)** समनुषंगी

- यूनियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्रा. लि.
- यूनियन ट्रस्टी कं. प्रा. लि.

- यूनियन बैक आफ इंडिया (यूके) लिमिटेड.

**(ख)** संयुक्त उद्यम

- स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.

**(ग)** एसोसिएट

- मूल बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अर्थात काशी गोमती संयुत ग्रामीण बैंक

**(घ)** प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

| नाम | पदनाम | वर्ष 2018-19 के दौरान सेवा ग्रहण करने/सेवानिवृत्त होने वाले |
|---|---|---|
| श्री राजकिरण रै जी. | प्रबंध निदेशक एवं सीईओ | लागू नहीं |
| श्री विनोद कथूरिया | कार्यपालक निदेशक | 31-07-2018 को सेवा समाप्ति |
| श्री गोपाल सिंह गुसाईं | कार्यपालक निदेशक | 20-09-2018 को पद नियुक्ति |
| श्री अतुल कुमार गोयल | कार्यपालक निदेशक | 01-11-2018 को सेवा समाप्ति |
| श्री दिनेश कुमार गर्ग | कार्यपालक निदेशक | 02-11-2018 को पद नियुक्ति |
| श्री राज कमल वर्मा | कार्यपालक निदेशक | 28-02-2019 को सेवा समाप्ति |
| श्री मानस रंजन बिस्वाल | कार्यपालक निदेशक | 01-03-2019 को पद नियुक्ति |

**वर्ष के दौरान जिन पार्टियों के साथ संव्यवहार प्रारंभ किए गए**

एएस-18 के पैरा 9 के अनुसार संबंधित पार्टियां जो "राज्य नियंत्रित उद्यम" हैं, के संबंध में किसी भी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है. आगे, एएस-18 के पैरा 5 के अनुसार, बैंकर ग्राहक संबंध की प्रकृति के संव्यवहारों, जिसमें प्रमुख प्रबंधन कार्मिक और उनके रिश्तेदार भी शामिल है, को प्रकटित नहीं किया गया है.

### 2.7.2 प्रमुख प्रबंधन कार्मिक - भुगतान किया गया पारिश्रमिक

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|---|---|---|
| **अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक** | 0.30 | 0.28 |
| **कार्यपालक निदेशकगण** | 0.75 | 0.76 |
| **योग** | 1.05 | 1.04 |

## 2.8 प्रति शेयर अर्जन (एएस-20)

प्रति शेयर अर्जन वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों के भारित औसत संख्या से कर भुगतान के बाद प्राप्त शुद्ध लाभ को विभाजित कर मूल अर्जन की गणना की गई है. डाइल्यूटेड अर्जन प्रति इक्विटी शेयर की गणना इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या एवं वर्ष के दौरान बकाया डाइल्यूटेट पोटेंशियल इक्विटी शेयरों के भारित औसत के माध्यम से की गयी है.

प्रति शेयर अर्जन की गणना नीचे दी गयी है :

| क्र. | विवरण | | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|---|---|---|---|---|
| i | मूल एवं डाइल्यूटेड ईपीएस | ₹ | (25.08) | (69.45) |
| ii | इक्विटी शेयर धारकों को कर के बाद उपलब्ध शुद्ध लाभ/(हानि) | ₹ करोड़ में | (29,47.45) | (52,47.37) |
| iii | इक्विटी शेयरों की भारित औसत | संख्या करोड़ में | 1,17.50 | 75.56 |
| iv | प्रति शेयर अंकित मूल्य | ₹ | 10 | 10 |

## 2.9 कर प्रावधान

### 2.9.1 आस्थगित कर (एएस-22)

(₹ करोड़ में)

| क्र | विवरण | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|---|---|---|---|
| | **आस्थगित कर आस्ति** | | |
| 1 | कर्मचारी लाभ (अवकाश नकदीकरण) | 2,53.83 | 2,38.91 |
| 2 | अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास | 61.38 | 14.07 |
| 3 | अन्य प्रावधानों के कारण | 72,43.21 | 66,37.39 |
| 4 | अनवशोषित हानि के कारण | 1,27.13 | 0.00 |
| | **योग** | **76,85.55** | 68,90.37 |
| | **आस्थगित कर देयताएं** | | |

| क्र | विवरण | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|---|---|---|---|
| 1 | प्रतिभूतियों पर प्राप्त ब्याज | 7,63.39 | **7,90.01** |
| 2 | धारा 36(i)(viii) के अंतर्गत विशेष रिजर्व | 10,04.64 | **9,94.98** |
| 3 | निवेश पर मूल्यह्रास | 7,45.44 | **9,12.51** |
| | **योग** | **25,13.47** | **26,97.50** |
| | **शुद्ध आस्थगित कर आस्तियां** | **51,72.08** | **41,92.87** |
| | **शुद्ध आस्थगित कर देयताएं** | **शून्य** | **शून्य** |

**2.9.2 प्रत्यक्ष कर**

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|---|---|---|
| आयकर के लिए प्रावधान (आस्थगित कर सहित) | (9,79.21) | (13,93.76) |

**2.10 संयुक्त उपक्रम में निवेश: (एएस-27)**

निवेश के अंतर्गत ₹ 65 करोड़ (गत वर्ष ₹ 65 करोड़) शामिल हैं, जो स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में बैंक की हित राशि है. यह कंपनी संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई है.

**2.11 आस्तियों की हानि (एएस-28)**

प्रबंधन की राय में वर्ष के दौरान उन आस्तियों के अनर्जक होने के कोई संकेत नहीं हैं, जिन पर लेखा मानक 28 लागू होता हो.

**2.12 आकस्मिक देयताएं (एएस-29)**

आकस्मिक देयताओं का उल्लेख अनुसूची-12 के क्र.(i) व (vi)(i) में किया गया है, जो क्रमश: न्यायालय के निर्णय/विवेचन/न्यायालय के बाहर समझौते के आधार पर मांगी गई रकम, संविदागत दायित्व, संबंधित पक्षों द्वारा की गयी मांग एवं परिस्थितियों तथा अपीलों के निस्तारण पर निर्भर है.

**3. अतिरिक्त प्रकटन**

**3.1 प्रावधान एवं आकस्मिकताएं**

(₹ करोड़ में)

| लाभ एवं हानि खाता शीर्ष के अंतर्गत "प्रावधान एवं आकस्मिकताओं" का ब्रेक-अप | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|---|---|---|
| निवेश पर मूल्य ह्रास हेतु प्रावधान/(रिवर्सल) | (4,04.37) | 15,59.99 |
| एनपीए के लिए प्रावधान | 1,14,35.39 | 1,34,99.84 |
| मानक आस्तियों के लिए प्रावधान/(रिवर्सल) | 1,40.26 | (7,20.39) |
| आय कर/संपत्ति कर/आस्थगित कर देयताएं के लिए किया गया शुद्ध प्रावधान (डीटीएल) | (9,79.21) | (13,93.76) |
| अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएं: | | |
| - शिफ्टिंग हानि | 4,10.91 | 3,67.25 |
| - अग्रिमों का पुनर्गठन | (3,56.06) | (2,35.65) |
| - अन्य | 2,21.76 | (1,90.34) |
| **योग** | **1,04,68.68** | **1,28,86.94** |

**3.2 काउंटर साइक्लीकल प्राविजनिंग बफर/फ्लोटिंग प्रावधान:**

(₹ करोड़ में)

| क्र. | विवरण | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|---|---|---|---|
| i) | प्रारंभिक शेष | 2,93.20 | 2,93.20 |
| ii) | लेखा वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान | शून्य | शून्य |
| iii) | लेखा वर्ष के दौरान आहरण द्वारा कमी की राशि | शून्य | शून्य |
| iv) | अंतिम शेष | 2,93.20 | 2,93.20 |

**3.3 आरक्षिती से आहरण :**

वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक ने आरक्षिति से ₹ 3,73.25 करोड़ आहरित किया है. जिनका विवरण निम्नानुसार है

1 - एटी-I बॉन्डस पर ब्याज के भुगतान हेतु ₹ 3,66.90 करोड़

2 - भारत सरकार एवं ईएसपीएस को शेयरों के आबंटन हेतु ₹ 6.35 करोड़ का व्यय

**3.4 शिकायतों का प्रकटन:**

**क. ग्राहक शिकायतें**

| क्र. | विवरण | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|---|---|---|---|
| (क) | वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या | 4,15 | 3,45 |
| (ख) | वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या | 4,54,306 | 4,26,046 |
| (ग) | वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या | 4,45,449 | 4,25,976 |
| (घ) | वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या | 92,72 | 4,15 |

**ख. बैंक द्वारा जारी एटीएम कार्ड के संबंध में शिकायत**

| क्र. | विवरण | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|---|---|---|---|
| (क) | वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या | 57 | शून्य |
| (ख) | वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या | 20,08,59 | 9,34,27 |
| (ग) | वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या | 20,09,16 | 9,33,70 |
| (घ) | वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या | शून्य | 57 |

उक्त के अलावा उन शिकायतों का ब्यौरा, जो विशेष रुप से अन्य बैंकों से संबद्ध हैं:

| क्र. | विवरण | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|---|---|---|---|
| (क) | वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या | 77 | 3 |
| (ख) | वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या | 65,847 | 52,743 |
| (ग) | वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या | 65,924 | 52,669 |
| (घ) | वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या | शून्य | 77 |

### ग. बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय

| क्र | विवरण | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|---|---|---|---|
| (क) | वर्ष के आरंभ में कार्यान्वित न किए गए निर्णयों की संख्या | शून्य | शून्य |
| (ख) | वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णयों की संख्या | 8 | शून्य |
| (ग) | वर्ष के दौरान कार्यान्वित निर्णयों की संख्या | 5 | शून्य |
| (घ) | वर्ष के अंत में कार्यान्वित न किए गए निर्णयों की संख्या | 3 | शून्य |

### 3.5 जारी किए गए लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) का प्रकटन

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|---|---|---|
| वर्ष के प्रारम्भ में बकाया लेटर ऑफ कम्फर्ट | 43,73.42 | 40,93.89 |
| जोड़ा : वर्ष के दौरान जारी लेटर ऑफ कम्फर्ट | 0.00 | 1,50,43.86 |
| घटाया : वर्ष के दौरान कालातीत लेटर ऑफ कम्फर्ट | 43,73.42 | 1,47,64.33 |
| वर्ष के अन्त में बकाया लेटर ऑफ कम्फर्ट | 0.00 | 43,73.42 |

### 3.6 कवरेज अनुपात का प्रावधान (पीसीआर)

| विवरण | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|---|---|---|
| कवरेज अनुपात का प्रावधान (%) | 66.24 | 57.16 |

### 3.7 बैंकाश्योरेंस कारोबार का प्रकटन:

बैंक के एश्योरेंस कारोबार से अर्जित की गयी आय का विवरण निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

| क्र | आय का स्वरूप | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|---|---|---|---|
| 1. | जीवन बीमा पॉलिसी | 84.71 | 71.33 |
| 2. | गैर-जीवन बीमा पॉलिसी | 13.43 | 9.37 |
| 3. | स्वास्थ्य बीमा | 10.95 | 8.49 |
| 4. | अन्य (निर्दिष्ट करें) | शून्य | शून्य |

### 3.8 जमाराशियों, अग्रिमों, एक्सपोज़र एवं एनपीए का केन्द्रीकरण

#### 3.8.1 जमाराशियों का केन्द्रीकरण

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|---|---|---|
| बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशि | 3,89,21.89 | 3,84,99.84 |
| बैंक की कुल जमाराशियों में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं से प्राप्त जमाराशियों का प्रतिशत | 9.35% | 9.46% |

#### 3.8.2 अग्रिमों का केन्द्रीकरण

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|---|---|---|
| बीस सबसे बड़े ऋणियों/ग्राहकों को दिए गए कुल अग्रिम | 2,79,15.00 | 2,02,43.03 |
| बैंक के कुल अग्रिमों में बीस सबसे बड़े ऋणियों को दिए गए अग्रिमों का प्रतिशत. | 8.57% | 6.83% |

#### 3.8.3 एक्सपोज़र का केन्द्रीकरण

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|---|---|---|
| बीस सबसे बड़े ऋणियों/ग्राहकों को कुल एक्सपोज़र | 5,60,65.45 | 6,13,60.94 |
| बैंक के ऋणियों/ग्राहकों के कुल एक्सपोज़र में बीस बड़े ऋणियों/ग्राहकों के एक्सपोज़र का प्रतिशत (कुल एक्सपोजर = एफ़बी:39,71,26.72 +एनएफ़बी: 8,21,85.67 + निवेश : 3,20,25.18 +डेरीवेटिव: 44,84.97 = 51,58,22.54 करोड़) | 10.86% | 12.69% |

### 3.8.4 एनपीए का केन्द्रीकरण

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|---|---|---|
| 4 बड़े एनपीए खातों में कुल एक्सपोज़र | 59,64.54 | 58,22.40 |

### 3.9 क्षेत्रवार अग्रिम

(₹ करोड़ में)

| क्र. | क्षेत्र | चालू वर्ष (वित्त वर्ष 2018-19) | | | विगत वर्ष (वित्त वर्ष 2017-18) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | कुल बकाया अग्रिम | सकल एनपीए | उस सेक्टर में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का % | कुल बकाया अग्रिम | सकल एनपीए | उस सेक्टर में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का % |
| **क** | **प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र** | | | | | | |
| 1 | कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां | 4,89,70.82 | 39,94.09 | 8.16 | 4,58,24.58 | 27,73.77 | 6.05 |
| 2 | प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के रुप में पात्र क्षेत्र के उद्योग को ऋण | 1,99,09.99 | 31,88.31 | 16.01 | 1,94,10.87 | 33,94.53 | 17.47 |
| 3 | सेवाएं | 4,72,94.20 | 65,58.02 | 13.87 | 4,40,01.70 | 63,13.41 | 14.35 |
| 4 | वैयक्तिक ऋण | 1,76,54.57 | 4,91.03 | 2.78 | 1,55,68.66 | 4,44.88 | 2.88 |
| | **उप-योग (क)** | **13,38,29.58** | **1,42,31.45** | **10.63** | **12,48,05.18** | **1,29,26.59** | **10.36** |
| **ख** | **गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र** | | | | | | |
| 1 | कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | उद्योग | 5,49,05.30 | 2,00,69.29 | 36.55 | 5,93,37.92 | 2,34,68.62 | 39.55 |
| 3 | सेवाएं | 8,81,79.22 | 1,31,94.48 | 14.96 | 8,70,29.39 | 1,20,37.44 | 13.83 |
| 4 | वैयक्तिक ऋण | 4,84,77.71 | 12,33.93 | 2.55 | 4,29,35.60 | 9,38.50 | 2.19 |
| | **उप-योग (ख)** | **19,15,62.23** | **3,44,97.70** | **18.01** | **18,93,02.91** | **3,64,44.56** | **19.25** |
| | **योग (क+ख)** | **32,53,91.81** | **4,87,29.15** | **14.98** | **3,14,108.08** | **4,93,69.93** | **15.72** |

नोट: जहां कहीं भी आवश्यक है, गत वर्ष के आकडें पुन: समेकित है.

उप क्षेत्र, जहां वित्त वर्ष 2018-19 में बकाया अग्रिम, बकाया कुल अग्रिम के 10% से अधिक रहा, निम्नानुसार हैं: **शून्य**

### 3.10 एनपीए का संचलन

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|---|---|---|
| सकल एनपीए (आरंभिक शेष) | **4,93,69.93** | **3,37,12.28** |
| वर्ष के दौरान जोड़े गये (नये एनपीए) | 1,34,53.04 | 2,13,05.35 |
| वर्तमान एनपीए में वृद्धि | 1,23.68 | 63.76 |
| उप-योग (क) | **6,29,46.65** | **5,50,81.39** |
| घटाएं: | | |
| (i) अप-ग्रेडेशन | 19,38.45 | 3,99.70 |
| (ii)वसूली (अपग्रेडेड खातों में हुई वसूली को छोड़कर) | 45,08.51 | 18,34.81 |
| (iii) राइट-ऑफ | 77,70.54 | 34,76.95 |
| **उप योग (ख)** | **1,42,17.50** | **57,11.46** |
| **31 मार्च 2018 को सकल एनपीए ( अंतिम शेष) (क-ख)** | **4,87,29.15** | **4,93,69.93** |

### 3.11 स्टॉक का तकनीकी राइट-ऑफ

(₹ करोड़ में)

| क्र. | विवरण | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|---|---|---|---|
| i) | तकनीकी/विवेकपूर्ण अपलिखित खातों का प्रारम्भिक शेष | 74,11.75 | 50,47.78 |
| ii) | जोड़ा: वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण राइट-ऑफ | 48,98.40 | 27,73.78 |
| iii) | उप-योग (क) | 1,23,10.15 | 78,21.56 |
| iv) | घटाया: वर्ष के दौरान पूर्व में तकनीकी/विवेकपूर्ण अपलिखित खातों से की गई वसूली (ख) | 8,14.00 | 4,09.81 |
| v) | अन्तिम शेष (क-ख) | 1,14,96.15 | 74,11.75 |

### 3.12 ओवरसीज आस्तियां, एनपीए एवं राजस्व

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|---|---|---|
| कुल आस्तियां | 2,17,56.88 | 3,68,19.82 |
| कुल एनपीए | 11,74.72 | 35,45.48 |
| कुल राजस्व | 10,37.01 | 12,55.60 |

### 3.13 बैंक द्वारा प्रायोजित कोई एसपीवी ऑफ-बैलेंस शीट नहीं है.

### 3.14 अपरिशोधित पेंशन व ग्रेच्युटी देयताएं

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|---|---|---|
| पेंशन | | |

| | | |
|---|---|---|
| क) लाभ-हानि खाते से प्रभारित किया गया | शून्य | शून्य |
| ख) आगे ले जाया गया | शून्य | शून्य |
| ग्रेच्युटी | | |
| क) लाभ-हानि खाते से प्रभारित किया गया | शून्य | शून्य |
| ख) आगे ले जाया गया | शून्य | शून्य |

**3.15 सिक्यूरीटाइजेशन संबंधी प्रकटन**

31 मार्च, 2019 तक सिक्यूरीटाइजेशन संव्यवहारों हेतु बैंक में कोई स्पेशल पर्पज वेहिकल (एसपीवी) नहीं थी.

**3.16 क्रेडिट डिफाल्ट स्वैप:**

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक ने कोई भी क्रेडिट डिफाल्ट स्वैप संव्यवहार नहीं किया.

**3.17 इंट्रा ग्रुप एक्पोज़र**

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|---|---|---|
| इंट्रा ग्रुप एक्पोज़र की कुल राशि | 14,60,05.02 | 14,82,77.91 |
| 20 बड़े इंट्रा ग्रुप एक्पोज़र की कुल राशि | 7,88,39.63 | 8,28,36.01 |
| बैंक के ऋणियों/ग्राहकों के कुल एक्सपोज़र में इंट्रा ग्रुप एक्सपोज़र का प्रतिशत (एक्सपोज़र=51,58,22.54 करोड) | 15.28% | 17.04% |
| इंट्रा ग्रुप एक्सपोज़र पर ऋण सीमा के उल्लंघन का विवरण एवं नियामक द्वारा उस पर की गयी कार्रवाई. | शून्य | शून्य |

**3.18 जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरुकता निधि (डीईएएफ) में अंतरण**

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|---|---|---|
| डीईएएफ को अंतरित राशि का प्रारम्भिक शेष | 9,73.77 | 8,22.22 |
| जोड़ा : वर्ष के दौरान डीईएएफ में अंतरित की गयी राशि | 2,02.65 | 1,93.46 |
| घटाया : डीईएएफ द्वारा दावे के रुप में प्रतिपूर्ति की गयी राशि | 30.21 | 41.91 |
| डीईएएफ को अंतरित राशि का अन्तिम शेष | 11,46.21 | 9,73.77 |

**3.19 अन-हेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र (यूएफसीई)**

यूएफ़सीएफ़ के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने वर्ष 2018-19 के लिए ग्राहक के अन-हेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र पर एक नीति अनुमोदित की है. बैंक नीति बनाते समय, फोरेक्स मार्केट में होने वाले उतार-चढ़ाव के कारण होने वाले जोखिमों को ध्यान में रखा गया है एवं तदनुसार जोखिमों को कम करने के लिए उपयुक्त प्रावधान किए गए हैं. बैंक ने अन-हेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र से होने वाली क्रेडिट जोखिमों को ध्यान में रखा है एवं तदनुसार अतिरिक्त ऋण मूल्य निर्धारण फ्रेमवर्क को शामिल कर जोखिम को कम करने के उपायों को अपनाया है. मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान यूएफसीई के साथ कम्पनियों के एक्सपोज़र के लिए कुल प्रावधान ₹23.32 करोड़ किया गया.

**4. तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर)**

**4.1** एलसीआर का उद्देश्य बैंक द्वारा पर्याप्त स्तर की भारमुक्त उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियों (एचक्यूएलए) का रखरखाव सुनिश्चित करना है, ताकि आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट अत्यधिक गम्भीर तरलता दबाव के अन्तर्गत उसे अपनी तरलता आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 30 कैलेंडर दिवस के अंदर नकदी में परिवर्तित किया जा सके.
एलसीआर का अनुपात एचक्यूएलए का शुद्ध नकदी बहिर्प्रवाह है.

$$\text{एलसीआर} = \frac{\text{एचक्यूएलए}}{\text{30 दिनों में शुद्ध नकद बहिर्प्रवाह}}$$

एलसीआर के लिए न्यूनतम आवश्यकता आरबीआई द्वारा कैलेंडर वर्ष 2019 के लिए 100% निर्धारित की गयी है. एलसीआर बैंक के घरेलू एवं विदेशी परिचालनों में लागू है.

भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, एलसीआर को दिनांक 1 जनवरी, 2015 से 60% की न्यूनतम आवश्यकता के साथ चरणबद्ध तरीके से प्रारम्भ किया गया है तथा 1 जनवरी, 2019 को 100% तक प्राप्त कर लिया है.

| | 1 जनवरी, 2015 | 1 जनवरी, 2016 | 1 जनवरी, 2017 | 1 जनवरी, 2018 | 1 जनवरी, 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| न्यूनतम एलसीआर | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |

**एचक्यूएलए:**

तरल आस्तियां उच्च गुणवत्ता वाली आस्तियां होती हैं, जिन्हें आसानी से बेचा जा सकता है अथवा लगातार दबाव के समय सम्पार्श्विक के रुप में निधियों को प्राप्त करने में प्रयोग किया जा सकता है. उन्हें भार रहित अर्थात विधिक, नियामक अथवा परिचालानात्मक अवरोधों के बिना होना चाहिए. ऐसी आस्तियां उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां होती है, जो बिना किसी अवरोध के एवं कम अथवा बिना किसी मूल्य हानि के सरलता से एवं तत्काल नकदी में परिवर्तित हो जाती हैं.

एचक्यूएलए की दो श्रेणियां ए) स्तर-1 आस्तियां, एवं बी) स्तर- 2 आस्तियां होती हैं. स्तर-2 आस्तियों को तरलता एवं मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर पुन: दो भाग स्तर 2ए आस्तियों एवं स्तर 2बी आस्तियों में विभाजित किया जाता है.

स्तर 1 बिना किसी मार्जिन के एचक्यूएलए में शामिल स्टॉक आस्तियां हैं. स्तर-1आस्तियों में मुख्य रूप से सीआरआर का आधिक्य सहित नकदी, एसएलआर का आधिक्य, एमएसएफ़ (एनडीटीएल का 2%) एवं एफ़एएलएलसीआर (एनडीटीएल का 13%) शामिल हैं. भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्धारित अवधि में एफ़एएलएलसीआर लिमिट को बढ़ाया है और यह 1 अक्तूबर, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक यह 13% है. भारतीय रिजर्व बैंक परिपत्र दिनांक 19 अक्तूबर, 2018 के अनुसार एनबीएफ़सी एंड एचएफ़सी के वृद्धिशील ऋण को भी एचक्यूएलए के कुल स्टॉक में शामिल किया गया है.

स्तर 2 ए आस्तियों के चालू बाजार मूल्य पर 15% कटौती की गई है. स्तर 2 ए आस्तियों में मुख्य रूप से 20% जोखिम भारित के साथ प्रतिभूतियाँ शामिल हैं. स्तर 2 बी आस्तियों में चालू बाजार मूल्य पर 50% कटौती की गई है. स्तर 2 बी आस्तियां एचक्यूएलए के कुल स्टॉक के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए. स्तर 2 बी आस्तियां जिनका जोखिम भार मुख्य रूप से 20% से अधिक, परंतु 50% से अधिक नहीं है जोखिम भार वाली प्रतिभूतियां होती हैं.

शुद्ध नकदी प्रवाह

कुल अनुमानित नकदी बहिर्प्रवाह को कुल अनुमानित नकदी अंतर्प्रवाह से घटाने पर कुल शुद्ध नकदी प्रवाह परिभाषित होता है. नकद प्रवाह सुनिश्चित करने के क्रम में, बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, अपनी जमा पूंजी को ग्राहकों के विभिन्न संवर्ग में जैसे रिटेल (जिसमें आम जन से जमा लेना भी शामिल है), लघु कारोबार ग्राहकों (जिनका सकल निधियन ₹5 करोड़ है) एवं गैर वित्तीयन ग्राहकों (एनएफ़सी) से जमा तथा अन्य विधिक अस्तित्व वाले ग्राहकों (ओएलई) को पृथक करता है. कुल

अनुमानित नकदी बहिर्प्रवाह के 75% तक की समग्र कैप तक, अपेक्षित प्रवाह के दर से संविदात्मक प्राप्तियों के विभिन्न श्रेणियों के बकाया राशियों को गुणा कर कुल अनुमानित नकदी अंतरप्रवाह का आकलन किया जाता है.

**बैंक के एलसीआर के बारे में संक्षिप्त जानकारी**

दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्ति पर तीन महीने के दौरान बैंक ने औसत एचक्यूएलए ₹8,78,58.45 करोड़ को बनाए रखा है. बैंक के लिए स्तर 1 आस्तियां एचक्यूएलए की मुख्य संचालक हैं. इनमें एचक्यूएलए के कुल स्टॉक का 90.47% योगदान है. दिनांक 31 मार्च, 2019 की समाप्त तिमाही के दैनिक औसत के आधार पर, एचक्यूएलए का अधिकतम भाग अर्थात कुल एचक्यूएलए का लगभग 62% चलनिधि कवरेज अनुपात के लिए तरलता की सुविधा उपलब्ध है. स्तर 2 आस्तियां जो, स्तर 1 की तुलना में गुणवत्ता में कम है, उनमें 40% की अधिकतम स्वीकार्य/अनुमत स्तर के सापेक्ष एचक्यूएलए के कुल स्टॉक का 9.53% है.

बैंक का एक्सपोजर मुख्यत: भारतीय रुपए में है. कुल निधियन स्त्रोतों का बड़ा भाग असुरक्षित संपूर्ण निधियन से बना है. रिटेल जमा और लघु व्यवसाय ग्राहकों से जमा, कुल भारित नकदी बहिर्प्रवाह का क्रमश: लगभग 27% और 6% है. कुल भारित नकदी बहिर्प्रवाह का लगभग 36%गैर वित्तीयन कॉर्पोरेट से जमा है. बैंक के ग्राहकों की ओर से जमा की गई राशि में मूलत: बैंक के ग्राहकों की ओर से जारी बैंक गारंटी एवं साख पत्र सामिल है. कुल भारित नकद अंतर्प्रवाहों में लगभग 65% विभिन्न प्रतिपक्षकारों के अंतर्प्रवाह का योगदान है.

बैंक ने मार्च, 2019 तिमाही के सभी कार्य दिवसों के लिए चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) की गणना की है. 69 डाटा पॉइंट्स के दैनिक अवलोकन के औसत की गणना की गई है. 31 मार्च, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए औसत चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) मार्च, 2018 को समाप्त तिमाही के 102.26% के सापेक्ष 156.87% है एवं वर्तमान वर्ष 2019 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम आवश्यकता 100% से अधिक है. वार्षिक औसत एलसीआर 128.76% है, जो वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक के तिमाही औसत एलसीआर का औसत है.

**4.2 मात्रात्मक प्रकटीकरण:**

(₹ करोड़ में)

| वार्षिक एलसीआर प्रकटन - लेखापरीक्षित | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | वित्तीय वर्ष 2018-19 | | वित्तीय वर्ष 2017-18 | |
| | | कुल अभारित मूल्य (औसत) | कुल भारित मूल्य (औसत) | कुल अभारित मूल्य (औसत) | कुल भारित मूल्य (औसत) |
| **उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां** | | | | | |
| 1 | कुल उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां (एचक्यूएलए) | 8,35,58.34 | 8,19,45.45 | 7,30,99.13 | 7,04,81.50 |
| **नकदी बहिर्प्रवाह** | | | | | |
| 2 | खुदरा जमा राशियां एवं लघु कारोबारी ग्राहकों की जमाराशियां, जिसमें से | 25,65,04.76 | 2,23,75.80 | 23,95,49.43 | 2,08,20.47 |
| | (i) स्थिर जमा राशियां | 6,54,93.52 | 32,74.68 | 6,26,89.40 | 31,34.47 |
| | (ii) घटाई गई स्थिर जमा राशियां | 19,10,11.24 | 1,91,01.12 | 17,68,60.03 | 1,76,86.00 |
| 3 | बेजमानती थोक निधियां, जिसमें से | 9,37,99.91 | 4,68,91.01 | 10,93,80.91 | 5,37,93.86 |
| | (i) परिचालानात्मक जमाराशियां (सभी काऊंटर पार्टियां) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | (ii) गैर-परिचालानात्मक जमाराशियां (सभी काऊंटर पार्टियां) | 9,37,99.91 | 4,68,91.01 | 9,26,45.08 | 3,70,58.03 |
| | (iii) बेजमानती ऋण | | | 1,67,35.83 | 1,67,35.83 |
| 4 | जमानती थोक निधियां | 30,25.60 | 6,96.68 | 87,75.27 | 42,91.76 |
| 5 | अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिसमें से | 2,58,66.39 | 30,92.88 | 2,13,66.66 | 14,42.92 |
| | (i) डेरीवेटिव एक्सपोज़र एवं अन्य सम्पार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्प्रवाह | 70.89 | 70.89 | 10.40 | 10.40 |
| | (ii)ऋण उत्पादों पर निधियों में हानि से संबंधित बहिर्प्रवाह | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | (iii) ऋण एवं तरलता सुविधाएं | 2,57,95.50 | 30,21.99 | 2,13,56.26 | 14,32.52 |
| 6 | अन्य संविदात्मक निधि बाध्यता | 31,58.25 | 31,58.25 | 14,52.43 | 14,52.43 |
| 7 | अन्य आकस्मिक निधि बाध्यता | 4,21,97.40 | 12,65.99 | 4,32,39.33 | 11,55.75 |
| **8** | **कुल नकदी बहिर्प्रवाह** | 42,45,52.31 | 7,74,80.62 | 42,37,64.03 | 8,29,57.20 |
| **नकदी अंतर्प्रवाह** | | | | | |
| 9 | जमानती अग्रिम (उदाहरणार्थ रिवर्स रेपो) | 29,52.84 | 0.00 | 13,81.31 | 0.00 |
| 10 | पूर्ण निष्पादनीय एक्सपोज़र से अंतर्प्रवाह | 36,22.77 | 36,22.77 | 39,26.07 | 39,26.07 |
| 11 | अन्य नकद अंतर्प्रवाह | 1,44,65.45 | 1,02,14.13 | 1,94,06.29 | 1,29,11.91 |
| **12** | **कुल नकद अंतर्प्रवाह** | **2,10,41.07** | **1,38,36.90** | **2,47,13.67** | **1,68,37.98** |
| | | | **कुल समायोजित मूल्य** | | **कुल समायोजित मूल्य** |
| **13** | **कुल एचक्यूएलए** | | **8,19,45.45** | | **7,04,81.50** |
| **14** | **कुल शुद्ध नकद बहिर्प्रवाह** | | **6,36,43.71** | | **6,61,19.23** |
| **15** | **तरलता कवरेज अनुपात (%)** | | **128.76%** | | **106.60%** |

**5. अचल आस्तियां:**

क) बैंक द्वारा धारित ₹1.98 करोड़ (पिछले वर्ष ₹29.26 करोड़) की ह्रासित मूल्य की 3 (पिछले वर्ष 3) अचल संपत्तियों के संबंध में दस्तावेजीकरण औपचारिकताएं अभी पूरी की जानी हैं, इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई पहले ही प्रारंभ की जा चुकी है.

ख) भूमि और भवन का पुनर्मूल्यांकन उचित बाजार मूल्य पर एक अनुमोदित मूल्यांकक द्वारा दिनांक 31.03.1995 को किया गया था, जिसे 30.11.2007 को अनुमोदित मूल्यांककों द्वारा उचित बाजार मूल्य पर पुनर्मूल्यांकित किया गया था. इन पुनर्मूल्यांकनों में हुई मूल्य वृद्धि अर्थात दिनांक 31.03.1995 के अनुसार ₹456.59 करोड़ और 30.11.2007 के अनुसार ₹1290.68 करोड़ की रकम को पुनर्मूल्यांकन आरक्षिती में जमा किया गया है और उस पर ₹56.56 करोड़ के मूल्यह्रास (पिछले वर्ष ₹34.62 करोड़) को उसमें से घटाया गया है. एएस-10 के अनुसार पुनर्मूल्यांकित भाग पर मूल्यह्रास को पुनर्मूल्यांकन रिजर्व से डेबिट किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष में पुनर्मूल्यांकन रिजर्व घटकर ₹107.07 करोड़ हो गया.

**6. धोखाधड़ी के पता लगाये गये/रिपोर्ट किये गये मामले**

(₹ करोड़ में)

| वर्ष के दौरान पता लगाये गये धोखाधड़ी के मामले | पता लगाये गये धोखाधड़ी के मामलों की संख्या | ऐसी धोखाधड़ी में अंतर्निहित राशि | 31/03/2018 तक बकाया राशि | 31/03/2018 तक किया गया प्रावधान | 31/03/2018 तक अपरिशोधित प्रावधान |
|---|---|---|---|---|---|
| योग | 2,84 | 65,16.88 | 59,33.30 | 58,44.71 | 88.58 |

**7. बहियों का मिलान, अंतरशाखा/बैंक लेनदेनों का मिलान**

विदेशी बैंकों व अन्य बैंकों में राशि की पुष्टि/मिलान प्राप्त कर लिया गया है/किया गया है.

उचंत खाता, विविध जमाखाता, समाशोधन समायोजन, बैंक समाधान विवरण और विभिन्न अंतरशाखा/कार्यालय खातों में बकाया प्रविष्टियों का समायोजन निरंतर आधार पर जारी है.

उसकी (i) एवं (ii) की लंबित अंतिम मंजूरी का खातों पर समग्र प्रभाव, यदि कोई होता है, तो वह प्रबंधन की राय में महत्वपूर्ण नहीं होगा.

**8. भारतीय लेखा मानकों के कार्यान्वयन हेतु रोडमैप (आईएनडी- एएस)**

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अपने परिपत्र DBR.BP.BC.No-76/21.07.001/2015-16 दिनांक 11 फरवरी, 2016 के माध्यम से बैंकों में भारतीय लेखा मानकों (आईएनडी- एएस) के कार्यान्वयन हेतु रोडमैप निर्धारित किया तथा बैंकों को इस संबंध में हुए प्रगति सहित अपनी आईएनडी-एएस के कार्यान्वयन की रणनीति का प्रकटन करना था. तदनुसार बैंक द्वारा आईएनडी-एएस के कार्यान्वयन हेतु एक सलाहकार की नियुक्ति की गई है. बैंक द्वारा इस संबंध में हुई प्रगति का निरीक्षण करने हेतु संचालन समिति का भी गठन किया गया है तथा निदेशक मण्डल की लेखा परीक्षा समिति को समय-समय पर इससे अवगत कराया जाता है. इसके अतिरिक्त, DO.DBR.BP.No.2535/21.07.001/2017-18 दिनांक 13 सितंबर 2017 के अनुसार, बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक तिमाही आधार पर आईएनडी-एएस वित्तीय विवरण प्रोफॉर्मा प्रस्तुत किया है. दिनांक 31 दिसंबर, 2018 को समाप्त तिमाही का नवीनतम प्रोफ़ार्मा वित्तीयन 04 फरवरी, 2019 को भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत किया गया था. आईएनडी-एएस के अनुरूप संगणना को शुरू करने के लिए बैंक ने सितंबर 2018 में सॉफ्टवेयर सोल्यूशंस की खरीद हेतु आरएफ़पी जारी की है. बोली लगाने वालों का तकनीकी मूल्यांकन पूरा हो गया है एवं वाणिज्यिक मूल्यांकन के बाद जल्द ही सॉफ्टवेयर वेंडर को निर्धारित कर लिया जाएगा. हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्रमांक आरबीआई/2018-2019/146 डीबीआर. बीपी. बीसी. नं 29/21.07.001/2018-19 दिनांक 22 मार्च, 2019 के आधार पर आईएनडी-एएस कार्यान्वयन को आगे की सूचना तक स्थगित कर दिया गया है.

**9. कॉर्पोरेट कर निर्धारण:**

विद्यमान और लंबित दोनों ही करों के लिए कर प्रावधान किया जाता है. लागू कर दरों एवं कर नियमों के आधार पर कर योग्य आय पर विद्यमान कर प्रदान किया जाता है. समयान्तर के कारण उत्पन्न लंबित कर आस्तियों एवं लंबित कर देयताएं, जो आने वाले अवधि में परिवर्तनीय होती हैं, उनकी पहचान लागू किए गए या तुलन पत्र की तिथि तक पर्याप्त रूप से अधिनियमित कर दरों एवं कर नियमों के आधार पर की जाती है.

लंबित कर आस्तियों की पहचान तभी की जाती है, जब भविष्य में ऐसे आस्तियों की वसूली लगभग निश्चित हो. वर्ष के दौरान हुई प्रगति के आधार पर प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि को लंबित कर आस्तियों/देयताओं की समीक्षा की जाती है.

**10. निवेश**

I. "परिपक्वतता तक धारित" श्रेणी की प्रतिभूतियों से हुई बिक्री से अर्जित लाभ ₹71.60 करोड़ (पिछले वर्ष ₹2,42.86 करोड़) को प्रारम्भ में लाभ और हानि खाते में ले लिया गया.

II. "परिपक्वतता तक धारित" श्रेणी के संदर्भ में, जैसाकि महत्वपूर्ण लेखांकन नीति क्रमांक 4 (ii)(ए)में कहा गया है, वित्त वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों के अंकित मूल्य से अधिग्रहण लागत की आधिक्य राशि ₹2,38.47करोड़(पिछले वर्ष ₹2,45.46 करोड़) को परिशोधित किया गया है.

III. शेयरों, परिवर्तनीय डिबेंचरों व इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड की इकाइयों/उद्यम पूंजी कोष में किया गया कुल निवेश व शेयरों के सापेक्ष कुल अग्रिम ₹16,82.61 करोड़ है (पिछले वर्ष ₹17,78.72 करोड़ था).

**11.** चालू वर्ष के दौरान, कोई मद अवधि से पहले की नहीं है एवं लेखा नीति (एएस-5 के अनुसार) में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है एवं परिचालनों को बंद नहीं किया गया है (एएस-24 के अनुसार).

**12.** जहां-कहीं आवश्यक है, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्समूहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है.

**(धीरेन्द्र जैन)**
उप महा प्रबंधक

**(बी. श्रीनिवास राव)**
महा प्रबंधक एवं सीएफओ

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

**(मानस रंजन बिस्वाल)**
कार्यपालक निदेशक

**(दिनेश कुमार गर्ग)**
कार्यपालक निदेशक

**(गोपाल सिंह गुसाईं)**
कार्यपालक निदेशक

**(राजकिरण रै जी.)**
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

**(केवल हांडा)**
अध्यक्ष

**(डॉ. मदनेश कुमार मिश्रा)**
निदेशक

**(अरूण कुमार सिंह)**
निदेशक

**(राजीव कुमार सिंह)**
निदेशक

**(डॉ. मदुरा स्वामीनाथन)**
निदेशक

**(डॉ. उत्तम कुमार सरकार)**
निदेशक

**(के. केदिरेसन)**
निदेशक

**(जयदेव एम)**
निदेशक

हमारी उक्त तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार.

**कृते एस. भंडारी एंड कं.**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 000560C

**कृते सी एन के एंड एसोसिएट्स एलएलपी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 101961W/W-100036

**कृते कीर्तने एंड पंडित एलएलपी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 105215W/W-100057

**(पी पी पारीक )**
भागीदार
(सदस्य.सं. 071213)

**(सुरेश एस अगस्कर)**
भागीदार
(सदस्य.सं. 110321)

**(एस बी भागवत)**
भागीदार
(सदस्य.सं. 008072)

**कृते आर एस पटेल एंड कं.**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 107758W

**कृते एम जी बी एंड कं. एलएलपी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 101169W/W-100035

**कृते बी एम चतरथ एंड कं. एलएलपी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 301011E/E300025

**(राजन बी शाह)**
भागीदार
(सदस्य.सं. 101998)

**(संजय कोठारी)**
भागीदार
(सदस्य.सं. 048215)

**(आनंद चतरथ)**
भागीदार
(सदस्य.सं. 052975)

स्थान : मुंबई
दिनांक : 14 मई, 2019

# 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष का स्टैंडअलोन नकदी प्रवाह विवरण

(₹ लाख में)

| क्र.सं. | विवरण | 31.03.2019 को समाप्त वर्ष | 31.03.2018 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|---|
| क | **परिचालन कार्यों से नकदी प्रवाह:** | | |
| | कर से पहले निवल लाभ | (39,26,66) | (66,41,13) |
| | निम्न के लिए समायोजन : | | |
| | अचल संपत्तियों पर मूल्य ह्रास | 3,68,04 | 3,62,71 |
| | निवेशों पर मूल्य ह्रास | 6,54 | 19,27,25 |
| | गैर निष्पादित आस्तियों के लिए प्रावधान (निवल) | 1,14,35,40 | 1,34,99,84 |
| | मानक आस्तियों के लिए प्रावधान | (2,43,17) | (12,51,87) |
| | स्टाफ संबंधी व्ययों हेतु प्रावधान | 1,36,95 | 2,16,36 |
| | अन्य प्रावधान | 9,13 | 5,49 |
| | अचल अस्तियों की बिक्री/निपटान से (लाभ)/हानि | (2,97) | 8,47 |
| | उधारी पर ब्याज : पूंजीगत साधन | 10,75,01 | 11,66,38 |
| | **उप योग** | **88,58,27** | **92,93,50** |
| | **निम्न के लिए समायोजन:** | | |
| | जमाराशियों में वृद्धि/(कमी) | 74,13,64 | 3,26,02,63 |
| | अन्य देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि/(कमी) | 5,74,88 | (17,59,19) |
| | निवेश में (वृद्धि)/कमी | (22,28,13) | (1,35,32,39) |
| | अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी | (1,92,50,91) | (1,55,58,28) |
| | अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी | (16,81,81) | (23,20,06) |
| | प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (रिफंड के बाद निवल) | (9,31,88) | (25,56,38) |
| | **परिचालन कार्यों से निवल नकदी प्रवाह (क)** | **(72,45,95)** | **61,69,83** |
| ख | **निवेश कार्यों से नकदी प्रवाह** | | |
| | अचल संपत्तियों की खरीद | (3,09,81) | (3,23,92) |
| | अचल आस्तियों की बिक्री के आगम | 17,58 | 4,99 |
| | सहायक कंपनियों में निवेश में (वृद्धि)/कमी | (70,84) | (24,14) |
| | **निवेश कार्यों से निवल नकदी प्रवाह (ख)** | **(3,63,07)** | **(3,43,07)** |
| ग | **वित्तपोषण कार्यों से नकदी प्रवाह :** | | |
| | इक्विटी शेयर कैपिटल को जारी करने से प्राप्त आगम शेयर प्रिमियम (निवल) सहित | 46,73,97 | 70,47,19 |
| | पूंजीगत लिखतों के निर्गमन से प्राप्त आगम राशि | 0 | 3,00,00 |
| | पूंजीगत लिखतों की चुकौती | (15,40,00) | 0 |
| | पूंजीगत लिखतों के अतिरिक्त उधारी मे (वृद्धि)/कमी | (12,76,95) | 41,54,90 |
| | उधारी पर प्रदत्त ब्याज : पूंजीगत लिखत | (6,43,24) | (7,10,15) |
| | **वित्तपोषण कार्यों से निवल नकदी प्रवाह (ग)** | **12,13,78** | **1,07,91,94** |
| | **नकदी एवं नकदी समकक्ष में निवल वृद्धि/(कमी) (क)+(ख)+(ग)** | **(63,95,23)** | **1,66,18,70** |
| | **वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी समकक्ष** | **4,94,41,20** | **3,28,22,50** |
| | **वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समकक्ष** | **4,30,45,97** | **4,94,41,20** |

## 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष का स्टैंडअलोन नकदी प्रवाह विवरण

(₹ लाख में)

| क्र.सं. | विवरण | 31.03.2019 को समाप्त वर्ष | 31.03.2018 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|---|
| घ | **वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी समकक्ष** | | |
| | नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा शेष (विदेशी मुद्रा सहित) | 2,10,16,47 | 1,65,20,45 |
| | बैंकों के पास जमा और मांग पर देय जमा | 2,84,24,73 | 1,63,02,05 |
| | **वर्ष के आरंभ में निवल नकदी एवं नकदी समकक्ष** | **4,94,41,20** | **3,28,22,50** |
| ङ | **वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समकक्ष** | | |
| | नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा शेष (विदेशी मुद्रा सहित) | 2,07,96,46 | 2,10,16,47 |
| | बैंकों के पास जमा और मांग पर देय जमा | 2,22,49,51 | 2,84,24,73 |
| | **वर्ष के अंत में निवल नकदी एवं नकदी समकक्ष** | **4,30,45,97** | **4,94,41,20** |

जहां कहीं आवश्यक था, पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण/प्रस्तुतिकरण के अनुरुप पुनर्समूहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है.

| **(मानस रंजन बिस्वाल)** | **(दिनेश कुमार गर्ग)** | **(गोपाल सिंह गुसाईं)** | **(राजकिरण रै जी.)** | **(केवल हांडा)** |
|---|---|---|---|---|
| कार्यपालक निदेशक | कार्यपालक निदेशक | कार्यपालक निदेशक | प्रबंध निदेशक एवं सीईओ | अध्यक्ष |

**लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र :**

हम, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अधोहस्ताक्षरी लेखापरीक्षकों ने 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के उपर्युक्त नकदी प्रवाह विवरण का सत्यापन किया है. यह विवरण इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी एएस-3 'नकदी प्रवाह विवरण' के अनुरूप अप्रत्यक्ष पद्धति तथा सेबी (लिस्टिंग दायित्व एवं आवश्यक प्रकटीकरण) विनियमन 2015 की अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किया गया है और सदस्यों को 14 मई 2019 की हमारी रिपोर्ट में सम्मिलित बैंक के लाभ हानि खाते तथा तुलन पत्र पर आधारित और उसके अनुरूप है.

**कृते एस. भंडारी एंड कं.**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 000560C
**(पी पी पारीक )**
भागीदार
(सदस्य. संख्या : 071213)

**कृते सी एन के एंड एसोसिएट्स एलएलपी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 101961W/W-100036
**(सुरेश एस अगस्कर)**
भागीदार
(सदस्य. संख्या : 110321)

**कृते कीर्तने एंड पंडित एलएलपी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 105215W/W-100057
**(एस बी भागवत)**
भागीदार
(सदस्य. संख्या : 008072)

**कृते आर एस पटेल एंड कं.**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 107758W
**(राजन बी शाह)**
भागीदार
(सदस्य. संख्या : 101998)

**कृते एम जी बी एंड कं. एलएलपी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 101169W/W-100035
**(संजय कोठारी)**
भागीदार
(सदस्य. संख्या : 048215)

**कृते बी एम चतरथ एंड कं. एलएलपी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 301011E/E300025
**(आनंद चतरथ)**
भागीदार
(सदस्य. संख्या : 052975)

स्थान : मुंबई
दिनांक : 14 मई, 2019

# स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

**निदेशक मंडल**

**समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षण पर रिपोर्ट**

**सम्मति**

1. हमने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ("बैंक"), इसकी सहायक कंपनियों, एसोसिएट्स एवं संयुक्त उपक्रम (साथ में 'समूह' के रूप में संदर्भित) सहित समेकित वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षा किया है, जिसमें 31 मार्च, 2019 का समेकित तुलन पत्र तथा समाप्त वर्ष का समेकित लाभ व हानि खाता एवं समेकित नकदी प्रवाह विवरण तथा समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स, महत्वपूर्ण खाता नीतियों के सारांश व अन्य व्याख्यात्मक सूचना (इसके बाद से 'समेकित वित्तीय विवरणों' के रूप में संदर्भित) शामिल है.

2. हमारी राय व सर्वोत्तम जानकारी में तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण एवं हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर तथा सहायक कंपनियों, संयुक्त उपक्रमों, एक एसोसिएट के पृथक वित्तीय विवरणों एवं नीचे अनुच्छेद 8 में संदर्भित मामले के संबंध में, समेकित वित्तीय विवरण में बैंक के संबंध में आवश्यक जानकारी बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अपेक्षानुसार हैं और भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखामानकों के अनुरूप है और :

   (ए) यथा 31 मार्च 2019 को समूह के मामलों की दशा में समेकित तुलन पत्र के मामले में सही व निष्पक्ष

   (बी) उसी तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित लाभ एवं हानि खाता के मामले में हानि का वास्तविक राशि; एवं

   (सी) उसी तारीख को समाप्त वर्ष हेतु समेकित नकदी प्रवाह विवरण के संबंध में सही व निष्पक्ष दृष्टिकोण दर्शाया गया है.

**अभिमत का आधार**

हमने अपना लेखा परीक्षण, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार किया है. उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियाँ हमारे रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरणों के खंड के लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित है. हम आईसीएआई द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार समूह से स्वतंत्र हैं जो आम तौर पर भारत में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक है, जिसमें आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक शामिल हैं और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 ('धारा') की धारा 29 के प्रावधान और भारतीय रिजर्व बैंक ('भारिबै') द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्रों और दिशानिर्देशों और हमने अपनी इन आवश्यकताओं तथा आचार संहिता सहित अन्य नैतिक जिम्मेदारियों के अनुसार पूरा किया है. हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य, हमारी लेखापरीक्षा अभिमत का आधार बनाने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है.

**मुख्य लेखा परीक्षा मामले**

4. मुख्य लेखा परीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, चालू अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण थे. इन मामलों को समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरणों में हमारे लेखापरीक्षा के संदर्भ में बताया गया था, और उसके बाद हमारा अभिमत बनाने तथा इन मामलों पर हम एक अलग अभिमत प्रदान नहीं करते हैं. हमने अपनी रिपोर्ट में जानकारी प्रदान करने हेतु निम्नलिखित मुख्य लेखा परीक्षा मामलों को निर्धारित किया है:

| . नध. | मुख्य लेखा परीक्षा मामले | हमारी रिपोर्ट में मामलों को कैसे बताया गया है |
|---|---|---|
| 1. | **सूचना प्रद्योगिकी (आईटी) प्रणाली एवं वित्तीय रिपोर्टिंग पर नियंत्रण** | |
| | बैंक की वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग प्रणाली, कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) के प्रभावी कामकाज तथा सीबीएस से जुड़े अन्य आईटी प्रणालियों या स्वतंत्र रूप से कार्य करने पर अत्यधिक निर्भर है. लेनदेन की व्यापक मात्रा, विविधता एवं जटिलता को दैनिक रूप से संसाधित किया जाता है तथा वहाँ एक जोखिम है जो स्वचालित लेखांकन प्रक्रियाएं तथा इससे संबंधित आंतरिक नियंत्रण सही ढंग से डिजाइन तथा प्रभावी रूप से संचालन नहीं हो सकते हैं. विशेष क्षेत्र का फोकस लॉजिक से संबंधित है, जो कि सिस्टम में डेटा की शुद्धता और विश्वसनीयता, एसेस प्रबंधन तथा कर्तव्यों के पृथक्करण को भरा जाता है. ये अंतर्निहित सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये सुनिश्चित करते हैं कि आवेदन एवं डेटा उचित, अधिकृत, शोधित तथा जांचे गए हैं ताकि सिस्टम वास्तविक एवं विश्वसनीय रिपोर्ट/रिटर्न | हमारे लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं में परीक्षण जांच के आधार पर सिस्टम से जेनरेट अन्य वित्तीय एवं गैर-वित्तीय सूचना का सत्यापन कर आईटी प्रणाली के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का सत्यापन, परीक्षण और समीक्षा करना शामिल है. हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं में शामिल है :<br>• यह सुनिश्चित करना कि परीक्षण जांच आधार पर हमारे सत्यापन में कमियों को सुधारात्मक कार्रवाई हेतु प्रबंधन को सूचित किया गया है.<br>• क्षेत्रों में कमियों को देखा गया है कि मौलिक परीक्षण की तरह स्वतंत्र वैकल्पिक लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं का पालन किया गया है.<br>• अनुपात विश्लेषण, ट्रेंड विश्लेषण, उचित परीक्षण, तुलनात्मक विश्लेषण की तरह विश्लेषणात्मक प्रक्रिया;<br>• सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा निष्पादित कार्य पर विश्वास एवं |

| | | |
|---|---|---|
| | तथा अन्य वित्तीय और गैर-वित्तीय सूचना जेनरेट कर सके जिसे कि वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुति हेतु उपयोग किया जा सके.<br><br>हमने निम्नलिखित के लिए सीबीएस एवं अन्य आईटी प्रणालियों के निरंतर एवं सटीक कामकाज पर विश्वास जताया है.<br>• भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आस्ति वर्गीकरण एवं आय निर्धारण<br>• अग्रिम संविभाग पर प्रावधान<br>• विभिन्न वर्गों में अग्रिमों एवं देयता मदों की पहचान एवं इसकी परिपक्वता का स्वरूप;<br>• उचंत एवं विविध खातों, अवैयक्तिक खाता एवं पुराने तथा अंतर-शाखा शेष तथा अन्य ऐसे खातों का समाधान<br>• निवेश लेनदेनों की रिकॉर्डिंग<br>• जमा एवं अन्य देयताओं पर ब्याज व्यय; | शाखा लेखा के परीक्षण के आधार पर सुधारक प्रविष्टियाँ (एमओसी) पारित की गई.<br>• वाह्य विक्रेता जांच रिपोर्ट, जहां कभी भी उपलब्ध हो, पर अभिमत |
| 2. | **विनियामक आवश्यकताओं के अनुसार ऋण एवं अग्रिमों तथा निवेशों पर आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) तथा प्रावधान** | |
| | यथा 31 मार्च, 2019 को ऋण एवं अग्रिमों तथा निवेश कुल आस्तियों का 85.62%, आस्तियों का एक बड़ा वर्ग है. नियामकों (भारतीय रिजर्व बैंक विवेकपूर्ण मानदंडों एवं अन्य दिशानिर्देशों के अनुसार) द्वारा निर्धारित उद्देश्यात्मक मापदंडों पर वर्गीकरण, आय निर्धारण तथा हानि प्रावधान आधारित है.<br>हमारे बैंक का प्रबंधन आस्ति वर्गीकरण निर्धारण, आय निर्धारण तथा हानि के लिए प्रावधानों हेतु आईटी प्रणालियों (कोर बैंकिंग सोल्यूशन सहित), महत्वपूर्ण अनुमानित एवं निर्णय कार्यप्रणाली, मैन्युअल हस्तक्षेप तथा विशेषज्ञों की सेवाओं का उपयोग (जैसे स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता, वकील, कानूनी विशेषज्ञ एवं अन्य पेशेवर) पर अधिक निर्भर करता है. | हमारा लेखा परीक्षण आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा शेष राशि से संबंधित दोषपूर्ण प्रावधानों के कारण अग्रिमों से संबंधित प्रावधानों पर अपना ध्यान केन्द्रित करता है.<br>हमारे लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं में आईआरएसी के अनुपालन तथा प्रावधानों के मानदंडों एवं इसके संचालित प्रभावकारिता के लिए सीबीएस तथा अन्य संबंधित आईटी प्रणालियों में तर्क एवं मान्यताओं पर नियंत्रण, एवं अनुमोदन पर नियंत्रण का आंकलन, ऋणों के संवितरण एवं निगरानी शामिल हैं. इनमें शामिल हैं :<br>• हमने आय का निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा अग्रिमों/निवेशों से संबंधित प्रासंगिक भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का अनुपालन करने में बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन किया एवं उसे समझा है.<br>• गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए/एनपीआई) के समयानुसार निर्धारण पर प्रणाली नियंत्रण एवं मैन्युअल नियंत्रण;<br>• आईटी प्रणालियों से प्रावधान गणना मॉडलों पर नियंत्रण का परिचालन अस्तित्व एवं प्रभावशीलता;<br>• अग्रिमों के मामलों में ऋण अनुमोदन के समग्र नियंत्रण, संवितरण तथा निगरानी प्रक्रिया और निवेश के मामले में खरीददारी पर नियंत्रण, बिक्री तथा नियंत्रण में रखने की निर्णय प्रणाली<br>• हमने ऋण/निवेशों (हमारे द्वारा शाखा निरीक्षण के मामलों में) के नमूनों का परीक्षण किया कि उन्होंने गैर-आस्तियों में समयानुसार पहचान, आय निर्धारण तथा आईआरएसी के मानदंडों के अनुसार प्रावधान किया.<br>• हमने परीक्षण अंतराल के आधार पर, जहां कहीं भी हमारे संज्ञान में आया है, हमने विश्वसनीयता, प्रभावशीलता और मध्यक्षेप की सटीकता की समीक्षा की है.<br>• हमारे द्वारा शाखाओं का निरीक्षण नहीं किए जाने के मामलों में अन्य सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों (एसबीए) द्वारा की गई रिपोर्ट/रिटर्न और उनके कार्य पर विश्वास किया है, जो एसए 620 के अनुसार समग्र अनुपालन के संबंध में समग्र सुविधा के लिए दूसरे लेखा परीक्षक का उपयोग कर रहा है. |

| | | |
|---|---|---|
| | | • हमने अन्य विशेषज्ञों जैसे स्वतंत्र मूल्यांककों, वकीलों, कानूनी विशेषज्ञों और ऐसे अन्य ऐसे पेशेवरों जो बैंक के लिए सेवा प्रदान करते हैं तथा जो एक लेखा परीक्षक का कार्य करते हुए एसए 600 के अनुसार बैंक को सेवाएँ प्रदान करते हैं, हमने उनके कार्यों की समीक्षा की है.<br>• इसके अतिरिक्त हमने संभावित कमजोर और संवेदनशील खातों, जो दबावग्रस्त का संकेत देते हैं, वाले बैंक के निगरानी तंत्र की समीक्षा की है.<br>• हमने बैंक की आंतरिक लेखा परीक्षण/निरीक्षण रिपोर्ट के रिपोर्टों एवं उक्त हेतु समवर्ती लेखा परीक्षकों के रिपोर्टों एवं अवलोकनों की भी समीक्षा की है.<br>• अंक संबंधी सटीकता, डेटा सटीकता और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली पर नियंत्रण सहित हमारे मुख्य परीक्षण को लेकर मूल्यांकन, वर्गीकरण, प्रावधान एवं निवेश की आय की पहचान का सत्यापन. |
| 3. | **आस्तिगत करों की पहचान करना एवं मापना** | |
| | बैंक ने 31 मार्च, 2019 को ₹ 51,720,800 (₹000 में) शुद्ध आस्तिगत कर आस्तियों की पहचान की है.<br>मापन संबंधी उद्देश्यों के अलावा, आस्थगित कर आस्तियों की पहचान एवं माप करना, भविष्य में होने वाले लाभों की दृश्यता एवं उपलब्धता से संबंधित अनेक अनुमानों एवं निर्णयों पर आधारित.<br>हाल ही में आस्थगित कर आस्तियों की मात्रा में वृद्धि, पहचान किए गए अनुमानों की उपलब्धता एवं एक विस्तारित समयावधि में लाभ का पूर्वानुमान, इस प्रकार से अनिश्चितता में वृद्धि एवं उक्त आस्ति में अंतर्निहित जोखिम व इसकी अनुचित पहचान. | हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में, लागू कर कानूनों एवं बैंक पर लागू प्रासंगिक विनियमनों के मध्य तालमेल प्राप्त करने के लिए जोखिम मूल्यांकन शामिल है. हमारे समझौते के आधार पर, हमनें कर विशेषज्ञों की सहायता से संबन्धित 'इंटरनल की कंट्रोल्स' एवं स्वतंत्र लेखापरीक्षा प्रक्रिया के दोनों टेस्टों का कार्यनिष्पादन किया है. हमारे कंट्रोल टेस्टिंग के साथ हमनें निम्न लेखापरीक्षा प्रक्रिया के रूप में कार्यनिष्पादन किया है, लेकिन यह सीमित नहीं है :<br>• आय पर करों के लिए एएस 22 लेखांकन के अनुसार आस्थगित कर आस्तियों की मान्यता और मापन के लिए उपयोग की जाने वाली नीतियों का मूल्यांकन.<br>• एकरूपता, स्थिरता एवं निरंतरता, बजट और मिडटर्म जैसे अनुमान, प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए तरीके, धारणा और अन्य मापदंडों का आकलन किया, जिसमें प्रबंधन द्वारा विकास और कर की दरों को लागू किया और अंकगणितीय सटीकता का परीक्षण किया.<br>• लाभ की दृश्यता एवं उपलब्धता की संभाव्यता का आकलन किया गया, जिससे भविष्य में इस आस्थगित कर आस्तियों का उपयोग करने में बैंक सक्षम होगा. |
| 4. | **टैक्स संबंधी मुक़दमे सहित लंबित मुकदमों का प्रभाव** | |
| | कुल लंबित एवं चालू कानूनी विवादों (टैक्स संबंधी मुक़दमेबाज़ी सहित), विनियामक जांच-पड़ताल एवं उसके खिलाफ विभिन्न दावों को समूह द्वारा ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है. अनुसूची-12 आकस्मिक देयताएं का संदर्भ लें. कुछ निश्चित मुकदमों एवं विनियामक मामलों में प्रबंधन द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय यह तय करने के लिए अपेक्षित है कि क्या मांग एक देयता या एक आकस्मिक देयता है. यदि वर्तमान में कोई देयता है एवं क्या एक प्रावधान स्वीकार किया जाना चाहिए या एक संभावित बाध्यता जो कि भूतपूर्व घटनाओं से उत्पन्न होती है और जिसकी विद्यमानता एक या अधिक अनिश्चित संभावित घटनाओं जोकि पूर्ण रूप से बैंक के नियंत्रण में नहीं हैं के उत्पन्न होने या न होने पर पुष्टि की जाएगी. | हमारे लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में मुख्यत: शामिल हैं:<br>• प्रबंधन के निर्णय की समीक्षा कानूनी विवादों, विनियामक जांच-पड़तालों एवं बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें कर्ज के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है का स्वरूप एवं स्थिति समझने के लिए ताकि यह तय किया जा सके कि एक प्रावधान को स्वीकार किया जाना चाहिए या नहीं.<br>• इस संबंध में बाहरी विशेषज्ञों या बैंक के विभागों से प्राप्त कानूनी मतों की समीक्षा (जहां भी लागू हो).<br>• पहले के आंकड़े/ऐतिहासिक डाटा, निपटाए गए दावों का सत्यापन एवं वर्ष के दौरान नयी मांगें एवं कुछ निश्चित मामलों में, कानूनी मत के आधार पर, प्रबंधन के प्रतिनिधित्व की धारणा की तुलना करके प्रावधानों की पर्याप्तता एवं आकस्मिक देयता के प्रकटीकरण के मूल्यांकन की स्वतंत्र रूप से जांच.<br>• भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों एवं बैंक की नीतियों के अनुसार इन प्रावधानों एवं संबन्धित आकस्मिक देयता के प्रकटीकरण का सत्यापन.<br>• सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा दिये गए प्रमाणन पर भरोसा. |

**अन्य सूचना:**

5. बैंक के निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं के लिए जिम्मेदार हैं. सूचनाओं में मुख्य वित्तीय संकेतक, निदेशकों की रिपोर्ट, प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण, कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट और जोखिम प्रबंधन में सूचनाएँ शामिल है, परंतु समेकित वित्तीय विवरण एवं हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट एवं नए पूंजी पर्याप्तता प्रारूप (बासल III प्रकटीकरण) के अंतर्गत पिल्लर III प्रकटीकरण शामिल नहीं है.

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारा मत अन्य सूचना एवं बासल III प्रकटीकरण कवर नहीं करता एवं हम उस पर किसी तरह का आश्वासन निष्कर्ष नहीं प्रकट करते.

समेकित वित्तीय विवरण के लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी ज़िम्मेदारी अन्य सूचना को पढ़ने की है एवं, ऐसा करने में यह ध्यान रखना चाहिए कि क्या सूचना एकल वित्तीय विवरणों के साथ तात्विक रूप से परिवर्तनशील है या हमारी जानकारी लेखापरीक्षा में प्राप्त या अन्यथा ही तात्विक रूप से गलत बयान की गयी है. यदि, हमारे द्वारा निष्पादित किए गए कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह अन्य सूचना की तात्विक गलतबयानी है; हमें इस तथ्य को रिपोर्ट करना अपेक्षित है. इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है.

**प्रबंधन की जिम्मेदारियाँ एवं वे जो समेकित वित्तीय विवरणों के लिए गवर्नेंस द्वारा प्रभारित हैं**

6. बैंक के निदेशक मंडल इन समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारियों के संबंध में जिम्मेदार हैं जो समेकित वित्तीय स्थिति के सत्य एवं निष्पक्ष विचार देते हैं, समेकित वित्तीय निष्पादन एवं भारत में सामान्य तौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखा नियमों के अनुरूप है, जिसमें आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानदंड हैं, एवं बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के खंड 29 के प्रावधान एवं समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्र एवं दिशानिर्देश शामिल हैं. इस ज़िम्मेदारी में समूह की आस्तियों के बचाव के लिए एक्ट के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लेखांकन रिकॉर्डों का रखरखाव धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को पहचानने एवं बचाव, उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन एवं प्रयोग ऐसे निर्णय एवं आकलन बनाना जो तर्कसंगत एवं विवेकपूर्ण हैं एवं सरंचना, उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का प्रबंधन एवं कार्यान्वयन जो लेखांकन रिकॉर्डों की पूर्णता एवं शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य कर रहे थे, समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुति के संबंध में जो सत्य एवं सही विचार देते हैं तथा तात्विक गलत बयानी चाहे वह धोखाधड़ी या गलती की वजह से हो, से मुक्त हैं.

समेकित विवरणों को तैयार करने में, प्रबंधन समूह की कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए जिम्मेदार है, प्रकटीकरण, जैसा कि लागू है, कार्यशील संस्था से संबन्धित मामले एवं कार्यशील संस्था के लेखांकन आधार का प्रयोग करना जब तक प्रबंधन या तो समूह का परिसमापन नहीं करता या परिचालन बंद नहीं करता, या उसके पास कोई यथार्थवादी विकल्प नहीं होता पर ये करना ही होता है.

**समेकित वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियाँ**

7. हमारा उद्देश्य इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समेकित वित्तीय विवरण समूचे तौर पर चाहे धोखाधड़ी या गलती की वजह से तात्विक गलतबयानी से मुक्त है, एवं एक लेखापरीक्षा रिपोर्ट, जिसमें हमारा मत शामिल है, को जारी करना है. तर्कसंगत आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, पर कोई गारंटी नहीं है कि मानकीकृत मानदंड के अनुसार संचालित की गयी लेखापरीक्षा हमेशा तात्विक गलत बयानी को पकड़ लेगी. गलतबयानी धोखाधड़ी या गलती की वजह से उत्पन्न हो सकती है एवं उसे तात्विक माना जाता है यदि व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से, वो इन एकल वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए प्रयोगकर्ताओं के आर्थिक फैसलों को विवेकपूर्ण तरीके से प्रभावित कर पाते.

मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय का प्रयोग करते हैं एवं लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संशय को बनाए रखते हैं. हम साथ ही:

- समेकित वित्तीय विवरण की तात्विक गलतबयानी के जोखिमों को पहचानते एवं मूल्यांकन करते हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या गलती की वजह से हो, संरचना एवं उन जोखिमों के अनुकुल लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का निष्पादन एवं पर्याप्त लेखापरीक्षा सबूत प्राप्त करना एवं जो हमारा मत का आधार देने के लिए उपयुक्त है. धोखाधड़ी से उत्पन्न एक तात्विक गलतबयानी को न पहचानने का जोखिम गलती से उत्पन्न को न पहचान पाने से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिली-भगत, जालसाज, साभिप्राय चूक, गलतबयानी या आंतरिक नियंत्रण का निरस्तीकरण शामिल हो सकता है.
- प्रयोग की गयी लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन एवं लेखांकन अनुमानों की तर्कसंगतता एवं प्रबंधन द्वारा बनाए गए संबन्धित प्रकटीकरण.
- लेखांकन की कार्यशील संस्था के आधार के प्रयोग के विनियोजन पर हुए और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या घटनाओं या स्थितियों से संबन्धित ठोस अनिश्चितता नजर आती है जो बैंक को कार्यशील संस्था के रूप में कार्य करते रहने के लिए समूह की सामर्थ्य पर संदेह बना सकती है. अगर हम यह निष्कर्ष निकालें कि ठोस अनिश्चितता नजर आती है, तो समेकित वित्तीय विवरणों में संबन्धित प्रकटीकरण संबंधी हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तरफ ध्यान आकर्षित करना अपेक्षित है या, हमारे मत का आशोधन करने के लिए इस तरह के प्रकटीकरण अनुपयुक्त हैं. हमारे निष्कर्ष लेखापरीक्षा सबूतों पर आधारित हैं जो अबतक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर प्राप्त किए गए हैं. हालांकि, भविष्य की घटनाएँ या स्थितियाँ बैंक के कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने को रोक सकती हैं.
- सम्पूर्ण प्रस्तुतीकरण, प्रकटीकरण सहित, एकल वित्तीय विवरणों की सरंचना एवं विषय-वस्तु का मूल्यांकन करें, एवं क्या एकल वित्तीय विवरण अंतर्हित लेनदेनों एवं घटनाओं को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं कि वो एक उचित प्रदर्शन हासिल करे.

- समेकित वित्तीय विवरणों पर एक मत के लिए समूह में शामिल इकाइयों या व्यावसायिक गतिविधियों की वित्तीय जानकारी के बारे में उपयुक्त लेखा परीक्षण साक्ष्य प्राप्त करें. हम ऐसी इकाइयों के वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षण की दिशा, पर्यवेक्षण और प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार हैं, जिनमें से समेकित वित्तीय विवरणों में हम स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं. समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य इकाइयों के लिए, जिन्हें अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षण किया गया है, ऐसे अन्य लेखापरीक्षकों को उनके द्वारा किए गए लेखा परीक्षण की दिशा, पर्यवेक्षण और प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार हैं. हम अपनी लेखा परीक्षण मत के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं.

  वास्तविकता समेकित वित्तीय विवरणों में गलतबयानी का परिमाण है जोकि, व्यक्तिगत या सामूहिक रुप से, संभावित बनाता है कि वित्तीय विवरणों के विवेकपूर्ण ज्ञानवान प्रयोगकर्ता के आर्थिक फैसले को प्रभावित किया जा सकता है. हम परिमाणात्मक वास्तविकता एवं गुणात्मक घटक का प्रयोग करते हैं i) हमारे लेखापरीक्षा कार्य के कार्यक्षेत्र की योजना बनाने एवं हमारे कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए एवं ii) वित्तीय विवरणों में पहचानी गयी किसी भी गलतबयानी के प्रभाव का मूल्यांकन करना.

  हम ऐसी संस्थाओं के संचालन हेतु उनसे सम्प्रेषण करते हैं जिनमें समेकित वित्तीय विवरण शामिल है, जिनके बारे में हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं. अन्य मामलों के अलावा अन्य मामलों में, नियोजित कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा का समय एवं महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष, आंतरिक नियंत्रण में अन्य महत्वपूर्ण कमियों सहित हम लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं.

  हम गवर्नेंस से प्रभारित को भी वचन देते हैं कि हमने स्वतन्त्र रूप से प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है, एवं उनसे सम्प्रेषण करने के लिए सभी रिश्ते एवं अन्य मामले जिनके बारे में माना जाता है कि वो विवेकपूर्ण तरीके से हमारी स्वतन्त्रता पर प्रभाव डालते हैं, एवं सुरक्षोपाय संबंधी, जहां लागू है.

  गवर्नेंस से प्रभारित संप्रेषित मामलों से, हमने ऐसे मामलों को निर्धारित किया है जो कि वर्तमान अवधि की एकल वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा के सबसे अधिक महत्व के हैं एवं इसलिए मुख्य लेखापरीक्षा मामले हैं. हम इन मामलों का अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में लोक प्रकटीकरण पर रोक न लगा दी जाये या जब, अत्यधिक दुर्लभ मामलों में, हम यह तय करते हैं कि ऐसा मामला हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं होना चाहिये जिससे कि ऐसे प्रतिकूल सम्प्रेषण से खातों से अपेक्षित जनहित लाभ महत्वपूर्ण साबित होने के प्रतिकूल हों.

**अन्य मामले :**

8. हमने समेकित वित्तीय विवरणों में, निर्दिष्ट 3 सहायक कंपनियाँ एवं एक संयुक्त उपक्रम, जिनके वित्तीय विवरणों से यथा 31 मार्च, 2019 को कुल संपत्ति ₹ 5,52,06,276 (हजार में) एवं कुल राजस्व ₹ 81,33,268 (हजार में) एवं उसी तारीख को समाप्ति वर्ष पर शुद्ध नकदी इनफ्लोज राशि ₹ 6,96,106 (हजार में), समेकित वित्तीय विवरणों के रूप में माना गया है. इन वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है और इन सहायक कंपनियों एवं संयुक्त उपक्रमों से संबंधित समेकित वित्तीय विवरणों में राशि एवं प्रकटीकरण के संबंध में हमारा मत अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर आधारित है.

  एक एसोसिएट के समेकित वित्तीय विवरण ₹ 1,10,586 (हजार में) में कर के पश्चात समूह का शुद्ध लाभ शेयर भी शामिल है, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया है, उसके वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण हमारे द्वारा नहीं किया गया है. इन वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण नहीं किया गया है एवं प्रबंधन द्वारा हमें प्रदान किया गया है एवं समेकित वित्तीय विवरण में शामिल राशि एवं प्रकटीकरण के संबंध में हमारा मत उस एसोसिएट कंपनी के प्रबंधन द्वारा प्रमाणित आलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर पूर्णत: आधारित है. हमारे मत में एवं बैंक प्रबंधन द्वारा हमें प्रदत्त जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार ये वित्तीय विवरण समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं.

  समूह की इकाइयों जिनके वित्तीय विवरणों को समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है, को अनुसूची 18 लेखों पर नोट्स में सूचीबद्ध किया गया है, जो समूह के समेकित वित्तीय विवरण का एक भाग है.

  उक्त संदर्भित मामलों में, समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारा मत एवं किए गए कार्य के संबंध में हमारा विश्वास तथा अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टें एवं प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित वित्तीय विवरण आशोधित नहीं है.

| | | |
|---|---|---|
| **कृते एस. भंडारी एंड कं.** | **कृते सी एन के एंड एसोसिएट्स एलएलपी** | **कृते कीर्तने एंड पंडित एलएलपी** |
| सनदी लेखाकार | सनदी लेखाकार | सनदी लेखाकार |
| फर्म पंजीकरण संख्या 000560C | फर्म पंजीकरण संख्या 101961W | फर्म पंजीकरण संख्या 105215W/W-100057 |
| **(पी पी पारीक )** | **(सुरेश एस अगस्कर)** | **(एस बी भागवत)** |
| भागीदार | भागीदार | भागीदार |
| (सदस्य.सं. 071213) | (सदस्य.सं. 110321) | (सदस्य.सं. 008072) |
| **कृते आर एस पटेल एंड कं.** | **कृते एम जी बी एंड कं. एलएलपी** | **कृते बी एम चतरथ एंड कं. एलएलपी** |
| सनदी लेखाकार | सनदी लेखाकार | सनदी लेखाकार |
| फर्म पंजीकरण संख्या 107758W | फर्म पंजीकरण संख्या 101169W | फर्म पंजीकरण संख्या 301011E/E300025 |
| **(राजन बी शाह)** | **(संजय कोठारी)** | **(आनंद चतरथ)** |
| भागीदार | भागीदार | भागीदार |
| (सदस्य.सं. 101998) | (सदस्य.सं. 048215) | (सदस्य.सं. 052975) |

स्थान : मुंबई
दिनांक : 14 मई, 2019

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अच्छे लोग, अच्छा बैंक — Union Bank of India Good people to bank with

# 31 मार्च 2019 का समेकित तुलन पत्र

(₹ 000 में)

| | अनुसूची सं. | **यथा 31 मार्च 2019** | यथा 31 मार्च 2018 |
|---|---|---|---|
| **पूंजी एवं देयताएं** | | | |
| पूंजी | 1 | **17,63,01,63** | 11,68,57,34 |
| सहायक कंपनी द्वारा जारी किए गए अधिमानी शेयर पूंजी | 1ए | **1,04,00,35** | - |
| आरक्षित निधियां एवं अधिशेष | 2 | **2,49,68,63,20** | 2,40,83,23,49 |
| जमाराशियां | 3 | **41,75,04,80,90** | 41,02,88,43,13 |
| उधार | 4 | **4,32,75,59,57** | 4,56,80,39,16 |
| अन्य देयताएं एवं प्रावधानों | 5 | **1,09,64,47,82** | 98,99,86,68 |
| **कुल** | | **49,85,80,53,47** | 49,11,20,49,80 |
| **आस्तियां** | | | |
| नकदी एवं भारतीय रिज़र्व बैंक में जमा शेष | 6 | **2,08,00,39,64** | 2,10,17,34,81 |
| बैंकों में जमा शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य शेष | 7 | **2,23,62,68,07** | 2,84,63,00,94 |
| निवेश | 8 | **12,83,91,20,95** | 12,54,84,80,01 |
| अग्रिम | 9 | **29,87,80,10,41** | 29,05,71,50,90 |
| अचल आस्तियां | 10 | **37,74,45,58** | 38,46,04,95 |
| अन्य आस्तियां | 11 | **2,44,71,68,82** | 2,17,37,78,19 |
| **कुल** | | **49,85,80,53,47** | 49,11,20,49,80 |
| आकस्मिक देयताएं | 12 | **19,92,32,26,20** | 26,68,29,13,97 |
| संग्रहण के लिए बिल | | **1,94,41,23,06** | 1,84,27,08,88 |
| प्रमुख लेखा नीतियां | 17 | | |
| खातों से संबंधित नोट | 18 | | |

उक्त अनुसूचियां समेकित तुलन पत्र का अभिन्न अंग हैं

**(धीरेन्द्र जैन)**
उप महा प्रबंधक

**(बी. श्रीनिवास राव)**
महा प्रबंधक एवं सीएफओ

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

**(मानस रंजन बिस्वाल)**
कार्यपालक निदेशक

**(दिनेश कुमार गर्ग)**
कार्यपालक निदेशक

**(गोपाल सिंह गुसाईं)**
कार्यपालक निदेशक

**(राजकिरण रै जी.)**
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

**(केवल हांडा)**
अध्यक्ष

**(डॉ. मदनेश कुमार मिश्रा)**
निदेशक

**(अरूण कुमार सिंह)**
निदेशक

**(राजीव कुमार सिंह)**
निदेशक

**(डॉ. मदुरा स्वामीनाथन)**
निदेशक

**(डॉ. उत्तम कुमार सरकार)**
निदेशक

**(के. केदिरेसन)**
निदेशक

**(जयदेव एम)**
निदेशक

हमारी उक्त तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार.

**कृते एस. भंडारी एंड कं.**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 000560C
**(पी पी पारीक )**
भागीदार
(सदस्य.सं. 071213)

**कृते सी एन के एंड एसोसिएट्स एलएलपी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 101961W
**(सुरेश एस अगस्कर)**
भागीदार
(सदस्य.सं. 110321)

**कृते कीर्तने एंड पंडित एलएलपी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 105215W/W-100057
**(एस बी भागवत)**
भागीदार
(सदस्य.सं. 008072)

**कृते आर एस पटेल एंड कं.**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 107758W
**(राजन बी शाह)**
भागीदार
(सदस्य.सं. 101998)

**कृते एम जी बी एंड कं. एलएलपी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 101169W
**(संजय कोठारी)**
भागीदार
(सदस्य.सं. 048215)

**कृते बी एम चतरथ एंड कं. एलएलपी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 301011E/E300025
**(आनंद चतरथ)**
भागीदार
(सदस्य.सं. 052975)

स्थान : मुंबई
दिनांक : 14 मई, 2019

# 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष का समेकित लाभ एवं हानि खाता

(₹ 000 में)

| | | अनुसूची सं. | **31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष** | 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|---|---|
| **I.** | **आय** | | | |
| | अर्जित ब्याज | 13 | **3,43,13,66,75** | 3,29,51,56,96 |
| | अन्य आय | 14 | **50,41,70,77** | 54,62,08,28 |
| | **कुल** | | **3,93,55,37,52** | 3,84,13,65,24 |
| **II.** | **व्यय** | | | |
| | व्यय किया गया ब्याज | 15 | **2,38,96,09,29** | 2,34,70,90,02 |
| | परिचालन व्यय | 16 | **78,56,17,49** | 72,50,82,64 |
| | प्रावधानों और आकस्मिक व्यय | | **1,05,36,51,54** | 1,29,12,56,65 |
| | **कुल** | | **4,22,88,78,32** | 4,36,34,29,31 |
| **III.** | **सहायक कंपनियों में अल्पमत हित और अर्जन के अंश से पहले समेकित निवल लाभ / (हानि)** | | **(29,33,40,80)** | (52,20,64,07) |
| | जोड़ें: सहायक कंपनियों में लाभ का अंश | | **11,05,86** | 8,17,25 |
| | पूर्व वर्ष का समेकित निवल लाभ / (हानि) | | **(29,22,34,94)** | (52,12,46,82) |
| | अल्पमत शेयरधारकों का हिस्सा घटाने से (घटाएं): अल्पमत शेयरधारकों का हिस्सा | | **-** | - |
| | वर्ग विशेष हेतु समूह के लिए वर्ष का समेकित निवल लाभ / (निवल हानि) | | **(29,22,34,94)** | (52,12,46,82) |
| | जोंड़ें: आगे लाया गया लाभ / (हानि) | | **(54,06,17,97)** | - |
| | **विनियोजन के लिए उपलब्ध राशि** | | **(83,28,52,91)** | (52,12,46,82) |
| **IV.** | **विनियोजन** | | | |
| | सांविधिक आरक्षित में अंतरण | | **-** | - |
| | पूंजी आरक्षित में अंतरण | | **46,58,01** | 1,58,81,10 |
| | राजस्व और अन्य आरक्षित / समायोजन निधियों में अंतरण | | **25,09,88** | 34,90,05 |
| | विशेष आरक्षित में अंतरण [आयकर अधिनियम 1961, की धारा 36(I)(viii)] | | | |
| | लाभ और हानि लेखे में शेष | | **(84,00,20,80)** | (54,06,17,97) |
| | **कुल** | | **(83,28,52,91)** | (52,12,46,82) |
| | प्रति शेयर आय (बेसिक एवं डाइल्यूटेड रु. में ) अंकित मूल्य ₹10 प्रति अंश | 18 | **(24.87)** | (68.98) |
| | प्रमुख लेखा नीतियां | 17 | | |
| | खातों से संबंधित नोट | 18 | | |

उक्त अनुसूचियां समेकित लाभ एवं हानि लेखों का अभिन्न अंग हैं .

**(धीरेन्द्र जैन)**
उप महा प्रबंधक
कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

**(बी. श्रीनिवास राव)**
महा प्रबंधक एवं सीएफओ

**(मानस रंजन बिस्वाल)**
कार्यपालक निदेशक

**(दिनेश कुमार गर्ग)**
कार्यपालक निदेशक

**(गोपाल सिंह गुसाईं)**
कार्यपालक निदेशक

**(राजकिरण रै जी.)**
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

**(केवल हांडा)**
अध्यक्ष

**(डॉ. मदनेश कुमार मिश्रा)**
निदेशक

**(अरूण कुमार सिंह)**
निदेशक

**(राजीव कुमार सिंह)**
निदेशक

**(डॉ. मदुरा स्वामीनाथन)**
निदेशक

**(डॉ. उत्तम कुमार सरकार)**
निदेशक

**(के. केदिरेसन)**
निदेशक

**(जयदेव एम)**
निदेशक

हमारी उक्त तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार.

**कृते एस. भंडारी एंड कं.**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 000560C
**(पी पी पारीक )**
भागीदार
(सदस्य.सं. 071213)

**कृते सी एन के एंड एसोसिएट्स एलएलपी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 101961W
**(सुरेश एस अगरकर)**
भागीदार
(सदस्य.सं. 110321)

**कृते कीर्तने एंड पंडित एलएलपी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 105215W/W-100057
**(एस बी भागवत)**
भागीदार
(सदस्य.सं. 008072)

**कृते आर एस पटेल एंड कं.**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 107758W
**(राजन बी शाह)**
भागीदार
(सदस्य.सं. 101998)

**कृते एम जी बी एंड कं. एलएलपी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 101169W
**(संजय कोठारी)**
भागीदार
(सदस्य.सं. 048215)

**कृते बी एम चतरथ एंड कं. एलएलपी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 301011E/E300025
**(आनंद चतरथ)**
भागीदार
(सदस्य.सं. 052975)

स्थान : मुंबई
दिनांक : 14 मई, 2019

# 31 मार्च, 2019 के समेकित तुलन पत्र के भाग के रुप में अनुसूचियां

(₹ 000 में)

| | | यथा 31 मार्च, 2019 | यथा 31 मार्च, 2018 |
|---|---|---|---|
| **अनुसूची 1 - पूंजी :** | | | |
| **I.** | **प्राधिकृत:** | | |
| | ₹10 प्रति शेयर की दर से 30,00,00,00,00 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष ₹10 प्रति शेयर की दर से 30,00,00,00,00 इक्विटी शेयर) | **30,00,00,00** | 30,00,00,00 |
| **II.** | **निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त :** | | |
| | i. ₹10 प्रति शेयर की दर से 1,30,94,77,239 इक्विटी शेयर, केंद्र सरकार द्वारा धारित (पिछले वर्ष 78,79,14,600 इक्विटी शेयर) | **13,09,47,72** | 7,87,91,46 |
| | ii. ₹10 प्रति शेयर की दर से 4,53,53,90,75 इक्विटी शेयर, जनता द्वारा धारित (पिछले वर्ष 38,06,58,800 इक्विटी शेयर) | **4,53,53,91** | 3,80,65,88 |
| | **कुल** | **17,63,01,63** | 11,68,57,34 |
| **अनुसूची 1ए - सहायक कंपनी द्वारा जारी अधिमानी शेयर पूंजी:** | | | |
| | 17 मई, 2018 को दाई-ईची लाइफ हॉलडिंग इंक को 20 वर्षो की अवधि के लिए प्रति ₹10 (यूनियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, एक सहायक कंपनी द्वारा जारी) के 10,40,03,544 अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय गैर-मोचनीय अधिमानित शेयर | **1,04,00,35** | - |
| | **कुल** | **1,04,00,35** | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **अनुसूची 2 - आरक्षित निधियां एवं अधिशेष :** | | | | | |
| **I.** | **आरक्षित सांविधिक :** | | | | |
| | पिछले तुलन पत्र के अनुसार | **66,70,61,10** | | 66,70,61,10 | |
| | वर्ष के दौरान वृद्धि | **-** | **66,70,61,10** | - | 66,70,61,10 |
| **II.** | **आरक्षित पूंजी:** | | | | |
| | पिछले तुलन पत्र के अनुसार | **12,38,37,60** | | 10,79,56,50 | |
| | वर्ष के दौरान वृद्धि | **46,58,01** | **12,84,95,61** | 1,58,81,10 | 12,38,37,60 |
| **III.** | **पुनर्मूल्यांकन आरक्षित :** | | | | |
| | पिछले तुलन पत्र के अनुसार | **23,41,87,75** | | 24,56,79,77 | |
| | वर्ष के दौरान वृद्धि | **-** | | **-** | |
| | वर्ष के दौरान कमी | **1,07,06,76** | **22,34,80,99** | 1,14,92,02 | 23,41,87,75 |
| **IV.** | **शेयर प्रीमियम :** | | | | |
| | पिछले तुलन पत्र के अनुसार | **1,10,73,65,72** | | 45,07,59,91 | |
| | वर्ष के दौरान वृद्धि | **41,15,31,04** | | 65,83,86,77 | |
| | वर्ष के दौरान कमी | **7,49,32** | **1,51,81,47,44** | 17,80,96 | 1,10,73,65,72 |
| **V.** | **राजस्व आरक्षित :** | | | | |
| | i) राजस्व एवं अन्य आरक्षित : | | | | |
| | पिछले तुलन पत्र के अनुसार | **51,46,34,38** | | 51,65,15,64 | |
| | वर्ष के दौरान वृद्धि | **1,78,36,12** | | 3,44,10,71 | |
| | वर्ष के दौरान कमी | **3,68,46,72** | | 3,62,91,97 | |
| | | **49,56,23,78** | | 51,46,34,38 | |
| | ii) आयकर अधिनियम 1961, की धारा 36(1)(viii) के अनुसार विशेष आरक्षित | | | | |
| | पिछले तुलन पत्र के अनुसार | **28,75,00,00** | | 28,75,00,00 | |
| | वर्ष के दौरान वृद्धि | **-** | | - | |
| | | **28,75,00,00** | | 28,75,00,00 | |

# 31 मार्च, 2019 के समेकित तुलन पत्र के भाग के रुप में अनुसूचियां

(₹ 000 में)

| | | यथा 31 मार्च, 2019 | | यथा 31 मार्च, 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| iii) | विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित | | | | |
| | पिछले तुलन पत्र के अनुसार | **1,43,54,92** | | 1,10,49,67 | |
| | वर्ष के दौरान वृद्धि | **38,94,42** | | 44,59,70 | |
| | वर्ष के दौरान कमी | **16,74,26** | | 11,54,45 | |
| | **कुल** | **1,65,75,08** | **79,96,98,86** | 1,43,54,92 | 81,64,89,29 |
| **VI.** | **लाभ-हानि खाते में शेष** | | | | |
| | लाभ-हानि खाते में शेष | | **(84,00,20,80)** | | (54,06,17,97) |
| | **कुल** | | **2,49,68,63,20** | | 2,40,83,23,49 |
| **अनुसूची 3 - जमाराशियां :** | | | | | |
| **I.** | **मांग जमाराशियां** | | | | |
| i) | बैंकों से | **4,89,32,22** | | 4,72,80,37 | |
| ii) | अन्य से | **2,60,81,83,98** | **2,65,71,16,20** | 2,46,09,16,79 | 2,50,81,97,16 |
| **II.** | **बचत बैंक जमाराशियां** | | **12,36,37,81,80** | | 11,42,00,95,04 |
| **III.** | **मियादी जमाराशियां** | | | | |
| i) | बैंकों से | **49,38,53,26** | | 65,64,72,87 | |
| ii) | अन्य से | **26,23,57,29,64** | **26,72,95,82,90** | 26,44,40,78,06 | 27,10,05,50,93 |
| | **कुल** | | **41,75,04,80,90** | | 41,02,88,43,13 |
| भारत स्थित शाखाओं की जमाराशियां | | | **41,30,54,63,55** | | 40,31,70,44,72 |
| भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां | | | **44,50,17,35** | | 71,17,98,41 |
| | **कुल** | | **41,75,04,80,90** | | 41,02,88,43,13 |
| **अनुसूची 4 - उधार :** | | | | | |
| **ए.** | **उधार : पूंजी लिखत** | | | | |
| I. | स्थायी बॉण्ड | **41,99,62,35** | | 45,39,62,35 | |
| II. | अपर टियर II बॉण्ड | **15,00,00,00** | | 15,00,00,00 | |
| III. | टियर II बॉण्ड | **55,50,00,00** | **1,12,49,62,35** | 67,50,00,00 | 1,27,89,62,35 |
| **बी.** | **भारत में उधार** | | | | |
| i. | भारतीय रिज़र्व बैंक से | **90,00,00,00** | | 65,86,00,00 | |
| ii. | अन्य बैंकों से | **-** | | - | |
| iii. | अन्य संस्थाओं एवं एजेंसियों से | **43,72,44,31** | **1,33,72,44,31** | 11,96,37,90 | 77,82,37,90 |
| **सी.** | **भारत से बाहर उधार** | | **1,86,53,52,91** | | 2,51,08,38,91 |
| | **कुल** | | **4,32,75,59,57** | | 4,56,80,39,16 |
| उपर्युक्त (बी) (i) में सम्मिलित प्रतिभूत उधार | | | **90,00,00,00** | | 65,86,00,00 |

# 31 मार्च, 2019 के समेकित तुलन पत्र के भाग के रुप में अनुसूचियां

(₹ 000 में)

| | यथा 31 मार्च, 2019 | यथा 31 मार्च, 2018 |
|---|---|---|
| **अनुसूची 5 - अन्य देयताएं एवं प्रावधान :** | | |
| I. देय बिल | **11,71,25,84** | 12,68,88,35 |
| II. उपचित ब्याज | **17,68,77,50** | 35,08,16,31 |
| III. अन्य (प्रावधान सहित) | **80,24,44,48** | 51,22,82,02 |
| **कुल** | **1,09,64,47,82** | 98,99,86,68 |
| **अनुसूची 6 - नकदी एवं भारतीय रिज़र्व बैंक में जमा शेष** | | |
| I. धारित नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट एवं स्वर्ण सहित) | **12,50,92,78** | 12,91,22,28 |
| II. भारतीय रिज़र्व बैंक के चालू खाते में जमा शेष | **1,95,49,46,86** | 1,97,26,12,53 |
| **कुल** | **2,08,00,39,64** | 2,10,17,34,81 |
| **अनुसूची 7 - बैंकों में जमा शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन** | | |
| **I) भारत में** | | |
| i) बैंकों में जमा शेष | | |
| क) चालू खातों में | **84,13,56** | 69,34,80 |
| ख) अन्य जमा खातों में | **69,61,01,77** | 71,41,43,81 |
| ii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन | | |
| क) बैंकों से | **75,24,92,76** | 1,19,28,91,33 |
| ख) अन्य संस्थाओं से | **-** | - |
| | **1,45,70,08,09** | 1,91,39,69,94 |
| **II. भारत के बाहर** | | |
| i) चालू खातों में | **2,43,76,21** | 4,37,96,90 |
| ii) अन्य जमा खातो में | **75,48,83,77** | 87,68,99,77 |
| iii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन | **-** | 1,16,34,33 |
| | **77,92,59,98** | 93,23,31,00 |
| **कुल** | **2,23,62,68,07** | 2,84,63,00,94 |
| **अनुसूची 8 - निवेश :** | | |
| **I. भारत में निवेश** | | |
| i) सरकारी प्रतिभूतियों में | **9,51,40,12,38** | 9,81,23,77,63 |
| ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में | **2,91,32,56** | 84,72,17 |
| iii) शेयरों में | **18,39,65,92** | 22,22,99,08 |
| iv) डिबेंचरों एवं बॉण्डों में | **2,33,68,09,99** | 2,02,51,57,25 |
| v) सहायक कंपनियों एवं संयुक्त उपक्रमों / एसोसिएट में | **2,13,36,36** | 2,02,30,50 |
| vi) अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युचुअल फंड, वेंचर कैपिटल, प्रतिभूति रसीद आदि में) | **50,63,80,28** | 25,12,57,93 |
| **कुल** | **12,59,16,37,49** | 12,33,97,94,56 |
| **II. भारत से बाहर निवेश** | | |
| i) सरकारी प्रतिभूतियों में (स्थानीय प्राधिकारियों सहित) | **18,41,43,43** | 16,02,89,62 |
| ii) शेयरों में | **40,32** | 40,32 |
| iii) अन्य निवेशों में (बॉण्डों) | **6,32,99,71** | 4,83,55,51 |
| iv) सहायक कंपनियों एवं संयुक्त उपक्रमों में | **-** | **-** |
| कुल | **24,74,83,46** | 20,86,85,45 |
| **कुल** | **12,83,91,20,95** | 12,54,84,80,01 |

# 31 मार्च, 2019 के समेकित तुलन पत्र के भाग के रुप में अनुसूचियां

(₹ 000 में)

| | | | यथा 31 मार्च, 2019 | यथा 31 मार्च, 2018 |
|---|---|---|---|---|
| **III.** | **भारत में निवेश** | | | |
| | सकल मूल्य | | **12,82,78,34,25** | 12,61,41,78,59 |
| | घटाएं : मूल्यह्रास के लिए प्रावधान | | **23,61,96,76** | 27,43,84,03 |
| | भारत में निवेश का निवल मूल्य | | **12,59,16,37,49** | 12,33,97,94,56 |
| **IV.** | **भारत के बाहर निवेश** | | | |
| | सकल मूल्य | | **24,81,07,56** | 21,13,25,50 |
| | घटाएं : मूल्यह्रास के लिए प्रावधान | | **6,24,10** | 26,40,05 |
| | भारत के बाहर निवेश का निवल मूल्य | | **24,74,83,46** | 20,86,85,45 |
| | | **कुल** | **12,83,91,20,95** | 12,54,84,80,01 |
| **अनुसूची 9 - अग्रिम (निवल)** | | | | |
| I | i) | खरीदे और भुनाए गए बिल | **44,75,22,40** | 88,93,93,48 |
| | ii) | कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिदेय ऋण | **13,13,63,42,24** | 13,23,56,88,18 |
| | iii) | मीयादी ऋण | **16,29,41,45,77** | 14,93,20,69,24 |
| | | **कुल** | **29,87,80,10,41** | 29,05,71,50,90 |
| II | i) | मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण के पेटे अग्रिम सहित) | **25,77,61,30,96** | 25,83,84,12,93 |
| | ii) | बैंक / सरकारी प्रतिभूतियो द्वारा संरक्षित | **1,34,60,71,82** | 1,01,54,67,51 |
| | iii) | अप्रतिभूत | **2,75,58,07,63** | 2,20,32,70,46 |
| | | **कुल** | **29,87,80,10,41** | 29,05,71,50,90 |
| **क.** | **भारत में अग्रिम** | | | |
| | i) | प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र | **11,56,08,32,12** | 11,05,56,83,14 |
| | ii) | सार्वजनिक क्षेत्र | **2,89,24,65,43** | 2,50,78,14,78 |
| | iii) | बैंक | **19,00,18,37** | 3,17 |
| | iv) | अन्य | **13,61,85,68,30** | 12,88,01,53,00 |
| | | **कुल** | **28,26,18,84,22** | 26,44,36,54,09 |
| **ख.** | **भारत के बाहर अग्रिम** | | | |
| | i) | बैंकों से प्राप्य | **24,11,89,98** | 72,82,29,73 |
| | ii) | अन्य से प्राप्य | **-** | - |
| क) | खरीदे एवं भुनाए गए बिल | | **6,91,25,00** | 58,62,42,36 |
| ख) | सिंडिकेटेड ऋण | | **2,26,66,68** | 2,23,98,63 |
| ग) | अन्य | | **1,28,31,44,53** | 1,27,66,26,09 |
| | | **कुल** | **1,61,61,26,19** | 2,61,34,96,81 |
| | | **कुल** | **29,87,80,10,41** | 29,05,71,50,90 |

# 31 मार्च, 2019 के समेकित तुलन पत्र के भाग के रुप में अनुसूचियां

(₹ 000 में)

| | यथा 31 मार्च, 2019 | | यथा 31 मार्च, 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| **अनुसूची 10 - अचल आस्तियां** | | | | |
| **क. मूर्त आस्तियां** | | | | |
| **I. परिसर** | | | | |
| पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत/मूल्यांकन पर | **38,39,16,26** | | 38,03,91,45 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | **40,09,60** | | 35,52,52 | |
| वर्ष के दौरान कमी | **5,95,40** | | 27,71 | |
| | **38,73,30,46** | | 38,39,16,26 | |
| घटाएं : आज की तारीख तक अवमूल्यन | **11,08,71,47** | **27,64,58,99** | 9,73,95,35 | 28,65,20,91 |
| **II. प्रक्रियागत पूंजी कार्य** | | | | |
| पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर | **34,08,15** | | 21,48,89 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | **28,67,02** | | 27,21,19 | |
| वर्ष के दौरान कमी | **18,57,90** | **44,17,27** | 14,61,93 | 34,08,15 |
| **III. भूमि** | | | | |
| पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर | **69,53,13** | | 76,30,34 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | **1,06** | | - | |
| वर्ष के दौरान कमी | **-** | | 6,77,21 | |
| | **69,54,19** | | 69,53,13 | |
| घटाएं : आज की तारीख तक अवमूल्यन | **6,21,92** | **63,32,27** | 5,44,15 | 64,08,98 |
| **IV. अन्य अचल आस्तियां** | | | | |
| (फर्नीचर्स एवं फिक्सचर्स सहित) | | | | |
| **क) पट्टे पर दी गयी आस्तियां** | | | | |
| पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर | **26,53,52** | | 26,53,52 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | **-** | | - | |
| वर्ष के दौरान कमी | **-** | | - | |
| | **26,53,52** | | 26,53,52 | |
| घटाएं : आज की तारीख तक अवमूल्यन | **26,53,52** | **-** | 26,53,52 | - |
| **ख) अन्य** | | | | |
| पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत/मूल्यांकन पर | **26,16,37,36** | | 24,21,15,34 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | **2,38,26,89** | | 2,53,53,41 | |
| वर्ष के दौरान कमी | **39,64,51** | | 58,31,39 | |
| | **28,14,99,74** | | 26,16,37,36 | |
| घटाएं : आज की तारीख तक अवमूल्यन | **19,45,48,04** | **8,69,51,70** | 17,66,51,19 | 8,49,86,17 |
| **ख. अमूर्त आस्तियां** | | | | |
| **i) कंप्यूटर सॉफ्टवेयर** | | | | |
| पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर | **2,52,04,14** | | 2,33,32,78 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | **26,97,96** | | 29,59,41 | |
| वर्ष के दौरान कमी | **28,71** | | 10,88,05 | |
| | **2,78,73,39** | | 2,52,04,14 | |
| आज की तारीख तक परिशोधित | **2,45,88,04** | **32,85,35** | 2,19,23,38 | 32,80,76 |
| **कुल** | | **37,74,45,58** | | 38,46,04,95 |

# 31 मार्च, 2019 के समेकित तुलन पत्र के भाग के रुप में अनुसूचियां

(₹ 000 में)

| | | यथा 31 मार्च, 2019 | यथा 31 मार्च, 2018 |
|---|---|---|---|
| **अनुसूची 11 - अन्य आस्तियां :** | | | |
| I. | अंतरकार्यालयीन समायोजन (निवल) | **11,21,09,82** | 2,17,67,38 |
| II. | उपचित ब्याज | **25,05,70,40** | 35,71,48,58 |
| III. | आस्थगित कर आस्तियां (निवल) | **51,89,25,47** | 41,98,14,27 |
| IV. | लेखन सामग्री एवं स्टैम्प | **3,72,93** | 3,89,64 |
| V. | दावों के समाधान से अर्जित गैर-बैंककारी आस्तियां | **3,90** | 3,90 |
| VI. | अन्य | **1,23,93,37,37** | 1,37,34,05,00 |
| VII. | पूंजीगत लिखतों के अतिरिक्त उधारी में वृद्धि/कमी (प्रावधानों के बाद शुद्ध) | **32,45,99,51** | - |
| VIII. | समेकन के संबंध में ख्याति | **12,49,42** | 12,49,42 |
| | **कुल** | **2,44,71,68,82** | 2,17,37,78,19 |
| **अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएं :** | | | |
| I. | बैंक के विरुद्ध दावे, जिन्हें ऋण के रुप में स्वीकार नहीं किया गया है | **31,05,14,86** | 34,42,29,27 |
| II. | अंशत: प्रदत्त निवेशों के लिए देयताएं | **59,20** | 59,20 |
| III. | बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएं | **12,13,38,73,76** | 18,38,54,87,97 |
| IV. | संघटकों की ओर से दी गयी गारंटी | | |
| | i) भारत में | **3,57,75,82,53** | 3,94,10,11,51 |
| | ii) भारत से बाहर | **6,21,64,44** | 3,56,16,08 |
| V. | स्वीकृतियां, पृष्ठांकन एवं अन्य बाध्यताएं | **3,34,54,65,14** | 3,56,43,82,59 |
| VI. | आकस्मिक देयताओं की अन्य मदें | **2,87,85,39** | 87,14,25 |
| VII. | अपील के अधीन विवादास्पद कर मांग | **35,01,59,88** | 30,60,36,10 |
| VIII. | डी ई ए एफ योजना - 2014 में अंतरित राशि | **11,46,21,00** | 9,73,77,00 |
| | **कुल** | **19,92,32,26,20** | 26,68,29,13,97 |

# 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु समेकित लाभ एंव हानि खांतो के भाग के रूप में अनुसूचियां

(₹ 000 में)

| | 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| **अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज :** | | |
| I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा | **2,38,68,57,08** | 2,28,56,97,61 |
| II. निवेशों से आय | **91,48,76,68** | 88,98,35,39 |
| III. भारतीय रिज़र्व बैंक के जमाशेषों और अन्य अंतर बैंक निधियों पर प्राप्त ब्याज | **12,06,20,72** | 11,40,55,44 |
| IV. अन्य | **90,12,27** | 55,68,52 |
| **कुल** | **3,43,13,66,75** | 3,29,51,56,96 |
| **अनुसूची 14 - अन्य आय :** | | |
| I. कमीशन, विनिमय और दलाली | **5,81,36,76** | 5,04,29,07 |
| II. निवेशों की बिक्री से लाभ - (निवल) | **6,40,47,35** | 12,96,61,38 |
| III. स्थायी आस्तियों के विक्रय से लाभ/(हानि) - (निवल) | **2,96,50** | (8,47,38) |
| IV. विनिमय संव्यवहारों से लाभ - (निवल) | **5,64,90,40** | 8,92,52,90 |
| V. विविध आय | **32,51,99,76** | 27,77,12,31 |
| **कुल** | **50,41,70,77** | 54,62,08,28 |
| **अनुसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज :** | | |
| I. जमाराशियों पर ब्याज | **2,21,00,43,69** | 2,15,78,06,81 |
| II. भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर बैंक उधारी पर ब्याज | **8,80,69,06** | 8,68,43,93 |
| III. अन्य | **9,14,96,54** | 10,24,39,28 |
| **कुल** | **2,38,96,09,29** | 2,34,70,90,02 |
| **अनुसूची 16 - परिचालन व्यय :** | | |
| I. कर्मचारियों को किए गए भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान | **32,37,22,66** | 32,32,17,10 |
| II. किराया, कर और बिजली | **6,13,99,82** | 5,74,68,66 |
| III. प्रिंटिंग और स्टेशनरी | **54,32,93** | 57,22,80 |
| IV. विज्ञापन एवं प्रचार | **61,20,89** | 63,79,97 |
| V. बैंक की संपत्ति पर मूल्य ह्रास | **3,73,81,97** | 3,68,23,23 |
| VI. निदेशकों की फीस, भत्ते एवं व्यय | **4,17,81** | 3,74,01 |
| VII. प्रबंध/कार्यपालक निदेशकों को पारिश्रमिक | **1,05,89** | 1,04,63 |
| VIII. लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखापरीक्षकों सहित) | **49,95,58** | 55,11,36 |
| IX. विधि प्रभार | **55,94,06** | 41,99,24 |
| X. डाक खर्च, तार एवं टेलीफोन आदि | **1,23,61,73** | 95,42,36 |
| XI. मरम्मत एवं रखरखाव | **1,25,81,43** | 1,22,81,81 |
| XII. बीमा | **4,19,90,79** | 3,80,68,24 |
| XIII. अन्य व्यय | **27,35,11,93** | 22,53,89,23 |
| **कुल** | **78,56,17,49** | 72,50,82,64 |

**अनुसूची 17-महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां :**

**1. प्रस्तुति का आधार**

ये वित्तीय विवरण, जहां तक लागू हों, भारत में लेखाबंदी हेतु सामान्यत: स्वीकृत सिद्धांतों (जीएएपी), जिसमें लागू सांविधिक प्रावधान, भारतीय रिज़र्व बैंक (भारिबैं), बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 द्वारा निर्धारित नियामक मानदंड/दिशानिर्देश, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी मानक लेखांकन तथा भारतीय बैंकिंग उद्योग में प्रचलित व्यवहारों का पालन किया गया है, के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के अनुरूप, प्रचलित लेखाबंदी के उपचय आधार पर ऐतिहासिक लागत रीति के अन्तर्गत तैयार किए गए हैं. विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में, संबंधित देशों में प्रचलित पद्धत्ति के संवैधानिक प्रावधानों का पालन किया गया है.

**2. अनुमानों का उपयोग**

जीएएपी के अनुरूप वित्तीय विवरण की तैयारी में वित्तीय विवरण की तारीख को, रिपोर्ट की गई आस्तियों व देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) और रिपोर्टिंग की तारीख को रिपोर्ट किये गये आय और व्यय के बारे में प्रबंधन को कतिपय अनुमानों और आकलनों की मदद लेनी पड़ती है. प्रबंधन को विश्वास है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय जहां कहीं पर अनुमान लगाया है वे विश्वसनीय एवं तार्किक हैं. वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं. लेखांकन अनुमानों में किसी भी संशोधन को वर्तमान एवं भविष्य में संभावित रूप से मान्यता दी जाती है.

**3. समेकन का आधार**

क) समूह (जिसमें 3 सहायक, 1 एसोसिएट और 1 संयुक्त उपक्रम शामिल हैं) के समेकित वित्तीय विवरणों (सीएफएस) को निम्नलिखित के आधार पर तैयार किया गया है:

i) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (मूल) के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण.

ii) सहायकों से, आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक - 21 ''समेकित वित्तीय विवरण'' के अनुसार, उनके संबंधित लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित, प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अप्राप्त लाभ/हानि, अंतर-समूह शेषों/संव्यवहारों को हटाने के बाद, परिसम्पत्ति, देयताओं, आय और व्यय की प्रत्येक मद का, मूल संस्था की संबंधित मद के साथ समेकन.

iii) आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक - 23 ''समेकित वित्तीय विवरणों में एसोसिएट्स में निवेश हेतु लेखांकन'' के अनुसार 'इक्विटी पद्धति' के अंतर्गत 'एसोसिएट' में निवेश हेतु लेखांकन.

iv) संयुक्त उपक्रम का समेकन - आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक-27 ''संयुक्त उपक्रमों में ब्याज की वित्तीय रिपोर्टिंग'' के अनुसार 'आनुपातिक समेकन'.

ख) घरेलू एसोसिएट/सहायक एवं संयुक्त उपक्रम के मामले में, मूल बैंक और एसोसिएट/सहायक एवं संयुक्त उपक्रम की भिन्न लेखांकन नीतियों के कारण, व्यवहारिक समस्याओं के कारण एसोसिएट/सहायक सब्सीडियरी एवं संयुक्त उपक्रम द्वारा प्रदान किए गए डाटा के आधार पर समायोजन नहीं किए गए हैं.

ग) सहायकों में समूह का अपना निवेश व सहायकों में पैरेंट की इक्विटी के भाग के अंतर को सीएफएस में साख/पूंजी रिजर्व जैसा लागू हो के रुप में पहचाना गया है.

घ) समेकित सहायकों की शुद्ध परिसम्पत्तियों में अल्पसंख्यक हित शामिल हैं:

i) सहायक में निवेश की तिथि पर अल्पसंख्यक में स्रोतजन्य इक्विटी की राशि एवं

ii) जब से मूल संस्था व सहायक का संबंध अस्तित्व में आया हो, राजस्व रिजर्व/हानि एवं इक्विटी में गतिविधियों का अल्पसंख्यक अंश .

iii) आधिक्य एवं अल्पसंख्यक में आगे होने वाली किसी हानि का, अल्पसंख्यक के बराबर मात्रा के अतिरिक्त अनिवार्य जिम्मेदारी, जितनी क्षति के लिए पात्र हैं, को बहुमत ब्याज के पेटे समायोजित किया जाता है.

**4. राजस्व निर्धारण**

**क) बैंकिंग निकाय**

i) जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, आय और व्यय की गणना सामान्यत: उपचय आधार पर की गई है.

ii) गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) पर आय की पहचान, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार, वसूली की सीमा तक की गई है.

iii) बैंक कमीशन, अर्जित विनिमय एवं ब्रोकरेज, सुरक्षित जमा लॉकरों (एसडीवी) का किराया, बायोमैट्रिक कार्डों पर कमीशन, आधार कार्ड से आय आदि वास्तविक प्राप्ति के आधार पर लेखांकित किए गए हैं.

iv) ''परिपक्वता तक धारित'' (एचटीएम) श्रेणी के निवेशों पर प्राप्त आय (ब्याज के अतिरिक्त) की पहचान, अंकित मूल्य पर छूट के आधार पर निम्नानुसार की गई है:

क) ब्याज वाली प्रतिभूतियों पर प्राप्त आय, केवल विक्रय/शोधन के समय ही प्राप्त मानी गई है.

ख) शून्य कूपन प्रतिभूतियों पर प्राप्त आय का समायोजन, निरंतर प्राप्ति के आधार पर, प्रतिभूति की शेष अवधि के लिए किया गया है.

v) जहां लाभांश प्राप्त करने का अधिकार तय है, वहां लाभांश की गणना उपचय आधार पर की गई है.

vi) मौजूदा भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए बिक्री को लेखांकित किया गया.

vii) एटी-01 बॉन्ड्स के ब्याज भुगतान हेतु किए गए ब्याज व्यय को लाभ एवं हानी विवरण के माध्यम से निर्धारित किया गया है. भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने परिपत्र क्र. DBR.DP.BC.No.50/21.06.201/2016-17 दिनांक 2 फरवरी, 2017 के माध्यम से सूचित किया है कि "संवितरण मदों" से कूपन का भुगतान किया जाए." इसी संदर्भ में चालू वर्ष में अर्जित लाभ से ही कूपन का भुगतान किया जाए. तथापि, आगे इन दिशानिर्देशों में यह भी उल्लेख किया गाया है कि यदि चालू वर्ष में अर्जित लाभ पर्याप्त नहीं है, तो कूपन का भुगतान निम्नलिखित की उपलब्धता के आधार पर भी किया जा सकता है, यथा ;

क. पिछले वर्षों में अर्जित लाभ, और/या

ख. शेयर प्रीमियम, पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि, विदेशी मुद्रा विनिमय रिजर्व, निवेश आरक्षित और समामेलन पर निर्मित आरक्षित निधि को छोड़कर, आरक्षित निधि सांविधिक आरक्षित निधि सहित शुद्ध लाभ के विनियोजन का प्रतिनिधित्व करता है.

अत: चालू वर्ष में आयोजित लाभ की अपर्याप्ता के मामले में, जैसा की ऊपर उल्लिखित है, कूपन का भुगतान आरक्षित निधि से नामे करके भी किया जा सकता है.

**ख) गैर - बैंकिंग निकाय**

**जीवन बीमा**

**i. प्रीमियम आय**

प्रीमियम (सेवा कर/जीएसटी निवल) जब देय है तब आय के रुप में पहचाना गया है. लिंक्ड कारोबार हेतु जब एसोसिएटेड यूनिट सृजित की गई, तब प्रीमियम के रुप मे पहचाना गया है. टॉप-अप प्रीमियम को एकल आय के रुप में लिया गया है. कालातीत पॉलिसियों पर प्रीमियम को तब आय के रुप में पहचाना गया है, जब पॉलिसियां बहाल हुई हैं. पुनर्बीमा पर प्राप्त कमीशन को उस अवधि की आय के रुप में तब परिवर्तित किया गया है, जब पुनर्बीमा के रुप में प्राप्त हुआ है.

**ii. लिंक्ड फंड से आय**

लिंक्ड फंड से आय, जिसमें प्रीमियम आबंटन प्रभार, पॉलिसी प्रशासनिक प्रभार, मोर्टेलिटी प्रभार, कोष प्रबंधन प्रभार आदि शामिल हैं, जारी पॉलिसियों के नियमों व शर्तों के अनुसार लिंक्ड फंड से वसूल किया गया है.

**iii. पुनर्वीमा प्रीमियम**

पुनर्बीमा की लागत को प्रीमियम आय की पहचान के समय समझौते अथवा पुनर्बीमाकर्ता के साथ मूल अनुबंध के अनुसार गणना की गई है. पुनर्बीमा पर लाभ कमीशन, पुनर्बीमा पर प्राप्त प्रीमियम के विरुद्ध प्राप्त है.

**iv. लाभों का भुगतान (दावों सहित)**

लाभ के भुगतान में पॉलिसी लाभ व दावा निपटान लागत, यदि कोई है तो शामिल की गई है. मृत्यु, राइडर व समर्पण दावों की गणना सूचना प्राप्त होने पर की गई है. उत्तरजीवी लाभ दावों व परिपक्वता दावों को देय होने पर गणना की गई है. लिंक्ड पॉलिसी के अंतर्गत निकासी व समर्पण को, जब एसोसिएट यूनिट्स निरस्त हुए हैं, तब संबंधित योजना में गणना की गई है. दावों पर पुनर्बीमा वसूली की उसी अवधि में गणना की गई है, जिस अवधि से संबंधित दावे हैं.

**v. अधिग्रहण लागत**

अधिग्रहण लागत वह लागत है जिसमें घटना-बढ़ना जारी रहता है और प्राथमिक तौर पर बीमा संविदा के अधिग्रहण से संबंधित है और उसी अवधि में खर्च किए गए जिस अवधि से संबंधित हैं.

**vi. जीवन बीमा पॉलिसियों हेतु देयता**

स्वीकृत बीमांकिक व्यवहार, बीमा अधिनियम, 1938 की आवश्यकताओं, आईआरडीए विनियमनों और इंस्टिट्यूट ऑफ एक्च्युरीज ऑफ इंडिया के अनुसार जीवन बीमा पॉलिसियों हेतु बीमांकिक देयता और उन पॉलिसियों के संबंध में जिनका प्रीमियम बंद हो चुका है, लेकिन देयता अस्तित्व में है, नियुक्त बीमांकिक द्वारा सकल प्रीमियम पद्धति का उपयोग करते हुए और समूह कारोबार के मामले में अनर्जित प्रीमियम रिजर्व पद्धति द्वारा पता लगाया गया है.

**आस्ति प्रबंधन**

i. निवेश प्रबंधन शुल्क को सेवा कर के साथ उपचय आधार पर म्यूचुअल फण्ड योजना (योजना में कम्पनी द्वारा किए गए निवेश को छोड़कर) की औसत दैनिक शुद्ध आस्तियों के प्रतिशत के रुप में इस प्रकार पहचान की गई है कि यह सेबी (म्यूचुअल फण्ड) विनियमन, 1996 और उसके पश्चात किसी संशोधन द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक न हो.

ii. निवेश सलाहकारी शुल्क की ग्राहक के साथ संविदा की शर्तों के अनुसार उपचय आधार पर पहचान की गई है .

iii. ब्याज आय की समय अनुपात पद्धति का उपयोग करते हुए, संव्यवहार में निहित दर के आधार पर पहचान की गई है

iv. लाभांश आय की पहचान तब की गई है, जब प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो गया हो.

**5. निवेश**

**i. वर्गीकरण**

बैंककारी विनिमयन अधिनियम,1949 की तीसरी अनुसूची के प्रारुप ए की अपेक्षाओं के अनुरुप, निवेशों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

क) सरकारी प्रतिभूतियां

ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां

ग) शेयर

घ) ऋणपत्र एवं बॉन्ड

ङ) अनुषंगी इकाइयों एवं संयुक्त उपक्रमों में निवेश, और

च) अन्य निवेश

बैंक के निवेश पोर्टफोलियो को, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अधीन निम्नलिखित संवर्गों में वर्गीकृत किया गया है. यथा:

क) परिपक्वता तक धारित (एचटीएम),

ख) बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)

ग) व्यापार के लिए धारित (एचएफटी)

**ii) मूल्यांकन का आधार :**

मूल्यांकन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित सिद्धांत अपनाए गए हैं:

क) "परिपक्वता तक धारित" में निवेश की गई प्रतिभूतियां- अधिग्रहण लागत पर: अधिग्रहण लागत, अंकित मूल्य से अधिक होने की स्थिति में, परिपक्वता की शेष अवधि पर परिशोधित है तथा बट्टे की दशा में; इसे आय नहीं माना गया है.

ख) अनुषंगी इकाइयों एवं संयुक्त उपक्रम में निवेश संवहन लागत के आधार पर मूल्यांकित किया गया है. एएस-23 "समेकित वित्तीय विवरणों में एसोसिएट्स में निवेश हेतु लेखांकन" के अनुसार इक्विटी पद्धति का अनुपालन करते हुए एसोसिएट्स में निवेश लागत के आधार पर मूल्यांकित किया गया है.

ग) ऐसे निवेशों के मूल्यांकन में स्थायी ह्रास, यदि कोई है, का प्रावधान कर दिया गया है.

घ) ''एएफएस'' व ''एचएफटी'' श्रेणी में धारित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन वर्ग-वार एवं स्क्रिप-वार किया गया है और प्रत्येक वर्गीकरण में किसी प्रकार का शुद्ध ह्रास, लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया गया है, जबकि किसी प्रकार की शुद्ध वृद्धि को अनदेखा किया गया है.

ङ) प्रतिभूतियों का मूल्यांकन निम्नानुसार किया गया है:

| | | |
|---|---|---|
| क | भारत सरकार की प्रतिभूतियां | फिक्स्ड इन्कम मनी मार्केट एंव डेरिवेटिव्स एसोसिएशन (एफआईएमएमडीए) के कोटेशन के अनुसार |
| ख | राज्य विकास ऋण, केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियां, पीएसयू बॉन्ड्स | एफआईएमएमडीए के दिशानिर्देशों के अनुसार, परिपक्वता पर समुचित प्राप्तियों के आधार पर. |
| ग | इक्विटी शेयर | यदि उपलब्ध हो, तो बाज़ार मूल्य पर अन्यथा अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र (एक वर्ष से अधिक पुराना न हो) के अनुसार बही मूल्य पर, दोनों नहीं होने पर ₹1/- प्रति कंपनी के अनुसार. |
| घ | अधिमानी शेयर | यदि उल्लिखित हो, तो बाजार मूल्य पर या एफआईएमएमडीए के निर्देशानुसार परिपक्वता पर समुचित आय के आधार पर, लेकिन शोधन मूल्य से अधिक नहीं. |
| ङ | ऋण पत्र/बॉन्ड्स | यदि उल्लिखित हो, तो बाजार मूल्य पर या एफआईएमएमडीए के निर्देशानुसार परिपक्वता पर समुचित आय के आधार पर. |
| च | म्यूचुअल फंड (एम एफ) | स्टॉक एक्सचेंज कोटेशन के अनुसार, यदि हों. अनकोटेड इकाइयों की दशा में, संबंधित म्यूचुअल फंड द्वारा घोषित नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य के अनुसार. यदि नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य घोषित न हो, तो शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) के अनुसार. |
| छ | राजकोषीय बिल/जमा प्रमाणपत्र/ वाणिज्यिक पत्र | संवहन लागत पर |
| ज | उद्यम पूंजी निधियां (वीसीएफ) | घोषित एनएवी पर अथवा लेखापरीक्षित तुलन पत्र, जो 18 माह से अधिक पुराना न हो, के अनुसार विश्लेषित एनएवी, यदि एनएवी/लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण लगातार 18 माह से उपलब्ध न हो तो ₹1/- प्रति वीसीएफ. |
| झ | प्रतिभूति रसीदें | प्रतिभूतिकरण कंपनियों द्वारा घोषित एनएवी पर |

**iii)** अंतर बैंक रेपो/रिवर्स रेपो लेनदेन का लेखांकन, भारतीय रिज़र्व बैंक के विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है.

**iv)** भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग में प्रतिभूतियों की शिफ्टिंग निम्नानुसार की गई है **:**

क) विक्रय के लिए उपलब्ध/ट्रेडिंग के धारित से परिपक्वता तक धारित की श्रेणी में, यथा शिफ्ट की तारीख पर बही मूल्य के निचले स्तर पर अथवा बाजार मूल्य पर, यदि कोई, ह्रास है, तो लगाया गया है.

ख) परिपक्वता तक धारित श्रेणी से विक्रय के लिए उपलब्ध/ट्रेडिंग के लिए धारित श्रेणी में

- यदि परिपक्वता तक धारित श्रेणी में प्रतिभूति मूलत: डिस्काउंट पर हो, तो अधिग्रहण लागत/बही मूल्य पर
- यदि प्रतिभूति मूलत: प्रीमियम पर हो, तो परिशोधित लागत पर

ग) विक्रय के लिये उपलब्ध से ट्रेडिंग के लिये धारित श्रेणी में या इसके विपरीत, बही मूल्य पर.

घ) इस प्रकार शिफ्ट की गयी प्रतिभूतियों का तुरंत पुनर्मूल्यांकन किया गया और इसके परिणामस्वरूप मूल्य में होने वाली कमी के लिये पूरा प्रावधान किया गया.

v) गैर निष्पादक निवेश की पहचान की गई है और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यह्रास/प्रावधान किया गया है.

vi) किसी भी श्रेणी के निवेश की बिक्री से होने वाले लाभ/हानि को, लाभ और हानि खाते में लिया जाता है. तथापि, परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के निवेश की बिक्री से लाभ होने पर, लाभ के बराबर राशि (कर और सांविधिक आरक्षित निधियों को अंतरित राशि घटाकर शेष राशि) आरक्षित पूंजी खाते में समायोजित की गई है.

vii) प्रतिभूतियों पर कमीशन, दलाली, प्रतिभूतियों पर बीच की अवधि का ब्याज आदि, लाभ और हानि खाते को जमा/नामे की गई है.

viii) भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, निवेश संव्यवहारों के लेखांकन के लिए बैंक द्वारा ''निपटान तिथि'' का पालन किया जाता है.

**6. डेरीवेटिव संविदा**

वित्तीय विवरण में ब्याज वहन करने वाली आस्ति अथवा देयता को संरक्षण देने वाली ब्याज दर स्वैप (आईआरएस) उपचय आधार पर लगाई गई है सिवाय उन स्वैप नामित आस्तियों और देयताओं के, जिन्हें लागत अथवा बाजार मूल्य, दोनों में जो कम हो, अथवा बाजार मूल्य पर लिया गया है. स्वैप की समाप्ति पर लाभ या हानि का स्वैप की शेष संविदा अवधि अथवा आस्ति/देयता की शेष अवधि, जो भी कम हो, के अनुसार निर्धारित किया गया है.

i) ट्रेडिंग स्वैप संव्यवहार वित्तीय विवरण में दर्ज परिवर्तनों के साथ बाजार दर पर मार्क किये गए हैं.

ii) विकल्प संविदाओं के मामले में, फेडाई द्वारा समय-समय पर आय की पहचान, प्रीमियम और बट्टे से संबंधित जारी दिशानिर्देशों का पालन किया गया है.

**7. अग्रिम**

i) भारत में सभी अग्रिमों को 4 श्रेणियों (क) मानक, (ख) अवमानक, (ग) संदिग्ध तथा (घ) हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है. ऐसे अग्रिमों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विद्यमान विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान सुनिश्चित किए गए हैं. विदेशी शाखाओं के अग्रिमों के संबंध में, भारतीय रिजर्व बैंक अथवा स्थानीय विधि, जिस देश में अग्रिम दिए गए हैं, द्वारा लागू विवेकपूर्ण मानदंड, जो भी अधिक सख्त होंगे, लागू किए गए हैं.

ii) अग्रिमों में विशेष हानि के लिए प्रावधान, काउंटर साइक्लिकल बफर प्रावधानीकरण, पुनर्गठन से अग्रिमों के बाद उचित मूल्य में आई गिरावट के लिए प्रावधान तथा गैर-निष्पादक आस्तियों से संबंधित वसूल न हुई विविध जमा में रखी ब्याज की राशि और सूक्ष्म एवं लघु

उद्यमियों के लिए ऋण गारंटी ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई)/निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) से प्राप्त दावे की राशि को घटाकर निवल राशि ही दर्शाई गई है.

iii) मानक अग्रिमों पर सामान्य प्रावधान को ''अन्य देयताओं और प्रावधानों'' में रखा गया है, जिन्हें तुलनपत्र की अनुसूची 5 में दर्शाया गया है तथा निवल गैर-निष्पादक आस्तियों व निवल अग्रिमों में नहीं लिया गया है.

**8. स्थायी आस्तियां, मूल्यह्रास एवं परिशोधन**

i) स्थायी आस्तियों को, मूल्यह्रास और क्षतियों की राशि (यदि कोई हो) समायोजित करने के बाद, लागत पर दिखाया गया है. व्यय में खरीद का मूल्य और सभी व्यय जैसे कार्यस्थल तैयारी, इन्स्टॉलेशन व्यय और उपयोग के लिए तैयार होने से पूर्व आस्तियों पर व्यय किया हुआ पेशेवर शुल्क शामिल है. इसके बाद आस्ति पर किए गए व्ययों को केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है, जिनसे आस्ति से भविष्य के लाभ में वृद्धि होती है या उसकी कार्यक्षमता में वृद्धि होती है. भूमि तथा भवन का यदि पुनर्मूल्यांकन किया जाता है तो उनकी पुनर्मूल्यांकित राशि दर्शाई जाती है. पुनर्मूल्यांकन से बढ़ी हुई राशि को पुनर्मूल्यांकन निधि में जमा किया जाता है तथा ह्रास की राशि को उसमें से घटाया गया है.

संशोधित लेखांकन मानक 10 - संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अनुसार, पुनर्मूल्यांकित आस्तियों के संबंध में पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप अतिरिक्त मूल्यह्रास को तुलन पत्र में पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि से राजस्व आरक्षित निधि में स्थानांतरित किया गया है.

ii) अचल आस्तियों के मूल्यह्रास का प्रावधान अवलिखित मूल्य पद्धति के अनुसार प्रबंधन द्वारा उचित समझी गयी निम्नांकित दर पर की गई है:

| | आस्ति का प्रकार | मूल्यह्रास की दर |
|---|---|---|
| I. | परिसर | 5% |
| II. | अन्य स्थायी आस्तियां | |
| | - फर्नीचर और फिटिंग्स | 10% |
| | -इलेक्ट्रिक फिटिंग और उपस्कर, कार्यालय उपकरण और एसडीवी लॉकर्स/स्ट्रांग रूम आदि | 15% |
| | - परिवहन वाहन | 20% |
| | - बाधारहित विद्युत आपूर्ति उपस्कर यूपीएस. | 33.33% |
| III. | आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप जोड़ी गयी राशि पर | संबंधित आस्ति पर लागू दर, उसके आर्थिक अवशिष्ट काल के आधार पर. |

iii) एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को पूँजीगत किया जाता है तथा अमूर्त आस्तियों में मिला दिया जाता है. कम्प्यूटर एवं सॉफ्टवेयर पर ह्रास, कम्प्यूटर हार्ड वेयर एवं एटीएम का एक भाग है, जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार सीधी रेखा पद्धति से 33.33% की दर पर ह्रास लगाया जाता है.

iv) 30 सितंबर तक आस्तियों के परिवर्द्धन पर मूल्यह्रास पूर्ण दर से और उसके बाद हुए परिवर्द्धन पर आधी दर से लगाया गया है.

v) भूमि और भवन का मूल्य अलग-अलग पता न लगा पाने पर, परिसर पर मूल्यह्रास संमिश्र लागत पर लगाया गया है.

vi) वर्ष के दौरान बेची/निपटान की गई आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान नहीं किया गया है.

vii) पट्टे की प्राथमिक अवधि के संदर्भ में पट्टे पर ली गयी आस्ति तथा इनमें संवर्धन पर मूल्यह्रास, पट्टे की मूल अवधि के लिए सीधी रेखा पद्धति दर के आधार पर लगाया गया है.

viii) देश के बाहर स्थित स्थायी आस्तियों एवं सहायक/एसोसिएट्स की स्थायी सम्पत्तियों पर नियामक की आवश्यकतानुसार/अथवा संबंधित देश/उद्योग की प्रचलित प्रथाओं के अनुरूप मूल्यह्रास लगाया गया है.

**9. आस्तियों में क्षरण**

आंतरिक/बाहरी कारकों से किसी प्रकार के क्षरण संकेत मिलने पर, प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को आस्तियों के संवहन लागत की समीक्षा की जाती है. किसी आस्ति की संवहन लागत उसकी वसूली योग्य लागत से अधिक होने पर क्षरण हानि मानी जाती है. क्षरण हानि उस समय मानी जाती है जब उस आस्ति की संवहन लागत, उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो. आस्ति के निवल विक्रय मूल्य और उपयोग मूल्य से वसूली योग्य राशि अधिक है. उपयोग मूल्य के निर्धारण हेतु, मौजूदा बाजार आकलन और आस्ति के जोखिम विशेष के अनुसार, कर- पूर्व बट्टा दर पर भविष्य की अनुमानित नकदी प्रवाह का वर्तमान मूल्य पता किया जाता है. क्षरण के बाद आस्ति की शेष उपयोगिता अवधि की संशोधित संवहन लागत पर मूल्यह्रास लगाया जाता है. परिस्थितियों में परिवर्तन के अनुसार, पहले लगाई क्षरण हानि बढ़ाई या घटाई जाती है. लेकिन हानि कम होने से रिवर्सल के बाद भी, संवहन मूल्य उस संवहन लागत से अधिक नहीं होगा, जो क्षरण न होने पर सामान्य मूल्यह्रास लगाने के बाद होता.

**10. काउंटर साइक्लिकल प्रोविजनिंग बफर**

काउंटर साइक्लिकल बफर प्रावधानीकरण करने और उसके उपयोग हेतु, अग्रिम एवं निवेश के लिए बैंक की अपनी अलग-अलग अनुमोदित नीति है. प्रत्येक वित्त वर्ष की समाप्ति पर किए जाने वाले प्रावधान की मात्रा निर्धारित की जाती है. प्रति चक्रीय प्रावधानों का प्रयोग, केवल नीति में निर्दिष्ट असाधारण परिस्थितियों में, भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति से किया जाता है.

**11. विदेशी विनिमय संबंधी लेनदेन**

विदेशी विनिमय संबंधी लेनदेनों का लेखांकन आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक 11, (विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव), के अनुसार किया जाता है. जैसा कि लेखांकन मानक 11 में निर्दिष्ट है, बैंक के विदेशी मुद्रा परिचालनों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है :

क) एकीकृत परिचालन एवं

ख) गैर एकीकृत परिचालन.

समस्त विदेशी शाखाएं, सुदूर बैंकिंग इकाईयां, विदेशी अनुषंगियों के परिचालनों को गैर एकीकृत परिचालन एवं विदेशी विनिमय में घरेलू लेनदेनों एवं प्रतिनिधि कार्यालयों को एकीकृत परिचालन माना जाता है.

**क) एकीकृत परिचालनों के संबंध में अंतरण**

i) आय एवं व्यय मदों को लेनदेन की तारीख पर, विद्यमान विनिमय दरों पर अभिलिखित किया गया है.

ii) विदेशी मुद्रा मौद्रिक एवं गैर-मौद्रिक आस्तियां एवं देयताओं का लेखांकन प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित अन्तिम तत्काल दरों पर किया जाता है.

iii) गारंटी, स्वीकरण, पृष्ठांकन एवं अन्य बाध्यताओं के कारण होने वाली आकस्मिक देयताएं, वर्ष के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित विनिमय दर के आधार पर दर्शायी गयी है.

iv) परिणामी विनिमय अन्तरों की पहचान आय अथवा व्यय के रुप में की जाती है एवं उनका लेखा लाभ एवं हानि खाते में किया जाता है.

V) वायदा विनिमय संविदाओं को, वायदा की तारीख को विद्यमान विनिमय दर पर अभिलिखित किया गया है. फेडाई द्वारा विनिर्दिष्ट परिपक्वताओं और अंतरिम परिपक्वताओं की संविदा के लिए इंटरपोलेटेड दर के अनुसार बकाया वायदा विनिमय संविदाओं का पुनर्मूल्यांकन किया गया है. परिणामी लाभ-हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है.

**ख) गैर-एकीकृत परिचालनों के संबंध में अंतरण**

i) आस्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) का लेखा प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित अन्तिम तत्काल दरों पर किया जाता है.

ii) विदेशी विनिमय तत्काल एवं वायदा बकाया आकस्मिक देयताओं का अंतरिम परिपक्वताओं के अनुबंधों के लिए लेखा तुलन-पत्र की तारीख पर क्रमश: फेडाई द्वारा अधिसूचित तत्काल एवं वायदा दरों एवं इंटरपोलेटेड दरों पर किया जाता है.

iii) आय एवं व्यय का लेखा प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित तिमाही औसत दर पर किया जाता है.

iv) परिणामी विनिमय अन्तरों की पहचान, इस अवधि के लिए आय अथवा व्यय के रुप में नहीं की जाती है बल्कि शुद्ध निवेश के निस्तारण तक उन्हें अलग ''विदेशी मुद्रा लेखा रिजर्व'' खाते में रखा जाता है.

**12. कर्मचारी लाभ**

भविष्य निधि के रूप में सेवानिवृत्ति लाभ एक परिभाषित अंशदायी योजना है. अंशदान देय होने पर, भविष्य निधि अंशदान की राशि, उस वर्ष के लाभ-हानि खाते को नामे की जाती है. भविष्य निधि में देय अंशदान के अतिरिक्त, बैंक का अन्य कोई उत्तरदायित्व नहीं है.

ग्रेच्युटी देयता, पेंशन निधि अंशदान तथा अवकाश नकदीकरण का प्रावधान परिभाषित दायित्व है और इसके लिए प्रावधान लेखा मानक 15 (संशोधित) के अनुसार बीमांकिक आधार पर, वित्त वर्ष के अन्त में अनुमानित यूनिट क्रेडिट के आधार पर किया गया है. वर्ष के दौरान शुद्ध बीमांकिक लाभ/हानि को, लाभ-हानि खाते में लेखांकित किया गया है.

दिनांक 01.04.2010 को या उसके बाद बैंक में भर्ती कार्मिकों के लिए, नई पेंशन योजना परिभाषित अंशदायी योजना है. बैंक द्वारा पूर्व निर्धारित दर से, एक निश्चित अंशदान का भुगतान किया जाता है तथा बैंक की देयता केवल उस अंशदान तक सीमित होती है. इस अंशदान को लाभ-हानि खाते में विकलित किया जाता है. विदेशी कार्यालयों में नियोजित कर्मचारियों के कर्मचारी-लाभों का मूल्यांकन और लेखांकन, संबंधित देश के स्थानीय कानूनों/विनियमों के अनुसार किया जाता है.

**13. खंड-वार रिपोर्ट करना :**

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों और आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 17 के अनुसार, बैंक का कारोबार प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड और भौगोलिक विस्तार को द्वितीयक कारोबार खंड के रूप में मान्यता प्राप्त है. कारोबार खंड को (क) ट्रेजरी परिचालन, (ख) कॉर्पोरेट और होलसेल बैंकिंग, (ग) रिटेल बैंकिंग परिचालन और (घ) अन्य बैंकिंग परिचालन में वर्गीकृत किया गया है:

**14. लीज़ संव्यवहार**

परिचालन लीज पर लिये गये आस्तियों हेतु किया गया भुगतान, लीज अवधि के अनुसार लेखांकित किया जाता है. बैंक द्वारा लीज/किराये पर ली गयी संपत्तियों के लीज की समाप्ति/नवीनीकरण का विकल्प बैंक के पास होता है. अतिरिक्त किराये/लीज संबंधी विवादों में, बैंक की देयताओं को समझौते या नवीकरण के समय मान्यता दी जाती है.

**15. प्रति शेयर आय**

प्रति शेयर अर्जन की गणना आलोच्य वर्ष के निवल लाभ या हानि (कर पश्चात) को, वर्ष के दौरान इक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या से विभाजित करके की जाती है. प्रति शेयर डायल्युटेड आय संभावित डायल्यूशन को प्रदर्शित करता है, जो वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर निर्गम के अनुबंधों के होने अथवा परिवर्तित होने की स्थिति में होता है. प्रति इक्विटी शेयर डायल्युटेड अर्जन की गणना के लिए, इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और वर्ष के दौरान संभावित बढ़ते शेयरों या परिवर्तित शेयरों की संख्या का प्रयोग कर किया जाता है. प्रति इक्विटी शेयर की डायल्युटेड आय की गणना भारित औसत संख्या का उपयोग करते हुए वर्ष के दौरान बकाया डायल्युटीव संभावित इक्विटी शेयर का उपयोग करके की गई है.

**16. कराधान**

चालू एवं आस्थगित दोनों करों के लिए प्रावधान किया गया है. कर योग्य आय पर वर्तमान दर एवं कर नियमों के अनुसार प्रावधान किया गया है, समय अंतराल के कारण उत्पन्न आस्तियों एवं आस्थगित कर देयताओं, जिन्हें आगामी अवधियों में रिवर्स किया जाना है, की पहचान तुलन पत्र की तारीख तक लागू कर दरों एवं बने हुए कर नियमों के अनुसार की गयी है. आस्थगित कर आस्तियों का निर्धारण तभी किया जाता है जब भविष्य में ऐसी आस्तियों के होने की निश्चितता हो. वर्ष के दौरान आस्थगित कर आस्तियों/देयताओं की गतिविधियों के अनुसार प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर समीक्षा की जाती है.

**17. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां**

आईसीएआई द्वारा जारी लेखा प्रणाली 29 के अनुसार (प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां) बैंक केवल तभी प्रावधान करता है जब पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान देयताएं हों, ऐसी सम्भावना है कि आर्थिक लाभ सहित संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता देयताओं के निपटान और जब देयता की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया गया हो, में होगी. वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों की पहचान नहीं की गयी है क्योंकि इनकी पहचान कभी न वसूली जा सकने वाली आय के रुप में परिणत हो सकती है.

**18. शेयर निर्गम व्यय :**

शेयर निर्गम व्यय, शेयर प्रीमियम खाते में प्रभारित किये जाते हैं.

## अनुसूची 18 - लेखों पर नोट्स

**1.** बैंक (पैरेंट) के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के साथ जिन सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों को समेकित किया गया है उनका विवरण निम्नानुसार है:

| सहायक कंपनियों के नाम | निगमन का देश | 31.03.19 को बैंक (पैरेंट) के स्वामित्व का अनुपात |
|---|---|---|
| यूनियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्रा.लि. | भारत | 100% |
| यूनियन ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि. | भारत | 100% |
| यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यूके लि. | यूनाईटेड किंगडम | 100% |

**2.** समेकित वित्तीय विवरणों में संयुक्त उपक्रमों के विवरण निम्नानुसार हैं:

| संयुक्त उपक्रम का नाम | निगमन का देश | स्वामित्व का अनुपात |
|---|---|---|
| स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. (गैर बैंकिंग) | भारत | 25.10% |

**3. समेकित वित्तीय विवरणों में एसोसिएट के विवरण निम्नानुसार हैं:**

| एसोसिएट्स के नाम | निगमन का देश | स्वामित्व का अनुपात |
|---|---|---|
| क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक काशी गोमती संयुत ग्रामीण बैंक | भारत | 35% |

31 मार्च, 2019 को बैंक द्वारा किए गए निवेश का मूल्य ₹916.65 करोड़ रहा, जिसे लंबी अवधि के निवेश के रूप में माना गया है.

**4.** सहायक कंपनियों, संयुक्त उपक्रम और एसोसिएट्स के वित्तीय विवरण जिनका समेकन के लिये उपयोग किया गया है, वे पैरेंट की रिपोर्टिंग तिथि, अर्थात 31 मार्च, 2019 तक के हैं.

**5.** 31.03.2019 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, यूनियन ट्रस्टी कं. प्राइवेट लिमिटेड, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूके लिमिटेड और काशी गोमती संयुत ग्रामीण बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) के अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर तैयार किए गए हैं.

6. निरंतर आधार पर उचंत खातों, सुदृढ़ जमा, समाशोधन समायोजन, बैंक समामेलन वक्तव्य और विभिन्न अंतर-शाखा/कार्यालय खातों में लंबित प्रविष्टियों का समायोजन प्रगति पर है.

उसी के अंतिम मंजूरी के बावजूद, प्रबंधन की राय में खातों पर कुल प्रभाव, यदि कोई हो, तो वह उल्लेखनीय नहीं है.

**7. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रकटन निम्नानुसार है:**

### 7.1 क. पूंजी

बैंक 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बासल III के लिये निर्धारित पूंजी पर्याप्तता दिशानिर्देशों के पालन के अधीन है. 31 मार्च, 2019 तक बासल III के कार्यान्वयन के लिए एक संक्रमण अनुसूची दिशानिर्देश में दी गई है. दिशानिर्देशों के अनुसार, टीयर I पूंजी कॉमन इक्विटी टियर I (सीईटी I) और अतिरिक्त टियर I से बनी है.

बासल III के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक को 31 मार्च, 2019 तक पूंजी का जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) 10.875% तक, जिसमें न्यूनतम सीईटी-I 7.375% (1.875% के पूंजी संरक्षण बफर सहित) और न्यूनतम टीयर I सीआरएआर 8.875% तक बनाए रखना आवश्यक है.

संरचना के अनुसार पूंजी पर्याप्तता की गणना नीचे दी गई है :

| क्र.सं. | विवरण | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|---|---|---|---|
| i) | सामान्य इक्विटी टीयर-1 पूंजी अनुपात(सीईटी1) (%) बासल III | 8.10 | 7.62 |
| ii) | टीयर I पूंजी अनुपात (%) बासल III | 9.56 | 9.08 |
| iii) | टीयर II पूंजी अनुपात (%) बासल III | 2.30 | 2.43 |
| iv) | कुल पूंजी अनुपात (सीआरएआर) (%) बासल III | 11.86 | 11.51 |
| v) | भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत (%) | 74.27 | 67.43 |
| vi) | उगाही गई इक्विटी पूंजी की राशि : (₹ करोड़ में) | 46,80.32 | 70,65 |
| vii) | उगाही गई अतिरिक्त टीयर-1 पूंजी की राशि : (₹ करोड़ में) | शून्य | 5,00 |
| viii) | उगाही गई टीयर-II पूंजी की राशि: (₹ करोड़ में) | शून्य | शून्य |
| | इसमें से डेब्ट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट : (₹ करोड़ में) | शून्य | शून्य |

**7.2 प्रावधान एवं आकस्मिकताएं**

(₹ करोड़ में)

| लाभ एवं हानि शीर्ष के अंतर्गत दर्शाए गये प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं का ब्रेकअप | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|---|---|---|
| निवेशों पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधान / (प्रति प्रविष्टि) | (4,04.37) | 15,59.99 |
| एनपीए के लिए प्रावधान | 1,15,25.80 | 1,34,99.84 |
| मानक आस्तियों के लिये प्रावधान (प्रति प्रविष्टि) | 1,38.26 | (7,20.39) |
| आयकर / आस्थगित कर के लिये प्रावधान | (9,99.75) | (13,85.93) |
| अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएं: | | |
| - शिफ्टिंग हानि | 4,10.91 | 3,67.25 |
| - पुनर्संरचित अग्रिम | (3,56.06) | (2,35.65) |
| - अन्य | 2,21.73 | (2,72.54) |
| **योग** | **1,05,36.52** | **1,28,12.57** |

**7.3 काउंटर साईक्लिकल प्रोविजनिंग बफ़र / फ्लोटिंग प्रोविजन**

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | विवरण | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|---|---|---|---|
| i) | प्रारंभिक शेष | 2,93.20 | 2,93.20 |
| ii) | लेखा वर्ष के दौरान किये गये अतिरिक्त प्रावधान | शून्य | शून्य |
| iii) | लेखा वर्ष के दौरान ड्रा डाउन की गई राशि | शून्य | शून्य |
| iv) | लेखाबंदी शेष | 2,93.20 | 2,93.20 |

**8. कर्मचारी लाभ (एएस 15 - संशोधित)**

**परिभाषित लाभ योजनाएं - कर्मचारी की पेंशन योजना और उपदान योजना:**

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानक के अनुसार बैंक कर्मचारी लाभ के लिए जिम्मेदार है.

(₹ करोड़ में)

| | विवरण | 31.03.2019 | | 31.03.2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | उपदान | पेंशन | उपदान | पेंशन |
| i) | **परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन दिखाने वाली तालिका:** | | | | |
| | वर्ष के आरंभ में देयता | 12,44.88 | 1,18,03.32 | 11,14.72 | 1,12,31.15 |
| | ब्याज लागत | 97.47 | 9,15.94 | 80.26 | 8,36.72 |
| | चालू सेवा लागत | 57.96 | 1,03.65 | 53.45 | 1,20.75 |
| | पिछली सेवा लागत (निहित लाभ परिशोधन) | शून्य | शून्य | 2,42.12 | शून्य |
| | पिछली सेवा लागत (निहित लाभ) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | देयता अंतरण आवक | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | देयता अंतरण जावक | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | प्रदत्त लाभ | (1,88.78) | (7,53.46) | (1,37.65) | (6,59.09) |
| | बाध्यताओं पर बीमांकिक (अर्जन)/हानि - | 3.20 | (36.24) | 34.24 | 3,11.61 |
| | वित्तीय धारणा में यथोचित परिवर्तन | | | | |
| | बाध्यताओं पर बीमांकिक (अर्जन)/हानि | 7.91 | 1,25.22 | (1,42.26) | (37.82) |
| | **वर्ष के अंत में देयताएं** | 12,22.64 | 1,21,58.43 | 12,44.88 | 1,18,03.32 |
| ii) | **योजना आस्तियों के उचित मूल्य की सारणी:** | | | | |
| | वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य | 13,02.00 | 1,21,15.00 | 13,33.03 | 1,12,14.89 |
| | योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिलाभ | 1,01.95 | 9,40.12 | 95.98 | 8,35.51 |
| | अंशदान | शून्य | शून्य | शून्य | 7,45.08 |
| | अन्य कंपनी से अंतरण | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | अन्य कंपनी को अंतरण | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | प्रदत्त लाभ | (1,88.78) | (7,53.46) | (1,37.65) | (6,59.09) |
| | योजना आस्तियों पर बीमांकिक (अर्जन)/हानि | 13.03 | (7.18) | (10.64) | 21.39 |
| | वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य | 12,02.14 | 1,23,08.84 | 13,02.00 | 1,21,15.00 |
| | अवधि के लिये बाध्यताओं पर बीमांकिक (अर्जन)/हानि | 11.11 | 88.98 | (1,08.02) | 2,73.79 |
| | योजना आस्तियों पर बीमांकिक (अर्जन)/हानि | 13.03 | (7.18) | (10.64) | 21.39 |
| | **अभिज्ञात किया जाने वाला कुल बीमांकिक (अर्जन)/हानि** | 24.14 | 81.80 | (1,18.66) | 2,95.18 |
| iii) | **संक्रमणकालीन देयता की पहचान:** | | | | |
| | प्रारंभिक संक्रमणकालीन देयता | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | वर्ष के दौरान पहचानी गयी संक्रमणकालीन देयता | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | **अंत में संक्रमणकालीन देयता** | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| iv) | **योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ:** | | | | |
| | योजना आस्तियों पर संभावित प्रतिलाभ | 1,01.95 | 9,40.12 | 95.98 | 8,35.51 |
| | योजना आस्तियों पर बीमांकिक अर्जन/(हानि) | (13.03) | 7.18 | 10.64 | (21.39) |
| | **योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ:** | 88.92 | 9,47.30 | 1,06.62 | 8,14.12 |

| | विवरण | 31.03.2019 | | 31.03.2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | उपदान | पेंशन | उपदान | पेंशन |
| v) | **आय विवरण में चिन्हित व्यय:** | | | | |
| | वर्तमान सेवा लागत | 57.96 | 1,03.65 | 53.45 | 1,20.75 |
| | ब्याज लागत | (4.48) | (24.18) | (15.72) | 1.21 |
| | योजना आस्तियों पर संभावित प्रतिलाभ | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | चिन्हित पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ परिशोधन) | शून्य | शून्य | 2,42.12 | शून्य |
| | चिन्हित पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | संक्रमण देयता की पहचान | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | बीमांकिक (अर्जन) या हानि | 24.14 | 81.80 | (1,18.66) | (2,95.18) |
| | **लाभ व हानि खाते में चिन्हित व्यय** | 77.62 | 1,61.27 | 1,61.19 | 4,17.14 |
| vi) | **तुलन पत्र समाधान:** | | | | |
| | प्रारंभिक शुद्ध देयता (पिछले वर्ष के तुलन पत्र में चिन्हित शुद्ध राशि) | (57.12) | (3,11.68) | (2,18.31) | 16.26 |
| | उपर्युक्त के अनुसार व्यय | 77.62 | 1,61.27 | 1,61.19 | 4,17.14 |
| | अन्य कंपनियों से अंतरित (शुद्ध) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | अन्य कंपनियों को अंतरित (शुद्ध) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | नियोक्ता का अंशदान | शून्य | शून्य | शून्य | (7,45.08) |
| | **तुलन-पत्र में चिन्हित शुद्ध (आस्ति) / देयता राशि** | 20.50 | (1,50.41) | (57.12) | (3,11.68) |
| vii) | **अन्य विवरण :**<br>पेंशन, सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए वेतन के 1/66 की दर से देय है, जो कि अधिकतम 50% के अधीन है.<br>उपदान, प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए 15 दिन की दर से देय है, बशर्ते कि अधिकतम राशि ₹20,00,000 या बैंक की योजना के अनुसार हो.<br>वर्ष के दौरान बीमांकिक अर्जन/हानि की गणना की गई है.<br>वेतन वृद्धि कंपनी द्वारा बताए अनुसार समायोजित की गई है, जो पदोन्नति, कर्मचारियों की मांग एवं पूर्ति को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग उद्योग में लागू प्रथा के अनुसार है. | | | | |
| | सदस्यों की संख्या | 3,72,67 | 1,51,54 | 3,75,02 | 1,64,43 |
| | वेतन प्रति माह | 1,13.20 | 91.04 | 1,71.21 | 92.65 |
| | **आगामी वर्ष के लिये अंशदान** | 80.04 | शून्य | 0.84 | शून्य |
| viii) | **आस्तियों का संवर्ग:** | | | | |
| | भारत सरकार की आस्तियां | 74.78 | 2,03.33 | 94.78 | 2,50.28 |
| | कॉर्पोरेट बाण्ड / एफडीआर | 1,32.71 | 15,39.48 | 1,78.50 | 13,42.84 |
| | विशेष जमा योजना | - | - | 8.01 | 4,10.00 |
| | राज्य सरकार | 1,66.50 | 7,35.89 | 1,74.58 | 7,61.71 |
| | सम्पत्ति | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | अन्य | 1,07.32 | 13,29.07 | 1,11.64 | 13,24.49 |
| | बीमाकर्ता प्रबंधित निधियां | 7,20.83 | 85,01.07 | 7,34.50 | 80,25.68 |
| | **योग** | 12,02.14 | 1,23,08.84 | 13,02.01 | 1,21,15.00 |

(₹ करोड़ में)

| योजना में अधिशेष/कमी: | उपदान योजना | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **तुलन पत्र में पहचानी गई राशि** | **31.03.2019** | **31.03.2018** | **31.03.2017** | **31.03.2016** | **31.03.2015** |
| वर्ष के अंत में देयता | 12,22.64 | 12,44.88 | 11,14.72 | 11,10.33 | 10,88.16 |
| वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य | 12,02.14 | 13,02.00 | 13,33.03 | 12,51.27 | 12,64.00 |
| अंतर | (20.50) | 57.12 | 2,18.31 | 1,40.94 | 1,75.84 |
| पिछली पहचान न की गई सेवा लागत | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| पहचान न की गई संक्रमण देयता | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| तुलन पत्र में पहचान की गई राशि | (20.50) | 57.12 | 2,18.31 | 1,40.94 | 1,75.84 |

(₹ करोड़ में)

| तुलन पत्र में पहचान की गई राशि | उपदान योजना | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **अनुभव समायोजन** | **31.03.2019** | **31.03.2018** | **31.03.2017** | **31.03.2016** | **31.03.2015** |
| योजना देयता पर (अर्जन)/हानि | 7.91 | (1,42.26) | (13.96) | शून्य | (21.18) |
| योजना आस्तियों पर (हानि) / लाभ | (13.03) | 10.64 | 42.42 | 29.80 | 38.03 |

(₹ करोड़ में)

| योजना में अधिशेष/कमी: | पेंशन | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **तुलन पत्र में चिन्हित राशि** | **31.03.2019** | **31.03.2018** | **31.03.2017** | **31.03.2016** | **31.03.2015** |
| वर्ष के अंत में देयताएं | 1,21,58.43 | 1,18,03.32 | 1,12,31.15 | 96,19.00 | 82,18.43 |
| वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य | 1,23,08.84 | 1,21,15.00 | 1,12,14.89 | 95,25.70 | 78,61.00 |
| अंतर | 1,50.41 | 3,11.68 | (16.26) | (93.30) | (3,57.43) |
| पहचानी नहीं गई पूर्व सेवा लागत | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| पहचानी नहीं गई संक्रमण देयता | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| तुलन पत्र में पहचानी गई राशि | 1,50.41 | 3,11.68 | (16.26) | (93.30) | (3,57.43) |

| तुलन पत्र में पहचानी गई राशि | पेंशन | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **अनुभव समायोजन** | **31.03.2019** | **31.03.2018** | **31.03.2017** | **31.03.2016** | **31.03.2015** |
| योजना देयता पर (अर्जन)/हानि | 1,25.22 | (37.82) | 7,93.17 | 13,99.16 | 7,31.44 |
| योजनागत आस्तियों पर (हानि) /अर्जन | (7.18) | (21.39) | 5,26.25 | 1,55.11 | 2,10.89 |

| | मुख्य बीमांकिक पूर्वानुमान का उपयोग (%) | 2018-19 | | 2017-18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | उपदान | पेंशन | उपदान | पेंशन |
| | पिछली छूट दर | 7.83 | 7.76 | 7.20 | 7.45 |
| | पिछली योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ की दर | 7.83 | 7.76 | 7.20 | 7.45 |
| | पिछली वेतन वृद्धि | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| | पिछली पलायन दर | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| | वर्तमान छूट दर | 7.79 | 7.78 | 7.83 | 7.76 |
| | वर्तमान योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ दर | 7.79 | 7.78 | 7.83 | 7.76 |
| | वर्तमान वेतन वृद्धि | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| | वर्तमान पलायन दर | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |

**9.1 परिभाषित अंशदान योजना:**

बैंक द्वारा अंशदान पेंशन योजना (डीसीपीएस) लागू की गई है, जो 01 अप्रैल, 2010 को या उसके बाद बैंक में भर्ती होने वाले सभी संवर्ग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू है. इस योजना का प्रबंधन पेंशन फंड नियामक तथा विकास प्राधिकरण के अधीन राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) ट्रस्ट द्वारा किया जाता है. एनपीएस के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड को केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है. वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, बैंक द्वारा एनपीएस में ₹100.20 करोड़ (पिछले साल ₹86.48 करोड़) का अंशदान किया गया.

**9.2 अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ:**

वर्ष के दौरान कर्मचारियों के विभिन्न दीर्घकालिक लाभ के लिए किए गए प्रावधानों का विवरण इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | अन्य दीर्घकालिक लाभ | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|---|---|---|---|
| 1 | पेंशन | 1,61.27 | 4,17.14 |
| 2 | अवकाश नकदीकरण | (3.92) | 61.84 |
| 3 | अवकाश किराया रियायत | 36.06 | (19.02) |
| 4 | बीमारी अवकाश | शून्य | शून्य |

**10 क्षेत्रवार रिपोर्टिंग (एएस-17)**

**10.1. कारोबार क्षेत्र**

(₹ करोड़ में)

| कारोबार क्षेत्र | | समेकित समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित) | |
|---|---|---|---|
| | | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
| **(क)** | **क्षेत्रवार राजस्व** | | |
| 1 | ट्रेजरी परिचालन | 1,14,40.18 | 1,20,08.17 |
| 2 | रिटेल बैंकिंग परिचालन | 1,11,28.91 | 1,08,80.08 |
| 3 | कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग | 1,54,01.50 | 1,40,12.38 |
| 4 | अन्य बैंकिंग परिचालन | 6,46.77 | 5,50.49 |
| 5 | गैर आबंटित | 10,02.26 | 11,74.01 |
| | **योग** | **3,96,19.62** | **3,86,25.13** |
| | घटाया अंतर क्षेत्रवार राजस्व | (2,64.24) | **(2,11.48)** |
| | **कुल राजस्व** | **3,93,55.38** | **3,84,13.65** |
| **(ख)** | **क्षेत्रवार परिणाम** | | |
| 1 | ट्रेजरी परिचालन | 27,67.14 | 16,48.99 |
| 2 | रिटेल बैंकिंग परिचालन | 9,47.37 | 4,24.88 |
| 3 | कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग | (81,14.53) | (94,88.47) |
| 4 | अन्य बैंकिंग परिचालन | 2,85.87 | 2,75.25 |
| 5 | गैर आबंटित | 1,92.05 | 5,40.95 |
| | **कर पूर्व कुल लाभ** | **(39,22.10)** | **(65,98.40)** |
| (ग) | आयकर | (9,99.75) | (13,85.93) |
| **(घ)** | **शुद्ध लाभ** | **(29,22.35)** | **(52,12.47)** |
| **(ङ)** | **क्षेत्रवार आस्तियां** | | |
| 1 | ट्रेजरी परिचालन | 17,50,59.13 | 17,40,24.01 |
| 2 | रिटेल बैंकिंग परिचालन | 12,73,10.28 | 11,62,79.02 |
| 3 | कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग | 17,88,51.72 | 18,72,88.80 |
| 4 | अन्य बैंकिंग परिचालन | शून्य | शून्य |
| 5 | गैर आबंटित | 1,73,59.40 | 1,35,28.66 |
| | **योग** | **49,85,80.53** | **49,11,20.49** |

| कारोबार क्षेत्र | | समेकित | |
|---|---|---|---|
| | | समाप्त वर्ष | |
| | | (लेखापरीक्षित) | |
| | | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
| (च) | **क्षेत्रवार देयताएं** | | |
| 1 | ट्रेजरी परिचालन | 16,87,54.95 | 16,76,50.29 |
| 2 | रिटेल बैंकिंग परिचालन | 12,33,68.05 | 11,25,61.64 |
| 3 | कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग | 17,33,13.47 | 18,13,01.28 |
| 4 | अन्य बैंकिंग परिचालन | शून्य | शून्य |
| 5 | गैर आबंटित | 63,08.42 | 43,55.48 |
| | **योग** | **47,17,44.89** | **46,58,68.69** |
| | | | |
| (झ) | **प्रयुक्त पूंजी (क्षेत्रवार आस्तियां-क्षेत्रवार देयताएं)** | | |
| 1 | ट्रेजरी परिचालन | **63,04.18** | **63,99.62** |
| 2 | रिटेल बैंकिंग परिचालन | **39,42.23** | **37,17.38** |
| **3** | कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग | **55,38.25** | **59,87.51** |
| 4 | अन्य बैंकिंग परिचालन | **शून्य** | शून्य |
| 5 | गैर आबंटित | **1,10,50.98** | **91,47.28** |
| | **योग** | **2,68,35.64** | **2,52,51.80** |

**नोट:**

1. बैंक चार क्षेत्रों अर्थात ट्रेजरी, रिटेल, कॉर्पोरेट / थोक बैंकिंग एवं अन्य बैंकिंग में परिचालन करता है. उत्पाद और सेवाओं की जोखिम प्रोफ़ाइल और प्रकृति, लक्षित ग्राहक प्रोफाइल, बैंक की संगठनात्मक संरचना और आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली पर विचार करने के बाद इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी क्षेत्रवार रिपोर्टिंग से संबंधित लेखा मानक एएस-17 के अनुसार इन क्षेत्रों की पहचान की गई है. बैंक ने कारोबार क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में प्रकट किया है. इस अवधि के लिए विदेशी शाखा के एएस-17 में निर्धारित राजस्व और अन्य पैरामीटर एएस-17 में निर्धारित सीमा के अंतर्गत हैं. अत: बैंक का रिपोर्ट योग्य भौगोलिक क्षेत्र केवल एक ही है.
2. सीधे तौर पर आबंटित न किए जा सकने योग्य आय, व्यय, प्रयुक्त पूंजी प्रबंधन द्वारा उचित समझे जाने वाले अनुमानों के आधार पर रिपोर्ट किए जाने वाले क्षेत्रों में आवंटित कर दिए गए हैं.
3. पिछले वर्ष / बारह महीनों के आकड़ों को आवश्यकतानुसार पुन: एकत्र / प्रस्तुत किया गया है; ताकि वर्तमान बारह महीनों के वर्गीकरण /प्रस्तुति के अनुरुप हो.

**11. संबंधित पार्टियों का प्रकटन (एएस-18)**

**11.1 संबंधित पार्टियों की सूची**

**क) सहायक कंपनियां**

- यूनियन एसेट मैनेजमेंट कं.प्रा.लि.
- यूनियन ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लि.
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लि.

**ख) संयुक्त उपक्रम**

- स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.

**ग) एसोसिएट**

- पैरेंट बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यथा, काशी गोमती संयुत ग्रामीण बैंक

**घ) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक**

| नाम | पदनाम | वर्ष 2018-19 के दौरान कार्यग्रहण/सेवानिवृत्त |
|---|---|---|
| श्री राजकिरण रै जी. | प्रबंध निदेशक एवं सीईओ | लागू नहीं |
| श्री विनोद कथूरिया | कार्यपालक निदेशक | 31-07-2018 को सेवानिवृत्त |
| श्री गोपाल सिंह गुसाईं | कार्यपालक निदेशक | 20-09-2018 से कार्यग्रहण |
| श्री अतुल कुमार गोयल | कार्यपालक निदेशक | 01-11-2018 को सेवानिवृत्त |
| श्री दिनेश कुमार गर्ग | कार्यपालक निदेशक | 02-11-2018 से कार्यग्रहण |
| श्री राज कमल वर्मा | कार्यपालक निदेशक | 28-02-2019 को सेवानिवृत्त |
| श्री मानस रंजन बिस्वाल | कार्यपालक निदेशक | 01-03-2019 से कार्यग्रहण |

**पार्टियां, जिनके साथ वर्ष के दौरान संव्यवहार दर्ज किए गए**

लेखा मानक (एएस) 18 के अनुच्छेद 9 के अनुसार संबंधित पार्टियां जो ''राज्य नियंत्रित उद्यम'', के संबंध में किसी भी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है. आगे, एएस 18 के अनुच्छेद 5 के अनुसार, बैंकर - ग्राहक संबंध की प्रकृति के संव्यवहारों, जिनमें प्रमुख प्रबंधन कार्मिक और उनके रिश्तेदार भी शामिल हैं, का प्रकटन नहीं किया गया है.

**11.2 प्रमुख प्रबंधन कार्मिक - प्रदत्त पारिश्रमिक**

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|---|---|---|
| अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक | 0.30 | 0.28 |
| कार्यपालक निदेशक | 0.75 | 0.76 |
| **योग** | **1.05** | 1.04 |

**12. प्रति शेयर अर्जन (एएस-20)**

वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से कर भुगतान के बाद प्राप्त शुद्ध लाभ को विभाजित कर मूल अर्जन प्रति इक्विटी शेयर की गणना की जाती है. डाइल्यूटेड अर्जन प्रति इक्विटी शेयर की गणना इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या एवं वर्ष के दौरान बकाया डाइल्यूटेड संभावित इक्विटी शेयरों के भारित औसत संख्या के माध्यम से की गई है.

प्रति शेयर आय की गणना नीचे दी गई है:

| क्र.सं. | विवरण | | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|---|---|---|---|---|
| i | मूल एवं डाइल्यूटेड ईपीएस | ₹ | **(24.87)** | (68.98) |
| ii | इक्विटी शेयरधारकों के लिये कर के उपरांत शुद्ध लाभ / हानि | ₹ करोड़ में | **(29,22.35)** | (52,12.47) |
| iii | इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या | संख्या करोड़ में | **1,17.50** | 75.56 |
| iv | प्रति शेयर नामित मूल्य | ₹ | **10** | 10 |

**13. करों के लिये प्रावधान:**

**आस्थगित कर (एएस-22)**

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | विवरण | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|---|---|---|---|
| | **आस्थगित कर आस्तियां** | | |
| 1 | कर्मचारी लाभ (अवकाश नकदीकरण) | 2,53.83 | 2,38.91 |
| 2 | स्थाई आस्तियों पर मूल्यह्रास | 61.38 | 14.07 |
| 3 | अन्य प्रावधानों के लिये | 72,43.21 | 66,37.39 |
| 4 | असमायोजित हानि एवं क्रेडिट के लिए | 1,44.31, | 5.27 |
| | **योग** | **77,02.73** | **68,95.64** |
| | **आस्थगित कर देयताएं** | | |

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | विवरण | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|---|---|---|---|
| 1 | प्रतिभूतियों पर उपचित ब्याज | 7,63.39 | 7,90.01 |
| 2 | 36(i) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधियां | 10,04.64 | 9,94.98 |
| 3 | निवेश पर मूल्यह्रास | 7,45.44 | 9,12.51 |
| | **योग** | **25,13.47** | **26,97.50** |
| | **शुद्ध आस्थगित कर आस्ति** | **51,89.26** | **41,98.14** |
| | **शुद्ध आस्थगित कर देयता** | **शून्य** | **शून्य** |

**14. आस्तियों की हानि (एएस-28)**

प्रबंधन की राय में वर्ष के दौरान उन आस्तियों के अनर्जक होने के कोई संकेत नहीं हैं, जिन पर लेखा मानक 28 लागू होता हो.

**15.** पैरेंट और सहायक कंपनियों के अलग-अलग वित्तीय विवरणों में प्रकट अतिरिक्त जानकारियों का समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस) के निष्पक्ष और उचित दृष्टिकोण से कोई संबंध नहीं है और ऐसी मदों से संबंधित सूचनाएं जो महत्वपूर्ण नहीं हैं, सीएफएस में इसका प्रकटन नहीं किया गया है.

**16.** जहां कहीं आवश्यक है पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्समूहित / पुनर्व्यवस्थित किया गया है.

अनुसूची 1 से 18 के हस्ताक्षरी

**(धीरेन्द्र जैन)**
उप महा प्रबंधक
कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

**(बी. श्रीनिवास राव)**
महा प्रबंधक एवं सीएफओ

**(मानस रंजन बिस्वाल)**
कार्यपालक निदेशक

**(दिनेश कुमार गर्ग)**
कार्यपालक निदेशक

**(गोपाल सिंह गुसाईं)**
कार्यपालक निदेशक

**(राजकिरण रै जी.)**
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

**(केवल हांडा)**
अध्यक्ष

**(डॉ. मदनेश कुमार मिश्रा)**
निदेशक

**(अरूण कुमार सिंह)**
निदेशक

**(राजीव कुमार सिंह)**
निदेशक

**(डॉ. मदुरा स्वामीनाथन)**
निदेशक

**(डॉ. उत्तम कुमार सरकार)**
निदेशक

**(के. केदिरेसन)**
निदेशक

**(जयदेव एम)**
निदेशक

हमारी उक्त तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार.

**कृते एस भंडारी एंड कं.**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 000560C
**(पी पी पारीक)**
भागीदार
(सदस्य.सं. 071213)

**कृते सी एन के एंड एसोसिएट्स एलएलपी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 101961W/W-100036
**(सुरेश एस अगस्कर)**
भागीदार
(सदस्य.सं. 110321)

**कृते कीर्तने एंड पंडित एलएलपी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 105215W/W-100057
**(एस बी भागवत)**
भागीदार
(सदस्य.सं. 008072)

**कृते आर एस पटेल एंड कं.**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 107758W
**(राजन बी शाह)**
भागीदार
(सदस्य.सं. 101998)

**कृते एम जी बी एंड कं. एलएलपी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 101169W/W-100035
**(संजय कोठारी)**
भागीदार
(सदस्य.सं. 048215)

**कृते बी एम चतरथ एंड कं. एलएलपी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 301011E/E300025
**(आनंद चतरथ)**
भागीदार
(सदस्य.सं. 052975)

स्थान : मुंबई
दिनांक : 14 मई, 2019

## 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष का समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(₹ लाख में)

| क्र.सं. | विवरण | 31.03.2019 को समाप्त वर्ष | 31.03.2018 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|---|
| क | **परिचालन कार्यों से नकदी प्रवाह:** | | |
| | कर से पहले निवल लाभ | (39,22,10) | (65,98,40) |
| | निम्न के लिए समायोजन : | | |
| | अचल संपत्तियों पर मूल्य ह्रास | 3,73,82 | 3,68,23 |
| | निवेशों पर मूल्य ह्रास | 6,54 | 19,27,25 |
| | गैर निष्पादित आस्तियों के लिए प्रावधान (निवल) | 1,15,25,81 | 1,34,99,84 |
| | मानक आस्तियों के लिए प्रावधान | (2,45,20) | (12,34,07) |
| | स्टाफ संबंधी व्ययों हेतु प्रावधान | 1,36,95 | 2,16,36 |
| | अन्य प्रावधान | 9,13 | 5,49 |
| | अचल अस्तियों की बिक्री/निपटान से लाभ/(हानि) | (2,97) | 8,47 |
| | एसोसिएट्स में लाभ का हिस्सा | (11,06) | (8,17) |
| | अल्पमत हित में वृद्धि/(कमी) | - | - |
| | उधारी पर ब्याज : पूंजीगत साधन | 10,75,01 | 11,66,38 |
| | **उपयोग** | **89,45,92** | **93,51,38** |
| | **निम्न के लिए समायोजन:** | | |
| | जमाराशियों में वृद्धि/(कमी) | 72,16,38 | 3,30,93,74 |
| | अन्य देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि/(कमी) | 10,14,19 | (15,75,06) |
| | निवेश में वृद्धि/(कमी) | (29,01,89) | (1,39,72,18) |
| | अग्रिमों में वृद्धि/(कमी) | (1,93,78,34) | (1,58,85,96) |
| | अन्य आस्तियों में वृद्धि/(कमी) | (17,42,79) | (23,58,12) |
| | प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (रिफंड के बाद निवल) | (9,31,88) | (25,56,38) |
| | **परिचालन कार्यों से निवल नकदी प्रवाह (क)** | **(77,78,41)** | **60,97,42** |
| ख | **निवेश कार्यों से नकदी प्रवाह :** | | |
| | अचल संपत्तियों की खरीद | (3,15,45) | (3,31,23) |
| | अचल आस्तियों की बिक्री से आगम | 18,34 | 16,31 |
| | **निवेश कार्यों से निवल नकदी प्रवाह (ख)** | **(2,97,11)** | **(3,14,92)** |
| ग | **वित्तपोषण कार्यों से नकदी प्रवाह :** | | |
| | इक्विटी शेयर कैपिटल निर्गम से प्राप्त आगम, शेयर प्रीमियम (निवल) सहित | 46,72,84 | 70,47,19 |
| | सहायक कंपनी द्वारा जारी किए गए अधिमानी शेयर पूंजी सहित शेयर प्रीमियम (निवल) के आगम | 1,33,43 | - |
| | पूंजीगत लिखतों के निर्गमन से प्राप्त आगम राशि | - | 3,00,00 |
| | पूंजीगत लिखतों की चुकौती | (15,40,00) | - |
| | पूंजीगत लिखतों के अतिरिक्त उधारी में (कमी)/वृद्धि | (8,64,80) | 41,54,90 |
| | उधारी पर प्रदत्त ब्याज: पूंजीगत लिखत | (6,43,24) | (7,10,15) |
| | **वित्तपोषण कार्यों से निवल नकदी प्रवाह (ग)** | **17,58,23** | **1,07,91,94** |
| | **नकदी एवं नकदी समकक्ष में निवल वृद्धि/(कमी) (क)+(ख)+(ग)** | **(63,17,28)** | **1,65,74,44** |
| | **वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी समकक्ष** | **4,94,80,36** | **3,29,05,92** |
| | **वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समकक्ष** | **4,31,63,08** | **4,94,80,36** |

## 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष का समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(₹ लाख में)

| क्र.सं. | विवरण | 31.03.2019 को समाप्त वर्ष | 31.03.2018 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|---|
| घ | **वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी समकक्ष** | | |
| | नकदी और भारिबैं के पास जमा शेष (विदेशी मुद्रा सहित) | 2,10,17,35 | 1,65,22,37 |
| | बैंकों के पास जमा और मांग पर देय जमा | 2,84,63,01 | 1,63,83,55 |
| | **वर्ष के आरंभ में निवल नकदी एवं नकदी समकक्ष** | **4,94,80,36** | 3,29,05,92 |
| ङ | **वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समकक्ष** | | |
| | नकदी और भारिबैं के पास जमा शेष (विदेशी मुद्रा सहित) | 2,08,00,40 | 2,10,17,35 |
| | बैंकों के पास जमा और मांग पर देय जमा | 2,23,62,68 | 2,84,63,01 |
| | **वर्ष के अंत में निवल नकदी एवं नकदी समकक्ष** | **4,31,63,08** | 4,94,80,36 |

जहां कहीं आवश्यक है, पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण/प्रस्तुतीकरण के अनुरुप पुनर्समूहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है.

| (मानस रंजन बिस्वाल) | (दिनेश कुमार गर्ग) | (गोपाल सिंह गुसाईं) | (राजकिरण रै जी.) | (केवल हांडा) |
|---|---|---|---|---|
| कार्यपालक निदेशक | कार्यपालक निदेशक | कार्यपालक निदेशक | प्रबंध निदेशक एवं सीईओ | अध्यक्ष |

**लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र :**

हम, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अधोहस्ताक्षरी लेखापरीक्षकों ने 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के उपर्युक्त समेकित नकदी प्रवाह विवरण का सत्यापन किया है. यह विवरण इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी एएस-3 'नकदी प्रवाह विवरण' के अनुरूप अप्रत्यक्ष पद्धति तथा सेबी (लिस्टिंग दायित्व एवं आवश्यक प्रकटीकरण) विनियमन 2015 की अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किया गया है और सदस्यों को 14 मई 2019 की हमारी रिपोर्ट में सम्मिलित ग्रुप के लाभ हानि खाते तथा तुलन पत्र पर आधारित और उसके अनुरूप हैं.

**कृते एस भंडारी एंड कं.**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 000560C
**(पी पी पारीक)**
भागीदार
(सदस्य.सं. 071213)

**कृते सी एन के एंड एसोसिएट्स एलएलपी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 101961W/W-100036
**(सुरेश एस अगस्कर)**
भागीदार
(सदस्य.सं. 110321)

**कृते कीर्तने एंड पंडित एलएलपी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 105215W/W-100057
**(एस बी भागवत)**
भागीदार
(सदस्य.सं. 008072)

**कृते आर एस पटेल एंड कं.**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 107758W
**(राजन बी शाह)**
भागीदार
(सदस्य.सं. 101998)

**कृते एम जी बी एंड कं. एलएलपी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 101169W/W-100035
**(संजय कोठारी)**
भागीदार
(सदस्य.सं. 048215)

**कृते बी एम चतरथ एंड कं. एलएलपी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 301011E/E300025
**(आनंद चतरथ)**
भागीदार
(सदस्य.सं. 052975)

स्थान : मुंबई
दिनांक : 14 मई, 2019

# जोखिम प्रबंधन

**पूंजी नियमन बासल III के अंतर्गत प्रकटन - पिलर III**

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बासल III, पूंजी नियमन पर जारी मास्टर परिपत्र दिनांक 01 जुलाई, 2015 के अनुसार बैंकों के लिए बासल III, पूंजी अपेक्षाओं के तहत पिलर III प्रकटन करना आवश्यक है. बैंक द्वारा ये प्रकटन किये गये हैं, जो बैंक की वेबसाईट पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं

https ://www.unionbankofindia.co.in/Hindi/basel-disclosures-iiiHindi.aspx

# कारोबारी उत्तरदायित्व रिपोर्ट-2018-19

**अनुभाग ए: सामान्य प्रकटीकरण**

**I. कंपनी का ब्यौरा:**

| क्र. सं. | मापदंड | ब्यौरा |
|---|---|---|
| 1 | कंपनी का नाम | **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया** |
| 2 | पंजीकरण की तारीख | 1919 |
| 3 | कॉर्पोरेट पहचान संख्या | लागू नहीं है |
| 4 | कॉर्पोरेट का पता<br>वेबसाइट<br>ई-मेल आईडी | यूनियन बैंक भवन, 239, विधान भवन मार्ग,<br>नरीमन पॉइंट, मुंबई-400021<br>दूरभाष: 022-22892000<br>www.unionbankofindia.com<br>busrespnsehead@unionbankofindia.com |
| 5 | वित्त वर्ष | 2018-19 |

**II. उत्पाद/सेवाएँ**

**1. सेक्टर जिससे कंपनी जुड़ी है :**

| क्र. सं. | सेक्टर |
|---|---|
| क | बैंकिंग सेवाएँ |
| ख | सरकारी कारोबार |
| ग | व्यापार बैंकिंग |
| घ | एजेंसी कारोबार - बीमा, म्यूचुअल फ़ंड, सम्पदा प्रबंधन आदि. |

**2. प्रदत्त सेवाएं :**

बैंक की उत्पाद एवं सेवाओं को निम्नलिखित तीन भागों में बांटा जा सकता है :

क) जमाराशियाँ : चालू जमाराशियाँ, बचत बैंक जमाराशियाँ, मियादी जमा, आवर्ती जमा

ख) ऋण एवं अग्रिम:

| क्र. सं. | विवरण |
|---|---|
| 1 | रिटेल ऋण : यूनियन होम, यूनियन माइल , यूनियन एज्यूकेशन, यूनियन मॉर्टगेज इत्यादि |
| 2 | कृषि ऋण: यूनियन ग्रीन कार्ड, मियादी जमा इत्यादि |
| 3 | एमएसएमई ऋण: यूनियन ट्रेड, यूनियन ट्रेड प्लस, यूनियन इंटरप्राइज़, यूनियन नारी शक्ति इत्यादि. |
| 4 | कॉर्पोरेट ऋण : कार्यशील पूंजी ऋण, प्रोजेक्ट/मियादी ऋण इत्यादि. |

ग) अन्य उत्पाद:

| | |
|---|---|
| नकदी प्रबंधन सेवाएं | विप्रेषण सेवाएं |
| बीमा सेवाएं | एसडीवी लॉकर्स |
| म्यूचुअल फंड | व्यापार बैंकिंग |
| क्रेडिट/डेबिट कार्ड | संपदा प्रबंधन |

**III. परिचालन:**

उन क्षेत्रों की कुल संख्या, जहां कंपनी द्वारा कारोबार किया गया:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | राष्ट्रीय क्षेत्रों के नाम : | दिनांक 31 मार्च, 2019 तक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के 11 क्षेत्र महाप्रबन्धक कार्यालय, 63 क्षेत्रीय कार्यालय, 4288 शाखाएं एवं 6650 एटीएम हैं. |
| 2. | अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों के नाम : | हाँग काँग, दुबई एवं सिडनी में 3 विदेशी शाखाएं है. लंदन में बैंक की पूर्ण स्वामित्व की सहायक संस्था है. |

**IV. कर्मचारी:**

| क्र. सं. | विवरण | संख्या |
|---|---|---|
| 1 | स्थायी कर्मचारियों की संख्या | 37262 |
| 2 | संविदागत कर्मचारी | 26 |
| 3 | अस्थायी कर्मचारी | - |
| 4 | महिलाओं का प्रतिशत | 24.15% |
| | क) गवर्नेंस स्ट्रकचर के अनुसार | 8.33% |
| | ख) उच्च प्रबंधन में (कारोबार एवं क्षेत्र प्रमुख) | 10.40% |

**V. सह-संस्थाएं :**

| **नाम** | **यूनियन एएमसी प्राइवेट लिमिटेड** | **स्टार यूनियन दाईची** | **यूनियन बैंक लंदन प्राइवेट लिमिटेड** | **काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक -** |
|---|---|---|---|---|
| **संगठन फॉर्म** | लिमिटेड | लिमिटेड | लिमिटेड | आरआरबी, अनुसूचित बैंक |
| **मुख्य लक्ष्य / उद्देश्य** | म्यूचुअल फंड का वितरण | जीवन बीमा उत्पादों की बिक्री | बैंकिंग | बैंकिंग |
| **निधि का स्त्रोत/राशि** | 100% | 25% | 100% | 15% |

**VI. इस रिपोर्ट से संबंधित नोडल अधिकारियों के संपर्क विवरण:**

कारोबार दायित्व से संबंधित नीति/नीतियों के कार्यान्वयन हेतु जिम्मेदार निदेशक :

| | |
|---|---|
| डीआईएन नंबर | **08162008** |
| नाम | **श्री मानस रंजन बिस्वाल** |
| पदनाम | **कार्यपालक निदेशक** |

**कारोबारी उत्तरदायित्व प्रमुख के ब्यौरे :**

| | |
|---|---|
| डीआईएन नंबर (यदि लागू हो) | लागू नहीं है |
| नाम | **श्री रवीन्द्र कुमार कश्यप** |
| पदनाम | **महाप्रबन्धक, पीबीओडी, केंद्रीय कार्यालय** |
| दूरभाष नं | **022-22896683** |
| ई-मेल आईडी | gm.pbod@unionbankofindia.com |

**अनुभाग बी : मैनेजमेंट और प्रोसैस प्रकटीकरण**

| क्र. सं. | प्रश्न | कॉर्पोरेट गवर्नेंस | उत्पाद एवं सेवाएँ | कर्मचारी कल्याण | हितधारक का हित | मानव अधिकार | परिवेश सुरक्षा | सरकारी नीति का समर्थन | समावेशी वृद्धि | ग्राहक केन्द्रित |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | पी1 | पी2 | पी3 | पी4 | पी5 | पी6 | पी7 | पी8 | पी9 |
| **नीति और प्रबंधन प्रक्रियाएं** | | | | | | | | | | |
| 1 | प्रत्येक सिद्धान्त को कवर करने वाली पॉलिसी/पॉलिसियों का नाम बताएं. | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| 2 | पॉलिसी/पॉलिसियों के कवर से संबंधित कोर तत्व | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| 3 | प्रत्येक सिद्धान्त से संबन्धित पॉलिसी/पॉलिसियां जिन्हें दिशानिर्देशों और प्रक्रियाओं में परिणत किया गया है | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| | | हाँ, बैंक की सतत विकास एवं कॉर्पोरेट सामाजिक ज़िम्मेदारी नीति कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित कारोबार की सामाजिक, पर्यावरण एवं आर्थिक जिम्मेदारियों के राष्ट्रीय स्वैछिक दिशानिर्देशों पर आधारित है. | | | | | | | | |
| 4 | प्रत्येक सिद्धान्त से संबन्धित पॉलिसी/पॉलिसियों के कार्यान्वयन के लिए जनबल, आयोजना एवं वित्तीय संसाधनों की सीमा तक आबंटन किया गया है. | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| 5 | विभिन्न सिद्धांतों को अपनाने के लिए स्वीकृत राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कोड और मानक | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| **गवर्नेंस, लीडरशिप तथा ज़िम्मेदारी** | | | | | | | | | | |
| 7 | बोर्ड/उच्च प्रबंधन द्वारा अनुमोदित उपर्युक्त पॉलिसियों के नाम | बोर्ड / उच्च प्रबंधन | | | | | | | | |
| 8 | बोर्ड/निदेशक/अधिकारी की विशेष समिति/यों के नाम और पॉलिसी/पॉलिसियों के कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण के लिए क्या प्रक्रियाएं अपनायी गई हैं | बोर्ड और बोर्ड की उप-समितियां जैसे बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति/बोर्ड की प्रबंधन समिति/जोखिम प्रबंधन समिति आदि समग्र रूप से पॉलिसी के कार्यान्वयन का देख-रेख करते हैं. | | | | | | | | |
| 9 | उपर्युक्त पॉलिसी और समाविष्ट इनपुट के सापेक्ष कार्यनिष्पादन की समीक्षा के लिए बोर्ड/उच्च प्रबंधन द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया (100 शब्दों में) | बैंक का एक अलग विभाग है जो परिचालन इकाईयों द्वारा अपनायी जाने वाली कारोबार ज़िम्मेदारी नीति के अंतर्गत दिशानिर्देश जारी करता है. बोर्ड द्वारा समय-समय पर इसके कार्यनिष्पादन की समीक्षा की जाती है. | | | | | | | | |

**सिद्धान्त 1- कॉर्पोरेट गवर्नेंस**

| क्र.सं. | आवश्यक संकेतक | |
|---|---|---|
| 1. | गवर्नेंस संरचना/उच्च प्रबंधन द्वारा दिशानिर्देशों के मुख्य एवं मूल तत्वों से सम्पूर्ण कारोबार के कार्यनिष्पादन से संबंधित गत माह/वर्ष में की गई समीक्षा? | दिनांक 28-09-2018 को समीक्षा की गयी. |
| 2. | दिशानिर्देशों पर **नेतृत्व टीम** द्वारा जागरूकता कार्यक्रम के जरिए **कवरेज का % :**<br>क. रिपोर्टाधीन वर्ष में<br>ख. आज की तारीख तक कुल | <br>10<br>40 |
| 3. | वर्ष में, आपूर्तिकर्ताओं एवं वितरकों (मूल्य द्वारा) का % :<br>क. दिशानिर्देशों के अनुरूप कवर किए गए जागरूकता कार्यक्रम ?<br>ख. क्या कारोबार के लिए जवाबदेही/संपोषित नीति उपलब्ध है? | लागू नहीं |
| 4. | वर्ष के दौरान अल्पसंख्यक शेयरधारकों के साथ आयोजित बैठकों / संवादों की संख्या? | 2 |
| 5. | वर्ष में, एनजीआरबीसी के किसी पहलू पर प्राप्त शिकायतों की संख्या:<br>क) शेयरधारकों/निवेशकों से<br>ख) ऋणदाताओं से | शून्य |
| 6. | वर्ष की समाप्ति पर समाधान हेतु लंबित शिकायतों की संख्या? | शून्य |
| 7. | वर्ष में विनियामक और न्यायिक संस्थानों द्वारा आपके कारोबार पर लगाए गए गैर-विवाद जुर्माना/दंड का मूल्य? | 500.00 लाख |
| 8. | इस वर्ष में दर्ज किए गए भ्रष्टाचार के शिकायतों/मामलों की संख्या जिससे बैंक का हित प्रभावित हुआ है? | शून्य |
| 9. | केंद्र, राज्य या स्थानीय सरकार द्वारा प्रदान किए गए किसी भी लाभों या रियायतों से उत्पन्न अपूर्ण दायित्व (वित्तीय, सामाजिक आदि) का ब्यौरा (100 शब्दों में). | शून्य |

| क्र.सं. | लीडरशिप संकेतक | |
|---|---|---|
| 1. | दिशानिर्देशों के अनुरूप सभी कर्मचारियों को जागरूकता कार्यक्रमों के द्वारा किए गए कवरेज का % :<br>क. रिपोर्टाधीन वर्ष में<br>ख. आज की तारीख तक कुल | 814 |
| 2. | **सामाजिक एवं पर्यावरणीय लेखापरीक्षकों द्वारा कवर किए गए आपूर्तिकर्ताओं और वितरकों (मूल्य द्वारा) का % :**<br>क. रिपोर्टाधीन वर्ष में<br>ख. आज की तारीख तक कुल | लागू नहीं |
| 3. | क्या वर्ष में, जवाबदेही कारोबार आचरण पर रिपोर्ट तैयार की गई थी:<br>क. आवश्यक/वैश्विक रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार.<br>ख .पब्लिक डोमेन में उपलब्ध<br>ग.तृतीय पक्ष द्वारा आश्वासित | हाँ<br>मई, 2018<br>हाँ<br>हाँ<br>लागू नहीं |

| | | |
|---|---|---|
| 4. | इस वर्ष, पब्लिक डोमेन में उपलब्ध विनियामक एवं न्यायायिक संस्थाओं द्वारा आपके कारोबार पर लगाए गए गैर-विवाद जुर्माना/दंड का ब्यौरा दें. | भारतीय रिजर्व बैंक ने स्विफ्ट से संबन्धित परिचालनात्मक नियंत्रण को लागू करने में विनियामक निर्देशों के उल्लंघन हेतु दंड लगाया है.<br>जेएलएफ़ सदस्य बैंकों से जानकारी साझा नहीं करना.<br>विन्सम डायमंड एंड ज्वेलरी लिमिटेड के मामले में धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने में विलंब. |
| 5. | उपर्युक्त लगाए गए जुर्माना/ दंड पर की गई सुधारात्मक कार्रवाई का उदाहरण (तीन तक) प्रदान करें. | अब, फिनेकल सिस्टम में स्विफ्ट परिचालनात्मक नियंत्रण को सुव्यवस्थित कर दिया गया है.<br>क्षेत्र कर्मियों को सलाह दी गई है कि वे जेएलएफ़ सदस्यों को जानकारी साझा करने संबंधी दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें.<br>भारतीय रिजर्व बैंक को बिना विलंब धोखाधड़ी संबंधी मामले रिपोर्ट किया जाए ताकि दंड से बचा जा सके. |
| 6. | भ्रष्टाचार एवं बैंक के हित को प्रभावित करने वाले शिकायतों/मामलों पर किए गए सुधारात्मक कार्रवाई के उदाहरण (तीन तक) प्रदान करें. | शून्य |

**सिद्धान्त 2 - उत्पाद एवं सेवाएं**

| क्र.सं. | आवश्यक संकेतक | |
|---|---|---|
| 1. | तीन उच्च वस्तुओं/सेवाओं (वर्ष में राजस्व) की जानकारी दें, जिसमें पर्यावरणीय और सामाजिक महत्व, जोखिमों और/या अवसरों को शामिल किया गया है. | मुख्य रूप से यह सिद्धान्त विनिर्माण कंपनियों पर लागू होती है.<br>बैंक कुछेक ऐसी सेवाएं और उत्पाद प्रदान कर रही है, जिसमें सामाजिक और पर्यावरणीय जोखिम नहीं हैं. |
| 2. | पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव में (मूल्य सहित सर्वोच्च तीन) सुधार हेतु विशिष्ट प्रौद्योगिकी में निवेश का ब्यौरा दें. | |
| 3. | वर्ष में, मानकों/कोडों/पॉलिसियों/लेबलों के आंतरिक या बाह्य सस्टेंबिलिटी का अनुपालन करते हुए आपूर्तिकर्ताओं से स्रोत की गई इनपुट मटेरियल एवं सर्विसेस (मूल्य द्वारा) का % | |
| 4. | वर्ष में, उपभोग किए गए कुल कच्चे माल का प्रतिशत (मूल्य द्वारा) जिसे रिसाइकिल या रियूज किया गया हो (50 शब्दों में इसकी जानकारी दें):<br>क. <5%<br>ख. 5% से 25% के बीच<br>ग. >25% | |
| 5. | आपके उत्पादों की अवधि समाप्त होने पर उसे सुरक्षित रूप से इकट्ठा, रियूज, रिसाइकिल और निपटान करने की प्रक्रिया का वर्णन करें. (100 शब्दों में) | |

| क्र. सं. | लीडरशिप संकेतक | |
|---|---|---|
| 1. | **वस्तुएं और सेवाएँ जिसमें पर्यावरणीय एवं सामाजिक मूल्य शामिल हों, का ब्यौरा दें:**<br>क. वर्ष में प्रति यूनिट उत्पन्न प्रयुक्त संसाधन (ऊर्जा, पानी, कच्चा माल)<br>ख. वर्ष में स्त्रोत की गई, उत्पादन एवं संवितरण को समाहित करके संसाधनों के उपयोग में कमी.<br>ग. संपोषित मानकों/कोडों/लेवलों जिनका अनुपालन किया गया.<br>घ. उत्पाद का जीवन चक्र मूल्यांकन पूर्ण | मुख्य रूप से यह सिद्धान्त विनिर्माण कंपनियों पर लागू होती है.<br><br>बैंक कुछेक ऐसी सेवाएं और उत्पाद प्रदान कर रही है, जिसमें सामाजिक और पर्यावरणीय जोखिम नहीं है. |
| 2. | **आपके उत्पादों का निम्नलिखित पर प्रभाव संबंधी जानकारी दें :**<br>क. किन हितधारक समूह को?<br>ख. प्रत्येक समूह के लिए किस चैनल के द्वारा?<br>ग. कितनी अवधि में? | |
| 3. | स्टेकधारकों से प्राप्त फीडबैक का उपयोग सुधार हेतु किस ढंग से किया गया **इसका उदाहरण (तीन तक) प्रदान करें?** | |

**सिद्धान्त 3 - कर्मचारी कल्याण**

| क्र. सं. | आवश्यक संकेतक | |
|---|---|---|
| 1 | भेदभाव के कारण उत्पन्न शिकायतें :<br>क. इस वर्ष प्राप्त किए गए शिकायतों की संख्या | 7 |
| 2 | वर्ष की समाप्ति पर उपर्युक्त में से निपटान हेतु लंबित शिकायतों की संख्या ? | 0 |
| 3 | प्रबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ (घों) के सदस्य जो स्थायी कर्मचारी है का % ? | 93.6% |
| 4 | इस वर्ष में, आपके प्रतिष्ठानों/वैल्यू चेन में किए गए लेखापरीक्षा का % :<br>क. बाल श्रम<br>ख. बलपूर्वक/अनैच्छिक श्रम | कोई नहीं |
| 5 | आपके प्रतिष्ठानों/वैल्यू चेन में पहचान किए गए बालश्रम के मामलों की संख्या:<br>क. निपटान<br>ख. लंबित समाधान | कोई नहीं |
| 6 | बलपूर्वक/अनैच्छिक श्रम की पहचान किए गए मामलों की संख्या:<br>क. निपटान<br>ख. लंबित समाधान | कोई नहीं |
| 7 | आपके कर्मचारियों का % जिन्हें पिछले वर्ष में विधिक रूप से निर्दिष्ट न्यूनतम वेतन से अधिक भुगतान किया गया है? | 100% |
| 8 | आपके स्थायी कर्मचारियों में किए गए सबसे कम वेतन भुगतान का अनुपात दें ? | 10:1 |
| 9 | इस वर्ष के दौरान वेतन के भुगतान में विलंब वाले मामलों की संख्या:<br>क. निपटान<br>ख. लंबित समाधान | शून्य |
| 10 | दिनांक 31.03.2019 तक उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की संख्या:<br>क. निपटान<br>ख. लंबित समाधान | क. निपटान -7<br>ख.लंबित शिकायतें - 0 |

| | | |
|---|---|---|
| 11 | इस वर्ष में घटित निम्नलिखित की संख्या:<br>क. कार्यस्थल पर दुर्घटनाएं.<br>ख. मृत्यु का कारण<br>ग. अपंगता का कारण | <br>क. 9<br>ख. 0<br>ग. 0 |
| 12 | स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मुद्दों एवं उपायों पर प्रशिक्षित कर्मचारियों (सभी वर्गों के) का %:<br>क. इस वर्ष में<br>ख. आज की तारीख तक कुल | 100% |
| 13 | प्रशिक्षण एवं कौशल अपग्रेडेशन प्रदान किए गए कर्मचारियों का %:<br>क. इस वर्ष में<br>ख. आज की तारीख तक कुल | <br>क. 77.7 %<br>ख. 100 % |

| क्र. सं. | लीडरशिप संकेतक | |
|---|---|---|
| 1 | सकारात्मक कार्रवाई द्वारा समर्थित कर्मचारियों की श्रेणियाँ (तीन तक की सूची) तथा गत वर्ष से इस वर्ष में कोई बदलाव आया हो? | नहीं |
| 2 | गैर-स्थायी कर्मचारियों का %, जो किसी भी स्थायी प्लैटफ़ार्म/संस्थाओं से जुड़े हैं. | कोई नहीं |
| 3 | आपके प्रतिष्ठानों/वैल्यू चेन में नियोजित रूप से काम करने वाले बच्चों का %:<br>क. रिपोर्टिंग वर्ष में<br>ख. आज की तारीख तक कुल | कोई नहीं |
| 4 | आपके प्रतिष्ठानों/आपूर्ति में सहायता के लिए बलपूर्वक/अनैच्छिक श्रम का % :<br>क. रिपोर्टिंग वर्ष में<br>ख. आज की तारीख तक कुल | कोई नहीं |
| 5 | आपूर्तिकर्ताओं (मूल्य द्वारा) का % जिन्होंने गत वर्ष अपने कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन का भुगतान किया था | कोई नहीं |
| 6 | उत्पीड़न के मामले में शिकायतकर्ता को प्रतिकूल परिस्थितियों से रोकने के लिए उठाए गए किन्हीं (तीन) उपायों के उदाहरण दें. | 1. प्रशिक्षण एवं जागरूकता<br>2. अभियुक्त के विरुद्ध उचित कार्रवाई |
| 7 | आपूर्ति शृंखला भागीदारों (मूल्य द्वारा) का % जिनका स्वास्थ्य और सुरक्षा आचरण अनुपालन हेतु मूल्यांकित किया गया है. | 100% |
| 8 | दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों का % जो रोजगार में वापस आ गए. | लागू नहीं |
| 9 | कर्मचारियों द्वारा उनके कार्य क्षेत्र-जीवन स्तर में लाए गए संतुलन के मुद्दों (तीन तक) का वर्णन करें (100 शब्दों में) | कोई नहीं |
| 10 | कार्य क्षेत्र-जीवन स्तर में संतुलन के लिए अपनाए गए मुद्दों का उदाहरण (तीन तक) | कोई नहीं |

**सिद्धान्त 4 - स्टेकहोल्डरों का हित**

| क्र. सं. | आवश्यक संकेतक | |
|---|---|---|
| 1 | **ऐसे हितधारक समूह** की जानकारी दें जिनकी पहचान आपके कारोबार में मुख्य रूप से सहायक है? | बैंक के लिए, स्टेकधारक प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बैंक को इसकी प्रतिबद्धता को पूरा करने में एवं कारोबार में सफलता प्राप्त करने में सहायता करता है. बैंक मुख्यत: स्टेकधारक समूहों जैसे कि ग्राहकों, शेयरधारकों, निवेशकों, कार्मिकों, एनजीओ एवं समाज के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है. |
| 2 | उपर्युक्त वर्णित प्रत्येक हितधारक संवर्ग के साथ संबंध उत्तरदायी **पदों/विभागों के कार्यों** का वर्णन करें? | विभिन्न वर्टिकल/बैंक के विभागों |
| 3 | **ऐसे हितधारक समूहों की संख्या प्रस्तुत करें** जो गत वर्ष पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों पर औपचारिक रूप से सहायक थे? | पर्यावरण एवं सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने के दौरान देश में अधिक संख्या में सहभागिता. |
| 4 | वर्ष में, प्रयुक्त **इनपुट सामग्री और सेवाओं** (मूल्य द्वारा) का % जो स्थानीय और छोटे विक्रेताओं और उत्पादकों से खरीदे गए थे? | शून्य |

| क्र. सं. | लीडरशिप संकेतक | |
|---|---|---|
| 1 | प्रत्येक हितधारक समूह के साथ संबद्ध **अवधि?** | नियमित आधार पर |
| 2 | **हितधारक से इनपुट** को कैसे कारोबार में **शामिल** किया गया इसके **उदाहरण** (तीन तक) दें. | प्रत्येक माह आयोजित होने वाली बैठकों, कॉल सेंटर, सामाजिक नेटवर्क एवं अन्य चैनलों के माध्यम से प्राप्त फीडबैक |
| 3 | प्रत्येक हितधारक समूह में **असुरक्षित एवं सीमांत समूहों की सूची दें.** | लागू नहीं |
| 4 | कारोबार हेतु लिए गए **निर्णयों और कार्यों के उदाहरण** दें ताकि **असुरक्षित/सीमांत समूहों के हितों का समाधान** हो सकें. | लागू नहीं |

**सद्धान्त 5 - मानव अधिकार**

| क्र. सं. | आवश्यक संकेतक | |
|---|---|---|
| 1 | कर्मचारियों का प्रतिशत जिन्हें मानवाधिकार मुद्दों पर प्रशिक्षित किया गया है<br>क) वर्ष में<br>ख) आज की तारीख तक कुल | **77.69%** |
| 2 | कर्मचारी संवर्ग जिन्हें कारोबार के मानवाधिकार नीतियों द्वारा कवर किया गया है - स्थायी/संविदा/कैश्युअल. | **स्थायी** |
| 3 | गत वर्ष के प्रतिकूल मानवाधिकार के प्रभाव की जटिलताओं को टालने की दृष्टि से इस वर्ष तृतीय पक्ष साझेदारों के साथ कारोबार करार एवं संविदाओं के समीक्षा की संख्या. | **1** |
| 4 | मानवाधिकार मुद्दों हेतु शिकायत निवारण समिति द्वारा हितधारकों का समूह. | **75 (यौन उत्पीड़न समिति)** |
| 5 | हितधारकों की संख्या, जिन्होनें प्रतिवेदना और/या शिकायत रिपोर्ट की हैं.<br>क) वर्ष में प्राप्त<br>ख) लंबित समाधान | <br><br>क. **7**<br>ख. **0** |

| क्र. सं. | लीडरशिप संकेतक | |
|---|---|---|
| 1 | संविदागत कर्मचारी और बहुमूल्य चैन साझेदारों का प्रतिशत, जिन्हें मानवाधिकार मुद्दों पर जागरूक/ प्रशिक्षण दिया गया है :<br>क) वर्ष में<br>ख) आज की तारीख तक कुल | **शून्य** |
| 2 | बाह्य हितधारक समूह एवं प्रतिनिधियों, जिन्हें कारोबार के मानवाधिकार नीतियों द्वारा कवर किया गया हैं? | **शून्य** |
| 3 | हितधारक समूह, जिन्हें मानवाधिकार मुद्दों हेतु शिकायत तंत्र से अवगत कराया गया है:<br>क) वर्ष के दौरान<br>ख) आज की तारीख तक कुल | **शून्य** |
| 4 | गत वर्ष में मानवाधिकार के प्रतिकूल प्रभाव की जटिलता को दूर करने के लिए किए गए सुधारात्मक कार्रवाई की सूची (तीन तक) दें. | **शून्य** |
| 5 | मानवाधिकार से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए आशोधित / प्रस्तुत कारोबार प्रक्रिया के उदाहरण (दो तक) प्रदान करें. | **शून्य** |
| 6 | वर्ष के दौरान संचालित किसी मानवाधिकार की ड्यू-डिलिजेन्स के स्वरूप एवं कवरेज का विवरण प्रदान करें. | **शून्य** |

**सिद्धान्त 6 - पर्यावरण की सुरक्षा**

| क्र. सं. | आवश्यक संकेतक | |
|---|---|---|
| 1 | कारोबार द्वारा **पर्यावरण एवं समुदाय पर आने वाले संभाव्य/वास्तविक प्रतिकूल प्रभाव के महत्वपूर्ण जोखिम:**<br>क) वर्ष में निर्धारित<br>ख) उपर्युक्त पर्यावरण जोखिम के लिए न्यूनीकरण एवं अनुकूलन के उपाय उपलब्ध है? | <br>कोई नहीं<br>लागू नहीं है |
| 2 | आपके कारोबारी गतिविधियों के प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए **रिडक्शन, रिसाइक्लिंग एवं रियूज पहल में किए गए उत्कृष्ट आचरण (तीन तक)** का ब्यौरा दें. | बैंक ने पर्यावरण के नुकसान को कम करने के लिए कई पहल शुरू की हैं. बैंक ने कार्बन दुष्प्रभाव को कम करने के लिए उपाय किये है. |
| 3 | अन्य कारोबार के साथ आपके कारोबार/एनजीओ/सरकारी एजेंसी/ अंतर्राष्ट्रीय पार्टनर/डेवलपमेंट संस्थाओं द्वारा उपर्युक्त चिन्हित पर्यावरण संबंधी किसी भी जोखिम सुअवसरों के समाधान हेतु किए गए **सामूहिक कार्रवाई का उदाहरण दें.** | बैंक ने देश में अपनी सभी शाखाओं और प्रशासनिक कार्यालयों द्वारा स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छता पखवाड़ा कार्यान्वित किया है.<br>यूबीएसएफ़टी ने नमामि गंगा योजना के समर्थन हेतु लखनऊ में अपने कार्यालय के सामने टच स्क्रीन का प्रतिष्ठापन किया है.<br>यूबीएसएफ़टी द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य देख-रेख, समुदाय विकास, स्वच्छता, दिव्यांग क्षेत्र के अंतर्गत ₹ 45.43 लाख की 10 परियोजनाओं का अनुमोदन किया गया है. |
| 4 | वर्ष के दौरान सीपीसीबी/एनजीटी/एसपीसीबी से प्राप्त कोई भी कारण बताओ नेटिस/कानूनी नोटिस से संबंधित **प्रतिकूल आदेश का ब्यौरा दें.** | शून्य |

| क्र.सं. | लीडरशिप संकेतक | |
|---|---|---|
| 1 | वर्ष में **पर्यावरण प्रभावित आंकलन पर सूचना:**<br>क) क्या पब्लिक डोमेन में परिणाम को संप्रेषित किया गया है?<br>ख) किसी नकारात्मक सामाजिक प्रभाव को कम करने के लिए किए गए किसी कार्रवाई का ब्यौरा प्रदान करें. | बैंक ने पर्यावरण के नुकसान को कम करने के लिए कई पहल शुरू की हैं.<br>हाँ, ग्राहक बैठकों के द्वारा, स्थानीय विशेष मेलों, उत्सवों एवं अन्य महत्वपूर्ण दिनों मे अधिक संख्या में उपस्थित जन.<br>बैंक ने वर्ष के दौरान देश की अपनी सभी शाखाओं एवं प्रशासनिक कार्यालयों में पर्यावरण एवं उसकी जागरूकता से संबन्धित विभिन्न गतिविधियों को कार्यान्वित किया है. |
| 2 | कारोबार के लिए निर्धारित प्रत्येक भौतिक पर्यावरण जोखिम हेतु जोखिम प्रबंधन रणनीतियाँ एवं उपाय :<br>क) उपाय के विवरण (100 शब्दों में)<br>ख) लक्ष्यों एवं उसके उपलब्धि मूल्य. | 1. बैंक ने ऐसे वित्तीय उत्पादों एवं सेवाओं को विकसित करने का प्रयास किया है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दीर्घकालीन पर्यावरण लाभ एवं सामाजिक विकास की ओर अग्रसर हों.<br>2. बैंक उन उद्योगों, जो ओज़ोन घटाने वाले उत्पादों को बनाते हैं, को उधार न देकर उत्कृष्ट आचरणों को कार्यान्वित कर रहा है.<br>3. बैंक के पास वे नीतियाँ भी है, जो उन उद्योगों/क्षेत्रों के निधिकरण को हतोत्साहित करती हैं, जिससे पर्यावरण को हानि पहुँच सकती है, जैसे कि आयरन ओर माइनिंग, न्यूज़पेपर प्रिंट, हाइड्रो पावर का उत्पादन आदि.<br>हालांकि यह एक चालू गतिविधि है, इसलिए वर्तमान में इसके लिए कोई अलग लक्ष्य नहीं है. |
| 3 | **भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान में आपके विशिष्ट योगदान का विवरण** (2015 में यूएनएफ़सीसीसी सीओपी21 को प्रस्तुत) | शून्य |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | पहचाने गए भौतिक पर्यावरण जोखिमों के निवारण के लिए बनाए गए **नए कारोबार-उत्पाद-सेवाएँ:**<br>क. सृजित किए गए व्यापार की जानकारी (100 शब्दों में)<br>ख. इन के द्वारा प्रदत्त राजस्व का % | लागू नहीं |
| 5 | उद्योग के उत्कृष्ट आचरण के सापेक्ष रिडक्शन, रिसाइक्लिंग एवं रियूज पहल में किए गए उत्कृष्ट आचरण का ब्यौरा दें (100 शब्दों में). | बैंक ने पर्यावरण के नुकसान को कम करने के लिये विभिन्न पहल किये हैं.<br>बैंक द्वारा लिए गए अन्य पर्यावरण मैत्रीपूर्ण पहल हैं:<br>• ऊर्जा दक्ष प्रणालियों का कार्यान्वयन जैसे कि सीएफ़एल फिटिंग्स एवं एलईडी फिटिंग्स.<br>• एलईडी साइनेज का कार्यान्वयन<br>• बीईई प्रमाणन वाले एयर कंडीशनर एवं सीएनजी वाली कार का प्रयोग<br>• बैंक की बिल्डिंग में रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो जमीनी पानी के स्तर को बचाने एवं जमीनी पानी के स्तर को उठाने में सहायक होता है.<br>• शाखाओं में सोलर पॉवर प्रणाली का कार्यान्वयन. |

**सिद्धान्त 7 - पब्लिक पॉलिसी एडवोकेसी**

| क्र. सं. | आवश्यक संकेतक | |
|---|---|---|
| 1 | गवर्नेंस स्ट्रक्चर द्वारा इन दिशानिर्देशों के सिद्धांतों के अनुरूप **सार्वजनिक जनसलाहकार नीति की समीक्षा :**<br><br>क. अवधि<br>ख. पिछली समीक्षा का माह/वर्ष | यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कारोबारी ईको-सिस्टम एवं समुदायों में सकारात्मक प्रभाव लाने का सक्रिय समर्थक है. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सिर्फ उद्योग के लिए कुछ निश्चित लाभ प्राप्त करने के लिए सरकार के मत का समर्थन नहीं करता, बल्कि यह समाज को लाभ पहुंचाने के लिए कुछ निश्चित श्रेष्ठ प्रैक्टिस का भी समर्थन करता है.<br>वार्षिक<br>2018 |
| 2 | **व्यापार एवं उद्योग चेम्बर और संघ का नाम बतायें** जिनके आप सदस्य/संबद्ध हैं. | • भारतीय बैंक संघ (आईबीए)<br>• भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थान (आईआईबीएफ़)<br>• द एसोसियटेड चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एसोचैम)<br>• भारतीय वाणिज्य और उद्योग मण्डल परिसंघ (एफ़आईसीसीआई)<br>• भारतीय उद्योग महापरिसंघ (सीआईआई)<br>• भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) |
| 3 | आपके कारोबार द्वारा **गैर-प्रतिस्पर्धात्मक आचरण** के लिये विनियामक प्राधिकारियों से प्राप्त **किसी प्रतिकूल आदेश का विवरण दें.** | शून्य |
| 4 | **राजनीतिक पार्टियों** को दिये गए **मौद्रिक अंशदान** (यदि कोई) है. | शून्य |

| क्र. सं. | लीडरशिप संकेतक | |
|---|---|---|
| 1 | **पब्लिक डोमेन** में उपलब्ध **जन नीति स्थिति.** | हाँ, www.unionbankofindia.co.in का सन्दर्भ लें. |
| 2 | गत वर्ष में **आपके एडवोकेसी प्रयासों के कारण** किसी भी **पॉलिसी में परिवर्तन** के **उदहारण** (तीन तक). | शून्य |
| 3 | विनियामक प्राधिकारियों से प्राप्त प्रतिकूल आदेशों पर कारोबार आधारित **गैर-प्रतिस्पर्धात्मक आचरण के लिए की गई सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण.** | शून्य |

**सिद्धान्त 8 - समवेशी वृद्धि**

| क्र. सं. | आवश्यक संकेतक | |
|---|---|---|
| 1. | आपके कारोबार परिचालन के संचालन के लिए सामाजिक प्रभाव का आकलन:<br>क) वर्ष में संपन्न की संख्या?<br>ख) एक स्वतंत्र बाह्य एजेंसी द्वारा संचालित की संख्या. | शून्य<br>3-बीसीजी,बीसीएसबीआई,सीआरआईएसआईएल |
| 2. | उत्पादों, प्रौद्योगिकीयों, प्रक्रियाओं या कार्यक्रमों (तीन तक) के उदाहरण जो समाज के कमजोर एवं सीमांत वर्गों के लाभ में योगदान करते हों. | प्रधानमंत्री मुद्रा योजना<br>प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना<br>प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना<br>अटल पेंशन योजना |
| 3. | वर्ष केदौरान परियोजनाओं से संबंधित, जिसके लिए आर एंड आर लागू है:<br>क) इन परियोजनाओं से प्रभावित या विस्थापित व्यक्तियों की संख्या?<br>ख) परियोजना से प्रभावित या विस्थापित व्यक्तियों को सकल राशि का भुगतान? | लागू नहीं |
| 4. | स्थानीय समुदाय से प्राप्त शिकायतें:<br>क) वर्ष के दौरान प्राप्त संख्या<br>ख) निपटान हेतु लंबित शिकायतों की संख्या | <br>454306<br>9272 |
| 5. | अविकसित क्षेत्रों में निवेशों (मूल्य द्वारा शीर्ष तीन) पर विवरण (100 शब्दों में). | शून्य |
| 6. | वस्तुएं एवं सेवाओं (तीन तक) के उदाहरण, जो स्थानीय पारंपरिक ज्ञान को शामिल करती है. | लागू नहीं |
| 7. | वर्ष के दौरान पारंपरिक ज्ञान से संबंधित बौद्धिक सम्पदा अधिकार के प्रतिकूल आदेश या निर्णय का विवरण (100 शब्दों में). | लागू नहीं |
| 8. | सीएसआर द्वारा कवर किए गए प्रमुख विषयों का सारांश. पहल (कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार) या कारोबार के सीएसआर पॉलिसी से लिंक्ड (100 शब्दों में). | • यूबीएसएफ़टी ने वर्ष 2018-19 के दौरान रु 45.43 लाख की राशि शिक्षा, हेल्थकेयर, सामुदायिक विकास, स्वच्छता एवं दिव्यांग क्षेत्र के अंतर्गत 10 प्रोजेक्ट्स का अनुमोदन किया है .<br>• यूबीएसएफ़टी द्वारा मुंबई में दृष्टिबाधित किशोरों के लिए अल्पकालिक पुनर्वास कोर्स के संचालन हेतु नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, मुंबई को सहायता प्रदान की गयी.<br>• यूबीएसएफ़टी द्वारा सरकारी माध्यमिक विद्यालय, बालीगढ़ में शौचालय के निर्माण हेतु सहायता.<br>• यूबीएसएफ़टी ने लखनऊ में नमामि गंगा योजना के समर्थन में अपने कार्यालय के सामने टच स्क्रीन का प्रतिष्ठापन किया है . |

| क्र. सं. | लीडरशिप संकेतक | |
|---|---|---|
| 1. | इन सामाजिक प्रभाव के आकलन के संबंध में<br>क) पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराए गए परिणाम<br>ख) किसी नकारात्मक सामाजिक प्रभाव को कम करने के लिए किए गए किसी भी कार्य का ब्यौरा (100 शब्दों में). | हाँ<br>लागू नहीं |
| 2. | **ऐसे लाभकारी उत्पादों, प्रौद्योगिकीयों या प्रक्रियाओं से लाभान्वित होने वालों की संख्या.** | लोगों की अधिक संख्या |
| 3. | वर्ष के दौरान परियोजनाओं के संबंध में, जिसके लिए आर एंड आर लागू है:<br>क) क्या आर एंड आर पैकेज परियोजना-प्रभावित लोगों के परामर्श से विकसित किया गया था?<br>ख) पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराए गए सकल राशि की जानकारी. | लागू नहीं |
| 4. | समुदायों से प्राप्त प्रतिवेदनाओं/शिकायतों के समाधान के लिए जानकारी का सम्प्रेषण करने के लिए चैनल/प्लैटफ़ार्म का उपयोग किया जाता है. | ईमेल, इंटरनेट, एसएमएस, सोश्ल नेटवर्क, प्रचार, वित्तीय साक्षरता के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में यूबीएसएफ़टी अभियान. |
| 5. | इन अविकसित क्षेत्रों में अतिरिक्त आर्थिक एवं सामाजिक मूल्य के उदाहरण (तीन तक) (100 शब्दों में). | लागू नहीं |
| 6. | ऐसे उदाहरण जहां कारोबार के लिए इस स्थानीय पारंपरिक ज्ञान का समुदाय के साथ साझा किया जाता है. | लागू नहीं |
| 7. | असुरक्षित एवं कमजोर संवर्ग द्वारा अलग किए गए आपके सीएसआर प्रोजेक्ट (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार) के तहत कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या. | शिक्षा, स्वास्थ्य, समुदाय कल्याण एवं दिव्यांग क्षेत्रों के अंतर्गत अधिक लोगों को कवर किया गया है. |
| 8. | स्थानीय और राष्ट्रीय विकास में आपके समुदाय की पहल का योगदान किस तरह प्रभावित करता है, के उदाहरण दें. | वृहद स्तर तक |

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेशन को एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है जो कमज़ोर वर्गों तथा कम आय वाले वर्गों को उनकी आवश्यकता के अनुसार समय पर, पर्याप्त अग्रिम सुविधायें, उनके द्वारा वहन की जा सकने वाली लागत पर मुख्य वित्तीय संस्थानों से उपलब्ध कराती है. बैंक ने तीन वर्ष 2016-19 तक वित्तीय समावेशन के लिये तीन वर्षों की बोर्ड द्वारा अनुमोदित परियोजना तैयार की है जिसका विज़न है:- "वंचितों तक उचित लागत पर "निरन्तर प्रक्रिया" के तहत सेवायें पहुंचाना तथा औपचारिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा, लाभ से वंचित लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना".

**1. वित्तीय साक्षरता :**

बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सुविधाओं के बारे में ग्राहकों में जागरुकता लाने के लिये, 14 अग्रणी जिलों के साथ 16 गैर- अग्रणी जिलों में कुल 30 वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी) खोले गये हैं. सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार एफ़एलसी एवं शाखाओं द्वारा समय-समय पर विभिन्न कैंपों का आयोजन किया गया है. बैंक अपने 30 एफ़एलसी केन्द्रों तथा ग्रामीण शाखाओं के माध्यम से प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न गतिविधियां कर रहा है.

**2 प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) :**

देश में सभी परिवारों को मूलभूत वित्तीय सेवाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने देश की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना-प्रधानमंत्री जन धन योजना को अगस्त 2014 में आरम्भ किया है. इस योजना में 6 स्तम्भों को शामिल किया गया है, वे हैं: सबकी पहुंच, ओवरड्राफ्ट की सुविधा के साथ बेसिक बैंकिंग खाता, दुर्घटना बीमा और रुपे डेबिट कार्ड, वित्तीय साक्षरता, क्रेडिट गारंटी निधि, सूक्ष्म वित्त और अन्त में असंगठित क्षेत्र पेंशन योजना.

**3 ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी):**

बैंक ने देश के उन 14 जिलों में 14 आरसेटी की स्थापना की है, जहां ग्रामीण युवाओं को मुफ्त भोजन और आवास के साथ अल्पकालीन आवासीय स्व-रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान की जा सके. वर्तमान में निम्न स्थानों पर बैंक के आरसेटी कार्यरत हैं

- आजमगढ़, भदोही, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मऊ, वाराणसी - उत्तर प्रदेश

- खगरिया, समस्तीपुर - बिहार
- रीवा, सीधी, सिंगरौली - मध्य प्रदेश
- एर्णाकुलम, इडुक्की - केरल

हमारे आरसेटी में मार्च 2019 तक 76696 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है, जिनमें से 50608 लोगों ने अपना कार्य स्थापित कर लिया है, इस प्रकार स्थापन दर 66% है.

**4. स्वयं सहायता समूह:**

- स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सूक्ष्म वित्त की योजना, गरीब को स्व-रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने में अर्थक्षम बनाने का प्रभावी साधन है. वर्ष के दौरान, 1.38 लाख स्वयं सहायता समूहों को बैंक ऋणों से लिंक किया गया है. मार्च, 2019 को स्वयं सहायता समूहों को दिये गए ऋणों में बकाया राशि ₹ 3681 करोड़ थी.

**5. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई):**

- पीएमएमवाई के तहत हमारा बैंक ग्रामीण, शहरी व महानगरीय क्षेत्रों के सूक्ष्म उद्यमों को वित्त प्रदान करता है जो विनिर्माण, व्यापार तथा सेवा क्षेत्र के व्यवसाय में है.
- पीएम मुद्रा योजना विभिन्न नए व वर्तमान उद्यमियों को बैंकिंग चैनल से ऋण लाभ लेने का अवसर प्रदान करता है. इससे ऋण हेतु बैंक का ग्राहक आधार बढ़ जाता है.

**6. 01.04.2018 से 31.03.2019 तक मुद्रा ऋण की स्थिति** (राशि करोड़ में)

| ऋण की श्रेणी | स्वीकृत | | संवितरित | |
|---|---|---|---|---|
| | खाते | राशि | खाते | राशि |
| शिशु | 53256 | 135.38 | 53256 | 113.76 |
| किशोर | 121434 | 2628.16 | 121434 | 2342.04 |
| तरुण | 21306 | 1637.96 | 21306 | 1423.55 |
| कुल | 195996 | 4401.5 | 195996 | 3879.35 |

**7. स्टेंड-अप इंडिया योजना के तहत कार्य-निष्पादन :** (राशि करोड़ में)

| क्र. सं. | श्रेणी | 05.04.2016 से 31.03.2019 तक संचयी प्रगति | | |
|---|---|---|---|---|
| | | स्वीकृत | | संवितरित |
| | | खातों की संख्या | राशि | राशि |
| 1 | अनुसूचित जाति (केवल पुरुष) | 60 | 9.15 | 7.74 |
| 2 | अनुसूचित जनजाति (केवल पुरुष) | 9 | 1.00 | 0.89 |
| 3 | महिला उद्यमी | 913 | 188.30 | 160.56 |
| 4 | कुल | 982 | 198.45 | 169.19 |
| | जिनमें से | | | |
| 5 | अल्पसंख्यक | 142 | 24.17 | 20.20 |

**8. 31 मार्च, 2019 तक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की स्थिति :**

| योजना का नाम | पुरुष ग्राहक | महिला ग्राहक | कुल नामांकन |
|---|---|---|---|
| **अटल पेंशन योजना** | **311445** | **150910** | **462355** |
| **प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना** | **873757** | **548005** | **1421762** |
| **प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना** | **2102552** | **1476248** | **3578800** |
| **कुल** | **3007454** | **2175163** | **5462917** |

**सिद्धान्त 9 - ग्राहक केन्द्रित**

| क्र. सं. | आवश्यक संकेतक | |
|---|---|---|
| 1. | उदाहरण (तीन तक) जहां आपके कारोबार की वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रतिकूल प्रभाव को पब्लिक डोमेन में दर्शाया गया है. | शून्य |
| 2. | कारोबार के वस्तुओं एवं सेवाओं का %मूल्य, जो निम्न की जानकारी देता है.<br>क) उत्पाद से संबंधित पर्यावरण एवं सामाजिक मानदंड.<br>ख) सुरक्षित एवं जिम्मेदार उपयोग. | शून्य |
| 3. | डाटा गोपनियता के मामले में उपभोक्ता के शिकायतों की संख्या:<br>क) वर्ष में प्राप्त.<br>ख) लंबित समाधान. | शून्य |
| 4. | विज्ञापन के संबंध में उपभोक्ता के शिकायतों की संख्या:<br>क) वर्ष के दौरान प्राप्त.<br>ख) लंबित समाधान. | शून्य |
| 5. | अनिवार्य सेवाओं के वितरण के संबंध में उपभोक्ता के शिकायतों की संख्या:<br>क) वर्ष के दौरान प्राप्त.<br>ख) लंबित समाधान. | <br>454306<br>9272 |

| क्र. सं. | लीडरशिप संकेतक | |
|---|---|---|
| 1. | आपके कारोबार की वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रतिकूल प्रभाव पर किए गए सुधारात्मक कार्रवाई:<br>क) विवरण (100 शब्दों में)<br>ख) पब्लिक डोमेन में संप्रेषित. | लागू नहीं |
| 2. | कारोबार द्वारा उपयोग किए गए राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय उत्पादों के लेबल/प्रमाणन की सूची. | लागू नहीं |
| 3. | चैनल प्लैटफॉर्म, जहां कारोबार की वस्तुओं एवं सेवाओं की सूचनाएं दी जाती हैं. | ई-मेल, इंटरनेट, एसएमएस, सोश्ल नेटवर्क |
| 4. | उत्पादों के सुरक्षित एवं जिम्मेदार उपयोग के बारे में असुरक्षित एवं सीमांत उपभोक्ताओं को सूचित एवं शिक्षित करने के लिए उठाए गए कदम (100 शब्दों में). | लागू नहीं |
| 5. | डाटा की गोपनीयता एवं विज्ञापन प्रणाली से संबंधित प्राप्त शिकायतों के संबंध में कौन सी सुधारात्मक कार्रवाई की गई जिससे की इसकी पुनरावृत्ति ना हो. (100 शब्दों में). | लागू नहीं |
| 6. | क्या कोई ऐसी प्रक्रिया विद्यमान है कि जिससे आवश्यक सेवाओं के भंग/बंद होने की स्थिति में उपभोक्ताओं को इसके जोखिम की सूचना दी जा सके. (100 शब्दों में). | लागू नहीं |

**सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम क्षेत्र**

भारत की घरेलू उत्पाद, रोजगार और सामाजिक इक्विटि में एमएसएमई का महत्वपूर्ण योगदान है. कृषि के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है. एमएसएमई शिल्प से लेकर सेवाओं और बड़ी औद्योगिक गतिविधियों तक लगभग सभी आर्थिक गतिविधियों में फैला हुआ है. यह उत्पाद विभिन्न क्षेत्रों जैसे हस्तशिल्प, हथकरघा, वस्त्र, लबादा, चमड़ा, प्लास्टिक, इंजीनियरिंग, आईटी और आईटी सक्षम सेवाएँ, आतिथ्य, पर्यटन, स्वास्थ देखभाल और कई अन्य क्षेत्रों में फैला हुआ है.

एमएसएमई बैंक के लिए चुने गए विशेष क्षेत्रों में से एक है जिसका हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर बहुसंख्यक प्रभाव पड़ेगा. फलस्वरूप बैंक शुरू से ही एमएसएमई क्षेत्र के वित्तपोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. इसके अतिरिक्त, वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक हमेशा से ही सरकार द्वारा शुरू की गई एमएसएमई योजनाओं को लागू करने हेतु अग्रणी रहा है, जो निम्नानुसार है.

**1 59 मिनट में पीएसबी ऋणों की मंजूरी:**

हमारा बैंक उन सर्वश्रेष्ठ बैंकों में से एक है, जिन्होनें इस क्रम में 3503 प्रस्तावों की मंजूरी की है., जिसमें से रु 538.44 करोड़ की 1896 प्रस्तावों को अंतिम मंजूरी दी गई.

**2 टीआरईडीएस के लिए ए. टीआरईडीएस लिमिटेड के साथ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की भागीदारी**

डिजिटल प्लैटफ़ार्म पर एमएसएमई के चालान में छूट हेतु यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ए. टीआरईडीएस लिमिटेड (invoicemart.com) के साथ टीआरईडीएस (प्राप्य ट्रेड डिस्काउंटिंग सिस्टम) के भागीदार के रूप में भागीदारी दर्शाई.

यह वित्त का एक नवोन्मेषी क्षेत्र है और एमएसएमई जो भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तम्भ है, को बढ़ावा देने हेतु सरकार ने इस पर अधिक जोर दिया है. देश के समग्र आर्थिक विकास और रोजगार उत्पन्न करने में एमएसएमई द्वारा मुख्य भूमिका निभाए जाने के बावजूद, पर्याप्त वित्त प्राप्त करने में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, विशेष रूप से अपने व्यापार प्राप्य को तरल निधि में परिवर्तित करने की उनकी क्षमता के संदर्भ में.

टीआरईडीएस एक डिजिटल प्लैटफ़ार्म है जो एमएसएमई इकाइयों को नीलामी के माध्यम से प्रतिस्पर्धा दर पर उनके प्राप्यों के बदले वित्तीयन प्राप्त करने में सहायता करता है, जहां विभिन्न वित्तप्रदाता पीएसयू/ कॉर्पोरेट क्रेताओं द्वारा स्वीकृत बीजकों पर बोली लगाते हैं. टीआरईडीएस, एमएसएमई इकाइयों को अपनी प्राप्तियों को सिस्टम पर पोस्ट करने की अनुमति देगा एवं ऑनलाइन बोली लगाने की प्रक्रिया के अनुसार प्रतिस्पर्धी दरों पर उनका वित्तपोषण करेगा. इससे उन्हें न केवल वित्तीयन प्राप्त होने का पक्का आश्वासन प्राप्त होगा बल्कि कॉर्पोरेट संस्थाओं पर बकाया राशि का समय से भुगतान करने हेतु अंकुश भी लगाया जा सकेगा.

यह एमएसएमई के लिए सहायक होगा और एमएसएमई को त्वरित भुगतान के लिए कॉर्पोरेट को प्रोत्साहित करेगा. इस यूनिक प्लेटफार्म के जरिए एक ही समय में एमएसएमई को पर्याप्त वित्तीय सहायता के साथ इस अंतर्निहित परेशानी मुक्त प्रक्रिया के लिए व्यवसायों को अंगीकृत करना आसान होगा.

दिनांक 31 मार्च, 2019 तक हमारे बैंक ने टीआरईडीएस के तहत रु.438.34 करोड़ से अधिक का निवेश किया है.



श्री ए. के. गोयल, कार्यपालक निदेशक, श्री कल्याण बासु, एमडी एवं सीईओ, ए.टीआरईडीएस लिमिटेड (invoicemart.com), श्री वी. वी. शेणॉय, महाप्रबंधक (एलसीवी), एवं श्री पी. एस राजन, महाप्रबंधक (ऋण नीति एवं एमएसएमई),

कारोबार प्रक्रिया पुनर्निर्माण के अंतर्गत नई पहल के रूप में, बैंक ने वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान में निम्नलिखित मुख्य संरचनात्मक रूपान्तरण के कदम उठाए हैं :

- **एमसीबी (मिड कॉर्पोरेट शाखा) स्केल अप:** एमएसएमई के अंतर्गत केन्द्रीकरण पहल के रूप में, मिड कॉर्पोरेट कारोबार अनुभाग की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक नए एमसीवी (मिड कॉर्पोरेट वर्टिकल) की स्थापना की है. संभावनापूर्ण क्षेत्रों में एमसीबी (मिड कॉर्पोरेट शाखाओं) की स्थापना की गई है एवं मार्च 2019 तक, 24 एमसीबी का पुनर्निर्माण किया गया.
- **सरल :** गुणवत्ता में सुधार, टर्न अराउंड टाइम और बेहतर ग्राहक सेवा के लिए एमएसएमई के अंतर्गत केन्द्रीकरण पहल के रूप में, एमएसएमई ऋणों के लिए एक प्रोसेसिंग प्रणाली सरल की स्थापना की जा रही है. वर्ष 2018-19 के दौरान 7 सरल और 10 सरल लाइट खोले गए. सरल के प्रमुख सहायक महाप्रबंधक है एवं सरल लाइट के प्रमुख मुख्य प्रबन्धक होते है. मार्च 2019 के अंत तक, कुल 45 सरल को पूर्ण रूप से परिचालित किया जा चुका है.
- **आरयूएसयू (ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी परिवर्तन) :** बैंक द्वारा किया गया एक अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन आरयूएसयू हब का निर्माण है. विशाल ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी को अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से, बैंक क्रेडिट डिलिवरी हेतु टर्न अराउंड टाइम में सुधार करते हुए ग्राहकों को बेहतर अनुभव प्रदान कर रही है.

**वर्ष 2018-19 में बैंक द्वारा की गई कॉर्पोरेट सामाजिक ज़िम्मेदारी (सीएसआर) गतिविधियां:**

**हेल्थकेयर क्षेत्र**

- यूबीएसएफ़टी द्वारा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति, अमृतसर को एंबुलेंस की खरीद के लिए सहायता प्रदान की गई जो जरूरतमंद लोगों को आपातकालीन चिकित्सा सुविधा प्रदान करेगी.



**सामुदायिक कल्याण**

- यूबीएसएफ़टी द्वारा उत्तर बिहार के ठंड प्रभावित क्षेत्रों में कंबलों का वितरण.



**स्वच्छता**

- यूबीएसएफ़टी द्वारा सरकारी माध्यमिक विद्यालय, बालीगढ़ में शौचालय के निर्माण हेतु सहायता की गई.
- यूबीएसएफ़टी द्वारा लखनऊ में नमामी गंगा योजना में उनके कार्यालय के सामने टच स्क्रीन के इन्स्टॉलेशन के लिए सहायता की गई.

**दिव्यांगता क्षेत्र**

- यूबीएसएफ़टी ने मुंबई में दृष्टिबाधित किशोरों के लिए अल्पकालिक पुनर्वास पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए मुंबई स्थित नेशनल एसोसीएशन फॉर बलाइंड को सहायता प्रदान की है.

  यूबीएसएफ़टी ने वर्ष 2018-19 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों जैसे शिक्षा, हेल्थकेयर, सामुदायिक कल्याण, स्वच्छता, दिव्यांगता क्षेत्र आदि के अंतर्गत ₹45.43 लाख के 10 परियोजनाओं का अनुमोदिन किया है.

**वर्ष 2018-19 के दौरान नई पहल :**

क) आधार नामांकन केंद्र:- यूआईडीएआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी वाणिज्यिक बैंकों को यूआईडीएआई द्वारा 10% बैंक शाखाओं में आधार नामांकन केंद्र खोलने का निर्देश दिया गया है. तदनुसार, हमने पूरे भारत की 429 शाखाओं में आधार नामांकन केंद्र खोलने का प्रस्ताव रखा है. वर्तमान में 429 बैंक शाखाएं आधार नामांकन हेतु सक्रिय कर दी गई हैं.

**ख) विभाग द्वारा डिजिटल पहल :**

- तत्काल पीएमजेडीवाई खाता खोलने की सुविधा सभी बीसी पॉइंट पर शुरू की गयी है.
- हमारे सभी बैंक मित्र, माइक्रो एटीएम, मोबाइल या कियोस्क के द्वारा बीसी पॉइंट पर ही नागरिकों के तत्काल ई-केवाईसी पीएमजेडीवाई खाते खोल सकते हैं और ऐसे तत्काल खातों में एईपीएस (AePS) के माध्यम से लेनदेन की सुविधा भी प्रदान की जाती है.
- बैंक मित्र ग्राहकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे एपीवाई, पीएमएसबीवाई और पीएमजेजेबीवाई के लिए भी पंजीयन कर सकते हैं.
- ग्राहकों को एटीएम और बीसी पॉइंट के माध्यम से रु. 10,000/- तक के ओवरड्राफ्ट के आवेदन की सुविधा प्रदान की गयी है.
- ओवरड्राफ्ट और पंजीयन के लिए पात्र पीएमजेडीवाई खाता धारकों को पीएमजेजेवाई और पीएमएसबीवाई हेतु एसएमएस भेजा जा रहा हैं.

**ग) वरिष्ठ नागरिक बचत योजना इंटरनेट बैंकिंग परिदृश्य सुविधा**

- अब, हमारे सभी इंटरनेट बैंकिंग ग्राहक जिन्होंने देशभर में हमारे किसी भी शाखा में एससीएसएस खाता खोला है, वे अपने एससीएसएस खातों से संबंधित लेनदेन एवं अन्य जानकारी देख सकते हैं.
- इससे निश्चित ही हमारे वरिष्ठ नागरिक ग्राहकों को सहायता होगी क्योंकि उन्हें अपने एससीएसएस खातों के अनुश्रवण के लिए शाखा में जाने की आवश्यकता नहीं होगी.

**घ) डिजिटल लाइफ प्रमाणपत्र का परिचालन**

- 1 नवंबर, 2018 को हमारी शाखाओं ने आधार आधारित डिजिटल लाइफ प्रमाणपत्र स्वीकृत करना आरंभ करके डिजिटलाइजेशन के युग में प्रवेश किया. यथा 31 दिसंबर, 2018 तक हमारी 1460 शाखाएं डिजिटल लाइफ प्रमाण पत्र स्वीकार करने के लिए तैयार हुई.
- इसके परिचालन से हमारी बैंक के 7978 पेंशनरों ने इस सुविधा का उपयोग किया है. यथा 31 दिसंबर हमारे बैंक के 119,727 पेंशनरों की संख्या है.

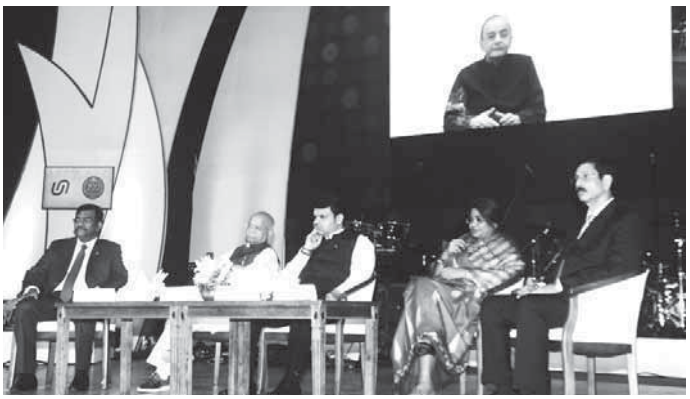
**ड़) एनपीएस प्राण लाइब्रेरी का कार्यान्वयन**

- 19 नवंबर, 2018 से जीबीडी परिपत्र पत्रांक 16018 के जरिए हमने पुराने सिस्टम के एवज में नई केंद्रीकृत प्रणाली तुरंत एनपीएस प्राण जनरेट करने की शुरुआत की है.
- इसमें शाखाएं सीबीएस में एनपीएस-प्राण मेन्यू के जरिए तुरंत प्राण जनरेट कर पाएंगे. इससे सीआरए-एफ़सी की भूमिका कम हो जाएगी.
- इससे एनपीएस पूल खाते में तुरंत एनपीएस अंशदान का संवितरण हो जाएगा और ग्राहकों की शिकायतों में कमी आ जाएगी.

**वर्ष 2018-19 के दौरान महत्वपूर्ण गतिविधियां**

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अपना 100वां स्थापना दिवस 11 नवंबर, 2018 को मनाया गया और इस तरह से यह देश के शताब्दी वर्ष संगठनों के चयनित क्लब में सम्मिलित हो गया है.

माननीय श्री अरुण जेटली, केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में, बैंक के शताब्दी वर्ष समारोह का उदघाटन किया गया. श्री जेटली ने बैंक के गौरवपूर्ण एवं शानदार इतिहास का स्मरण किया तथा राष्ट्र निर्माण में इसकी भूमिका के लिए प्रशंसा की.



उन्होनें कहा कि विभिन्न योजनाएँ जैसे कि मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, जनधन, जन सुरक्षा, मुद्रा, स्टैंड-अप इंडिया, स्किल इंडिया इत्यादि सभी नए भारत की आकांक्षाओं की प्राप्ति के लिये किया गया है.

माननीय राज्य मंत्री, वित्त, श्री शिव प्रताप शुक्ला द्वारा देश में, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की दिशा में, बैंक की सक्रिय भूमिका के लिए, इसकी सराहना की गयी. श्री शुक्ला द्वारा इस बात पर ज़ोर दिया गया कि वित्तीय संस्थाओं पर विश्वास ही राष्ट्र की प्रगति की कुंजी है, अत: बैंकों एवं ऋणियों दोनों को चाहिए कि जमाकर्ताओं के विश्वास का सम्मान करें. उनके द्वारा बैंक के उज्ज्वल भविष्य की कामना की गयी.

माननीय मुख्यमंत्री, श्री देवेन्द्र फडनवीस द्वारा राष्ट्र की सेवा में बैंक के सौ वर्ष पूर्ण करने पर अपनी खुशी जाहिर की गयी जिसका जन्म मुंबई में हुआ है.

सभी महानुभावों का स्वागत करते हुए, श्री राजकिरण रै जी., एमडी एवं सीईओ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने सभी हितधारकों को हार्दिक आभार व्यक्त किया, विशेष रूप से उन 70 लाख ग्राहकों का, जिन्होनें इसके सौ वर्षों की लंबी यात्रा के दौरान सभी परिस्थितियों में बैंक के साथ खड़े रहते हुए अपना साथ दिया है. श्री रै जी. ने कहा कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अपने ग्राहकों, उत्पाद एवं तकनीक में निवेश सहित भविष्य के लिए तत्पर है.

इंडिया पोस्ट द्वारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के शताब्दी वर्ष की स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया गया है.

बैंक द्वारा दो नए, भिन्न प्रकार के कार्डों को भी लांच किया गया जैसे कॉम्बो कार्ड (डेबिट एवं क्रेडिट) तथा रुपे कॉन्टेक्टलेस कार्ड (डेबिट एवं प्रीपेड). एमएसएमई के क्षेत्र में ऋणों की बढ़ोतरी के लिए यू-मोबाइल, न्यू वेब एवं टैब सुविधा सहित मॉड्यूल का न्यू वर्जन, - यूनियन मुद्रा एवं एनवॉइरन्मेंट फ्रैंडली, एनर्जी एफ़िशिएंट तथा लिमिटेड कार्बन फुटप्रिंट ग्रीन डाटा केंद्र.

**सतर्कता जागरूकता सप्ताह:**

- सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2018, "भ्रष्टाचार उन्मूलन:एक नए भारत का निर्माण" विषय के अंतर्गत एक उपयुक्त ढंग से 29 अक्तूबर से 3 नवंबर, 2018 तक हमारे बैंक में एवं हमारे द्वारा प्रायोजित आरआरबी, केजीएसजी बैंक में मनाया गया. समारोह के एक भाग के तौर पर, हमने संस्था में विभिन्न सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम एवं पैन इंडिया आधार पर लोकसंपर्क कार्यक्रम आम नागरिकों एवं भारत के युवाओं के बीच भ्रष्टाचार निवारण संबंधी जागरूकता फैलाने के लिए आयोजित किये थे.
- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ ने केंद्रीय कार्यालय में 29 अक्तूबर, 2018 को सुबह 11.00 बजे सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2018 की शुरुआत करते हुए बैंक के वरिष्ठ कार्यपालकों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलवाई. उसी ढंग से, सभी अंचलीय/क्षेत्रीय कार्यालयों, प्रशासनिक कार्यालयों एवं बैंक की शाखाओं मे सत्यनिष्ठा शपथ लेते हुए सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2018 शुरू किया गया.

**वर्ष 2018-19 के दौरान प्राप्त पुरस्कार एवं उपलब्धियां**

**यूनियन बैंक ऑफ इंडिया "विजिलेन्स एक्सिलेन्स अवार्ड" से सम्मानित**



दिनांक 31 अक्तूबर, 2018 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को "विजिलेन्स एक्सिलेन्स अवार्ड" से सम्मानित किया गया.

विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित भव्य समारोह में भारत के माननीय राष्ट्रपति, श्री राम नाथ कोविन्द द्वारा यह पुरस्कार श्री राजकिरण रै जी., प्रबंध निदेशक एवं सीईओ को प्रदान किया गया.

i. **इंडियन बैंक एसोसिएशन (आईबीए) बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड (बड़े सवंर्ग वाले बैंक)**
   - उप-विजेता - वर्ष का श्रेष्ठ टेक्नोलॉजी बैंक
   - उप-विजेता - वर्ष का श्रेष्ठ वित्तीय समावेशी पहल
   - उप-विजेता - श्रेष्ठ सूचना प्रौद्योगिकी जोखिम प्रबंधन और साइबर सुरक्षा पहल

ii. फरवरी, 2019 में भारत सरकार द्वारा - एन्हेंस्ड एसेस एंड सर्विस एक्सिलेंस (ईएएसई) पर पीएसबी सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत "उद्यमीमित्र फॉर एमएसएमई" में विजेता रहा.

iii. अक्तूबर, 2018 में एसोचैम द्वारा - "बेस्ट एसएमई ऑफरिंग" में विजेता रहा.

iv. जुलाई, 2018 मे चैम्बर ऑफ इंडियन एमएसएमई द्वारा - "बेस्ट बैंक फॉर प्रोमोशनल स्कीम (बड़े सवंर्ग वाले बैंक)" में उप-विजेता रहा.

v. एनपीसीआई अवार्ड - रुपे में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन

vi. आईबीए अवार्ड - वित्तीय समावेशन तकनीक

vii. ईटी नाउ बीएफ़एसआई अवार्ड 2019 - बैंक को वित्तीय समावेशन में अग्रणी पहलों हेतु

viii. एबीपी न्यूज़ बीएफ़एसआई अवार्ड 2018 - बैंक को वित्तीय समावेशन में अग्रणी पहलों हेतु

ix. स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड 2018- वित्तीय समावेशन पहल के लिए

x. यूआईडीएआई- आधार केन्द्रों की स्थापना के बेहतर प्रयासों हेतु राइजिंग स्टार अवार्ड

# हर छोटे बिज़नस आईडिया में होती है एक बड़ी संभावना





## इसे साकार करने के लिए अपनाईए यूनियन बैंक के

# MSE Loans




## सूक्ष्म और छोटे व्यवसायों के लिए झंझटरहित ऋण

| | | |
|---|---|---|
| आकर्षक ब्याज दर | कोलैटरल-रहित ऋण २०० लाख तक स्कीम के अंतर्गत | आसान, ग्राहक-अनुकूल कागज़ी कारवाई |

• 4200+शाखाओं का नेटवर्क • ऑनलाइन आवेदन तथा निगरानी की सुविधा
• स्थान आधारित क्लस्टर स्कीम्स आकर्षक ब्याज दरों और सुविधाजनक शर्तों के साथ पेश की गई हैं • रियायती प्रक्रिया प्रभार

गौरवशाली भागीदार

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
अच्छे लोग, अच्छा बैंक

Union Bank of India
Good people to bank with

भारतीय बैंकिंग कोड एवं मानक बोर्ड के सदस्य Member of Banking Codes & Standards Board of India

हेल्पलाइन नं.: 1800 22 2244 / 1800 208 2244 (टोल फ्री नं.) | 080 6181 7110 (सशुल्क) | +91 80 6181 7110 (एनआरआई के लिए)

www.unionbankofindia.co.in | UnionBankOfIndia | UnionBankTweets | unionbankinsta | UnionBankofIndiaUtube | unionbankofindia




# घर-घर में आर्थिक समृद्धि एवं खुशहाली

## यूनियन बैंक की विविध सरकारी योजनाएँ

अब कोई भी व्यक्ति अपनी नजदीकी यूनियन बैंक की शाखा में जाकर अपना वित्तीय विकास सुनियोजित कर सकता है , आपकी समस्त वित्तीय जरूरतों का समाधान यहाँ मिलेगा। विविध सरकारी जमा / सामाजीक सुरक्षा योजनाओं में से अपनी पसंद की योजना चुनिये और अपने घर पर आर्थिक समृद्धि एवं खुशहाली लाइये।

अधिक जानकारी हेतु हमारी नजदीकी शाखा में संपर्क करें।

गौरवशाली भागीदार

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
अच्छे लोग, अच्छा बैंक

Union Bank of India
Good people to bank with

भारतीय बैंकिंग कोड एवं मानक बोर्ड के सदस्य Member of Banking Codes & Standards Board of India

हेल्पलाइन नं.: 1800 22 2244 / 1800 208 2244 (टोल फ्री नं.) । 080 6181 7110 (सशुल्क) । +91 80 6181 7110 (एनआरआई के लिए)

www.unionbankofindia.co.in | UnionBankOfIndia UnionBankTweets unionbankinsta UnionBankofIndiaUtube unionbankofindia

# Sapne Honge Saakaar



## Union Home

Sanction in 5 days
Repayment upto 30 years

## Union Miles

Sanction in 2 days
Repayment upto 7 years

Conditions Apply.

**Online loan application facility | Interest on Daily reducing balance**

Proud to be associated with

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
अच्छे लोग, अच्छा बैंक

Union Bank of India
Good people to bank with

भारतीय बैंकिंग कोड एवं मानक बोर्ड के सदस्य | Member of Banking Codes & Standards Board of India

Helpline Nos.: **1800 22 2244 / 1800 208 2244** (Toll free no.) | **080 6181 7110** (Chargeable) **+91 80 6181 7110** (For NRIs)

www.unionbankofindia.co.in | UnionBankOfIndia | UnionBankTweets | unionbankinsta | UnionBankofIndiaUtube | unionbankofindia




# Gain maximum with Safe Investment +Smart Savings

## Easy Tax Saver Deposit Scheme

Union Easy Tax Saver Deposit Scheme comes with the dual benefit of tax exemption and attractive earnings on investment. It provides risk-free returns on investment with flexibility in amount of investment.

• Eligibility - Individual, HUF • Minimum Investment - ₹ 1000 and multiples thereof • Monthly / Quarterly Investment option from account on standing instruction • Maximum eligibility for tax deduction - ₹ 1,50,000/- per financial year • Lock-in-period – 5 years • Avail Tax Exemption under section 80 C • Nomination facility available

Conditions apply

Proud to be associated with

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
अच्छे लोग, अच्छा बैंक

Union Bank of India
Good people to bank with

भारतीय बैंकिंग कोड एवं मानक बोर्ड के सदस्य Member of Banking Codes & Standards Board of India

Helpline Nos.: **1800 22 2244 / 1800 208 2244** (Toll free no.) | **080 6181 7110** (Chargeable) **+91 80 6181 7110** (For NRIs)

www.unionbankofindia.co.in | UnionBankOfIndia UnionBankTweets unionbankinsta UnionBankofIndiaUtube unionbankofindia

# NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the **17th (Seventeenth) Annual General Meeting ("AGM")** of the Shareholders of Union Bank of India **("Bank")** will be held on **Friday, 28th June, 2019** at **11.00 A.M.** at **Rama & Sundri Watumull Auditorium, K. C. College, Dinshaw Wachha Road, Churchgate, Mumbai – 400020** to transact the following:

**Ordinary Business:**

**Item No. 1**

To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as at **31st March 2019,** Profit and Loss Account for the year ended on that date, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.

**Special Business:**

**Item No. 2**

**To raise Capital through FPO/Rights/QIP/Preferential allotment etc.**

To consider and if thought fit, to pass with or without modifications the following resolution as a Special Resolution:

"**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 **("Act"),** the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 **("Scheme")** and the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 as amended from time to time and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of the Reserve Bank of India **("RBI")**, the Government of India **("GOI")**, the Securities and Exchange Board of India **("SEBI")**, and/ or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz. SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 **("ICDR Regulations")** as amended up to date, guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 **("Listing Regulations")** as amended from time to time, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called **"the Board**" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document / prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares, upto ₹ **4,900 crore (Rupees Four Thousand Nine Hundred Crore Only)** (including premium, if any) which together with the existing Paid-up Equity share capital of ₹ **1,763.02 crore** (Rupees One Thousand Seven Hundred Sixty Three Crore and Two Lakhs Only) will be within ₹ **3,000 crore (Rupees Three Thousand Crore Only)**, being the ceiling in the Authorised Capital of the Bank as per section 3 (2A) of the Act or to the extent of enhanced Authorised Capital as per the amendment (if any) that may be made to the Act in future, in such a way that the Central Government shall at all times hold not less than 51% of the paid-up Equity Capital of the Bank, whether at a discount or premium to the market price, in one or more tranches, including to one or more of the shareholders, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians **("NRIs")**, Companies, private or public, investment institutions, Societies, Trusts, Research organisations, Qualified Institutional Buyers **("QIBs")** like Foreign Institutional Investors ("FIIs"), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity/securities of the Bank as per extant regulations/ guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank."

**"RESOLVED FURTHER THAT** such issue, offer or allotment shall be by way of public issue (i.e. follow-on-Public Issue) and/ or rights issue and/or private placement, including Qualified Institutional Placements with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Act, ICDR Regulations, Listing Regulations and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit."

**"RESOLVED FURTHER THAT** the Board shall have the authority to decide, at such price or prices in such manner and where necessary, in consultation with the lead managers and/or underwriters and/or other

advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines, whether or not such investor(s) are existing shareholders of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations."

**"RESOLVED FURTHER THAT** in accordance with the provisions of the Listing Regulations, the provisions of the Act, the provisions of the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, the provisions of ICDR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2017, and subject to requisite approvals, consents, permissions and/or sanctions of Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges, Reserve Bank of India (RBI), Department of Industrial Policy and Promotion - Ministry of Commerce (DIPP), Ministry of Finance and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as "the Appropriate Authorities") and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission, and/or sanction (hereinafter referred to as "the requisite approvals") the Board, may at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, which are convertible into or exchangeable with equity shares at a later date, in such a way that the Central Government at any time holds not less than 51% of the Equity Capital of the Bank, to Qualified Institutional Buyers (QIBs) (as defined in Chapter VI of the ICDR Regulations) pursuant to a qualified institutional placement (QIP), as provided for under Chapter VI of the ICDR Regulations, through a placement document and / or such other documents / writings / circulars / memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the ICDR Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at that time."

**"RESOLVED FURTHER THAT** in case of a Qualified Institutional Placement pursuant to Chapter VI of the ICDR Regulations:

a) The allotment of Securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VI of the ICDR Regulations, such securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 365 days from the date of this resolution."

b) The Bank in pursuant to provision of Regulation 176(1) of ICDR Regulations authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price as determined in accordance with the ICDR Regulations.

c) The relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations."

**"RESOLVED FURTHER THAT** the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI/ RBI/SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

**"RESOLVED FURTHER THAT** the issue and allotment of new equity shares / securities if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investments be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act."

**"RESOLVED FURTHER THAT** the said new equity shares to be issued shall be subject to the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, as amended, and shall rank in all respects pari passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

**"RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares/securities, the Board be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the shareholders and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board."

**"RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Book Runner(s), Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository(ies), Registrar(s), Auditor(s) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity / securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies."

**"RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and/or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares/securities are to be allotted, number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/conversion of Securities/exercise of warrants/redemption of Securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium or discount on issue/conversion of Securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and/or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit."

**"RESOLVED FURTHER THAT** such of these shares / securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law."

**"RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deems necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the shares/ securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution."

**"RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Committee of Directors for Raising of Capital Funds or the Managing Director & CEO or to the Executive Director/(s) to give effect to the aforesaid Resolutions."

By order of the Board of Directors
For UNION BANK OF INDIA



(Rajkiran Rai G.)
Managing Director & CEO

Place : Mumbai
Date : 15th May, 2019

**NOTES:**

**1. EXPLANATORY STATEMENT**

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business agenda no. 2 of the meeting is annexed hereto.

**2. APPOINTMENT OF PROXY**

A shareholder entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy (other than an officer or an employee of the bank) to attend and vote instead of himself/herself and the proxy need not be a shareholder of the Bank. As per Regulation 70(vi) of Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, the grantor of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates. No instrument of Proxy shall be valid unless it is in Form "B" as annexed in the Annual Report. The Proxy, in order to be effective, must be received at Central Office of the Bank addressed to **Company Secretary, Investor Services Division, Union Bank of India, 12th Floor, Union Bank Bhavan, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai – 400021,** not less than four days before the date of meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank at **5.00 p.m. on Friday, 21st June, 2019** together with the Power of Attorney or other authority, if any, under which it is signed or a copy of that Power of Attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate unless such Power of Attorney or other authority has been previously deposited and registered with the Bank.

**3. APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVE**

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company or any Body Corporate which is

a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank at the address given above, not less than FOUR DAYS before the date of meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank i.e. **5.00 p.m. on Friday, 21st June, 2019.**

**4. ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS**

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-Cum-Entry Pass is also dispatched along with this Report, with requisite details pre-printed with the e-voting log-in id and password. Shareholders have an option to cast their votes by using remote e-voting platform. Those who do not exercise remote e-voting facility can cast their vote by using e-voting facility available at the venue of the meeting on the date of the AGM. Such Shareholders/ Proxy holders / Authorized Representatives are requested to verify the details printed on the Attendance Slip and fill-in blanks, if any and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue of the meeting. Proxy/ Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance Slip-Cum-Entry Pass as "Proxy" or "Authorized Representative" as the case may be. The Attendance Slip-Cum-Entry Pass is to be surrendered at the time of entry to the venue of the AGM.

**5. BOOK CLOSURE**

The Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from **Saturday, 22nd June, 2019 to Friday, 28th June, 2019** (both days inclusive) for the purpose of AGM.

**6. UNCLAIMED/UNPAID DIVIDEND, IF ANY**

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / not received dividend of previous periods, if any, are requested to contact the Bank's RTA or Bank's Investors Services Division for payment of unclaimed/unpaid dividend.

Shareholders are requested to carefully note that pursuant to Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, dividend remained unclaimed/unpaid for 30 days from the date of its declaration shall be transferred to the "Unpaid Dividend Account" within 7 days from the date of expiry of such period of 30 days.

The amount transferred to the said "Unpaid Dividend Account" and remained unclaimed/unpaid for a period of seven years from the date of transfer, is required to be transferred to the Investors Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Government under Section 125 of the Companies Act, 2013. While the Bank has already transferred unpaid dividend up to FY 2010-11 to IEPF, for the details of unpaid dividend from FY 2011-12, the Shareholders may visit unclaimed dividend search facility made available on Bank's website under following link: https://eremit.unionbankofindia.co.in/UnclaimedDividend/GUIs/CustomerList.aspx Procedure to claim unclaimed dividend and requisite forms are also made available on the above link.

**7. CHANGE OF ADDRESS / BANK PARTICULARS / BANK ACCOUNT MANDATE**

a) The Bank for payment of dividend uses the details of Bank Account registered with the NSDL/CDSL and downloaded by RTA from the respective Depository. Shareholders holding shares in electronic form are hereby informed that Bank particulars registered against their respective depository account should be updated with their respective Depository Participant ("DP") so as to get updated before the commencement of the Book closure. The Bank or its RTA cannot act on any request received directly from the shareholders holding shares in electronic form for any change of bank particulars or bank mandates. Such changes are to be advised only to the Depository Participant of the shareholder.

b) Shareholders holding shares in physical form are requested to send formal request application duly signed along with a valid documentary evidence for updation of any change of address and for updation of Bank Account Details send formal request application duly signed along with a cancelled cheque to the Bank's RTA at the following address:

**Datamatics Business Solutions Ltd.,**
Unit: Union Bank of India,
Plot No. B-5, Part B,
MIDC, Crosslane, Marol,
Andheri (East),
Mumbai – 400 093.

c) The format for providing Bank account details is annexed to the Annual Report and is also available on the website of the Bank www.unionbankofindia.co.in

d) Shareholders holding shares in electronic form must send the advice about change in address to their respective Depository Participant only and not to the Bank or Bank's RTA.

e) Shareholders are requested to invariably quote

their respective folio number/s (for those holding shares in physical form) and their respective DP Id / Client Id number (for those holding shares in electronic/demat form) in any correspondence with the Bank or Bank's RTA.

**8. RECORDING OF CHANGE OF STATUS**

Non-Resident Indian Shareholders are requested to inform the RTA of the Bank – Datamatics Business Solutions Ltd., immediately of:

a) The change in the Residential status on return to India for permanent settlement.

b) The particulars of the Bank Account maintained in India with complete name, branch, account type, account number and address of the Bank with PIN, if not furnished earlier.

**9. COPIES OF ANNUAL REPORT**

Please note that copies of the Annual Report 2018-19 in physical form shall be dispatched using the services of Indian Post/Courier to those Shareholders who have not registered their Email IDs with the Bank and in soft copy by Email to those shareholders who have registered their Email IDs with the Bank/DP. The Annual Report will also be hosted on the website of the Bank. The Annual Report will not be distributed at the AGM and hence shareholders are requested to bring their copies of the Annual Report at the meeting.

**10. CUT OFF DATE FOR E-VOTING**

Pursuant to Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended, Voting Rights of the shareholders in respect of agenda items no. 1 & 2 shall be reckoned as on **Friday, 21st June 2019.**

**11. VOTING RIGHTS**

In terms of the provisions of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisitions & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of **ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.**

Subject to the above, as per Regulation 68 of the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, each shareholder who has been registered as a shareholder on the **Cut-Off Date i.e. Friday, 21st June 2019** shall have one vote for each share held by him/her.

As per Regulation 10 of the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person only is entitled to attend the meeting and is also only eligible to nominate, contest and vote in the Elections.

**12. INFORMATION ON ACCOUNTS**

Shareholders seeking any information on the Accounts are requested to write to the Bank, which should reach the Bank atleast one week before the date of the AGM so as to enable the Management to keep the information ready. Replies will be provided only at the AGM.

**13. DEMATERIALIZATION OF PHYSICAL HOLDINGS**

The Shareholders who are holding shares in physical mode are requested to convert their holdings in dematerialized form, for which they may contact their respective Depository Participant, where they maintain their respective demat account.

**14. E-VOTING**

I. Pursuant to provisions of Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015, the Bank is pleased to provide to shareholders the facility to exercise their right to vote at the AGM by electronic means and the business may be transacted through e-Voting Services.

II. The facility for voting shall also be made available at the venue of the AGM and the shareholders attending the meeting who have not cast their votes by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through voting at the venue.

III. The shareholders who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.

IV. The facility of casting the votes by the shareholders using an electronic voting system from a place other than venue of the AGM ("remote e-voting") and Voting at the Venue will be provided by **Central Depository Services (India) Limited (CDSL).**

V. The remote e-voting period commences on **Tuesday, 25th June, 2019 (9:00 am IST) and ends on Thursday, 27th June, 2019 (5:00 pm IST).** During this period shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the Cut-Off Date of **Friday, 21st June, 2019** may cast their vote by remote e-voting for agenda item no. 1 & 2. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Once a shareholder casts his vote on a resolution, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently.

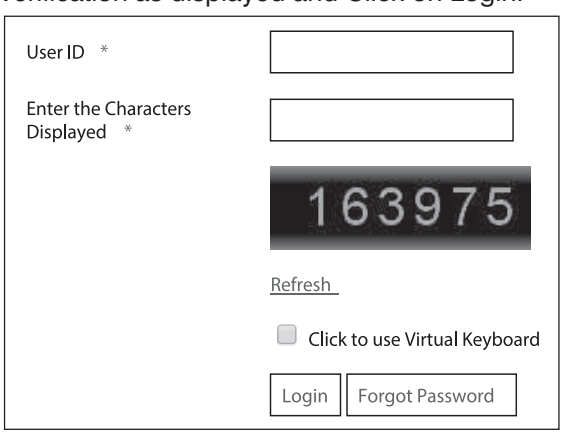
VI. The process and the manner for remote e-voting are as under:

(i) Log on to the e-voting website - **www.evotingindia.com**

(ii) Click on 

tab to cast your vote.

(iii) Now Enter your User ID and the Image Verification as displayed and Click on Login.



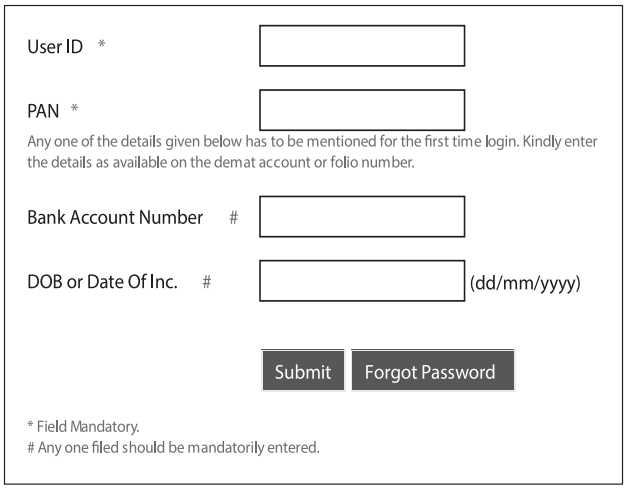

(a) For CDSL: 16 digits beneficiary ID,

(b) For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,

(c) Shareholders holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Bank

(iv) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier voting of any company or Bank, then your existing password is to be used.

(v) If you are a first time user follow the steps given below:



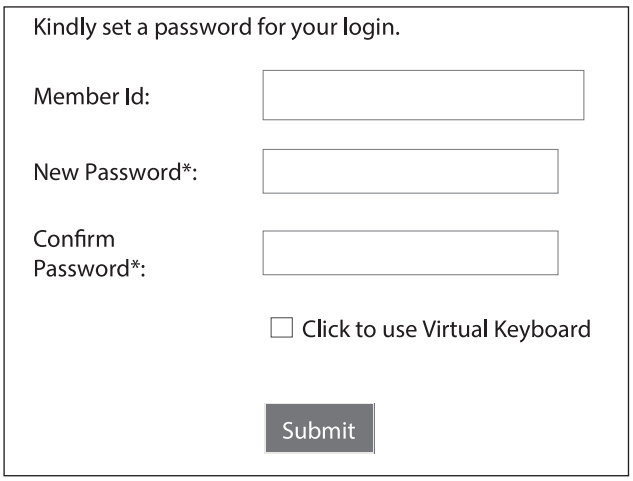

| | |
|---|---|
| PAN | • Enter your 10 digit alpha-numeric PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders)<br>• Shareholders who have not updated their PAN with the Bank/Depository Participant are requested to use the **sequence number which is printed on Attendance Slip cum Entry Pass indicated in the PAN field or provided in the Email sent to you by CDSL.** |
| Dividend Bank Details **OR** Date of Birth (DOB) | • Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in DD/MM/YYYY format) as recorded in your demat account or in the Bank records in order to login.<br>• If both the details are not recorded with the depository or Bank please enter the shareholder id / folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (iii). |

(vi) After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.

(vii) Shareholders holding shares in Physical Form will then directly reach the Company selection screen.

(viii) Shareholders holding shares in **Demat Form** will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used

by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. **It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.**




(ix) For Shareholders holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.

(x) Click on the EVSN of **"Union Bank of India."**

(xi) On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.

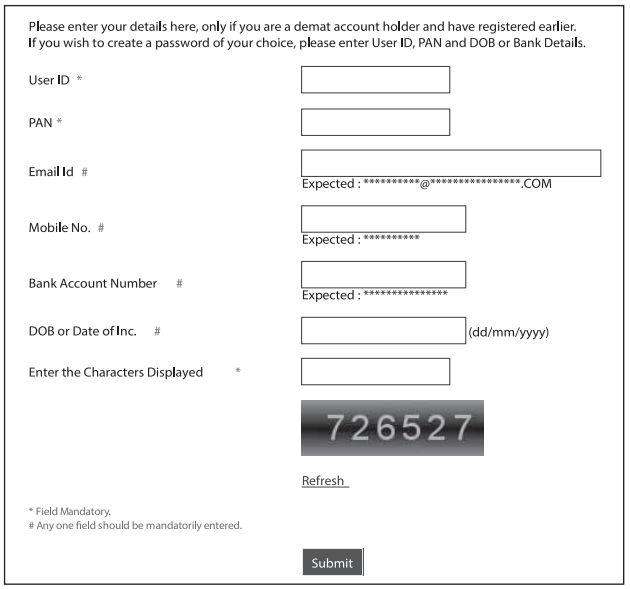
(xii) Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.

(xiii) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.

(xiv) Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

(xv) You can also take a print of the votes cast by clicking on "Click here to print" option on the Voting page.

(xvi) If a demat account holder has forgotten the login password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.




(xvii) Shareholders can also cast their vote using CDSL's mobile app m-Voting available for android based mobiles. The m-Voting app can be downloaded from Google Play Store. Apple and Windows phone users can download the app from the App Store and the Windows Phone Store respectively. Please follow the instructions as prompted by the mobile app while voting on your mobile.

(xviii) Note for Non – Individual Shareholders and Custodians

- Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodian are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves as Corporate.
- A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
- After receiving the login details a Compliance User should be created using the admin login and password. The Compliance User would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
- The list of accounts linked in the login should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
- A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.

VII. In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call 1800225533.

VIII. All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Manager, Central Depository Services (India) Limited (CDSL), A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call 1800225533.

IX. A person, whose name is recorded in the Register of Shareholders or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the venue.

X. M/s Vinay Angane & Associates, Company Secretaries has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting process in a fair and transparent manner.

XI. The Chairman of the Meeting shall, after commencement of the AGM, allow voting for all those shareholders who are present at the AGM but have not casted their vote by availing the remote e-voting facility.

XII. The Scrutinizer shall after the conclusion of voting at the AGM, but not later than 48 hours of the conclusion of the AGM, submit a consolidated scrutinizer's report of the total votes casted in favour or against, if any, to the Chairman of the Meeting or any other person authorised by him.

**15. RESULTS OF VOTING**

The consolidated results of Remote E-Voting and Voting at the venue alongwith the report of the Scrutinizer shall be placed on the website of the Bank i.e. www.unionbankofindia.co.in and on the website of CDSL e-voting i.e. www.evotingindia.com immediately after the declaration of result. The results shall also be immediately forwarded to the Stock Exchanges.

**16. SCRUTINIZERS FOR E-VOTING AT MEETING**

As already indicated for E-Voting, M/s Vinay Angane & Associates, Company Secretaries shall act as Scrutinizer in respect of Agenda Items No. 1 & 2. They shall also act as Scrutinizer along with another shareholder for the E-voting conducted at the Meeting.

## EXPLANATORY STATEMENT

### ISSUE OF CAPITAL THROUGH FPO/RIGHTS/QIP ETC.

The Basel III regulations require that the banks should maintain a minimum common equity tier 1 (CET 1) ratio of 5.5% plus Capital Conservation Buffer (CCB) of 2.5% in the form of Equity Share Capital, Tier 1 ratio (including CCB) of 9.50% and overall CRAR (including CCB) of 11.50% by 31st March, 2020.

With the increasing capital requirements on account of increasing requirement of capital conservation buffer of 0.625% in FY 2020, future expansion & growth of the Bank and consequent capital charge, the Bank is required to raise capital for complying the Basel III requirement, growth of the Bank as well as further strengthening the capital adequacy.

Based on the estimated growth your Directors have decided to raise Equity Share Capital up to ₹ **4,900 crore (Rupees Four Thousand Nine Hundred Crore Only)** including capital infusion from the Government of India. The Bank may raise Equity Share Capital through Public Issue (i.e. follow-on-Public Issue) and/or Rights Issue and/or Private Placement, including Qualified Institutional Placements and/or Preferential allotment to the Government of India and/or other Institutions and/or any other mode(s) subject to approval by the Government of India and other regulatory authorities and in accordance with the SEBI ICDR regulations. The enhanced capital will be utilized for the general business purposes of the Bank.

The Bank had obtained shareholders approval in the AGM held on 27th June, 2018 for raising Equity Share Capital up to ₹ **6,850 crore (Rupees Six Thousand Eight Hundred and Fifty Crore Only)** through Public Issue (i.e. follow-on-Public Issue) and/or Rights Issue and/or Private Placement, including Qualified Institutional Placements and/or preferential allotment to the Government of India and/or other Institutions and/or any other mode(s) subject to approval by the Government of India and other regulatory authorities and in accordance with the SEBI ICDR regulations, which is valid up to 26th June, 2019.

The Bank raised Equity Capital of ₹ **568.32 crore (Rupees Five Hundred Sixty Eight Crore and Thirty Two Lac Only)** by issuance & allotment of 7,28,80,275 equity shares at an issue price of ₹ 58.49 per share (including share premium of ₹ 48.49 per share) at a discount of 25% on the calculated price of ₹ 77.98 per share to the Employees of the Bank pursuant to the Employee

Share Purchase Scheme implemented by the Bank in March, 2019. Further, the Bank raised Equity Capital of ₹ **4,112 crore (Rupees Four Thousand One Hundred and Twelve Crore Only)** by allotment of 52,15,62,658 equity shares on preferential basis to the Government of India at an issue price of ₹ 78.84 per share (including a share premium of ₹ 68.84 per share) in March, 2019.

Keeping in view of future requirements, it has been planned to raise Equity Share Capital up to ₹ **4,900 crore (Rupees Four Thousand Nine Hundred Crore Only)** as indicated above.

In order to meet the Minimum Capital and Leverage Ratio requirements under the BASEL- III guidelines for expansion of business assets, as decided / may be decided by the Board, the Bank proposes to raise common equity by way of Qualified Institutions Placement (QIP) or any other permitted mode in accordance with Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations 2018 and as amended up to date and other applicable Regulations / Guidelines of SEBI/RBI in this regard. In the event of such issuance of securities is undertaken by way of QIP, the same will be in accordance with Chapter VI of Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations 2018.

The present resolution is proposed in order to enable the Board of Directors of the Bank to issue equity shares at an appropriate time, mode, premium and other terms.

The proposed issuance of Equity Shares in terms of the Special Resolution will be in conformity with the provisions of all applicable laws.

Your Directors recommend passing of the special resolution as mentioned in the notice for this agenda.

None of the Directors, Key Managerial Persons of the Bank and their relatives may be deemed to be interested or concerned in the aforementioned Resolution(s), except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank.

By order of the Board of Directors
For UNION BANK OF INDIA



(Rajkiran Rai G.)
Managing Director & CEO

Place : Mumbai
Date : 15th May, 2019

# DIRECTORS' REPORT

Dear Shareholders,

The Board of Directors is pleased to present the 100th Annual Report of the Bank for the Financial Year 2018-19 together with the 'Audited Balance Sheet', 'Profit & Loss Account', 'Cash-Flow Statement' and the report on 'Management Discussion & Analysis'. The 'Corporate Governance Report' and 'Business Responsibility Report' also form part of the Annual Report 2018-19.

**1. Highlights:**

1.1 Indian economy projected to grow at 7.2 per cent during FY 2018-19. India became 6th largest economy of the world. Growth of the economy was accompanied by measurable changes in financial service industry. Aggregate flow of funds to the commercial sector from banks (Bank credit) grew at an average 11.0 per cent in FY 2018-19, significantly up from average 6.2 per cent growth in FY 2017-18. Credit flow to industrial sector reported gradual recovery after initial subdued growth.

1.2 Government has remained sanguine in introducing various structural reforms in overall economy including financial sector, following which India climbed up in World Bank's ease of doing business ranking. Introduction of one-tap loan processing structure for MSMEs was one such landmark change.

1.3 In-line with its objective of growth facilitation, RBI has introduced various measures to overcome the short-term liquidity shortages. RBI also provided timely intervention for NBFCs to prevent any spill-over. To support competitive environment, RBI has taken various steps for supporting new entrants in the financial sector. Despite strong credit growth and optimal regulatory environment, banking sector is yet to cope-up with the asset quality challenges. Amid on-going challenges and opportunities, banking sector has been driving the way ahead for developing infrastructure to cater the financial needs of the world's sixth largest economy.

1.4 Considering the business prospect in the coming year, your Bank has rolled out new design for sourcing of new business through Customer Acquisition Group (CAG), centralized underwriting of credit processing across business lines of corporate, SME, retail and agriculture.

1.5 Further your Bank has leveraged digital technology for monitoring, resolution and recovery. Monitoring has shifted to proactive one, which flows through origination, underwriting, documentation, disbursement and servicing during the life cycle of exposure.

1.6 Established in the year 1919 Union Bank of India has 4,292 branches including 4 overseas branches, 6650 ATMs and 5586 micro ATMs across 29 States and 5 Union Territories as on March 31, 2019. Your Bank serves over 74 million customers and employs more than 37,000 people.

**2. Way Ahead- "Vision 2020"**

During FY 2018-19 your Bank has undertaken various transformation initiatives to re-engineer and streamline its processes. During the year, the Bank focused on creation of the necessary infrastructure required to achieve the aspirations set by the Bank under "Vision 2020". The structural initiatives can be divided into four categories.

2.1 **Centralization of Credit Underwriting:** With a view to bring consistency in processing, to improve credit quality and to create specialized skill-set for quick delivery, your Bank has scaled up a unified credit delivery and processing structure by setting up Centralized Processing Centers (CPCs) for credit underwriting.

- **Union Loan Point (ULP)** is for processing all the retail loan products. The ULPs are also developed as acquisition centre to mobilize retail loans. Your Bank has 73 ULPs mapped to 1238 branches across 48 regions.
- **Union Sammridhi Kendra (USKs):** To cater the rural & semi-urban needs, your Bank has implemented new operating model for RuSU (Rural and Semi Urban Areas) by introducing Hub and Spoke model where "Hub" is a Centralized Processing Cell (USK) and "Spoke" is mapped RuSU branch. The USKs are processing all types of advances in RuSU areas. The loan processing at USK is completely digitized with linked branch capturing the borrower data through tablet (a hand held electronic device) and then transferring it directly to USK for processing. Your Bank has 38 USKs mapped with 556 branches in 38 regions.
- **SARAL:** Though the structure was already in existence, your Bank has further widened the scope of SARAL to accelerate credit flows to MSME, to improve asset quality and to enhance customer service at small centers, SARAL Lite has been established.

2.2 **Verticalization of Sourcing:** Your Bank has established Customer Acquisition Group (CAG) for verticalization of sourcing of business with an aim to drive sales effort in developing new partnerships for sustained business mobilization, to develop tie-

ups with fin-techs for sourcing leads through digital channel, and to develop a vibrant sales culture in the organization for long term growth. The CAG is getting good response and started generating positive result.

2.3 **Specialization in Monitoring and Recovery:** Your Bank has taken many proactive steps for monitoring of loans like;

- System based triggers and alerts for classification and identification of action required in the stressed assets.
- Developed in house web portal for monitoring purpose. The web portal is providing a comprehensive dashboard to the branches/administrative offices containing the consolidated information along with branch wise position under various parameters like SMAs, CRILIC, Review & Renewal etc and daily progress can be monitored on real time basis.
- Your Bank has also developed in house NPA Recovery App with an aim to aid in NPA recovery by facilitating the staff to have access to the information regarding the borrower like his accounts, address, navigation, visit and follow up report to have better follow up and control.

2.4 **Cost Optimization:** Your Bank is optimizing the utilization of available resources for improving the overall profitability. Your Bank has a complete bouquet of digital services to cater various financial and non-financial needs of customers like passbook in mobile, loan application through internet banking and mobile banking etc

**3. EASE (Enhanced Access and Service Excellence):**

To enhance the efficiency of Public Sector Banks across all domains viz; credit underwriting, monitoring, recovery, and to provide best of the service to the customers of banks, the Government of India introduced Reforms Agenda (also known as EASE) during FY 2018-19 which contains 6 themes and 30 Action Points which all the PSBs need to implement in a time bound manner. Based on the implementation of the Action Points PSBs are rated on an index developed by an external agency.

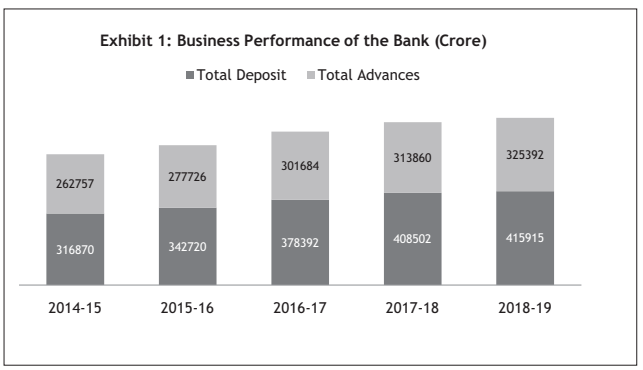
Your Bank was ranked first in one of the themes, "Udhaymitra for PSBs", which showcased the commitment of Bank in adopting best practices to cater the need of MSMEs in India.

Your Bank is further strengthening its processes across all domains, building and expanding the existing infrastructure to become a Bank of next generation, providing best in class services and customer experience.

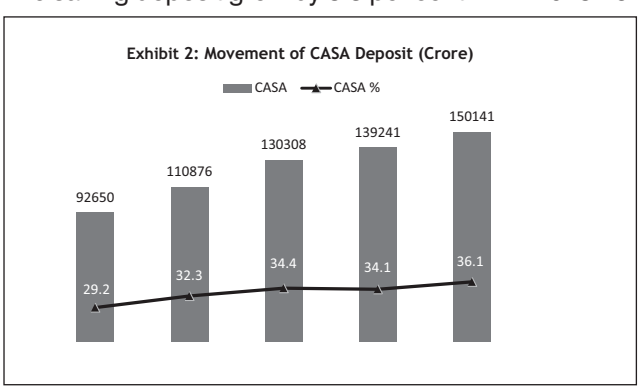
The Government of India has now come up with new EASE index 2.0 for FY 2019-20 which is to showcase "results" of the infrastructure set up during FY 2018-19. With the necessary infrastructure in place, your Bank aspire to emerge among the best banks under EASE index 2.0.

**4. Business:**

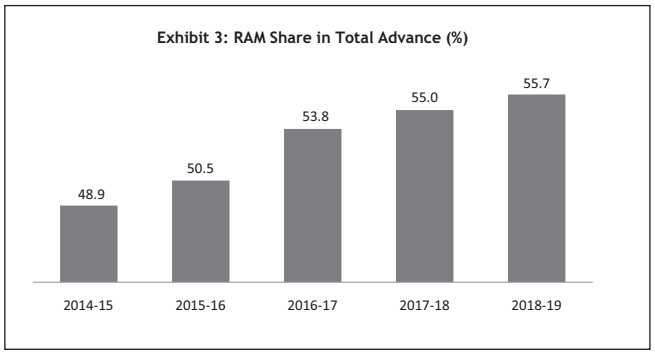
4.1 The global business of the Bank Increased to ₹ 7,41,307 crore as on March 31, 2019 from ₹ 7,22,362 crore as March 31, 2018, reflecting an annual growth of 2.6 per cent.




4.2 Total Deposit increased to ₹ 4,15,915 crore as on March 31, 2019 from ₹ 4,08,502 crore as on March 31, 2018, noting an annual growth of 1.8 per cent. CASA (current account and saving account) share in total deposit stood at 36.1 per cent as on March 31, 2019. The saving deposit grew by 8.3 per cent in FY 2018-19.




4.3 Gross Advances stood at ₹ 3,25,392 crore as on March 31, 2019 compared to ₹ 3,13,860 crore as on March 31, 2018 recording an annual growth of 3.7 per cent. The Domestic Advances grew by 7.8 per cent in FY 2018-19. The RAM (Retail, Agriculture and MSME) sector stood at ₹ 1,73,237 crore as on March 31, 2019 compared to ₹ 1,58,642 crore as on March 31, 2018. RAM Sector as a whole grew at an annual rate of 9.2 per cent.




4.4 Overseas business of the Bank stood at ₹ 17,276 crore as on March 31, 2019 compared to ₹ 30,829 as on March 31, 2018. Your Bank has four overseas branches at Hong Kong, DIFC (Dubai), Antwerp (Belgium) and Sydney (Australia). Your Bank also operates in the United Kingdom through its wholly owned subsidiary, Union Bank of India (UK) Ltd.

## 5. Income and Expenditure:

**Table 1: Income and Expenditure Statement (₹crore)**

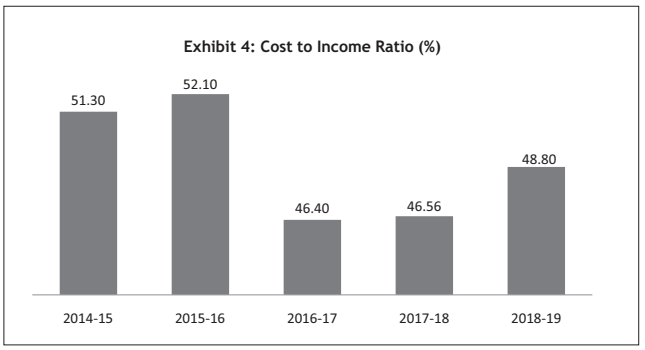
| Sl. No. | Parameter | FY 2018-19 | FY 2017-18 | Annual Growth | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Absolute | (%) |
| 1 | Interest Earned | 34067 | 32748 | 1319 | 4.03 |
| 2 | Other Income | 4474 | 4990 | -516 | -10.34 |
| 3 | Total Income (1+2) | 38541 | 37738 | 803 | 2.13 |
| 4 | Interest Expended | 23852 | 23443 | 409 | 1.74 |
| 5 | Net Interest Income (1-4) | 10215 | 9305 | 910 | 9.78 |
| 6 | Operating Expenses | 7168 | 6655 | 513 | 7.71 |
| | w/w Establishment Expenses | 3151 | 3155 | -4 | -0.13 |
| 7 | Total Expenditure | 31020 | 30098 | 922 | 3.06 |
| 8 | Operating Profit (3-7) | 7521 | 7640 | -119 | -1.56 |
| 9 | Provisions | 10469 | 12887 | -2418 | -18.76 |
| 10 | Net Profit/Loss | -2948 | -5247 | - | - |
| 11 | Earnings per share (₹) | -25.08 | -69.45 | - | - |

## 6. Profitability and Efficiency:

6.1 Your Bank reported an Operating Profit of ₹ 7,521 crore in FY 2018-19 as compared to ₹ 7,640 in FY 2017-18.

6.2 Net loss of the Bank stood at ₹ 2,948 crore in FY 2018-19 compared to loss of ₹ 5,247 crore in FY 2017-18.

6.3 Cost-to-income ratio of your Bank stood at 48.80 per cent in FY 2018-19 compared to 46.56 per cent in FY 2017-18.




6.4 During FY 2018-19, Return on Average Assets stood at -0.59 per cent, whereas Return on Equity stood at -15.57 per cent.

**Table 2: Efficiency Ratios**

| Parameter (%) | FY 2018-19 | FY 2017-18 |
|---|---|---|
| Return on Average Assets | (-) 0.59 | (-) 1.07 |
| Return on Equity | (-) 15.57 | (-) 28.53 |

6.5 The following are the key productivity ratios of the Bank for FY 2018-19

**Table 3: Productivity Ratios**

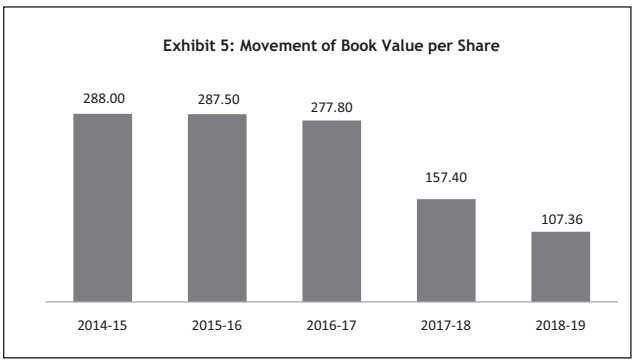
| Parameter | FY 2018-19 | FY 2017-18 |
|---|---|---|
| Average Business per Employee (₹ crore) | 18.8 | 17.8 |
| Average Business per Branch (₹ crore) | 163.2 | 155.8 |
| Gross Profit per Employee (₹ lakh) | 20.2 | 20.3 |

## 7. Dividend:

Due to higher provisions for NPA, your Bank has reported loss of ₹ 2,948 crore in FY 2018-19. Accordingly, the Board has not declared any dividend.

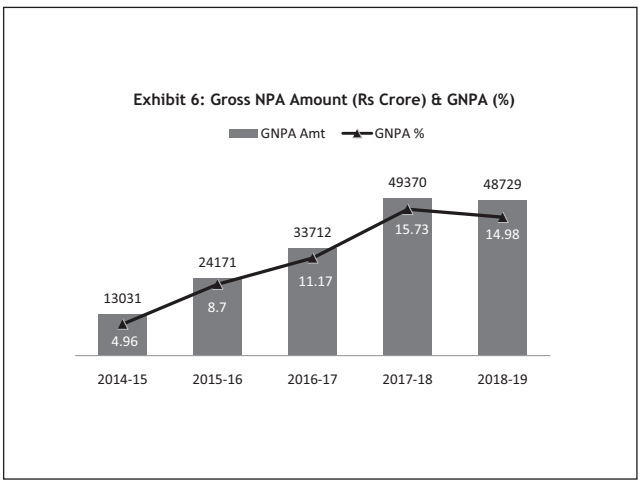
## 8. Shareholders' Return:

8.1 The Bank's net worth increased to ₹ 18,927 crore as on March 31, 2019 compared to ₹ 18,394 crore as on March 31, 2018.

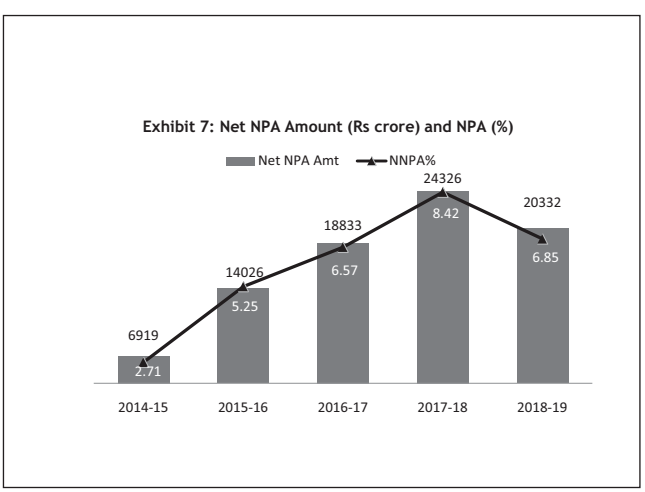



## 9. Asset Quality:

9.1 Gross Non-Performing Assets (GNPA) of the Bank stood at ₹ 48,729 crore as on March 31, 2019 compared to ₹ 49,370 crore as on March 31, 2018. GNPA as per cent to gross advances decreased to 14.98 per cent as on March 31, 2019 compared to 15.73 per cent as on March 31, 2018.




9.2 Net NPA of the Bank declined to ₹ 20,332 crore as on March 31, 2019 compared to ₹ 24,326 crore as on March 31, 2018.




## 10. Capital Adequacy Ratio:

10.1 The Capital Adequacy Ratio as per BASEL III norms stood at 11.78 per cent as on March 31, 2019. Common Equity Tier I (CET I) capital of the Bank stood at 8.02 per cent in March 2019 which is about 64 basis point higher than the minimum regulatory requirement.

**Table 4: Capital Adequacy Ratios - Basel III (₹crore)**

| Parameters | RBI Minimum Benchmark March 31, 2019 | March 31, 2019 | March 31, 2018 |
|---|---|---|---|
| Total Risk Weighted Assets | NA | 278344 | 286315 |
| Total Capital Funds | | 32796 | 32817 |
| CET 1 Capital | | 22328 | 21641 |
| Tier 1 Capital | | 26388 | 25857 |
| CRAR (%) | 10.875 | 11.78 | 11.46 |
| CET 1 (%) | 7.375 | 8.02 | 7.56 |
| Tier 1 (%) | 8.875 | 9.48 | 9.03 |
| Tier 2 (%) | NA | 2.30 | 2.43 |

*Note: RBI minimum benchmarks are including CCB (Capital Conservation buffer) of 1.875 per cent in CRAR, CET 1 and Tier 1 ratios. There is no minimum for Tier II ratio..*

10.2 **Capital raised during FY 2018-19:** During the FY 2018-19, your Bank raised ₹ 4680.32 crore through the issuance of Equity Capital.

10.2.1 **Capital infusion by Government of India:** To revitalize capital position of the Bank, Government of India infused ₹ 4112 crore in your Bank during the FY 2018-19.Your Bank has issued and allotted 52.16 crore shares at an issue price of ₹ 78.84 per share including share premium of ₹ 68.84 per equity share on March 28, 2019.

10.2.2 Your Bank has raised ₹ 568.32 crore under the Employee Share Purchase Scheme by issuing and allotting 7.29 crore shares at ₹ 77.98 per share including share premium of ₹ 67.98 per equity share and gave a discount of 25 per cent on calculated price. The effective issue price per share was ₹ 58.49.

| Particulars | Details | | |
|---|---|---|---|
| The details of number of share issued under ESPS | The Bank has issued 7,28,80,275 shares under Employee Share Purchase Scheme. | | |
| The price at which such shares are issued | Rs.58.49 per equity share | | |
| **Employee-wise details of the shares issued to;** | | | |
| (I) Senior Managerial Personnel | **Name** | **Designation** | **Shares Alloted** |
| | Rajkiran Gundyadka Rai | MD & CEO | 6725 |
| | Raj Kamal Verma | Executive Director | 6725 |
| | Gopal Singh Gusain | Executive Director | 6725 |
| | Dinesh Kumar Garg | Executive Director | 6725 |
| | Gajanan Ramakant Padalkar | General Manager | 6725 |
| | Dineshkumar Dahyalal Mistry | General Manager | 6725 |
| | Pankaj Sharma | General Manager | 5044 |
| | Kishore Pundalik Acharya | General Manager | 6725 |
| | Hari Chand Mittal | General Manager | 6725 |
| | Ravinder Kumar Kashyap | General Manager | 6725 |
| | Purna Chandra Panigrahi | General Manager | 6725 |
| | Dharam Chand Chauhan | General Manager | 6725 |
| | Puthenpurayil S Rajan | General Manager | 6725 |
| | Avinash Kumar Singh | General Manager | 6000 |
| | R Kandasamy | General Manager | 6725 |
| | Sanjay Sharma | General Manager | 6725 |
| | Chandrashekhar S S | General Manager | 6044 |
| | Venkatesh Muchal | General Manager | 6725 |
| | Ishraq Ali Khan | General Manager | 6725 |
| | Atul Kumar | General Manager | 6725 |
| | Yogendra Singh | General Manager | 6725 |
| | Satyanarayana Pathuri | General Manager | 6725 |
| | Brajeshwar Sharma | General Manager | 6725 |
| | Sangram Keshari Mohapatra | General Manager | 6725 |
| | Badatala Sreenivasa Rao | General Manager | 6725 |
| | Jagmohan Singh | General Manager | 6725 |
| | Shiv Narain Kaushik | General Manager | 6725 |
| | Lal Singh | General Manager | 6725 |
| | Kalyan Kumar | General Manager | 6725 |
| | P R Rajagopal | General Manager | 1500 |
| | Asheesh Pandey | General Manager | 6000 |
| | Monika Kalia | General Manager | 6725 |
| | Pravin Sharma | General Manager | 5898 |
| | Nitesh Ranjan | General Manager | 6725 |

| Particulars | Details |
|---|---|
| (ii) any other employee who is issed shares in any one year<br>amounting to 5% or more shares issued during that year | Nil |
| (iii) identified employees who were issued shares during any one year equal to or exceeding 1% of the issued capital of the company at the time of issuances | Nil |
| Consideration recieved against the issuances of shares, if scheme is implemented directly by the company | ₹ 4,26,27,67,284.75 |
| Loan repaid by the Trust during the year from exercise price<br>recieved | Not Applicable |

**11. Social Media:**

11.1 Your Bank has expanded the reach of the followers across all the social media platforms like the Facebook, Twitter, Instagram and YouTube. Total number of followers across all the four platforms has increased to 14,05,487.

11.2 Your Bank's official Facebook page has been rated as "Most Responsive with 100% response rate" by Facebook and Twitter handle has been rated as " Responsive 24/7", as the queries are attended on real time basis.

11.3 Your Bank has achieved 2nd position on Facebook and Twitter in respect to followers among the public sector banks (including SBI).

**12. Network:**

12.1 Network of your Bank is spread across the country with 4,288 branches as on March 31, 2019. The Bank also has four full fledged overseas branches.

12.2 The Bank has Network of 6650 ATMs and 5586 micro ATMs as of March 31, 2019. During FY 2018-19 your Bank has opened 35 e-lobbies and 78 cashless campuses at various locations in the country.

12.3 Your bank has total 5439 Business Correspondents (Bank Mitras) to serve the unbanked areas.

**13. Secretarial Audit**

Pursuant to the provision of Regulation 24A of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2018 and the SEBI circular no. CIR/CFD/CMD1/27/2019 dated February 8, 2019, the Bank had appointed M/s Subhash Kulkarni & Associates, Company Secretaries, Mumbai, to act as the Secretarial Auditor of the Bank for the financial year 2018-19. The secretarial audit of the Bank was conducted for the full year in respect of the matters prescribed in the said circular and as set out in the Secretarial Audit Report for the financial year 2018-19, which is provided as an annexure to this report.

The Secretarial Audit firm has not given any qualification in their report but has given some observations / suggestions to improve the Corporate Governance practices followed by the Bank. A gist of the same is given here below:

- RBI has levied three penalties during the FY 2018-19 for delay in reporting of fraud, delay in exchange of information of the borrower and delay in adherence to certain RBI directives.
- As regard to Board proceedings, few instances of delay in placement of agenda items at the meeting was observed and also suggested to adopt procedure of Video Conferencing as per Secretarial Standard.

- As regards to composition of Board, it was suggested that the number of Independent Directors on Board should be at least five (1/3 rd of total strength of Directors i.e. 15), against existing number of three.
- Suggested to obtain timely disclosure from Directors and Designated employees of the Bank in prescribed form pursuant to Clause 7(2) of SEBI (Prohibition of Insider Trading) regulation 2015 and the Code of Conduct for Prohibition of Trading by Insiders 2018-19.
- Suggested to incorporate specific time limit for the resolution of compliant in the Whistle Blower Policy.
- Suggested to have detailed compliance check list to monitor periodical / event based return and to have in-house software for the same. Further suggested that the Compliance Department to sample check the compliances done by the other departments and to submit a consolidated confirmation on compliance to MD/ ED.

At the outset the Management is thankful for the comments, observations and suggestions of the Secretarial Audit team. Being a Nationalised Bank incorporated under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the provisions of Corporate Governance mentioned under SEBI (LODR) regulations shall apply to the extent that it does not violate statutes and guidelines or directives applicable to the Bank. Bank will endeavor to adopt and comply with all the suggestions of the Secretatrial Audit team to an extent possible and within the given frame work.

**14. Awards & Accolades**

During FY 2018-19, your Bank received various awards for its new initiatives taken in Digitization, Financial Inclusion, HR management, Customer Service etc.

| Awarded By | Awards | Awarded For |
|---|---|---|
| Govt of India | UdyamiMitra for MSMEs | Enhanced Access and Service Excellence (EASE) Award under PSB Reforms Agenda |
| Golden Peacock | National Training Award | Corporate Leadership & Institutional Excellence- National Training Award |
| Asia Pacific HRM Congress | Asia Pacific HRM Congress Award | Organization with Innovative HR practices |
| World HRD Congress | Global Training & Development Leadership Award | Best Leadership Development program in Public sector for Top Management |
| | | Excellence in Training & Development Award |
| | | Best use of Technology for Training |
| Indian Society for Training & Development | Special Commendation Award | Innovative Training Practices in Public Sector Enterprises |
| IBA | Best Financial Inclusion Initiatives Award | Best Financial Inclusion Initiatives amongst Large Banks |
| | Best Technology Bank Award | Best Technology Bank amongst Large Banks |
| | Best IT Risk Management and Cyber Security Award | Best initiatives taken in IT Risk Management and Cyber Security amongst Large Bank |
| Banking Financial Services and Insurance | Banking Financial Services and Insurance Award | Leading Financial Inclusion Initiatives |
| PFRDA | Best Performing Bank | Best Performing Bank - APY Formation day |
| | | Best Performing Bank- Quest for Crown |
| ASSOCHAM | ASSOCHAM SMEs Excellence Award | “Best SME offering” – Innovative Financial Solution for MSMEs |
| Central Vigilance Commission, GOI | Vigilance Excellence Award | Outstanding performance in conduct of Vigilance Awareness activities |

| NPCI | NPCI Award | Excellent performance in RuPay cards |
|---|---|---|
| SKOCH | SKOCH Gold Award | Banking & Finance Gold for Technology – Strategic Transformation (Union Samriddhi Kendra Model) |
| | | Cyber Security Gold for Governance Risk Management and Compliance tool |
| | SKOCH Order of Merit | Financial Inclusion Initiatives |
| | | Technology: Strategic Transformation & Financial Inclusion initiatives under Top Banking & Finance Project in India |
| | | SIEM Tool, Governance Risk Management |
| | | Compliance tool & Anti DDOS Solution under Top Cyber Security projects in India |

**15. Director**

The following changes took place in the Board of directors of your Bank during the financial year 2018-19.

15.1 Shri Vinod Kathuria, Executive Director completed his term in the office on July 31, 2018.

15.2 Shri Gopal Singh Gusain. has been appointed as Executive Director of the Bank w.e.f. September 20, 2018 vide Government of India notification no. F. No. 4/5/2018-BO.I dated September 20, 2018.

15.3 Shri Atul Kumar Goel, Executive Director was relieved from the office on November 01, 2018 as he was elevated as MD and CEO of UCO Bank.

15.4 Dr R H Dholakia, Shareholder Director completed his term in the office on June 26, 2018.

15.5 Dr. Uttam Kumar Sarkar, Shareholder Director completed his term in the office on June 26, 2018.

15.6 Dr Uttam Kumar Sarkar, was re-elected as Shareholder Director u/s 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of 3 years from 28.06.2018 to 27.06.2021.

15.7 Shri Gopal Krishan Lath, Shareholder Director completed his term in the office on June 26, 2018.

15.8 Shri K Kadiresan, was elected as Shareholder Director u/s 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of 3 years from 28.06.2018 to 27.06.2021.

15.9 Shri Jayadev M, was elected as Shareholder Director u/s 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of 3 years from 28.06.2018 to 27.06.2021.

15.10 Shri Dinesh Kumar Garg. has been appointed as Executive Director of the Bank w.e.f. November 02, 2018 vide Government of India notification no. F. No. 4/5/2018-BO.I dated September 20, 2018.

15.11 Shri Raj Kamal Verma, Executive Director completed his term in the office on February 28, 2019.

15.12 Shri Manas Ranjan Biswal has been appointed as Executive Director of the Bank w.e.f. March 01, 2019 vide Government of India notification no. F. No. 4/5/2018-BO.I dated September 20, 2018.

**16. Directors' Responsibility Statement**

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2019.

16.1 The applicable accounting standards have been followed and there are no material departures from prescribed accounting standards.

16.2 The accounting policies framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India, were consistently applied.

16.3 Reasonable and prudent judgement and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit of Bank for the year ended on March 31, 2019.

16.4 Proper and sufficient care was taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing Banks in India.

16.5 The accounts have been prepared on going concern basis.

**17. Corporate Governance**

The Board of the Bank is committed to adopt good Corporate Governance practices in letter and spirit. A detailed report on Corporate Governance is given in a separate section of the Annual Report. The Corporate Governance report for financial year 2018-19 has no audit qualifications.

**18. Corporate Social Responsibility (CSR):**

18.1 Your Bank is committed to its Corporate Social Responsibility by contributing to the society. In this endeavor, Bank has set up the 'Union Bank Social Foundation Trust (UBSFT)' in the year 2006 for spearheading CSR initiatives. During FY 2018-19, your Bank has contributed ₹ 45.43 lacs as donation to UBSFT for CSR activities.

18.2 UBSFT has donated in 10 projects during the year 2018-19 under various sectors like Education, Health care, Community Development, Sanitation, Disability sector etc.

**19. Acknowledgement:**

The Board places on record its gratitude to the Government of India, Reserve Bank of India, Securities & Exchange Board of India, Insurance Regulatory and Development Authority of India, Central Vigilance Commission and other institutions for the valuable guidance and support received from them. The Board also acknowledges unstinted support of the financial institutions, correspondent Banks, valuable shareholders, esteemed customers and all other stakeholders. The Board also expresses its deep appreciation for the dedicated service and contribution made by members of staff in the overall performance of the Bank.

**For and on behalf of the Board of Directors,**



**(Rajkiran Rai G.)**
**Managing Director & CEO**

Place: Mumbai
Dated: 14th May, 2019

**Form No. MR-3**
**SECRETARIAL AUDIT REPORT**
FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED **31st MARCH, 2019**
*[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule No.9 of the Companies (Appointment and Remuneration Personnel) Rules, 2014]*

To,

Assistant General Manager,
Board Secretariat,
Union Bank of India,
Central office,
Nariman Point,
Mumbai-400021.

I have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by Union Bank of India (hereinafter referred as "the Bank"). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided me a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing my opinion thereon.

Based on the verification of the Bank's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank and also the information provided by Bank, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, I hereby report that in my opinion, the Bank has, during the audit period covering the financial year ended on 31st March, 2019 has generally complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Bank has proper Board-processes and compliance mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

I have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by Bank for the financial year ended on 31st March, 2019 according to the provisions of:

1. The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970;
2. Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970;
3. Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, as amended;
4. Banking Regulation Act, 1949 and Banking Companies Rules, 1949 (as amended from time to time);
5. Reserve Bank of India Act, 1945;
6. SEBI regulations and guidelines (refer to Secretarial Compliance Report)
7. Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Rules and regulations made thereunder to the extent of overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings;
8. The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws Framed there under.
   As explained and informed by the Bank, the Companies Act is not applicable to the Bank but as a measure of good corporate governance, the Bank adheres to the Secretarial Standards 1 and 2 to the extent it does not violate respective statutes and guidelines or directives issued by the relevant authorities for the bank.

**I.** During the period under review the Bank has generally complied with the provisions of the Act, Rules,

Regulations, Guidelines, Standards etc. mentioned above, subject to the following observations:

**A. Levying of penalty by RBI**:

The bank has received three (3) penalty orders from Reserve Bank of India (RBI) during the period under review, details are as under:

| Sr. No. | Show Cause notice dated | RBI Order dated | Subject | Penalty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-Jan-18 | 30-Aug-18 | Delay in reporting a fraud to the tune of Rs. 2641.54 mln in the account of M/s Winsome Diamond and Jewellary Ltd, against the letter and spirit of the directions contained in the RBI master circular in this regard. | Rs. 10 million only |
| 2 | 09-May-18 | 31-Jan-19 | Delay in exchange of information regarding the conduct of the borrowers account namely Siddhi Vinayak Logistic Limited with the lenders. | Rs. 10 million only |
| 3 | 23-Aug-18 | 25-Feb-19 | Delay in adherence to RBI directives on "time Bound implementation and strengthening of SWIFT related controls" contained in RBI circular of 20-Feb-18 that were observed during the compliance assessment conducted by RBI on 04-May-18. | Rs. 30 million only |

**B. Delay in placement of agenda items in time:**

Secretarial Standards (SS-1) issued by Institute of Company Secretaries of India prescribes that agenda items are required to be placed before the Board at least 7 days in advance of the date of the meeting.

It is observed that while majority of the agenda items are placed before the Board/ Audit committee meetings as per standard prescribed, there have been a few instances of delay in placement of agenda items at the meeting.

*It is hereby recommended as good corporate governance practice all agenda items be placed as per SS-1.*

**C. Recording of participation in the meeting through video conferencing:**

It is observed that a few Directors have participated in the Board/Audit committee meetings through video conferencing.

*It is recommended that the following provisions of secretarial standard be adhered to as a measure of good corporate governance with respect to participation in meetings through Video conference:*

A. *The Notice shall inform the Directors about the option available to them to participate through Electronic mode and provide them all the necessary information.*

B. *In case of Directors participating through Electronic Mode, the Chairman shall confirm the attendance of such Directors. For this purpose, at the commencement of the meeting, the Chairman shall take a roll call. The Chairman or Company Secretary shall request the Director participating through Electronic mode to state his full name and location from where he is participating and shall record the same in the Minutes.*

**D. Whistle Blower Policy:**

The Bank had introduced Whistle Blower Policy during April 2006 in line with Public Interest Disclosures and Protection to Informant Resolution (PID and PIR) of the Central Vigilance Commission.

Whistle Blower policy was revised in 2015 to comply with the Clause 49 of erstwhile listing agreement which prescribed to establish a Vigil Mechanism for Directors and employees to report any unethical behaviour, etc.

*It is observed the policy does not have time line within which the complaint needs to be addressed at each level of escalation. It is suggested to incorporate specific time limit for the resolution of compliant.*

**II.** The Bank has directed us to carry out review of the compliance mechanism established by the Bank and on the basis of compliance certificate issued by the various authorised officials and taken on record by the Board of Directors at their meetings to form an opinion whether there are adequate system and process in the Bank commensurate with its size and operations to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and adherence to. We note that a comprehensive Compliance Policy is in place that outlines compliance philosophy of the Bank and the same is reviewed annually.

It is observed that a reporting system exists to ensure regulatory and statutory compliance through self certification process by which compliance certificate is submitted by branches to the higher offices. With respect to corporate office, the quarterly compliance certificate is submitted by all functions to the Compliance Department certifying that all statutory/regulatory returns/ reports as per the calendar are submitted to respective authorities. This is to be submitted within stipulated time line from close of the quarter. Subsequently, a note is placed to Top Management every quarter giving the status of the compliance.

The Audit committee of the Board and the Board are also apprised at regular intervals about the status of important communications received from RBI / MOF/ IBA and its compliance thereon.

In this connection it was informed that there exists an in house compliance package to deal with communications received from various authorities as mentioned above and which also deals with returns to be submitted to regulators.

It is noticed that every quarter a note is placed to the Audit Committee of the Board and on yearly basis to the Board by the Compliance Department on the status of the compliances. In this connection functions are required to identify compliance function / issues pertaining to them based on regulatory / statutory guidelines and send a consolidated list of issues to

the Compliance Department.

During the review the following gaps were observed on the basis of test checks carried out. It was observed that no checklist/s were available for monitoring purpose.

*It is recommend that every function and vertical in the corporate office must have a detailed compliance check list to monitor periodical / event based return to the authorities on the similar lines as provided by Secretarial Department for SEBI compliances purpose.*

*In this connection it is suggested that a in-house software be developed for department-wise check list to ensure alerts and compliance on timely basis.*

It is further noticed that the compliance package caters merely to recording of receipts of various communications and dissemination of these receipted letters / guidelines etc. to the concerned function. As stated above the concerned function reports compliance of the same which is recorded in the package and eventually on quarterly basis a consolidated report is placed before Audit committee of the Board.

*It is prudent that the Compliance Department need to carry out sample checks of implementation of these compliances in the true spirit to ensure conformity to the guidelines / directives to avoid any penalties and non-compliances.*

*In view of the above it is suggested that the Compliance Department need to submit a consolidated compliance certificate with proper supporting and endorsement to MD/ ED certifying that all compliances viz. statutory / regulatory compliances have been complied with to enable MD/ED make suitable assessment of the compliances for reporting to Board as well as to the members of the Bank.*

**III. I further report that** during the audit period the Bank has –

(i) Issued 7,28,80,275 new Equity Shares of Rs. 10/- each under Employee Share Purchase Scheme at an issue price of Rs.58.49 (including premium of Rs.48.49).

(ii) Issued 52,15,62,658 new Equity Shares of Rs. 10/- each to Government of India (GOI) on preferential basis at an issue price of Rs. 78.84 (including premium of Rs.68.84).

**FOR SUBHASH KULKARNI & ASSOCIATES**
**Company Secretaries**

**Subhash Kulkarni**
**Proprietor**
**CP No. : 18464**
**Membership No.: F4903**

**Place: Mumbai**
**Date: 14/05/2019**

**Annexure - A**

## Secretarial Compliance Report of Union Bank of India for the year ended 31st March, 2019

I, Subhash Kulkarni, proprietor of Subhash Kulkarni and Associates, Company Secretaries, have examined:

(a) all the documents and records made available to us and explanation provided by **Union Bank of India**

(b) the filings/ submissions made by the listed entity to the stock exchanges,

(c) website of the listed entity,

(d) any other document/ filing, as may be relevant, which has been relied upon to make this certification,

for the year ended 31st March, 2019 ("Review Period") in respect of compliance with the provisions of :

(a) the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ("SEBI Act") and the Regulations, circulars, guidelines issued thereunder; and

(b) the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ("SCRA"), rules made thereunder and the Regulations, circulars, guidelines issued thereunder by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI");

The specific Regulations, whose provisions and the circulars/guidelines issued thereunder, have been examined, include:-

(a) Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015;

(b) Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018;

(c) Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;

(d) Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 2018;

(e) Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014;

(f) Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008;

(g) Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible and Redeemable Preference Shares) Regulations, 2013;

(h) Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;

(i) Other SEBI Regulations as applicable to the Bank;

and based on the above examination, I hereby report that, during the Review Period:

(a) The listed entity has complied with the provisions of the above Regulations and circulars/ guidelines issued thereunder, except in respect of matters specified below:-

| Sr. No. | Compliance Requirement (Regulations/ circulars / guidelines including specific clause) | Deviations | Observations/ Remarks of the Practicing Company Secretary |
|---|---|---|---|
| 1 | Clause 17 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure requirements) Regulations, 2015 | In respect of number of Independent Directors on Board, which should be minimum 5 (1/3 rd of total strength of Directors i.e. 15), whereas existing number of Independent Directors is only 3. | The Bank to comply with the SEBI LODR mandatory requirements. |
| 2 | Clause 7(2) of SEBI (Prohibition of Insider Trading) regulation 2015 and the Code of Conduct for Prohibition of Trading by insiders 2018-2019 adopted by the Bank | Timely disclosure is not obtained from Directors /Designated Employees in prescribed Form No. 10. | To obtain timely disclosure from Directors and Designated employees of the Bank in prescribed form. |

(b) The listed entity has maintained proper records under the provisions of the above Regulations and circulars/ guidelines issued thereunder in so far as it appears from my examination of those records.

(c) The following are the details of actions taken against the listed entity/ its promoters/ directors/ material subsidiaries either by SEBI or by Stock Exchanges (including under the Standard Operating Procedures issued by SEBI through various circulars) under the aforesaid Acts/ Regulations and circulars/ guidelines issued thereunder:

| Sr. No. | Action taken By | Details of violation | Details of action Taken e.g. fines, warning letter, debarment, etc. | Observations/remarks of the Practicing Company Secretary, if any. |
|---|---|---|---|---|
| - Not Applicable - | | | | |

(d) The listed entity has taken the following actions to comply with the observations made in previous reports:

| Sr. No. | Observations of the Practicing Company Secretary in the previous report | Observations made in the secretarial compliance report for the year ended 31.03.2019 | Actions taken by the listed entity, if any | Comments of the Practicing Company Secretary on the Actions taken by the listed entity |
|---|---|---|---|---|
| - Not Applicable - | | | | |

**FOR SUBHASH KULKARNI & ASSOCIATES**
**Company Secretaries**

**Subhash Kulkarni**
**Proprietor**
**CP No. : 18464**
**Membership No.: F4903**

**Place: Mumbai**
**Date: 14/05/2019**

# MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

## A. Macro- economic outlook:

### 1. Global Economy

1.1 During the financial year 2018-19, global economic condition remained volatile mainly due to trade war between the US and China and higher oil prices. The global expansion continues to lose momentum and projected to ease on account of various down-side risks. Weaker Emerging Market (EM) demand is a key driver of the downturn in global industrial production and world trade. Economic activity also slowed down in some major Emerging Market Economies (EMEs).

1.2 The International Monetary Fund (IMF) in its latest update of World Economic Outlook (WEO) expects global growth to be around 3.3 per cent & 3.6 per cent in 2019 and 2020 respectively, slightly revised downward from its earlier projections, citing risks from increasing trade tensions and tighter monetary policy by the Federal Reserve. Although a 3.3 per cent global expansion is still reasonable, the outlook for many countries is very challenging, with considerable uncertainties in the short term, especially as advanced economy growth rates converge toward their modest long-term potential.

1.3 The US economic growth is expected to decline to 2.3 per cent in 2019 and soften further to 1.9 per cent in 2020 with the unwinding of fiscal stimulus. Growth in the euro area is set to moderate from 1.8 per cent in 2018 to 1.3 per cent in 2019 and 1.5 per cent in 2020. Japan's economy is set to grow by 1.0 per cent in 2019. Economic growth in China, despite fiscal stimulus and no further increase in tariffs from the United States relative to those in force as of September 2018, is projected to slow on an annualized basis in 2019 and 2020. The monetary policy stances of the US Fed and central banks in other major advanced economies (AEs) have turned dovish.

1.4 Crude oil prices have risen on production cuts by OPEC. If oil supply becomes constricted due to geopolitical tensions and continuing OPEC production cuts, there could be a sudden and large upward pressure on oil prices.

### 2. Domestic Economy

2.1 India noted softening of consumption, which has been conventionally mainstay of domestic demand. Improved net exports and investments notwithstanding, high frequency indicators such as passenger car sales, consumer durables and domestic air passenger traffic reflect a slowdown in urban demand while tractor sales and fast moving consumer goods sales signal weaker rural demand. Since the inflation is well within the comfort zone there is room for further monetary accommodation.

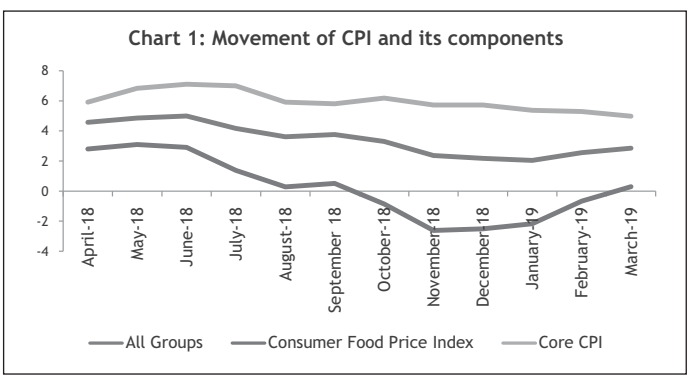
2.2 IMF trimmed growth forecasts for India to 7.3 per cent for FY 19-20 and 7.5 per cent for the next fiscal. RBI also lowered GDP growth forecast to 7.2 per cent for FY 2019-20 in April 2019 monetary policy from earlier forecast of 7.4 per cent.

2.3 As per the advanced estimates, released by Central Statistics Office (CSO), India's GDP growth during FY 2018-19 is estimated at 7.0 per cent from 7.2 per cent estimated earlier. Slowdown in growth is mainly accounted by mining, manufacturing, public administration, defence and other services.

2.4 The government revised its FY 2018-19 fiscal deficit targets to 3.4 per cent from earlier 3.3 per cent due to sharp rise in expenditure for welfare schemes. The government has retained its fiscal deficit target at the same level for FY 2019-20 assuming nominal GDP growth at 11.5 per cent. Budget allocation to various sectors reflected increased focus towards agriculture and industry. Vision 2030 collectively included all the domains of the growth that will lead to sustainable development of the economy in medium to long run.

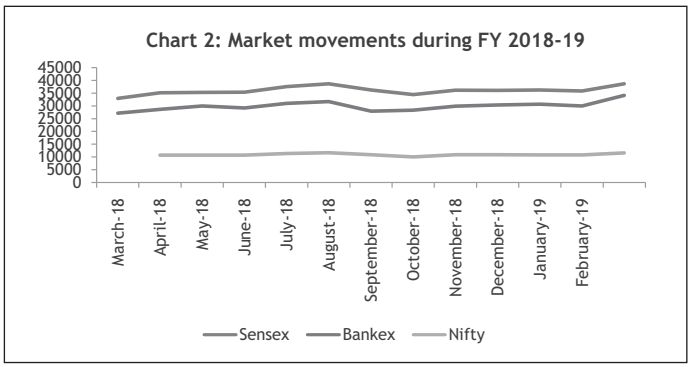
## 3. Price scenario

3.1 Headline inflation softened during the second half of the FY 2018-19 owing to many domestic and global factors. Retail inflation as measured by Consumer Price Index (CPI) came down to 2.4 per cent in December 2018 from 5.0 per cent in June 2018. However core inflation (inflation excluding food and fuel) remained sticky upward at around 5.0 per cent in FY 2018-19. Indices of fruits, vegetables, pulses and products and Sugar and confectioneries reported the largest decrease to negative zone in second half of FY 2018-19. Wholesale price inflation remained volatile during FY 2018-19. WPI was 5.8 per cent in June 2018 and reached to as low as 2.8 in January 2019. It would be pertinent to note that CPI inflation remained well within the monetary policy mandate of 4 per cent .



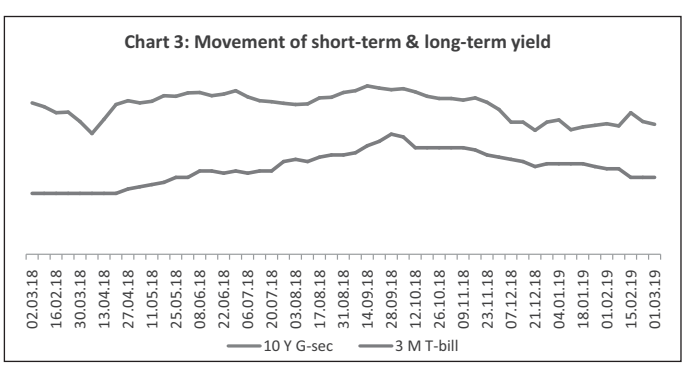

## 4. Stock market performance

4.1 Indian equity markets performed well during FY 2018-19 due to various financial and political developments. The equity market, which was buoyant till August 2018, fell sharply during September, triggered by the unfolding of negative events in NBFC sector. The downturn got exacerbated in October as market sentiment was dented by the liquidity tightness in the sector, coupled with global trade tensions. The market staged a short-lived turnaround in November 2018 mainly due to easing of liquidity concerns in the NBFC sector. Since then, markets have exhibited two-way movement, but rallied sharply in the month of March 2019 leading to India outperforming most of its peers among major EMEs and some AEs. All the three major market indicators Sensex, Bankex and Nifty have recorded annual growth of 17.3 per cent, 25.5 per cent and 14.9 per cent respectively during FY 2018-19.




## 5. Bond market performance

5.1 Yield on 10-year benchmark has witnessed remarkable hardening during the first half of FY 2018-19 and reached a level of 8.18 per cent in September 2018 before softening to a level of 7.47 per cent as at the end of the financial year. The spread between short term and long term yields reduced in the second half of the financial year in response to global spillovers and domestic factors such as lower crude oil prices, moderation in the domestic inflation outlook, monetary policy measures and shift in the stance. The reduction in the repo rate in February resulted in a perceptible downward shift of the yield curve, both at the short and medium tenor segments (up to 7 years) and at the longer end (beyond 20 years).




## 6 External Sector

6.1 Slowdown in global growth outlook has impacted

the performance of external sector. Current account deficit stood at 2.5 per cent of GDP in Q3 (Oct-Dec) FY 2018-19 as against 2.9 per cent in the immediately preceding quarter. Export growth remained weak in FY 2018-19 mainly due to exports of petroleum products decelerating in response to a fall in international crude oil prices. Among non-oil exports, engineering goods, chemicals, leather and marine products recorded either sequentially lower or negative growth. As in the case of imports, lower international crude oil prices downsized the oil import bill. The trade deficit narrowed in FY 18-19 – both sequentially and on a year-on-year basis – to its lowest level in 17 months. This, along with the increase in services exports and lower outgo of income payments, resulted in narrowing of the current account deficit sequentially.

6.2 On the financing side, net FDI inflows were strong in FY 2018-19. Foreign Portfolio Investors (FPIs) have turned net buyers so far this year, aided by the central bank's liberalization of the FPI framework, along with its announcement of a $5-billion foreign exchange swap to boost liquidity. Net purchases by Mutual Funds and FPIs in equities amounted to ₹ 326 billion and ₹ 288 billion, respectively, during H2:2018-19. Interestingly, foreign investors have bought bonds to the tune of $2.03 billion in March alone, clocking the biggest monthly buy since October 2017. The narrowing of the trade deficit, benign inflation outlook and recovery in FPI investment flows helped ease pressure on the domestic foreign exchange market. Outstanding foreign exchange reserves reported to 412 US$ mn in March-19 from 399 US$ mn in Feb-19.

**7. Liquidity conditions**

7.1 During FY 2018-19, RBI injected and absorbed liquidity as per the market requirements so as to bring the system level neutrality in the economy. Currency in circulation expanded sharply during last quarter. Total durable liquidity injected by the Reserve Bank through OMOs aggregated ₹ 2,98,500 crore ₹ 2,985 billion) for 2018-19. Besides Liquidity Adjustment Facility (LAF) and Open Market Operations (OMO), the RBI also conducted variable rate repo and reverse repo auctions in order to manage the day to day liquidity situation. Furthermore, the RBI also conducted long-term foreign exchange buy/sell swap of US$5 billion for a tenor of 3 years, thereby injecting durable liquidity of ₹ 34,561 crore (₹346 billion) into the banking system, easing the current liquidity crunch. The 10 years G-sec yield traded in the range of 7.2 per cent to 8.2 per cent during FY 2018-19.

7.2 Gross borrowings of the government during the H1FY 2019-20 would be ₹ 4.42 lakh crore, which works out to 62.3 per cent of the total target for the entire year at the rate of ₹ 17,000 crore per week for 26 weeks of the first half of the year. The remaining ₹ 2.68 lakh crore will be the borrowing programme for the second half of FY20. This borrowing of ₹ 7.10 lakh crore as against the previous financial year borrowing of ₹ 5.71 lakh crore. India's FY20 planned gross borrowing is the highest in at least nine years as Government poured extra money into support for farmers and a tax cut for low- income worker.

**8 RBI's policy decisions**

8.1 During FY 2018-19, RBI changed its policy stance from "calibrated tightening' to "neutral" and price stability target at 4 per cent. RBI has reduced repo rate by 25 bps during FY 2018-19 and maintained policy rate at 6 per cent driven by many factors like Inflation (ranging between 5.0 per cent in June 2018 and 2.0 per cent in Jan 2019) , low growth predictions, volatile oil prices and expansionary fiscal policies.

8.2 In FY 19-20, RBI in its first Bi-monthly policy has reduced the policy repo rate by 25bps to 6.00 per cent. The MPC decided to maintain the neutral monetary policy stance but lowered the Inflation and Growth projections due to the expectation of low inflation over the next few months and the concerns of a slowdown in the global and domestic economy. The Monetary Policy Committee (MPC) remain watchful of Monsoon, which together with fiscal risks entail that further rate cuts may well have to wait till August Bimonthly Review.

**9. Banking environment:**

9.1 The banking sector continued to face the challenges of poor asset quality, sluggishness in profitability as well as lower corporate demand. Despite global headwinds, Credit portfolio of the banking industry managed to grow by 13.1 per cent in FY 2018-19 whereas, aggregate deposits reached double digit figure of 10.0 per cent during FY 2018-19. SCBs' investment in SLR securities noted 1.9 per cent annual growth. Credit-Deposit Ratio for the SCBs stood at 77.7 per cent. Reduction in Repo rate, gradual decrease in SLR rates, narrowed monetary policy corridor and change in monetary policy stance to "neutral" from "calibrated tightening", have been recognized as the vital reforms impacting the banking industry during the current and next financial year.

9.2 As on March 31, 2019, non-food credit grew by 13.2 per cent compared to previous year. The growth was primarily driven by demand from agriculture and allied activities while industrial credit off take remained subdued. Credit to the services sector increased by 23.7 per cent in March 2019. Personal loans and retail loans have improved reflecting a situation of prospering demand conditions of the economy.

**B. Performance of Union Bank of India:**

**10. Resources management:**

10.1 Despite a challenging macroeconomic environment, the Bank has made significant progress with sustained improvements in deposits to ₹ 4,15,915 crore as on March 31,2019 compared to ₹ 4,08,502 crore as on March 31,2018. Owing to the Bank's continued effort towards providing enhanced customer service, the Savings deposits (SB) increased by 8.27 per cent. The current deposit of the Bank stood at ₹ 26,513 crore as on March 31, 2019 and saving deposit stood at ₹ 1,23,628 crore, thus taking the CASA deposits to ₹ 1,50,141 crore compared to ₹ 1,39,241 crore as on March 31, 2018.

**Table 1 : Composition of Deposits**

(₹ in crore)

| Parameter | As of March 31st , 2019 | As of March 31st , 2018 | Annual Growth | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Absolute | (%) |
| Total Deposits | 415915 | 408502 | 7413 | 1.81% |
| CASA Deposits | 150141 | 139241 | 10900 | 7.83% |
| Saving Deposits | 123628 | 114183 | 9445 | 8.27% |
| Current Deposits | 26513 | 25058 | 1455 | 5.81% |

10.2 Your Bank will continue this steady progress by upgrading its banking landscape with new products, new channels and new service experiences. New initiatives like Union Micro Digital Current Account for micro/small customers and Motor Accident Claims Annuity Deposit (MACAD) & MACT Claims SB Account will enhance bank's business. .

**11 Credit Management**

**11.1 Retail:**

In view of the present demand conditions prevailing in the economy, your Bank maintained a robust retail loan portfolio growth. Your Bank's retail lending portfolio has seen a growth of 15.5% in the FY 2018-19. The loan portfolio grew from ₹ 49,446 crore as on March 31, 2018 to ₹ 57,093 crore as on March 31, 2019. The increase in retail loan portfolio is primarily backed by growth in home loans and secured mortgage loans. Bank has introduced a differentiated pricing in Home loans, based on CIBIL score to ensure acquisition of quality Home loans. To strengthen due diligence process, Bank has introduced standardized CPV Format. To ensure the quality of advances granted to purchase two wheeler & old four wheelers, Bank has introduced threshold CIBIL score and increased margin. To improve the Market share and acquisition of quality business, Bank has increased its DSA payout.

11.1.1 The Bank has undertaken many strategies for business maximization in FY 2019-20 like (i) end to end digitisation in Personal, Vehicle and Home loans by leveraging digital initiatives, (ii) Leverage of business analytics for predictive lead generation, (iii) to improve the share of processing by centralised processing centers (ULPs).

### 11.2 Agriculture:

11.2.1 Bank's Agriculture advances as on March 31,2019 were at ₹ 52,517 crore. Agriculture advances constituted 18.20 per cent of Adjusted Net Bank Credit (ANBC) as of March 31, 2019 on quarterly average basis.

11.2.2 Advances to small and marginal farmers as of March 31, 2019 stood at ₹ 28,770 crore which constituted 10.01 per cent of ANBC on quarterly average basis against the benchmark of 8 per cent of ANBC. During FY 2018-19, total disbursement of ₹ 16735 crore was made under special agriculture credit plan (SACP) which is 66.94 per cent of the target of ₹ 25000 crore. During the FY 2018-19, 4.44 lakh new farmers were added to banking fold and 2.11 lakh fresh kisan credit cards were issued with credit facility of over ₹ 3458 crore.

### 11.3 Micro, Small & Medium Enterprises (MSME):

11.3.1 There are multiple products and schemes in your Bank to meet credit needs of MSMEs who are served through all branches including business banking branches (BBBs), 35 SARALs and 10 SARAL Lite for speedy appraisal and sanction of MSME loans. The SARAL structure was comprehensively reviewed and revamped in order to enhance underwriting standards and improve Turn-Around-Time.

11.3.2 MSME portfolio stood at ₹ 67,174 crore as on March 31, 2019 registering an annual growth of 6.0 per cent. MSE portfolio stood at ₹ 50,424 crore, as on March 31, 2019, registering a growth of 4.64 per cent.

**Table 2: Breakup of MSME Portfolio**

(₹ in **crore**)

| Parameter | As of March 31st , 2019 | As of March 31st , 2018 | Annual Growth | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Absolute | (%) |
| Micro Advances | 22617 | 20071 | 2546 | 12.68 |
| Small Advances | 27807 | 28116 | -309 | -1.10 |
| MSE Advances | 50424 | 48187 | 2237 | 4.64 |
| Medium Advances | 16750 | 15185 | 1565 | 10.31 |
| MSME Advances | 67174 | 63372 | 3802 | 6.00 |

11.3.3 Your Bank has been one of the pioneers in adopting the TReDS platform for lending to MSME segment. Bank is already on board with 3 RBI registered TReDS platforms: RXIL, A.Treds and M1xchange. The throughout bidding on the 3 platforms has crossed the figure of Rs 438.34 Crore for March 2019. These unique online platforms have inbuilt hassle free processes for ensuring adequate financial support to MSMEs which will be easier for businesses to adopt.

11.3.4 Your Bank has also been one of the best performing banks on "psbloansin59minutes.com" portal. As of March 2019, the number. of MSMEs where In-principle sanction is given stood at 3503. Of which the final sanction is given to 1896 proposals amounting to ₹ 538.44 Crore.

11.3.5 During FY 2018-19, your Bank has also formulated eight new cluster specific schemes for boosting MSME advances like financing chemical traders, Financing wood based plywood, financing auto ancillary, financing transformer manufacturing & allied units, and financing Auto Ancillary Manufacturing Units etc. As of March 31, 2019, total no. of clusters specific schemes for lending to MSME segment stood at 37.

11.3.6 The Bank is having many schemes like Union Enterprises, Union Parivahan, Union Mudra etc to cater the need of MSME.

### 11.4 Large Corporate Credit:

During FY 2018-19, the large corporate advances stood at ₹ 1,37,695 crore recording growth of 6.17 per cent on Y-o-Y basis. Eight Industrial Financial Branches (IFBs) across the country are catering exclusively to the needs of large corporate clientele. The Bank has made judicious disbursements to investment grade projects of large corporate, thus participating in the growth opportunities in the Indian economy and its global linkages.

**Table 3: Large corporate advances**

(₹ in **crore**)

| Parameters | As of March 31st , 2019 | As of March 31st, 2018 | Annual Growth | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Absolute | (%) |
| Large Corporate | 137695 | 129695 | 8000 | 6.17 |
| w/w Total Advances to IFBs | 104994 | 90186 | 14808 | 16.42 |

## 11.5 Priority Sector Advances:

11.5.1 Under priority sector advances, your bank has registered a growth of 4.9 per cent, which stood at ₹ 1,40,530 crore as on March 31, 2019. Priority sector constituted 48.33 per cent of the Adjusted Net Bank Credit (ANBC) on quarterly average basis. During Q4 FY19, Bank have traded surplus portfolio of ₹ 2000 crore under PSLC- Small & Marginal farmer.

**Table 4: Priority Sector Advances**

(₹ in **crore**)

| Parameters | 31.03.19 | 31.03.18 | Y-o-Y (%) | % to ANBC | Benchmark FY 2019 (% of ANBC) |
|---|---|---|---|---|---|
| Priority Sector Credit* | 140530 | 133922 | 4.9 | #48.33 | 40% |
| Agriculture Sector* | 52517 | 52148 | 0.7 | #18.20 | 18% |
| Small & Marginal Farmers* | 28770 | 27235 | 5.64 | #10.0 | 8% |
| Weaker section | 39971 | 36430 | 9.72 | 13.4 | 10% |
| Micro enterprise | 22617 | 20071 | 12.7 | 7.58 | 7.5% |
| Credit to Women Beneficiaries | 20751 | 19022 | 9.1 | 6.9 | 5% |

*Excluding PSLC sale of Rs.2000 crore

# On quarterly average basis.

11.5.2 During FY 2018-19, total disbursement of ₹ 16735 crore was made under special agriculture credit plan (SACP) which is 66.94 per cent of the target of ₹ 25000 crore. During the financial year 2018-19, 4.44 lakh new farmers were added to banking fold and 2.11 lakh fresh kisan credit cards were issued with credit facility of over ₹ 3458 crore.

### Specific Lending for Social Upliftment

11.5.3 Your Bank has continued to keep its focus on social development and equal opportunities for all segments of the society, accordingly the Bank extended credit facilities to various weak and unreserved sections of the society specifically women, minority community and self help group.

11.5.4 **Women Beneficiaries:** With a view to promote entrepreneurs among the women and to make them self reliant, your Bank encourages credit to women entrepreneurs. During FY 2018-19, the Bank has financed 10.22 lakh women beneficiaries. Total outstanding loans to women beneficiaries has increased from ₹ 19022 crore to ₹ 20751 crore i.e. 6.97 per cent of ANBC against benchmark of 5.0 per cent. Growth of 9.08 per cent was achieved under this category.

11.5.5 **Minority Communities:** Your Bank is extending finance to the minority community's viz. Sikhs, Muslims, Christians, Zoroastrians, Buddhists and Jains in line with Government of India directives on welfare of minority communities. As on March 31,2019 the outstanding to minority stood at ₹ 12402 crore, which constitutes 8.70 per cent of Priority sector advances.

11.5.6 **Weaker Section:** Your Bank has been actively participating in financing for weaker sections of society. Finance to weaker section has improved from ₹ 36430 crore to ₹ 39971 crore, as on March 31, 2019, registering a growth of 9.72 per cent to reach a level of 13.4 per cent of ANBC on quarterly average basis against benchmark of 10 per cent.

11.5.7 **Rural Self Employment training Institute (RSETI):** With the aim of mitigating the employment problem among the rural youth, the Bank has established 14 RSETIs in districts where the bank has "Lead Bank Responsibility". As of March 31, 2019, total number of candidates trained in our RSETIs is 73540, out of which 47495 candidates have been settled. As per assessment of the Ministry of Rural Development during FY 2017-18 out of our 14 RSETIs, 1 RSETI received "AA" grade, 9 RSETIs received "BA" grade and 4 RSETI was given "BB" Grade.

11.5.8 **Regional Rural Banks (RRBs):** Your Bank sponsors Kashi Gomti Samyut Gramin Bank (KGSGB), Varanasi. It has network of 459 Branches, spread over 8 districts of Eastern U.P. namely, Varanasi, Azamgarh, Jaunpur, Ghazipur, Chandauli, Mau, Bhadohi and Ambedkar Nagar. Business of KGSGB has increased to ₹ 15739.58 crore with a growth of 8.98 per cent during FY 2018-19. Deposit stood

at ₹ 11779.16 crore with 61.16 per cent as CASA deposits. Advances stood at ₹ 3960.42 crore, out of which priority sector advances contributes 81.32 per cent and agriculture contributes 46.95 per cent. KGSGB has introduced ATM enabled KCC for the benefit of framer RTGS/NEFT service and Digital Authority Cheque system have also been introduced to facilitate faster service delivery.

**Key Initiatives to strengthen Priority sector:**

11.5.9 **Union Samridhi Kendra (USK):** The Hub & Spoke model, Union Samridhi Kendra (USK), was initially launched as pilot project at RO Karnal and RO Nasik. During the year 2018-19 these Centralized Processing centre are processing Retail,Agri and MSME loans in Rural & Semi-urban areas. The Rural development officers (Acting as spoke) reach out to borrowers in rural & Semi-urban areas capture required data on tab and transmit the same to these USKs (acting as Hub) for processing. These USKs have significantly reduced the processing time of loan and results are very much encouraging. As on March 31, 2019 total 38 USKs are established and Bank is planning to scale up to 68 USKs by the end of March 2020.

11.5.10 **Pradhan Mantri Fasal Beema Yojana (PMFBY):** Your Bank is implementing PMFBY for the benefit of farmers who face climatic adversities very often and suffer a lot. All farmers including sharecroppers and tenant farmers growing the notified crops in the notified areas covered under PMFBY. From April 2018, Bank has initiated working in PMFBY portal to enter all coverage details of policy holder. Bank has formulated 37 Area Specific Schemes based on the available potential for the benefit of the farmers in the respective area.

11.5.11 **Area Specific Schemes:** Bank has formulated 37 Area Specific Schemes based on the available potential for the benefit of the farmers in the respective area.

11.5.12 **ANKUR:** "ANKUR" e-bulletin is published on monthly interval to bring out the latest development, products of the Bank under Agriculture to the field functionaries/ RDOs.

11.6 **Financial Inclusion:** Empowering the underserved: Your Bank has ensured that the poor and needy populace has access to affordable credit. With the JAM (Jandhan, Aadhar and Mobile) trinity gaining ground, the Bank has been in its mission to reduce leakages in financial transfers via innovative banking methods as well as to effectively garner small savings towards productive investment throughout FY 2018-19.

**Table 5 : Progress under Financial Inclusion**

(₹ in **crore**)

| Particulars | 31.03.19 | 31.03.18 | Progress FY 2018-19 | Progress % FY 2018-19 |
|---|---|---|---|---|
| Total PMJDY A/Cs | 9811604 | 8622117 | 1189487 | 13.80% |
| Balance in PMJDY A/Cs | 2404 | 1931 | 473 | 24.5% |
| Aadhaar Seeded PMJDY A/Cs | 8117145 | 6925858 | 1191287 | 17.20% |
| % of Aadhaar Seeded PMJDY A/Cs | 82.73 | 80.33 | - | 2.40% |
| Mobile Seeding-PMJDY A/Cs | 5654308 | 4585447 | 1068861 | 23.31% |
| % of Mobile Seeded PMJDY A/Cs | 59.70 | 53.18 | - | 6.52% |
| RuPay Cards issued in PMJDY A/Cs | 5615288 | 4884692 | 730596 | 14.96% |

11.6.1 During the year, the Bank has undertaken many initiatives for enhancing the performance under financial inclusion like the facility for opening PMJDY account instantly was made live at all BC points. Now all the Bank Mitrs can open instant e-KYC PMJDY account of citizens through the Micro ATM, Mobile or Kiosk then & there at BC point and even transaction facility is provided through AePS to such instant accounts. Bank Mitrs can also enroll customers to Social security schemes viz. APY, PMSBY and PMJJBY. Facility has also been provided for customers to apply for overdraft up to ₹ 10,000/- through ATMs and BC points.

11.6.2 **Aadhaar Enrollment Centre: -** As per UIDAI guidelines, all commercial banks have been instructed by UIDAI to open Aadhaar Enrollment Centre in 10 % of Bank Branches. Accordingly Your Bank opened Aadhaar Enrolment Centre in 429 Branches across

India. At present all 429 Bank Branches are activated for enrolling Aadhaar.

## 12 International Banking

12.1 Overseas advances of the Bank declined by 43.3 per cent during FY 2018-19. Export credit stood lower at ₹ 9,081 crore as on March 31,2019 compared to ₹ 9,895 crore as on March 31, 2018. The Bank's NRI deposits stood at ₹ 18,428 crore as on March 31, 2019 compared to ₹ 19,072 crore as on March 31, 2018.

**Table 6: Overseas Operations**

(₹ in **crore**)

| Parameters | As of March 31st , 2019 | As of March 31st, 2018 | Annual Growth | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Absolute | (%) |
| Overseas Deposits | 2816 | 5305 | -2489 | -46.9% |
| Overseas Advances | 14460 | 25524 | -11064 | -43.3% |
| Total Overseas Business | 17276 | 30829 | -13553 | -43.9% |

## 13 Treasury Operations:

13.1 The treasury division includes domestic and foreign exchange operations for the clients as well as on proprietary basis. Treasury is equipped with the state-of-the art dealing room with facilities to extend various types of treasury services to its clients. Treasury has experienced team with certifications and diplomas in Treasury related functions. The proprietary trading desk continuously engages in arbitrage and trading opportunities.

13.2 The key objective of Treasury is to effectively manage liquidity and adhere to regulatory reserve ratios. As an Authorized Dealer – Category– I Bank, it also provides forex related services to its customers.The Bank offers customized solutions using productsviz. Interest Rate Swaps (IRS), Currency Swaps,Interest Rate Futures, Forwards and Options tocater to the Interest Rate and Foreign Exchange riskmitigation requirements of its corporate clients.

13.3 For the year 2018-19, Bank has also bagged the "Corporate Treasurer of the Year"award givenby Kamikaze B2B Media.

## 14 Asset quality:

14.1 Despite challenging environment, during FY 2018-19, your Bank made a cash recovery of ₹ 4509 crore in addition to up gradation of accounts to the tune of ₹ 1938 crore. Control over slippages and better reduction was possible through continuous efforts and well designed strategy for NPA management. Movement of NPA for FY 2018-19 is as under:

**Table 7: Movement of NPA**

(₹ **in crore)**

| Parameters | FY 2018-19 | FY 2017-18 |
|---|---|---|
| Gross NPA (Opening) | 49370 | 33712 |
| Additions | 13577 | 21369 |
| Less: Reductions | 14218 | 5711 |
| (I) Upgradations | 1938 | 400 |
| (II) Recoveries | 4509 | 1835 |
| (III) Write-off | 7771 | 3477 |
| Gross NPAs (Closing) | 48729 | 49370 |
| Net NPAs | 20332 | 24326 |

14.2 To accelerate recovery efforts, your Bank actively participating in lok adalat along with prompt swift action under SARFASIA. Your bank is leveraging digital tools in its recovery arsenal. In house developed "union recovery app" is helping field functionary to reach out NPA borrowers effectively. Further the Bank has already launched "Online OTS facility" which will ensure faster resolution in accounts, eligible for settlement.

14.3 During the FY 2018-19, Slippage has reduced to ₹ 13577 crore from ₹ 21369 crore in FY 2017-18. Delinquency ratio has reduced from 8.84 per cent in FY 2017-18 to 4.95 per cent in FY 2018-19.

### 14.4 Proactive Monitoring :

14.4.1 **Launch of CMRD Web Portal:** Your Bank has launched single point source of accessing data by branches / ROs/FGMOs on all parameters related to Credit Monitoring. On line updating / reporting of progress made by branches on each Credit Monitoring parameter.

14.4.2 **Repository of Defaulters List containing more than 3.50 lakh records:** Contains Willful Defaulter, RBI-Cancellation of NBFC Licenses, Caution Advices issued by PBOD under RBI Norms, Central Fraud Registry (CFR), defaulters of Custom, Excise

and Service Tax, Income Tax, EPFO, SEBI, Shell Companies and all MCA data. It also has the sub-tab of Defaulting Directors and Company Secretaries.

14.4.3 **Shifting approach from Corrective Monitoring to Preventive Monitoring:** Your Bank has introduced concept of Potential Stress Asset (PSA) on the basis of Early Stress Signals shown by the borrowal account and close monitoring / resolution of PSA. Formation of Resolution Committee: It is formed at all ROs/ FGMOs and also at Central Office for Resolution of PSA / SMA accounts.

14.4.4 **Creation of Special Cells for Monitoring of Large Borrower Accounts:** Your Bank has created two special cells for monitoring of Large Borrower Accounts. One for advances with aggregate exposure of ₹ 100.00 crore to ₹ 250.00 crore and another for AE above ₹ 250.00 crore.

## 15 Wealth management

15.1 Your Bank has launched various new products and taken New Initiative during FY 2018-19, including, Union Suraksha Kavach (in association with Bajaj Allianz General Insurance Co Ltd) and Group Health Insurance product (in association with Chola MS).

**Table 8: Income from third party business during FY 2018-19**

(₹ in crore)

| Business Parameter | 31.03.19 | 31.03.18 | % Growth |
|---|---|---|---|
| Life Insurance | 84.71 | 71.33 | 18.7% |
| Non Life Insurance | 13.43 | 9.37 | 43.4% |
| Health Insurance | 10.95 | 8.49 | 28.9% |
| Mutual Fund | 17.20 | 19.31 | -10.9% |
| Total | 126.30 | 108.50 | 16.4% |

15.2 Your Bank has adopted many strategies for business maximization including, (i) Leveraging the strength of other Business Verticals like LCV, MSME, MCV, PBOD, RBD, CAG to generate leads and develop customized products (ii) cross selling Insurance and Investment products to 'New to Bank' acquired as well as existing customers (iii) Improving number of Third Party Products availed by the customer. . (iv) Developing option on Internet Banking and U-Mobile App for purchase of Insurance and Mutual Fund products. (v) Launching of New products to expand the product offerings. (vii) Effective monitoring of Month on Month Activation of Branches under Insurance and Mutual Fund. (viii) Higher usage of Bank's Social Media Platforms and e-learning tools to create awareness on various TPPD products and theme/event based promotional activities.

## 16 Government Businesses:

16.1 The income from Government Business grew to ₹ 50 crore from ₹ 27 crore in last 3 years at a CAGR of 20.9 per cent.

16.2 **New initiatives to increase Government Business**:

16.2.1 **NPS account:** Your Bank started online NPS account opening & subscription to ease of banking to customer, shifting customer to alternate channels and acquisition of customer through digitization. For faster account opening process for customer, your Bank started generation of instant PRAN through PRAN Library implementation in CBS.

16.2.2 **Sukanya samridhi account (SSA):** Your Bank started online account opening of sukanya samridhi account (SSA) through Bank's Internet Banking along with online statement generation for Tax purpose and online view facility for senior citizen saving scheme (SCSS).

## 17 Human Resource Management

17.1 Your Bank has always been a front runner in adopting HR best practices and proactively investing in its human capital, so as to achieve its corporate objectives. To fortify the HR philosophy, this year, the HR Vision, Mission and Values were laid down to serve as guiding principles for creating an inclusive, enabling, and encouraging environment for employees to realize their full potential professionally and personally. Your Bank set itself the HR vision of 'being a trend-setter in providing the best employment experience'.

17.2 **Manpower Strength:** The total Manpower of the Bank as on March 31, 2019 stood at 37262.

**Table 9: Manpower Strength**

| Year | Officers | | Clerks | | Sub-Staff | | Total | | Total Staff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Strength |
| 2017-18 | 16215 | 5019 | 8716 | 3267 | 3734 | 636 | 28665 | 8922 | 37587 |
| 2018-19 | 16557 | 5215 | 8503 | 3211 | 3202 | 574 | 28262 | 9000 | 37262 |

17.3 **Specialization through Job Families:** Your Bank has introduced the Job Family scheme to strengthen the foundations of workplace specialization and enhance productivity. Employees have been given the opportunity to work in their areas of interest based on their qualifications and contributions in their chosen field. This initiative shall help to develop pools of officers with specialized knowledge and expertise in handling core banking functions.

17.4 **Learning & Competency Development:** Your Bank has infused innovative learning and teaching techniques; it has also increased the reach of training by introducing the E-Learning platform for anytime and anywhere learning. Bank also incorporated mandatory courses for each job role through its E-Learning initiative, for continuous knowledge enrichment and learning. The Training vertical constantly develops training modules to incorporate new developments in the different areas of banking technology.

17.5 During FY 2018-19, 814 in-house training sessions, 197 Locational Programs & 68 Workshops have been conducted covering 28950 employees, and another 548 employees have been sent for external trainings covering different programmes, to gain industry-wide exposure. 26 new programs focusing on Credit, Forex, RABD, CMRD/CRLD, IT etc. have also been added. As an equal opportunity employer with a diverse workforce, the Bank has invested on special training programs to cater the needs of its differently abled employees.

17.6 **Union Bhavishya:** Bank's ambitious leadership development and capacity building program - Union Bhavishya that groomed over 1000 employees as future leaders in FY 2017-18, covered another 294 in FY 2018-19, including a special batch of women officers, with special emphasis on providing a fillip to women leadership.

## 18 Branch Network

18.1 Branch network of your Bank is widely spread across the country with 4,292 branches as on March 31, 2019, out of these, 59 per cent of the branches are located in rural and semi-urban center.

**Table 10: Branches Network As on 31-03-2019**

| | Rural | Semi-Urban | Urban | Metro | Foreign | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No of Branches | 1249 | 1287 | 848 | 904 | 4 | 4292 |
| Branches (%) | 29 | 30 | 20 | 21 | - | |

## 19 Measures to enhance Digital Network

19.1 Your Bank has a well spread network of delivery channels across all over India. It offers a choice of channels which is inclusive of traditional branch network as well as mobile banking, internet banking, mobile wallet and 24x7 call centers and is making an attempt towards continuous revamping of the spread of the delivery channels by launching new products.

19.2 Your Bank is well equipped with advanced solutions to provide best services to customer like Cash Recycler Machines, Bunch Note Acceptors, PoS, BHIM Aadhar, cashless campus, cheque Deposit Machines, semi automatic pass book printers and digipurse etc. During FY 2018-19, the Bank has opened 35 new elobbies (24*7 open) where the customers are provided with automated banking solutions.

**Table 11: Growth in Digital Channels (Unit absolute)**

(₹ in crore)

| Channels | 31.03.19 | 31.03.18 | Annual Growth | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Absolute | (%) |
| *ATM +Micro ATMs | 12236 | 13049 | -813 | -6.23% |
| w/w Cash Recycler Machines & Bunch Note Acceptors | 1041 | 1016 | 25 | 2.5% |
| PoS / BHIM Aadhaar | 68635 | 61401 | 7234 | 11.8% |
| e-lobby | 236 | 201 | 35 | 17.4% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Cashless Campus | 230 | 152 | 78 | 51.3% |
| Semi Automatic Pass Book Printer | 2512 | 1375 | 1137 | 82.7% |
| Cheque Deposit Machine | 574 | 574 | - | - |
| Digipurse | 305465 | 279911 | 25554 | 9.1% |

* ATM were closed where there were lower hit/ unprofitable

**New initiatives**

19.3 **National Common Mobility Card:** This newly launched card variant is based on RuPay Qsparc (Quick Specification for Payment Application of Rupay Chip) debit card specifications to give shape to the Government's initiative of National Common Mobility Card (NCMC).

19.4 **Combo Card:** Combo Card is a 2-in-1 card that allows the cardholder to enjoy the convenience, flexibility and freedom to choose in a single physical card for debit/credit facility and the cardholder need not to carry two cards. The combo card is specially designed for corporate, salaried & professional category customers, who have monthly salary income and also need credit card for personal needs.

19.5 **National Electronic Toll Collection (Union Bank Fastag):** National Electronic Toll Collection (NETC) systems enable toll to be collected electronically from vehicles at toll plaza while vehicle is in motion. The technology standard stipulated by the Government of India for NETC is RFID based tags called Fastages. Fastag is affixed on the windscreen of the vehicle and enables the driver to drive through toll plazas, without stopping for cash transactions. The tag is linked to a prepaid account and the vehicle owner needs to recharge/ top up the tag as per his requirement.

19.6 **Visa Signature Debit Card:** Your Bank has launched Visa Signature Contactless Debit Card to privileged customer.

19.7 **On line Debit card Application:** On line Debit card Application has been launched to enable the customer to apply for new card or replacement of existing card. Customer can apply for debit card of his/her choice without visiting the branch. The facility has been provided through bank's corporate website.

19.8 **New U Mobile:** Your Bank has launched its new version of Mobile Banking Application with enhanced features and functionalities. It is all in one application through which the customer can avail a series of facilities including opening/ closure of Term & Recurring Deposit Accounts, balance inquiry, mini statement, fund transfer (both within and outside bank), UPI, bill payment , mobile recharge etc.

**20 Risk management – A proactive approach towards identifying and mitigating risk:**

20.1 Your Bank has a proactive approach towards risk management. Its risk philosophy involves developing and maintaining a healthy portfolio within its risk appetite and regulatory framework. Your Bank constantly endeavours to ensure that business function partners with the risk management function to enhance shareholder value and ensure judicious use of available capital.

20.2 Risk Management is a Board driven function in the bank with the Supervisory Committee of Board on Risk Management and Asset Liability Management (SCR & ALM) at the apex level supported by operational level committees of top executives for managing various risks. The Board of Directors of the Bank approves the Risk strategy and Risk policies for the Bank. The SCR & ALM supervises implementation of the risk strategy and policies, reviews the level and direction of risk, prudential ceilings, portfolio diversification and monitors the risk reporting. The risk strategy and policies are effectively communicated to all branches and offices of the Bank.

20.3 Your Bank addresses Credit, Market and Operational risk through appropriate policies, organization structure, risk management techniques, adequate systems, procedures, monitoring and reporting mechanisms. It has a well defined risk appetite statement and the independent risk function to ensure that the Bank operates within its risk appetite.

**20.4 Credit Risk Management:**

20.4.1 **Credit Risk Management Committee (CRMC):** CRMC oversees the credit risk function in the Bank.

In line with its asset quality management objective, Bank strives to maintain a strong asset quality through disciplined credit risk management. Bank has well defined credit appraisal mechanism and risk assessment practices in place for identification, measurement and monitoring. Bank has various instruments for credit risk management, which include credit risk management policies, Credit approval Committee, Prudential exposure limits, Risk Rating system, Risk based pricing and Portfolio Management.

20.4.2 Your Bank has well defined and comprehensive internal rating / scoring models for retail and Corporate Credit risk Assessment. Also, Bank has set up a centralized rating pool at Central Office to improve the rating quality, create a robust rating data base for better administration of rating models. For better management of risk assessment, Centralized rating pool is given the final responsibility of validation of credit rating of the corporate borrowers whose rating process was initiated at the branch level.

20.4.3 Bank has a standardized and well defined approval process for all advances. It adopts a committee approach for credit sanctions and has central approval committees at various levels.

20.4.4 **RWA computation Methodologies:** Credit RWA for loan & advances is computed under the Standardised Approach prescribed by RBI.

**20.5 Market Risk Management:**

20.5.1 **Asset Liability Committee (ALCO):** ALCO puts in place Asset Liability Management Policy, Treasury Policy and Market Risk Management Policy to mitigate market risk in the banking and trading books. The ALCO meets regularly to review the size, mix, tenor and composition of various assets and liabilities. ALCO also decides on the pricing of Assets and Liabilities. ALCO does the identification, measurement, monitoring and management of liquidity and interest rate risk. Bank ensures proactive liquidity management, market risk management, stress testing and also put in place contingency funding plan.

20.5.2 **Liquidity management strategies:** Your Bank has adopted the liquidity risk management guidelines issued by RBI pursuant to the Basel III framework on liquidity standards. Bank monitors liquidity risk through liquidity coverage ratio & structural liquidity position on daily basis.

20.5.3 Market Risk Capital Charge computation Methodologies: Market risk capital is computed under the Standardised Measurement Method (SMM).

**20.6 Operational Risk Management:**

20.6.1 The comprehensive systems and procedures, internal control system and audit are used as primary means for managing Operational risk. The bank has in place a Board approved Operational Risk Management Policy based on Reserve Bank of India guidelines. All new products introduced by the bank pass through a New Product Approval Process to identify and address operational risk issues. Variations in existing products as well as risks in outsourcing activities are also reviewed. The Bank has compiled data relating to operational losses incurred during the last thirteen years and it is analyzed for taking corrective measures so that these losses do not recur. Process has also been put in place to conduct Risk and Control Self-Assessment (RCSA) for assessing the residual risks in the processes of the various products of the Bank. Key Risk Indicators have been identified for various processes and the threshold limits have been fixed.

20.6.2 Your Bank is currently following the Basic Indicator (BIA) for capital computation under Operational Risk. The Bank has received approval from RBI for adoption of “The Standardized Approach (TSA)” for Operational Risk on parallel run basis since March 2015. However, RBI have issued guidelines for discontinuance of submission of the operational risk capital charge calculations for banks under parallel run. Due to revision in Basel III framework by Basel Committee on Banking Supervision, for Operational Risk Capital calculation, ‘Standardized Measurement Approach’ has been proposed. The Bank will be migrating to this approach, once

necessary guidelines are issued by the regulator. Till such time, Basic Indicator Approach (BIA) will continue to be used to calculate the capital charge under Operational Risk.

20.6.3 As a good corporate governance measure, the Bank has formulated a Disclosure Policy to have greater transparency in its working. Recognizing the importance of Business Continuity Planning (BCP), for minimizing the adverse effects of business disruption and system failure, the Bank has also put in place a BCP policy which provides a blueprint detailing a wide range of responses under disruptive environment to protect the interest of its staff, customers and assets of the Bank.

**20.7 Group Risk Management**

20.7.1 Your Bank has participated in diversified financial services like banking, securities and capital markets, insurance and retail asset businesses. Bank has put in place a framework / policy for assessment of risks in its Group entities, internal controls and mitigation measures, and capital assessment, under normal and stressed conditions with the assistance of a reputed external Consultant. The bank through its Group Risk Management Policy, aims to achieve a group-wide approach to ensure that key aspects of risk that have a group-wide impact are considered in its conduct of business.

**20.8 Fraud Risk Management**

20.8.1 Your Bank has a Board approved Fraud Risk Management Policy in place. Bank has Fraud Review Council to examine all the cases of frauds/ attempted frauds and suggests implementable action plan to verticals for keeping in place strong systems and procedures. Apart from reporting all the frauds cases of ₹ 1.00 lakh and above to the Board, the Bank also reports all the fraud cases of ₹ 1.00 crore and above to the Special Committee on Monitoring of Fraud of the Board.

20.8.2 Your Bank has implemented Memento module (CBS/Treasury transactions) under Enterprise-wide Fraud Risk Management Solution (EFRM), with a view to ensure 360 degree view of suspicious/ fraudulent transactions and to ensure prevention / early detection of frauds. The other modules, i.e. RSA (Mobile Banking/Internet Banking transactions) & Fraud Navigator (Card transactions) will go Live in a phased manner.

**21 Compliance**

21.1 Your Bank has implemented a robust compliance system along with a well documented compliance policy. The focus of compliance function is to adherence to regulatory compliance, statutory compliance, compliance with fair practice codes and other codes prescribed/suggested by self regulatory organisations, government policies, the Bank's internal policies and prevention of money laundering and funding of illegal activities.

21.2 Your Bank has established a compliance package to monitor, control & follow up communications received from Regulators/ Ministry. Periodic compliance test checks put in place for effective implementation of mandatory guidelines. The role & responsibility of compliance function is clearly defined for every tier in the Bank. Your Bank has a well established reporting system to ensure regulatory and statutory compliance through self certification process; compliance certificate is submitted by branches to the higher offices.

**22 Audit**

22.1 Your Bank has put in place a well defined Audit Policy for risk based internal audit, management audit, concurrent audit, information security audit and foreign branches audit which have been revamped time and again by the Audit Committee of Board.

22.2 Regular Audit and IS audit of 3978 branches was conducted as against the set target of 3897 branches. Number of "High Risk" branches reduced from 210 branches in the FY 2017-18 to 58 branches in FY 2018-19. Income leakage of ₹ 131.34 crore were detected however no branch was rated "Extremely High Risk" and one branch namely labbipet branch is rated under "Very High Risk".

22.3 The offsite monitoring system has been improved with the implementation of newly developed software

both at Central OMC (Offsite Monitoring Cell) and Regional OMCs. Your Bank conducted training program for internal auditors in March 2019 so as to cover almost 100% of auditors working in Audit Department along with -performance evaluation.

22.4 The Audit committee of Board of Directors (ACB) met 12 times and the Audit Committee of Executives (ACE) met 6 times during the year.

22.5 Your Bank has shifted to Web Based Audit Management Solution (WBAMS) from the Financial Year 2018-19 covering all audits such as Risk Based Internal Audit, Management Audit, Concurrent Audit, Information System Audit, Audit of Currency Chest, Service Branch etc. with effect from April, 2018.

**23 Cyber Security**

23.1 Your Bank has position of Chief Information Security Officer (CISO) directly reporting to Executive Director of the Bank. Your Bank has deployed dedicated skilled team of more than 54 resources for Cyber Security function. Bank is also certified ISMS ISO 27001 & BCMS ISO 22301. Bank has deployed technological Security Solutions to proactively help Bank in identifying any abnormality in network both internal as well as perimeter.

23.2 Your Bank has created Cyber Security Governance structure comprising of policies and executive level and Board level Committees to oversee the development of Cyber Security posture of the Bank. Your Bank has formulated Cyber Security Policy & Information Security Policy and developed Standard Operating Procedure for each area of Cyber & Information Security. Bank has also developed Cyber Play book to handle the incident response.

23.3 **Cyber Security Awareness Program (CCSAP):** Your Bank has developed CCSAP program to enhance the level of cyber security awareness among its customers and employees, which has led to an increase in the overall cyber resilience.

**New Initiatives:**

23.4 **Cyber Security Operation Centre (CSOC):** Your Bank has fully operationalised Next Generation Integrated Operation Centre (NG IOC) as front line defence against cyber threat. This centers houses 24x7 Next Generation Cyber Security Operation Centre and Information Technology Operation of the Bank. Bank has established state of art technology on premise Cyber Security Operation Centre by deploying & integrating latest Next Generation 30 Security Solutions. CSOC provide single view of Cyber Security posture of the Bank on 24*7 basis.

23.5 **Cyber Risk Insurance:** Your Bank has taken Cyber Liability Insurance of ₹ 325 Crore to mitigate cyber risks.

23.6 **Vulnerability Assessment and Management (VAM) Programme:** Your Bank has formulated comprehensive (VAM) Programme which includes Vulnerability Assessment, Penetration Testing, Red Team and Threat Hunting exercises for internal and external critical applications, systems and IT infrastructure of the bank.

23.7 **Cyber Threat Hunting Programme:** Your Bank has instituted Cyber Threat Hunting Programme and performs mock drill at a regular periodicity. In order to identify hackers, it is very essential to analyze logs of various security systems for any suspicious activity, in a systematic manner for detecting, understanding or recovering from a cyber attack. Threat Hunting is an active cyber defense activity involving analysis of various security systems & network logs to proactively search through networks to detect and isolate advanced threats that evade existing security solutions.

**24 Technology Up gradation:**

24.1 Information Technology vertical of your Bank lays roadmap to ensure timely, personalized and error free delivery of all services to the best satisfaction of customer. Information Technology empowers modern banking with new ideas, breakthrough innovations &caters customers with rapid, dependable and hassle-free banking experience. Your Bank is also taking substantial & innovative measures in simplifying banking for customers with cutting edge technology and dynamic workforce. Bank is taking innovative approach towards banking with the objective of creating more values for customer.

24.2 Your Bank implemented feature-rich Finacle e-Banking Application (FEBA), All-in-one Mobile Banking application, Cyber Security Operation Center (CSOC) implementation, DR automation for On-premises private cloud, Green Pin Generation for Debit Cards, Tablet application for Mudra and Agricultural Loans, Implementation of Centralized Cheque Truncation System (CTS) with data enrichment facility, Mobile application for Customer Acquisition Group (CAG), Integration with SIDBI for in-principle approval of MSME loans in 59 minutes are some of the major initiatives taken during the FY 2018-19.

24.3 Your Bank has taken Various measures for digitization of business process and boosting administrative efficiency like providing free Wi-Fi at branches/ administrative offices, Bandwidth upgradation for all branches to minimum 2 Mbps and for all offices to minimum 4 Mbps, High speed dedicated bandwidth of minimum 1 Mbps for VSAT branches, Alternate MPLS connectivity with minimum 512 Kbps bandwidth to all branches, expansion of centralized account opening under Document Management System, implementing Mandate Management, Audit Management, NPA monitoring portal for credit recovery, integration with TREDS platform to lodge inland bills, SMS alerts to the customers for Union Green Card (UGC) and Gold loan renewal which helped your Bank to deliver better products to the end users through various seamless channels.

24.4 While your Bank is in process of upgrading the Core Banking Solution for providing smooth and pleasant branchless experience, Bank is also taking measures to ensure that customers can enjoyseamless24X7 banking by providing best-in-class mobile applications and immersive Internet banking experience. Banking nowadays is experiencing multiple challenges like diverging regulations, ever-changing technology environment, new competitors and customers with higher expectations.

24.5 **New Initiatives:** Core banking application upgradation: In order to respond quickly to the dynamics of varying digital banking scenario, bank has undertaken initiatives namely Core banking application upgradation to latest version that supports APIs for digital payment eco-system, Green Data Center facility to reduce its energy footprints, implementation of Global Payments Innovation (GPI) for efficient tracking of SWIFT messages and upgradation of Loan application module for system based processing of MSME loans.

24.6 **Enterprise Data Warehousing (EDW):** Your Bank is rapidly transitioning towards data-driven decision-making augmented by Statistical Analysis and implementation of Enterprise Data Warehousing (EDW).

24.7 Your bank has developed Customer Relationship Management (CRM) application with integrated service request management and sales management which will enable branch users to take decisions through customer segmentation, fraud detection, and portfolio management.

24.8 Your bank has taken measures to improve governance with greater transparency. With the increasing number and frequency of sophisticated attacks on Banking industry, comprehensive cyber security program has been implemented with the right level of governance, risk and compliance standard.

24.9 As part of Business Continuity Planning & Disaster Recovery Management strategy, the Bank has implemented DR automation solution for critical applications hosted on Bank's on-premise private cloud infrastructure, thus encouraging Bank's readiness in responding to exigent situation.

**25 Vigilance:**

25.1 Vigilance is an essential tool to bring about excellence in the organization as it plays an important and positive role in creating an ethical climate with discipline and safety of the operations. A well structured Vigilance system is in place in the Bank, covering all areas of operations and in tune with the guidelines issued by the Central Vigilance Commission. Vigilance set-up in the Bank aspires to inculcate and nurture a sense of alertness and awareness for meticulous compliance with systems and procedures in the daily functioning of the Bank at the grass root levels and acting as

a catalyst for eliminating system weaknesses and thereby partnering with business growth.

25.2 **Vigilance Awareness Initiatives:** Your Bank has conducted activities in 1647 schools and 238 colleges to spread the message of eradicating corruption among students and teachers, where 1,82,556 students participated. To intensify the Preventive Vigilance Visits, Vigilance Department has opened six new Regional Vigilance Cells during the year viz. Surat, Nagpur, Trivendrum, Vijaywada & Agra, Coimbatore, and Allahabad. Your Bank has introduced online Off-site surveillance system for proactive detection of abnormal transactions and flagging the same to controllers for taking appropriate corrective actions.

25.3 **"Let's be Alert":** A new knowledge series "Let's be Alert" was circulated on a daily basis during Vigilance Awareness Week, wherein various case studies on different areas of banking from different organizations and the learning points thereon were provided in a simple and lucid manner.

**26 Outlook**

26.1 GDP growth is expected to recover in 2019-20. Private consumption is likely to remain its mainstay and investment activity is expected to remain strong. The Banking sector gradually appears to be coming out of the operations bottleneck with the clear deceleration seen in the growth of non-performing loans. The new insolvency and bankruptcy law and the machinery evolved for a faster resolution of bad debts has given teeth to the recovery process in banks. Moreover, with the recent capital infusion received by public sector banks, are expected to show a good credit growth and should see a significant improvement in the revenues. The flow of credit to corporate which was stagnant for long is expected to pick up during FY 2019-20. The low domestic inflation and the recent reduction in benchmark repo rate by a total of 50 basis points in the previous two monetary policy pronouncements are likely to accelerate revival of the economy and support business growth of the banks.

26.2 Your Bank is fully geared to take advantage of this environment and has been taking a number of growth initiatives. Your Bank has adopted a balanced approach to growth, profitability and risk management. This strategy has helped your Bank to further strengthen its position with continued improvements in the key financial parameters, a strong deposit portfolio, a large and expanding distribution network and a healthy capital position; thereby creating a platform for robust growth in subsequent year The Bank already initiated various measures at process redesigning; upliftment of the sale performance, analytics based campaign management and improvising the digital channels. Your Bank continues to re-balance its asset and liability portfolios to generate margins and optimize capital requirements. The Bank is committed to add significant value for its various stakeholders.

# CORPORATE GOVERNANCE REPORT

## 1. BANK'S PHILOSOPHY ON CORPORATE GOVERNANCE

1.1 Union Bank of India is committed to good corporate governance practices. The Bank has laid emphasis on the cardinal values of fairness, transparency and accountability for performance at all levels, thereby enhancing the shareholders' value and protecting the interest of the stakeholders.

1.2 The Bank considers itself as trustee of its shareholders and acknowledges its responsibility towards them for creation and safeguarding their wealth. During the year under review, the Bank continued its pursuit of achieving these objectives through adoption of corporate strategies, prudent business plans, monitoring of major risks and pursuing policies and procedures to satisfy its legal and ethical responsibilities.

1.3 To implement the best practices, the Board has framed a code of corporate governance. The code helps to inculcate a spirit of good corporate governance right from the top. It basically encompasses and documents the practices followed in the Bank in conduct of its duties towards all the stakeholders like:

- Functioning of Board and its various Committees
- Compliance (Regulatory and Policy)
- Relation with shareholders
- Disclosures by Bank and its' Directors
- Corporate Social Responsibility and
- Other miscellaneous issues viz. Code of Conduct, Prohibition of Insider Trading, Related Party Transaction Policy, Whistle Blower Policy, Staff Related Matters, Vigilance etc.

1.4 The Bank being a listed entity complies with the Corporate Governance provisions of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 to the extent that it does not violate statues and guidelines or directives issued by the relevant authorities applicable to the Bank.

## 2. BOARD OF DIRECTORS

2.1 The composition of the Board of Directors is governed by the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, as amended and Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, as amended.

2.2 The responsibilities of the Board include overall responsibility of functioning of Bank including but not limiting to approval of policies for overall conduct of business, business reviews, assessing the independence of the audit & risk function, detailed scrutiny of quarterly and annual financial results, NPA management and provisioning integrity, compliance of statutory guidelines, customer protection, financial inclusion, overall supervision of human resources etc.

2.3 The Board has constituted various sub-committees and delegated powers for different functional areas. The Board as well as its committees meet at periodical intervals.

2.4 As on 31st March, 2019, the Board comprised of four whole-time Directors viz. Managing Director & Chief Executive Officer (MD & CEO) and three Executive Directors appointed by the Government of India besides nine Non-Executive Directors who are eminent personalities from various walks of life. Their rich and varied experience guides the Bank in its progress and achievements in various spheres.

2.5 **Composition of the Board of Directors as on 31st March, 2019 is as under:**

| Sr. No. | Full Name of the Director, Designation & Category | Appointment Date | Membership in Committees of the Bank $ | Holding of Bank's shares | Number of memberships in ACB & SRC in Public Ltd. Companies including the Bank | No. of post of Chairperson in ACB / SRC held in Public Ltd. Companies including the Bank | Remarks (Nature of appointment in the Bank / Other Listed Companies and Area of Expertise) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shri Kewal Handa, Chairman & Part-Time Non-Official Director (Non-Executive) | 06-07-2017 | ACB<br>CSCB<br>ITSC<br>NC<br>RC<br>SCMF<br>SCR&ALM | Nil | 6 | 3 | Nominated as a Part-Time Non-Official Director and Non-Executive Chairman u/s 9(3)(h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of 3 years from the date of notification of his appointment i.e. upto 05.07.2020 or until further orders, whichever is earlier.<br>He is also Director on the Board of following other listed companies:<br>i. Mukta Arts Limited - Independent Director<br>ii. Clariant Chemicals (India) Limited - Independent Director<br>iii. Greaves Cotton Limited - Independent Director |

| Sr. No. | Full Name of the Director, Designation & Category | Appointment Date | Membership in Committees of the Bank $ | Holding of Bank's shares | Number of memberships in ACB & SRC in Public Ltd. Companies including the Bank | No. of post of Chairperson in ACB / SRC held in Public Ltd. Companies including the Bank | Remarks (Nature of appointment in the Bank/Other Companies and Area of Expertise) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | xi. Borosil Glass Works Limited - Independent Director<br>Area of Expertise: Management & Finance |
| 2 | Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO (Executive) | 01-07-2017 | CAC-I, MCB CDRCF, CESD CSCB, CSRC DPC, DPC-V HRSC, RCNCB RCWDB, RMCB SCMF, SCR&ALM | 6725 @ | 0 | 0 | Appointed as a Whole Time Director u/s 9(3)(a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, to hold office for a period of three years from the date of his taking over the charge of the post on or after 01.07.2017 i.e. upto 30.06.2020 or until further orders, whichever is earlier.<br>Area of Expertise: Banking & Finance |
| 3 | Shri Gopal Singh Gusain, Executive Director (Executive) | 20-09-2018 | CAC-I, CDRCF CESD, CSCB CSRC, HRSC ITSC, MCB RMCB, SCR&ALM SRC, STCB | 6725 @ | 1 | 0 | Appointed as a Whole Time Director u/s 9(3)(a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of 3 years w.e.f. the date of his taking over charge of the post i.e. upto 19.09.2021 or until further orders, whichever is earlier.<br>Area of Expertise: Cost Accounting, Banking & Finance |
| 4 | Shri Dinesh Kumar Garg, Executive Director (Executive) | 02-11-2018 | ACB, CAC-I CDRCF, CESD CSCB, CSRC HRSC, ITSC MCB, RMCB SCMF, SCR&ALM SRC, STCB | 6725 @ | 2 | 0 | Appointed as a Whole Time Director u/s 9(3)(a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of 3 years w.e.f. the date of his taking over charge of the post or till attaining the age of Superannuation i.e. upto 30.09.2021 or until further orders, whichever is earlier.<br>Area of Expertise: Banking & Finance |
| 5 | Shri Manas Ranjan Biswal, Executive Director (Executive) | 01-03-2019 | CAC-I, CDRCF CESD, CSCB CSRC, HRSC ITSC, MCB RMCB, SCR&ALM SRC, STCB | Nil | 1 | 0 | Appointed as a Whole Time Director u/s 9(3)(a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of 3 years w.e.f. the date of his taking over charge of the post i.e. upto 28.02.2022 or until further orders, whichever is earlier.<br>Area of Expertise: Banking & Finance |
| 6 | Dr. Madnesh Kumar Mishra, Government Nominee Director (Non-Executive) | 22-07-2016 | ACB, CSCB DPC-V, HRSC ITSC, RC RMCB, SCMF, DPC | Nil | 2 | 0 | Nominated as a Director by Central Government u/s 9(3)(b) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, to hold the post until further orders.<br>Area of Expertise: Management & Finance |
| 7 | Shri Anil Kumar Misra, RBI Nominee Director (Non-Executive) # | 06-07-2015 | ACB, DPC-V MCB, RC | Nil | 1 | 0 | Nominated as a Director by Central Government on the recommendation of RBI u/s 9(3)(c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, to hold the post until further orders.<br>Area of Expertise: Risk & Forex |
| 8 | Shri Rajiv Kumar Singh, Chartered Accountant Director (Non-Executive) | 06-02-2018 | ACB, CSCB NC, SCR&ALM SRC | Nil | 2 | 2 | Nominated as a Part Time Non-Official Director by Central Government u/s 9(3)(g) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of 3 years, from the date of notification i.e. upto 05.02.2021 or until further orders, whichever is earlier.<br>Area of Expertise: Finance & Valuation |

| Sr. No. | Full Name of the Director, Designation & Category | Appointment Date | Membership in Committees of the Bank $ | Holding of Bank's shares | Number of memberships in ACB & SRC in Public Ltd. Companies including the Bank | No. of post of Chairperson in ACB / SRC held in Public Ltd. Companies including the Bank | Remarks (Nature of appointment in the Bank/Other Companies and Area of Expertise) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Dr. K. Ramesha, Part-Time Non-Official Director (Non-Executive) # | 25-04-2016 | CSCB, MCB RC, SCR&ALM | Nil | 0 | 0 | Nominated as a Part Time Non-Official Director by Central Government u/s 9(3)(h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of 3 years, from the date of notification i.e. upto 24.04.2019 or until further orders, whichever is earlier. Area of Expertise: Economics & Risk Management |
| 10 | Dr. Madhura Swamina-than, Part-Time Non-Official Director (Non-Executive) | 27-12-2017 | CSCB, CSRC HRSC, MCB NC, RC | Nil | 0 | 0 | Nominated as a Part Time Non-Official Director by Central Government u/s 9(3)(h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of 3 years, from the date of notification i.e. upto 26.12.2020 or until further orders, whichever is earlier. Area of Expertise: Economics |
| 11 | Dr. Uttam Kumar Sarkar, Shareholder Director (Independent Non-Executive) | 28-06-2018 | CSRC, ITSC RCNCB, RCWDB SCMF, SRC | 100 | 1 | 0 | Re-elected as Shareholder Director u/s 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of 3 years from 28.06.2018 to 27.06.2021. Area of Expertise: Information Technology |
| 12 | Shri K. Kadiresan, Shareholder Director (Independent Non-Executive) | 28-06-2018 | CESD HRSC RCNCB RCWDB SRC | 200 | 1 | 0 | Elected as Shareholder Director u/s 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of 3 years from 28.06.2018 to 27.06.2021. Area of Expertise: Insurance & Management |
| 13 | Dr. Jayadev M., Shareholder Director (Independent Non-Executive) | 28-06-2018 | CESD, ITSC MCB, SCMF SCR&ALM | 200 | 0 | 0 | Elected as Shareholder Director u/s 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of 3 years from 28.06.2018 to 27.06.2021. Area of Expertise: Banking & Risk Management |

# Dr. K. Ramesha, Part-Time Non-Official Director completed his tenure on the Board on 24.04.2019 and Shri Anil Kumar Misra, RBI Nominee Director ceased to be a director w.e.f. 26.04.2019 on appointment of Shri Arun Kumar Singh, RBI Nominee Director.

@ Shares allotted under ESPS on 28.03.2019, the same were credited in the Directors demat accounts on 22.04.2019 after receipt of trading approvals from Stock Exchanges.

$ Abbreviations of Committee Names

| | | |
|---|---|---|
| ACB | - | Audit Committee of the Board |
| CAC-I | - | Credit Approval Committee - I |
| CDRCF | - | Committee of Directors for Raising of Capital Fund |
| CESD | - | Committee to decide on Election of Shareholders' Directors - Voting by PSBs |
| CSCB | - | Customer Service Committee of the Board |

| | | |
|---|---|---|
| DPC | - | Directors Promotion Committee |
| DPC-V | - | Disciplinary Proceedings Committee - Vigilance/ Non Vigilance |
| EDC | - | Election Dispute Committee |
| HRSCB | - | HR Sub-Committee of the Board |
| ITSC | - | IT Strategy Committee |
| MCB | - | Management Committee of the Board |
| NC | - | Nomination Committee |
| RC | - | Remuneration Committee |
| RCNCB | - | Review Committee for classification of Non Cooperative Borrower |
| RCWDB | - | Review Committee on Willful Defaulters of the Bank |
| RMCB | - | Recovery Management Committee of the Board |
| SCMF | - | Special Committee on monitoring of Frauds of Rs.1.00 crore and above |
| SCR & ALM | - | Supervisory Committee of Directors on Risk & Asset Liability Management |
| SRC | - | Stakeholders Relationship Committee |
| STCB | - | Share Transfer Committee of the Board |
| CSRC | - | Corporate Social Responsibility Committee |

2.6 **Appointments/Cessations during the Financial Year 2018-19:**

**Appointments:** A brief profile of the new directors inducted on the Board during the financial year 2018-19 is as under:-

| Sr. No. | Name | Age | Date of Appointment | Expiry Date of Current Term | Nature of Expertise | Brief Resume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Shri Gopal Singh Gusain | 57 | 20-09-2018 | 19-09-2021 | Banking & Finance | Shri Gopal Singh Gusain, aged 56 years, is a Science graduate from Garhwal University and is an Associate Member of Institute of Cost & Management Accountants of India and Indian Institute of Bankers. He also holds diploma in Treasury, Investment and Risk Management. As a career banker with the Punjab National Bank (PNB), Shri Gusain has exposure of 24 years of working in field as well as administrative offices. |
| 2. | Shri Dinesh Kumar Garg | 57 | 02-11-2018 | 30-09-2021 | Banking & Finance | Shri Dinesh Kumar Garg, aged 57 years, is a post graduate in Commerce (First Class) from Indore University and held 5th Rank in Merit List of the University in B. Com. Honours. He is also a Certified Associate of the Indian Institute of Bankers (CAIIB). Prior to his elevation, he was General Manager at Bank of India (BOI), heading Business Process Re-engineering and Systems & Management Department of the Bank. Shri Garg in his Banking Career of over three decades has worked extensively both in the field and administrative offices. |
| 3. | Shri Manas Ranjan Biswal | 56 | 01-03-2019 | 28-02-2022 | Banking & Finance | Shri Manas Ranjan Biswal, aged 56 years is a Graduate in science and a Certified Associate of Indian Institute of Bankers (CAIIB). He joined Punjab National Bank (PNB) in 1985 as a Management Trainee. Prior to his elevation as Executive Director of Union Bank of India, he was General Manager at the Corporate Office of the PNB heading the Resolution and NCLT Division. Shri Biswal is a seasoned banker with over 33 years of rich experience in various administrative and functional capacities at Branches, Regional Offices, Zonal Offices and Corporate Office Level. |
| 4. | Dr. Uttam Kumar Sarkar | 54 | 28-06-2018 | 27-06-2021 | Information Technology | Dr. Uttam Kumar Sarkar from Kolkata aged 54 years is a B.Tech, M.Tech, and PhD in Computer Science and Engineering from IIT Kharagpur. He is a Professor and former Dean of IIM Calcutta and is with the institute for over 22 years. He had earlier taught at IIT Delhi and at the University of Miami, USA. Apart from teaching Business Analytics, Social Network Analytics and related subjects in MBA and Executive Education programmes, he has been involved with consulting works sponsored by the Govt of India and private companies. |

| Sr. No. | Name | Age | Date of Appointment | Expiry Date of Current Term | Nature of Expertise | Brief Resume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Shri K. Kadiresan | 57 | 28-06-2018 | 27-06-2021 | Insurance & Management | Shri K. Kadiresan from Chennai aged 57 years is a Master of Marketing Management and Master of Arts. He is the Zonal Manager of Southern Zone of Life Insurance Corporation of India. Shri Kadiresan has served as the first CEO of the LIC's wholly owned overseas subsidiary LIC Singapore Pvt. Ltd. |
| 6. | Dr. Jayadev M. | 54 | 28-06-2018 | 27-06-2021 | Banking & Risk Management | Dr. Jayadev M. is Post Graduate in Commerce, M.Phil. and Ph.D. Presently, he is Professor of Finance & Accounting at Indian Institute of Management Bangalore (IIM-B). Dr. Jayadev has rich experience of teaching not only in premier institutions in India but also as a Visiting Professor in various universities abroad. He published research articles in research and professional journals and authored research projects in banking and finance. |

**Cessations:** The following members ceased to be the Directors during the financial year 2018-19:

| Sr. No. | Name of Director | Designation | Date of Cessation | Reason |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dr. R. H. Dholakia | Shareholder Director | 26-06-2018 | Tenure completed |
| 2. | Shri Gopal Krishan Lath | Shareholder Director | 26-06-2018 | Tenure completed |
| 3. | Dr. Uttam Kumar Sarkar | Shareholder Director | 26-06-2018 | Tenure completed |
| 4. | Shri Vinod Kathuria | Executive Director | 31-07-2018 | Superannuated |
| 5. | Shri Atul Kumar Goel | Executive Director | 01-11-2018 | Elevated as MD & CEO of the UCO Bank |
| 6. | Shri Raj Kamal Verma | Executive Director | 28-02-2019 | Superannuated |

2.7 **Inter-se relationship of Directors:**

There is no inter se relationship amongst the Directors.

2.8 **Committee Membership of Directors:**

In terms of regulations 26(1) of SEBI (LODR) Regulations, 2015 Chairpersonship and Membership of Audit Committee of the Board (ACB) and Stakeholders Relationship Committee (SRC) are considered for this disclosure.

No Director of the Bank was a member in more than 10 Committees or acted as Chairperson of more than 5 Committees across all listed entities/public limited companies in which he was a Director during the year 2018-19.

Details of Membership/Chairmanship held by the Directors on the Committees of the Bank and other listed/public limited companies where he was a Director as on 31.03.2019 are given here under:

| Sr. No. | Name & Designation of Director | Name of Company | Name of Committee# | Member/ Chairman |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shri Kewal Handa, Chairman & Part-Time Non-Official Director | 1. Mukta Arts Limited<br>2. Mukta Arts Limited<br>3. Greaves Cotton Limited<br>4. Clariant Chemicals (India) Limited<br>5. R M Drip & Sprinklers Systems Ltd.<br>6. Union Bank of India | ACB<br>SRC<br>ACB<br>ACB<br>SRC<br>ACB | Chairman<br>Chairman<br>Chairman<br>Member<br>Member<br>Member |
| 2 | Shri Gopal Singh Gusain, Executive Director | Union Bank of India | SRC | Member |
| 3 | Shri Dinesh Kumar Garg, Executive Director | 1. Union Bank of India<br>2. Union Bank of India | SRC<br>ACB | Member<br>Member |
| 4 | Shri Manas Ranjan Biswal, Executive Director | Union Bank of India | SRC | Member |
| 5 | Dr. Madnesh Kumar Mishra, Government Nominee Director | 1. Union Bank of India<br>2. United India Insurance Co. Ltd. | ACB<br>ACB | Member<br>Member |

| Sr. No. | Name & Designation of Director | Name of Company | Name of Committee# | Member/ Chairman |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Shri Anil Kumar Misra, RBI Nominee Director | Union Bank of India | ACB | Member |
| 7 | Shri Rajiv Kumar Singh, Chartered Accountant Director | 1. Union Bank of India<br>2. Union Bank of India | SRC<br>ACB | Chairman<br>Chairman |
| 8 | Dr. Uttam Kumar Sarkar, Shareholder Director | Union Bank of India | SRC | Member |
| 9 | Shri K. Kadiresan, Shareholder Director | Union Bank of India | SRC | Member |

**2.9 Details of Familiarization Programmes attended by Directors:** The details of training programmes attended by Directors of the Bank are made available on Bank's website under the following link:

http://www.unionbankofindia.co.in/english/familarisation.aspx

**2.10** In terms of requirement of Schedule V of the Listing Regulations, S. N. Ananthasubramanian & Co., Practicing Company Secretary has certified vide its certificate dated 14th May, 2019 that none of the directors on the Board of the Bank have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as directors of Bank by the SEBI / Ministry of Corporate Affairs or any such statutory authority.

**2.11** The Board of Directors of the Bank confirms that the independent directors (Shareholder Directors) of the Bank fulfil the conditions specified in Listing Regulations and are independent of the management.

## 3. ANNUAL GENERAL MEETING

The Sixteenth Annual General Meeting of the Shareholders of the Bank was held on **Wednesday, 27th June, 2018** where the following directors were present:

| Sr. No. | Name of Director | Designation |
|---|---|---|
| 1. | Shri Kewal Handa | Chairman and Part-Time Non-Official Director |
| 2. | Shri Rajkiran Rai G. | Managing Director & CEO |
| 3. | Shri Vinod Kathuria | Executive Director |
| 4. | Shri Raj Kamal Verma | Executive Director |
| 5. | Shri Atul Kumar Goel | Executive Director |
| 6. | Shri Rajiv Kumar Singh | Chartered Accountant Director, Member of the ACB. |
| 7. | Dr. K. Ramesha | Part-Time Non-Official Director Then Chairman of SRC. |
| 8. | Dr. Madhura Swaminathan | Part-Time Non-Official Director |

## 4. BOARD MEETINGS

**Details of Board Meetings held during the Financial Year 2018-19:**

| Sr. No. | Date of the Board Meeting | Total No. of Directors on the Board | No. of Directors present in the meeting |
|---|---|---|---|
| 1. | 16-04-18 | 13 | 10 |
| 2. | 10-05-18 | 13 | 12 |
| 3. | 18-05-18 | 13 | 11 |
| 4. | 14-06-18 | 13 | 10 |
| 5. | 12-07-18 | 13 | 12 |
| 6. | 10-08-18 | 12 | 10 |

| Sr. No. | Date of the Board Meeting | Total No. of Directors on the Board | No. of Directors present in the meeting |
|---|---|---|---|
| 7. | 30-08-18 | 12 | 9 |
| 8. | 28-09-18 | 13 | 8 |
| 9. | 29-10-18 | 13 | 10 |
| 10. | 12-11-18 | 13 | 11 |
| 11. | 14-12-18 | 13 | 12 |
| 12. | 16-01-19 | 13 | 11 |
| 13. | 21-01-19 | 13 | 10 |
| 14. | 14-02-19 | 13 | 11 |
| 15. | 26-02-19 | 13 | 10 |
| 16. | 25-03-19 | 13 | 12 |

**Details of attendance of the Directors at the Board Meetings are as below:**

| Name of Director | No of Meeting held during their tenure | No of Meeting attended |
|---|---|---|
| Shri Kewal Handa, Chairman & Part-Time Non-Official Director | 16 | 16 |
| Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO | 16 | 16 |
| Shri Vinod Kathuria, Executive Director | 5 | 5 |
| Shri Raj Kamal Verma, Executive Director | 15 | 13 |
| Shri Atul Kumar Goel, Executive Director | 9 | 9 |
| Shri Gopal Singh Gusain, Executive Director | 9 | 8 |
| Shri Dinesh Kumar Garg, Executive Director | 7 | 7 |
| Shri Manas Ranjan Biswal, Executive Director | 1 | 1 |
| Dr. Madnesh Kumar Mishra, Govt. Nominee Director | 16 | 12 |
| Shri Anil Kumar Misra, RBI Nominee Director | 16 | 0 |
| Shri Rajiv Kumar Singh, Chartered Accountant Director | 16 | 16 |
| Dr. K. Ramesha, Part-Time Non-Official Director | 16 | 16 |
| Dr. Madhura Swaminathan, Part-Time Non-Official Director | 16 | 13 |
| Dr. R. H. Dholakia, Shareholder Director | 4 | 4 |
| Shri G. K. Lath, Shareholder Director | 4 | 4 |
| Dr. Uttam Kumar Sarkar, Shareholder Director | 16 | 13 |
| Shri K. Kadiresan, Shareholder Director | 12 | 5 |
| Shri Jayadev M., Shareholder Director | 12 | 11 |

## 5. COMMITTEES OF THE BOARD

The Board of Directors of the Bank has constituted various committees of Directors and/or executives to look into different areas of strategic importance in terms of Reserve Bank of India / SEBI / Govt. of India guidelines on Corporate Governance and Risk Management. The important Committees are as under -

1. Management Committee of the Board (MCB)
2. Audit Committee of the Board (ACB)
3. Supervisory Committee of Director on Risk & Asset Liability Management (SCR & ALM)
4. Special Committee on monitoring of Frauds of Rs.1.00 crore and above (SCMF)
5. Recovery Management Committee of the Board (RMCB)
6. Customer Service Committee of the Board (CSCB)
7. HR Sub-Committee of the Board (HRSCB)
8. Stakeholders Relationship Committee (SRC)
9. IT Strategy Committee (ITSC)
10. Nomination Committee (NC)
11. Remuneration Committee (RC)
12. Directors Promotion Committee (DPC)
13. Disciplinary Proceedings Committee - Vigilance/ Non Vigilance (DPC-V)
14. Share Transfer Committee of the Board (STCB)
15. Review Committee for classification of Non Cooperative Borrower (RCNCB)
16. Review Committee on Willful Defaulters of the Bank (RCWDB)
17. Committee to decide on Election of Shareholders' Directors - Voting by PSBs (CESD)
18. Election Dispute Committee (EDC)
19. Credit Approval Committee-I (CAC - I)

20. Committee of Directors for Raising of Capital Fund (CDRCF)
21. Corporate Social Responsibility Committee (CSRC)

## 5.1 Management Committee of the Board (MCB)

### 5.1.1 Composition:

In pursuance of Clause 13 of the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (as amended), the Management Committee of the Board as on 31.03.2019 consists of –

- Managing Director & CEO,
- Executive Directors,
- RBI Nominee Director nominated under section 9(3)(c) and
- Three other Non-Executive Directors under Section 9 (3) (e), (f), (h) & (i) nominated by the Board for a period of six months each on rotation basis.

Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO of the Bank is the present Chairman of the Committee.

### 5.1.2 Functions:

Pursuant to the directives of Ministry of Finance, Government of India, Management Committee of the Board is constituted by the Board of Directors for considering various business matters viz. sanctioning/review of credit proposals, loan compromise/write-off proposals, approval of capital and revenue expenditure beyond the powers of Credit Approval Committee-I, acquisition and hiring of premises, investments, donations, etc.

### 5.1.3 Attendance of MCB Meetings:

During the year 2018-19, 23 meetings of MCB were held and attendance details are as under:

| Name of the Director | No. of meetings held during their tenure | No. of meetings attended |
|---|---|---|
| Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO Chairman of the Committee | 23 | 23 |
| Shri Vinod Kathuria, Executive Director | 7 | 7 |
| Shri Raj Kamal Verma, Executive Director | 21 | 18 |
| Shri Atul Kumar Goel, Executive Director | 12 | 10 |
| Shri Gopal Singh Gusain, Executive Director | 13 | 12 |
| Shri Dinesh Kumar Garg, Executive Director | 11 | 11 |
| Shri Manas Ranjan Biswal, Executive Director | 2 | 2 |
| Shri Anil Kumar Misra, RBI Nominee Director | 23 | 0 |
| Dr. K. Ramesha, Part-Time Non-Official Director | 11 | 11 |
| Dr. Madhura Swaminathan, Part-Time Non-Official Director | 18 | 11 |
| Dr. R. H. Dholkia, Shareholder Director | 5 | 5 |
| Dr. Uttam Kumar Sarkar, Shareholder Director | 16 | 10 |
| Shri Jayadev M., Shareholder Director | 18 | 15 |

## 5.2 Audit Committee of the Board (ACB)

### 5.2.1 Composition:

The Audit Committee of the Board (ACB) has been constituted by the Bank as per the guidelines of Reserve Bank of India and Ministry of Finance, Government of India. The ACB consists of following members –

- Executive Director in-charge of Internal Inspection and Audit
- Nominees of Govt. of India & Reserve Bank of India and
- Two Non Executive Directors of which one should ordinarily be Chartered Accountant Director nominated u/s 9(3)(g).

Other Executive Director/s can be invitee/s to the meeting if the agenda includes any item for discussion from their domain.

Shri Rajiv Kumar Singh, Chartered Accountant Director is the present Chairman of the Committee.

Company Secretary acts as secretary to the ACB in terms of Regulation 18(1)(e) of SEBI (LODR) Regulations, 2015.

### 5.2.2 Functions:

The ACB reviews the functions of the Bank as mandated by calendar of items issued by the RBI. The major functions of ACB are enumerated below:

1. ACB provides direction as also oversees the operation of the total audit function in the Bank.

Total audit function implies the organization, operationalization and quality control of internal audit and inspection within the Bank and follow-up on the statutory / external audit of the Bank and inspection by RBI.

2. ACB reviews the internal inspection/audit functions in the Bank i.e. the system, its quality and effectiveness in terms of follow-up. It reviews the inspection reports of specialized and extra-large branches and all branches with unsatisfactory ratings. It also specially focuses on the follow-up of:-
   - Inter-branch adjustment accounts
   - Un-reconciled long outstanding entries in Inter-Bank accounts and Nostro accounts
   - Arrears in balancing of books at various branches
   - Frauds
   - All other major areas of housekeeping.
3. ACB obtains and reviews quarterly reports from the Compliance Officers appointed in the Bank in terms of guidelines of RBI and SEBI.
4. Regarding statutory audits, ACB follows up on all the issues raised in the Long Form Audit Reports. It interacts with the external auditors before and after the finalization of annual / semi-annual financial accounts and on the audit reports.
5. ACB reviews the accounting policies and practices, related party transactions, Mechanism for Whistle-Blower, Management Discussion and Analysis and Quarterly and Annual Financial Results of the Bank.

5.2.3 **Attendance of ACB Meetings:**

The Committee met 12 times during the year 2018-19. These were held on 16.04.18, 10.05.18, 13.06.18, 10.08.18, 16.08.18, 17.09.18, 29.10.18, 07.12.18, 21.01.19, 01.02.19, 11.03.19 & 18.03.19 and attendance details are as follows:-

| Name of the Director | No. of meetings held during their tenure | No. of meetings attended |
|---|---|---|
| Shri Rajiv Kumar Singh, Chartered Accountant Director Chairman of the Committee | 12 | 12 |
| Shri Kewal Handa, Chairman & Part-Time Non-Official Director | 9 | 8 |
| Shri Raj Kamal Verma, Executive Director | 6 | 6 |
| Shri Atul Kumar Goel, Executive Director | 1 | 1 |
| Shri Dinesh Kumar Garg, Executive Director | 5 | 5 |
| Dr. Madnesh Kumar Mishra, Govt. Nominee Director | 12 | 9 |
| Shri Anil Kumar Misra, RBI Nominee Director | 12 | 0 |
| Shri G. K. Lath, Shareholder Director | 3 | 3 |

5.3 **Supervisory Committee of Directors on Risk & Asset Liability Management (SCR & ALM)**

5.3.1 **Composition:**

The Bank has constituted Supervisory Committee of Directors on Risk and Asset Liability Management in terms of RBI guidelines. The Committee consists of the following members:

- Chairman
- Managing Director & CEO,
- Executive Directors and
- Three Non-Executive Directors.

Shri Kewal Handa, Non-Executive Chairman & Part Time Non Official Director of the Bank is the present Chairman of the Committee.

5.3.2 **Functions:**

The Bank has constituted a Supervisory Committee of Directors on Risk and Asset Liability Management to supervise the functions of Risk and Asset Liability Management in the Bank. The Committee is responsible for identifying, evaluating and monitoring the overall risks faced by the Bank.

5.3.3 **Attendance of SCR & ALM Meeting:**

The Committee has held 5 meetings during the year 2018-19 and attendance details are as under:

| Name of the Director | No. of meetings held during their tenure | No. of meetings attended |
|---|---|---|
| Shri Kewal Handa, Chairman & Part-Time Non-Official Director Chairman of the Committee | 5 | 4 |

| Name of the Director | No. of meetings held during their tenure | No. of meetings attended |
|---|---|---|
| Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO | 5 | 5 |
| Shri Vinod Kathuria, Executive Director | 1 | 1 |
| Shri Raj Kamal Verma, Executive Director | 4 | 4 |
| Shri Atul Kumar Goel, Executive Director | 2 | 2 |
| Shri Gopal Singh Gusain, Executive Director | 3 | 3 |
| Shri Dinesh Kumar Garg, Executive Director | 3 | 3 |
| Shri Manas Ranjan Biswal, Executive Director | 1 | 1 |
| Shri Rajiv Kumar Singh, Chartered Accountant Director | 4 | 4 |
| Dr. K. Ramesha, Part-Time Non-Official Director | 5 | 5 |
| Shri G. K. Lath, Shareholder Director | 1 | 1 |
| Dr. Uttam Kumar Sarkar, Shareholder Director | 1 | 0 |
| Shri Jayadev M., Shareholder Director | 4 | 3 |

## 5.4 Special Committee of the Board of Directors for monitoring of Fraud of Rs.1.00 crore and above (SCMF)

### 5.4.1 Composition:

Special Committee of the Board of Directors for monitoring of frauds of Rs. 1 crore and above is constituted as per the guidelines issued by Reserve Bank of India. At present the Audit Committee of Board (ACB) is required to oversee the internal inspection, statutory audit, inter branch/inter bank accounts and major areas of housekeeping etc. The ACB is also required to focus attention on preventive aspects and follow –up action being initiated by the bank on frauds. However, this Special Committee focuses on Monitoring and following up of cases of frauds involving amounts of Rs. 1 crore and above exclusively while ACB continues to monitor all the cases of frauds in general.

The Special Committee is constituted with following members of the Board of Directors:

- Chairman
- Managing Director & CEO
- Two members from the Audit Committee of the Board
- Two other members from the Board excluding RBI nominee Director

Shri Kewal Handa, Non-Executive Chairman & Part Time Non Official Director of the Bank is the present Chairman of the Committee.

### 5.4.2 Functions:

The major function of the Special Committee is to monitor and review all the cases of frauds of Rs 1 crore and above so as to:

- Identify the systemic lacunae if any that facilitated perpetration of the fraud and put in place measures to plug the same.
- Identify the reasons for delay in detection, if any and/or reporting to top management of the Bank and RBI.
- Monitor progress of CBI /Police Investigation and recovery position.
- Ensure that the staff accountability is examined at all levels in all the cases of frauds and staff side action, if required, is completed quickly without loss of time.
- Review the efficacy of the remedial action taken to prevent recurrence of frauds, such as strengthening of internal controls.
- Put in place other measures as may be considered relevant to strengthen preventive measures against frauds.

### 5.4.3 Attendance of SCMF Meetings:

The Committee has held 4 meetings during the year 2018-19 and attendance details are as under:

| Name of the Director | No. of meetings held during their tenure | No. of meetings attended |
|---|---|---|
| Shri Kewal Handa, Chairman & Part-Time Non-Official Director Chairman of the Committee | 4 | 3 |
| Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO | 4 | 4 |
| Shri Raj Kamal Verma, Executive Director | 2 | 2 |
| Shri Dinesh Kumar Garg, Executive Director | 2 | 2 |
| Dr. Madnesh Kumar Mishra, Govt. Nominee Director | 4 | 3 |
| Dr. K. Ramesha, Part-Time Non-Official Director | 2 | 2 |
| Shri G.K.Lath , Shareholder Director | 1 | 1 |
| Dr. Uttam Kumar Sarkar, Shareholder Director | 3 | 2 |
| Shri Jayadev M., Shareholder Director | 2 | 2 |

## 5.5 Recovery Management Committee of the Board (RMCB)

### 5.5.1 Composition:

A Board level Sub Committee for Recovery Management has been formed as per Ministry of Finance, Government of India guidelines to monitor the progress in recovery on regular basis and this Committee would submit its report to the Board.

The composition of the Committee is:

- Managing Director & CEO
- Executive Directors
- Government of India Nominee Director

Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO of the Bank is the present Chairman of the Committee.

### 5.5.2 Functions:

To monitor the progress in recovery on regular basis and submit the report to the Board.

### 5.5.3 Attendance of RMCB Meetings:

The Committee has held 5 meetings during the year 2018-19 and attendance details are as under:

| Name of Director | No of Meetings held during their tenure | No of Meetings attended |
|---|---|---|
| Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO Chairman of the Committee | 5 | 5 |
| Shri Vinod Kathuria, Executive Director | 1 | 1 |
| Shri Raj Kamal Verma, Executive Director | 4 | 4 |
| Shri Atul Kumar Goel, Executive Director | 2 | 2 |
| Shri Gopal Singh Gusain, Executive Director | 3 | 2 |
| Shri Dinesh Kumar Garg, Executive Director | 3 | 2 |
| Shri Manas Ranjan Biswal, Executive Director | 1 | 1 |
| Dr. Madnesh Kumar Mishra, Govt. Nominee Director | 5 | 5 |

## 5.6 Customer Service Committee of the Board (CSCB)

### 5.6.1 Composition:

Customer Service Committee of the Board is constituted as per the guidelines issued by the Reserve Bank of India to look after the customer service in Bank. The Committee Comprises of following members:

- Managing Director & CEO
- Executive Directors
- Govt. Nominee Director
- Four Non-Executive Directors

In addition, Internal Ombudsman and Two Experts also participate as special invitees in these meetings.

Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO of the Bank is the present Chairman of the Committee.

### 5.6.2 Functions:

The Committee is undertaking the following tasks:

i. To make suggestions on improving the quality of customer services.

ii. To review the implementation of the existing policies and procedures with a view to rationalize and simplify them & to suggest appropriate improvements to facilitate changes on an ongoing basis.

iii. To review and recommend the policies to the Board annually before the same is placed to the Board for approval.

### 5.6.3 Attendance of CSCB Meetings:

The Committee has held 4 meetings during the year 2018-19 and attendance details are as under:

| Name of the Director | No. of meetings held during their tenure | No. of meetings attended |
|---|---|---|
| Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO Chairman of the Committee | 4 | 4 |
| Shri Kewal Handa, Chairman & Part-Time Non-Official Director | 4 | 4 |
| Shri Vinod Kathuria, Executive Director | 1 | 1 |
| Shri Raj Kamal Verma, Executive Director | 3 | 3 |
| Shri Atul Kumar Goel, Executive Director | 2 | 2 |
| Shri Gopal Singh Gusain, Executive Director | 2 | 2 |
| Shri Dinesh Kumar Garg, Executive Director | 2 | 2 |

| Name of the Director | No. of meetings held during their tenure | No. of meetings attended |
|---|---|---|
| Shri Manas Ranjan Biswal, Executive Director | 1 | 1 |
| Dr. Madnesh Kumar Mishra, Govt. Nominee Director | 4 | 2 |
| Shri Rajiv Kumar Singh, Chartered Accountant Director | 2 | 2 |
| Dr. K. Ramesha, Part-Time Non-Official Director | 3 | 3 |
| Dr. Madhura Swaminathan, Part-Time Non-Official Director | 3 | 2 |
| Dr. R.H.Dholakia, Shareholder Director | 1 | 1 |
| Dr. Uttam Kumar Sarkar, Shareholder Director | 1 | 0 |
| Shri S. Ravindranath, Special Invitee | 4 | 4 |
| Shri S. Jagannathan, Special Invitee | 4 | 4 |
| Shri Nandan Shrivastav, Internal Ombudsmen | 1 | 1 |
| Shri Vijay Jasuja, Internal Ombudsmen | 3 | 2 |

## 5.7 HR Sub-Committee of the Board (HRSCB)

### 5.7.1 Composition:

The Committee consists of Managing Director & CEO, Executive Directors, Government Nominee Director and any two Directors nominated by the Board. In addition, two experts in Human Resources also participate as special invitees.

Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO of the Bank is the present Chairman of the Committee.

### 5.7.2 Functions:

To oversee & review the implementation of following aspects:

1. Overall Strategy for the Bank on HR.
   - Overall manpower plan and skills gap identification.
   - Systems, procedures and structures to attract and groom right talent.
   - Succession planning.
2. Development of performance management system covering all staff in the Bank
   - Performance assessment on transparent Key Responsibility Areas.
   - System of providing developmental feedback to all staff.
3. Fine tuning of policies on HR in line with Bank's strategy and market realities.
   - Reward and incentives
   - Promotions
   - Deployment
4. Training
   - Specialist business skills training
   - General retraining / reorientation for all staff
5. IT automation of all HR related activities

### 5.7.3 Attendance of HRSCB Meetings:

The Committee has held 5 meetings during the year 2018-19 and attendance details are as under:

| Name of Director | No of Meeting held during their tenure | No of Meeting attended |
|---|---|---|
| Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO Chairman of the Committee | 5 | 5 |
| Shri Vinod Kathuria, Executive Director | 2 | 2 |
| Shri Raj Kamal Verma, Executive Director | 5 | 5 |
| Shri Atul Kumar Goel, Executive Director | 3 | 3 |
| Shri Gopal Singh Gusain, Executive Director | 2 | 2 |
| Shri Dinesh Kumar Garg, Executive Director | 2 | 2 |
| Dr. Madnesh Kumar Mishra, Govt. Nominee Director | 5 | 5 |
| Dr. Madhura Swaminathan, Part-Time Non-Official Director | 4 | 4 |
| Dr. R. H. Dholakia, Shareholder Director | 1 | 1 |
| Dr. Uttam Kumar Sarkar, Shareholder Director | 1 | 1 |
| Shri K. Kadiresan, Shareholder Director | 4 | 4 |
| Shri T. V. Rao, Special Invitee | 5 | 4 |
| Shri R. R. Nair, Special Invitee | 5 | 3 |

5.8 **Stakeholders Relationship Committee (SRC)**

5.8.1 **Composition:**

Pursuant to the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Stakeholders Relationship Committee (SRC) has been constituted with Executive Directors and Three Non-Executive Directors.

Shri Rajiv Kumar Singh, Chartered Accountant Director is the present Chairman of the Committee.

5.8.2 **Functions:**

The Committee monitors the grievances and complaints of the security holders of the Bank regarding transfer of shares, non-receipt of refund orders, share certificates, dividends, etc.

5.8.3 **Attendance of SRC Meetings:**

The Committee has held 6 meetings during the year 2018-19. These were held on 13.06.18, 30.08.18, 12.11.18, 03.01.19, 02.03.19 & 28.03.19 and attendance details are as under:

| Name of the Director | No. of meetings held during their tenure | No. of meetings attended |
|---|---|---|
| Shri Rajiv Kumar Singh, Chartered Accountant Director Chairman of the Committee | 4 | 4 |
| Shri Kewal Handa, Chairman & Part-Time Non-Official Director | 2 | 2 |
| Shri Vinod Kathuria, Executive Director | 1 | 1 |
| Shri Raj Kamal Verma, Executive Director | 4 | 4 |
| Shri Atul Kumar Goel, Executive Director | 2 | 1 |
| Shri Gopal Singh Gusain, Executive Director | 4 | 4 |
| Shri Dinesh Kumar Garg, Executive Director | 4 | 3 |
| Shri Manas Ranjan Biswal, Executive Director | 2 | 2 |
| Dr. K. Ramesha, Part-Time Non-Official Director | 2 | 2 |
| Dr. R. H. Dholakia, Shareholder Director | 1 | 1 |
| Dr. Uttam Kumar Sarkar, Shareholder Director | 5 | 5 |
| Shri K. Kadiresan, Shareholder Director | 4 | 4 |

5.8.4 **Name & Designation of Compliance Officer**

Pursuant to Regulation 6 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Shri Mangesh Mandrekar has been appointed as Company Secretary and designated as the Compliance Officer of the Bank for Investor Grievances.

5.8.5 **Details of Shareholder Complaints during the year 2018-19:**

A comparative chart showing number of complaints received, responded and pending for the financial year ended 31.03.2019 vis-à-vis 31.03.2018 is as under:-

| Sr. No. | Particulars | For FY ended 31.03.19 | For FY ended 31.03.18 |
|---|---|---|---|
| a. | No. of shareholders complaints pending at the beginning of the year | 0 | 0 |
| b. | No. of shareholders complaints received during the year | 276 | 231 |
| c. | No. of shareholders complaints resolved during the year | 276 | 231 |
| d. | No. of shareholders complaints pending at the end of the year | 0 | 0 |

5.9 **IT Strategy Committee (ITSC)**

5.9.1 **Composition:**

As a part of IT Governance measures, RBI has recommended creation of IT Strategy Committee of the Board to advise the Board on strategic direction on IT and to review IT Investments on behalf of the Board. The Committee consists of:

- Executive Directors
- Govt. Nominee Director
- Three Non-Executive Directors, one of whom shall be Independent Director
- One Outside IT Expert
- Chief Information Officer (GM heading the IT function of the Bank)

Shri Kewal Handa, Chairman & Part-Time Non-Official Director is the present Chairman of the Committee.

5.9.2 **Functions:**

- Approving IT strategy and policy documents.
- Ensuring that the management has put an effective strategic planning process in place.
- Ratifying that the business strategy is indeed aligned with IT strategy.
- Ensuring that the IT organizational structure complements the business model and its direction.
- Ascertaining that management has implemented processes and practices

that ensure that the IT delivers value to the business.

- Ensuring IT investments represent a balance of risks & benefits and that budgets are acceptable.
- Monitoring the methods that management uses to determine the IT resources needed to achieve strategic goals and provide high level direction for sourcing & use of IT resources.
- Ensuring proper balance of IT investments for sustaining bank's growth.
- Ensure adequate mitigation for exposure towards IT risks & controls, evaluating effectiveness of management's monitoring.
- Assessing Senior Management's performance in implementing IT strategies.
- Issuing high level policy guidance (e.g. related to risk, funding or sourcing tasks).
- Confirming whether IT or business architecture is to be designed, so as to derive maximum business value from IT.
- Overseeing the aggregate funding of IT at a bank-level, and ascertaining if the management has resources to ensure the proper management of IT risks.
- Reviewing IT performance measurement and contribution of IT to business (i.e. delivering the promised value).
- To build up mechanism to undertake IT disaster management.
- To act as Board level Sub-Committee on Digital Transactions to advice, guide and monitor enhancing digital transactions of the Bank.

5.9.3 **Attendance of ITSC Meetings:**

The Committee has held 4 meetings during the year 2018-19 and attendance details are as under:

| Name of Director | No of Meeting held during their tenure | No of Meeting attended |
|---|---|---|
| Shri Kewal Handa, Chairman & Part-Time Non-Official Director Chairman of the Committee | 4 | 4 |
| Shri Vinod Kathuria, Executive Director | 1 | 1 |
| Shri Raj Kamal Verma, Executive Director | 3 | 3 |
| Shri Atul Kumar Goel, Executive Director | 2 | 2 |
| Shri Gopal Singh Gusain, Executive Director | 2 | 1 |
| Shri Dinesh Kumar Garg, Executive Director | 2 | 2 |
| Shri Manas Ranjan Biswal, Executive Director | 1 | 1 |
| Dr. Madnesh Kumar Mishra, Govt. Nominee Director | 4 | 3 |
| Dr. Uttam Kumar Sarkar, Shareholder Director | 3 | 1 |
| Shri Jayadev M., Shareholder Director | 3 | 2 |
| Shri G. Sivakumar, Special Invitee | 4 | 3 |
| Shri R. Kandasamy, GM DIT | 4 | 4 |

5.10 **Nomination Committee (NC)**

5.10.1 **Composition:**

The Reserve Bank of India has laid down specific 'Fit and Proper' criteria to be fulfilled by the persons being elected as directors on the Boards of the Nationalised Banks. In terms of said guidelines, Bank has constituted a Nomination Committee consisting of Non-Executive Chairman and two Non-Executive Directors to undertake process of due diligence to determine the fit and proper status of Shareholder Directors.

5.10.2 **Functions:**

- To undertake the due diligence exercise afresh and examine the 'Fit and Proper' status of the elected Shareholder Directors.
- To ensure whether non adherence to any of the criteria such as (i) Educational Qualification (ii) Experience and Field of expertise (iii) Track record and integrity, would hamper the existing elected director/proposed candidate from discharging the duties as a director on the Board of the Bank. Further, the adverse notice of any authority/regulatory agency or insolvency or default of any loan from any Bank or any Financial Institution would make the candidate unfit and improper to be a director on the Board of the Bank.
- Based on the signed declaration, this Committee should decide on the acceptance or otherwise of the candidate and make references, where considered necessary to the appropriate authority/persons, to ensure their compliance with the requirements indicated.

5.10.3 **Attendance of NC Meetings:**

The Committee has held one meeting during the year 2018-19. These was held on 14.06.18 and attendance details are as under:

| Name of Director | No of meeting held during their tenure | No of meeting attended |
|---|---|---|
| Shri Kewal Handa, Chairman & Part-Time Non-Official Director Chairman of the Committee | 1 | 1 |
| Dr. Madnesh Kumar Mishra, Govt. Nominee Director | 1 | 1 |
| Dr. K. Ramesha, Part-Time Non-Official Director | 1 | 1 |

5.11 **Remuneration Committee (RC)**

5.11.1 **Composition:**

Government of India (GoI) has announced a scheme of Performance Linked Incentive to the whole-time Directors of Public Sector Banks (PSBs). As per GOI communication, a Sub-committee of the Board of Directors called "Remuneration Committee" has been formed. The Committee is constituted with following members:

- Chairman
- Government Nominee Director
- RBI Nominee Director
- Two other Directors

5.11.2 **Functions:**

To decide upon the performance linked incentive to be paid to the whole-time Directors of the Banks in terms of the above mentioned GoI guidelines.

5.11.3 **Attendance of RC Meetings:**

Pursuant to Ministry of Finance, Government of India letter no. F.NO.12/1/2014-BOA dated 18.08.2015, the Key Performance Indicators (KPI) for evaluating the performance of Whole Time Directors on Board of Public Sector Banks has been changed from FY 2015-16 and the performance of whole-time Directors is be evaluated by a Committee chaired by the Secretary (Financial Services) based on the detailed Performance Evaluation Matrices. Therefore, the Remuneration Committee has no role now in deciding upon the performance linked incentive to be paid to whole-time Directors of the Bank from FY 2015-16. Thus, no meeting of Remuneration Committee was held during the year 2018-19.

5.12 **Directors Promotion Committee (DPC)**

5.12.1 **Composition:**

Government of India vide communication F.No.4/3/1/2012-IR dated 08.12.2016 has provided autonomy to Public Sector Banks to decide the composition of selection committee for promotion process with the approval of the Board. The Board of Directors has approved the constitution of the Committee as below –

- Managing Director & CEO
- Executive Director looking after the HR portfolio or Govt. Nominee Director, as approved by the Managing Director & CEO
- One Outside Expert with domain knowledge
- One additional independent member in the rank of retired CMD/ED/MD & CEO from any PSBs other than Union Bank of India or Retired Executive Director of RBI, approved by the Managing Director & CEO.

5.12.2 **Functions:**

The Committee considers candidates for promotions to Top Executive Grade Scale VII as well as representation of officers against non selection / non approval to Top Executive Grade Scale VII, besides considering cases for continuation in service in respect of officers in Top Executive Grade.

5.12.3 **Attendance of DPC Meetings:**

The Committee has held one meeting during the year 2018-19 and attendance details are as under:

| Name of the Director | No. of Meetings held during their tenure | No. of meetings attended |
|---|---|---|
| Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO Chairman of the Committee | 1 | 1 |
| Dr. Madnesh Kumar Mishra, Govt. Nominee Director | 1 | 1 |
| Shri Suresh N. Patel (Special Invitee) | 1 | 1 |
| Shri N. R. Bhusanurmath (Special Invitee) | 1 | 1 |

5.13 **Disciplinary Proceedings Committee – Vigilance/Non-Vigilance (DPC-V)**

5.13.1 **Composition:**

Ministry of Finance, Government of India has directed that the Disciplinary Proceedings Committee - Vigilance/Non-Vigilance of the Bank should review vigilance disciplinary cases & departmental inquiries on a quarterly basis. The Committee consists of:

- Managing Director & CEO
- Government Nominee Director
- RBI Nominee Director

5.13.2 **Functions:**

The Committee reviews Vigilance, Non-Vigilance disciplinary cases and departmental enquiries.

5.13.3 **Attendance of DPC–V Meetings:**

The Committee has held 4 meetings during the year 2018-19 and attendance details are as under:

| Name of the Director | No. of Meetings held during their tenure | No. of meetings attended |
|---|---|---|
| Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO Chairman of the Committee | 4 | 4 |
| Dr. Madnesh Kumar Mishra, Govt. Nominee Director | 4 | 4 |
| Shri Anil Kumar Misra, RBI Nominee Director | 4 | 0 |

5.14 **Share Transfer Committee of the Board (STCB)**

5.14.1 **Composition:**

The Committee consists of Executive Directors, Chief Compliance Officer/Chief Financial Officer and General Manager / Deputy General Manager / Asst. General Manager - Board Secretariat.

Shri Gopal Singh Gusain, Executive Director is the present chairman of the Committee.

5.14.2 **Functions:**

With a view to effecting speedy transfer of shares, the Bank has constituted a Share Transfer Committee of the Board with powers to confirm transfer, transmission, demat and issue of duplicate shares etc.

5.14.3 **Attendance of STCB Meetings:**

During the year, the Committee met 36 times and attended to transfer, transmission, demat and issue of duplicate shares etc.

| Name of Director | No of Meeting held during their tenure | No of Meeting attended |
|---|---|---|
| Shri Gopal Singh Gusain, Executive Director Chairman of the Committee | 19 | 16 |
| Shri Vinod Kathuria, Executive Director | 11 | 8 |
| Shri Raj Kamal Verma, Executive Director | 33 | 31 |
| Shri Atul Kumar Goel, Executive Director | 21 | 20 |
| Shri Dinesh Kumar Garg, Executive Director | 15 | 15 |
| Shri Manas Ranjan Biswal, Executive Director | 3 | 3 |
| **Attendees by Designation** | | |
| Chief Compliance Officer/ Chief Financial Officer | 36 | 27 |
| Dy. General Manager/Asst. General Manager-Board Secretariat | 36 | 36 |

5.15 **Review Committee for Classification of Non-Cooperative Borrower (RCNCB)**

5.15.1 **Composition:**

The Review Committee of the Board on Classification of the Borrower as Non-Cooperative Borrower has been constituted in pursuance of RBI guidelines to review the orders on classification of the Borrower as Non-Cooperative passed by the Approving Committee. The Committee consists of:

- Managing Director & CEO
- Two Independent Directors (Shareholder Directors)

Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO of the Bank is the present Chairman of the Committee.

5.15.2 **Functions:**

- The committee shall review the orders of the Approving Committee i.e. Executive Director Headed Committee recording the Borrower to be declared as non-cooperative. The order shall become final only after it is confirmed by the Review Committee of the Board.
- Reviewing the quarterly Return submitted to CRILC.
- On a half–yearly basis review the status of non-cooperative borrowers for deciding whether their names can be declassified as evidenced by their credit discipline and cooperative dealings before its submission to the Board.

5.15.3 **Attendance of RCNCB Meetings:**

The meeting is required to be convened as & when required. Since there was no requirement, no meeting of the Committee was held during the year 2018-19.

5.16 **Review Committee on Willful Defaulters of the Bank (RCWDB)**

5.16.1 **Composition:**

Pursuant to RBI guidelines on Willful Defaulters the Bank has constituted Review Committee on Willful Defaulters of the Bank. The Committee consists of:

- Managing Director & CEO
- Any two Independent Directors (Shareholder Directors)

Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO of the Bank is the present Chairman of the Committee.

5.16.2 **Functions:**

Review & confirm the orders passed by Committee headed by Executive Directors on classification of Borrowers as Willful Defaulters.

5.16.3 **Attendance of RCWDB Meetings:**

The Committee has held 4 meetings during the year 2018-19 and attendance details are as under:

| Name of the Director | No. of Meetings held during their tenure | No. of meetings attended |
|---|---|---|
| Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO Chairman of the Committee | 4 | 4 |
| Dr. R. H. Dholakia, Shareholder Director | 1 | 1 |
| Shri G. K. Lath, Shareholder Director | 1 | 1 |
| Dr. Uttam Kumar Sarkar, Shareholder Director | 3 | 3 |
| Shri K. Kadiresan, Shareholder Director | 3 | 3 |

5.17 **Committee to decide on Election of Shareholders Directors – Voting by Public Sector Banks (CESD)**

5.17.1 **Composition:**

The Public Sector Banks are holding Equity Shares in other Companies including Financial Institutions and other Public Sector Banks. As per the guidelines of the Government of India, the Public Sector Banks have to constitute a Committee of the Board headed by Managing Director & CEO to take decision on supporting the candidates in the election of the Shareholder Directors of other Companies, Public Sector Banks and Financial Institutions. The composition of the Committee is:

- Managing Director & CEO
- Executive Directors
- Two other members nominated by the Board

Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO of the Bank is the present Chairman of the Committee.

5.17.2 **Functions:**

After considering all factors viz. qualification, experience, profile and background of various candidates, to take a decision on supporting the candidates in the election. Furthermore, in case of election of shareholder director of PSBs, the requirement of the Bank in terms of the expertise required in various fields would also be taken into account.

5.17.3 **Attendance of CESD Meetings:**

The meeting is required to be convened as & when required. Since there was no requirement, no meeting of the Committee was held during the year 2018-19.

5.18 **Election Dispute Committee (EDC)**

5.18.1 **Composition:**

In terms of Union Bank of India (Shares & Meetings) Regulations, 1998, if any doubt or dispute arise as to the qualification or disqualification of a person deemed, or declared to be elected, or as to the validity of the election of a Shareholder Director; such doubt or dispute shall be referred for the decision of Election Dispute Committee. The Committee consists of:

- Managing Director & CEO or in his absence, Executive Director
- Any two of the directors nominated under clauses (b) and (c) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.

Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO of the Bank is the present Chairman of the Committee.

5.18.2 **Functions:**

The Election Dispute Committee shall make such enquiry as it deems necessary and if it finds that the election was a valid election, it shall confirm the declared results of the election or, if it finds that the election was not a valid election, it shall within 30 days of the commencement of the

enquiry, make such order and give such directions including the holding of a fresh election as shall in the circumstances appear just to the committee.

5.18.3 **Attendance of EDC Meetings:**

The meeting is required to be convened as & when required. Since there was no requirement, no meeting of the Committee was held during the year 2018-19.

5.19 **Credit Approval Committee-I (CAC-I)**

5.19.1 **Composition:**

As per the guidelines of Ministry of Finance, Government of India, the Bank has constituted the Credit Approval Committee-I. The Committee shall exercise the powers of the Board in respect of any single credit proposal upto Rs.400 crore and group exposure upto Rs. 800 crore in case of our Bank and in case exposure exceeds such limits, it shall be considered by the Management Committee of the Board.

The composition of CAC-I is as under:

- Managing Director & CEO
- Executive Directors
- General Manager In-charge of the Credit
- General Manager In-charge of the Finance/ Chief Financial Officer and
- General Manager In-charge of the Risk Management

Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO of the Bank is the present Chairman of the Committee.

5.19.2 **Functions:**

All credit related matters including approval/ review-renewal, miscellaneous requests, interest concessions, compromise/write off proposals, approval of capital and revenue expenditure, acquisition and hiring of premises, etc. within its delegated authority are being put up before the CAC-I for approval.

5.19.3 **Attendance of CAC-I Meetings:**

The Committee has held 24 meetings during the year 2018-19 and attendance details are as under:

| Name of Director | No of Meeting held during their tenure | No of Meeting attended |
|---|---|---|
| Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO Chairman of the Committee | 24 | 24 |
| Shri Vinod Kathuria, Executive Director | 6 | 4 |
| Shri Raj Kamal Verma, Executive Director | 21 | 20 |
| Shri Atul Kumar Goel, Executive Director | 14 | 13 |
| Shri Gopal Singh Gusain, Executive Director | 13 | 12 |
| Shri Dinesh Kumar Garg, Executive Director | 10 | 9 |
| Shri Manas Ranjan Biswal, Executive Director | 3 | 2 |
| **Attendees by Designation** | | |
| General Manager In-charge of the Credit | 24 | 24 |
| General Manager In-charge of the Finance/CFO | 24 | 20 |
| General Manager In-charge of the Risk Management | 24 | 24 |

5.20 **Committee of Directors for Raising of Capital Fund (CDRCF)**

5.20.1 **Composition:**

As per the approval given by the Board the committee is constituted to complete the necessary formalities for raising of capital funds. The Committee consists of MD & CEO and Executive Directors.

Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO of the Bank is the present Chairman of the Committee.

5.20.2 **Functions:**

The Committee is authorized to complete the necessary formalities for raising of capital funds and to do all such acts, deeds, and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable including but not limited to decide on quantum & mode(s), number of tranches, price or prices, discount/premium, reservations to employees, customers, existing shareholders and/or any other persons as decided by the Board and as provided under SEBI regulations and the timing of such issue(s), calling the issue open at its discretion subject to applicable Rules and Regulations and GoI & RBI approval.

5.20.3 **Attendance of CDRCF Meetings:**

The Committee has held 2 meetings during the year 2018-19 and attendance details are as under:

| Name of Director | No of Meeting held during their tenure | No of Meeting attended |
|---|---|---|
| Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO Chairman of the Committee | 2 | 2 |
| Shri Vinod Kathuria, Executive Director | 1 | 0 |
| Shri Raj Kamal Verma, Executive Director | 1 | 1 |
| Shri Atul Kumar Goel, Executive Director | 1 | 1 |
| Shri Gopal Singh Gusain, Executive Director | 1 | 1 |
| Shri Dinesh Kumar Garg, Executive Director | 1 | 1 |
| Shri Manas Ranjan Biswal, Executive Director | 1 | 1 |

5.21 **Corporate Social Responsibility Committee (CSRC)**

The objective of the Corporate Social Responsibility Committee shall be to assist the Board and the Bank in fulfilling its Corporate Social Responsibility.

5.21.1 **Composition:**

The composition of the Committee is:

- Managing Director & CEO,
- Executive Directors
- One Part-Time Non-Official Director nominated under Section 9(3)(h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.
- One Shareholder Director elected under Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.

Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO of the Bank is the present Chairman of the Committee.

5.21.2 **Functions:**

1. Formulating and recommending the CSR Policy to the Board of Directors and indicating activities to be undertaken.
2. Approval of projects to be undertaken either through Union Bank Social Foundation Trust or such other entity/organisation as approved by the Committee in terms of CSR Policy.
3. Reviewing usage of delegated authority by GM/ED/MD & CEO on quarterly basis. Reviewing performance of Union Bank Social Foundation Trust on quarterly basis.

5.21.3 **Attendance of CSRC Meetings:**

The Committee has held 3 meetings during the year 2018-19 and attendance details are as under:

| Name of Director | No of Meeting held during their tenure | No of Meeting attended |
|---|---|---|
| Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO Chairman of the Committee | 3 | 3 |
| Shri Raj Kamal Verma, Executive Director | 2 | 2 |
| Shri Atul Kumar Goel, Executive Director | 1 | 1 |
| Shri Gopal Singh Gusain, Executive Director | 2 | 2 |
| Shri Dinesh Kumar Garg, Executive Director | 2 | 2 |
| Shri Manas Ranjan Biswal, Executive Director | 1 | 1 |
| Dr. K. Ramesha, Part-Time Non-Official Director | 2 | 2 |
| Dr. Madhura Swaminathan, Part-Time Non-Official Director | 1 | 0 |
| Dr. Uttam Kumar Sarkar, Shareholder Director | 3 | 2 |

## 6. GENERAL BODY MEETINGS

The details of the General Body Meetings of the Shareholders held during last 3 years are given below:

| Nature of Meeting | Date & Time | Venue | Special Resolution |
|---|---|---|---|
| Fourteenth Annual General Meeting | 27th June, 2016 at 11.00 a.m. | Rama & Sundri Watumull Auditorium, K. C. College, Vidyasagar, Prinicipal K. M. Kundnani Chowk, 124, Dinshaw Wachha Road, Churchgate, Mumbai – 400020. | To raise Capital through FPO/Rights/QIP etc. by way of an offer document/prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares, upto Rs.3200 crores (including premium, if any). |
| Extraordinary General Meeting | 23rd February, 2017 at 11:00 a.m. | Rama & Sundri Watumull Auditorium, Vidyasagar, Principal K. M. Kundnani Chowk, 124, Dinshaw Wachha Road, Churchgate, Mumbai – 400020. | 1. Issue of 3,89,88,181 Equity Shares for cash at an Issue Price of Rs.138.76 including premium of Rs.128.76 on Preferential Basis to Government of India, upto Rs.541 crores.<br>2. Issue of 1,29,72,038 Equity Shares for cash at an Issue Price of Rs.138.76 including premium of Rs.128.76 on Preferential Basis to Government of India, upto Rs. 180 crores. |
| Fifteenth Annual General Meeting | 23rd June, 2017 at 11.30 a.m. | Rama & Sundri Watumull Auditorium, K. C. College, Vidyasagar, Prinicipal K. M. Kundnani Chowk, 124, Dinshaw Wachha Road, Churchgate, Mumbai – 400020. | To raise Capital through FPO/Rights/QIP/ Preferential allotment etc. by way of an offer document/prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares, upto Rs.4,950 crore (including premium, if any). |
| Extraordinary General Meeting | 16th March, 2018 at 11:00 a.m. | Y. B. Chavan Auditorium, General Jagannath Bhosale Marg, Opp. Mantralaya, Nariman Point, Mumbai, Maharashtra – 400 021 | Issue of 31,28,19,803 Equity Shares for cash at an Issue Price of Rs.144.62 including premium of Rs.134.62 on Preferential Basis to Government of India, upto Rs. 4,524 Crore. |
| Sixteenth Annual General Meeting | 27th June, 2018 at 11:00 a.m. | Rama & Sundri Watumull Auditorium, K. C. College, Vidyasagar, Prinicipal K. M. Kundnani Chowk, 124, Dinshaw Wachha Road, Churchgate, Mumbai – 400020. | To raise Capital through FPO/Rights/QIP/ Preferential allotment etc. by way of an offer document/prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares, upto Rs.6,850 crore (including premium, if any). |
| Postal Ballot **$$** | 14th February, 2019 | -- | To create, grant offer, issue and allot up to 8,00,00,000 (Eight crore) new equity shares of face value of Rs.10/- (Rupees Ten only) each, ranking pari passu with the existing equity shares of the Bank, under an Employee Share Purchase Scheme (hereinafter referred to as “Union Bank - ESPS”) in one or more tranches, to eligible employees. |

| Nature of Meeting | Date & Time | Venue | Special Resolution |
|---|---|---|---|
| Extraordinary General Meeting | 26th March, 2019 at 11:00 a.m. | Rama & Sundri Watumull Auditorium, K. C. College, Vidyasagar, Prinicipal K. M. Kundnani Chowk, 124, Dinshaw Wachha Road, Churchgate, Mumbai – 400020. | Issue of 52,15,62,658 Equity Shares for cash at an Issue Price of Rs.78.84 including premium of Rs.68.84 on Preferential Basis to Government of India, upto Rs. 4,112 Crore. |

**$$ Details of Postal Ballot :**

- Shri Ankur Kumar, M/s Ezy Laws, Advocates & Corporate Legal Advisors appointed as Scrutinizer to scrutinize the postal ballots and e-votes in a fair and transparent manner.
- Procedure of Postal Ballot and E-Voting as prescribed under Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended and Rule 20 & 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 was followed.
- Voting Pattern –

| Particulars | Number of Valid Voters | | | Number of Valid Votes contained in | | | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Postal Ballot forms | e-Voters | Total | Postal Ballot Forms | e-Votes | Total | |
| Assent | 1239 | 239 | 1478 | 78,82,32,164 | 22,09,51,108 | 1,00,91,83,272 | 97.45 |
| Dissent | 129 | 109 | 238 | 68,067 | 2,63,68,301 | 2,64,36,368 | 2.55 |
| Total | 1368 | 348 | 1716 | 78,83,00,231 | 24,73,19,409 | 1,03,56,19,640 | 100 |

## 7. DISCLOSURES

The Bank is governed by the Banking Regulations Act 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and guidelines/circulars issued by RBI, GoI and SEBI.

As per SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, for other listed entities which are not companies, but body corporate or are subject to regulations under other statues, the provisions of corporate governance shall apply to the extent that it does not violate their respective statutes and guidelines or directives issued by the relevant authorities.

Keeping in view the above, it is stated that the Bank is complying with all the applicable mandatory requirements of Listing Regulation. Compliance with respect to non-mandatory requirements is also given in this report. The other disclosure requirements stipulated by the Listing Regulation are as under:

### 7.1 Remuneration of Directors:

Managing Director & CEO and Executive Directors are being paid remuneration and reimbursement of traveling & halting expenses as per the rules framed by Government of India in this regard. Other terms and conditions of the appointment of whole-time directors are as per clause 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. The details of the same are given in the notes to accounts.

**Sitting Fees**:

In terms of clause 17(1) of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the sitting fees is paid by the Public Sector Bank to its Non-Official Directors except Govt. Nominee Director & RBI Nominee Director for attending meeting of its Board or any Committees thereof as decided by the Central Government. Accordingly, Central Government vide communication No.15/1/2011-BO.I dated 18th January, 2019

has prescribed the following rates of sitting fees payable to all Non-Official Directors on the Board of Public Sector Banks:

a) Board Meetings : Rs.40,000/- per meeting

b) Committee Meetings : Rs.20,000/- per meeting

c) For Chairing Board Meetings : Rs.10,000/- per meeting [in addition to (a) above]

d) For Chairing Committee Meetings : Rs.5,000/- per meeting [in addition to (b) above]

The above information is also available on Bank's website under following link: http://www.unionbankofindia.co.in/english/Making-payment.aspx

**Travelling & Halting Allowance:**

In addition to fees to which a director is entitled to be paid, every such director travelling in connection with the work of the Bank shall be reimbursed his Travelling & Halting expenses, if any, in terms of the provisions of clauses 17 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, on such basis as may be fixed by Central Government from time to time.

7.2 **Disclosure on Material Significant Related Party Transactions:**

Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant Related Party Transaction that has potential conflict with interests of the Bank at large.

It is an established practice in the Bank that Directors do not take part in the deliberations of the Board and other Sub-Committees of the Board, when matters relating to them or to their relatives/firms/companies in which they are interested are discussed.

7.3 **Disclosure of Pecuniary Relationship or Transactions:**

The Bank's Non-Executive Directors do not have any pecuniary relationship or transaction with the Bank except to the extent of transactions done in the normal course of banking business and the sitting fees paid to them for attending Board and Committee meetings.

7.4 **Proceeds from Public issues, Right issues, Preferential issues etc.:**

**ESPS:** The Bank has obtained approval of shareholders through Postal Ballot in February, 2019 for allotment of Equity Shares aggregating up to Rs. 600 crores to eligible employees under Union Bank of India - Employee Shares Purchase Scheme (Union Bank - ESPS). The Bank allotted 7,28,80,275 shares on 28th March, 2019 to the employees under the Union Bank – ESPS at an issue price of Rs. 58.49 (including premium of Rs. 48.49) per share raising equity capital of Rs.426.28 crores.

**Preferential Issue:** The Bank has obtained approval of shareholders at the Extraordinary General Meeting of the Bank held on 26th March, 2019 for allotment of Equity Shares aggregating to Rs. 4112 crores to Government of India (GOI) on preferential basis. The Bank received Rs. 4112 crores from GOI on 21st February, 2019 as capital infusion in the form of share application money pending allotment. The Bank allotted 52,15,62,658 equity shares on 28th March, 2019 to GOI at an issue price of Rs. 78.84 (including premium of Rs. 68.84) per share.

**Bonds:** the Bank has not issued any Bonds during the year 2018-19.

7.5 **Penalties or Strictures:**

No penalties or strictures were imposed on the Bank by any of the Stock Exchanges, SEBI or any Statutory Authority on any matter relating to Capital Markets during the last three years.

7.6 **Whistle Blower Policy:**

The Bank has put in place the Whistle Blower Policy and same can be accessed via following link –

https://www.unionbankofindia.co.in/english/aboutus-policiescodes.aspx.

The Audit Committee of the Board periodically reviews the functioning of the said policy. It is further stated that no employee has been denied access to the Audit Committee of the Board.

7.7 **Policy for determining Material Subsidiary:**

In compliance with Regulation 46(2)(h) of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Bank has formulated Policy for determining Material Subsidiary and same can be accessed via following link https://www.unionbankofindia.co.in/english/aboutus-policiescodes.aspx

However as on date there is no material subsidiary of the Bank.

7.8 **Related Party Transaction Policy:**

The Bank has formulated Related Party Transaction Policy on dealing with Related Party Transactions. The said policy can be accessed via following link https://www.unionbankofindia.co.in/english/aboutus-policiescodes.aspx.

The Bank didn't have any materially significant related party transactions that had potential conflict with the interest of the Bank at large during the FY 2018-19.

7.9 **Management Discussion and Analysis:**

The same has been given separately in the Annual Report.

7.10 **Compliance Reports on Corporate Governance:**

The Bank has submitted quarterly compliance reports on Corporate Governance in the specified format to the BSE & NSE within 15 days from close of the respective quarter.

7.11 **Dissemination of Information on Website:**

The Bank has disseminated the required information under clause (b) to (i) of sub-regulation 46 of Listing Regulations on its website www.unionbankofindia.co.in.

**7.12 Branch Network:**

- The Bank has well diversified branch network.
- As on 31st March 2019, the Bank had 4,288 domestic branches and 4 overseas branches at Antwerp, Sydney, Hong Kong and Dubai. State wise position of branches in India is shown in the Map.
- Nearly 59% of the branches are located in rural and semi-urban centres.




**7.13 Details of Fees paid to Statutory Auditors:**

Total fees for all services paid by the Bank and its subsidiaries, on a consolidated basis, to Statutory Auditors during Financial Year is Rs. 46.07 Crore.

**7.14 Disclosures in relation to the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013:**

a. number of complaints filed during the financial year 2018-19 : 7 (seven)

b. number of complaints disposed of during the financial year 2018-19 : 7 (seven)

c. number of complaints pending as on 31st March, 2019 - None

**7.15 Credit Rating**

List of all credit ratings obtained along with revisions during the financial year 2018-19, for all debt instruments or any fixed deposit programme or any scheme or proposal of the Bank involving mobilization of funds, whether in India or abroad:

| Ratings of major agencies | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rating Agency | | | Basel III | | Basel II | | | |
| | Date of latest rating | AT 1 | Tier 2 | Lower Tier II | Upper Tier II | Perpetual (IDPI) | Outlook | Rationale |
| Brickwork | Mar 30, 2019 | BWR AA | BWR AA+ | ------ | BWR AA+ | BWR AA+ | Stable | Downgraded on Apr 04, 2018 |
| CRISIL | Aug 31, 2018 | ------ | CRISIL AA+ | CRISIL AA+ | CRISIL AA+ | CRISIL AA+ | Stable | Reaffirmed |
| CARE | Jan 02, 2019 | CARE AA- | ------ | CARE AA+ | CARE AA | ------ | Stable | Reaffirmed |
| ICRA | Mar 09, 2018 | ------ | ------ | ICRA AA+ | ------ | ICRA AA | Stable | Reaffirmed |
| India Ratings | Oct 30, 2018 | IND AA | IND AA+ | IND AA+ | ------ | ------ | Negative | Outlook changed to Negative on Oct 30, 2018 |

**Reasons:**

**Brickwork** downgraded Bank's rating due to weak financials of the Bank, significant fall in treasury income, increased provision requirements and its impact on Capital Adequacy.

**India Ratings** outlook changed to negative due to impairment in Bank's ability to sustain current position of systemic assets & liabilities. Higher NPAs and insufficient capital infusion have also contributed to change in outlook.

**Moodys as per latest Rating report dated March 14, 2019(No change during the year):**

| Category | Rating |
|---|---|
| **Union Bank of India** | |
| Outlook | Stable |
| Counterparty Risk Rating | Baa3/P-3 |
| Bank Deposits | Baa3/P-3 |
| Baseline Credit Assessment | Baa3 |
| Adj. Baseline Credit Assessment | Baa3 |
| Counterparty Risk Assessment | Baa3(cr)/P-3(cr) |
| Senior Unsecured MTN | (P)Baa3 |
| Subordinate MTN | (P)Ba3 |
| Jr Subordinate MTN | (P)B1 |
| **Union Bank of India, Hong Kong Branch** | |
| Outlook | Stable |
| Counterparty Risk Rating | Baa3/P-3 |
| Counterparty Risk Assessment | Baa3(cr)/P-3(cr) |
| Senior Unsecured | Baa3 |
| Subordinate MTN | (P)Ba3 |
| Jr Subordinate MTN | (P)B1 |

**Standard & Poor's as per latest Rating report dated October 26, 2018**

**(No change during the year):**

| Category | Rating |
|---|---|
| **Union Bank of India** | |
| Issuer Credit Rating | BB+/Stable/B |
| Senior Unsecured | BB+ |
| **Union Bank of India, Hong Kong Branch** | |
| Senior Unsecured | BB+ |

## 8 MEANS OF COMMUNICATION

The quarterly, half-yearly and annual financial results of the Bank were published in leading newspapers including Business Standard (English), Free Press Journal (English), Navbharat (Hindi) and Navshakti (Marathi). The results are simultaneously displayed on the Bank's website www.unionbankofindia.co.in. Similarly, the press releases issued by the Bank, related presentations, shareholding pattern, etc. are also simultaneously placed on the Bank's website.

## 9 SHAREHOLDERS' INFORMATION

**9.1 Financial Year – 1st April to 31st March**

**9.2 Listing of Equity Shares & Bonds -** The Bank's equity shares are listed on BSE Limited and the National Stock Exchange of India Limited and its stock scrip code is as follows: -

| | |
|---|---|
| **BSE Limited (BSE),** Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai - 400 001 | 532477 |
| **National Stock Exchange of India Limited (NSE),** Exchange Plaza, Plot No.C/1, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai-400 051 | UNIONBANK-EQ |

The Annual Listing Fee for Equity Shares for the financial year 2019-20 has been paid to both the Stock Exchanges before 30th April, 2019.

The Bank has issued Unsecured Non Convertible Bonds in the nature of Promissory Notes (Tier I & II capital) from time to time. The relevant details thereof as on 31.03.2019 are as under:

| Series | Size (₹ In Cr) | Date of Allotment | Maturity Date | Coupon Rate % (p.a) | ISIN NO. |
|---|---|---|---|---|---|
| Bond Series XIV –A (Perpetual) | 200 | 16.06.2009 | Perpetual | 8.85% Upto 10 YRS Stepped upto 9.35% after 10th year, if call option not exercised. | INE692A09209 |
| Bond Series XIV-B (Upper Tier II) | 500 | 25.06.2009 | 15 YEARS 25.06.2024 | 8.65% Upto 10 YRS Stepped upto 9.15% after 10th year, if call option not exercised. | INE692A09217 |
| Bond Series XIV-C (Upper Tier II) | 500 | 27.01.2010 | 15 YEARS 27.01.2025 | 8.55% Upto 10 YRS Stepped upto 9.05% after 10th year, if call option not exercised. | INE692A09225 |
| Bond Series XV-A (Upper Tier II) | 500 | 28.06.2010 | 15 YEARS 28.06.2025 | 8.48% Upto 10 YRS Stepped upto 8.98% after 10th year, if call option not exercised. | INE692A09233 |

| Series | Size (₹ In Cr) | Date of Allotment | Maturity Date | Coupon Rate % (p.a) | ISIN NO. |
|---|---|---|---|---|---|
| Bond Series XVI-B (Lower Tier II) | 800 | 28.12.2012 | 28.12.2022 | 8.90% | INE692A09241 |
| Bond Series XVII-A (Basel III Compliant Tier II Bonds) | 2,000 | 22.11.2013 | 22.11.2023 | 9.80% | INE692A09266 |
| Bond Series XVIII (Basel III Compliant Tier II Bonds) | 1,000 | 29.03.2016 | 29.03.2026 | 8.61% | INE692A09274 |
| Bond Series XIX (Basel III Compliant Tier II Bonds) | 1,000 | 22.08.2016 | 22.08.2026 | 8.00% Call option may be exercised after completion of 5 years from allotment date or any coupon payment date thereafter till maturity. | INE692A08011 |
| Bond Series XX (Basel III Compliant Additional Tier I Bonds) | 1,000 | 15.09.2016 | Perpetual | 9.50% Call option may be exercised after completion of 10 years from allotment date or any coupon payment date thereafter. | INE692A08029 |
| Bond Series XXI (Basel III Compliant Additional Tier I Bonds) | 1,000 | 04.11.2016 | Perpetual | 9.00% Call option may be exercised after completion of 5 years from allotment date or any coupon payment date thereafter. | INE692A08037 |
| Bond Series XXII (Basel III Compliant Tier II Bonds) | 750 | 24.11.2016 | 24.11.2026 | 7.74% | INE692A08045 |
| Bond Series XXIII Tr-1 (Basel III Compliant Additional Tier I Bonds) | 250 | 29.03.2017 | Perpetual | 9.10% Call option may be exercised after completion of 5 years from allotment date or any coupon payment date thereafter. | INE692A08052 |
| (Bond Series XXIII Tr-2 (Basel III Compliant Additional Tier I Bonds) | 750 | 30.03.2017 | Perpetual | 9.10% Call option may be exercised after completion of 5 years from allotment date or any coupon payment date thereafter. | INE692A08060 |
| (Bond Series XXIII Tr-3 (Basel III Compliant Additional Tier I Bonds) | 500 | 31.03.2017 | Perpetual | 9.10% Call option may be exercised after completion of 5 years from allotment date or any coupon payment date thereafter. | INE692A08078 |
| Bond Series XXIV (Basel III Compliant Additional Tier I Bonds) | 500 | 03.05.2017 | Perpetual | 9.08% Call option may be exercised after completion of 5 years from allotment date or any coupon payment date thereafter. | INE692A08086 |
| **TOTAL** | **11,250** | | | | |

All these bonds are listed on National Stock Exchange of India Ltd. and the Bank has paid the Annual listing fee upfront for 2019-20 to the Stock Exchange.

9.3 **Dividend:**

Considering need for augmenting Capital Adequacy Ratio in line with RBI guidelines, the Board of Directors has decided not to recommend dividend for the year 2018-19.

9.3 **Particulars of AGM:**

| | |
|---|---|
| Board Meeting for considering Accounts and Dividend | Tuesday, 14th May, 2019 |
| Date, Time & Venue of AGM | Friday, 28th June, 2019 at 11:00 A.M.<br>Rama & Sundri Watumull Auditorium, K. C. College, Dinshaw Wachha Road, Churchgate, Mumbai – 400020 |
| Posting of Notices of AGM and Annual Report | On or before Tuesday, 4th June, 2019 |
| Dates of Book Closure | Friday 21st June, 2019 to Friday 28th June, 2019 (both days inclusive) |
| Opening & Closing of E-Voting | Tuesday 25th June, 2019 (9:00 AM IST) to<br>Thursday 27th June, 2019 (5:00 PM IST) |

9.5 **Financial Calendar:**

The tentative calendar for declaration of results for the financial year 2019-20 is given below:

| **Financial Results** | **Likely release of results** |
|---|---|
| For the quarter ending June 30, 2019 | By August 9, 2019 |
| For the quarter ending September 30, 2019 | By November 8, 2019 |
| For the quarter ending December 31, 2019 | By February 7, 2020 |
| For the year ending March 31, 2020 | By May 12, 2020 |

9.6 **Share Transfer System and Redressal of Investors' Grievances:**

The Bank has constituted the Share Transfer Committee of the Board to consider the transfer of shares and other related matters. In terms of SEBI guidelines dated 08.06.2018 & SEBI Press Release dated 03.12.2018, physical transfer of shares is not permitted after 31.03.2019, thus, shareholders are requested to open a demat account and dematerialise their physical shareholding.

In compliance with SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Bank has appointed **Datamatics Business Solutions Limited** as its Registrars and Share Transfer Agent (RTA) with a mandate to process transfer of Shares, dividend, recording of shareholders' requests, solution of shareholders' grievances amongst other activities connected with the issue of shares. The Investors may lodge their transfer deeds / requests / complaints with the RTA at the address mentioned below.

The Bank has also established Investor Services Division at its Head Office, Mumbai. The Shareholders may contact Company Secretary, Investor Services Division for any of their requests/complaints.

| **Registrar & Share Transfer Agent (RTA)** | **Company Secretary** |
|---|---|
| **Datamatics Business Solutions Ltd.** | **Investor Services Division** |
| Unit: Union Bank of India | Union Bank of India |
| Plot No. B-5,Part B Crosslane, | 12th Floor, Central Office, |
| MIDC Andheri (East), | 239, Vidhan Bhavan Marg, |
| Mumbai-400 093. | Nariman Point, Mumbai-400 021. |
| Tel No: 022 - 66712001-6 | Tel-(022) 2289 6636 |
| Fax No: 022 – 66712011 | Fax-(022) 22025238 |
| Email: ubiinvestors@datamaticsbpm.com | E-mail: investorservices@unionbankofindia.com |

9.7 **Other Communications:**

In addition to timely responses to the queries of the shareholders, the Bank proactively sends a half yearly communication to the shareholders to promote good investors' relations.

The set of communication sent this year was focused on following areas:

(i) Half-yearly performance

(ii) Dematerialisation of Physical Shares in terms of SEBI guidelines dated 08.06.2018 & SEBI Press Release dated 03.12.2018

(iii) Implementation of Green Initiative in the Corporate Governance initiated by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India.

9.8 **Dematerialisation of shares:**

The Bank has entered into agreements with both the Depositories viz. National Securities Depositories Ltd. (NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) for dematerialisation of the Bank's shares. The ISIN code allotted to the Bank's Equity Shares is **INE692A01016.**

Therefore, it is requested that the shareholders holding the shares in physical mode may get their shares dematerialized in their own interest as it will save them from the need of safe custody of the share certificates which at times may lead to loss/mutilation. Besides, this would also provide them instant liquidity as the shares of the Bank is traded in demat form. This would also result in easy and faster collection of dividend payments. **Particulars of shares in Demat and Physical form held by the shareholders as of 31.03.2019 are as under:**

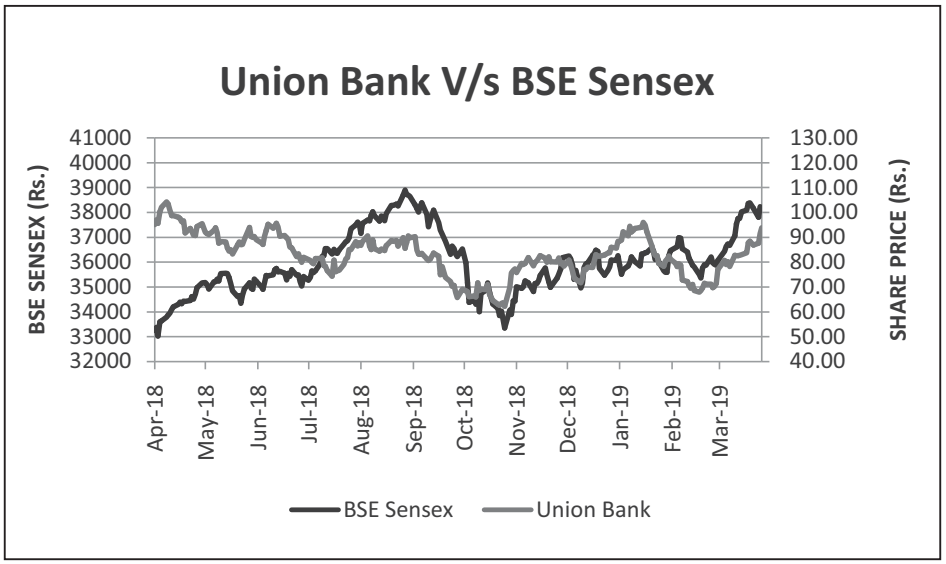
| Category | No. of Shareholders | No. of Shares | % of shareholding |
|---|---|---|---|
| **Physical** | 54,433 | 1,17,52,321 | 0.67 |
| **Demat** | | | |
| NSDL | 1,23,769 | 37,75,22,483 | 21.41 |
| CDSL | 98,049 | 1,37,37,41,510 | 77.92 |
| **TOTAL** | **2,76,251** | **1,76,30,16,314** | **100** |

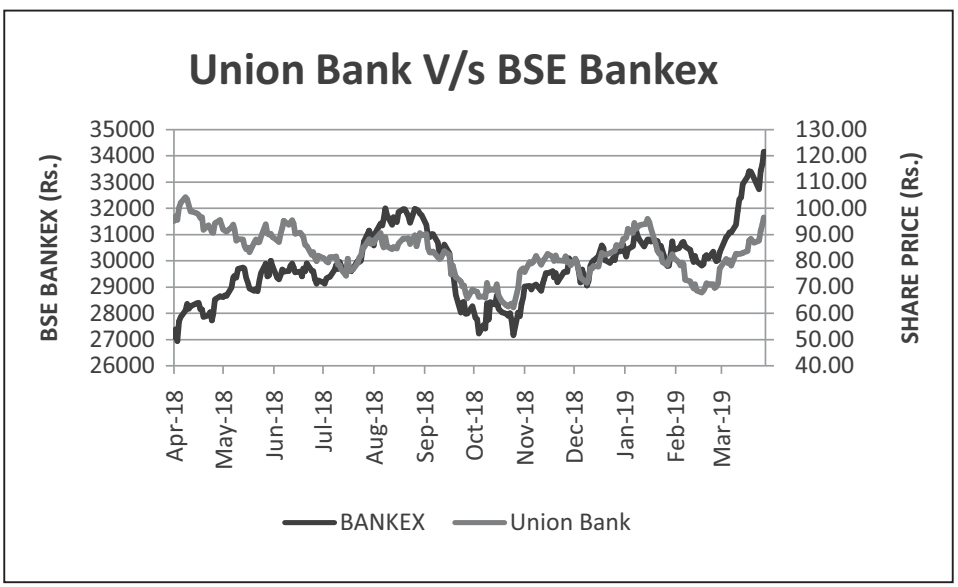
Further, in pursuance of the circular issued by SEBI, a practicing Company Secretary has also conducted reconciliation of Share Capital Audit on a quarterly basis. During the course of reconciliation of Share Capital audit, no discrepancy in updation/maintenance of the Register of Members or processing of demat requests was found and the capital held in physical mode and demat mode tally with the issued capital.

The Bank has sent various communications to its shareholders holding shares in physical form to dematerialize the same. As a result, 3,354 shareholders dematerialized their 8,71,223 shares held in physical form during the year.

9.9 **Market Price, Volume of shares traded in Stock Exchanges:**

| Months | BSE | | | NSE | | | BSE SENSEX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | High (₹) | Low (₹) | Volume (Nos.) | High (₹) | Low (₹) | Volume (Nos.) | High (₹) | Low (₹) |
| **Apr' 18** | 105.75 | 89.55 | 1,23,26,289 | 105.45 | 89.50 | 15,99,08,260 | 35,213.30 | 32,972.56 |
| **May'18** | 96.00 | 82.15 | 1,28,14,220 | 96.00 | 82.10 | 17,44,61,937 | 35,993.53 | 34,302.89 |
| **Jun' 18** | 97.00 | 79.50 | 98,15,097 | 96.95 | 79.35 | 14,02,91,720 | 35,877.41 | 34,784.68 |
| **Jul' 18** | 89.40 | 73.90 | 1,20,53,350 | 89.45 | 73.90 | 15,18,87,866 | 37,644.59 | 35,106.57 |
| **Aug' 18** | 91.45 | 83.60 | 1,34,30,489 | 91.45 | 83.65 | 18,67,89,363 | 38,989.65 | 37,128.99 |
| **Sep' 18** | 93.15 | 64.80 | 1,33,47,828 | 93.20 | 64.75 | 18,09,83,563 | 38,934.35 | 35,985.63 |
| **Oct' 18** | 79.30 | 61.40 | 1,85,13,800 | 79.35 | 61.25 | 25,51,00,212 | 36,616.64 | 33,291.58 |
| **Nov' 18** | 84.50 | 75.15 | 1,71,88,440 | 84.60 | 75.05 | 20,79,48,445 | 36,389.22 | 34,303.38 |
| **Dec' 18** | 87.20 | 68.50 | 1,58,99,396 | 87.20 | 69.10 | 17,44,77,334 | 36,554.99 | 34,426.29 |
| **Jan' 19** | 97.00 | 77.60 | 1,93,76,285 | 97.00 | 77.60 | 23,21,55,600 | 36,701.03 | 35,375.51 |
| **Feb' 19** | 84.15 | 67.50 | 1,18,91,708 | 84.35 | 67.50 | 16,29,46,405 | 37,172.18 | 35,287.16 |
| **Mar' 19** | 98.25 | 71.75 | 2,08,08,826 | 98.15 | 71.80 | 23,71,04,211 | 38,748.54 | 35,926.94 |
| **Closing Price as on 31.03.19** | ₹ 95.50 | | | ₹ 95.60 | | | | |
| **Market Capitalization** | ₹ 16,836.81 crore | | | ₹ 16,854.44 crore | | | | |




* Source-BSE Website (www.bseindia.com)

9.9 **Distribution of Shareholding:**

The Government of India is holding 130.95 crores equity shares of Rs.10 each aggregating to Rs.1,309.48 crores in the total issued & subscribed capital of Rs.1,763.02 crores. The distribution of shareholding as of 31.03.2019 and as of 31.03.2018 is as under:

| Shareholding | As of 31.03.2019 | | | | As of 31.03.2018 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | No. of shareholders | % to total | No. of shares | % to total | No. of shareholders | % to total | No. of shares | % to total |
| Upto 500 | 2,22,055 | 80.38 | 3,17,05,940 | 1.80 | 2,18,734 | 88.54 | 3,10,15,108 | 2.61 |
| 501 to 1000 | 22,339 | 8.09 | 1,61,45,628 | 0.92 | 19,305 | 7.82 | 1,34,08,329 | 1.14 |
| 1001 to 2000 | 8,178 | 2.96 | 1,21,47,587 | 0.69 | 5,394 | 2.18 | 77,34,706 | 0.67 |
| 2001 to 3000 | 13,151 | 4.76 | 3,20,61,696 | 1.82 | 1,402 | 0.57 | 35,33,509 | 0.30 |
| 3001 to 4000 | 4,168 | 1.51 | 1,47,19,636 | 0.84 | 574 | 0.23 | 20,60,120 | 0.18 |

| Shareholding | As of 31.03.2019 | | | | As of 31.03.2018 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | No. of shareholders | % to total | No. of shares | % to total | No. of shareholders | % to total | No. of shares | % to total |
| 4001 to 5000 | 2,221 | 0.80 | 1,03,89,418 | 0.59 | 362 | 0.15 | 16,99,278 | 0.14 |
| 5001 to 10000 | 3,480 | 1.26 | 2,23,48,850 | 1.27 | 588 | 0.24 | 42,55,951 | 0.36 |
| 10001 & above | 659 | 0.24 | 1,62,34,97,559 | 92.09 | 674 | 0.27 | 1,10,48,66,380 | 94.61 |
| **Total** | **2,76,251** | **100.00** | **1,76,30,16,314** | **100.00** | **2,47,033** | **100.00** | **1,16,85,73,381** | **100.00** |

The face value of Bank's share is ₹ 10/-.

9.11 **Shareholding pattern:**

The Shareholding Pattern of the Bank's shares as of 31.03.2019 and as of 31.03.2018 is as follows:

| Category of shareholder | As of 31.03.2019 | | As of 31.03.2018 | |
|---|---|---|---|---|
| | No. of shares held | % to total holding | No. of shares held | % to total holding |
| **Promoter** | | | | |
| Government of India | 1,30,94,77,239 | 74.27 | 78,79,14,581 | 67.43 |
| **Institutional Investors** | | | | |
| Mutual Funds & UTI | 9,77,26,053 | 5.54 | 9,87,29,653 | 8.45 |
| Banks, Financial Institutions, Insurance Companies (Central/ State Govt. Institutions) | 13,41,36,958 | 7.61 | 13,37,09,328 | 11.44 |
| FIIs & Foreign Mutual Funds | 5,55,60,754 | 3.15 | 5,85,51,117 | 5.01 |
| **Others** | | | | |
| Private Corporate Bodies | 1,68,96,063 | 0.96 | 1,73,27,912 | 1.48 |
| Indian Public | 14,78,97,197 | 8.39 | 7,08,74,567 | 6.07 |
| NRIs/OCBs/Qualified Foreign Investor | 13,22,050 | 0.08 | 14,66,223 | 0.12 |
| **Total** | **1,76,30,16,314** | **100.00** | **1,16,85,73,381** | **100.00** |

9.12 **List of Top 10 Shareholders of the Bank:**

The list of top 10 shareholders of the Bank as on 31.03.2019 is as follows:

| Sr. No. | Name | Shares | % To capital |
|---|---|---|---|
| 1 | President of India (Government of India) | 1,30,94,77,239 | 74.28 |
| 2 | Life Insurance Corporation of India | 11,33,23,095 | 6.49 |
| 3 | HDFC Trustee Company Ltd - A/C HDFC Mid - Capopportunities Fund | 5,24,96,308 | 2.98 |
| 4 | ICICI Prudential Balanced Advantage Fund | 2,51,97,723 | 1.43 |
| 5 | Government Pension Fund Global | 98,71,327 | 0.56 |
| 6 | The New India Assurance Company Limited | 74,57,257 | 0.42 |
| 7 | Kotak Equity Arbitrage Fund | 60,95,301 | 0.35 |
| 8 | National Westminster Bank Plc As Trustee of The Jupiter India Fund | 60,39,940 | 0.34 |
| 9 | General Insurance Corporation of India | 51,58,427 | 0.29 |
| 10 | Punjab National Bank | 41,70,306 | 0.24 |
| | **Total** | **1,53,92,86,923** | **87.38** |

9.13 **Unclaimed /Unpaid Dividend:**

The amount of dividend that remained unclaimed for a period of seven years from the date of transfer of dividend to the Unpaid Dividend Account shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund. The list of dividends declared so far and proposed date of transfer for various dividend accounts are given below:

| Period of the Dividend | % of dividend declared | Proposed Date of Transfer |
|---|---|---|
| Dividend for 2011-12 | 80% | 06-08-2019 |
| Dividend for 2012-13 | 80% | 06-08-2020 |
| Interim Dividend 2013-14 | 27% | 18-02-2021 |
| Final Dividend 2013-14 | 13% | 05-08-2021 |
| Dividend for 2014-15 | 60% | 05-08-2022 |
| Dividend for 2015-16 | 19.50% | 08-08-2023 |

The shareholders who have not claimed the above dividends till now are requested to make a claim at the earliest to the Registrar & Share Transfer Agent or the Investor Services Division of the Bank. A format of indemnity bond in this respect is available on the website of the bank (www.unionbankofindia.co.in).

9.14 **Unclaimed Shares:**

**a) In Physical Form:**

As per Schedule VI of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements), 2015 (erstwhile Clause 5A-II of the listing agreement) i.e. Manner of Dealing with Unclaimed Shares, the Bank opened a Unclaimed Suspense Account in March, 2012 after completion of procedure as instructed by SEBI. The shares issued in physical form during IPO of the Bank in the year 2002, which are still unclaimed are controlled in this account. The details of the shares lying in this account are as follows:

| Particulars | No. of shareholders | No. of shares |
|---|---|---|
| Balance as of 01.04.2018 lying in Demat Suspense Account | 4 | 600 |
| Shareholders approached for transfer during the financial year 2018-19 | NIL | NIL |
| Shareholders to whom shares were transferred during the year 2018-19 | NIL | NIL |
| Balance as on 31.03.2019 lying in Demat Suspense Account | 4 | 600 |

The voting rights on above mentioned 600 shares shall remain frozen till the rightful owner of these shares claims the same.

**b) In Demat Form:**

As per Schedule VI of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements), 2015 (erstwhile clause 5A-I of listing agreement) i.e. Manner of Dealing with Unclaimed Shares, the Bank has opened a Demat Suspense Account in March 2010 after completion of procedure as instructed by SEBI. The shares allotted to the applicants at the time of Bank's FPO during 2006 but not credited to their respective demat account due to some technical reasons are controlled in this account. The details of the shares lying in this account are as follows:

| Particulars | No. of shareholders | No. of shares |
|---|---|---|
| Balance as of 01.04.2018 lying in Demat Suspense Account | 222 | 27,033 |
| Shareholders approached for transfer during the financial year 2018-19 | 2 | 128 |
| Shareholders to whom shares were transferred during the year 2018-19 | 2 | 128 |
| Balance as on 31.03.2019 lying in Demat Suspense Account | 220 | 26,905 |

The voting rights on above mentioned 26,905 shares shall remain frozen till the rightful owner of these shares claims the same.

## 10 EXTENT OF COMPLIANCE WITH DISCRETIONARY REQUIREMENTS OF LISTING REGULATIONS

| Sr. No. | Discretionary Requirement | Extent of Compliance |
|---|---|---|
| 1. | **Board**<br>A non-executive Chairman may be entitled to maintain a Chairperson's Office at the listed entity's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his duties. | Shri Kewal Handa has been appointed as Non-Executive Chairman of the Board of Bank and office of Chairman is maintained at Central Office of the Bank. |
| 2. | **Shareholders' Rights**<br>A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in last six months, may be sent to each household of shareholders. | Half-yearly communication is sent to all the shareholders. |
| 3. | **Modified opinion(s) in Audit Report**<br>The listed entity may move towards a regime of financial statements with unmodified audit opinion. | There has been no modified opinion in audit report during the year under review. |
| 4. | **Reporting of Internal Auditor**<br>The Internal auditor may report directly to the Audit Committee. | As per the Board approved Risk Based Internal Audit Policy, the Internal Auditors report directly to the General Manager, Central Audit & Inspection Department. However, details with latest position of Flash Reports & Special Reports given by internal auditors are placed before the Audit Committee of the Board. |

## 11 DECLARATION OF CODE OF CONDUCT

The Board has laid down a Code of Conduct for all the Board Members and Senior Management of the Bank and the same is posted on the website of the Bank. The Board Members and Senior Management have affirmed compliance with the Code of Conduct for the financial year 2018-19.

For Union Bank of India



(Rajkiran Rai G.)

Managing Director & CEO

Place: Mumbai

Date : 15th May, 2019

**To**

**The Board of Directors**

**Union Bank of India**

**Mumbai**

**Re: Certificate Under Regulation 17(8) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015**

This is to certify that

(a) We have reviewed financial statements and the cash flow statement for the year (2018-19) and that to the best of our knowledge and belief:

  (i) these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;

  (ii) these statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

(b) There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.

(c) We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and we have evaluated the effectiveness of the internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of internal controls, if any, of which we were aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

(d) We have indicated to the Auditors and the Audit Committee of the Board –

  (i) significant changes in internal control over financial reporting during the year;

  (ii) significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and

  (iii) instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

| For Union Bank of India | For Union Bank of India |
|---|---|
| **(Sreenivasa Rao B.)** | **(Rajkiran Rai G.)** |
| General Manager & CFO | Managing Director & CEO |

Place : Mumbai
Date : 14th May, 2019.

# Independent Auditor's Certificate on Corporate Governance

**To The Members of Union Bank of India**

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Union Bank of India for the year ended on 31st March, 2019 as stipulated in SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the abovementioned Listing Agreement.

We state that no investor grievance is pending for a period exceeding one month against the Bank as per the records maintained by the Stakeholders' Relationship Committee.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Bank.

**For S. Bhandari & Co.**
Chartered Accountants
FRN: 000560C

**P P Pareek**
Partner
Membership No.071213

**For C N K & Associates LLP**
Chartered Accountants
FRN: 101961W/ W-100036

**Suresh S. Agaskar**
Partner
Membership No. 110321

**For Kirtane & Pandit LLP**
Chartered Accountants
FRN: 105215W/ W-100057

**S B Bhagwat**
Partner
Membership No.008072

**For R S Patel & Co.**
Chartered Accountants
FRN: 107758W

**Rajan B Shah**
Partner
Membership No.101998

**For M G B & Co. LLP**
Chartered Accountants
FRN: 101169W/ W-100035

**Sanjay Kothari**
Partner
Membership No.048215

**For B M Chatrath & CO. LLP**
Chartered Accountants
FRN: 301011E/E300025

**Anand Chatrath**
Partner
Membership No. 052975

Place: Mumbai
Date: 14th May, 2019

# INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

**President of India/Members of Union Bank of India**

**Report on Audit of the Standalone Financial Statements**

**Opinion**

1. We have audited the standalone financial statements of Union Bank of India ('the Bank'), which comprise the Balance Sheet as at 31 March 2019, the Profit and Loss Account and the Cash Flows Statement for the year then ended, and notes to standalone financial statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are returns of 20 branches including 1 treasury branch, 18 Regional Offices audited by us, 2,454 branches audited by statutory branch auditors and 4 foreign branches audited by local auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the Profit and Loss Account are the returns from 1,814 branches, 45 regional offices which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 6.18 percent of advances, 21.53 percent of deposits, 6.92 percent of interest income and 20.18 percent of interest expenses.

2. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone financial statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 in the manner so required for bank and are in conformity with accounting principles generally accepted in India and give:

   a. true and fair view in case of the Balance sheet, of the state of affairs of the Bank as at 31 March, 2019;

   b. true balance of loss in case of Profit and loss account for the year ended on that date; and

   c. true and fair view in case of cash flows statement for the year ended on that date.

**Basis for Opinion:**

3. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by ICAI. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the code of ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with ethical requirements that are relevant to our audit of the standalone financial statements in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the code of ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

**Key Audit Matters:**

4. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the Standalone financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the Standalone financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters prescribed below to be the key audit matters to be communicated in our report:

| Sr. No. | Key Audit Matters | How the Matter was addressed in our report |
|---|---|---|
| **1.** | **Information Technology (IT) Systems and controls over financial reporting** | |
| | The Bank's financial accounting and reporting systems are highly dependent on the effective working of the Core Banking Solution (CBS) and other IT systems linked to the CBS or working independently. Extensive volume, variety and complexity of transactions are processed daily and there is a risk that automated accounting procedures and related internal controls may not be accurately designed and operating effectively. Particular areas of focus relate to the logic that is fed into the system, sanctity and reliability | Our audit procedures included verifying, testing and reviewing the design and operating effectiveness of the IT system by verifying the reports/returns and other financial and non-financial information generated from the system on a test check basis. Our audit procedures included:<br>• Ensuring that deficiencies noticed in our verification on test check basis were informed to the management for corrective action;<br>• Carrying out independent alternative audit procedures |

| | | |
|---|---|---|
| | of the data, access management and segregation of duties. These underlying principles are important because they ensure that changes to applications and data are appropriate, authorized, cleansed and monitored, so that the system generates accurate and reliable reports/ returns and other financial and non-financial information that is used for the preparation and presentation of the financial statements.<br>We have relied on the consistent and accurate functioning of CBS and other IT systems for the following:<br>• Asset Classification and Income recognition as per the Reserve Bank of India guidelines;<br>• Provisioning on the advance portfolio;<br>• Identification of advances and liability items and its maturity pattern in various brackets;<br>• Reconciliation and ageing of various suspense and sundry accounts, impersonal accounts, inter-branch balances and other such accounts;<br>• Recording Investment transactions<br>• Interest expense on deposits and other liabilities; | like substantive testing in areas were deficiencies were noticed;<br>• Analytical procedures like ratio analysis, trend analysis, reasonable tests, comparative analysis;<br>• Reliance on the work performed by the statutory branch auditors and the rectification entries (MOCs) passed based on branch audits;<br>• Reliance on external vendor inspection reports wherever made available. |
| **2.** | **Income Recognition, Asset Classification (IRAC) and provisioning on Loans & Advances and Investments as per the regulatory requirements.** | |
| | Loans & Advances and Investments are the largest class of assets forming 85.62% of the total assets as on March 31, 2019. Classification, income recognition and loss provisioning on the same are based on objective parameters as prescribed by the regulations (Reserve Bank of India's prudential norms and other guidelines).<br>The management of the Bank relies heavily on its IT systems (including Core Banking Solution), exercise significant estimates and judgement, manual interventions, and uses services of experts (like independent valuers, Lawyers, legal experts and other professional) to determine asset classification, income recognition and provisioning for losses. | Our audit was focused on income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances due to the materiality of the balances and associated impairment provisions.<br>Our audit procedures included the assessment of controls over the approval, disbursements and monitoring of loans, and reviewing the logic and assumptions used in the CBS and other related IT systems for compliance of the IRAC and provisioning norms and its operating effectiveness. These included:<br>• We have evaluated and understood the Bank's internal control system in adhering to the Relevant RBI guidelines regarding income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances/investments;<br>• System controls and manual controls over the timely recognition of non-performing assets (NPA/NPI);<br>• Operational existence and effectiveness of controls over provisioning calculation models from the IT systems;<br>• Overall Controls on the loan approval, disbursement and monitoring process in case of advances and controls over the purchase, sale and hold decisions making system in case of investments<br>• We tested sample of loans/investments (in cases of branches visited by us) to assess whether they had been identified as non performing on a timely manner, income recognized and provisioning made as per IRAC norms.<br>• We have also reviewed the reliability, effectiveness and accuracy of manual interventions, wherever it has come to our notice, on test check basis.<br>• We have relied on the reports/returns and work done |

| | | |
|---|---|---|
| | | by other Statutory Branch Auditors (SBA) in cases of branches not visited by us to get an overall comfort with respect to overall compliance in accordance with SA 600 - Using the Work of Another Auditor.<br>• We have reviewed the work done by other experts like Independent valuers, Lawyers, Legal Experts and other such professionals who have rendered services to the Bank, in accordance with SA 620 Using the Work of an Auditor's Expert.<br>• Further we have also reviewed the Bank's system of monitoring potentially weak and sensitive accounts which show a sign of stress.<br>• We have also reviewed the reports and observations of the Bank's internal audit/inspection reports and observations of the concurrent auditors for the same.<br>• Verification of valuation, classification, provisioning and income recognition of investments by carrying our substantive test including arithmetic accuracy, data accuracy and control over the financial reporting system. |
| **3.** | **Recognition and measurement of Deferred tax** | |
| | The Bank has recognised a net deferred tax asset of ₹ 51,720,800 (₹ in 000) as on March 31, 2019.<br><br>Besides objective estimation, recognition and measurement of deferred tax asset is based on the judgment and numerous estimates regarding the availability and visibility of profits in the future.<br><br>The recent increase in the amount of deferred tax assets recognised presumes availability and forecasting of profits over an extended period of time thus increasing uncertainty and the inherent risk of inappropriate recognition of the said asset. | Our audit procedures included the risk assessment to gain an understanding of the applicable tax laws and relevant regulations applicable to the Bank. Based on our understanding, we performed both tests of related internal key controls and substantive audit procedures with the assistance of tax specialists. We performed the following audit procedures as part of our controls testing including, but not limited to:<br>• Evaluation of the policies used for recognition and measurement of deferred tax assets in accordance with AS 22 Accounting for Taxes on Income;<br>• Assessed the method, assumptions and other parameters used with reference to uniformity, consistency and continuity like budget and midterm projections prepared by the management including earning growth and applicable tax rates and tested the arithmetical accuracy.<br>• Assessed the probability of the availability and visibility of profits against which the bank will be able to use this deferred tax asset in the future. |
| **4.** | **Impact of Pending litigation including Tax litigations** | |
| | There are 1129 number of pending and ongoing legal disputes (including tax litigations), regulatory investigations and various claims against the bank aggregating to ₹ 31,049,729.00 (₹ in 000) that have not been acknowledged as debts by the bank's management. In certain litigation and regulatory matters significant judgement is required by management to determine whether a demand is a liability or a contingent liability. If a present obligation exists and whether a provision should be recognised or a possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the bank's control. | Our audit procedures mainly included:<br>• Review of the management's judgment to understand the nature and status of legal disputes, regulatory investigations and claims against banks not acknowledged as debt to determine whether or not a provision should be recognized;<br>• Review of legal opinions obtained by the bank from their in house departments or external experts in this regard (where ever applicable);<br>• Independent checks to assess the adequacy of provisions and disclosure of contingent liability by comparing assumptions to historical data, verification |

| | | |
|---|---|---|
| | | of claims settled and fresh demands during the year and in certain case representation from the management based on legal opinion.<br>• Verification of these provisions and related disclosures of the contingent liability as per the RBI guidelines and policies of the Bank.<br>• Reliance of certification by Statutory Branch Auditors. |

**Other Information:**

5. The Bank's Board of Directors is responsible for the preparation of the other information. The other information comprises the Highlights for the year, Directors' Report including annexures to Directors' Report, Key Financial Ratios, Business Responsibility Report and Corporate Governance Report included in the Annual report, but does not include the financial statements and our auditors' report thereon and the Pillar III Disclosures under the New Capital Adequacy Framework (Basel III disclosures).

   Our opinion on Standalone financial statements does not cover the other information and the Basel III disclosures, and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

   In connection with the audit of the Standalone financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the information is materially inconsistent with the standalone financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information; we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

**Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Standalone Financial Statements**

6. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the standalone financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

   In preparing the standalone financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

**Auditor's Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements**

7. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the standalone financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these standalone financial statements.

   As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

   - Identify and assess the risks of material misstatement of the standalone financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

   - Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

   - Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the standalone financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the bank to cease to continue as a going concern.

   - Evaluate the overall presentation, structure and content of the standalone financial statements, including the disclosures, and whether the standalone financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

     Materiality is the magnitude of the misstatements in the standalone financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatement in the financial statements.

     We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the standalone financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

**Other matters:**

8. We did not audit the financial statements of 2,458 branches included in the standalone financial statements of the Bank whose financial statements reflect total assets of Rs. 365,60,19,844 (in '000) as at 31 March 2019 and total revenue of Rs. 38,17,80,379 (in '000) for the year ended on that date, as considered in the standalone financial statements. The financial statements of these branches have been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us, and in our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, are based solely on the report of such branch auditors.

   Our opinion is not modified in respect of this matter.

   **Report on Other Legal and Regulatory Requirements**

9. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949

10. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs 6 to 8 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

    a. We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory

    b. The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and

    c. The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

**11. We further report that:**

a. in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us;

b. the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flows Statement dealt with by this report are in agreement with the

books of account and with the returns received from the branches not visited by us;

c. the reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and

d. In our opinion, the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flows Statement comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.

**For S. Bhandari & Co.**
Chartered Accountants
FRN: 000560C

**P P Pareek**
Partner
Membership No.071213

**For C N K & Associates LLP**
Chartered Accountants
FRN: 101961W/ W-100036

**Suresh S. Agaskar**
Partner
Membership No. 110321

**For Kirtane & Pandit LLP**
Chartered Accountants
FRN: 105215W/ W-100057

**S B Bhagwat**
Partner
Membership No.008072

**For R S Patel & Co.**
Chartered Accountants
FRN: 107758W

**Rajan B Shah**
Partner
Membership No.101998

**For M G B & Co. LLP**
Chartered Accountants
FRN: 101169W/ W-100035

**Sanjay Kothari**
Partner
Membership No.048215

**For B M Chatrath & Co. LLP**
Chartered Accountants
FRN: 301011E/E300025

**Anand Chatrath**
Partner
Membership No. 052975

Place: Mumbai
Date: 14th May, 2019

# STANDALONE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2019

(₹ in 000')

| Particulars | Schedule Number | As on 31st March 2019 | As on 31st March 2018 |
|---|---|---|---|
| **CAPITAL AND LIABILITIES** | | | |
| Capital | 1 | **17,63,01,63** | 11,68,57,34 |
| Reserves and Surplus | 2 | **2,47,23,99,11** | 2,39,28,19,78 |
| Deposits | 3 | **41,59,15,26,95** | 40,85,01,63,57 |
| Borrowings | 4 | **4,28,63,82,49** | 4,56,80,76,81 |
| Other Liabilities and Provisions | 5 | **87,72,74,04** | 81,00,91,34 |
| **TOTAL** | | **49,40,38,84,22** | 48,73,80,08,84 |
| **ASSETS** | | | |
| Cash and Balances with Reserve Bank of India | 6 | **2,07,96,46,37** | 2,10,16,46,93 |
| Balances with Banks and Money at Call and Short Notice | 7 | **2,22,49,51,00** | 2,84,24,72,51 |
| Investments | 8 | **12,60,46,64,26** | 12,37,54,21,73 |
| Advances | 9 | **29,69,32,15,30** | 28,87,60,58,25 |
| Fixed Assets | 10 | **37,62,29,28** | 38,33,33,28 |
| Other Assets | 11 | **2,42,51,78,01** | 2,15,90,76,14 |
| **TOTAL** | | **49,40,38,84,22** | 48,73,80,08,84 |
| Contingent Liabilities | 12 | **19,84,05,69,68** | 26,65,73,93,23 |
| Bills for Collection | | **1,94,41,23,06** | 1,84,27,08,88 |
| Significant Accounting Policies | 17 | | |
| Notes to Accounts | 18 | | |

The Schedules referred to above form an integral part of the Standalone Balance Sheet

**(DHIRENDRA JAIN)**
Deputy General Manager

**(B. SREENIVASA RAO)**
General Manager & CFO

For and on behalf of the Bord of Directors

**(MANAS RANJAN BISWAL)**
Executive Director

**(DINESH KUMAR GARG)**
Executive Director

**(GOPAL SINGH GUSAIN)**
Executive Director

**(RAJ KIRAN RAI G.)**
Managing Director & CEO

**(KEWAL HANDA)**
Chairman

**(DR. MADNESH KUMAR MISHRA)**
Director

**(ARUN KUMAR SINGH)**
Director

**(RAJIV KUMAR SINGH)**
Director

**(DR. MADHURA SWAMINATHAN)**
Director

**(DR. UTTAM KUMAR SARKAR)**
Director

**(K.KADIRESAN)**
Director

**(JAYADEV M.)**
Director

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED.

**FOR S BHANDARI & CO.**
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO. 000560C

**(P. P. PAREEK )**
PARTNER
(M.NO. 071213)

**FOR C N K & ASSOCIATES LLP**
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO.101961W/W-100036

**(SURESH S. AGASKAR)**
PARTNER
(M.NO.110321)

**FOR KIRTANE & PANDIT LLP**
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO.105215W/W-100057

**(S B BHAGWAT )**
PARTNER
(M.NO.008072)

**FOR R S PATEL & CO.**
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO.107758W

**(RAJAN B SHAH)**
PARTNER
(M.NO.101998)

**FOR M G B & CO. LLP**
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO. 101169W/W-100035

**(SANJAY KOTHARI)**
PARTNER
(M.NO. 048215)

**FOR B M CHATRATH & CO LLP**
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO. 301011E/E300025

**(ANAND CHATRATH)**
PARTNER
(M.NO. 052975)

PLACE : MUMBAI
Date : 14th MAY, 2019

# STANDALONE PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2019

(₹ in 000')

| Particulars | Schedule Number | For the Year Ended 31st March 2019 | For the Year Ended 31st March 2018 |
|---|---|---|---|
| **I. INCOME** | | | |
| Interest Earned | 13 | **3,40,66,65,89** | 3,27,47,99,92 |
| Other Income | 14 | **44,73,94,67** | 49,89,86,84 |
| **TOTAL** | | **3,85,40,60,56** | 3,77,37,86,76 |
| **II. EXPENDITURE** | | | |
| Interest Expended | 15 | **2,38,51,74,82** | 2,34,43,33,60 |
| Operating Expenses | 16 | **71,67,62,54** | 66,54,95,60 |
| Provision And Contingencies | | **1,04,68,68,03** | 1,28,86,94,41 |
| **TOTAL** | | **4,14,88,05,39** | 4,29,85,23,61 |
| **III. PROFIT/(LOSS) FOR THE YEAR** | | **(29,47,44,83)** | (52,47,36,85) |
| ADD : PROFIT/(LOSS) BROUGHT FORWARD | | **(54,06,17,95)** | - |
| **TOTAL** | | **(83,53,62,79)** | (52,47,36,85) |
| **IV. APPROPRIATIONS** | | | |
| Transfer To Statutory Reserve | | **-** | - |
| Transfer To Capital Reserve | | **46,58,01** | 1,58,81,10 |
| Transer To Revenue And Other Reserves | | **-** | - |
| Transfer To Special Reserve [Sec36(I)(viii)]of the Income Tax Act,1961] | | **-** | - |
| Balance in Profit and Loss Account | | **(84,00,20,80)** | (54,06,17,95) |
| **TOTAL** | | **(83,53,62,79)** | (52,47,36,85) |
| EARNINGS PER SHARE (BASIC AND DILUTED) (FV of ₹ 10) | 18 (13) | **(25.08)** | (69.45) |
| Significant Accounting Policies | 17 | | |
| Notes To Accounts | 18 | | |

The Schedules referred to above form an integral part of the Standalone Profit and Loss Account

**(DHIRENDRA JAIN)**
Deputy General Manager

**(B. SREENIVASA RAO)**
General Manager & CFO

For and on behalf of the Bord of Directors

**(MANAS RANJAN BISWAL)**
Executive Director

**(DINESH KUMAR GARG)**
Executive Director

**(GOPAL SINGH GUSAIN)**
Executive Director

**(RAJ KIRAN RAI G.)**
Managing Director & CEO

**(KEWAL HANDA)**
Chairman

**(DR. MADNESH KUMAR MISHRA)**
Director

**(ARUN KUMAR SINGH)**
Director

**(RAJIV KUMAR SINGH)**
Director

**(DR. MADHURA SWAMINATHAN)**
Director

**(DR. UTTAM KUMAR SARKAR)**
Director

**(K.KADIRESAN)**
Director

**(JAYADEV M.)**
Director

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED.

**FOR S BHANDARI & CO.**
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO. 000560C

**FOR C N K & ASSOCIATES LLP**
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO.101961W/W-100036

**FOR KIRTANE & PANDIT LLP**
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO.105215W/W-100057

**(P. P. PAREEK )**
PARTNER
(M.NO. 071213)

**(SURESH S. AGASKAR)**
PARTNER
(M.NO.110321)

**(S B BHAGWAT )**
PARTNER
(M.NO.008072)

**FOR R S PATEL & CO.**
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO.107758W

**FOR M G B & CO. LLP**
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO. 101169W/W-100035

**FOR B M CHATRATH & CO LLP**
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO. 301011E/E300025

**(RAJAN B SHAH)**
PARTNER
(M.NO.101998)

**(SANJAY KOTHARI)**
PARTNER
(M.NO. 048215)

**(ANAND CHATRATH)**
PARTNER
(M.NO. 052975)

PLACE : MUMBAI
Date : 14th MAY, 2019

# SCHEDULES FORMING PART OF THE STANDALONE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2019

(₹ in 000')

| | As on 31st March 2019 | | As on 31st March 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| **SCHEDULE 1 - CAPITAL :** | | | | |
| **I. Authorised :** | | | | |
| 300,00,00,000 Equity Shares of Rs.10 each | | **30,00,00,00** | | 30,00,00,00 |
| (Previous Year 300,00,00,000 Equity Shares of Rs.10 each) | | | | |
| **II. Issued, Subscribed & Paid up :** | | | | |
| i. 1,30,94,77,239 Equity Shares of Rs.10 each, held by Central Government | | **13,09,47,72** | | 7,87,91,46 |
| (Previous Year 78,79,14,600 Equity Shares) | | | | |
| ii. 4,53,53,90,75 Equity Shares of Rs.10 each, held by Public | | **4,53,53,91** | | 3,80,65,88 |
| (Previous Year 38,06,58,800 Equity Shares) | | | | |
| **TOTAL** | | **17,63,01,63** | | 11,68,57,34 |
| **SCHEDULE 2 - RESERVES & SURPLUS :** | | | | |
| I. Statutory Reserve : | | | | |
| As per last Balance Sheet | **66,70,61,10** | | 66,70,61,10 | |
| Addition during the year | **-** | **66,70,61,10** | - | 66,70,61,10 |
| II. Capital Reserve : | | | | |
| As per last Balance Sheet | **12,38,37,60** | | 10,79,56,50 | |
| Addition during the year | **46,58,01** | **12,84,95,61** | 1,58,81,10 | 12,38,37,60 |
| III. Revaluation Reserve : | | | | |
| As per last Balance Sheet | **23,41,87,75** | | 24,56,79,77 | |
| Addition during the year | **-** | | - | |
| Deduction during the year | **1,07,06,75** | **22,34,81,00** | 1,14,92,02 | 23,41,87,75 |
| IV. Share Premium : | | | | |
| As per last Balance Sheet | **1,10,50,43,72** | | 44,84,37,91 | |
| Addition during the year | **40,85,87,75** | | 65,83,86,77 | |
| Deduction during the year | **6,34,62** | **1,51,29,96,85** | 17,80,96 | 1,10,50,43,72 |
| V. Revenue Reserves : | | | | |
| i) Revenue and other Reserves : | | | | |
| As per last Balance Sheet | **50,20,19,80** | | 50,73,91,75 | |
| Addition during the year | **1,51,89,75** | | 3,09,20,02 | |
| Deduction during the year | **3,66,90,00** | | 3,62,91,97 | |
| **TOTAL** | **48,05,19,55** | | 50,20,19,80 | |
| ii) Special Reserve u/s Sec 36 (1) (viii) of the Income Tax Act,1961 | | | | |
| As per last Balance Sheet | **28,75,00,00** | | 28,75,00,00 | |
| Addition during the year | **-** | | - | |
| **TOTAL** | **28,75,00,00** | | 28,75,00,00 | |
| iii) Foreign Currency Translation Reserve | | | | |
| As per last Balance Sheet | **1,37,87,76** | | 1,07,48,20 | |
| Addition during the year | **2,52,30** | | 41,94,01 | |
| Deduction during the year | **16,74,26** | | 11,54,45 | |
| **TOTAL** | **1,23,65,80** | **78,03,85,35** | 1,37,87,76 | 80,33,07,56 |
| VI. Balance in Profit and Loss Account | | **(84,00,20,80)** | | (54,06,17,95) |
| **TOTAL** | | **2,47,23,99,11** | | 2,39,28,19,78 |

# SCHEDULES FORMING PART OF THE STANDALONE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2019

(₹ in 000')

| | As on 31st March 2019 | | As on 31st March 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| **SCHEDULE 3 - DEPOSITS :** | | | | |
| A) | | | | |
| **I. Demand Deposits** | | | | |
| i) From Banks | **4,89,32,22** | | 4,72,80,37 | |
| ii) From Others | **2,60,24,07,25** | **2,65,13,39,47** | 2,45,85,54,04 | 2,50,58,34,41 |
| **II. Savings Bank Deposits** | | **12,36,27,78,73** | | 11,41,82,88,41 |
| **III. Term Deposits** | | | | |
| i) From Banks | **49,38,53,26** | | 65,64,72,87 | |
| ii) From Others | **26,08,35,55,49** | **26,57,74,08,75** | 26,26,95,67,88 | 26,92,60,40,75 |
| **TOTAL** | | **41,59,15,26,95** | | 40,85,01,63,57 |
| B) | | | | |
| i) Deposits of branches in India | | **41,30,99,22,20** | | 40,31,96,56,55 |
| ii) Deposits of branches outside India | | **28,16,04,75** | | 53,05,07,02 |
| **TOTAL** | | **41,59,15,26,95** | | 40,85,01,63,57 |
| **SCHEDULE 4 - BORROWINGS :** | | | | |
| **A) Borrowings : Capital Instruments** | | | | |
| I. Perpetual Bonds | | **42,00,00,00** | | 45,40,00,00 |
| II. Upper Tier II Capital | | **15,00,00,00** | | 15,00,00,00 |
| III. Lower Tier II Capital | | **55,50,00,00** | | 67,50,00,00 |
| **B) Borrowings in India** | | | | |
| I. Reserve Bank of India | **90,00,00,00** | | 65,86,00,00 | |
| II. Other Banks | **-** | | - | |
| III. Other Institutions and Agencies | **43,72,44,31** | **1,33,72,44,31** | 11,96,37,90 | 77,82,37,90 |
| **C) Borrowings Outside India** | | **1,82,41,38,18** | | 2,51,08,38,91 |
| **TOTAL** | | **4,28,63,82,49** | | 4,56,80,76,81 |
| Secured Borrowings included in (B) I above | | **90,00,00,00** | | 65,86,00,00 |
| **SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS :** | | | | |
| I. Bills Payable | | **11,71,25,84** | | 12,63,61,10 |
| II. Interest Accrued | | **17,76,27,74** | | 17,45,18,43 |
| III. Others (Including Provisions) | | **58,25,20,46** | | 50,92,11,81 |
| **TOTAL** | | **87,72,74,04** | | 81,00,91,34 |
| **SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA:** | | | | |
| I. Cash in hand (including foreign currency Notes & Gold) | | **12,46,99,51** | | 12,90,34,40 |
| II. Balances with Reserve Bank of India In Current Account | | **1,95,49,46,86** | | 1,97,26,12,53 |
| **TOTAL** | | **2,07,96,46,37** | | 2,10,16,46,93 |

# SCHEDULES FORMING PART OF THE STANDALONE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2019

(₹ in 000')

| | | | As on 31st March 2019 | | As on 31st March 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE :** | | | | | | |
| **I.** | **Balances with banks in India** | | | | | |
| i) | a) | In Current Accounts | **64,77,18** | | 56,85,65 | |
| | b) | In Other Deposit Accounts | **68,96,31,77** | | 71,24,26,81 | |
| ii) | Money at Call and short notice | | | | | |
| | a) | with Banks | **75,24,92,77** | | 1,19,28,91,33 | |
| | b) | with Other Institutions | **-** | **1,44,86,01,72** | - | 1,91,10,03,79 |
| **II.** | **Outside India** | | | | | |
| i) | In Current Accounts | | **2,14,65,51** | | 4,29,34,63 | |
| ii) | In other Deposit Accounts | | **75,48,83,77** | | 87,68,99,76 | |
| iii) | Money at call & Short Notice | | **-** | **77,63,49,28** | 1,16,34,33 | 93,14,68,72 |
| | | **TOTAL** | | **2,22,49,51,00** | | 2,84,24,72,51 |
| **SCHEDULE 8 - INVESTMENTS :** | | | | | | |
| **I.** | **Investments in India** | | | | | |
| i) | Government Securities | | | **9,44,06,72,58** | | 9,73,49,04,21 |
| ii) | Shares | | | **14,71,71,38** | | 18,46,94,21 |
| iii) | Debentures and Bonds | | | **2,26,32,46,73** | | 1,94,53,59,86 |
| iv) | Subsidiaries and joint ventures / Associate | | | **2,67,31,68** | | 2,67,31,68 |
| v) | Others (Commercial Paper, Mutual Funds, Venture Capital, Security Receipt etc.) | | | **46,41,97,14** | | 23,58,43,59 |
| | | **TOTAL** | | **12,34,20,19,51** | | 12,12,75,33,55 |
| **II.** | **Investments outside India** | | | | | |
| i) | Govt. Securities (Incl. Local Auth.) | | | **15,07,85,31** | | 14,16,42,85 |
| ii) | Shares | | | **40,32** | | 40,32 |
| iii) | Other Investments (Bonds) | | | **4,68,85,62** | | 4,83,55,51 |
| iv) | Subsidiaries and Joint Ventures | | | **6,49,33,50** | | 5,78,49,50 |
| | | **TOTAL** | | **26,26,44,75** | | 24,78,88,18 |
| | | **TOTAL** | | **12,60,46,64,26** | | 12,37,54,21,73 |
| **III.** | **i)** | **Investments in India** | | | | |
| | | Gross Value | | **12,57,82,16,26** | | 12,40,19,17,58 |
| | | Provision for Depreciation | | **23,61,96,76** | | 27,43,84,03 |
| | | Net Value | | **12,34,20,19,50** | | 12,12,75,33,55 |
| | **ii)** | **Investments outside India** | | | | |
| | | Gross Value | | **26,32,68,86** | | 25,05,28,22 |
| | | Provision for Depreciation | | **6,24,10** | | 26,40,04 |
| | | Net Value | | **26,26,44,76** | | 24,78,88,18 |
| | | **TOTAL** | | **12,60,46,64,26** | | 12,37,54,21,73 |

# SCHEDULES FORMING PART OF THE STANDALONE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2019

(₹ in 000')

| | | As on 31st March 2019 | As on 31st March 2018 |
|---|---|---|---|
| **SCHEDULE 9 - ADVANCES (Net):** | | | |
| A. i) | Bills purchased and discounted | **44,75,22,40** | 88,93,93,48 |
| ii) | Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand | **13,15,55,76,69** | 13,24,87,82,92 |
| iii) | Term Loans | **16,09,01,16,21** | 14,73,78,81,85 |
| | **TOTAL** | **29,69,32,15,30** | 28,87,60,58,25 |
| B. i) | Secured by tangible assets (includes Advance against Book Debts) | **25,57,21,01,41** | 25,64,42,25,53 |
| ii) | Covered by Bank/Government Guarantees | **1,34,60,71,82** | 1,01,54,67,51 |
| iii) | Unsecured | **2,77,50,42,07** | 2,21,63,65,21 |
| | **TOTAL** | **29,69,32,15,30** | 28,87,60,58,25 |
| C. | Sectoral Classification of Advances | | |
| I. | Advances in India: | | |
| i) | Priority Sector | **11,56,08,32,12** | 11,05,56,83,14 |
| ii) | Public Sector | **2,89,24,65,43** | 2,50,78,14,78 |
| iii) | Banks | **19,00,18,38** | 3,17 |
| iv) | Others | **13,65,98,49,59** | 12,92,07,32,46 |
| | **TOTAL** | **28,30,31,65,52** | 26,48,42,33,55 |
| II. | Advances Outside India: | | |
| i) | Due From Banks | **24,11,89,98** | 72,82,29,73 |
| ii) | Due from Others | **-** | - |
| a) | Bills Purchased and Discounted | **6,91,25,00** | 58,62,42,36 |
| b) | Syndicated loans | **2,26,66,68** | 2,23,98,63 |
| c) | Others | **1,05,70,68,12** | 1,05,49,53,98 |
| | **TOTAL** | **1,39,00,49,78** | 2,39,18,24,70 |
| | **TOTAL** | **29,69,32,15,30** | 28,87,60,58,25 |

**SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **A.** | **TANGIBLE ASSETS** | | | | |
| **I.** | **Premises** | | | | |
| | At cost/valuation as per last Balance Sheet | **38,32,05,10** | | 37,98,39,04 | |
| | Additions during the year | **40,03,30** | | 33,66,06 | |
| | Deduction during the year | **5,87,80** | | - | |
| | | **38,66,20,60** | | 38,32,05,10 | |
| | Less: Depreciation till date | **11,04,29,83** | **27,61,90,77** | 9,70,44,95 | 28,61,60,15 |
| **II.** | **Capital Work in Progress** | | | | |
| | At cost as per last Balance Sheet | **33,49,18** | | 20,93,38 | |
| | Additions during the year | **25,94,14** | | 27,17,73 | |
| | Deductions during the year | **15,86,44** | **43,56,88** | 14,61,93 | 33,49,18 |
| **III.** | **Land** | | | | |
| | At cost as per last Balance Sheet | **69,53,13** | | 76,30,34 | |
| | Additions during the year | **1,07** | | - | |
| | Deductions during the year | **-** | | 6,77,21 | |
| | | **69,54,20** | | 69,53,13 | |
| | Less : Depreciation till date | **6,21,92** | **63,32,28** | 5,44,15 | 64,08,98 |

# SCHEDULES FORMING PART OF THE STANDALONE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2019

(₹ in 000')

| | As on 31st March 2019 | | As on 31st March 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| **IV. Other Fixed Assets (including Furniture and Fixtures)** | | | | |
| **a) Assets given on lease** | | | | |
| At cost as per last Balance Sheet | **26,53,52** | | 26,53,52 | |
| Less: Depreciation till date | **26,53,52** | **-** | 26,53,52 | - |
| **b) Others** | | | | |
| At cost/valuation as per last Balance Sheet | **25,94,13,20** | | 24,01,48,69 | |
| Additions during the year | **2,35,61,96** | | 2,50,78,69 | |
| Deductions during the year | **38,99,80** | | 58,14,18 | |
| | **27,90,75,36** | | 25,94,13,20 | |
| Less: Depreciation till date | **19,26,79,59** | **8,63,95,77** | 17,49,91,40 | 8,44,21,80 |
| **B. INTANGIBLE ASSETS** | | | | |
| **Computer Software** | | | | |
| At cost as per last Balance Sheet | **2,33,48,89** | | 2,15,22,52 | |
| Additions during the year | **24,06,54** | | 26,91,37 | |
| Deduction during the Year | **25,35** | | 8,65,00 | |
| | **2,57,30,08** | | 2,33,48,89 | |
| Amortisation till date | **2,27,76,50** | **29,53,58** | 2,03,55,71 | 29,93,18 |
| **TOTAL** | | **37,62,29,28** | | 38,33,33,28 |
| **SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS :** | | | | |
| I. Inter-Office Adjustments (Net) | | **11,21,09,82** | | 2,17,67,38 |
| II. Interest Accrued | | **24,37,74,08** | | 35,29,57,86 |
| III. Deferred Tax Assets (Net) | | **51,72,08,00** | | 41,92,87,00 |
| IV. Stationery and stamps | | **3,72,93** | | 3,89,64 |
| V. Non-Banking assets acquired in satisfaction of claims | | **3,90** | | 3,90 |
| VI. Others | | **1,22,75,39,89** | | 1,36,46,70,36 |
| VII. Tax Paid/ Tax deducted at source (Net of provision) | | **32,41,69,39** | | - |
| **TOTAL** | | **2,42,51,78,01** | | 2,15,90,76,14 |
| **SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES :** | | | | |
| I. Claims against the Bank not acknowledged as debts | | **31,04,97,29** | | 34,42,10,19 |
| II. Liability for partly paid Investments | | **59,20** | | 59,20 |
| III. Liability on account of outstanding Forward Exchange Contracts | | **12,08,20,14,42** | | 18,36,90,35,19 |
| IV. Guarantees given on behalf of Constituents | | | | |
| a) In India | **3,57,75,82,53** | | 3,94,10,11,51 | |
| b) Outside India | **6,20,84,91** | **3,63,96,67,43** | 3,55,36,11 | 3,97,65,47,62 |
| V. Acceptances, endorsements and other obligations | | **3,34,54,65,14** | | 3,56,43,82,59 |
| VI. Disputed Tax demands under appeals | | **34,82,45,20** | | 30,57,81,44 |
| VII. Amout transferred to DEAF Scheme 2014 | | **11,46,21,00** | | 9,73,77,00 |
| **TOTAL** | | **19,84,05,69,68** | | 26,65,73,93,23 |

# SCHEDULES FORMING PART OF THE STANDLONE PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2019

(₹ in 000')

| | | For the Year Ended 31st March 2019 | For the Year Ended 31st March 2018 |
|---|---|---|---|
| **SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED :** | | | |
| I. | Interest/Discount on advances/bills | **2,37,71,92,10** | 2,27,72,97,52 |
| II. | Income on Investments | **90,03,34,27** | 87,79,96,52 |
| III. | Interest on balances with Reserve Bank of India & other inter bank funds | **12,01,27,26** | 11,39,37,36 |
| IV. | Others | **90,12,26** | 55,68,52 |
| | **TOTAL** | **3,40,66,65,89** | 3,27,47,99,92 |
| **SCHEDULE 14 - OTHER INCOME :** | | | |
| I. | Commission, Exchange and Brokerage | **6,00,05,65** | 5,21,81,71 |
| II. | Profit on sale of investments (Net) | **5,73,71,92** | 12,66,34,08 |
| III. | Profit / (Loss) on sale of Fixed Assets (Net) | **2,96,50** | (8,46,59) |
| IV. | Profit on exchange transactions (Net) | **5,64,90,40** | 8,92,52,90 |
| V. | Miscellaneous Income | **27,32,30,20** | 23,17,64,74 |
| | **TOTAL** | **44,73,94,67** | 49,89,86,84 |
| **SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED :** | | | |
| I. | Interest on Deposits | **2,20,89,16,73** | 2,15,56,15,63 |
| II. | Interest on Reserve Bank of India/Inter-bank borrowing | **8,54,46,55** | 8,52,92,82 |
| III. | Others | **9,08,11,54** | 10,34,25,15 |
| | **TOTAL** | **2,38,51,74,82** | 2,34,43,33,60 |
| **SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES :** | | | |
| I. | Payments to and provisions for employees | **31,50,92,85** | 31,55,23,36 |
| II. | Rent, Taxes and Lighting | **6,03,02,53** | 5,64,39,34 |
| III. | Printing and Stationery | **53,72,02** | 56,57,48 |
| IV. | Advertisement and Publicity | **47,64,85** | 56,93,65 |
| V. | Depreciation on Bank's property | **3,68,03,94** | 3,62,71,11 |
| VI. | Directors' fees, allowances and expenses | **1,10,38** | 88,18 |
| VII. | Remuneration to Managing/Executive Director | **1,05,89** | 1,04,63 |
| VIII. | Auditors' fees and expenses(including branch auditors) | **49,11,16** | 54,34,39 |
| IX. | Law Charges | **47,40,27** | 36,97,84 |
| X. | Postage, Telegrams, Telephones, etc. | **1,21,85,47** | 93,70,07 |
| XI. | Repairs and maintenance | **1,18,91,84** | 1,17,76,11 |
| XII. | Insurance | **4,32,84,43** | 3,93,17,38 |
| XIII. | Other expenditure | **21,71,96,91** | 17,61,22,06 |
| | **TOTAL** | **71,67,62,54** | 66,54,95,60 |

# SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR 2018-2019

## SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES: SCHEDULE 17

**1. Basis of Preparation**

The financial statements have been prepared and presented under the historical cost convention and accrual basis of accounting, unless otherwise stated and are in accordance with Generally Accepted Accounting Principles in India (Indian GAAP), statutory requirements prescribed under the Banking Regulation Act, 1949, circulars and guidelines issued by Reserve Bank of India (RBI) from time to time and the Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) to the extent applicable and practices generally prevalent in the banking industry in India. In respect of foreign offices, statutory provisions and practices prevailing in foreign countries are complied with.

**2. Use of Estimates**

The preparation of financial statements in conformity with GAAP requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of Assets and Liabilities (including Contingent Liabilities) as of the date of the financial statements and the reported Income and the Expenses during the reporting period. Management believes that the estimates wherever used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Actual results can differ from these estimates. Any revision in the accounting estimates is recognized prospectively in the current and future period.

**3. Revenue Recognition**

i) Income and Expenditure have been accounted for on accrual basis unless otherwise stated.

ii) Income on Non-Performing Assets (NPAs) is recognized to the extent realized as per the prudential norms prescribed by the RBI. Income accounted for in the preceding year and remaining unrealized is derecognized in respect of assets classified as NPAs during the year.

iii) Bank commission, exchange and brokerage earned (including Third Party Product's income), rent on Safe Deposit Lockers, commission on biometric cards, income from Aadhaar cards etc. are accounted for on realization basis.

iv) Income (Other than interest) on investments in "Held to Maturity" (HTM) category acquired at discount to the face value is recognized as follows:

a) On interest bearing securities, it is recognized only at the time of sale/ redemption.

b) On Zero- coupon securities, it is accounted for over the balance tenor of the securities on a constant yield basis.

v) Dividend is accounted on accrual basis where the right to receive the dividend is established.

vi) Sale of NPAs accounted in terms of extant RBI guidelines.

vii) The interest expenditure incurred towards payment of Interest of AT-1 bonds is booked through statement of Profit & Loss. Reserve Bank of India through Circular No DBR.DP.BC.No.50/21.06.201/2016-17 dated February 02, 2017. It is mentioned that "Coupons must be paid out of 'distributable items'. In this context, coupon may be paid out of current year profits. However, the guidelines further allows that if current year profits are not sufficient, coupons may be paid subject to availability of :

(i) Profits brought from previous years, and/or

(ii) Reserves representing appropriation of net profits, including statutory reserves, and excluding share premium, revaluation reserve, foreign exchange currency translation reserve, investment reserve and reserves created on amalgamation.

Therefore in case of insufficiency of profits of the current year, the coupons may also be paid by debit to reserves as stated above.

**4. Cash and Cash equivalents**

Cash and Cash equivalents include Cash in hand, Balances with RBI, Balances with other Banks and Money at call and short notice.

**5. Investments**

i) In conformity with the requirements in form A of the Third Schedule to the Banking Regulations Act, 1949, Investments are classified as under:

a) Government Securities

b) Other Approved Securities

c) Shares

d) Debentures & Bonds

e) Investments in Subsidiaries, Associates & Joint Ventures and

f) Other Investments

The Investment portfolio of the Bank is further classified in accordance with the RBI guidelines contained in Master Circular DBR.No.BP.BC.6/21.04.141 /2015-16 dated 1st July 2015 into three categories viz.,

a) Held to Maturity (HTM)

b) Available for Sale (AFS)

c) Held for Trading (HFT)

ii) As per RBI guidelines, the following principles have been adopted for the purpose of valuation

a) Securities held in "HTM" – at acquisition cost.

i) The excess of acquisition cost over the face value is amortized over the remaining period of maturity and in case of discount; it is not recognized as income.

ii) Investments in Regional Rural Banks are valued at carrying cost.

iii) Investments in Subsidiaries and Joint Ventures are valued at cost.

iv) Diminution other than temporary, if any, in valuation of such investments is provided for.

b) Securities held in "AFS" and "HFT" categories

i) Securities held in "AFS" and "HFT" categories are valued classification wise and scrip-wise and net depreciation, if any, in each classification is charged to Profit & Loss account while net appreciation, if any, is ignored.

ii) Valuation of securities is arrived at as follows:

| | | |
|---|---|---|
| a | Govt. of India Securities | As per quotations put out by Fixed Income Money Market and Derivatives Association (FIMMDA) |
| b | State Development Loans, Securities guaranteed by Central / State Government, PSU Bonds | On appropriate yield to maturity basis as per FIMMDA guidelines |
| c | Equity Shares | As per market rates, if quoted, otherwise at Book value, as per latest Audited Balance Sheet (not more than 1 year old). In the absence of both, at Rs 1/- per Company. |
| d | Preference Shares | As per market rates, if quoted, or on appropriate yield to maturity basis not exceeding redemption value as per FIMMDA guidelines |
| e | Debentures/Bonds | As per market rates, if quoted, otherwise on appropriate yield to maturity basis as per FIMMDA guidelines. |
| f | Mutual Funds(MF) | As per stock exchange quotations, if quoted. In case of unquoted units, as per latest Repurchase price declared by concerned MF. In cases where latest repurchase price is not available, as per Net Asset Value (NAV) |
| g | Treasury Bills / Certificate of Deposits / Commercial Papers | At carrying cost |
| h | Venture Capital Funds (VCF) | At declared NAV or Breakup NAV as per audited Balance Sheet which is not more than 18 months old. If NAV / audited financial statements are not available for more than 18 months continuously, at Rs 1/- per VCF |
| i | Security Receipts | At NAV as declared by Securitization Companies |

iii) Interbank Repo/Reverse Repo transactions are accounted for in accordance with extant RBI guidelines.

iv) As per the extant RBI guidelines, the shifting of securities from one category to another is accounted for as follows:

a) From AFS/HFT categories to HTM category, at lower of book value or market value as on the date of shifting. Depreciation, if any, is fully provided for.

b) From HTM category to AFS/HFT category,

i) If the security is originally placed at discount in HTM category, at acquisition cost / book value.

ii) If the security is originally placed at a premium, at amortized cost.

The securities so shifted are revalued immediately and resultant depreciation is fully provided for.

c) From AFS to HFT category and vice versa, at book value.

v) The non-performing investments are identified and

depreciation / provision is made as per the extant RBI guidelines.

vi) Profit / Loss on sale of investments in any category are taken to the Profit & Loss account. However, in case of profit on sale of investments in "HTM" category, an equivalent amount (net of taxes and net of transfer to Statutory Reserves) is appropriated to the Capital Reserve account.

vii) Commission, brokerage, broken period interest, etc on securities is debited / credited to Profit & Loss Account.

viii) As per the extant RBI guidelines, the Bank follows 'Settlement Date' for accounting of investments transactions.

**6. Derivative Contracts**

a) The Interest Rate Swap which hedges interest bearing Asset or Liability are accounted for in the financial statements on accrual basis except the swap designated with an Asset or Liability that is carried at market value or lower of cost or market value. Gains or losses on the termination of swaps are recognized over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the Asset / Liability.

b) Trading swap transactions are marked to market with changes recorded in the financial statements.

c) In the case of option contracts, guidelines issued by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) from time to time for recognition of income, premium and discount are being followed.

**7. Advances**

i) All advances are classified under four categories:

a) Standard, b) Sub-standard, c) Doubtful and d) Loss assets. Provisions required on such advances are made as per the extant prudential norms issued by the RBI in terms of Master Circular DBR.BP.BC No.2/21.04.048/2015-16 dated 01st July 2015 as under:

ii) Loans and Advances are classified as performing and non-performing, based on the guidelines issued by the RBI. Loan Assets become Non-Performing Assets (NPAs) where:

a) In respect of term loans, interest and/or installment of principal remains overdue for a period of more than 90 days;

b) In respect of Overdraft or Cash Credit advances, the account remains "out of order", i.e. if the outstanding balance exceeds the sanctioned limit/ drawing power continuously for a period of 90 days, or if there are no credits continuously for 90 days as on the date of balance-sheet, or if the credits are not adequate to cover the interest due during the same period

c) In respect of bills purchased/discounted, the bill remains overdue for a period of more than 90 days;

d) In respect of agricultural advances for short duration crops, where the installment of principal or interest remains overdue for two crop seasons.

e) In respect of agricultural advances for long duration crops, where the principal or interest remains overdue for one crop season.

f) In respect of MSME accounts where RBI dispensation benefit is passed on, the bank will adhere to Income Recognition norms as spelt out in RBI Circular DBR.No.BP.BC.100/21.04.048/2017-18 dated 7th February, 2018 and DBR.No.BP.BC.108/21.04.048/2017-18 dated 6th June, 2018.

g) In respect of MSME accounts which will be restructured in terms of RBI Circular DBR.No.BP.BC.18/21.04.048/2018-19 dated 1st January, 2019 and kept in standard category, the bank shall maintain a provision of 5% in addition to the provision already held. Reversal of said provision shall be made in accordance with the said circular.

iii) NPAs are classified into Sub-Standard, Doubtful and Loss Assets, based on the following criteria stipulated by RBI:

a) Sub-standard: A loan asset that has remained nonperforming for a period less than or equal to 12 months,

b) Doubtful: A loan asset that has remained in the sub-standard category for a period of 12 months,

c) Loss: A loan asset where loss has been identified but the amount has not been fully written off.

iv) Provisions are made for NPAs as per the extant guidelines prescribed by the regulatory authorities, subject to minimum provisions as prescribed below:

| | |
|---|---|
| Sub-Standard Assets: | i. A general of 15% of the total outstanding<br>ii. Additional provision of 10% for exposures which are unsecured ab-initio<br>iii. Unsecured Exposure in respect of infrastructure loan accounts where certain safeguards such as escrow accounts are available - 20% |
| Doubtful-Secured Portion | i. Upto one year – 25%<br>ii. One to three years – 40%<br>iii. More than three years – 100% |
| Doubtful-Unsecured Portion | 100% |
| Loss Asset | 100% |

v) Advances are stated net of specific loan loss provisions, Counter cyclical provisioning buffer, Provision for diminution in fair value of restructured advances and unrecovered interest held in Sundry /claims received from Credit Guarantee Trust Fund (CGTF) / Export Credit Guarantee Corporation (ECGC) relating to non-performing assets.

vi) In respect of foreign offices, classification of loans and advances and provisions for NPAs are made as per the local regulations or as per the norms of RBI, whichever is more stringent.

vii) For restructured/rescheduled assets, provisions are made in accordance with the guidelines issued by the RBI, which require that the difference between the fair value of the loan before and after restructuring is provided for, in addition to provision for NPAs.

viii) In the case of loan accounts classified as NPAs, an account may be reclassified as a performing asset if it conforms to the guidelines prescribed by the regulators.

ix) Amounts recovered against debts written off in earlier years are recognised as revenue in the year of recovery.

x) The general provision on Standard Advances is held in "Other Liabilities and Provisions" reflected in schedule 5 of the Balance Sheet and is not considered for arriving at both net NPAs and net advances.

**8. Fixed Assets, Depreciation and Amortsation**

i) Fixed Assets are stated at cost less accumulated depreciation as adjusted for impairment, if any. Cost includes cost of purchase and all expenditure like site preparation, installation costs and professional fees incurred on the asset before it is ready to use. Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalized only when it increases the future benefit/ functioning capability from/of such assets. Land and Buildings, if revalued are stated at revalued amount. The appreciation on revaluation is credited to Revaluation Reserve without routing through Profit & Loss Account.

Pursuant to revised Accounting Standard 10 – Property Plant & Equipment, in respect of revalued assets, the additional depreciation consequent to revaluation is transferred from Revaluation Reserve to Revenue Reserve in the Balance Sheet.

ii) Application Software is capitalized and clubbed under Intangible assets. Depreciation on Computers and Software forming an integral part of Computer hardware and on ATM is provided on Straight Line Method (SLM) at the rate of 33.33% as per the guidelines of RBI.

iii) Depreciation on Fixed Assets is provided for on the written down value method at the rates considered appropriate by the management as under:

| | Type of Asset | Rate of Depreciation |
|---|---|---|
| I. | Premises | 5 % |
| II. | Other Fixed Assets | |
| | - Furniture and Fittings | 10 % |
| | - Electric Fittings and Equipment, Office Appliances and SDV Lockers/ Strong rooms etc. | 15 % |
| | - Transport Vehicles | 20 % |
| | - Uninterrupted Power Supply Equipments(UPS) | 33.33 % |
| III. | Amount added consequent upon revaluation of the assets | Applicable rate for the asset type, over the residual economic life of the respective assets |

iv) Depreciation on additions to assets made upto 30th September of the year is provided at full rate and on additions made thereafter, at half the rate.

v) Depreciation on premises is provided on composite cost, wherever the value of Land and Buildings is not separately identifiable.

vi) No depreciation is provided on assets sold / disposed off during the year.

vii) Depreciation on Leased assets and Leasehold improvements is recognized on a straight-line basis using rates determined with reference to the primary period of lease.

**9. Impairment of Assets**

The carrying costs of assets are reviewed at each Balance sheet date if there is any indication of impairment based on internal/external factors. An impairment loss is recognized wherever the carrying cost of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the greater

of the assets net selling price and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and risks specific to the asset. After impairment, depreciation is provided on the revised carrying cost of the asset over its remaining useful life. A previously recognized impairment loss is increased or reversed depending on changes in circumstances. However, the carrying value after reversal is not increased beyond the carrying value that would have prevailed by charging usual depreciation if there was no impairment.

**10. Counter Cyclical Provisioning Buffer**

The Bank has a policy of creation and utilization of Counter Cyclical Provisioning Buffer separately for Advances and Investments. The quantum of provision to be created is assessed at the end of each financial year. The counter Cyclical Provisions are utilized only for contingencies under extra ordinary circumstances specified in the policy with prior permission of the RBI.

**11. Transactions involving Foreign Exchange**

Accounting for transactions involving foreign exchange is done in accordance with AS 11, (The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates), issued by the ICAI. As stipulated in AS 11, the foreign currency operations of the Bank are classified as

**a) Integral Operations and**
**b) Non Integral Operations.**

All Overseas Branches, Offshore Banking Units, Overseas Subsidiaries are treated as Non Integral Operations and domestic operations in foreign exchange and Representative Offices are treated as Integral Operations.

**a. Translation in respect of Integral Operations**

i) Income and Expenditure items are recognized at the exchange rates prevailing on the date of the transaction.

ii) Foreign Currency Monetary and Non-Monetary Assets and Liabilities are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter.

iii) Contingent liabilities on account of guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are stated at the exchange rates notified by FEDAI at the close of the year

iv) The resulting exchange differences are recognized as income or expenses and are accounted through Profit and Loss Account.

v) Forward exchange contracts are recorded at the exchange rate prevailing on the date of commitment. Outstanding forward exchange contracts are revalued at the exchange rates notified by FEDAI for specified maturities and at interpolated rates for contracts of 'in-between' maturities. The resultant gains or losses are recognized in the Profit and Loss account.

**b. Translation in respect of Non Integral Operations**

i) Assets and Liabilities (including contingent liabilities) are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter

ii) Foreign Exchange Spot and Forwards contingent liabilities outstanding as at the balance sheet date are translated at the closing spot and forward rates respectively notified by FEDAI and at interpolated rates for contracts of interim maturities.

iii) Income and Expense are translated at quarterly average rate notified by FEDAI at the end of each quarter.

iv) The resulting exchange differences are not recognized as income or expense for the period but accumulated in a separate account "Foreign Currency Translation Reserve" till the disposal of the net investment.

**12. Employee Benefits**

Retirement benefit in the form of Provident Fund is a defined contribution scheme. The contributions to the Provident Fund are charged to the Profit & Loss account for the year when the contributions are due. The Bank has no obligation other than the contribution payable to the Provident Fund.

Gratuity, Pension and provision towards Leave are defined benefit obligations, and are provided for on the basis of an actuarial valuation as per Accounting Standard-15 (Revised) "Employee Benefit" issued by the Institute of Chartered Accountants of India, made at the end of each financial year, based on the projected unit credit method. Actuarial gains/ losses are immediately taken to the Profit & Loss account. New Pension Scheme is applicable to employees who joined the Bank on or after 01.04.2010 is a defined contribution scheme.

Bank pays fixed contribution at predetermined rate and the obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit & Loss account. Employee benefits relating to employees employed at foreign offices are valued and accounted for as per the local laws/regulations of the respective countries.

**13. Segment Reporting**

The Bank recognizes the Business segment as the Primary reporting segment and Geographical segment as the Secondary reporting segment, in accordance with the RBI guidelines. In compliance with the Accounting Standard-17 "Segment Reporting" issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Business segments are classified into

i) Treasury Operations,

ii) Corporate and Wholesale Banking,

iii) Retail Banking Operations and

iv) Other Banking Operations.

**14. Lease Transactions**

Lease payments for Assets taken on operating lease are amortized over the lease term. The properties taken on lease/rental basis are renewable / cancellable at the option of the Bank. The Bank's liabilities in respect of disputes pertaining to additional rent / lease rent are recognized on settlement or on renewal.

**15. Earnings per Share**

Earnings per Share is calculated by dividing the net Profit or Loss (after tax) for the year attributable to the Equity share holders by the weighted average number of Equity shares outstanding during the year. Diluted earnings per share reflect the potential dilution that could occur if contracts to issue Equity shares were exercised or converted during the year. Diluted earnings per Equity share is calculated by using the weighted average number of Equity shares and dilutive potential Equity shares outstanding as at the year-end.

**16. Taxation**

Provision for Tax is made for both current and deferred taxes. Current tax is provided on the taxable income using applicable tax rate and tax laws. Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognized using the tax rates and the tax laws that have been enacted or substantively enacted till the date of the Balance Sheet. Deferred Tax Assets are not recognized unless there is 'reasonable certainty' that sufficient future taxable income will be available against which such Deferred Tax Assets will be realized. In case of carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses, Deferred Tax Assets are recognized only if there is "virtual certainty".

**17. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets**

As per AS 29 (Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets) issued by the ICAI, the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made. Contingent Assets are not recognized in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realized.

**18. Share Issue Expenses:**

Share Issue expenses are charged to the Share Premium account.

# SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR 2018-2019

**SCHEDULE 18 – NOTES TO ACCOUNTS:**

**1. DISCLOSURES IN TERMS OF THE RESERVE BANK OF INDIA GUIDELINES**

**1.1 CAPITAL**

The Bank is subjected to Basel III capital adequacy guidelines stipulated by RBI with effect from April 1, 2013. The guidelines provide a transition schedule for Basel III implementation till March 31, 2019. As per guidelines, the Tier I capital is made up of Common Equity Tier I (CET I) and Additional Tier I.

Basel III guidelines require the Bank to maintain minimum capital to Risk Weighted Assets ratio (CRAR) of 10.875% with minimum CET I of 7.375% (inclusive of Capital Conservation Buffer of 1.875%) and minimum Tier I CRAR OF 8.875% as at March 31, 2019.

The computation of Capital Adequacy as per the framework is indicated below:

| Sr. No. | Particulars | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|---|---|---|---|
| i) | Common Equity Tier 1 Capital ratio (CET 1) (%) Basel III | 8.02 | 7.56 |
| ii) | Tier I Capital ratio (%) Basel III | 9.48 | 9.03 |
| iii) | Tier II Capital ratio (%) Basel III | 2.30 | 2.43 |
| iv) | Total Capital ratio (CRAR) (%) Basel III | 11.78 | 11.46 |
| v) | Percentage of the shareholding of the Government of India (%) | 74.27 | 67.43 |
| vi) | Amount of Equity Capital raised : (Rs in crore) | 46,80.32 | 70,65 |
| vii) | Amount of Additional Tier I capital raised : (Rs in crore) | Nil | 5,00 |
| Viii) | Amount of Tier II Capital raised : (Rs in crore) | Nil | Nil |
| | *of which* Debt capital instruments : (Rs in crore) | Nil | Nil |

NOTE:

1. The Government of India infused Rs. 4112 Crore for which the Bank has issued and allotted 52,15,62,658 equity shares having Face Value of Rs 10/- each at a premium of Rs. 68.84 per share, on preferential basis, to the Government of India on 28th March, 2019.
2. Further, the Bank, under Union Bank of India-Employee Share Purchase Scheme (ESPS), has raised an amount of Rs. 568.32 Crore. Under this scheme the Bank has allotted 7,28,80,275 equity shares having Face Value of Rs. 10/- each at a discount of 25% on the Floor Price of Rs. 77.98 per share.

**1.2 INVESTMENTS**

The detail of Investments and the Movement of provision held towards depreciation on investments of the Bank is given below:

(₹ in crore)

| Sr. No. | Particulars | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|---|---|---|---|
| 1 | Value of Investments | | |
| i) | Gross Value of Investments | 12,84,14.85 | 12,65,24.46 |
| | (a) In India | 12,57,82.16 | 12,40,19.18 |
| | (b) Outside India | 26,32.69 | 25,05.28 |
| ii) | Provisions for Depreciation | 23,68.21 | 27,70.25 |
| | (a) In India | 23,61.97 | 27,43.84 |
| | (b) Outside India | 6.24 | 26.41 |
| iii) | Net Value of Investments | 12,60,46.64 | 12,37,54.22 |
| | (a) In India | 12,34,20.19 | 12,12,75.34 |
| | (b) Outside India | 26,26.45 | 24,78.88 |
| 2 | Movement of provisions held towards depreciation on investments | | |
| i) | Opening balance | 27,70.25 | 11,94.22 |
| ii) | Add: Provisions made during the year | 1,78.04 | 18,49.96 |
| iii) | Less: Write-off/write-back of excess provisions during the year | 5,80.08 | 2,73.93 |
| iv) | Closing balance | 23,68.21 | 27,70.25 |

1.2 (A) REPO Transactions (In face value terms)

The following tables set forth for the periods indicated, the details of securities sold and purchased under repo and reverse repo transactions respectively including transactions under Liquidity Adjustment Facility (LAF) and Marginal Standing Facility (MSF).

(₹ in crore)

| | | Minimum outstanding during the year | Maximum outstanding during the year | Daily Average outstanding during the year | Outstanding as on 31.03.2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Securities sold under Repo | | | | |
| i) | Government securities | 8.40 | 1,00,00 | 16,11.08 | 90,00 |
| ii) | Corporate debt securities | - | - | - | - |
| B | Securities purchased under Reverse Repo | | | | |
| i) | Government securities | 4.88 | 1,43,00 | 29,69.87 | 75,24.93 |
| ii) | Corporate debt securities | - | - | - | - |

**1.2 (B) Non-SLR Investment Portfolio**

**i. Issuer composition of Non SLR Investments**

The issuer composition of investments in securities, other than government and other approved securities is given below:

(₹ in crore)

| No. | Issuer | Amount | Extent of Private Placement | Extent of Below Investment Grade Securities | Extent of Unrated Securities** | Extent of Unlisted Securities** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| i) | PSUs | 28,27.21 | 6,15.58 | - | 717.46 | 0.58 |
| ii) | FIs | 8,98.00 | 6.88 | - | - | - |
| iii) | Banks | 6,16.89 | 5,39.71 | - | - | - |
| iv) | Private Corporate | 1,08,14.45 | 39,15.20 | 92.38 | 14.52 | 36.79 |
| v) | Subsidiaries/ Joint Ventures | 9,16.65 | 9,16.65 | - | - | - |
| vi) | Others | 1,67,69.65 | 1,21,69.87 | - | - | - |
| vii) | Provision held towards depreciation | (23,58.45) | 3.93 | - | - | - |
| | **Total**** | **3,01,32.06** | **1,81,59.96** | **92.38** | **7,31.98** | **37.37** |

**(1) Total under column 3 should tally with the total of Investments included under the following categories in Schedule 8 to the balance sheet:

a) Shares

b) Debentures & Bonds

c) Subsidiaries / Joint Ventures

d) Others

(2) Amounts reported under columns 4, 5, 6 and 7 above may not be mutually exclusive.

| Particulars | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|---|---|---|
| Shares | 14,72.11 | 18,46.94 |
| Debentures and Bonds | 2,26,32.47 | 1,94,53.60 |
| Subsidiaries and Joint Ventures | 9,16.65 | 8,46.22 |
| Others | 51,10.83 | 23,58.43 |
| **TOTAL** | **3,01,32.06** | **2,45,05.19** |

**ii. Non performing Non-SLR investments**

The movement in gross non performing investments in securities other than government and other approved securities is given below:

(₹ in crore)

| Particulars | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|---|---|---|
| Opening balance | 23,47.70 | 20,91.48 |
| Additions during the year | 1,49.42 | 20,37.49 |
| Reductions during the year | 2,63.08 | 17,81.27 |
| Closing balance | 22,34.04 | 23,47.70 |
| **Total provisions held** | **20,24.27** | **18,45.57** |

**1.2 (C) Sale and transfers to/from HTM Category**

The Bank has not made sales and transfers to/from HTM category during the financial year 2018-19 exceeding 5 per cent of the book value of investments held in HTM category at the beginning of the year. The 5 per cent threshold to above will exclude:

a) The one-time transfer of securities to/from HTM category with the approval of Board of Directors permitted to be undertaken by banks at the beginning of the accounting year.

b) Sale to the Reserve Bank of India under pre-announced OMO auctions.

c) Repurchase of Government Securities by Government of India from banks.

**1.3 DERIVATIVES**

1.3.1 Forward Rate Agreement/Interest Rate Swap

(₹ in crore)

| Sr. No. | Particulars | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|---|---|---|---|
| i) | The notional principal of swap agreements | 1,46,10.43 | 1,39,77.96 |
| ii) | Losses which would be incurred if counter parties failed to fulfill their obligations under the agreements | 1,36.95 | 41.07 |
| iii) | Collateral required by the Bank upon entering into swaps | Nil | Nil |
| iv) | Concentration of credit risk arising from the Swaps | Banking Industry | Banking Industry |
| v) | The fair value of the swap book* | 24,04.30 | 45,21.09 |

*MTM of IRS deals plus interest accrued on hedging deals.

**Note:**

I. Interest rate swaps in Indian Rupees were undertaken for hedging Reciprocal Loan Arrangements.

II. The Bank has entered into Floating to Fixed or Fixed to Floating Interest Rate Swap transactions for trading during the year.

III. All underlying for hedge transactions are on accrual basis.

### 1.3.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives

(₹ in crore)

| Sr. No | Particulars | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|---|---|---|---|
| i) | Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument-wise) | | |
| | A) Interest Rate Futures | | |
| | Buy | 31,94.44 | 42,78.13 |
| | Sell | 32,08.46 | 41,05.65 |
| ii) | Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March 2019 (instrument-wise) | Nil | Nil |
| iii) | Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise) | Nil | Nil |
| iv) | Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise) | Nil | Nil |

### 1.3.3 Disclosures on Risk Exposures in Derivatives

**a) Qualitative disclosure:**

The Bank deals in two groups of derivative transactions within the framework of RBI guidelines.

i) Over the Counter Derivatives

ii) Exchange Traded Derivatives

The Bank deals in Forward Rate Agreement, Interest Rate Swaps, Cross Currency Swap and Currency Options in Over the Counter Derivatives group.

In Exchange Traded Derivatives Group, the Bank trades in Currency Futures and Interest Rate Futures. The Bank is Trading & clearing member with three Exchanges viz. National Stock Exchange (NSE), Bombay Stock Exchange (BSE) & Metropolitan Stock Exchange (MSEIL), on their Currency Derivative segment, as permitted by Reserve Bank of India. The Bank carries out proprietary trading in currency futures on these exchanges. The Bank has set up the necessary infrastructure for Front, Mid and Back office operations. Daily Mark to Market (MTM) and Margin obligations are settled with the exchanges as per guidelines issued by the Regulators.

The Bank trades in Interest Rate Futures on National Stock Exchange. The bank has necessary infrastructure for Front, Mid and Back office operations in place. Daily Mark to Market (MTM) and Margin obligations are settled with the exchanges as per guidelines issued by the Regulators.

The Bank undertakes derivative transactions for proprietary trading/market making, hedging own balance sheet and for offering to customers, who use them for hedging their risks within the prevalent regulations. Proprietary trading/market making positions are taken in Rupee Interest Rate Swap, Currency Futures and Interest Rate Futures. While derivative instruments present immense opportunity for making a quantum leap in non-interest income and also for hedging market risk, it exposes the Bank to various risks. The Bank has adopted the following mechanism for managing different risks arising out of derivative transactions.

a) In terms of the structure, operations in the Treasury Branch are segregated into following three functional areas, which are provided with trained officers with necessary systems support and their responsibilities are clearly defined.

I) Front Office—Dealing Room. Ensures Compliance with trade origination requirements as per Bank's policy and RBI guidelines.

II) Mid-Office---Risk Management, Accounting Policies and Management

III) Back Office- Settlement, Reconciliation, Accounting.

Mid Office monitors transactions in the trading book and excesses over limit, if any, are reported to Risk management Department for necessary action. Mid Office also measures the financial risk for transactions in the trading book on a daily basis, by way of Mark to Market. Daily Mark to Market position is reported to Risk Management Department, for onward reporting of the risk profile to the Directors' Committee on the Assets and Liability Management.

In case of corporate clients transactions are concluded only after the inherent credit exposures are quantified and approved in terms of approval process laid down in the Treasury Policy for customer appropriateness and suitability. The necessary documents like ISDA agreements are duly executed. The bank has adopted Current Exposure Method for monitoring credit exposures.

b) Treasury Policy of the Bank lays down the types of financial derivative instruments, scope of usages, and approval process as also the limits like the

open position limits, deals size limits, stop-loss limits and counterpart exposure limit for trading in approved instruments.

Various Risk Limits are set up and actual exposures are monitored vis-à-vis the limits.

These limits are set up taking in to account market volatility, business strategy and management experience. Risk limits are in place for risk parameters viz. PV01, stop loss, counterparty credit exposure. Actual positions are measured against these limits periodically and breaches if any are reported promptly. The Bank ensures that the Gross PV01 position arising out of all non option derivative contracts is within the 0.25% of net worth of the Bank.

c) The Bank also uses financial derivative transactions for hedging its own Balance Sheet Exposures. Treasury Policy of the Bank spells out approval process for hedging the exposures. The hedge transactions are monitored on a regular basis. The notional profit or loss calculated on Mark to Market basis, PV01 and VaR on these deals are reported to the Assets Liability Committee (ALCO) every month. Hedge effectiveness is the degree to which changes in the fair value or cash flows of the hedged items that are attributed to a hedged risk are offset by changes in the fair value or cash flows of the hedging instruments. This exercise is carried out periodically to ensure hedge effectiveness.

d) The hedged/un-hedged transactions are recorded separately. The hedged transactions are accounted for on accrual basis. All trading contracts are mark-to-market and resultant gross gain or loss is recorded in income statement.

In case of Option contracts, guidelines issued by FEDAI from time to time for recognition of income, premium, and discount are being followed.

To mitigate the credit risk, the Bank has policy in place to sanction limits to counterparty Banks and Counterparty clients. The Bank adopts Current Exposure method for monitoring counterparty exposure periodically. While sanctioning derivative limit, the competent authority may stipulate condition of obtaining collaterals/margin as deemed appropriate. The derivative limit is reviewed periodically along with other credit limits.

The customer related derivative transactions are covered with counterparty banks, on back-to-back basis for identical amount and tenure and the bank does not carry any market risk.

**b) Quantitative Disclosure:**

(₹ in crore)

| Quantitative Disclosure | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 31-03-2019 | | 31-03-2018 | |
| **Sr. No** | **Particular** | **Currency Derivatives** | **Interest Rate Derivatives** | **Currency Derivatives** | **Interest Rate Derivatives** |
| (i) | Derivatives (Notional Principal Amount) | | | | |
| (a) | For hedging | 6,44.85 | 78,70.72 | 6,42.44 | 94,87.96 |
| (b) | For trading | 16,95.51 | 67,40.00 | 13,06.81 | 44,90.00 |
| (ii) | Marked to Market Positions | | | | |
| a | Asset (+) | 26.09 | 55.90 | 29.31 | 24.93 |
| b | Liability (-) | 23.12 | -41.99 | -24.58 | 48.04 |
| (iii) | Credit Exposure (*) | 1,54.19 | 2,65.95 | 2,25.43 | 1,69.44 |
| (iv) | Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01) | | | | (₹ in Lacs) |
| a | On hedging derivatives | 0.00 | 1,36,15.92 | 0.00 | 1,51,21.53 |
| b | On trading derivatives | 10.66 | 154.82 | 15.90 | 1,33.40 |
| v) | Maximum and minimum of 100*PV01 observed during the year | | | | (₹ in Lacs) |
| A | Maximum | | | | |
| | a. On hedging | 0.00 | 1,51,13.41 | 0.00 | 1,79,86.56 |
| | b. On trading | 15.81 | 24,35.22 | 26.59 | 38,37.97 |
| B | Minimum | | | | |
| | a. On hedging | 0.00 | 1,22,50.94 | 0.00 | 1,51,21.53 |
| | b. On trading | 10.63 | 6.33 | 15.84 | 13.92 |

*Credit exposure of interest rate derivative also includes the exposure on Hedging deals.

## 1.4 ASSETS QUALITY

### 1.4.1 Non Performing Assets

The details of movement of gross non performing assets (NPAs), net NPAs and provisions are given below:

(₹ in crore)

| Sr No. | Particulars | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|---|---|---|---|
| i) | Net NPAs to Net Advances (%) | 6.85 | 8.42 |
| ii) | Movement of NPAs (Gross) | | |
| | (a) Opening balance | **4,93,69.93** | 3,37,12.28 |
| | (b) Additions (Fresh NPAs) during the year | **1,34,53.04** | 2,13,05.35 |
| | (c) Increase in balance of existing NPA | **1,23.68** | 63.76 |
| | **Sub-total (A)** | **6,29,46.65** | 5,50,81.39 |
| | (d) Less:- | | |
| | (i) Up-gradations | **19,38.45** | 3,99.70 |
| | (ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts) | **45,08.51** | 18,34.81 |
| | (iii) Technical/Prudential Write-offs | **48,98.40** | 27,73.78 |
| | (iv) Write-offs other than (iii) above | **28,72.14** | 7,03.17 |
| | **Sub-total (B)** | **1,42,17.50** | 57,11.46 |
| | (e) **Closing balance (A-B)** | **4,87,29.15** | 4,93,69.93 |
| iii) | Movement of NPAs (Net) | | |
| | (a) Opening Balance | 2,43,26.31 | 1,88,32.10 |
| | (b) Additions during the year | 21,41.32 | 78,69.27 |
| | (c) Reduction during the year | 61,35.21 | 23,75.06 |
| | (d) Closing Balance | 2,03,32.42 | 2,43,26.31 |
| iv) | Movement of provisions for NPAs (Excluding provisions on Standard Assets) | | |
| | (a) Opening balance | 2,50,43.63 | 1,48,80.17 |
| | (b) Provisions made during the year | 1,14,35.40 | 1,34,99.84 |
| | (c) Provision increased in restructured accounts | (-)3,56.06 | 1,40.55 |
| | (d) Write-off/write-back of excess Provisions | 77,26.24 | 34,76.93 |
| | (e) Closing balance | 2,83,96.73 | 25,043.63 |

Provision includes provision in lieu of diminution in fair value of restructured advances classified as NPAs. Opening and closing balances of provision for NPAs also include ECGC claims received/ recoveries in suit filled accounts and held pending adjustment of Rs. 202.87 Crore (Previous year Rs. 181.91 Crore) and Rs. 6.48 crore (Previous year Rs. 0.59 Crore) respectively.

1.4.2 The Reserve Bank of India (RBI) vide DBR. BP. BC. No. 32/21.04.018/2018-19 dated 1 April 2019, has prescribed certain additional disclosure to be made under "Notes to Accounts" for the reference period i.e. FY 2018-19. As part of Risk Based Supervision (RBS) exercise for the year ended 31st March, 2018 the RBI had pointed out divergence in respect of Bank's asset classification and provisioning in certain accounts. In conformity with the RBI circular DBR. BP. BC. No. 32/21.04.018/2018-19 dated 1 April 2019 and SEBI Circular issued on 18th July, 2017 the below table outlines divergences in asset classification and provisioning:

| SN | Particulars | Rs. in Crore |
|---|---|---|
| 1 | Gross NPA as on 31st March, 2018 as reported by the Bank | 4,93,70 |
| 2 | Gross NPA as on 31st March, 2018 as assessed by the RBI | 5,02,37 |
| 3 | Divergence in Gross NPA (2-1) | 8,67 |
| 4 | Net NPA as on 31st March, 2018 as reported by the Bank | 2,43,26 |
| 5 | Net NPA as on 31st March, 2018 as assessed by the RBI | 2,29,12 |
| 6 | Divergence in Net NPA (5-4) | (14,14) |
| 7 | Provision for NPA as on 31st March, 2018 as reported by the Bank | 2,50,44 |
| 8 | Provision for NPA as on 31st March, 2018 as assessed by the RBI | 2,73,24 |
| 9 | Divergence in Provisioning (8-7) | 22,81 |
| 10 | Reported Net Profit after tax (PAT) for the year ended 31st March 2018 | (52,47) |
| 11 | Adjusted (Notional) Net Profit after tax (PAT) for the year ended 31st March 2018 after taking into account divergence in provisioning | (67,70) |

The Bank has duly recorded the impact of the above in its working results for the quarter and year ended 31st March, 2019.

### 1.4.3 Particulars Of Accounts Restructured

(₹ in crore)

| Sr. No. | Asset Classification/Details | | Under CDR Mechanism | | | | | Under SME Debt Restructuring Mechanism | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Standard | Sub-Standard | Doubtful | Loss | Total | Standard | Sub-Standard | Doubtful | Loss | Total |
| 1 | Restructured Accounts as on 01-04-2018 (Opening Figures for FY-2018) | No. of Borrowers | 2 | 4 | 27 | 1 | 34 | 81 | 27 | 3,91 | 52 | 5,51 |
| | | Amount Outstanding | 40.34 | 4,22.47 | 38,68.37 | 98.28 | 44,29.46 | 36.62 | 90.31 | 7,95.27 | 26.25 | 9,48.46 |
| | | Provision there on | 1.00 | 53.79 | 2,74.51 | 0.00 | 3,29.30 | 1.19 | 3.21 | 9.65 | 0.24 | 14.29 |
| 2 | Fresh Restructuring during the FY-2018-19 | No. of Borrowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,29 | 12 | 0 | 0 | 55,41 |
| | | Amount Outstanding | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,25.06 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 2,26.05 |
| | | Provision there on | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.38 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 9.41 |
| 3 | Up-gradations to restructured standard category during the FY 2018-19 | No. of Borrowers | 1 | | | | 1 | 10 | | | | 10 |
| | | Amount Outstanding | 52.90 | | | | 52.90 | 55.20 | | | | 55.20 |
| | | Provision there on | 3.69 | | | | 3.69 | 4.11 | | | | 4.11 |
| 4 | Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY 2018-19 and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY 2018-19 | No. of Borrowers | 1 | | | | 1 | 53 | | | | 53 |
| | | Amount Outstanding | 17.88 | | | | 17.88 | 29.77 | | | | 29.77 |
| | | Provision there on | 0.00 | | | | 0.00 | 1.22 | | | | 1.22 |
| 5 | Down gradations of restructured accounts during the FY 2018-19 | No. of Borrowers | | 1 | 0 | 0 | 1 | | 12 | 0 | 0 | 12 |
| | | Amount Outstanding | | 20.05 | 0 | 0 | 20.05 | | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.89 |
| | | Provision there on | | 0.66 | 0 | 0 | 0.66 | | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 6 | Write-offs of restructured accounts during the FY 2018-19 | No. of Borrowers | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 50 | 5 | 55 |
| | | Amount Outstanding | 0.00 | 0.00 | 11,99.62 | 0.00 | 11,99.62 | 0.00 | 0.00 | 26.03 | 0.88 | 26.91 |
| 7 | Restructured Accounts as on 31.03.2019 | No. of Borrowers | 1 | 1 | 18 | 5 | 25 | 55,44 | 15 | 3,07 | 34 | 59,00 |
| | | Amount Outstanding | 52.90 | 20.05 | 15,18.94 | 19,10.00 | 35,01.89 | 2,75.23 | 15.11 | 6,04.76 | 1,28.43 | 10,23.52 |
| | | Provision there on | 3.69 | 0.66 | 10.23 | 0.00 | 14.58 | 10.62 | 0.03 | 10.86 | 0.02 | 21.54 |

(₹ in crore)

| Sr. No. | Asset Classification | | Others | | | | | Total | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Standard | Sub-Standard | Doubtful | Loss | Total | Standard | Sub-Standard | Doubtful | Loss | Total |
| 1 | Restructured Accounts as on 31.03.18 (Opening Figures for FY-2018) | No. of Borrowers | 24,70 | 5,56 | 28,88 | 3,53 | 62,67 | 25,53 | 5,87 | 33,06 | 4,06 | 68,52 |
| | | Amount Outstanding | 11,57.71 | 20,76.67 | 49,45.55 | 5,31.87 | 87,11.81 | 12,34.67 | 25,89.45 | 96,09.20 | 6,56.41 | 1,40,89.72 |
| | | Provision there on | 17.44 | 39.57 | 71.18 | 6.87 | 1,35.06 | 19.63 | 96.57 | 3,55.34 | 7.10 | 4,78.64 |
| 2 | Fresh Restructuring during the FY-2018-19 | No. of Borrowers | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5532 | 13 | 0 | 0 | 5545 |
| | | Amount Outstanding | 3,99.32 | 96.54 | 0.00 | 0.00 | 4,95.86 | 6,24.37 | 97.53 | 0.00 | 0.00 | 7,21.90 |
| | | Provision there on | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.38 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 9.41 |
| 3 | Up-gradations to restructured standard category during the FY 2018-19 | No. of Borrowers | 79 | | | | 79 | 90 | | | | 90 |
| | | Amount Outstanding | 2.99 | | | | 2.99 | 1,11.09 | | | | 1,11.09 |
| | | Provision there on | 0.10 | | | | 0.10 | 7.90 | | | | 7.90 |
| 4 | Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY 2018-19 and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY 2018-19 | No. of Borrowers | 210 | | | | 210 | 264 | | | | 264 |
| | | Amount Outstanding | 2,02.36 | | | | 2,02.36 | 2,50.01 | | | | 2,50.01 |
| | | Provision there on | 1.00 | | | | 1.00 | 2.23 | | | | 2.23 |
| 5 | Down gradations of restructured accounts during the FY 2018-19 | No. of Borrowers | | 11,51 | 23 | 0 | 11,74 | | 11,64 | 23 | 0 | 11,87 |
| | | Amount Outstanding | | 4,21.69 | 1.04 | 0.00 | 4,22.73 | | 4,42.63 | 1.04 | 0.00 | 4,43.67 |
| | | Provision there on | | 4.62 | 0.04 | 0.00 | 4.66 | | 5.30 | 0.04 | 0.00 | 5.34 |
| 6 | Write-offs of restructured accounts during the FY 2018-19 | No. of Borrowers | 2 | 1 | 6,57 | 10 | 6,70 | 2 | 1 | 7,14 | 15 | 7,32 |
| | | Amount Outstanding | 0.14 | 0.09 | 12,15.35 | 0.81 | 12,16.38 | 0.14 | 0.09 | 24,41 | 1.69 | 24,42.91 |
| 7 | Restructured Accounts as on 31.03.2019 | No. of Borrowers | 8,65 | 11,65 | 21,38 | 3,34 | 45,02 | 64,10 | 11,81 | 24,63 | 3,73 | 1,04,27 |
| | | Amount Outstanding | 9,88.64 | 4,22.08 | 48,45.39 | 7,68.28 | 70,24.39 | 13,16.76 | 4,57.23 | 69,69.09 | 28,06.71 | 1,15,49.80 |
| | | Provision there on | 8.78 | 4.63 | 68.70 | 0.59 | 82.70 | 23.09 | 5.32 | 89.79 | 0.62 | 1,18.81 |



यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
उत्कृष्ट लोग, उत्कृष्ट बैंक
Union Bank of India
Good people to bank with

**1.4.4 As per RBI Circular No RBI/2018-19/100 DBR.No.BP. BC.18/21.04.048/2018-19 January 1, 2019, Banks and NBFCs shall make appropriate disclosures relating to the MSME accounts restructured:**

| No. of accounts restructured | Amount (₹ in crore) |
|---|---|
| 55,40 | 2,10.46 |

**1.4.5 Details of financial assets sold to Securitization/ Reconstruction Company for Asset Reconstruction**

**A) Details of Sales**

(₹ in crore)

| Sr. No | Particulars | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|---|---|---|---|
| i) | No. of Accounts | 7 | 7 |
| ii) | Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC | | |
| | a) NPA Accounts | 7,97.65 | 2,86.22 |
| | b) Written-off accounts | 0.00 | Nil |
| | c) SMA accounts | Nil | 99.96 |
| iii) | Aggregate consideration | | |
| | a) NPA Accounts | 7,82.74 | 2,16.91 |
| | b) Written-off accounts | 11.12 | Nil |
| | c) SMA accounts | Nil | 1,01.22 |
| iv) | Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier year. | Nil | Nil |
| v) | Aggregate gain / (loss) over net book value. | | |
| | a) NPA Accounts | (14.91) | (69.31) |
| | b) Written-off accounts | 11.12 | Nil |
| | c) SMA accounts | Nil | 1.26 |

**B) 1- Book Value of Investments in Security Receipts backed by NPA**

(₹ in crore)

| Particulars | Backed by NPAs sold by the bank as underlying | | Backed by NPAs sold by other banks/ financial institutions/ non banking financial companies as underlying | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31.03.2019 | 31.03.2018 | 31.03.2019 | 31.03.2018 | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
| Book Value of Investments in Security Receipts | 5,65.86 | 6,22.63 | 10.60 | 12.83 | 5,76.46 | 6,35.46 |

**2 Book Value of Investments in Security Receipts backed by SMA**

(₹ in crore)

| Particulars | Backed SMAs sold by the bank as underlying | | Backed by SMAs sold by other banks/ financial institutions/ non banking financial companies as underlying | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31.03.2019 | 31.03.2018 | 31.03.2019 | 31.03.2018 | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
| Book Value of Investment in Security Receipts | 3,42.49 | 3,43.36 | Nil | Nil | 3,42.49 | 3,43.36 |

**1.4.6 Details of non performing financial assets purchased / sold**

**a) Details of non performing financial assets purchased**

(₹ in crore)

| Sr. No | Particulars | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|---|---|---|---|
| 1 | a. No. of accounts purchased during the year | NIL | NIL |
| | b. aggregate outstanding | NIL | NIL |
| 2 | a. Of these number of accounts retructuured during the year | NIL | NIL |
| | b. aggregate outstanding | NIL | NIL |

**(b) Detaisl of non performing financial assets sold (Other than ARC's)**

(₹ in crore)

| Sr. No | Particulars | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|---|---|---|---|
| 1 | No. of accounts sold | NIL | NIL |
| 2 | Aggregate outstanding | NIL | NIL |
| 3 | Aggregate outstanding received | NIL | NIL |

**1.4.7 Provision on Standard Assets**

(₹ in crore)

| Particulars | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|---|---|---|
| Provision towards Standard Assets | 14,64.27 | 13,19.65 |

The provision on Standard Assets held by the Bank as on 31st March, 2019 is Rs 14,64.27 crore (previous year Rs 13,19.65 crore)

**1.4.8 Disclosures on Strategic Debt Restructuring Scheme (accounts which are currently under the stand-still period)**

(₹ in crore)

| No of Accounts where SDR has been invoked | Amount outstanding as on 31.03.2019 | | Amount outstanding as on 31st March 2019 with respect to accounts where conversion of debt to equity is pending. | | Amount outstanding as on 31st March 2019 with respect to accounts where conversion of debt to equity has taken place. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classified as | Standard | NPA | Standard | NPA | Standard | NPA |
| | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |

**1.4.9 Disclosures on Flexible Structuring of Existing Loans**

(₹ in crore)

| Period | No of Borrowers taken up for flexibly Structuring | Amount of Loans taken up for flexible structuring | | Exposure weighted average duration of loans taken up for flexible structuring | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Classified as Standard | Classified as NPA | Before applying flexible structuring (Yrs) | After applying flexible structuring (Yrs) |
| Previous Year 2017-18 | 4 | 8,30.96 | 10.04 | 10.13 yrs | 19.31 yrs |
| Current Year 2018-19 | Nil | Nil | - | Nil | Nil |

### 1.4.10 Disclosures on Change in Ownership outstanding SDR Scheme (accounts which are currently under the stand-still period)

(₹ in crore)

| No of Accounts where banks have decided to effect change in ownership | Outstanding as on the reporting date | | Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity / Invocation of pledge of equity shares is pending | | Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity/invocation of pledge of equity shares has taken place | | Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where change in ownership is envisaged by issuance of fresh shares or sales of promoters equity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classified as | Standard | NPA | Standard | NPA | Standard | NPA | Standard | NPA |
| | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |

### 1.4.11 Disclosures on Change in Ownership of Projects under Implementation (accounts which are currently under the stand-still period)

(₹ in crore)

| No of project loan accounts where Banks have decided to effect change in ownership | Amount outstanding as on 31st March 2019 | | |
|---|---|---|---|
| | Classified as Standard | Classified as Standard Restructured | Classified as NPA |
| Nil | Nil- | Nil | Nil |

### 1.4.12 Disclosures on the Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets (S4A) as on 31.03.2019

(₹ in crore)

| Accounts where S4A has been applied | | Aggregate Amount outstanding | Amount outstanding | | Provision held |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Classification | Number of Accounts | | In Part A | In Part B | |
| **Standard Accounts** | **2** | **1,27.32** | **66.28** | **61.04** | **32.45** |
| **NPAs** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

### 1.5 BUSINESS RATIOS

| Sr. No. | Particulars | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|---|---|---|---|
| i) | Interest Income as a percentage to Working Funds | 6.85 | 6.71 |
| ii) | Non-interest income as a percentage to Working Funds | 0.90 | 1.02 |
| iii) | Operating Profit as a percentage to Working Funds | 1.51 | 1.56 |
| iv) | Return on Assets | (0.59) | (1.07) |
| v) | Average Business (Deposits plus advances) per employee **(Rs in crore)** | 18.79 | 17.83 |
| vi) | Net Profit per employee **(Rs in crore)** | (0.08) | (0.14) |

### 1.6 ASSET LIABILITY MANAGEMENT

The maturity pattern of Deposits, Borrowings, Advances and Investment as of 31st March 2019 is based on the following:

- RBI Guidelines on ALM
- Behavioral studies of Assets & Liabilities which do not have definite maturity and for embedded optionality
- Foreign Currency On-balance sheet Assets & Liabilities

**Current Year 2018-19**

(₹ in crore)

| MATURITY PATTERN | DEPOSITS | ADVANCES | INVESTMENT/ SECURITIES | BORROWING | FOREIGN CURRENCY ASSESTS | FOREIGN CURRENCY LIABILITIES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NEXT DAY** | 17,98.85 | 39,82.85 | 1,45,38.74 | 12,75.44 | 44,91.09 | 31,76.95 |
| **2-7 DAYS** | 78,14.46 | 79,93.48 | 22,88.99 | 1,86.89 | 23,93.06 | 2,39.13 |
| **8-14 DAYS** | 69,75.17 | 72,85.90 | - | 90,00.00 | 3,10.28 | 75.04 |
| **15-30 DAYS** | 62,09.31 | 1,12,78.69 | 25,28.21 | 10,10.47 | 25,08.35 | 11,96.44 |

| MATURITY PATTERN | DEPOSITS | ADVANCES | INVESTMENT/ SECURITIES | BORROWING | FOREIGN CURRENCY ASSESTS | FOREIGN CURRENCY LIABILITIES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **31 DAYS - 2 MONTHS** | 1,32,84.97 | 85,53.18 | 32,94.74 | 15,14.38 | 30,00.27 | 28,83.75 |
| **>2 MONTHS - 3 MONTHS** | 1,68,94.28 | 66,08.69 | 14,35.06 | 20,44.53 | 17,83.37 | 15,37.63 |
| **> 3 MTHS - 6 MONTHS** | 2,60,52.96 | 1,20,55.80 | 21,92.29 | 21,09.37 | 57,81.76 | 34,37.78 |
| **> 6 MTHS - 1 YEAR** | 6,28,14.38 | 1,98,85.19 | 69,41.06 | 41,24.40 | 44,75.32 | 59,25.14 |
| **> 1 YEAR - 3 YEARS** | 5,80,27.85 | 13,43,62.82 | 1,30,89.13 | 84,24.38 | 93,22.71 | 1,15,57.92 |
| **> 3 YEARS - 5 YEARS** | 3,82,11.22 | 3,93,91.16 | 2,08,83.14 | 47,23.98 | 33,18.24 | 33,57.25 |
| **> 5- YEARS** | **17,78,31.84** | **4,55,28.89** | **5,88,55.26** | **84,50.00** | **21,00.99** | **2,66.11** |
| **TOTAL** | **41,59,15.27** | **29,69,32.15** | **12,60,46.64** | **4,28,63.82** | **3,94,85.43** | **3,36,53.13** |

**Previous Year 2017-18**

(₹ in crore)

| MATURITY PATTERN | DEPOSITS | ADVANCES | INVESTMENT/ SECURITIES | BORROWING | FOREIGN CURRENCY ASSESTS | FOREIGN CURRENCY LIABILITIES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NEXT DAY** | 16,55.34 | 50,34.12 | 3,50.00 | 13,18.80 | 37,83.57 | 37,43.12 |
| **2-7 DAYS** | 71,06.84 | 89,52.01 | 11,38.85 | 40,04.44 | 20,21.33 | 5,08.55 |
| **8-14 DAYS** | 75,06.84 | 41,90.71 | 6,12.74 | 39,24.32 | 18,95.35 | 23,91.45 |
| **15-30 DAYS** | 75,28.30 | 1,30,58.12 | 24,71.64 | 6,24.30 | 36,06.33 | 18,39.26 |
| **31 DAYS - 2 MONTHS** | 1,30,94.38 | 54,35.22 | 7,21.42 | 22,32.12 | 54,64.21 | 44,72.64 |
| **>2 MONTHS - 3 MONTHS** | 2,21,65.66 | 1,13,79.00 | 1,94.87 | 45,63.19 | 59,37.81 | 67,95.50 |
| **> 3 MTHS - 6 MONTHS** | 3,84,37.26 | 1,44,44.54 | 14,65.15 | 35,56.26 | 1,03,22.07 | 72,26.01 |
| **> 6 MTHS - 1 YEAR** | 5,20,60.68 | 2,67,90.59 | 1,20,15.61 | 26,87.36 | 51,19.37 | 54,79.17 |
| **> 1 YEAR - 3 YEARS** | 5,39,62.68 | 13,09,05.06 | 1,71,94.34 | 71,51.16 | 65,37.05 | 88,02.15 |
| **> 3 YEARS - 5 YEARS** | 3,76,41.32 | 3,52,98.59 | 2,28,46.01 | 50,82.89 | 98,39.29 | 75,60.76 |
| **> 5- YEARS** | **1,674,32.34** | **3,32,72.61** | **6,47,69.98** | **1,09,10.93** | **20,74.47** | **3,80.53** |
| **TOTAL** | **40,85,01.64** | **28,87,60.58** | **12,37,80.62** | **4,60,55.77** | **5,66,00.85** | **4,91,99.13** |

## 1.7 EXPOSURES

### 1.7.1 Exposure to Real Estate Sector

(₹ in crore)

| Sr. No. | Category | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|---|---|---|---|
| a) | Direct exposure | 3,54,66.65 | 4,06,22.49 |
| i) | Residential Mortgages - | | |
| | Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented; | 2,92,93.65 | 2,88,55.48 |
| | -Out of the above individual housing loans up to Rs.20 lakh | 1,33,73.77 | 1,37,62.79 |
| ii) | Commercial Real Estate – | | |
| | lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.) Exposure includes non-fund based (NFB) limits: | 53,14.02<br>(17,31.82) | 54,49.27<br>(17,34.82) |

| Sr. No. | Category | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|---|---|---|---|
| iii) | CRE RH | 8,58.98 | 63,17.74 |
| iv) | LRD (Lease Rental Discounting)<br>w/w CRE<br>w/w Other than CRE | 21,13.83<br>(17,31.82)<br>(3,82.01) | 20,84.04<br>(17,34.82)<br>(3,49.18) |
| v) | Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitized exposures -<br>a. Residential,<br>b. Commercial Real Estate. | <br>Nil<br>Nil | <br>Nil<br>Nil |
| b) | Indirect Exposure<br>Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs). | 1,87,83.06 | 1,30,14.81 |
| | **Total Exposure to Real Estate Sector** | **5,42,49.71** | **5,36,37.30** |

**1.7.2 Exposure to Capital Market**

(₹ in crore)

| Sr. No. | Particulars | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|---|---|---|---|
| i) | Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity – oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt. | 13,04.63 | 13,63.22 |
| ii) | Advances against shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures and units of equity oriented mutual funds | 3.90 | 3.90 |
| iii) | Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security | 2,93.23 | 3,22.82 |
| iv) | Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/ convertible bonds/ convertible debentures/ units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances | 0.59 | 0.63 |
| v) | Secured and unsecured advances to stock brokers and guarantees issued on behalf of stock brokers and market makers | 5,94.67 | 5,41.58 |
| vi) | Loans sanctioned to corporate against the security of shares /bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources | 25.00 | 1,13.57 |
| vii) | Bridge loans to companies against expected equity flows /issues. | Nil | Nil |
| viii) | Underwriting commitments taken up by the Banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures and units of equity oriented mutual funds | Nil | Nil |
| ix) | Financing to stock brokers for margin trading | Nil | Nil |
| x) | All exposures to venture capital funds (both registered and unregistered) will be deemed to be on par with equity and hence will reckon for compliance with the capital market exposure. | 3,77.98 | 4,15.50 |
| | **Total exposure to Capital Market** | **26,00.00** | **27,61.22** |

### 1.7.3 Risk Category wise Country Exposure

(₹ in crore)

| Risk Category | Net Exposure 31.03.2019 | Provision held 31.03.2019 | Net Exposure 31.03.2018 | Provision held 31.03.2018 |
|---|---|---|---|---|
| Insignificant | 80,93.66 | Nil | 1,46,27.51 | Nil |
| Low | 75,37.68 | Nil | 59,86.13 | Nil |
| Moderate | 3,46.92 | Nil | 3,49.18 | Nil |
| High | 5.48 | Nil | 0.79 | Nil |
| Very High | - | Nil | - | Nil |
| Restricted | - | Nil | - | Nil |
| Off-credit | - | Nil | - | Nil |
| **Total** | **1,59,83.74** | **Nil** | **2,09,63.61** | **Nil** |

As per Country Risk Policy 2018-19, Bank has used ECGC country risk classification for the Trade Exposure and other than Trade exposure in India both for branches in India and for overseas branches.

Bank will make provision for country risk exposure only in respect of a country where the net funded exposure is 1% or more of its total assets.

### 1.7.4 Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank. (Capital fund Rs 3,29,39.16 crore)

(₹ in crore)

| Sr. No | | | Exposure Ceiling (₹) | Total Exposure (₹) | Exposure as % of Capital Fund | Position as on 31.03.19 | Position as % of Capital Fund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Single Borrower | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| 2. | Group Borrower | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |

- Individual borrower exposure limit is 15% of Capital Fund. However, 5% additional exposure can be taken with the approval of the Board as permitted by Reserve Bank of India.
- Individuals with additional 5% for Infrastructure Projects (20% of Capital Funds)
- Individuals for Oil Companies which have been issued Oil Bonds (which do not have SLR status) by Government of India is 25% of Capital funds.
- Group Exposure Limit – 40%
- For Infrastructure, Group Exposure ceiling is 50%,
- Additional exposures can be taken with the permission of the Board

### 1.7.5 Unsecured Advances:

(₹ in crore)

| Particulars | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|---|---|---|
| Total amount of advances outstanding against charge over intangible securities such as the rights, licenses, authority etc. | Nil | Nil |
| Estimated value of such intangible collateral securities | Nil | Nil |

Advances backed by Annuity under Build Operate Transfer (BOT) model in respect of Road/Highway Projects and toll collection rights have been considered secured as per RBI circular No. OD. BP. BC. No. 83/08.12. 014 / 2012-13 dated 18 March 2013.

### 1.8 DISCLOSURE OF PENALTIES IMPOSED BY RBI:

| Penalties imposed by RBI during FY 2018-19 | |
|---|---|
| Nos of Penalty | 3 |
| Amount of Penalty | 5.00 Crore |

## 2. DISCLOSURES AS PER ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BY THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

### 2.1 REVENUE RECOGNITION (AS 9)

Certain items of income are recognized on realization basis as per Accounting Policy no.3.3 of Schedule 17 of Significant Accounting Policies which however, is not considered to be material.

### 2.2 EMPLOYEE BENEFITS (AS 15 - REVISED)

### 2.3 Defined Benefit Plans – Employee's Pension plan and Gratuity plan:

The Bank has accounted for employee benefits as per Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India, as per actuarial valuation report for the year ended March 31, 2019.

(₹ in crore)

| | Particulars | 31.03.2019 | | 31.03.2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Gratuity | Pension | Gratuity | Pension |
| i) | **Table showing change in Defined Benefit Obligation :** | | | | |
| | Liability at the beginning of the year | 12,44.88 | 1,18,03.32 | 11,14.72 | 1,12,31.15 |
| | Interest Cost | 97.47 | 915.94 | 80.26 | 8,36.72 |
| | Current Service Cost | 57.96 | 1,03.65 | 53.45 | 1,20.75 |
| | Past Service Cost (Vested Benefit Amortized) | Nil | Nil | 2,42.12 | Nil |
| | Past Service Cost (Vested Benefit) | Nil | Nil | Nil | Nil |
| | Liability Transfer in | Nil | Nil | Nil | Nil |
| | Liability Transfer out | Nil | Nil | Nil | Nil |
| | Benefit paid | (1,88.78) | (7,53.46) | (1,37.65) | (6,59.09) |
| | Actuarial (gain)/loss on obligation –due change | 3.20 | (36.24) | 34.24 | 311.61 |
| | In the financial assumption Actuarial (gain) / loss on obligations | 7.91 | 125.22 | (1,42.26) | (37.82) |
| | **Liability at the end of the year** | 12,22.64 | 1,21,58.43 | 12,44.88 | 1,18,03.32 |
| ii) | **Table of Fair value of Plan Assets:** | | | | |
| | Fair value of Plan Assets at the beginning of the year | 13,02.00 | 1,21,15.00 | 13,33.03 | 1,12,14.89 |
| | Expected return on Plan Assets | 1,01.95 | 9,40.12 | 95.98 | 8,35.51 |
| | Contributions | Nil | Nil | Nil | 7,45.08 |
| | Transfer from Other Company | Nil | Nil | Nil | Nil |
| | Transfer to Other Company | Nil | Nil | Nil | Nil |
| | Benefit paid | (1,88.78) | (7,53.46) | (1,37.65) | (6,59.09) |
| | Actuarial (Gain)/loss on Plan Assets | 13.03 | (7.18) | (10.64) | 21.39 |
| | Fair Value of Plan Assets at the end of the year | 12,02.14 | 1,23,08.84 | 13,02.00 | 1,21,15.00 |
| | Actuarial (Gain)/loss on obligation for the period | 11.11 | 88.98 | (1,08.02) | 2,73.79 |
| | Actuarial (Gain)/loss on Plan Assets | 13.03 | (7.18) | (10.64) | 21.39 |
| | **Total Actuarial (Gain)/loss to be recognized** | 24.14 | 81.80 | (1,18.66) | 2,95.18 |
| iii) | **Recognition of Transitional Liability :** | | | | |
| | Transitional Liability at start | Nil | Nil | Nil | Nil |
| | Transitional Liability recognized during the year | Nil | Nil | Nil | Nil |
| | **Transitional Liability at end** | Nil | Nil | Nil | Nil |
| iv) | **Actual return on Plan Assets :** | | | | |
| | Expected Return on Plan Assets | 1,01.95 | 9,40.12 | 95.98 | 8,35.51 |
| | Actuarial gain/(loss) on Plan Assets | (13.03) | 7.18 | 10.64 | (21.39) |
| | Actual return on Plan Assets | 88.92 | 9,47.30 | 1,06.62 | 8,14.12 |
| v) | **Expenses recognized in the Income Statement:** | | | | |
| | Current Service Cost | 57.96 | 1,03.65 | 53.45 | 1,20.75 |
| | Interest Cost | (4.48) | (24.18) | (15.72) | 1.21 |
| | Expected Return on Plan Assets Past Service Cost (Vested Benefit Amortized) recognized | Nil | Nil | Nil | Nil |
| | Past Service Cost (Vested Benefit) recognized | Nil | Nil | 2,42.12 | Nil |
| | Recognition of Transition Liability | Nil | Nil | Nil | Nil |
| | Actuarial (Gain) or Loss | 24.14 | 81.80 | (1,18.66) | 2,95.18 |
| | **Expenses Recognized in P & L** | 77.62 | 1,61.27 | 1,61.19 | 4,17.14 |

(₹ in crore)

| | Particulars | 31.03.2019 | | 31.03.2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Gratuity | Pension | Gratuity | Pension |
| vi) | **Balance Sheet Reconciliation:** | | | | |
| | Opening Net Liability (Last year net amount recognized in the balance sheet) | (57.12) | (3,11.68) | (2,18.31) | 16.26 |
| | Expenses as above | 77.62 | 1,61.27 | 1,61.19 | 4,17.14 |
| | Transfer from other Company (Net) | Nil | Nil | Nil | Nil |
| | Transfer to other Company (Net) | Nil | Nil | Nil | Nil |
| | Employer Contribution | Nil | Nil | Nil | (745.08) |
| | **Net (Asset)/Liability Amount recognized in Balance Sheet** | 20.50 | (1,50.41) | (57.12) | (3,11.68) |
| vii) | **Other Details :** | | | | |
| | Pension is payable at the rate of 1/66 Salary for Each Year of Service Subject to Maximum of 50%. | | | | |
| | Gratuity is payable at the rate of 15 days salary for each year of service subject to maximum of Rs 20, 00,000 or as per the Bank scheme. | | | | |
| | Actuarial gain / loss is accounted for in the year of occurrence. | | | | |
| | Salary escalation is considered as advised by the company which is in line with the industry practice considering promotion and demand and supply of the employees. | | | | |
| | No. of Members | | | | |
| | Salary Per Month | 3,72,67 | 1,51,54 | 3,75,02 | 1,64,43 |
| | **Contribution for next year** | 1,13.20 | 91.04 | 1,71.21 | 92.65 |
| | | 80.04 | Nil | 0.84 | Nil |
| viii) | **Category of assets:** | | | | |
| | Government of India Assets | 74.78 | 2,03.33 | 94.78 | 2,50.28 |
| | Corporate Bonds/FDR | 1,32.71 | 15,39.48 | 1,78.50 | 13,42.84 |
| | Special Deposits Scheme | - | - | 8.01 | 4,10.00 |
| | State Govt. | 1,66.50 | 7,35.89 | 1,74.58 | 7,61.71 |
| | Property | Nil | Nil | Nil | Nil |
| | Other | 1,07.32 | 13,29.07 | 1,11.64 | 13,24.49 |
| | Insurer Managed Funds | 7,20.83 | 85,01.07 | 7,34.50 | 80,25.68 |
| | **Total** | 12,02.14 | 1,23,08.84 | 13,02.01 | 1,21,15.00 |

(₹. in crores)

| Surplus/Deficit in the Plan: | Gratuity Plan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Amount recognized in the Balance-Sheet** | **31.03.19** | **31.03.18** | **31.03.17** | **31.03.16** | **31.03.15** |
| Liability at the end of the year | 12,22.64 | 12,44.88 | 11,14.72 | 11,10.33 | 10,88.16 |
| Fair value of Plan Assets at the end of the year | 12,02.14 | 13,02.00 | 13,33.03 | 12,51.27 | 12,64.00 |
| Difference | (20.50) | 57.12 | 2,18.31 | 1,40.94 | 1,75.84 |
| Unrecognized Past Service Cost | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Unrecognized Transition Liability | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Amount Recognized in the Balance Sheet | (20.50) | 57.12 | 2,18.31 | 1,40.94 | 1,75.84 |

| Amount recognized in the Balance-Sheet | Gratuity Plan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Experience Adjustment** | **31.03.19** | **31.03.18** | **31.03.17** | **31.03.16** | **31.03.15** |
| On plan liability (Gain) / Loss | 7.91 | (142.26) | (13.96) | Nil | (21.18) |
| On plan Assets (Loss) / Gain | (13.03) | 10.64 | 42.42 | 29.80 | 38.03 |

| Surplus/Deficit in the Plan: | Pension | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Amount recognized in the Balance-Sheet** | **31.03.19** | **31.03.18** | **31.03.17** | **31.03.16** | **31.03.15** |
| Liability at the end of the year | 1,21,58.43 | 1,18,03.32 | 1,12,31.15 | 96,19.00 | 82,18.43 |
| Fair value of Plan Assets at the end of the year | 1,23,08.84 | 1,21,15.00 | 1,12,14.89 | 95,25.70 | 78,61.00 |
| Difference | 1,50.41 | 3,11.68 | (16.26) | (93.30) | (3,57.43) |
| Unrecognized Past Service Cost | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Unrecognized Transition Liability | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Amount Recognized in the Balance Sheet | 1,50.41 | 3,11.68 | (16.26) | (93.30) | (3,57.43) |

| Amount recognized in the Balance-Sheet | Pension | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Experience Adjustment** | **31.03.2019** | **31.03.2018** | **31.03.2017** | **31.03.2016** | **31.03.2015** |
| On plan liability (Gain) / Loss | 1,25.22 | (37.82) | 7,93.17 | 13,99.16 | 7,31.44 |
| On plan Assets (Loss) / Gain | (7.18) | (21.39) | 5,26.25 | 1,55.11 | 2,10.89 |

| | Principal actuarial assumption used (%) | 2018-19 | | 2017-18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Gratuity | Pension | Gratuity | Pension |
| | Discount Rate Prev. | 7.83 | 7.76 | 7.20 | 7.45 |
| | Rate of return on Plan Assets Prev. | 7.83 | 7.76 | 7.20 | 7.45 |
| | Salary Escalation Prev. | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| | Attrition Rate Prev. | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| | Discount Rate Current | 7.79 | 7.78 | 7.83 | 7.76 |
| | Rate of Return on Plan Assets Current | 7.79 | 7.78 | 7.83 | 7.76 |
| | Salary Escalation Current | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| | Attrition Rate Current | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |

**2.4 Defined Contribution Plan:**

The Bank has Defined Contribution Pension Scheme (DCPS) applicable to all categories of officers and employees joining the Bank on or after April 1, 2010. The scheme is managed by National Pension Scheme (NPS) Trust under the aegis of the Pension Fund Regulatory and Development Authority. National Securities Depository Limited has been appointed as the Central Record Keeping Agency for the NPS. During F.Y. 2018-19, the Bank has contributed Rs 100.20 crore (Previous Year Rs 86.48 crore) to NPS.

**2.5 Other long term Employee Benefits:**

Details of Provisions made for various Long Term Employees Benefits during the year are as follows:

(₹ in crore)

| Sr. No. | Other Long Term Benefits | 31.03.2019 | 31.03.18 |
|---|---|---|---|
| 1. | Pension | 1,61.27 | 4,17.14 |
| 2. | Leave Travel Concession | (3.92) | 3.74 |
| 3. | Leave Encashment | 36.06 | (19.02) |
| 4. | Sick Leave | Nil | Nil |

## 2.6 SEGMENT REPORTING (AS-17)

(₹ in Crore)

| | Business Segment | Standalone | |
|---|---|---|---|
| | | Year Ended | |
| | | (Audited) | (Audited) |
| | | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
| **(a)** | **Segment Revenue** | | |
| 1 | Treasury Operations | 1,14,40.18 | 1,20,08.17 |
| 2 | Retail Banking Operations | 1,11,28.91 | 1,08,80.08 |
| 3 | Corporate /Wholesale Banking | 1,54,01.50 | 1,40,12.38 |
| 4 | Other Banking Operations | 6,46.77 | 5,50.49 |
| 5 | Unallocated | 1,87.49 | 4,98.22 |
| | **Total** | **3,88,04.85** | **3,79,49.34** |
| | **Less Inter-segment Revenue** | **(2,64.24)** | **(2,11.48)** |
| | **Total Revenue** | **3,85,40.61** | **3,77,37.86** |
| **(b)** | **Segment Results** | | |
| 1 | Treasury Operations | 27,67.14 | 16,48.99 |
| 2 | Retail Banking Operations | 9,47.37 | 4,24.88 |
| 3 | Corporate /Wholesale Banking | (81,14.53) | (94,88.47) |
| 4 | Other Banking Operations | 2,85.87 | 2,75.25 |
| 5 | Unallocated | 1,87.49 | 4,98.22 |
| | **Total Profit Before Tax** | **(39,26.66)** | **(66,41.13)** |
| **(c)** | **Income Tax** | **(9,79.21)** | **(13,93.76)** |
| **(d)** | **Net Profit** | **(29,47.45)** | **(52,47.37)** |
| **(e)** | **Segment Assets** | | |
| 1 | Treasury Operations | 17,50,59.13 | 17,40,24.01 |
| 2 | Retail Banking Operations | 12,73,10.28 | 11,62,79.02 |
| 3 | Corporate/Wholesale Banking | 17,88,51.72 | 18,72,88.80 |
| 4 | Other Banking Operations | Nil | Nil |
| 5 | Unallocated Assets | 1,28,17.71 | 97,88.25 |
| | **Total** | **49,40,38.84** | **48,73,80.08** |
| **(f)** | **Segment Liabilities** | | |
| 1 | Treasury Operations | 16,87,54.95 | 16,76,50.29 |
| 2 | Retail Banking Operations | 12,33,68.05 | 1,125,61.64 |
| 3 | Corporate /Wholesale Banking | 17,33,13.47 | 18,13,01.28 |
| 4 | Other Banking Operations | Nil | Nil |
| 5 | Unallocated Liabilities | 21,15.36 | 7,96.02 |
| 6 | Capital, Reserves & Surplus | 2,64,87.01 | 2,50,96.75 |
| | **Total** | **49,40,38.84** | **48,73,80.08** |

**Notes:**

1. The Bank operates in four segments viz., Treasury, Retail, Corporate / Wholesale and Other Banking Operations. These segments have been identified in line with AS-17 on segment reporting after considering the nature and risk profile of the products and services, the target customer profiles, the organizational structure and the internal reporting system of the bank. The bank has disclosed the business segment as primary segment. The revenue and other parameters prescribed in AS-17 of foreign branch for the period are within the threshold limits as stipulated under AS-17 and hence the bank has only one reportable geographical segment.

2. Segment wise income, expenditure, Capital employed which are not directly allocable have been allocated to the reportable segments based on assumptions as considered appropriate by the management.

3. Previous year's/Twelve Month's figures have been regrouped/recasted wherever considered necessary to correspond with the current Twelve Month's classification/ presentation.

**2.7 RELATED PARTY DISCLOSURES (AS-18)**

**2.7.1 List of Related Parties**

a) Subsidiaries

- Union Asset Management Company Private Limited
- Union Trustee Company Private Limited
- Union Bank of India (UK) Limited

b) Joint Venture

- Star Union Dai-ichi Life Insurance Company Limited

c) Associate

- Regional Rural Bank sponsored by the Parent Bank viz. Kashi Gomti Samyut Gramin Bank

d) Key Management Personnel

| Name | Designation | Joining/Cessation during the year 2018-19 |
|---|---|---|
| Shrie Rajkiran Rai G. | Managing Director & CEO | N.A. |
| Shri Vinod Kathuria | Executive Director | Cessation on 31-07-2018 |
| Shri Gopal Singh Gossain | Executive Director | Joining on 20-09-2018 |
| Shri Atul Kumar Goel | Executive Director | Cessation on 01-11-2018 |
| Shri Dinesh Kumar Garg | Executive Director | Joining on 02-11-2018 |
| Shri Raj Kamal Verma | Executive Director | Cessation on 28-02-2019 |
| Shri Manas Ranjan Biswal | Executive Director | Joining on 01-03-2019 |

**Parties with whom transactions were entered into during the year**

No disclosure is required in respect of related parties, which are "State controlled Enterprises" as per paragraph 9 of Accounting Standard (AS) 18. Further, in terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker – Customer relationship have not been disclosed including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel.

**2.7.2 Key Management Personnel – Remuneration paid.**

(₹ in crore)

| Particulars | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|---|---|---|
| **CEO and Managing Director** | 0.30 | 0.28 |
| **Executive Directors** | 0.75 | 0.76 |
| **Total** | 1.05 | 1.04 |

**2.8 EARNING PER SHARE (AS-20)**

Basic earnings per equity share are computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the year. The diluted earnings per equity share is computed using the weighted average number of equity shares and weighted average number of diluted potential equity shares outstanding during the year.

**The computation of earnings per share is given below:** (₹ in crore)

| Sr. No. | Particulars | | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|---|---|---|---|---|
| i | Basic and Diluted EPS | Rs | (25.08) | (69.45) |
| ii | Net Profit/(Loss) after Tax available for equity shareholders | Rs in crore | (29,47.45) | (52,47.37) |
| iii | Weighted Average number of equity shares | No in crore | 117.50 | 75.56 |
| iv | Nominal value per share | Rs | 10 | 10 |

**2.9 PROVISION FOR TAXES:**

**2.9.1 Deferred Tax (AS-22)**

(₹ in crore)

| Sr. No. | Particulars | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|---|---|---|---|
| | **Deferred Tax Assets** | | |
| 1 | Employee Benefits (Leave Encashment) | 2,53.83 | 2,38.91 |
| 2 | Depreciation on Fixed Assets | 61.38 | 14.07 |
| 3 | On account of other provisions | 72,43.21 | 66,37.39 |
| 4 | On account of unabsorbed losses | 1,27.13 | 0.00 |
| | **Total** | **76,85.55** | **68,90.37** |
| | **Deferred Tax Liabilities** | | |
| 1 | Accrued interest on securities | 7,63.39 | 7,90.01 |
| 2 | Special Reserves u/s 36(i)(viii) | 10,04.64 | 9,94.98 |
| 3 | Depreciation on Investment | 7,45.44 | 9,12.51 |
| | Total | 25,13.47 | 26,97.50 |
| | **Net Deferred Tax Asset** | **51,72.08** | **41,92.87** |
| | **Net Deferred Tax Liability** | **Nil** | **Nil** |

**2.9.2 Direct Tax**

(₹ in crore)

| Particulars | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|---|---|---|
| Provision for Income Tax (Including Deferred tax ) | (9,79.21) | (13,93.76) |

**2.10 INVESTMENT IN JOINT VENTURES (AS – 27)**

Investments include Rs.65 Crores (Previous year Rs. 65 Crores) representing Bank's interest in Star Union Dai-ichi Life Insurance Co. it is jointly controlled entity.

**2.11 IMPAIRMENT OF ASSET (AS-28)**

In the opinion of the Management, there is no indication for Impairment during the year with regard to the asset to which Accounting Standards 28 applies.

**2.12 CONTIGENT LIABILITIES (AS – 29)**

Contingent liabilities referred to in Schedule-12 at S. No.(I) & (VI)(i) are dependent upon the outcome of court/arbitration/out of court settlement, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by parties concerned, disposal of appeals respectively.

**3. ADDITIONAL DISCLOSURE**

**3.1 Provisions and Contingencies**

(₹ In crore)

| Break up of Provision & Contingencies. shown under the head in Profit & Loss: | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|---|---|---|
| Provision / (Reversal) for Depreciation on Investment | (4,04.37) | 15,59.99 |
| Provision towards NPA | 1,14,35.39 | 1,34,99.84 |
| Provision/(Reversal) towards Standard Assets | 1,40.26 | (7,20.39) |
| Net Provision made towards Income Tax (IT)/Wealth Tax/ deferred tax liability (DTL) | (9,79.21) | (13,93.76) |
| Other Provision and Contingencies:<br>- Shifting Loss<br>- Restructured Advances<br>- Others | <br>4,10.91<br>(3,56.06)<br>2,21.76 | <br>3,67.25<br>(2,35.65)<br>(1,90.34) |
| **TOTAL** | **1,04,68.68** | **1,28,86.94** |

### 3.2 Counter Cyclical Provisioning Buffer / Floating Provision:

(₹ In crore)

| Sr. No | Particulars | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|---|---|---|---|
| i) | Opening Balance | 2,93.20 | 2,93.20 |
| ii) | Additional provisions made during the accounting year | Nil | Nil |
| iii) | Amount of drawdown made during the accounting year | Nil | Nil |
| iv) | Closing balance | 2,93.20 | 2,93.20 |

### 3.3 DRAW DOWN FROM RESERVES:

During the year 2018-19, bank has drawn Rs 3,73.25 crore form reserves. The detail is as under:

1- Rs 3,66.90 Crore for payment of Interest on AT-I Bonds.

2- Rs 6.35 Crore for expenditure towards allotment of shares to Government of India & ESPS

### 3.4 DISCLOSURE OF COMPLAINTS:

**A Customer Complaints**

| Sr. No | Particulars | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|---|---|---|---|
| (a) | No. of complaints pending at the beginning of the year | 4,15 | 3,45 |
| (b) | No. of complaints received during the year | 45,43,06 | 42,60,46 |
| (c) | No. of complaints redressed during the year | 44,54,49 | 42,59,76 |
| (d) | No. of complaints pending at the end of the year | 92,72 | 4,15 |

**B Complaints pertaining to ATM card issued by the Bank**

| Sr. No | Particulars | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|---|---|---|---|
| (a) | No. of complaints pending at the beginning of the year | 57 | Nil |
| (b) | No. of complaints received during the year | 20,08,59 | 9,34,27 |
| (c) | No. of complaints redressed during the year | 20,09,16 | 9,33,70 |
| (d) | No. of complaints pending at the end of the year | Nil | 57 |

Out of the above, details of complaints specifically attributable to acquiring bank:

| Sr. No | Particulars | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|---|---|---|---|
| (a) | No. of complaints pending at the beginning of the year | 77 | 3 |
| (b) | No. of complaints received during the year | 6,58,47 | 5,27,43 |
| (c) | No. of complaints redressed during the year | 6,59,24 | 5,26,69 |
| (d) | No. of complaints pending at the end of the year | Nil | 77 |

**C Awards passed by the Banking Ombudsman**

| Sr. No | Particulars | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|---|---|---|---|
| (a) | No. of unimplemented Awards at the beginning of the year | Nil | Nil |
| (b) | No. of Awards passed by the Banking Ombudsmen during the year | 8 | Nil |
| (c) | No. of Awards implemented during the year | 5 | Nil |
| (d) | No. of unimplemented Awards at the end of the year | 3 | Nil |

### 3.5 Disclosure of Letter of Comfort (LoC's) issued

(₹ in crore)

| Particulars | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|---|---|---|
| Letter of Comfort outstanding at beginning of the year | 43,73.42 | 40,93.89 |
| Add : Issued during the year | 0.00 | 1,50,43.86 |
| Less: Expired during the year. | 43,73.42 | 1,47,64.33 |
| Outstanding at the end of the year | 0.00 | 43,73.42 |

### 3.6 Provision Coverage Ratio (PCR)

| Particulars | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|---|---|---|
| Provision Coverage ratio (%) | 66.24 | 57.16 |

### 3.7 DISCLOSURE OF – BANCASSURANCE BUSINESS:

The breakup of income derived from bancassurance business is given here below

(₹ in crore)

| Sr. No. | Nature of Income | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|---|---|---|---|
| 1. | Life Insurance Policies | 84.71 | 71.33 |
| 2. | Non Life Insurance Policies | 13.43 | 9.37 |
| 3. | Health Insurance | 10.95 | 8.49 |
| 4. | Others (specify) | Nil | Nil |

### 3.8 CONCENTRATION OF DEPOSITS, ADVANCES, EXPOSURES AND NPAs:

#### 3.8.1 Concentration of Deposits

(₹ in crore)

| Particulars | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|---|---|---|
| Total Deposits of twenty largest depositors | 3,89,21.89 | 3,84,99.84 |
| Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the Bank. | 9.35% | 9.46% |

#### 3.8.2 Concentration of Advances

(₹ in crore)

| Particulars | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|---|---|---|
| Total Advances of twenty largest borrowers/customers | 2,79,15.00 | 2,02,43.03 |
| Percentage of Advances of twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank | 8.57% | 6.83% |

#### 3.8.3 Concentration of Exposures

(₹ in crore)

| Particulars | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|---|---|---|
| Total Exposures of twenty largest borrowers/customers | 5,60,65.45 | 6,13,60.94 |
| Percentage of Exposures of twenty largest borrowers/customers to Total Exposures of the Bank on borrowers / customers.(Total Exp=FB:397126.72 +NFB:82185.67+ Investments:32025.18+DERIVATIVES:4484.97 =515822.54 Crs ) | 10.86% | 12.69% |

#### 3.8.4 Concentration of NPAs

(₹ in crore)

| Particulars | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|---|---|---|
| Total Exposures to top four NPA accounts | 59,64.54 | 58,22.40 |

### 3.9 SECTOR-WISE ADVANCES

(₹ in crore)

| Sr. No. | Sector | Current Year (FY 2018-19) | | | Previous Year (FY 2017-18) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Outstanding Total Advances | Gross NPA | Percentage of Gross NPAs to total Advances in that sector | Outstanding Total Advances | Gross NPAs | Percentage of Gross NPAs to total Advances in that sector |
| **A** | **Priority Sector** | | | | | | |
| 1 | Agriculture and allied activities | 4,89,70.82 | 39,94.09 | 8.16 | 4,58,24.58 | 27,73.77 | 6.05 |
| 2 | Advances to industries sector eligible as priority sector lending | 1,99,09.99 | 31,88.31 | 16.01 | 1,94,10.87 | 33,94.53 | 17.47 |
| 3 | Services | 4,72,94.20 | 65,58.02 | 13.87 | 4,40,01.70 | 63,13.41 | 14.35 |
| 4 | Personal loans | 1,76,54.57 | 4,91.03 | 2.78 | 1,55,68.66 | 4,44.88 | 2.88 |
| | **Sub-total (A)** | **13,38,29.58** | **1,42,31.45** | **10.63** | **12,48,05.18** | **1,29,26.59** | **10.36** |
| **B** | **Non Priority Sector** | | | | | | |
| 1 | Agriculture and allied activities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Industry | 5,49,05.30 | 2,00,69.29 | 36.55 | 5,93,37.92 | 2,34,68.62 | 39.55 |
| 3 | Services | 8,81,79.22 | 1,31,94.48 | 14.96 | 8,70,29.39 | 1,20,37.44 | 13.83 |
| 4 | Personal loans | 4,84,77.71 | 12,33.93 | 2.55 | 4,29,35.60 | 9,38.50 | 2.19 |
| | **Sub-total (B)** | **19,15,62.23** | **3,44,97.70** | **18.01** | **18,93,02.91** | **3,64,44.56** | **19.25** |
| | **Total (A+B)** | **32,53,91.81** | **4,87,29.15** | **14.98** | **31,41,08.08** | **4,93,69.93** | **15.72** |

Note - Previous year figures are regrouped wherever necessary.

Sub sectors where the outstanding advance exceeds 10% of the outstanding total advances to that sector for the FY 2018-19 are as under: **NIL**

### 3.10 MOVEMENT OF NPA

(₹ in crore)

| **Particulars** | **31.03.2019** | **31.03.2018** |
|---|---|---|
| Gross NPA (Opening Balance ) | 4,93,69.93 | 3,37,12.28 |
| Additions ( Fresh NPAs) during the year | 1,34,53.04 | 2,13,05.35 |
| Increase in balance of existing NPA | 1,23.68 | 63.76 |
| Sub-total (A) | 6,29,46.65 | 5,50,81.39 |
| Less:- | | |
| (i) Up-gradations | 19,38.45 | 3,99.70 |
| (ii)Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts) | 45,08.51 | 18,34.81 |
| (iii) Write-Offs | 77,70.54 | 34,76.95 |
| **Sub-total (B)** | **1,42,17.50** | **57,11.46** |
| **Gross NPA as on 31st March 2019 (closing balance) (A-B)** | **4,87,29.15** | **4,93,69.93** |

### 3.11 STOCK OF TECHNICAL WRITE-OFFS

(₹ in crore)

| Sr. No. | Particulars | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|---|---|---|---|
| i) | Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts | 74,11.75 | 50,47.78 |
| ii) | Add: Technical/ Prudential write-offs during the year | 48,98.40 | 27,73.78 |
| iii) | Sub-total (A) | 1,23,10.15 | 78,21.56 |
| iv) | Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts during the year (B) | 8,14.00 | 4,09.81 |
| v) | Closing balance (A-B) | 1,14,96.15 | 74,11.75 |

### 3.12 OVERSEAS ASSETS, NPAS AND REVENUE

(₹ in crore)

| Particulars | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|---|---|---|
| Total Assets | 2,17,56.88 | 3,68,19.82 |
| Total NPAs | 11,74.72 | 35,45.48 |
| Total Revenue | 10,37.01 | 12,55.60 |

### 3.13 There is no Off – Balance Sheet SPVs sponsored by the Bank.

### 3.14 UNAMORTIZED PENSION AND GRATUITY LIABILITIES

(₹. In crore)

| Particulars | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|---|---|---|
| Pension | | |
| a) Charged to Profit & Loss account | Nil | Nil |
| b) Carried forward | Nil | Nil |
| Gratuity | | |
| a) Charged to Profit & Loss account | Nil | Nil |
| b) Carried forward | Nil | Nil |

### 3.15 DISCLOSURES RELATING TO SECURITISATION

As on March 31, 2019 Bank does not have any Special Purpose Vehicles (SPVs) sponsored for securitization transactions.

### 3.16 CREDIT DEFAULT SWAPS:

The Bank has not entered into any Credit Default Swap transactions during the financial year 2018-19.

### 3.17 INTRA GROUP EXPOSURES

(₹ in crore)

| Particulars | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|---|---|---|
| Total amount of Intra group exposure | 14,60,05.02 | 14,82,77.91 |
| Total amount of Top 20 Intra group exposure | 7,88,39.63 | 8,28,36.01 |
| Percentage of Intra group exposure to Total exposure of the Bank on borrowers/customers (Total Expo. = 515822.54 crs) | 15.28% | 17.04% |
| Details of breach of limits on Intra group exposure and regulatory action thereon | Nil | Nil |

### 3.18 TRANSFERS TO DEPOSITOR EDUCATION AND AWARENESS FUND (DEAF)

(₹ in crore)

| Particulars | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|---|---|---|
| Opening balance amounts transferred to DEAF | 9,73.77 | 8,22.22 |
| Add: Amount transferred to DEAF during the Year | 2,02.65 | 1,93.46 |
| Less: Amount reimbursed by DEAF towards claims | 30.21 | 41.91 |
| Closing balance of Amount transferred to DEAF | 11,46.21 | 9,73.77 |

### 3.19 UN-HEDGED FOREIGN CURRENCY EXPOSURES

In terms of guidelines issued by Reserve Bank of India with regard to UFCE, Bank has approved Policy on Unhedged Foreign Currency Exposure of Clients 2018-19. While framing the policy, Bank has taken into consideration the exchange risks arising out of volatility in the forex market and accordingly has made suitable provisions to reduce the risks. Bank has also taken into consideration credit risks arising out of unhedged foreign currency exposure and accordingly Bank has put in place risk mitigation measures by incorporating additional loan pricing framework. Total provision made for exposures to entities with UFCE for the year ended March 2019 is Rs. 23.32 Crores.

## 4. LIQUIDITY COVERAGE RATIOS (LCR)

**4.1** LCR aims to ensure that a bank maintains an adequate level of unencumbered High Quality Liquid Assets (HQLAs) that can be converted into cash to meet its liquidity needs for a 30 calendar day time horizon under a significantly severe liquidity stress scenario specified by RBI.

LCR is the ratio of HQLA to Net Cash Outflow.

$$LCR = \frac{HQLA}{\text{Net Cash Outflows over 30 days}}$$

Minimum requirement of LCR as stipulated by RBI is 100% for the calendar year 2019. LCR is applicable to Bank's domestic operations as well as overseas operations.

According to RBI, the LCR has been introduced in a phased manner starting with a minimum requirement of 60% from January 1, 2015 and reaching minimum 100% on January 1, 2019.

| | January 1, 2015 | January 1, 2016 | January 1, 2017 | January 1, 2018 | January 1, 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Minimum LCR | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |

**HQLA:**

Liquid assets comprise of high quality assets that can be readily sold or used as collateral to obtain funds in a range of stress scenarios. They should be unencumbered i.e. without legal, regulatory or operational impediments. Assets are considered to be high quality liquid assets if they can be easily and immediately converted into cash at little or no loss of value.

HQLA is categorized into two a) Level 1 Assets, and b) Level 2 Assets. Level 2 Assets are further sub divided into Level 2A Assets & Level 2B Assets based on Liquidity & Price Volatility.

Level 1 assets are stock of HQLA without any haircut. Level 1 Assets mainly comprise Cash including excess CRR, Excess SLR, MSF (2% of NDTL) & FALLCR (13% of NDTL). RBI has increased FALLCR limit over a period and the same is 13% w.e.f. 1st October 2018 till 31st March 2019. Further as per RBI circular dated 19th October 2018, the incremental credit to NBFCs & HFCs has also been included in the total stock of HQLA.

A haircut of 15% is applied on current market value of Level 2A asset. Level 2A assets mainly comprise of securities with 20% risk weight. A 50% haircut is applied on current market value of Level 2B asset. Level 2B assets should not be more than 15% of the total stock of HQLA. Level 2B assets mainly comprise Securities with risk weights higher than 20% but not higher than 50%.

Net Cash Outflows

The total net cash outflow is defined as the total expected cash outflows minus total expected cash inflows. In order to determine cash outflows, the Bank, in terms of RBI guidelines , segregates its deposits into various customer segments, viz Retail (which include deposits from Natural Persons), Small Business Customers (those with total aggregated funding upto Rs. 5 crore) and deposits from Non Financial Customers (NFC) and Other Legal Entity Customers (OLE). Total expected cash inflows are calculated by multiplying the outstanding balances of various categories of contractual receivables by the rates at which they are expected to flow in, up to an aggregate cap of 75% of total expected cash outflows.

**Brief about LCR of the Bank**

The Bank during the three months ended March 31, 2019 maintained average HQLA of Rs. 87,858.45 crores. Level 1 assets are the main drivers of HQLA for the bank. They contribute to 90.47% of the total stock of HQLA. Based on daily averages for the quarter ended 31st March 2019, Facility to avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio constitutes the highest portion to HQLA i.e. around 62% of the total HQLA. Level 2 assets which are lower in quality as compared to Level 1 assets constitute 9.53% of the total stock of HQLA against maximum permissible level of 40%.

Bank's exposure is mainly in Indian Rupee. Unsecured wholesale funding constitute major portion of total funding sources. Retail deposits and deposits from small business customers contributed around 27% and 6% of the total weighted cash outflows, respectively. Deposits from non-financial corporate contributed around 36% of the total weighted cash outflows. The other contingent funding obligations primarily include bank guarantees (BGs) and letters of credit (LCs) issued on behalf of the Bank's clients. Inflows by various counterparties contribute to around 65% of the total weighted cash inflows.

Bank has calculated LCR for all working days over the March 2019 quarter. The average of the daily observation of 69 data points is calculated. The average LCR for the quarter ended 31st March, 2019 is 156.87% as against 102.26% for the quarter ended March 2018, and is well above the present minimum requirement prescribed by RBI of 100% for the calendar year 2019. Annual average LCR is 128.76% which is the average of quarterly average LCR of the Bank during the FY 2018-19.

**4.2 Quantitative Disclosure**

(₹ in Crore)

| Yearly LCR Disclosure - Audited | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | FY 2018-19 | | FY 2017-18 | |
| | | Total Unweighted Value (Average) | Total Weighted Value (Average) | Total Unweighted Value (Average) | Total Weighted Value (Average) |
| **High Quality Liquid Assets** | | | | | |
| 1 | Total High Quality Liquid Assets (HQLA) | 8,35,58.34 | 8,19,45.45 | 7,30,99.13 | 7,04,81.50 |
| **Cash Outflows** | | | | | |
| 2 | Retail deposits and deposits from small business customers, of which: | 25,65,04.76 | 2,23,75.80 | 23,95,49.43 | 2,08,20.47 |
| | (i) Stable deposits | 6,54,93.52 | 32,74.68 | 6,26,89.40 | 31,34.47 |
| | (ii) Less stable deposits | 19,10,11.24 | 1,91,01.12 | 17,68,60.03 | 1,76,86.00 |
| 3 | Unsecured wholesale funding, of which: | 9,37,99.91 | 4,68,91.01 | 10,93,80.91 | 5,37,93.86 |
| | (i) Operational deposits (all counter parties) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | (ii) Non-operational deposits (all counterparties) | 9,37,99.91 | 4,68,91.01 | 9,26,45.08 | 3,70,58.03 |
| | (iii) Unsecured debt | | | 1,67,35.83 | 1,67,35.83 |
| 4 | Secured wholesale funding | 30,25.60 | 6,96.68 | 87,75.27 | 42,91.76 |
| 5 | Additional requirements, of which | 2,58,66.39 | 30,92.88 | 2,13,66.66 | 14,42.92 |
| | (i) Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements | 70.89 | 70.89 | 10.40 | 10.40 |
| | (ii) Outflows related to loss of funding on debt products | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | (iii) Credit and liquidity facilities | 2,57,95.50 | 30,21.99 | 2,13,56.26 | 14,32.52 |
| 6 | Other contractual funding obligations | 31,58.25 | 31,58.25 | 14,52.43 | 14,52.43 |
| 7 | Other contingent funding obligations | 4,21,97.40 | 12,65.99 | 4,32,39.33 | 11,55.75 |
| **8** | **TOTAL CASH OUTFLOWS** | 42,45,52.31 | 7,74,80.62 | 42,37,64.03 | 8,29,57.20 |
| **CASH INFLOWS** | | | | | |
| 9 | Secured lending (e.g. reverse repos) | 29,52.84 | 0.00 | 13,81.31 | 0.00 |
| 10 | Inflows from fully performing exposures | 36,22.77 | 36,22.77 | 39,26.07 | 39,26.07 |
| 11 | Other cash inflows | 1,44,65.45 | 1,02,14.13 | 1,94,06.29 | 1,29,11.91 |
| **12** | **TOTAL CASH INFLOWS** | **2,10,41.07** | **1,38,36.90** | **2,47,13.67** | **1,68,37.98** |
| | | | **Total Adjusted Value** | | **Total Adjusted Value** |
| **13** | **TOTAL HQLA** | | **8,19,45.45** | | **7,04,81.50** |
| **14** | **TOTAL NET CASH OUTFLOWS** | | **6,36,43.71** | | **6,61,19.23** |
| **15** | **LIQUIDITY COVERAGE RATIO (%)** | | **128.76%** | | **106.60%** |

**5 FIXED ASSETS**

a) Documentation formalities are yet to be completed in respect of two( P.Y. three) immovable properties held by the Bank at written down value of Rs 1.98 crore ( P.Y. Rs. 29.26 crore.) in respect of which steps have already been initiated.

b) Land and Buildings revalued as on 31.3.1995 at fair market value as determined by an approved valuer have further been revalued as on 30.11.2007 at fair market value by approved valuer. The resultant increase in value thereof on such revaluation amounting to Rs 456.59 crore as on 31.3.1995 and Rs 1290.68 crore as on 30.11.2007 have been credited to Revaluation Reserve and depreciation amounting to Rs 56.56 crore (Rs 34.62 crore) attributable thereto has been deducted there from. As per AS-10, the depreciation on revalued portion is recouped from revenue reserve resulting in decrease in revaluation reserve by Rs. 107.07 crore for the year ended March 31, 2019.

**6. FRAUD CASES DETECTED/REPORTED**

( ₹.in Crore)

| Frauds Detected during the Year | No. of cases of Frauds detected | Amount involved in such frauds | Amount outstanding as on 31/03/2019 | Provision made as of 31/03/2019 | Unamortized provision as of 31/03/2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 284 | 65,16.88 | 59,33.30 | 58,44.71 | 88.58 |

**7. BALANCING OF BOOKS, RECONCILIATION OF INTER BRANCH / BANK TRANSACTIONS**

Confirmation/ Reconciliation of balance with foreign banks and other banks has been obtained/ carried out.

Adjustment of outstanding entries in Suspense Accounts, Sundry Deposits, Clearing Adjustments, Bank Reconciliation Statements and various inter-/office accounts is in progress on an ongoing basis.

Pending final clearance of the (i) and (ii), the overall impact, if any, on the accounts, in the opinion of the management will not be significant.

**8. ROADMAP FOR IMPLEMENTATION OF INDIAN ACCOUNTING STANDARDS (Ind-AS)**

The RBI vide DBR.BP.BC.No. 76/21.07.001/2015-16 dated 11th February 2016, has prescribed the roadmap for implementation of Indian Accounting Standards (Ind-AS) in the Banks and the Banks needs to disclose the strategy for Ind-AS implementation, including the progress made in this regard. The Bank accordingly, has appointed a Consultant to assist in implementation of the Ind-AS. The Bank has also constituted a Steering Committee to oversee the progress made and the Audit Committee of the Board is being apprised of the same from time to time. Further, in terms of DO.DBR.BP.No.2535 /21.07.001/2017-18 dated 13th September 2017, the Bank is submitting Proforma Ind-AS financial statements to the RBI on quarterly basis. Latest Proforma financials for the quarter ended 31st December 2018 was submitted to RBI on 04th February 2019. To enable computations as per Ind-AS, Bank has also floated a Request For Proposal (RFP) for purchase of a software solution in September 2018. The technical evaluation of bidders is completed and the software vendor will be finalised shortly after commercial evaluation. However, by virtue of Circular No RBI/2018-19/146 DBR.BP.BC.No.29/21.07.001/2018-19 dated 22nd March, 2019, RBI has deferred Ind-AS implementation till further notice.

**9. CORPORATE TAXATION:**

Provision for tax is made for both current and deferred taxes. Current tax is provided on the taxable income using applicable tax rates and tax laws. Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognized using the tax rates and the tax laws that have been enacted or substantively enacted till the date of the Balance Sheet.

Deferred Tax Assets are recognized only if there is virtual certainty of realization of such assets in future. Deferred Tax Assets/ Liabilities are reviewed at each Balance Sheet date based on developments during the year.

**10. INVESTMENTS**

i) Profit of ₹ 71.60 crore (Previous year ₹ 2,42.86 crore) on sale of " Held to maturity" category securities have been taken to profit and loss account initially

ii) In respect of "Held to Maturity" category, as stated in Significant Accounting Policy No.4 (ii) (a), the axcess of acquisition cost over face value of the securities amortized during the year amounted to ₹ 2,38.47 crore (previous year ₹ 2,45.46 crore.)

iii) Total investments made in shares, convertible debentures and units of equity linked mutual funds / venture capital funds and also advances againest shares aggregate to ₹ 16,62,61 crore (previous year ₹ 17,78.72 crore)

**11.** During the current year, there are no material prior period item and change in accounting policy (as per AS 5) and no discontinued operations (as per AS 24).

**12.** The figures of the previous year have been regrouped /rearranged wherever considered necessary.

**(DHIRENDRA JAIN)**
DEPUTY GENERAL MANAGER

**(B. SREENIVASA RAO)**
GENERAL MANAGER & CFO

For and on behalf of the Bord of Directors

**(MANAS RANJAN BISWAL)**
EXECUTIVE DIRECTOR

**(DINESH KUMAR GARG)**
EXECUTIVE DIRECTOR

**(GOPAL SINGH GUSAIN)**
EXECUTIVE DIRECTOR

**(RAJ KIRAN RAI G.)**
MANAGING DIRECTOR & CEO

**(KEWAL HANDA)**
CHAIRMAN

**(DR. MADNESH KUMAR MISHRA)**
DIRECTOR

**(ARUN KUMAR SINGH)**
DIRECTOR

**(RAJIV KUMAR SINGH)**
DIRECTOR

**(DR. MADHURA SWAMINATHAN)**
DIRECTOR

**(DR. UTTAM KUMAR SARKAR)**
DIRECTOR

**(K.KADIRESAN)**
DIRECTOR

**(JAYADEV M.)**
DIRECTOR

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED.

**FOR S BHANDARI & CO.**
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO. 000560C

**FOR C N K & ASSOCIATES LLP**
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO.101961W/W-100036

**FOR KIRTANE & PANDIT LLP**
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO.105215W/W-100057

**(P. P. PAREEK )**
PARTNER
(M.NO. 071213)

**(SURESH S. AGASKAR)**
PARTNER
(M.NO.110321)

**(S B BHAGWAT )**
PARTNER
(M.NO.008072)

**FOR R S PATEL & CO.**
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO.107758W

**FOR M G B & CO. LLP**
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO. 101169W/W-100035

**FOR B M CHATRATH & CO LLP**
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO. 301011E/E300025

**(RAJAN B SHAH)**
PARTNER
(M.NO.101998)

**(SANJAY KOTHARI)**
PARTNER
(M.NO. 048215)

**(ANAND CHATRATH)**
PARTNER
(M.NO. 052975)

PLACE : MUMBAI
Date : 14th MAY, 2019

# STANDALONE CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2019

(₹ in Lacs)

| S. No. | Particulars | Year ended 31.03.2019 | Year ended 31.03.2018 |
|---|---|---|---|
| A | **CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES:** | | |
| | Net Profit Before Tax | (39,26,66) | (66,41,13) |
| | Adjustments for: | | |
| | Depreciation on Fixed Assets | 3,68,04 | 3,62,71 |
| | Provision for Investments | 6,54 | 19,27,25 |
| | Provision for Non Performing Assets (Net) | 1,14,35,40 | 1,34,99,84 |
| | Provision for Standard Asset | (2,43,17) | (12,51,87) |
| | Provision for Staff Related Expenditures | 1,36,95 | 2,16,36 |
| | Other provisions | 9,13 | 5,49 |
| | (Profit) / Loss on Sale or Disposal of Fixed Assets | (2,97) | 8,47 |
| | Interest on Borrowings : Capital Instruments | 10,75,01 | 11,66,38 |
| | **Sub Total** | **88,58,27** | **92,93,50** |
| | **Adjustments for:** | | |
| | Increase / (Decrease) in Deposits | 74,13,64 | 3,26,02,63 |
| | Increase / (Decrease) in Other Liabilities and Provisions | 5,74,88 | (17,59,19) |
| | (Increase) / Decrease in Investments | (22,28,13) | (1,35,32,39) |
| | (Increase) / Decrease in Advances | (1,92,50,91) | (1,55,58,28) |
| | (Increase) / Decrease in Other Assets | (16,81,81) | (23,20,06) |
| | Direct taxes paid (Net of Refund) | (9,31,88) | (25,56,38) |
| | **NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (A)** | **(72,45,95)** | **61,69,83** |
| B | **CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES :** | | |
| | Purchase of Fixed Assets | (3,09,81) | (3,23,92) |
| | Proceeds from Sale of Fixed Assets | 17,58 | 4,99 |
| | (Increase)/Decrease in Investment in Subsidiary | (70,84) | (24,14) |
| | **NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES (B)** | **(3,63,07)** | **(3,43,07)** |
| C | **CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES :** | | |
| | Proceeds from Issue of Equity Share Capital Including Share Premium (Net) | 46,73,97 | 70,47,19 |
| | Proceeds from issue of Capital Instruments | 0 | 3,00,00 |
| | Repayments of Capital Instruments | (15,40,00) | 0 |
| | (Decrease)/Increase Borrowings other than Capital Instruments | (12,76,95) | 41,54,90 |
| | Interest Paid on Borrowings : Capital Instruments | (6,43,24) | (7,10,15) |
| | **NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES (C)** | **12,13,78** | **1,07,91,94** |
| | **Net Increase (Decrease) in Cash & Cash Equivalent ( A )+( B )+( C )** | **(63,95,23)** | **1,66,18,70** |
| | **Cash and Cash Equivalents as at the beginning of the year** | **4,94,41,20** | **3,28,22,50** |
| | **Cash and Cash Equivalents as at the end of the year** | **4,30,45,97** | **4,94,41,20** |

# STANDALONE CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2019

(₹ in Lacs)

| S. No. | Particulars | Year ended 31.03.2019 | Year ended 31.03.2018 |
|---|---|---|---|
| D | **CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR** | | |
| | Cash and Balances with RBI (including FC notes) | 2,10,16,47 | 1,65,20,45 |
| | Balances with Banks and Money at call | 2,84,24,73 | 1,63,02,05 |
| | **Net cash and cash equivalents at the beginning of the year** | **4,94,41,20** | **3,28,22,50** |
| E | **CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR** | | |
| | Cash and Balance with RBI (including FC notes) | 2,07,96,46 | 2,10,16,47 |
| | Balances with Banks and Money at call | 2,22,49,51 | 2,84,24,73 |
| | **Net cash and cash equivalents at the end of the year** | **4,30,45,97** | **4,94,41,20** |

Previous Year's figures have been regrouped/recasted wherever considered necessary to correspond with the Current Year's classification/ presentation.

| (MANAS RANJAN BISWAL) | (DINESH KUMAR GARG) | (GOPAL SINGH GUSAIN) | (RAJKIRAN RAI G.) | (KEWAL HANDA) |
|---|---|---|---|---|
| Executive Director | Executive Director | Executive Director | Managing Director & CEO | Chairman |

**Auditors Certificate :**

We, the undersigned Statutory Auditors of the Union Bank of India, have verified the above Cash Flow Statement of the Bank for the year ended 31.03.2019. The statement has been prepared in Indirect Method in accordance with the AS-3, "Cash Flow Statement" issued by The Institute of Charterted Accountants of India and with the requirments of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements), 2015 and is based on and in agreement with the corresponding Profit & Loss Account and the Balance Sheet of the Bank covered by our report of the 14th May, 2019 to the members.

**FOR S BHANDARI & CO.**
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Regn.No. 000560C

**(P. P. PAREEK )**
PARTNER
(M.NO.071213)

**FOR C N K & ASSOCIATES LLP**
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Regn.No.101961W/W-100036

**(SURESH S. AGASKAR)**
PARTNER
(M.NO.110321)

**FOR KIRTANE & PANDIT LLP**
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Regn.No.105215W/W-100057

**(S B BHAGWAT)**
PARTNER
(M.No.008072)

**FOR R S PATEL & CO.**
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Regn.No.107758W

**(RAJAN B SHAH)**
PARTNER
(M.No.101998)

**FOR M G B & CO. LLP**
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Regn.No. 101169W/W-100035

**(SANJAY KOTHARI)**
PARTNER
(M.No. 048215)

**FOR B M CHATRATH & CO LLP**
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Regn.No. 301011E/E300025

**(ANAND CHATRATH)**
PARTNER
(M.NO.052975)

Place: MUMBAI.

Date: 14th May 2019

# INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

**The Board of Directors**

**Report on Audit of the Consolidated Financial Statements**

**Opinion**

1. We have audited the accompanying consolidated financial statements of Union Bank of India ('the Bank'), its subsidiaries, Associate and Joint Venture (together referred to as 'the Group') which comprise the consolidated Balance Sheet as at 31 March 2019 and the consolidated Profit and Loss Account and the consolidated Cash Flows Statement for the year then ended, and notes to consolidated financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as the consolidated financial statements).

**2.** In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on our audit and on consideration of the report of other auditors on separate financial statements of Subsidiaries and Joint Venture and on the matters referred to in paragraph 8 below, the accompanying consolidated financial statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 in the manner so required for the Bank and are in conformity with the accounting principles generally accepted in India and give:

a. true and fair in case of Consolidated Balance Sheet of the state of affairs of the Group as at 31 March 2019;

b. true balances of loss in case of Consolidated Profit and Loss Account for the year ended on that date; and

c. true and fair view in the case of Consolidated Cash Flow Statement for the year ended on that date.

**Basis for Opinion:**

**3.** We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements section of our report. We are independent of the Group in accordance with the code of ethics issued by the ICAI together with ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 (the 'Act')and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the code of ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

**Key Audit Matters:**

**4.** Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters prescribed below to be the key audit matters to be communicated in our report:

| Sr. No. | Key Audit Matters | How the Matter was addressed in our report |
|---|---|---|
| 1. | **Information Technology (IT) Systems and controls over financial reporting** | |
| | The Bank's financial accounting and reporting systems are highly dependent on the effective working of the Core Banking Solution (CBS) and other IT systems linked to the CBS or working independently. Extensive volume, variety and complexity of transactions are processed daily and there is a risk that automated accounting procedures and related internal controls may not be accurately designed and operating effectively. Particular areas of focus relate to the logic that is fed into the system, sanctity and reliability of the data, access management and segregation of duties. These underlying principles are important because they ensure that changes to applications and data are appropriate, authorized, cleansed and monitored, so that the system generates accurate and reliable reports/returns and other financial and non-financial information that is used for the preparation and presentation of the financial statements. We have relied on the consistent and accurate functioning of CBS and other IT systems for the following:<br>• Asset Classification and Income recognition as per the Reserve Bank of India guidelines;<br>• Provisioning on the advance portfolio;<br>• Identification of advances and liability items and its maturity pattern in various brackets;<br>• Reconciliation and ageing of various suspense and sundry accounts, impersonal accounts, inter-branch balances and other such accounts;<br>• Recording Investment transactions<br>• Interest expense on deposits and other liabilities; | Our audit procedures included verifying, testing and reviewing the design and operating effectiveness of the IT system by verifying the reports/returns and other financial and non-financial information generated from the system on a test check basis. Our audit procedures included:<br>• Ensuring that deficiencies noticed in our verification on test check basis were informed to the management for corrective action;<br>• Carrying out independent alternative audit procedures like substantive testing in areas were deficiencies were noticed;<br>• Analytical procedures like ratio analysis, trend analysis, reasonable tests, comparative analysis;<br>• Reliance on the work performed by the statutory branch auditors and the rectification entries (MOCs) passed based on branch audits;<br>• Reliance on external vendor inspection reports wherever made available. |
| 2. | **Income Recognition, Asset Classification (IRAC) and provisioning on Loans & Advances and Investments as per the regulatory requirements.** | |
| | Loans & Advances and Investments are the largest class of assets forming 85.62% of the total assets as on March 31, 2019. Classification, income recognition and loss provisioning on the same are based on objective parameters as prescribed by the regulations (Reserve Bank of India's prudential norms and other guidelines).<br>The management of the Bank relies heavily on its IT systems (including Core Banking Solution), exercise significant estimates and judgement, manual interventions, and uses services of experts (like independent valuers, Lawyers, legal experts and other professional) to determine asset classification, income recognition and provisioning for losses. | Our audit was focused on income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances due to the materiality of the balances and associated impairment provisions.<br>Our audit procedures included the assessment of controls over the approval, disbursements and monitoring of loans, and reviewing the logic and assumptions used in the CBS and other related IT systems for compliance of the IRAC and provisioning norms and its operating effectiveness. These included:<br>• We have evaluated and understood the Bank's internal control system in adhering to the Relevant RBI guidelines regarding income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances/investments;<br>• System controls and manual controls over the timely recognition of non-performing assets (NPA/NPI);<br>• Operational existence and effectiveness of controls over provisioning calculation models from the IT systems; |

| | | |
|---|---|---|
| | | • Overall Controls on the loan approval, disbursement and monitoring process in case of advances and controls over the purchase, sale and hold decisions making system in case of investments<br>• We tested sample of loans/investments (in cases of branches visited by us) to assess whether they had been identified as non performing on a timely manner, income recognized and provisioning made as per IRAC norms.<br>• We have also reviewed the reliability, effectiveness and accuracy of manual interventions, wherever it has come to our notice, on test check basis.<br>• We have relied on the reports/returns and work done by other Statutory Branch Auditors (SBA) in cases of branches not visited by us to get an overall comfort with respect to overall compliance in accordance with SA 600 - Using the Work of Another Auditor.<br>• We have reviewed the work done by other experts like Independent valuers, Lawyers, Legal Experts and other such professionals who have rendered services to the Bank, in accordance with SA 620 Using the Work of an Auditor's Expert.<br>• Further we have also reviewed the Bank's system of monitoring potentially weak and sensitive accounts which show a sign of stress.<br>• We have also reviewed the reports and observations of the Bank's internal audit/inspection reports and observations of the concurrent auditors for the same.<br>• Verification of valuation, classification, provisioning and income recognition of investments by carrying our substantive test including arithmetic accuracy, data accuracy and control over the financial reporting system. |
| **3.** | **Recognition and measurement of Deferred tax** | |
| | The Bank has recognised a net deferred tax asset of Rs 51,720,800 (in '000) as on March 31, 2019.<br>Besides objective estimation, recognition and measurement of deferred tax asset is based on the judgment and numerous estimates regarding the availability and visibility of profits in the future.<br>The recent increase in the amount of deferred tax assets recognised presumes availability and forecasting of profits over an extended period of time thus increasing uncertainty and the inherent risk of inappropriate recognition of the said asset. | Our audit procedures included the risk assessment to gain an understanding of the applicable tax laws and relevant regulations applicable to the Bank. Based on our understanding, we performed both tests of related internal key controls and substantive audit procedures with the assistance of tax specialists. We performed the following audit procedures as part of our controls testing including, but not limited to:<br>• Evaluation of the policies used for recognition and measurement of deferred tax assets in accordance with AS 22 Accounting for Taxes on Income;<br>• Assessed the method, assumptions and other parameters used with reference to uniformity, consistency and continuity like budget and midterm projections prepared by the management including earning growth and applicable tax rates and tested the arithmetical accuracy.<br>• Assessed the probability of the availability and visibility of profits against which the bank will be able to use this deferred tax asset in the future. |

| 4. | Impact of Pending litigation including Tax litigations | |
|---|---|---|
| | There are number of pending and ongoing legal disputes (including tax litigations), regulatory investigations and various claims against the that have not been acknowledged as debts by the group. Refer Schedule-12- Contingent Liabilities. In certain litigation and regulatory matters significant judgement is required by management to determine whether a demand is a liability or a contingent liability. If a present obligation exists and whether a provision should be recognised or a possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the group's control. | Our audit procedures mainly included:<br>• Review of the management's judgment to understand the nature and status of legal disputes, regulatory investigations and claims against banks not acknowledged as debt to determine whether or not a provision should be recognized;<br>• Review of legal opinions obtained by the bank from their in house departments or external experts in this regard (where ever applicable);<br>• Independent checks to assess the adequacy of provisions and disclosure of contingent liability by comparing assumptions to historical data, verification of claims settled and fresh demands during the year and in certain case representation from the management based on legal opinion.<br>• Verification of these provisions and related disclosures of the contingent liability as per the RBI guidelines and policies of the Bank.<br>• Reliance of certification by Statutory Branch Auditors. |

**Other Information:**

5. The Bank's Board of Directors is responsible for the other information. The information comprises the information included in key financial indicators, Director's Report, Management Discussion and Analysis, Corporate Governance Report and Risk Management, but does not include the consolidated financial statements and our auditor's report thereon and the Pillar III Disclosures under the New Capital Adequacy Framework (Basel III disclosures).

   Our opinion on consolidated financial statements does not cover the other information and the Basel III disclosures, and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

   In connection with the audit of the Consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

   **Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements**

6. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these consolidated financial statements that gives a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows of the Group in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Group and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the consolidated financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

   These consolidated financial statements have been prepared by the Bank in accordance with the requirements of AS-21 (Consolidated financial statements), AS-23 (Accounting for investment in Associates in consolidated financial statements) and AS-27 (Financial Reporting of Interest in Joint Ventures) issued by the ICAI and the guidelines

issued by the RBI.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The respective Board of Directors of the entities included in the Group are responsible overseeing the financial reporting process of the Group.

**Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements**

7. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

   As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

   - Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
   - Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
   - Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.
   - Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
   - Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the audit of the financial statements of such entities included in the consolidated financial statements of which we are the independent auditors. For the other entities included in the consolidated financial statements, which have been audited by other auditors, such other auditors remain responsible for the direction, supervision and performance of the audits carried out by them. We remain solely responsible for our audit opinion.

   Materiality is the magnitude of the misstatements in the consolidated financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatement in the financial statements.

   We communicate with those charged with governance of such entities included in the consolidated financial

statements of which we are the independent auditors regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

**Other matters:**

8. We did not audit the financial statements of 3 subsidiaries and 1 Joint Venture included in the consolidated financial statement, whose financial statements reflect total assets of ₹ 5,52,06,276 (in thousand) as at 31 March 2019 and total revenue of ₹ 81,33,268 (in thousand) and net cash inflows amounting to ₹ 6,96,106 (in thousands) for the year ended on that date, as considered in the consolidated financial statements. These financial statements have been audited by other auditors whose report has been furnished to us by the Management and our opinion on the consolidated financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these subsidiaries and joint venture is based solely on the report of such auditors.

   The consolidated financial statements also includes the Group's share of net profit after tax of ₹ 1,10,586 (in thousands), as considered in the consolidated financial statement in respect of an associate, whose financial statements have not been audited by us. These financial statements are unaudited and have been furnished to us by the management and our opinion on the consolidated financial statement, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of the associate, is based solely on such unaudited financial statements as certified by the management of that associate. In our opinion and according to the information and explanations given to us by the Bank's Management, these financial statements are not material to the Group.

   The entities of the Group whose financial statements are included in the Consolidated Financial Statements are listed in Schedule 18 Notes to Accounts which forms part of the Consolidated Financial Statements of the Group.

   Our opinion on the consolidated financial statements is not modified in respect of the above matters with respect to our reliance on the work done and the reports of the other auditors and the financial statements certified by the management.

**For S. Bhandari & Co.**
Chartered Accountants
FRN: 000560C

**P P Pareek**
Partner
Membership No.071213

**For C N K & Associates LLP**
Chartered Accountants
FRN: 101961W/ W-100036

**Suresh S. Agaskar**
Partner
Membership No. 110321

**For Kirtane & Pandit LLP**
Chartered Accountants
FRN: 105215W/ W-100057

**S B Bhagwat**
Partner
Membership No.008072

**For R S Patel & Co.**
Chartered Accountants
FRN: 107758W

**Rajan B Shah**
Partner
Membership No.101998

**For M G B & Co. LLP**
Chartered Accountants
FRN: 101169W/ W-100035

**Sanjay Kothari**
Partner
Membership No.048215

**For B M Chatrath & Co. LLP**
Chartered Accountants
FRN: 301011E/E300025

**Anand Chatrath**
Partner
Membership No. 052975

Place: Mumbai
Date: 14 May, 2019

# CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2019

( ₹ in 000's )

| CAPITAL AND LIABILITIES | Schedule Number | As on 31st March, 2019 | As on 31st March, 2018 |
|---|---|---|---|
| Capital | 1 | **17,63,01,63** | 11,68,57,34 |
| Preference Share Capital Issued by Subsidiary Company | 1A | **1,04,00,35** | - |
| Reserves and Surplus | 2 | **2,49,68,63,20** | 2,40,83,23,49 |
| Deposits | 3 | **41,75,04,80,90** | 41,02,88,43,13 |
| Borrowings | 4 | **4,32,75,59,57** | 4,56,80,39,16 |
| Other Liabilities and Provisions | 5 | **1,09,64,47,82** | 98,99,86,68 |
| **TOTAL** | | **49,85,80,53,47** | 49,11,20,49,80 |
| **ASSETS** | | | |
| Cash and Balances with Reserve Bank of India | 6 | **2,08,00,39,64** | 2,10,17,34,81 |
| Balances with Banks and Money at Call and Short Notice | 7 | **2,23,62,68,07** | 2,84,63,00,94 |
| Investments | 8 | **12,83,91,20,95** | 12,54,84,80,01 |
| Advances | 9 | **29,87,80,10,41** | 29,05,71,50,90 |
| Fixed Assets | 10 | **37,74,45,58** | 38,46,04,95 |
| Other Assets | 11 | **2,44,71,68,82** | 2,17,37,78,19 |
| **TOTAL** | | **49,85,80,53,47** | 49,11,20,49,80 |
| Contingent Liabilities | 12 | **19,92,32,26,20** | 26,68,29,13,97 |
| Bills for Collection | | **1,94,41,23,06** | 1,84,27,08,88 |
| Significant Accounting Policies | 17 | | |
| Notes to Accounts | 18 | | |

The Schedules referred to above form an integral part of the Consolidated Balance Sheet

**(DHIRENDRA JAIN)**
DEPUTY GENERAL MANAGER

**(B. SREENIVASA RAO)**
GENERAL MANAGER & CFO

For and on behalf of the Bord of Directors

**(MANAS RANJAN BISWAL)**
EXECUTIVE DIRECTOR

**(DINESH KUMAR GARG)**
EXECUTIVE DIRECTOR

**(GOPAL SINGH GUSAIN)**
EXECUTIVE DIRECTOR

**(RAJ KIRAN RAI G.)**
MANAGING DIRECTOR & CEO

**(KEWAL HANDA)**
CHAIRMAN

**(DR. MADNESH KUMAR MISHRA)**
DIRECTOR

**(ARUN KUMAR SINGH)**
DIRECTOR

**(RAJIV KUMAR SINGH)**
DIRECTOR

**(DR. MADHURA SWAMINATHAN)**
DIRECTOR

**(DR. UTTAM KUMAR SARKAR)**
DIRECTOR

**(K.KADIRESAN)**
DIRECTOR

**(JAYADEV M.)**
DIRECTOR

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED.

**FOR S BHANDARI & CO.**
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO. 000560C

**(P. P. PAREEK )**
PARTNER
(M.NO. 071213)

**FOR C N K & ASSOCIATES LLP**
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO.101961W/W-100036

**(SURESH S. AGASKAR)**
PARTNER
(M.NO.110321)

**FOR KIRTANE & PANDIT LLP**
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO.105215W/W-100057

**(S B BHAGWAT )**
PARTNER
(M.NO.008072)

**FOR R S PATEL & CO.**
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO.107758W

**(RAJAN B SHAH)**
PARTNER
(M.NO.101998)

**FOR M G B & CO. LLP**
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO. 101169W/W-100035

**(SANJAY KOTHARI)**
PARTNER
(M.NO. 048215)

**FOR B M CHATRATH & CO LLP**
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO. 301011E/E300025

**(ANAND CHATRATH)**
PARTNER
(M.NO. 052975)

PLACE : MUMBAI
Date : 14th MAY, 2019

# CONSOLIDATED PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2019

(₹ in 000's)

| | | Schedule Number | For the year ended 31.3.2019 | For the year ended 31.3.2018 |
|---|---|---|---|---|
| **I.** | **INCOME** | | | |
| | Interest Earned | 13 | **3,43,13,66,75** | 3,29,51,56,96 |
| | Other Income | 14 | **50,41,70,77** | 54,62,08,28 |
| | **TOTAL** | | **3,93,55,37,52** | 3,84,13,65,24 |
| **II.** | **EXPENDITURE** | | | |
| | Interest Expended | 15 | **2,38,96,09,29** | 2,34,70,90,02 |
| | Operating Expenses | 16 | **78,56,17,49** | 72,50,82,64 |
| | Provision And Contingencies | | **1,05,36,51,54** | 1,29,12,56,65 |
| | **TOTAL** | | **4,22,88,78,32** | 4,36,34,29,31 |
| **III.** | **Consolidated Net Profit/(Net Loss) before Minority Interest and Share of Profit in Associate** | | **(29,33,40,80)** | (52,20,64,07) |
| | Add:-Share of profit in Associate | | **11,05,86** | 8,17,25 |
| | Consolidated Net Profit/(Net Loss) for the year before deducting Minority Interest | | **(29,22,34,94)** | (52,12,46,82) |
| | (Less):-Minority Interest | | **-** | - |
| | Consolidated Net Profit/(Net Loss) for the year attributable to the group | | **(29,22,34,94)** | (52,12,46,82) |
| | Add : Profit/(Loss) Brought Forward | | **(54,06,17,97)** | - |
| | **Amount Available for Appropriation** | | **(83,28,52,91)** | (52,12,46,82) |
| **IV.** | **Appropriation** | | | |
| | Transfer To Statutory Reserve | | **-** | - |
| | Transfer To Capital Reserve | | **46,58,01** | 1,58,81,10 |
| | Transer To Revenue And Other Reserves | | **25,09,88** | 34,90,05 |
| | Transfer To Special Reserve [Sec36(I)(viii)]of the Income Tax Act,1961] | | **-** | - |
| | Balance in Profit and Loss Account | | **(84,00,20,80)** | (54,06,17,97) |
| | **TOTAL** | | **(83,28,52,91)** | (52,12,46,82) |
| | Earnings per share (Basic and Diluted in Rs.) of FV of Rs.10/- each | 18(13) | **(24.87)** | (68.98) |
| | Significant Accounting Policies | 17 | | |
| | Notes to Accounts | 18 | | |

The Schedules referred to above form an integral part of the Consolidated Profit & Loss A/c

**(DHIRENDRA JAIN)**
DEPUTY GENERAL MANAGER

**(B. SREENIVASA RAO)**
GENERAL MANAGER & CFO

For and on behalf of the Bord of Directors

**(MANAS RANJAN BISWAL)**
EXECUTIVE DIRECTOR

**(DINESH KUMAR GARG)**
EXECUTIVE DIRECTOR

**(GOPAL SINGH GUSAIN)**
EXECUTIVE DIRECTOR

**(RAJ KIRAN RAI G.)**
MANAGING DIRECTOR & CEO

**(KEWAL HANDA)**
CHAIRMAN

**(DR. MADNESH KUMAR MISHRA)**
DIRECTOR

**(ARUN KUMAR SINGH)**
DIRECTOR

**(RAJIV KUMAR SINGH)**
DIRECTOR

**(DR. MADHURA SWAMINATHAN)**
DIRECTOR

**(DR. UTTAM KUMAR SARKAR)**
DIRECTOR

**(K.KADIRESAN)**
DIRECTOR

**(JAYADEV M.)**
DIRECTOR

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED.

**FOR S BHANDARI & CO.**
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO. 000560C
**(P. P. PAREEK )**
PARTNER
(M.NO. 071213)

**FOR C N K & ASSOCIATES LLP**
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO.101961W/W-100036
**(SURESH S. AGASKAR)**
PARTNER
(M.NO.110321)

**FOR KIRTANE & PANDIT LLP**
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO.105215W/W-100057
**(S B BHAGWAT )**
PARTNER
(M.NO.008072)

**FOR R S PATEL & CO.**
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO.107758W
**(RAJAN B SHAH)**
PARTNER
(M.NO.101998)

**FOR M G B & CO. LLP**
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO. 101169W/W-100035
**(SANJAY KOTHARI)**
PARTNER
(M.NO. 048215)

**FOR B M CHATRATH & CO LLP**
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO. 301011E/E300025
**(ANAND CHATRATH)**
PARTNER
(M.NO. 052975)

PLACE : MUMBAI
Date : 14th MAY, 2019

# SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2019

(₹ in 000's)

| | As on 31st March, 2019 | As on 31st March, 2018 |
|---|---|---|
| **SCHEDULE 1 - CAPITAL:** | | |
| **I. Authorised :** | | |
| i. 30,00,00,00,00 Equity Shares of Rs.10 each (P.Y.30,00,00,00,00 Equity Shares of Rs.10 each) | **30,00,00,00** | 30,00,00,00 |
| **II. Issued, Subscribed & Paid up :** | | |
| i. 13,09,47,72,39 Equity Shares of Rs.10 each, held by Central Government (Previous Year 7,87,91,46,00 Equity Shares) | **13,09,47,72** | 7,87,91,46 |
| ii. 4,53,53,90,75 Equity Shares of Rs.10 each, held by Public (Previous Year 3,80,65,88,00 Equity Shares) | **4,53,53,91** | 3,80,65,88 |
| | **17,63,01,63** | 11,68,57,34 |
| **SCHEDULE 1A - PREFERENCE SHARE CAPITAL ISSUED BY SUBSIDIARY COMPANY :** | | |
| 10,40,03,544 Participatory Non-Redemable Compulsorily convertible Preference Shares of Rs. 10 Each (Issued by Union Asset Management Company Private Limited, a subsidiary company ) to Dai Ichi Life Holdings Inc on May 17 2018 for a tenure of 20 years) | **1,04,00,35** | - |
| **TOTAL** | **1,04,00,35** | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SCHEDULE 2 - RESERVES & SURPLUS :** | | | | | |
| I. Statutory Reserve : | | | | | |
| As per last Balance Sheet | **66,70,61,10** | | 66,70,61,10 | | |
| Addition during the year | **-** | **66,70,61,10** | - | 66,70,61,10 | |
| II. Capital Reserve : | | | | | |
| As per last Balance Sheet | **12,38,37,60** | | 10,79,56,50 | | |
| Addition during the year | **46,58,01** | **12,84,95,61** | 1,58,81,10 | 12,38,37,60 | |
| III. Revaluation Reserve : | | | | | |
| As per last Balance Sheet | **23,41,87,75** | | 24,56,79,77 | | |
| Addition during the year | **-** | | - | | |
| Deduction during the year | **1,07,06,76** | **22,34,80,99** | 1,14,92,02 | 23,41,87,75 | |
| IV. Share Premium : | | | | | |
| As per last Balance Sheet | **1,10,73,65,72** | | 45,07,59,91 | | |
| Addition during the year | **41,15,31,04** | | 65,83,86,77 | | |
| Deduction during the year | **7,49,32** | **1,51,81,47,44** | 17,80,96 | 1,10,73,65,72 | |

# SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2019

(₹ in 000's)

| | | As on 31st March, 2019 | | As on 31st March, 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| **V.** | **Revenue Reserves :** | | | | |
| | i) Revenue and other Reserves : | | | | |
| | As per last Balance Sheet | **51,46,34,38** | | 51,65,15,64 | |
| | Addition during the year | **1,78,36,12** | | 3,44,10,71 | |
| | Deduction during the year | **3,68,46,72** | | 3,62,91,97 | |
| | | **49,56,23,78** | | 51,46,34,38 | |
| | ii) Special Reserve Sec 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961. | | | | |
| | As per last Balance Sheet | **28,75,00,00** | | 28,75,00,00 | |
| | Addition during the year | **-** | | - | |
| | | **28,75,00,00** | | 28,75,00,00 | |
| | iii) Foreign Currency Translation Reserve" | | | | |
| | As per last Balance Sheet | **1,43,54,92** | | 1,10,49,67 | |
| | Addition during the year | **38,94,42** | | 44,59,70 | |
| | Deduction during the year | **16,74,26** | | 11,54,45 | |
| | **Total** | **1,65,75,08** | **79,96,98,86** | 1,43,54,92 | 81,64,89,29 |
| **VI.** | **Balance in Profit and Loss Account** | | **(84,00,20,80)** | | (54,06,17,97) |
| | **TOTAL** | | **2,49,68,63,20** | | 2,40,83,23,49 |
| **SCHEDULE 3 - DEPOSITS :** | | | | | |
| **I.** | **Demand Deposits** | | | | |
| | i) From Banks | **4,89,32,22** | | 4,72,80,37 | |
| | ii) From Others | **2,60,81,83,98** | **2,65,71,16,20** | 2,46,09,16,79 | 2,50,81,97,16 |
| **II.** | **Savings Bank Deposits** | | **12,36,37,81,80** | | 11,42,00,95,04 |
| **III.** | **Term Deposits** | | | | |
| | i) From Banks | **49,38,53,26** | | 65,64,72,87 | |
| | ii) From Others | **26,23,57,29,64** | **26,72,95,82,90** | 26,44,40,78,06 | 27,10,05,50,93 |
| | **TOTAL** | | **41,75,04,80,90** | | 41,02,88,43,13 |
| | Deposits of branches in India | | **41,30,54,63,55** | | 40,31,70,44,72 |
| | Deposits of branches outside India | | **44,50,17,35** | | 71,17,98,41 |
| | **TOTAL** | | **41,75,04,80,90** | | 41,02,88,43,13 |

# SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2019

(₹ in 000's)

| | | | As on 31st March, 2019 | | As on 31st March, 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| **SCHEDULE 4 - BORROWINGS :** | | | | | |
| **A.** | **Borrowings: Capital Instruments** | | | | |
| | I. Perpetual Bonds | **41,99,62,35** | | 45,39,62,35 | |
| | II. Upper Tier II Bonds | **15,00,00,00** | | 15,00,00,00 | |
| | III. Tier II Bonds | **55,50,00,00** | **1,12,49,62,35** | 67,50,00,00 | 1,27,89,62,35 |
| **B.** | **Borrowings in India** | | | | |
| | i. Reserve Bank of India | **90,00,00,00** | | 65,86,00,00 | |
| | ii. Other Banks | **-** | | - | |
| | iii. Other Institutions and Agencies | **43,72,44,31** | **1,33,72,44,31** | 11,96,37,90 | 77,82,37,90 |
| **C.** | **Borrowings Outside India** | | **1,86,53,52,91** | | 2,51,08,38,91 |
| | **TOTAL** | | **4,32,75,59,57** | | 4,56,80,39,16 |
| | "Secured Borrowings included in (B) I above" | | **90,00,00,00** | | 65,86,00,00 |
| **SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS :** | | | | | |
| I. | Bills Payable | | **11,71,25,84** | | 12,68,88,35 |
| II. | Interest Accrued | | **17,68,77,50** | | 35,08,16,31 |
| III. | Other (Including Provisions) | | **80,24,44,48** | | 51,22,82,02 |
| | **TOTAL** | | **1,09,64,47,82** | | 98,99,86,68 |
| **SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA :** | | | | | |
| I. | Cash in Hand | | **12,50,92,78** | | 12,91,22,28 |
| | (including foreign currency Notes & Gold) | | | | |
| II. | Balances with Reserve Bank of India In Current Account | | **1,95,49,46,86** | | 1,97,26,12,53 |
| | **TOTAL** | | **2,08,00,39,64** | | 2,10,17,34,81 |
| **SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE :** | | | | | |
| I. | **In India** | | | | |
| | i). Balances with Banks | | | | |
| | a) In Current Accounts | | **84,13,56** | | 69,34,80 |
| | b) In Other Deposit Accounts | | **69,61,01,77** | | 71,41,43,81 |
| | ii) Money at Call & Short notice | | | | |
| | a) With Banks | | **75,24,92,76** | | 1,19,28,91,33 |
| | b) With Other Institutions | | **–** | | – |
| | | | **1,45,70,08,09** | | 1,91,39,69,94 |
| II. | **Outside India** | | | | |
| | i) In Current Accounts | | **2,43,76,21** | | 4,37,96,90 |
| | ii) In other Deposit Accounts | | **75,48,83,77** | | 87,68,99,77 |
| | iii) Money at Call & Short notice | | **-** | | 1,16,34,33 |
| | | | **77,92,59,98** | | 93,23,31,00 |
| | **TOTAL** | | **2,23,62,68,07** | | 2,84,63,00,94 |

# SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2019

(₹ in 000's)

| | As on 31st March, 2019 | As on 31st March, 2018 |
|---|---|---|
| **SCHEDULE 8 - INVESTMENTS :** | | |
| **I. Investments in India** | | |
| i) Government Securities | **9,51,40,12,38** | 9,81,23,77,63 |
| ii) Other Approved Securities | **2,91,32,56** | 84,72,17 |
| iii) Shares | **18,39,65,92** | 22,22,99,08 |
| iv) Debentures and Bonds | **2,33,68,09,99** | 2,02,51,57,25 |
| v) Subsidiaries and Joint Ventures / Associate | **2,13,36,36** | 2,02,30,50 |
| vi) Others (Commercial Paper, Mutual Funds, Venture Capital, Security Receipt, Etc.) | **50,63,80,28** | 25,12,57,93 |
| **TOTAL** | **12,59,16,37,49** | 12,33,97,94,56 |
| **II. Investments outside India** | | |
| i) Govt. Securities (including Local Authorities) | **18,41,43,43** | 16,02,89,62 |
| ii) Shares | **40,32** | 40,32 |
| iii) Other Investments (Bonds) | **6,32,99,71** | 4,83,55,51 |
| iv) Subsidiaries and Joint Ventures | **-** | **-** |
| **TOTAL** | **24,74,83,46** | 20,86,85,45 |
| **TOTAL** | **12,83,91,20,95** | 12,54,84,80,01 |
| **III. Investments in India** | | |
| Gross Value | **12,82,78,34,25** | 12,61,41,78,59 |
| Less: Provision for Depreciation | **23,61,96,76** | 27,43,84,03 |
| Net Value of Investment in India | **12,59,16,37,49** | 12,33,97,94,56 |
| **IV Investments outside India** | | |
| Gross Value | **24,81,07,56** | 21,13,25,50 |
| Less: Provision for Depreciation | **6,24,10** | 26,40,05 |
| Net Value of Investment outside India | **24,74,83,46** | 20,86,85,45 |
| **TOTAL** | **12,83,91,20,95** | 12,54,84,80,01 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SCHEDULE 9 - ADVANCES (Net)** | | | | |
| I. | i) | Bills Purchased and Discounted | **44,75,22,40** | 88,93,93,48 |
| | ii) | Cash Credits, Overdrafts and Loans Repayable on Demand | **13,13,63,42,24** | 13,23,56,88,18 |
| | iii) | Term Loans | **16,29,41,45,77** | 14,93,20,69,24 |
| | | **TOTAL** | **29,87,80,10,41** | 29,05,71,50,90 |
| II | i) | Secured by Tangible Assets (includes Advance against Book Debts) | **25,77,61,30,96** | 25,83,84,12,93 |
| | ii) | Covered by Bank/Government Guarantees | **1,34,60,71,82** | 1,01,54,67,51 |
| | iii) | Unsecured | **2,75,58,07,63** | 2,20,32,70,46 |
| | | **TOTAL** | **29,87,80,10,41** | 29,05,71,50,90 |
| **A.** | | **Advances in India** | | |
| | i) | Priority Sector | **11,56,08,32,12** | 11,05,56,83,14 |
| | ii) | Public Sector | **2,89,24,65,43** | 2,50,78,14,78 |
| | iii) | Banks | **19,00,18,37** | 3,17 |
| | iv) | Others | **13,61,85,68,30** | 12,88,01,53,00 |
| | | **TOTAL** | **28,26,18,84,22** | 26,44,36,54,09 |

(₹ in 000's)

| | | As on 31st March, 2019 | As on 31st March, 2018 |
|---|---|---|---|
| **B.** | **Advances outside India** | | |
| i) | Due From Banks | **24,11,89,98** | 72,82,29,73 |
| ii) | Due From Others | **-** | - |
| a) | Bills Purchased and Discounted | **6,91,25,00** | 58,62,42,36 |
| b) | Syndicated loans | **2,26,66,68** | 2,23,98,63 |
| c) | Others | **1,28,31,44,53** | 1,27,66,26,09 |
| | **TOTAL** | **1,61,61,26,19** | 2,61,34,96,81 |
| | **TOTAL** | **29,87,80,10,41** | 29,05,71,50,90 |

**SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **A.** | **TANGIBLE ASSETS** | | | | |
| **I.** | **Premises** | | | | |
| | At cost/valuation as per last Balance Sheet | **38,39,16,26** | | 38,03,91,45 | |
| | Additions during the year | **40,09,60** | | 35,52,52 | |
| | Deductions during the year | **5,95,40** | | 27,71 | |
| | | **38,73,30,46** | | 38,39,16,26 | |
| | Less: Depreciation till Date | **11,08,71,47** | **27,64,58,99** | 9,73,95,35 | 28,65,20,91 |
| **II.** | **Capital Work in Progress** | | | | |
| | At cost as per last Balance Sheet | **34,08,15** | | 21,48,89 | |
| | Additions during the year | **28,67,02** | | 27,21,19 | |
| | Deductions during the year | **18,57,90** | **44,17,27** | 14,61,93 | 34,08,15 |
| **III.** | **Land** | | | | |
| | At cost as per last Balance Sheet | **69,53,13** | | 76,30,34 | |
| | Additions during the year | **1,06** | | - | |
| | Deductions during the year | **-** | | 6,77,21 | |
| | | **69,54,19** | | 69,53,13 | |
| | Less: Depreciation till Date | **6,21,92** | **63,32,27** | 5,44,15 | 64,08,98 |
| **IV.** | **Other Fixed Assets** (including Furniture and Fixtures) | | | | |
| **a)** | **Assets given on Lease** | | | | |
| | At cost as per last Balance Sheet | **26,53,52** | | 26,53,52 | |
| | Addition during the year | **-** | | - | |
| | Deductions during the year | **-** | | - | |
| | | **26,53,52** | | 26,53,52 | |
| | Less: Depreciation till Date | **26,53,52** | **-** | 26,53,52 | - |

# SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2019

(₹ in 000's)

| | | As on 31st March, 2019 | | As on 31st March, 2018 |
|---|---|---|---|---|
| **b) Others** | | | | |
| At cost/valuation as per last Balance Sheet | **26,16,37,36** | | 24,21,15,34 | |
| Additions during the year | **2,38,26,89** | | 2,53,53,41 | |
| Deductions during the year | **39,64,51** | | 58,31,39 | |
| | **28,14,99,74** | | 26,16,37,36 | |
| Less: Depreciation till Date | **19,45,48,04** | **8,69,51,70** | 17,66,51,19 | 8,49,86,17 |
| **B. INTANGIBLE ASSETS** | | | | |
| **Computer Software** | | | | |
| At cost as per last Balance Sheet | **2,52,04,14** | | 2,33,32,78 | |
| Additions during the year | **26,97,96** | | 29,59,41 | |
| Deductions during the year | **28,71** | | 10,88,05 | |
| | **2,78,73,39** | | 2,52,04,14 | |
| Amortisation till Date | **2,45,88,04** | **32,85,35** | 2,19,23,38 | 32,80,76 |
| **TOTAL** | | **37,74,45,58** | | 38,46,04,95 |

**SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS :**

| | | | |
|---|---|---|---|
| I. | Inter-Office Adjustments (Net) | **11,21,09,82** | 2,17,67,38 |
| II. | Interest Accrued | **25,05,70,40** | 35,71,48,58 |
| III. | Deferred Tax Assets (Net) | **51,89,25,47** | 41,98,14,27 |
| IV. | Stationery and Stamps | **3,72,93** | 3,89,64 |
| V. | Non-Banking Assets acquired in satisfaction of claims | **3,90** | 3,90 |
| VI. | Others | **1,23,93,37,37** | 1,37,34,05,00 |
| VII. | Tax paid/Tax deducted at source (Net of Provisions) | **32,45,99,51** | - |
| VIII. | Goodwill on account of consolidation | **12,49,42** | 12,49,42 |
| | **TOTAL** | **2,44,71,68,82** | 2,17,37,78,19 |

**SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES :**

| | | | |
|---|---|---|---|
| I. | Claims against the Bank not acknowledged as debts | **31,05,14,86** | 34,42,29,27 |
| II. | Liability for partly paid Investments | **59,20** | 59,20 |
| III. | Liability on account of outstanding forward exchange contracts | **12,13,38,73,76** | 18,38,54,87,97 |
| IV. | Guarantees given on behalf of Constituents | | |
| | i) In India | **3,57,75,82,53** | 3,94,10,11,51 |
| | ii) Outside India | **6,21,64,44** | 3,56,16,08 |
| V. | Acceptances, Endorsements and Other Obligations | **3,34,54,65,14** | 3,56,43,82,59 |
| VI. | Other items of Contingent Liability | **2,87,85,39** | 87,14,25 |
| VII. | Disputed Tax demands under Appeals | **35,01,59,88** | 30,60,36,10 |
| VIII. | Amount transfered to DEAF Scheme 2014 | **11,46,21,00** | 9,73,77,00 |
| | **TOTAL** | **19,92,32,26,20** | 26,68,29,13,97 |

# SCHEDULES FORMING PART OF CONSOLIDATED PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2019

(₹ in 000's)

| | | For the year ended 31st March, 2019 | For the year ended 31st March, 2018 |
|---|---|---|---|
| **SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED :** | | | |
| I. | Interest/Discount on Advances/Bills | **2,38,68,57,08** | 2,28,56,97,61 |
| II. | Income on Investments | **91,48,76,68** | 88,98,35,39 |
| III. | Interest on Balances with RBI & Other Inter Bank Funds | **12,06,20,72** | 11,40,55,44 |
| IV. | Others | **90,12,27** | 55,68,52 |
| | **TOTAL** | **3,43,13,66,75** | 3,29,51,56,96 |
| **SCHEDULE 14 - OTHER INCOME :** | | | |
| I. | Commission, Exchange and Brokerage | **5,81,36,76** | 5,04,29,07 |
| II. | Profit on Sale of Investments - (Net) | **6,40,47,35** | 12,96,61,38 |
| III. | Profit/ (Loss) on Fixed Asset - (Net) | **2,96,50** | (8,47,38) |
| IV. | Profit on Exchange Transactions - (Net) | **5,64,90,40** | 8,92,52,90 |
| V. | Miscellaneous Income | **32,51,99,76** | 27,77,12,31 |
| | **TOTAL** | **50,41,70,77** | 54,62,08,28 |
| **SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED :** | | | |
| I. | Interest on Deposits | **2,21,00,43,69** | 2,15,78,06,81 |
| II. | Interest on Reserve Bank of India/Inter Bank Borrowing | **8,80,69,06** | 8,68,43,93 |
| III. | Others | **9,14,96,54** | 10,24,39,28 |
| | **TOTAL** | **2,38,96,09,29** | 2,34,70,90,02 |
| **SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES :** | | | |
| I. | Payments to and Provisions for Employees | **32,37,22,66** | 32,32,17,10 |
| II. | Rent, Taxes and Lighting | **6,13,99,82** | 5,74,68,66 |
| III. | Printing and Stationery | **54,32,93** | 57,22,80 |
| IV. | Advertisement and Publicity | **61,20,89** | 63,79,97 |
| V. | Depreciation on Bank's Property | **3,73,81,97** | 3,68,23,23 |
| VI. | Directors' Fees, Allowances and Expenses | **4,17,81** | 3,74,01 |
| VII. | Remuneration to Managing / Executive Director | **1,05,89** | 1,04,63 |
| VIII. | Auditors' Fees and Expenses (including Branch Auditors) | **49,95,58** | 55,11,36 |
| IX. | Law Charges | **55,94,06** | 41,99,24 |
| X. | Postage, Telegrams, Telephones, etc. | **1,23,61,73** | 95,42,36 |
| XI. | Repairs and Maintenance | **1,25,81,43** | 1,22,81,81 |
| XII. | Insurance | **4,19,90,79** | 3,80,68,24 |
| XIII. | Other Expenditure | **27,35,11,93** | 22,53,89,23 |
| | **TOTAL** | **78,56,17,49** | 72,50,82,64 |

# SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR 2018-2019 (CONSOLIDATED)

**SCHEDULE 17 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES:**

**1. Basis of Preparation**

The financial statements are prepared under the historical cost convention, on the accrual basis of accounting ongoing concern basis, unless otherwise stated and conform in all material aspects to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprise applicable statutory provisions, regulatory norms/guidelines prescribed by the Reserve Bank of India (RBI), Banking Regulation Act 1949, Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), and the practices prevalent in the banking industry in India. In respect of foreign offices, statutory provisions of practices prevailing in respective foreign countries are complied with.

**2. Use of Estimates**

The preparation of financial statements in conformity with GAAP requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of Assets and Liabilities (including Contingent Liabilities) as of the date of the financial statements and the reported Income and the Expenses during the reporting period. Management believes that the estimates wherever used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Actual results can differ from these estimates. Any revision in the accounting estimates is recognized prospectively in the current and future period

**3. Basis of consolidation**

a) Consolidated Financial Statements (CFS) of the Group (comprising of 3 Subsidiaries, 1 Associate and 1 Joint Venture) have been prepared on the basis of:

i) Audited Financial Statement of Union Bank of India (Parent).

ii) Line by line aggregation of each item of asset, liabilities, income and expenditure of subsidiaries with the respective items of the parent after eliminating intra group balances/ transactions, unrealized profit/losses based on the data received from the subsidiaries duly audited by their respective auditors as per Accounting Standard – 21 "Consolidated Financial Statements" issued by ICAI.

iii) Accounting for Investments in 'Associate' under the 'Equity Method' as per Accounting Standard 23 "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements" issued by ICAI.

iv) Consolidation of Joint Venture – 'Proportionate Consolidation' as per Accounting Standard 27 "Financial Reporting of Interest in Joint Ventures" by ICAI.

b) In case of Domestic Associate/Subsidiaries and Joint Venture, accounting adjustments arising due to different accounting policies followed by parent bank and associate/subsidiaries and Joint Venture have not been carried out due to practical difficulties on the basis of data provided by associates/ subsidiaries and Joint Venture.

c) The difference between cost to the Group of its investment in the subsidiaries and the Parent's portion of the equity of the subsidiaries is recognized in the CFS as Goodwill / Capital Reserve, as the case may be.

d) Minority interest in the net assets of the consolidated subsidiaries consists of:

i) The amount of equity attributable to the minority at the date on which investment in a subsidiary is made and

ii) The minority share of movements in revenue reserves / loss and equity since the date the parent subsidiary relationship came into existence.

iii) The excess, and any further losses applicable to the minority, are adjusted against the majority interest except to the extent that the minority has a binding obligation to, and is able to, make good the losses.

**4. Revenue Recognition**

**a) Banking entities**

i) Income and Expenditure is generally accounted for on accrual basis unless otherwise stated.

ii) Income from Non-Performing Assets (NPAs) is recognized to the extent realized as per the prudential norms prescribed by RBI.

iii) Bank commission, exchange and brokerage earned, rent on Safe Deposit Lockers (SDV), commission on biometric cards, income from Aadhaar cards etc. are accounted for on realization basis.

iv) Income (other than interest) on investments in "Held to Maturity" (HTM) category acquired at discount to the face value is recognized as follows:

a) On interest bearing securities, it is recognized only at the time of sale / redemption.

b) On zero coupon securities, it is accounted for over the balance tenor of the securities on a constant yield basis.

v) Dividend is accounted on an accrual basis where the right to receive the same is established.

vi) Sale of NPAs accounted in terms of extant RBI guidelines.

vii) The interest expenditure incurred towards payment of Interest of AT-1 bonds is booked through statement of Profit & Loss. Reserve Bank of India through Circular No DBR.DP.BC. No.50/21.06.201/2016-17 dated February 02, 2017. It is mentioned that "Coupons must be paid out of 'distributable items'. In this context, coupon may be paid out of current year profits. However, the guidelines further allows that if current year profits are not sufficient, coupons may be paid subject to availability of :

a. Profits brought from previous years, and/ or

b. Reserves representing appropriation of net profits, including statutory reserves, and excluding share premium, revaluation reserve, foreign exchange currency translation reserve, investment reserve and reserves created on amalgamation.

Therefore in case of insufficiency of profits of the current year, the coupons may also be paid by debit to reserves as stated above.

**b) Non Banking entities**

**Life Insurance**

**i. Premium Income**

Premium (net of Service Tax/GST) is recognized as income when due. For linked business, premium is recognized when the associated units are created. Top up premiums are considered as single premium. Premium on lapsed policies is recognized as income when such policies are reinstated. Commission received on reinsurance ceded is recognized as income in the period in which reinsurance premium is ceded.

**ii. Income from linked funds**

Income from linked funds which includes premium allocation charges, policy administrative charges, mortality charges, fund management charges etc. are recovered from the linked funds in accordance with the terms and conditions of policies issued.

**iii. Reinsurance Premium**

Cost of reinsurance ceded is accounted for at the time of recognition of premium income in accordance with the treaty or in principle arrangement with the reinsurer. Profit commission on reinsurance ceded is netted off against premium ceded on reinsurance.

**iv. Benefits paid (including claims)**

Benefits paid comprise of policy benefits & claim settlement costs, if any. Death, rider & surrender claims are accounted for on receipt of intimation. Survival benefit claims and maturity claims are accounted for when due. Withdrawals & surrenders under linked policies are accounted for in the respective schemes when the associated units are cancelled. Reinsurance recoveries on claims are accounted for in the same period as the related claims.

**v. Acquisition Costs**

Acquisition costs are costs that vary with and are primarily related to acquisition of insurance contracts and are expensed in the period in which they are incurred.

**vi. Liability for life policies**

Actuarial liability for life policies in force and for policies in respect of which premium has been discontinued but a liability exists, is determined by the Appointed Actuary using the gross premium method and in case of group business, unearned premium reserve method, in accordance with accepted actuarial practice, requirements of Insurance Act, 1938, IRDA regulations and the stipulations of Institute of Actuaries of India.

**Asset Management**

i. Investment management fees are recognized net of service tax on an accrual basis as a percentage of the average daily net assets of the mutual fund schemes (excluding the investments made by the company in the schemes) such that it does not exceed the limit prescribed by the SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 and any further amendments.

ii. Investment advisory fees are recognized on accrual basis in accordance with the terms of contract with the customers.

iii. Interest income is recognized using the time proportion method, based on the rates implicit in the transaction.

iv. Dividend income is recognized when right to receive is established.

**5. Investments**

**i) Classification**

In conformity of the requirements in form A of the Third Schedule to the Banking Regulations Act,

1949, Investments are classified as under:

a) Government Securities

b) Other Approved Securities

c) Shares

d) Debentures & Bonds

e) Investments in Subsidiaries & Joint Ventures, and

f) Other Investments

The Investment portfolio of the Bank is further categorized in accordance with the RBI guidelines into:

a) Held to Maturity (HTM)

b) Available for Sale (AFS)

c) Held for Trading (HFT)

**ii) Basis of Valuation**

As per RBI guidelines, the following principles have been adopted for the purpose of valuation:

a) Securities held in "HTM" – at acquisition cost: The excess of acquisition cost over the face value is amortized over the remaining period of maturity and in case of discount; it is not recognized as income.

b) Investments in Subsidiaries and Joint Ventures are valued at cost. Investment in Associates are valued cost following Equity Method as per AS-23 "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements".

c) Diminution other than temporary, if any, in valuation of such investments is provided for.

d) Securities held in "AFS" and "HFT" categories are valued classification wise and scrip wise and net depreciation, if any, in each classification is charged to Profit and Loss account while net appreciation, if any, is ignored.

e) Valuation of other securities is arrived at as follows:

| | | |
|---|---|---|
| a | Govt. of India Securities | As per quotations put out by Fixed Income Money Market and Derivatives Association (FIMMDA) |
| b | State Development Loans, Securities guaranteed by Central / State Government, PSU Bonds | On appropriate yield to maturity basis as per FIMMDA guidelines |
| c | Equity Shares | As per market rates, if quoted, otherwise at Book value, as per latest Audited Balance Sheet (not more than 1 year old). In the absence of both, at Rs 1/- per Company. |
| d | Preference Shares | As per market rates, if quoted, or on appropriate yield to maturity basis not exceeding redemption value as per FIMMDA Guidelines |
| e | Debentures/Bonds | As per market rates, if quoted, otherwise on appropriate yield to maturity basis as per FIMMDA guidelines. |
| f | Mutual Funds(MF) | As per stock exchange quotations, if quoted. In case of unquoted units, as per latest Repurchase price declared by concerned MF. In cases where latest repurchase price is not available, as per Net Asset Value (NAV) |
| g | Treasury Bills / Certificate of Deposits / Commercial Papers | At carrying cost |
| h | Venture Capital Funds (VCF) | At declared NAV or Breakup NAV as per audited Balance Sheet which is not more than 18 months old. If NAV / audited financial statements are not available for more than 18 months continuously, at Rs 1/- per VCF |
| I | Security Receipts | At NAV as declared by Securitization Companies |

**iii)** Interbank REPO / Reverse REPO transactions are accounted for in accordance with extant RBI guidelines.

**iv)** As per the extant RBI guidelines, the shifting of securities from one category to another is accounted for as follows:

a) From AFS / HFT categories to HTM category, at lower of book value or market value as on the date of shifting. Depreciation, if any, is fully provided for.

b) From HTM category to AFS / HFT category,

- If the security is originally placed at discount in HTM category, at acquisition cost/ book value
- If the security is originally placed at a premium, at an amortized cost.

c) From AFS to HFT category and vice versa, at book value.

d) The securities so shifted are revalued immediately and resultant depreciation is fully provided for.

**v)** The non-performing investments are identified and depreciation/ provision is made as per the extant RBI guideline.

**vi)** Profit / Loss on sale of investments in any category is taken to the Profit and Loss account. However, in case of profit on sale of investments in "HTM" category, an equivalent amount (net of taxes and net of transfer to Statutory Reserves) is appropriated to the Capital Reserve account.

**vii)** Commission, brokerage, broken period interest etc. on securities is debited / credited to Profit & Loss account.

**viii)** As per the extant RBI guidelines, the Bank follows 'Settlement Date' for accounting of investments transactions.

**6. Derivative Contracts:**

The Interest Rate Swap (IRS) which hedges interest bearing asset or liability are accounted for in the financial statements on accrual basis except the swap designated with an asset or liability that is carried at market value or lower of cost or market value. Gains or losses on the termination of swaps are recognized over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the asset / liability.

(i) Trading swap transactions are marked to market with changes recorded in the financial statements.

(ii) In the case of option contracts, guidelines issued by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) from time to time for recognition of income, premium and discount are being followed.

**7. Advances**

i) Advances in India, are classified under four categories, i.e. (a) Standard, (b) Sub-standard, (c) Doubtful and (d) Loss assets. Provisions required on such advances are made as per the extant prudential norms issued by the RBI. In respect of Advances made in overseas branches, Advances are classified in accordance with Prudential Norms prescribed by the RBI or local laws of the host country in which advances are made, whichever is more stringent.

ii) Advances are stated net of specific loan loss provisions, counter cyclical provisioning buffer and provision for diminution in fair value of restructured advances and unrecovered interest held in sundry / claims received from Credit Guarantee Trust for Micro & Small Enterprises (CGTMSE)/Export Credit Guarantee Corporation (ECGC) relating to non-performing assets.

iii) The general provision on standard advances is held in "Other Liabilities and Provisions" reflected in Schedule 5 of the balance sheet and is not considered for arriving at both net NPAs and net advances.

**8. Fixed Assets, Depreciation & Amortisation**

i) Fixed Assets are stated at cost less accumulated depreciation as adjusted for impairment, if any. Cost includes cost of purchase and all expenditure like site preparation, installation costs and professional fees incurred on the asset before it is ready to use. Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalized only when it increases the future benefit/functioning capability from/of such assets. Land and Buildings, if revalued are stated at revalued amount. The appreciation on revaluation is credited to Revaluation Reserve and the depreciation provided thereon is deducted there from.

Pursuant to revised Accounting Standard 10 – Property Plant & Equipment, in respect of revalued assets, the additional depreciation consequent to revaluation is transferred from Revaluation Reserve to Revenue Reserve in the Balance Sheet.

ii) Depreciation on Fixed Assets is provided for on the written down value method at the rates considered appropriate by the management as under:-

| | Type of Asset | Rate of Depreciation |
|---|---|---|
| I. | Premises | 5 % |
| II. | Other Fixed Assets | |
| | – Furniture and Fittings | 10 % |
| | – Furniture and Fittings<br>– Electric Fittings and Equipment, Office Appliances and SDV Lockers/Strong rooms etc. | 15 % |
| | – Transport Vehicles | 20 % |

| | | |
|---|---|---|
| | – Uninterrupted Power Supply Equipments (UPS) | 33.33 % |
| III. | Amount added consequent upon revaluation of the assets | Applicable rate for the asset type, over the residual economic life of the respective assets |

iii) Application Software is capitalized and clubbed under intangible assets. Depreciation on computers and software forming an integral part of Computer Hardware and on ATM is provided on Straight Line Method at the rate of 33.33% as per the guidelines of RBI.

iv) Depreciation on additions to assets made up to 30th September of the year is provided at full rate and on additions made thereafter, at half the rate.

v) Depreciation on premises is provided on composite cost, wherever the value of land and buildings is not separately identifiable.

vi) No depreciation is provided on assets sold / disposed off during the year.

vii) Depreciation on leased assets and leasehold improvements is recognized on a straight-line basis using rates determined with reference to the primary period of lease.

viii) Depreciation on fixed assets outside India and fixed assets of subsidiaries / associates is provided as per regulatory requirements / or prevailing practices of respective country / industry.

**9. Impairment of Assets**

The carrying costs of assets are reviewed at each balance sheet date if there is any indication of impairment based on internal / external factors. An impairment loss is recognized wherever the carrying cost of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the greater of the assets net selling price and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and risks specific to the asset. After impairment, depreciation is provided on the revised carrying cost of the asset over its remaining useful life. A previously recognized impairment loss is increased or reversed depending on changes in circumstances. However, the carrying value after reversal is not increased beyond the carrying value that would have prevailed by charging usual depreciation, if there was no impairment.

**10. Counter Cyclical Provisioning Buffer**

The Bank has a policy for creation and utilization of Counter Cyclical Provisioning Buffer separately for advances and investments. The quantum of provision to be created is assessed at the end of each financial year. The counter cyclical provisions are utilized only for contingencies under extra ordinary circumstances specified in the policy with prior permission of the RBI.

**11. Transactions involving Foreign Exchange**

Accounting for transactions involving foreign exchange is done in accordance with AS 11, (The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates), issued by the ICAI. As stipulated in AS 11, the foreign currency operations of the Bank are classified as under

a) Integral Operations and

b) Non Integral Operations.

All Overseas Branches, Offshore Banking Units, Overseas Subsidiaries are treated as Non Integral Operations and domestic operations in foreign exchange and Representative Offices are treated as Integral Operations.

**a) Translation in respect of Integral Operations**

i) Income and Expenditure items are recognized at the exchange rates prevailing on the date of the transaction.

ii) Foreign Currency Monetary and Non-Monetary Assets and Liabilities are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter.

iii) Contingent liabilities on account of guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are stated at the exchange rates notified by FEDAI at the close of the year

iv) The resulting exchange differences are recognized as income or expenses and are accounted through Profit and Loss Account.

v) Forward exchange contracts are recorded at the exchange rate prevailing on the date of commitment. Outstanding forward exchange contracts are revalued at the exchange rates notified by FEDAI for specified maturities and at interpolated rates for contracts of 'in-between' maturities. The resultant gains or losses are recognized in the Profit and Loss account.

**b) Translation in respect of Non Integral Operations**

i) Assets and Liabilities (including contingent

liabilities) are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter

ii) Foreign Exchange Spot and Forwards contingent liabilities outstanding as at the balance sheet date are translated at the closing spot and forward rates respectively notified by FEDAI and at interpolated rates for contracts of interim maturities.

iii) Income and Expense are translated at quarterly average rate notified by FEDAI at the end of each quarter.

iv) The resulting exchange differences are not recognized as income or expense for the period but accumulated in a separate account "Foreign Currency Translation Reserve" till the disposal of the net investment..

**12. Employee Benefits**

Retirement benefits in the form of provident fund are a defined contribution scheme. The contributions to the provident fund are charged to the Profit and Loss account for the year when the contributions are due. The Bank has no obligation, other than the contribution payable to the provident fund.

Gratuity liability, Pension fund and provision towards leave are defined benefit obligations, and are provided for on the basis of an actuarial valuation as per AS 15 (Revised) made at the end of each financial year, based on the projected unit credit method. Actuarial gains/losses are immediately taken to the Profit and Loss account.

The New Pension Scheme is applicable to employees who joined the Bank on or after 01.04.2010 is a defined contribution scheme. Bank pays fixed contribution at predetermined rate and the obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss Account. Employee benefits relating to employees employed at foreign offices are valued and accounted for as per the local laws/regulation of the respective countries.

**13. Segment Reporting**

The Bank recognizes the Business Segment as the Primary Reporting Segment and Geographical Segment as the Secondary Reporting Segment, in accordance with the RBI guidelines and in the compliances with the Accounting Standard 17 issued by ICAI. Business Segments are classified into (a) Treasury operations, (b) Corporate and Wholesale Banking, (c) Retail Banking operations and (d) Other Banking operations.

**14. Lease Transactions**

Lease payments for assets taken on operating lease are amortized over the lease term. The properties taken on lease / rental basis are renewable / cancellable at the option of the Bank. The Bank's liabilities in respect of disputes pertaining to additional rent / lease rent are recognized on settlement or on renewal.

**15. Earnings Per Share**

Earnings per share are calculated by dividing the net profit or loss (after tax) for the year attributable to the equity share holders by the weighted average number of equity shares outstanding during the year. Diluted earnings per share reflect the potential dilution that could occur if contracts to issue equity shares were exercised or converted during the year. Diluted earnings per equity share are calculated by using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the year.

**16. Taxation**

Provision for tax is made for both current and deferred taxes. Current tax is provided on the taxable income using applicable tax rates and tax laws. Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognized using the tax rates and the tax laws that have been enacted or substantively enacted till the date of the Balance Sheet. Deferred tax assets are recognized only if there is virtual certainty of realization of such assets in future. Deferred tax assets/ liabilities are reviewed at each Balance Sheet date based on developments during the year.

**17. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets**

As per AS 29 (Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets) issued by the ICAI, the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made. Contingent Assets are not recognized in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realized.

**18. Share Issue Expenses:**

Share Issue expenses are charged to the Share Premium account.

# SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR 2018-19 (CONSOLIDATED)

## SCHEDULE 18 – NOTES TO ACCOUNTS

**1.** The particulars of the subsidiaries whose financial statements are consolidated with the standalone financial statement of the Bank (the Parent) are as under:

| Names of Subsidiaries | Country of Incorporation | Proportion of Ownership by the parent as on 31.03.19 |
|---|---|---|
| Union Asset Management Company Private Limited | India | 100% |
| Union Trustee Company Private Limited | India | 100% |
| Union Bank of India UK Limited | United Kingdom | 100% |

**2.** The particulars of Joint Venture considered in the Consolidated Financial Statements are as under :

| Names of Joint Venture | Country of Incorporation | Proportion of Ownership |
|---|---|---|
| Star Union Dai–Ichi Life Insurance Company Limited (Non- Banking) | India | 25.10% |

**3.** The particulars of Associate considered in the Consolidated Financial Statements are as under:

| Names of Associates | Country of Incorporation | Proportion of Ownership |
|---|---|---|
| Regional Rural Bank<br>Kashi Gomti Samyut Gramin Bank | India | 35% |

The Value of the investment made by the Bank is Rs 916.65 Crore as on 31st March 2019 which is treated as long term investment.

**4.** The financial statements of the subsidiaries, joint venture and associate which are used in the consolidation have been drawn up to the same reporting date as that of the Parent i.e. 31st March 2019.

**5.** The Consolidated Financial Statements have been prepared on the basis of audited financial statements of Star Union Dai-ichi Life Insurance Company Limited, Union Asset Management Company Private Limited, Union Trustee Company Private Limited, Union Bank of India (UK) Limited and unaudited financials of Kashi Gomti Samyut Gramin Bank (Regional Rural Bank) for the financial year ended 31.03.2019.

**6.** Adjustment of outstanding entries in Suspense Accounts, Sundry Deposits, Clearing Adjustments, Bank Reconciliation Statements and various inter-branch/office accounts is in progress on an ongoing basis.

Pending final clearance of the same, the overall impact, if any, on the accounts, in the opinion of the management will not be significant.

**7. DISCLOSURES IN TERMS OF THE RESERVE BANK OF INDIA GUIDELINES**

**7.1. A. Capital**

The Bank is subjected to Basel III capital adequacy guidelines stipulated by RBI with effect from April 1, 2013. The guidelines provide a transition schedule for Basel III implementation till March 31, 2019. As per guidelines, the Tier I capital is made up of Common Equity Tier I (CET I) and Additional Tier I.

Basel III guidelines require the Bank to maintain minimum capital to Risk Weighted Assets ratio (CRAR) of 10.875% with minimum CET I of 7.375% (inclusive of Capital Conservation Buffer of 1.875%) and minimum Tier I CRAR of 8.875% as at March 31, 2019.

The computation of Capital Adequacy as per the framework is indicated below:

| Sr.No | Particulars | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|---|---|---|---|
| i) | Common Equity Tier 1 Capital ratio (CET 1) (%) Basel III | 8.10 | 7.62 |
| ii) | Tier I Capital ratio (%) Basel III | 9.56 | 9.08 |
| iii) | Tier II Capital ratio (%) Basel III | 2.30 | 2.43 |
| iv) | Total Capital ratio (CRAR) (%) Basel III | 11.86 | 11.51 |
| v) | Percentage of the shareholding of the Government of India (%) | 74.27 | 67.43 |
| vi) | Amount of Equity Capital raised : (₹ in crore) | 46,80.32 | 70,65 |
| vii) | Amount of Additional Tier I capital raised : (₹ in crore) | Nil | 5,00 |
| viii) | Amount of Tier II Capital raised : (₹ in crore) | Nil | Nil |
| | of which Debt capital instruments : (₹ in crore) | Nil | Nil |

### 7.2 Provisions and Contingencies

(₹ in crore)

| Break up of Provision & Contingencies. shown under the head in Profit & Loss: | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|---|---|---|
| Provision / (Reversal) for Depreciation on Investment | (4,04.37) | 15,59.99 |
| Provision towards NPA | 1,15,25.80 | 1,34,99.84 |
| Provision(Reversal) towards Standard Assets | 1,38.26 | (7,20.39) |
| Net Provision made towards Income Tax/Deferred tax | (9,99.75) | (13,85.93) |
| Other Provision and Contingencies: | | |
| – Shifting Loss | 4,10.91 | 3,67.25 |
| – Restructured Advances | (3,56.06) | (2,35.65) |
| – Others | 2,21.73 | (2,72.54) |
| **TOTAL** | **1,05,36.52** | **1,28,12.57** |

### 7.3 Counter Cyclical Provisioning Buffer / Floating Provision:

(₹ in crore)

| Sr. No | Particulars | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|---|---|---|---|
| i) | Opening Balance | 2,93.20 | 2,93.20 |
| ii) | Additional provisions made during the accounting year | Nil | Nil |
| iii) | Amount of drawdown made during the accounting year | Nil | Nil |
| iv) | Closing balance | 2,93.20 | 2,93.20 |

## 8. EMPLOYEE BENEFITS (AS 15 - REVISED)

**Defined Benefit Plans – Employee's Pension plan and Gratuity plan:**

The Bank has accounted for employee benefits as per Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India, as per actuarial valuation report for the year ended March 31, 2019

(₹ in crore)

| | Particulars | 31.03.2019 | | 31.03.2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Gratuity | Pension | Gratuity | Pension |
| i) | **Table showing change in Defined Benefit Obligation :** | | | | |
| | Liability at the beginning of the year | 12,44.88 | 1,18,03.32 | 11,14.72 | 1,12,31.15 |
| | Interest Cost | 97.47 | 9,15.94 | 80.26 | 8,36.72 |
| | Current Service Cost | 57.96 | 1,03.65 | 53.45 | 1,20.75 |
| | Past Service Cost (Vested Benefit Amortized) | Nil | Nil | 2,42.12 | Nil |
| | Past Service Cost (Vested Benefit) | Nil | Nil | Nil | Nil |
| | Liability Transfer in | Nil | Nil | Nil | Nil |
| | Liability Transfer out | Nil | Nil | Nil | Nil |
| | Benefit paid | (1,88.78) | (7,53.46) | (1,37.65) | (6,59.09) |
| | Actuarial (gain)/loss on obligation –due change In the financial assumption | 3.20 | (36.24) | 34.24 | 3,11.61 |
| | Actuarial (gain) / loss on obligations | 7.91 | 1,25.22 | (1,42.26) | (37.82) |
| | **Liability at the end of the year** | 12,22.64 | 1,21,58.43 | 12,44.88 | 1,18,03.32 |
| ii) | **Table of Fair value of Plan Assets:** | | | | |
| | Fair value of Plan Assets at the beginning of the year | 13,02.00 | 1,21,15.00 | 13,33.03 | 1,12,14.89 |
| | Expected return on Plan Assets | 1,01.95 | 9,40.12 | 95.98 | 8,35.51 |
| | Contributions | Nil | Nil | Nil | 7,45.08 |
| | Transfer from Other Company | Nil | Nil | Nil | Nil |
| | Transfer to Other Company | Nil | Nil | Nil | Nil |
| | Benefit paid | (1,88.78) | (7,53.46) | (1,37.65) | (6,59.09) |
| | Actuarial (Gain)/loss on Plan Assets | 13.03 | (7.18) | (10.64) | 21.39 |
| | Fair Value of Plan Assets at the end of the year | 12,02.14 | 1,23,08.84 | 13,02.00 | 1,21,15.00 |
| | Actuarial (gain)/loss on obligation for the period | 11.11 | 88.98 | (1,08.02) | 2,73.79 |
| | Actuarial (Gain)/loss on Plan Assets | 13.03 | (7.18) | (10.64) | 21.39 |
| | **Total Actuarial (Gain)/loss to be recognized** | 24.14 | 81.80 | (1,18.66) | 2,95.18 |
| iii) | **Recognition of Transitional Liability :** | | | | |
| | Transitional Liability at start | Nil | Nil | Nil | Nil |
| | Transitional Liability recognized during the year | Nil | Nil | Nil | Nil |
| | **Transitional Liability at end** | Nil | Nil | Nil | Nil |
| iv) | **Actual return on Plan Assets :** | | | | |
| | Expected Return on Plan Assets | 1,01.95 | 9,40.12 | 95.98 | 8,35.51 |
| | Actuarial gain/(loss) on Plan Assets | (13.03) | 7.18 | 10.64 | (21.39) |
| | **Actual return on Plan Assets** | 88.92 | 9,47.30 | 1,06.62 | 8,14.12 |

| | Particulars | 31.03.2019 | | 31.03.2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Gratuity | Pension | Gratuity | Pension |
| v) | **Expenses recognized in the Income Statement:** | 57.96 | 1,03.65 | 53.45 | 1,20.75 |
| | Current Service Cost | (4.48) | (24.18) | (15.72) | 1.21 |
| | Interest Cost | | | | |
| | Expected Return on Plan Assets | Nil | Nil | Nil | Nil |
| | Past Service Cost (Vested Benefit Amortized) recognized | Nil | Nil | 2,42.12 | Nil |
| | Past Service Cost (Vested Benefit) recognized | Nil | Nil | Nil | Nil |
| | Recognition of Transition Liability | Nil | Nil | Nil | Nil |
| | Actuarial (Gain) or Loss | 24.14 | 81.80 | (1,18.66) | 2,95.18 |
| | **Expenses Recognized in P & L** | 77.62 | 1,61.27 | 1,61.19 | 4,17.14 |
| vi) | **Balance Sheet Reconciliation:** | | | | |
| | Opening Net Liability (Last year net amount recognized in the balance sheet) | (57.12) | (3,11.68) | (2,18.31) | 16.26 |
| | Expenses as above | 77.62 | 1,61.27 | 1,61.19 | 4,17.14 |
| | Transfer from other Company (Net) | Nil | Nil | Nil | Nil |
| | Transfer to other Company (Net) | Nil | Nil | Nil | Nil |
| | Employer Contribution | Nil | Nil | Nil | (7,45.08) |
| | Net (Asset)/Liability Amount recognized **in Balance Sheet** | 20.50 | (1,50.41) | (57.12) | (3,11.68) |
| vii) | **Other Details :**<br>Pension is payable at the rate of 1/66 Salary for Each Year of Service Subject to Maximum of 50%.<br>Gratuity is payable at the rate of 15 days salary for each year of service subject to maximum of Rs 20, 00,000 or as per the Bank scheme.<br>Actuarial gain / loss is accounted for in the year of occurrence.<br>Salary escalation is considered as advised by the company which is in line with the industry practice considering promotion and demand and supply of the employees. | | | | |
| | No. of Members | 3,72,67 | 1,51,54 | 3,75,02 | 1,64,43 |
| | Salary Per Month | 1,13.20 | 91.04 | 1,71.21 | 92.65 |
| | **Contribution for next year** | 80.04 | Nil | 0.84 | Nil |

| | Particulars | 31.03.2019 | | 31.03.2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Gratuity | Pension | Gratuity | Pension |
| | **Category of assets:** | | | | |
| | Government of India Assets | 74.78 | 2,03.33 | 94.78 | 2,50.28 |
| | Corporate Bonds/FDR | 1,32.71 | 15,39.48 | 1,78.50 | 13,42.84 |
| | Special Deposits Scheme | - | - | 8.01 | 4,10.00 |
| viii) | State Govt. | 1,66.50 | 7,35.89 | 1,74.58 | 7,61.71 |
| | Property | Nil | Nil | Nil | Nil |
| | Other | 1,07.32 | 13,29.07 | 1,11.64 | 13,24.49 |
| | Insurer Managed Funds | 7,20.83 | 85,01.07 | 7,34.50 | 80,25.68 |
| | **Total** | 12,02.14 | 1,23,08.84 | 13,02.01 | 1,21,15.00 |

(₹ in crores)

| Surplus/Deficit in the Plan: | Gratuity Plan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Amount recognized in the Balance-Sheet** | **31.03.19** | **31.03.18** | **31.03.17** | **31.03.16** | **31.03.15** |
| Liability at the end of the year | 12,22.64 | 12,44.88 | 11,14.72 | 11,10.33 | 10,88.16 |
| Fair value of Plan Assets at the end of the year | 12,02.14 | 13,02.00 | 13,33.03 | 12,51.27 | 12,64.00 |
| Difference | (20.50) | 57.12 | 2,18.31 | 1,40.94 | 1,75.84 |
| Unrecognized Past Service Cost | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Unrecognized Transition Liability | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Amount Recognized in the Balance Sheet | (20.50) | 57.12 | 2,18.31 | 1,40.94 | 1,75.84 |

(₹ in crores)

| Amount recognized in the Balance-Sheet | Gratuity Plan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Experience Adjustment** | **31.03.19** | **31.03.18** | **31.03.17** | **31.03.16** | **31.03.15** |
| On plan liability (Gain) / Loss | 7.91 | (1,42.26) | (13.96) | Nil | (21.18) |
| On plan Assets (Loss) / Gain | (13.03) | 10.64 | 42.42 | 29.80 | 38.03 |

(₹ in crores)

| Surplus/Deficit in the Plan: | Pension | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Amount recognized in the Balance-Sheet** | **31.03.19** | **31.03.18** | **31.03.17** | **31.03.16** | **31.03.15** |
| Liability at the end of the year | 1,21,58.43 | 1,18,03.32 | 1,12,31.15 | 96,19.00 | 82,18.43 |
| Fair value of Plan Assets at the end of the year | 1,23,08.84 | 1,21,15.00 | 1,12,14.89 | 95,25.70 | 78,61.00 |
| Difference | 1,50.41 | 3,11.68 | (16.26) | (93.30) | (3,57.43) |
| Unrecognized Past Service Cost | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Unrecognized Transition Liability | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Amount Recognized in the Balance Sheet | 1,50.41 | 3,11.68 | (16.26) | (93.30) | (3,57.43) |

| Amount recognized in the Balance-Sheet | Pension | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Experience Adjustment** | **31.03.19** | **31.03.18** | **31.03.17** | **31.03.16** | **31.03.15** |
| On plan liability (Gain) / Loss | 1,25.22 | (37.82) | 7,93.17 | 13,99.16 | 7,31.44 |
| On plan Assets (Loss) / Gain | (7.18) | (21.39) | 5,26.25 | 1,55.11 | 2,10.89 |

| | Principal acturial assumption used (%) | 2018-19 | | 2017-18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Gratuity | Pension | Gratuity | Pension |
| | Discount Rate Prev. | 7.83 | 7.76 | 7.20 | 7.45 |
| | Rate of return on Plan Assets Prev. | 7.83 | 7.76 | 7.20 | 7.45 |
| | Salary Escalation Prev. | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| | Attrition Rate Prev. | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| | Discount Rate Current | 7.79 | 7.78 | 7.83 | 7.76 |
| | Rate of Return on Plan Assets Current | 7.79 | 7.78 | 7.83 | 7.76 |
| | Salary Escalation Current | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| | Attrition Rate Current | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |

**9.1 Defined Contribution Plan:**

The Bank has Defined Contribution Pension Scheme (DCPS) applicable to all categories of officers and employees joining the Bank on or after April 1, 2010. The scheme is managed by National Pension Scheme (NPS) Trust under the aegis of the Pension Fund Regulatory and Development Authority. National Securities Depository Limited has been appointed as the Central Record Keeping Agency for the NPS. During F.Y. 2018-19, the Bank has contributed Rs 100.20 crore (Previous Year Rs 86.48 crore) to NPS.

**9.2 Other long term Employee Benefits:**

Details of Provisions made for various Long Term Employees Benefits during the year are as follows:

(₹ in crore)

| Sr. No. | Other Long Term Benefits | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|---|---|---|---|
| 1. | Pension | 1,61.27 | 4,17.14 |
| 2. | Leave Encashment | (3.92) | 61.84 |
| 3. | Leave Travel Concession | 36.06 | (19.02) |
| 4. | Sick Leave | Nil | Nil |

**10. SEGMENT REPORTING (AS-17)**

**10.1 Business Segments:** (₹ in crores)

| Business Segment | | Consolidated | |
|---|---|---|---|
| | | Year Ended | |
| | | (Audited) | |
| | | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
| (a) | **Segment Revenue** | | |
| 1 | Treasury Operations | 1,14,40.18 | 1,20,08.17 |
| 2 | Retail Banking Operations | 1,11,28.91 | 1,08,80.08 |
| 3 | Corporate /Wholesale Banking | 1,54,01.50 | 1,40,12.38 |
| 4 | Other Banking Operations | 6,46.77 | 5,50.49 |
| 5 | Unallocated | 10,02.26 | 11,74.01 |
| | **Total** | **3,96,19.62** | **3,86,25.13** |
| | Less Inter-segment Revenue | (2,64.24) | (2,11.48) |
| | **Total Revenue** | **3,93,55.38** | **3,84,13.65** |

| Business Segment | | Consolidated | |
|---|---|---|---|
| | | Year Ended | |
| | | (Audited) | |
| | | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
| **(b)** | **Segment Results** | | |
| 1 | Treasury Operations | 27,67.14 | 16,48.99 |
| 2 | Retail Banking Operations | 9,47.37 | 4,24.88 |
| 3 | Corporate /Wholesale Banking | (81,14.53) | (94,88.47) |
| 4 | Other Banking Operations | 2,85.87 | 2,75.25 |
| 5 | Unallocated | 1,92.05 | 5,40.95 |
| | **Total Profit Before Tax** | **(39,22.10)** | **(65,98.40)** |
| (c) | Income Tax | (9,99.75) | (13,85.93) |
| **(d)** | **Net Profit** | **(29,22.35)** | **(52,12.47)** |
| | | | |
| **(e)** | **Segment Assets** | | |
| 1 | Treasury Operations | 17,50,59.13 | 17,40,24.01 |
| 2 | Retail Banking Operations | 12,73,10.28 | 11,62,79.02 |
| 3 | Corporate/Wholesale Banking | 17,88,51.72 | 18,72,88.80 |
| 4 | Other Banking Operations | Nil | Nil |
| 5 | Unallocated Assets | 1,73,59.40 | 1,35,28.66 |
| | **Total** | **49,85,80.53** | **49,11,20.49** |
| | | | |
| **(f)** | **Segment Liabilities** | | |
| 1 | Treasury Operations | 16,87,54.95 | 16,76,50.29 |
| 2 | Retail Banking Operations | 12,33,68.05 | 11,25,61.64 |
| 3 | Corporate /Wholesale Banking | 17,33,13.47 | 18,13,01.28 |
| 4 | Other Banking Operations | Nil | Nil |
| 5 | Unallocated Liabilities | 63,08.42 | 43,55.48 |
| | **Total** | **47,17,44.89** | **46,58,68.69** |
| **(g)** | **Capital Employed (Segment Assets-Segment Liabilities)** | | |
| 1 | Treasury Operations | 63,04.18 | 63,99.62 |
| 2 | Retail Banking Operations | 39,42.23 | 37,17.38 |
| 3 | Corporate /Wholesale Banking | 55,38.25 | 59,87.51 |
| 4 | Other Banking Operations | Nil | Nil |
| 5 | Unallocated Liabilities | 1,10,50.98 | 91,47.28 |
| | **Total** | **2,68,35.64** | **2,52,51.80** |

**Notes:**

1. *The Bank operates in four segments viz., Treasury, Retail, Corporate / Wholesale and Other Banking Operations. These segments have been identified in line with AS-17 on segment reporting issued by Institute of Chartered*

*Accountants of India (ICAI) after considering the nature and risk profile of the products and services, the target customer profiles, the organizational structure and the internal reporting system of the bank. The bank has disclosed the business segment as primary segment. The revenue and other parameters prescribed in AS-17 of foreign branch for the period are within the threshold limits as stipulated under AS-17 and hence the bank has only one reportable geographical segment.*

2. *Segment wise income, expenditure, Capital employed which are not directly allocable have been allocated to the reportable segments based on assumptions as considered appropriate by the management.*

3. *Previous year's/Twelve Month's figures have been regrouped/recasted wherever considered necessary to correspond with the current Twelve Month's classification/ presentation.*

## 11. RELATED PARTY DISCLOSURES (AS-18)

### 11.1 List of Related Parties

**a) Subsidiaries**

- Union Asset Management Company Private Limited
- Union Trustee Company Private Limited
- Union Bank of India (UK) Limited

**b) Joint Venture**

- Star Union Dai-ichi Life Insurance Company Limited

**c) Associate**

- Regional Rural Bank sponsored by the Parent Bank viz. Kashi Gomti Samyut Gramin Bank

**d) Key Management Personnel**

| Name | Designation | Joining/Cessation during the year 2018-19 |
|---|---|---|
| Shri Rajkiran Rai G. | Managing Director & CEO | N.A. |
| Shri Vinod Kathuria | Executive Director | Cessation on 31-07-2018 |
| Shri Gopal Singh Gusain | Executive Director | Joining on 20-09-2018 |
| Shri Atul Kumar Goel | Executive Director | Cessation on 01-11-2018 |
| Shri Dinesh Kumar Garg | Executive Director | Joining on 02-11-2018 |
| Shri Raj Kamal Verma | Executive Director | Cessation on 28-02-2019 |
| Shri Manas Ranjan Biswal | Executive Director | Joining on 01-03-2019 |

**Parties with whom transactions were entered into during the year**

No disclosure is required in respect of related parties, which are "State controlled Enterprises" as per paragraph 9 of Accounting Standard (AS) 18. Further, in terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker – Customer relationship have not been disclosed including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel.

### 11.2 Key Management Personnel – Remuneration paid.

(₹ in crore)

| Particulars | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|---|---|---|
| Chairman and Managing Director | 0.30 | 0.28 |
| Executive Directors | 0.75 | 0.76 |
| **Total** | **1.05** | **1.04** |

## 12. EARNING PER SHARE (AS-20)

Basic earnings per equity share are computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the year. The diluted earnings per equity share is computed using the weighted average number of equity shares and weighted average number of diluted potential equity shares outstanding during the year.

The computation of earnings per share is given below:

| Sr No | Particulars | | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|---|---|---|---|---|
| i | Basic and Diluted EPS | ₹ | **(24.87)** | (68.98) |
| ii | Net Profit/(Loss) after Tax available for equity shareholders | **₹ in crore** | **(29,22.35)** | (52,12.47) |
| iii | Weighted Average number of equity shares | **No. in crore** | **1,17.50** | 75.56 |
| iv | Nominal value per share | ₹ | **10** | 10 |

## 13. PROVISION FOR TAXES:

**Deferred Tax (AS-22)**

(₹ in crore)

| Sr No | Particulars | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|---|---|---|---|
| | **Deferred Tax Assets** | | |
| 1 | Employee Benefits (Leave Encashment) | 2,53.83 | 2,38.91 |
| 2 | Depreciation on Fixed Assets | 61.38 | 14.07 |
| 3 | On account of other provisions | 72,43.21 | 66,37.39 |
| 4 | On account of unabsorbed losses and Tax Credits | 1,44.31 | 5.27 |
| | **Total** | **77,02.73** | **68,95.64** |
| | **Deferred Tax Liabilities** | | |
| 1 | Accrued interest on securities | 7,63.39 | 7,90.01 |
| 2 | Special Reserves u/s 36(i)(viii) | 10,04.64 | 9,94.98 |
| 3 | Depreciation on Investment | 7,45.44 | 9,12.51 |
| | **Total** | **25,13.47** | **26,97.50** |
| | **Net Deferred Tax Asset** | **51,89.26** | **41,98.14** |
| | **Net Deferred Tax Liability** | **Nil** | **Nil** |

**14 IMPAIRMENT OF ASSET (AS-28)**

In the opinion of the Management, there is no indication for Impairment during the year with regard to the asset to which Accounting Standards 28 applies.

**15.** Additional information disclosed in the separate financial statements of the parent and the subsidiaries have no bearing on the true and fair view of the Consolidated Financial Statements (CFS) and also the information pertaining the items which are not material, have not been disclosed in the CFS.

**16.** The figures of the previous year have been regrouped / rearranged wherever considered necessary.

Signatories to Schedules 1 to 18

**(DHIRENDRA JAIN)**
DY. GENERAL MANAGER

**(B. SREENIVASA RAO)**
GENERAL MANAGER & CFO

For and on behalf of the Board of Directors

**(MANAS RANJAN BISWAL)**
EXECUTIVE DIRECTOR

**(DINESH KUMAR GARG)**
EXECUTIVE DIRECTOR

**(GOPAL SINGH GUSAIN)**
EXECUTIVE DIRECTOR

**(RAJKIRAN RAI G)**
MANAGING DIRECTOR & CEO

**(KEWAL HANDA)**
CHAIRMAN

**(DR. MADNESH KUMAR MISHRA)**
DIRECTOR

**(ARUN KUMAR SINGH)**
DIRECTOR

**(RAJIV KUMAR SINGH)**
DIRECTOR

**(DR. MADHURA SWAMINATHAN)**
DIRECTOR

**(DR. UTTAM KUMAR SARKAR)**
DIRECTOR

**(K.KADIRESAN)**
DIRECTOR

**(JAYADEV M.)**
DIRECTOR

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED.

**FOR S BHANDARI & CO.**
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO. 000560C

**(P. P. PAREEK )**
PARTNER
(M.NO. 071213)

**FOR C N K & ASSOCIATES LLP**
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO.101961W/W-100036

**(SURESH S. AGASKAR)**
PARTNER
(M.NO.110321)

**FOR KIRTANE & PANDIT LLP**
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO.105215W/W-100057

**(S B BHAGWAT )**
PARTNER
(M.NO.008072)

**FOR R S PATEL & CO.**
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO.107758W

**(RAJAN B SHAH)**
PARTNER
(M.NO.101998)

**FOR M G B & CO. LLP**
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO. 101169W/W-100035

**(SANJAY KOTHARI)**
PARTNER
(M.NO. 048215)

**FOR B M CHATRATH & CO LLP**
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO. 301011E/E300025

**(ANAND CHATRATH)**
PARTNER
(M.NO. 052975)

PLACE : MUMBAI
Date : 14th MAY, 2019

# CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2019

(₹ in Lacs)

| Sr. No. | Particulars | Year ended 31.03.2019 | Year ended 31.03.2018 |
|---|---|---|---|
| **A** | **CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES:** | | |
| | Net Profit before Tax | (39,22,10) | (65,98,40) |
| | Adjustments for: | | |
| | Depreciation on Fixed Assets | 3,73,82 | 3,68,23 |
| | Depreciation on Investments | 6,54 | 19,27,25 |
| | Provision for Non Performing Assets (Net) | 1,15,25,81 | 1,34,99,84 |
| | Provision for Standard Asset | (2,45,20) | (12,34,07) |
| | Provision for Staff Related Expenditures | 1,36,95 | 2,16,36 |
| | Other provisions | 9,13 | 5,49 |
| | Profit / (Loss) on Sale or Disposal of Fixed Assets | (2,97) | 8,47 |
| | Share of Profit in Associate | (11,06) | (8,17) |
| | Increase/(Decrease) in Minority Interest | - | - |
| | Interest on Borrowings : Capital Instruments | 10,75,01 | 11,66,38 |
| | **Sub Total** | **89,45,92** | **93,51,38** |
| | **Adjustments for:** | | |
| | Increase / (Decrease) in Deposits | 72,16,38 | 3,30,93,74 |
| | Increase / (Decrease) in Other Liabilities and Provisions | 10,14,19 | (15,75,06) |
| | (Increase) / Decrease in Investments | (29,01,89) | (1,39,72,18) |
| | (Increase) / Decrease in Advances | (1,93,78,34) | (1,58,85,96) |
| | (Increase) / Decrease in Other Assets | (17,42,79) | (23,58,12) |
| | Direct taxes paid (Net of Refund) | (9,31,88) | (25,56,38) |
| | **NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (A)** | **(77,78,41)** | **60,97,42** |
| **B** | **CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES :** | | |
| | Purchase of Fixed Assets | (3,15,45) | (3,31,23) |
| | Proceeds from Sale of Fixed Assets | 18,34 | 16,31 |
| | **NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES (B)** | **(2,97,11)** | **(3,14,92)** |
| **C** | **CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES :** | | |
| | Proceeds from Issue of Equity Share Capital Including Share Premium (Net) | 46,72,84 | 70,47,19 |
| | Proceeds from Preference Share Capital issued by Subsidiary Comapny Including Share Premium (Net) | 1,33,43 | - |
| | Proceeds from issue of Capital Instruments | - | 3,00,00 |
| | Repayments of Capital Instruments | (15,40,00) | - |
| | (Decrease)/Increase Borrowings other than Capital Instruments | (8,64,80) | 41,54,90 |
| | Interest Paid on Borrowings : Capital Instruments | (6,43,24) | (7,10,15) |
| | **NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES (C)** | **17,58,23** | **1,07,91,94** |
| | **Net Increase (decrease) in Cash & Cash Equivalent ( A )+( B )+( C )** | **(63,17,28)** | **1,65,74,44** |
| | **Cash and Cash Equivalents as at the beginning of the year** | **4,94,80,36** | **3,29,05,92** |
| | **Cash and Cash Equivalents as at the end of the year** | **4,31,63,08** | **4,94,80,36** |

# CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2019

(₹ in Lacs)

| Sr. No. | Particulars | Year ended 31.03.2019 | Year ended 31.03.2018 |
|---|---|---|---|
| **D** | **CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR** | | |
| | Cash and Balances with RBI (including FC notes) | 2,10,17,35 | 1,65,22,37 |
| | Balances with Banks and Money at call | 2,84,63,01 | 1,63,83,55 |
| | **Net cash and cash equivalents at the beginning of the year** | **4,94,80,36** | **3,29,05,92** |
| **E** | **CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR** | | |
| | Cash and Balance with RBI (including FC notes) | 2,08,00,40 | 2,10,17,35 |
| | Balances with Banks and Money at call | 2,23,62,68 | 2,84,63,01 |
| | **Net cash and cash equivalents at the end of the year** | **4,31,63,08** | **4,94,80,36** |

Previous Year's figures have been regrouped/recasted wherever considered necessary to correspond with the Current Year's classification/ presentation.

| (MANAS RANJAN BISWAL) | (DINESH KUMAR GARG) | (GOPAL SINGH GUSAIN) | (RAJ KIRAN RAI G.) | (KEWAL HANDA) |
|---|---|---|---|---|
| Executive Director | Executive Director | Executive Director | Managing Director & CEO | Chairman |

**Auditors Certificate :**

We, the undersigned Statutory Auditors of Union Bank of India, have verified the above Consolidated Cash Flow Statement of the Group for the year ended 31.03.2019. The statement has been prepared using Indirect Method in accordance with the AS-3, "Cash Flow Statement" issued by The Institute of Charterted Accountants of India and with the requirements of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements), 2015 and is based on and in agreement with the corresponding Consolidated Profit & Loss Account and the Consolidated Balance Sheet of the Group covered by our report of 14th May, 2019 to the Members.

**FOR S BHANDARI & CO.**
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Regn.No. 000560C

**(P. P. PAREEK )**
PARTNER
(M.NO.071213)

**FOR C N K & ASSOCIATES LLP**
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Regn.No.101961W/W-100036

**(SURESH S. AGASKAR)**
PARTNER
(M.NO.110321)

**FOR KIRTANE & PANDIT LLP**
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Regn.No.105215W/W-100057

**(S B BHAGWAT)**
PARTNER
(M.No.008072)

**FOR R S PATEL & CO.**
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Regn.No.107758W

**(RAJAN B SHAH)**
PARTNER
(M.No.101998)

**FOR M G B & CO. LLP**
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Regn.No. 101169W/W-100035

**(SANJAY KOTHARI)**
PARTNER
(M.No. 048215)

**FOR B M CHATRATH & CO LLP**
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Regn.No. 301011E/E300025

**(ANAND CHATRATH)**
PARTNER
(M.NO.052975)

Place: MUMBAI.

Date: 14th May 2019

# RISK MANAGEMENT

**Disclosures under Basel III Capital Regulations and Pillar III**

In accordance with RBI issued Master Circular on Basel III Capital Regulations dated July 1, 2015, Banks are required to make Pillar 3 disclosures under Basel III capital requirements. The Bank has made these disclosures which are available on its website at the following link.

https://www.unionbankofindia.co.in/english/basel-disclosures-iii.aspx.

# Business Responsibility Report-2018-19

## SECTION A: GENERAL DISCLOSURES

### I. Company Details:

| S.NO | Parameter | Details |
|---|---|---|
| 1 | Name of the company | **UNION BANK OF INDIA** |
| 2 | Year of Registration | 1919 |
| 3 | Corporate Identity Number | Not Applicable |
| 4 | Corporate Address<br>Website<br>Email id | Union Bank Bhavan, 239, Vidhan Bhavan Marg,<br>Nariman Point, Mumbai-400021<br>Tel: 022-22892000<br>www.unionbankofindia.com<br>busrespnsehead@unionbankofindia.com |
| 5 | Financial Year | 2018-19 |

### II. Products/Services

**1. Sector(s) that the company is engaged:**

| S.No | Sectors |
|---|---|
| A | Banking Services |
| B | Government Business |
| C | Merchant Banking |
| D | Agency Business – Insurance, Mutual Funds, Wealth Management etc. |

**2. Services Provided:**

The bank's products and services can be categorized under the following three heads:

a) Deposits: Current Deposits, Savings Bank Deposits, Term Deposits, Recurring Deposits

b) Loans & Advances:

| S.No | Details |
|---|---|
| 1 | Retail Loans: Union Home, Union Mile, Union Education, Union Mortgage, etc. |
| 2 | Agriculture Loans: Union Green Card, Term Loans etc |
| 3 | MSME Loans: Union Trade, Union Trade Plus, Union Enterprise, Union Nari Shakti etc |
| 4 | Corporate Loans: Working Capital Loans, Project/Term Loans etc. |

c) Other Products:

| | |
|---|---|
| Cash Management Services | Remittances Services |
| Insurance Services | SDV Lockers |
| Mutual Funds | Merchant Banking |
| Credit/Debit Card | Wealth Management |

### III. Operations:

Total Number of locations where business activity is undertaken by the company:

1. Number of National Locations: Union Bank of India has FGMOs- 11, Regional Offices-63, Branches -4288 and ATMs-6650 as on March 31, 2019.
2. Number of International Locations: Overseas 3 branches at Hong Kong, Dubai and Sydney.
   Bank is having a owned subsidiary at London.

**IV. Employees:**

| S.No | Particulars | Number |
|---|---|---|
| 1 | Number of permanent employees | 37262 |
| 2 | Contractual employees | 26 |
| 3 | Temporary employees | - |
| 4 | Percentage of Women | 24.15% |
| | a. On the governance structure | 8.33% |
| | b. In Top Management (Business & Function Heads) | 10.40% |

**V. Associate Entities:**

| **Name** | **Union AMC Pvt Ltd** | **Star Union Daichi** | **Union Bank London Pvt Ltd** | **Kashi Gomti Samyukta Gramin Bank-** |
|---|---|---|---|---|
| **Organization Form** | Limited | Limited | Limited | RRB,Scheduled Bank |
| **Main Objectives/Purpose** | Distribution of Mutual Funds | Selling of Life Insurance Products | Banking | Banking |
| **Amounts/ Sources of funds** | 100% | 25% | 100% | 15% |

**VI. Contact Details of Nodal Officer for this Report:**

Director responsible for implementation of the BR policy/policies:

| | |
|---|---|
| DIN Number | **08162008** |
| Name | **Shri Manas Ranjan Biswal** |
| Designation | **Executive Director** |

**Details of the BR head:**

| | |
|---|---|
| DIN Number (if applicable) | Not Applicable |
| Name | **Mr. Ravindra Kumar Kashyap** |
| Designation | **General Manager, PBOD, Central Office** |
| Telephone number | **022-22896683** |
| e-mail id | gm.pbod@unionbankofindia.com |

## SECTION B : MANAGEMENT AND PROCESS DISCLOSURES

| S No. | Questions | Corporate Governance | Products & Services | Employee Welfare | Stakeholder Interest | Human Rights | Environment Protection | Public Policy Advocacy | Inclusive Growth | Customer Focus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 |
| **Policy and Management Processes** | | | | | | | | | | |
| 1 | Name of the Policy/policies that covers each principle | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 2 | Core Elements related to the policy/policies cover | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 3 | Policy/Policies relating to each principles that has been translated into guidelines and procedures | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| | | Yes, the Bank's Sustainable Development and Corporate Social Responsibility Policy is based on National Voluntary Guidelines on Social, Environmental and Economic Responsibilities of Business as released by Ministry of Corporate Affairs, Government of India. | | | | | | | | |
| 4 | Extent to which manpower, planning, and financial resources have been allocated for the implementation of the policy/policies relating to each principle. | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 5 | National and International codes and standards adopted mapped to various principles | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| **Governance, Leadership, and oversight** | | | | | | | | | | |
| 7 | Names of the above policies that have been approved by the Board/Top Management | Board / Top Management | | | | | | | | |
| 8 | Name of the specified committee(s) of the Board/ Director/Officer and processes to oversee the implementation of the policy/policies | Board and sub-committees of Board like Audit Comittee of Board/Managment Comittee of Board /Risk Management Committee etc. by and large oversee the implementation of policy. | | | | | | | | |
| 9 | The process of Board/Top Management to review performance against the above policy and incorporating inputs (100 words) | The bank has separate Departments that are issuing guidelines under the Business Responsibility Policies to be followed by the Operating units. The performance is reviewed periodically by the Board from time to time. | | | | | | | | |

**PRINCIPLE 1 - CORPORATE GOVERNANCE**

| S.No | Essential Indicators | |
|---|---|---|
| 1. | Month/year of last review by Governance structure/top management of performance of the business across the principles and Core elements of the Guidelines? | Reviewed on 28-09-2018 |
| **2.** | **% Coverage of leadership** team by awareness programmes on the guidelines:<br>a. In reporting year<br>b. Total to date | <br>10<br>40 |
| 3. | % of suppliers and distributors (by value), in the year:<br>a. Covered by awareness programmes for the guidelines?<br>b. Had responsible/sustainable business policies in place? | Not applicable |
| 4. | Number of meetings/dialogues with minority shareholders that were organized in the year? | 2 |
| 5. | Number of complaints received on any aspect of the NGRBC in the year from:<br>a. Shareholders/investors<br>b. Lenders | nil |
| 6. | Number of the above complaints pending resolution at close of year? | nil |
| 7. | Value of non-disputed fines/penalties imposed on your business by regulatory and judicial institutions in the year? | 500.00 lacs |
| 8. | Number of complaints/cases of corruption and conflicts of interest that were registered in the year? | Nil |
| 9. | Details of unmet obligations(fiscal, social, etc.) arising out of any benefits or concessions provided by the Central, state or local governments(100 words) . | nil |

| S.No | Leadership Indicators | |
|---|---|---|
| 1. | % coverage of all employees by awareness programmes for the guidelines:<br>a. In reporting year<br>b. Total to date | <br>814 |
| **2.** | **% of suppliers and distributors(by value) covered by social and environmental audits:**<br>a. In reporting year<br>b. Total to date | Not applicable |
| 3. | Was report on responsible business conduct made, in the year:<br>a. As per mandatory/global reporting frameworks.<br>b. Available in the public domain<br>c. Assured by a third party | Yes<br>May,2018<br>Yes<br>Yes<br>Not applicable |

| | | |
|---|---|---|
| 4. | Details of non-disputed fines/penalties imposed on your business by regulatory and judicial institutions in the year available in public domain. | RBI has imposed penalty for violation of regulatory directions, on implementatin of Swift related opeational controls.<br>Non-sharing of information to JLF member banks.<br>Delay in fraud reporting in case of Winsome Diamonds & Jewellery Ltd. |
| 5. | Provide examples(up to three) of corrective action taken on the above fines/penalties imposed. | Now, streamlined Swift opeational controls in finacle system are in place.<br>Field functionaries have been advised to follow guidelines strictly on sharing of information to JLF members.<br>Fraud cases will be reported to RBI without delay to avoid penalty. |
| 6. | Provide examples (up to three) of corrective action taken on the complaints/cases of corruption and conflicts of interest to prevent recurrence. | NIL |

**PRINCIPLE 2 – PRODUCTS & SERVICES**

| S.No | Essential Indicators | |
|---|---|---|
| 1. | List top three goods/services (revenue in the year) which incorporate environmental and social concerns, risks, and/or opportunities in their design. | Basically this Principle is applicable to Manufacturing Companies.<br><br>Bank is offering of certain Services & Products which do not attract social and environmental risks. |
| **2.** | Details of investments in specific technologies to improve the environmental and social impacts (top three by value**).** | |
| 3. | % of input material and services (by value), in the year, sourced from suppliers adhering to internal or external sustainability standards/ codes/policies/labels. | |
| 4. | % of total raw material consumed in the year(by value) that considered of material that was recycled or reused(provide details in 50 words):<br>a. <5%<br>b. between 5% and 25%<br>c.>25% | |
| 5. | Describe the process in place to safely collect, reuse, recycle and dispose of your products at end-of-life(100 words) | |

| S.No | Leadership Indicators | |
|---|---|---|
| 1. | **For goods and services that incorporated environmental and social concerns**, give details of:<br>a. Resource use(energy,water,raw material) per unit produced in the year<br>b. Reduction in resource use covering sourcing, production, and distribution in the year.<br>c. Sustainability standards/codes/labels adhered to.<br>d. Product life cycle assessment completed**.** | Basically this Principle is applicable to Manufacturing Companies.<br><br>Bank is offering of certain Services & Products which do not attract social and environmental risks. |
| **2.** | **Information on the impacts of your products across the value chain communicated to:**<br>a. To which stakeholder groups?<br>b. By which channels for each group?<br>c. At what frequency? | |
| 3. | **Provide examples(up to three)** on how the feedback received from stakeholders is used for improvements? | |

**PRINCIPLE 3 – EMPLOYEE WELFARE**

| S.No. | Essential Indicators | |
|---|---|---|
| 1 | Complaints received on cases arising out of discrimination<br>a. Number received in the year | 7 |
| 2 | No. of the above complaints pending resolution at the end of the year? | 0 |
| 3 | % of permanent employees who are members of employee association(s) recognized by the management? | 93.6% |
| 4 | % of your establishments/ value chain that has been audited in the year for:<br>a. Child labour<br>b. Forced/ Involuntary Labour | None |
| 5 | No. of cases of child labour in your establishments/ value chains identifies to date:<br>a. Resolved<br>b. Pending resolution | None |
| 6 | No. of cases of forced / Involuntary labour identified to date<br>a. Resolved<br>b. Pending resolution | None |
| 7 | % of your employees that were paid above the legal minimum wage in the last year | 100% |
| 8 | Ratio of the highest salary paid to the lowest salary paid amongst your permanent employees? | 10:1 |
| 9 | No. of cases of delay in payment of wages during the year<br>a. Resolved<br>b. Pending resolution | Nil |

| | | |
|---|---|---|
| 10 | No. of complaints related to harassment to date: as on 31.03.2019<br>a. Resolved<br>b. Pending resolution | <br>a. Resolved -7<br>b. Pending Resolution - 0 |
| 11 | No. of following occurred during the year:<br>a. Accidents at the workplace<br>b. Fatalities caused<br>c. Disability caused | <br>a. 9<br>b. 0<br>c. 0 |
| 12 | % of employees (all categories) trained on health & safety issues & measures:<br>a. In the year<br>b. Total to the date | 100% |
| 13 | % of employees provided training & skill upgradation:<br>a. In the year<br>b. Total to the date | <br>a. 77.7 %<br>b. 100 % |

| S.No. | Leadership Indicators | |
|---|---|---|
| 1 | Categories of employees (list upto three) supported by affirmative action, and has there been any change from previous year? | No |
| 2 | % of non permanent employees that are linked to any standing platform/association | None |
| 3 | % of children identified as employed in your establishments/ value chain that have been remediated:<br>a. In reporting year<br>b. Total to date | None |
| 4 | % of forced / involuntary labour identified in your establishments/ supply remediated:<br>a. In reporting year<br>b. Total to date | None |
| 5 | % of suppliers (by value) that paid minimum wages to their employees last year | None |
| 6 | Examples of steps taken (up to three) to prevent adverse consequences to the complainant in the case of harassment cases | 1. Training & Sensitization<br>2. Proper action Against accused. |
| 7 | % of supply chain partners (by value) that were assessed for adherence to health & safety practices | 100% |
| 8 | % of accident affected persons integrated back into employment | Not Applicable |
| 9 | Describe the work-life balance issues (up to three) that were brought up by employees (100 words) | None |
| 10 | Examples (up to three) of identifies work-life balance topics that have been implemented | None |

PRINCIPLE 4 – STAKEHOLDERS INTEREST

| S.No. | Essential Indicators | |
|---|---|---|
| 1 | **List stakeholder groups** that have been identified as key to your business? | For the Bank, stakeholder management is of vital importance as it helps the Bank to deliver its commitments and to achive sucess in the business. Bank also actively engages with stakeholder groups such as customers, shareholders, investors, employees, NGOs and Society at large. |
| 2 | **Positions/Departments/functions** responsible for **engagement** with each stakeholder category identified above? | Various Verticals/ Departments of bank |
| 3 | **Number of stakeholder groups that were formally engaged** on environment and social; issues in the last year? | Large number of public across the country during conducting of awareness programmes on environment and social issues. |
| 4 | **% of input material and services** (by value), in the year, that were procured from local, and small vendors/producers? | Nil |

| S.No. | Leadership Indicators | |
|---|---|---|
| 1 | **Frequency** of engagement with each stakeholder group? | On a regular basis. |
| 2 | **Examples** (up to three) of how the business has **incorporated inputs from stakeholders**. | Feedback through monthly meetings, call centre,<br>Social Network and other channels |
| 3 | **List of the vulnerable and marginalized groups** in each stakeholder group | N.A. |
| 4 | **Examples of decision and actions** taken by the business to **address the interests of vulnerable/marginalized groups**. | N.A. |

**PRINCIPLE 5 – HUMAN RIGHTS**

| S.No. | Essential Indicators | |
|---|---|---|
| 1 | % Of employees that have been provided training on human rights issues:<br>a. In the Year<br>b. Total to date | **77.69%** |
| 2 | Employee categories that are covered by the human rights policies of the business – Permanente/Contractual/ Casual. | **Permanent** |
| 3 | Number of business agreements and contracts with third party partners that were reviewed in the year, to avoid complicity with adverse human rights impacts in the previous year. | **1** |
| 4 | Stakeholder groups governed by the grievance committee for human rights issues. | **75(Sexual Harassment Committee)** |

| | | |
|---|---|---|
| 5 | Number of stakeholders that reported grievances and/or complaint:<br>a. Received in the year<br>b. Pending resolution | <br><br>a. **7**<br>b. **0** |

| S.No. | Leadership Indicators | |
|---|---|---|
| 1 | % of contractual employees and vbalue chain partners that have been made aware/ provided training on human rights issue:<br>a. In the Year<br>b. Total to date | **NIL** |
| 2 | External Stakeholder group and reperesentatives that are covered by the human rights policies of the business? | **NIL** |
| 3 | Stakeholder groups that have been made aware of grievance mechanisms for human rights issues:<br>a. During the year.<br>b. Total to date | **NIL** |
| 4 | List (upto three) corrective actions taken to eliminate complicity with adverse human rights impact in the last year. | **NIL** |
| 5 | Provide (Upto two) examples of business process being modified/introduced as a result of addressing human right grievance/complaints. | **NIL** |
| 6 | Provide details of scope and coverage of any human rights due – diligence conducted during the year. | **NIL** |

**PRINCIPLE 6 – ENVIRONMENT PROTECTION**

| S.No. | Essential Indicators | |
|---|---|---|
| 1 | **Material risks of potential or actual adverse impacts upon the environment** and communities by the business:<br>a. Identified in the year<br>b. Mitigation and adaptation measures put in place for the above environment risks? | <br>None<br>NA |
| 2 | **Good practices (up to three) in reduction, recycling, and reuse** initiatives that contributed to lowering the adverse environmental footprint of your business activities. | The Bank has undertaken several initiatives to reduce adverse environmental footprint. It has taken measures in order to reduce its carbon footprint. |
| 3 | **Examples of any collective action** by your business with other businesses / NGOs / government agencies / international partners / development institutions undertaken to address any of the environmental risks opportunities identified above. | Bank has inplemented Swach Bharat Abhiyan and Swachhata Pakhwada through all its branches and administrative offices across the country.<br>UBSFT has supported Namami Ganga Yojana for installation of Touch Screen in front of their office at Lucknow.<br>UBSFT has approved 10 projects involving an amount of Rs.45.43 lacs during the year 2018-19 under various sectors like Education, Health care, Community Development, Sanitation, Disability sector etc. |
| 4 | **Details of any adverse orders** in respect of any show cause / legal notice from CPCB/NGT/SPCB received during the year. | Nil |

| S.No. | Leadership Indicators | |
|---|---|---|
| 1 | **Information on environmental impact assessments** undertaken in the year:<br><br>a. Have the results been communicated in the public domain?<br><br>b. Provide details of any actions taken to mitigate any negative social impacts. | The Bank has undertaken several initiatives to reduce adverse environmental footprint.<br><br>Yes. Through Customers meet, local special melas, festive and other important days of large gathering of public.<br><br>Bank has implemented various activities related to environment and its awareness, during the year through all its branches and administrative offices across country. |
| 2 | Risk management strategies and measures for each material environmental risk identified for the business:<br>a. Details of measures (100 words)<br>b. Targets and achievements values | 1. The Bank strives to develop and offer financial products and services that, directly or indirectly, lead to long-term environmental benefit and social development.<br>2. The Bank has been implementing good lending practices by prohibiting the lending to the industry which produces the ozone depleting substances.<br>3. The Bank also has the policy to discourage the funding to the industries / sectors which cause damage to the environment like iron ore mining, Newspaper Print, generation of Hydro Power etc.<br>Since it is an ongoing activity no separate targets are fixed at this juncture. |
| 3 | **Details of your specific contribution to India's Nationally Determined Contributions** (submitted at UNFCCC COP21 in 2015) | Nil |
| 4 | **New businesses-products-services created** to address the material environmental risks identified:<br>a. Information on businesses created (100 words)<br>b. % of revenue contributed by these | Not applicable |
| 5 | Details of good practices cited in reduction, recycling, and reuse initiatives benchmarked against industry best practice (100 words) | The Bank has undertaken several initiatives to reduce advese environmental footprint.<br>Some of the other environment friendly initiatives taken by the Bank are:<br>• Installation of energy efficient systems such as CFL fittings and LED fittings.<br>• Installations of LED signage.<br>• Installation of Air Conditioners with BEE certification & Car with CNG<br>• Rain water harvesting in Bank's building which helps in the conservation and recharging of ground water level.<br>• Installation of Solar Power System in our branches. |

**PRINCIPLE 7 – PUBLIC POLICY ADVOCACY**

| S.No. | Essential Indicators | |
|---|---|---|
| 1 | **Review public policy advocacy positions** by the governance structure for consistency with Principles of these guidelines:<br>a. Frequency<br>b. Month/Year of last review | Union Bank of India practices pro-active advocacy with an aim to bring about a positive impact in the business eco-system and communities. Proactive advocacy for Union Bank of India is not just about lobbying the Government for securing certain benefits for industry, but is also about advocating certain best practices for benefit of the society at large.<br>Yearly<br>2018 |
| 2 | **Names of trade and industry chambers and associations** that you have are a member/ affiliate of. | • Indian Banks' Association (IBA)<br>• Indian Institute of Banking & Finance (IIBF)<br>• The Associated Chambers of Commerce and Industry(ASSOCHAM)<br>• Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI)<br>• Confederation of Indian Industry (CII)<br>• Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI) |
| 3 | **Details of any adverse orders** received from regulatory authorities for **anti-competitive conduct** by your business. | Nil |
| 4 | **Monetary contribution** (if any) that has been made to **political parties**. | Nil |

| S.No. | Leadership Indicators | |
|---|---|---|
| 1 | The **public policy positions** available in the **public domain**. | Yes,Refer www.unionbankofindia.co.in |
| 2 | **Examples** (up to three) of any **policy changes** in the past year as a **result of your advocacy** efforts. | Nil |
| 3 | **Details of corrective action for anti-competitive conduct**, taken by the business based on adverse orders from regulatory authorities. | Nil |

**PRINCIPLE 8 – INCLUSIVE GROWTH**

| S.No. | Essential Indicators | |
|---|---|---|
| 1. | Social impact assessments of your business operations conducted:<br>a. Number completed in the year ?<br>b. Number conducted by an independent external agency. | <br><br>Nil<br>3- BCG, BCSBI, CRISIL |
| **2.** | Examples of products, technologies, processes or programmes [ up to three ] that contribute to the benefit of the vulnerable and marginalized sections of society . | Pradhan Mantri Mudra Yojana<br>Pradhan Mantri Jeevan Jyothi Beema Yojana<br>Pradhan Mantri Suraksha Beema Yojana<br>Atal Pension Yojana |

| | | |
|---|---|---|
| 3. | With respect to projects during the year for which R& R is applicable:<br>a. Number of persons that were affected displaced by these projects?<br>b. Gross amount paid out to project- affected and displaced persons? | Not applicable |
| 4. | Grievances / Complaints received from local community:<br>a. Number received during the year<br>b. Number pending resolution | <br><br>454306<br>9272 |
| 5. | Details of Investments [ top three by value ] in regions which are underdeveloped [ 100 words ] | Nil |
| 6. | Examples of goods & services up to 3] that incorporate local traditional knowledge. | Not applicable |
| 7. | Details of adverse orders or judgements in intellectual property rights disputes related to traditional knowledge during year [ 100 words]. | Not applicable |
| 8. | Summary of the key themes covered By CSR. Initiatives [as per section 135 of companies Act 2013 ] or linked to the CSR Policy of the business [ up to 100 words ] | • UBSFT has approved 10 projects involving an amount of Rs.45.43 lacs during the year 2018-19 under various sectors like Education, Health care, Community Development, Sanitation, Disability sector etc.<br>• UBSFT has supported National Association for the Blind, Mumbai for conducting short term Rehabilitation courses for visually challenged teenagers in Mumbai<br>• UBSFT has supported for construction of toilet in Govt. Middle School Baligarh<br>• UBSFT has supported Namami Ganga Yojana for installation of Touch Screen in front of their office at Lucknow. |

| S.No | Leadership Indicators | |
|---|---|---|
| 1. | With respect to these Social impact assessments:<br>a. Result made available in the public domain.<br>b. Details of any actions taken to mitigate any negative social impacts<br>[100 words] | <br><br>Yes<br><br>Not applicable |
| **2.** | **Numbers benefitting from such beneficial products , technologies or processes .** | Large number of public |

| | | |
|---|---|---|
| 3. | With respect to Projects during the year for which R & R is applicable:<br>a. Was the R & R package developed in consultation with project -affected people?<br>b. Information on gross amounts, made available in public domain. | Not applicable |
| 4. | Channels/ platforms used to communicate information regarding resolution of grievances/complaints from communities. | Email, Internet, SMS, Social Network, publicity, UBSFT campaign in Rural Area for financial literacy. |
| 5. | Examples [ up to three ] of economic and social value addition in these underdeveloped regions [ 100 words ] | Not applicable |
| 6. | Examples where benefits of this local traditional knowledge being used by the business are shared with the community. | Not applicable |
| 7. | Number of beneficiaries covered under your CSR projects [as per section 135 of Companies ACT 2013 ] disaggregated by the vulnerable and marginalized group categories. | Large amount of public covered under Education, Healthcare , Community Welfare and Disability sectors. |
| 8. | Examples of how the impact of your community initiatives contributes to local and national development indicators? | To a great Extent |

RBI defines Financial Inclusion as the process of ensuring access to financial services and timely and adequate credit where needed by vulnerable groups such as the weaker sections and low income groups at an affordable cost from mainstream financial institutions. The Bank had drawn a three year Financial Inclusion Plan 2016-19 approved by the Board with a Vision "To reach the unreached by extending financial services at an affordable cost on an "ongoing basis" to improve quality of life of those who have been hitherto deprived of financial services from formal Financial Institutions".

**1. Financial Literacy:**

The bank has established total 30 Financial Literacy Centers (FLCs), out of which 14 are in Lead Districts and 16 are in Non Lead Districts. Various camps are organized by FLCs and branches as per Govt direction time to time. The Bank has been undertaking various activities for spreading awareness about PMJDY through its 30 FLC Centers and Rural Branches.

**2. Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY)**

The Government of India launched India's largest Financial Inclusion Programme- Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana in Aug'14 with the aim to provide access to basic Financial Services to all households in the country. The programme consists of an integrated approach using six pillars: Universal access, Basic Banking Accounts with overdraft facility, Accident Insurance and Rupay Debit Card, Financial Literacy, Credit Guarantee Fund, Micro Finance and lastly unorganized sector pension schemes.

**3. Rural Self Employment Training Institute (RSETI):**

Bank has established 14 RSETIs in 14 Districts of the country, have been established with the objectives of providing intensive short-term residential self-employment training programmes with free food and accommodation to rural youth. RSETIs are functioning at

- Azamgarh, Bhadohi, Chandauli, Ghazipur Jaunpur, Mau, Varanasi -Uttar Pradesh
- Khagaria, Samastipur - Bihar
- Rewa, Sidhi & Singrauli - Madhya Pradesh
- Ernakulam, Idukki - Kerala.

As of March 2019, total number of candidates trained in our RSETIs is 76696, out of which 50608 candidates have been settled with settlement rate of 66%.

**4.Self Help Groups:**

- The scheme of micro credit through Self Help Groups (SHGs) is an effective instrument providing assistance to

the poor by creating self employment opportunities and making them credit worthy. During the year, the Bank has credit linked 1.38 Lac SHGs. As of March 2019, outstanding loans to SHGs stood at Rs. 3681 crore.

**5. Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY):**

- Under PMMY our Bank extends finance to the micro enterprises which are in the business of manufacturing, trading and service sector in rural, urban & metro areas.
- PM MUDRA Yojana opens door to various new & existing entrepreneurs to avail credit from banking channel. This leads to increased customer base for credit to the bank.

**6. Position of Mudra Loan: 01.04.2018 to 31.03.2019.** (Amt in Cr)

| Loan Category | Sanctioned | | Disbursed | |
|---|---|---|---|---|
| | A/Cs | Amount | A/Cs | Amount |
| Shishu | 53256 | 135.38 | 53256 | 113.76 |
| Kishore | 121434 | 2628.16 | 121434 | 2342.04 |
| Tarun | 21306 | 1637.96 | 21306 | 1423.55 |
| Total | 195996 | 4401.5 | 195996 | 3879.35 |

**7. Performance under Stand up India Scheme:** (Amt in Cr)

| Sr. No. | CATEGORY | Cumulative Progress Since 05.04.2016 to 31.03.2019 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Sanctioned | | Disbursement |
| | | No. of A/cs | Amt | Amt |
| 1 | SC (Only Male) | 60 | 9.15 | 7.74 |
| 2 | ST (Only Male) | 9 | 1.00 | 0.89 |
| 3 | Woman Entrepreneurs | 913 | 188.30 | 160.56 |
| 4 | Total | 982 | 198.45 | 169.19 |
| | w/w | | | |
| 5 | Minority | 142 | 24.17 | 20.20 |

**8. Position of Social Security Schemes as on 31st Mar, 2019:**

| Scheme Name | Male Customers | Female Customers | Total Enrollments |
|---|---|---|---|
| **Atal Pension Yojna** | **311445** | **150910** | **462355** |
| **Pradhan Mantri Jeevan Beema Yojna** | **873757** | **548005** | **1421762** |
| **Pradhan Mantri Suraksha Beema Yojna** | **2102552** | **1476248** | **3578800** |
| **Total** | **3007454** | **2175163** | **5462917** |

**PRINCIPLE 9 – CUSTOMER FOCUS**

| S.No | Essential Indicators | |
|---|---|---|
| 1. | Examples [up to three] where adverse impacts of goods and services of your business have been raised in public domain. | Nil |
| **2.** | % by value of goods and services of the business that carry information about:<br>a. Environmental and social parameters relevant to the product.<br>b. Safe and responsible usage**.** | Nil |
| 3. | Number of consumer complaints in respect of data privacy:<br>a. Received during the year.<br>b. Pending resolution. | Nil |

| | | |
|---|---|---|
| 4. | Number of consumer complaints in respect of advertising:<br>a. Received during the year.<br>b. Pending resolution. | Nil |
| 5. | Number of consumer complaints in respect of delivery of essential services:<br>a. Received during the year.<br>b. Pending resolution. | <br>454306<br>9272 |

| S.No | Leadership Indicators | |
|---|---|---|
| 1. | Corrective actions taken on adverse impacts of goods and services of your business:<br>a. Details [100 words]<br>b. Communicated in the public domain . | Not applicable |
| **2.** | List of national – international product labels/certifications being used by the business. | Not applicable |
| 3. | Channels platforms where information on goods and services of the business can be accessed. | Email, Internet, SMS, Social Network |
| 4. | Steps taken to inform and educate vulnerable and marginalized consumers about safe and responsible usage of products [100 words]. | Not applicable |
| 5. | On complaints received in respect of data privacy and advertising indicate what corrective actions were taken to ensure that these do not get repeated [100 words]. | Not applicable |
| 6. | Process in place to inform consumers of any risks of disruption/ discontinuation of essential services [100 words]. | Not applicable |

**MICRO SMALL MEDIUM ENTERPRISES SECTOR**

MSMEs contribute significantly to the GDP, Employment and social equity of India. They are the 2nd largest employer after agriculture. MSMEs are present in almost all economic activities, ranging from crafts to services and high-end industrial activities. The product range spreads across sectors including handicrafts, handlooms, textiles, garments, leather, plastics, engineering, IT & IT enabled services, hospitality, tourism, health care and several others

MSME is one of the chosen areas for bank which will have multi fold effect on our country economy. Thereby bank is playing pivotal role in financing to MSME sector since beginning. Further the bank is always in forefront implementing the Govt. launched MSME schemes during 2018-19 , which are as follows.

**1. Sanction of PSB loans in 59 minutes:**

Our bank stood one of the best banks who has given in principle sanction to 3503 proposals on line. Of which the final sanction given to 1896 proposals to the tune of Rs.538.44 crore.

**2. Union Bank of India Partners with A.TReDS LTD for TReDS**

Union Bank of India has immense pleasure in partnering with A.TReDS LIMITED (invoicemart.com) as a TReDS (Trade Receivable Discounting System) partner for discounting invoice of MSMEs on digital platform.

This is an innovative area of finance and due thrust has been given by the Government to help MSMEs, who are the back bone of Indian Economy. Despite, major role being played by MSMEs in country's overall economic growth & employment generation, it continues to face constraints in obtaining adequate finance, particularly in terms of their ability to convert their trade receivables into liquid funds.

TReDS is a digital platform to help MSMEs to get their trade receivables financed at a competitive rate through an auction mechanism where multiple financiers can bid on invoices accepted by PSUs / Corporate Buyers. TReDS will allow MSMEs to post their receivables on the system and get them financed at competitive rates as per online bidding process.

This will not only give them greater access to finance but will also put greater discipline on corporate to pay their dues on time.

This would be great enabler for MSMEs and incentivize the corporate for prompt payment to MSMEs. At the same time adequate financial support to such MSMEs through this unique online platform with inbuilt hassle free process will be easier for businesses to adopt.

Bank has crossed financed under TREDS of ₹ 438.34 crore as of 31st March,2019.



Mr. A.K. Goel, ED, Mr Kalyan Basu, MD&CEO, A.TReDS LTD.(invoicemart.com),

Mr V.V.Shenoy, GM(LCV), & Mr P.S.Rajan, GM(CP&MSME),

As part of the new initiatives under business process re-engineering, Bank has taken the following *key structural transformation* initiatives during FY 2018-19:

- **MCB (Mid Corporate Branch) scale up:** As part of centralization initiatives under MSME, a new MCV (Mid Corporate Vertical) was being set up to cater the need of Mid- Corporate Business segment. MCB (Mid corporate branches) are established in potential Regions and till Mar'19, total 24 MCBs are in place.
- **SARALs:**As part of centralization initiatives under MSME to improve quality, TAT and better customer experience, SARALs which are processing engines for MSME loans are established. During 2018-19, 7 SARALs and 10 SARAL Lite are opened. SARALs are headed by AGMs and SARAL Lites are headed by Chief Managers. At the end of March 2019, total 45 SARALs are fully functional.
- **RUSU (Rural and Semi-Urban Transformation):** Another major shift the Bank is undertaking is the creation of RUSU Hub. With a view to penetrating the vast rural and semi–urban landscape, improving TAT in credit delivery, creation of superior customer experience.

**The CSR activities undertaken by the Bank in 2018-19:**

**Healthcare sector**

o UBSFT has supported Shiromani Gurudwara Prabandhak Samiti Amritsar for purchasing an Ambulance for providing emergency medical care to the needy people.



**Community Welfare**

o UBSFT has distributed blankets in the cold affected area of North Bihar



**Sanitation**

o UBSFT has supported for construction of toilet in Govt. Middle School Baligarh

o UBSFT has supported Namami GangaYojana for installation of Touch Screen in front of their office at Lucknow.

**Disability Sector**

o UBSFT has supported National Association for the Blind, Mumbai for conducting short term Rehabilitation courses for visually challenged teenagers in Mumbai.

UBSFT has approved 10 projects involving an amount of Rs.45.43 lacs during the year 2018-19 under various sectors like Education, Health care, Community Development, Sanitation, Disability sector etc.

**New Initiatives during the year: 2018-19 :**

a) Aadhaar Enrollment Centre: - As per UIDAI guidelines, all commercial banks have been instructed by UIDAI to open Aadhaar Enrollment Centre in 10 % of Bank Branches. Accordingly we have proposed to open Aadhaar Enrolment Centre in 429 Branches across India. At present 429 Bank Branches are activated for enrolling Aadhaar.

**b) Digital Initiatives by the department:**

- The facility for opening PMJDY Account instantly is made live at all BC points.
- All our Bank Mitrs can open instant e-KYC PMJDY account of citizens through the Micro ATM, Mobile or Kiosk then & there at BC point and even transaction facility is provided through AePS to such instant accounts.
- Bank Mitrs can also enroll customers to Social security schemes viz. APY, PMSBY and PMJJBY.
- Facility has also been provided for customers to apply for overdraft up to Rs.10,000/- through ATMs and BC points.
- SMS are being sent to eligible PMJDY account holders for availment of overdraft and enrollment to PMJJY & PMSBY.

**c) Senior Citizen Saving Scheme Internet Banking View Facility**

- Now, all our Internet Banking Customers who have opened SCSS accounts with any of our Branches PAN India will be able to view transactions & other details of their SCSS accounts.
- This will specially help our Senior Citizen Customers as it will save them the hardship of visiting the Branch for monitoring their SCSS accounts.

**d) Operationalisation of Digital Life Certificate**

- On 1st November 2018 our Branches started accepting Aadhaar based Digital Life Certificate ushering into a new era of Digitization. As on 31st December 2018 1460 of our Branches are enabled for accepting Digital Life Certificate.
- Since Operationaliation 7978 no of Pensioners of our Bank has utilized this new facility. Our bank has 119,727 no of pensioners till 31st December.

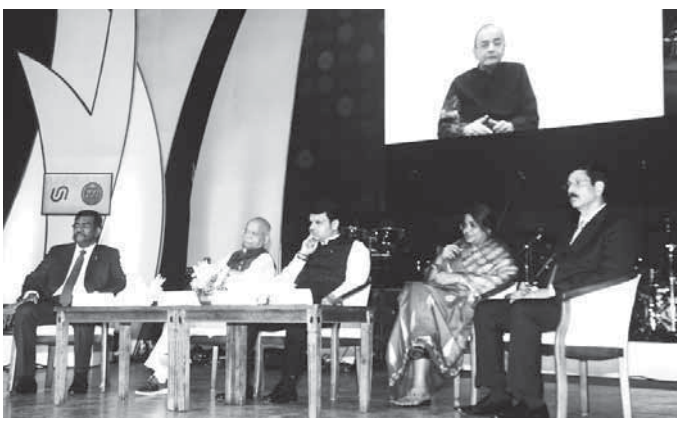
**e) Implementation of NPS PRAN Library**

- From 19th Nov, 2018 vide GBD Circular Letter No 16018 we have started a new centralized system of immediate NPS PRAN generation thus replacing the old system.
- This will enable branches to generate immediate PRAN through NPSPRAN menu in CBS. Thus reducing the role of CRA-FC.
- It will result in immediate disbursement of NPS contribution to NPS Pool Account & will reduce customer grievance.

**Important Events during the 2018-19**

Union Bank of India celebrated its 100th Foundation Day on November 11, 2018 and thus joins the select club of Centenary Year organizations in the country.

Hon'ble Union Minister of Finance and Corporate Affairs, Shri Arun Jaitley, inaugurated the Centenary Year celebrations of the Bank as Chief Guest. Shri Jaitley recalled the glorious history of the Bank and commended for it's role in Nation building.



He said that various schemes, like Make in India, Digital India, Jan dhan, Jan Suraksha, Mudra, Stand-up India, Skill India, etc, are all geared towards realising the aspirations of New India.

Hon'ble MoS, Finance Shri Shiv Pratap Shukla commended the Bank for its active role in furthering financial inclusion in the country. Shri Shukla emphasized that trust in financial institutions is key for progress of Nation, and therefore, banks and borrowers both should respect the trust of depositors. He wished the Bank a glorious future.

Hon'ble Chief Minister, Shri Devendra Fadnavis expressed his happiness over a Mumbai born bank completing a hundred years in service of the Nation.

Welcoming the dignitaries, Shri Rajkiran Rai G., MD&CEO, Union Bank of India, expressed his heartfelt gratitude for all stakeholders, especially the 70 million customers who stood with the Bank through thick and thin in it's century long journey. Mr. Rai emphasised that Union Bank is ready for future with investment in people, product and technology.

India Post released a Postal Stamp to commemorate the Centenary Year of Union Bank of India.

Bank has launched two new variants of Cards viz. Combo Card (Debit & Credit) and Rupay Contactless Card (Debit & Prepaid). New version of U Mobile, new Web & Tab enabled module for Credit growth in MSME Sector - Union Mudra and environment friendly, energy efficient & limited Carbon footprint Green Data Centre.

**Vigilance Awareness Week:**

- Vigilance Awareness Week, 2018, under the theme "Eradicate Corruption: Build a New India", was observed in a befitting manner from 29th October to 3rd November, 2018 in our Bank & our sponsored RRB, KGSG Bank. As a part of the celebrations, we conducted various Vigilance Awareness Programmes within the organization and outreach activities on PAN India basis, to spread awareness for eradicating corruption among the general public and youth of India.
- The MD & CEO administered the Integrity pledge to the Senior Executives of the Bank at Central Office on 29th October, 2018 at 11.00 AM signaling the beginning of the observance of Vigilance Awareness Week 2018. In a similar fashion, the observance of Vigilance Awareness Week 2018 began by administering the Integrity pledge at all the Zonal / Regional Offices, Administrative Offices and Branches of the Bank

**Awards & Accolades received during the year 2018-19**

**Union Bank of India wins "Vigilance Excellence Award"**



Union Bank of India was awarded with, "Vigilance Excellence Award" on October 31, 2018

Shri Raj Kiran Rai G. MD & CEO is receiving the award from Shri Ram Nath Kovind, Hon'ble President of India at Vigyan Bhavan, New Delhi,.

i. **Indian Bank's Association (IBA) Banking Technology Awards(Large Bank Category)**
   - Runner-up : The Best Technology Bank of the Year
   - Runner-up : The Best Financial Inclusion Initiatives
   - Runner-up : The Best IT Risk Management and Cyber Security Initiatives

ii. Winner in "Udyamimitra for MSMEs" under PSBs Reform Agenda on Enhanced Access and Service Excellence (EASE) – from Govt. of India in Feb'2019.

iii. Winner in "Best SME Offering" – by ASSOCHAM in Oct' 2018.

iv. Runner up in "Best Bank for Promotional Schemes (Large Category)" - by Chamber of Indian MSMEs in July 2018.

v. NPCI Award - Excellent performance in RuPay.

vi. IBA award- Financial Inclusion Technology.

vii. ET NOW BFSI Award 2019- for Bank with Leading FI initiatives.

viii. ABP News BFSI Award 2018- for Bank with Leading FI initiatives.

ix. Skoch Order of Merit Award 2018- for Financial Inclusion Initiatives.

x. UIDAI-Rising Star Award for enthusiastic efforts in setting up Aadhaar Centers.

This page is intentionally left blank.

**प्रधान कार्यालय :** यूनियन बैंक भवन, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021.

# लाभांश अधिदेश फॉर्म

{यदि शेयर भौतिक रूप में हैं तो पंजीयक को प्रस्तुत करें और यदि शेयर डीमैट/इलेक्ट्रॉनिक रुप में है तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) को प्रस्तुत करें}

प्रिय महोदय,

**विषय: बैंक खाता विवरण अद्यतन करने हेतु निर्देश**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | प्रथम/एकल शेयरधारक का नाम | |
| 2. | फोलिओ क्र. (यदि शेयर डिमैटीरियलाइज्ड नहीं किए गए हैं) | |
| 3. | डीपीआईडी एवं क्लाइंट आईडी (यदि शेयर डिमैटीरिलाइज्ड किए गए हैं) | |
| 4. | बैंक खाते का विवरण | |
| 4.1 | बैंक का नाम | |
| 4.2 | शहर के पिन कोड सहित शाखा का नाम एवं पता | |
| 4.3 | पूर्ण अंकों सहित खाता क्र. (चेक बुक पर दर्शाये गए अनुसार) | |
| 4.4 | खाते का प्रकार (एसबी / सीडी / सीसी) | |
| 4.5 | आईएफएससी (चेक बुक पर दर्शाये गए अनुसार) | |
| 4.6 | एमआईसीआर कूट क्र. (9 अंक) (चेक बुक पर दर्शाये गए अनुसार) | |

**घोषणा**

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि ऊपर दिया गया विवरण सही एवं पूर्ण है. यदि अपूर्ण अथवा गलत जानकारी के कारण संव्यवहार में विलंब होता है अथवा संव्यवहार नहीं होता है तो मैं उपयोगकर्ता संस्था को उत्तरदायी नहीं ठहराऊँगा. मैं समझता हूँ/समझती हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक साधनों के जरिये लाभांश भुगतान को प्रभावित करने वाली किसी ऐसी अप्रत्याशित स्थिति, जो बैंक के नियंत्रण के बाहर हो, के कारण बैंक मुझे देय लाभांश को भौतिक रूप में भेजने का अधिकार सुरक्षित रखता है.

भवदीय,

(_____)
प्रथम/एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

स्थान :
दिनांक:

**संलग्न :**

**1. पैन की स्वत: अनुप्रमाणित प्रति और**
**2. मूल निरस्त चेक का पन्ना या खाताधारक का नाम दर्शाता सक्रिय बैंक खाते का अनुप्रमाणित बैंक का पासबुक**

**पंजीयक का पता :** डाटामैटिक्स बिजनेस सोल्यूशन लि.
यूनिट : यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
प्लॉट नं. बी-5, पार्ट बी, क्रॉस लेन, एमआईडीसी, मरोल,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 093.
दूरभाष क्र.: 022-66712001- 6
ई-मेल आईडी : ubiinvestors@datamaticsbpm.com

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
अच्छे लोग, अच्छा बैंक

Union Bank of India
Good people to bank with

**Head Office:** Union Bank Bhavan, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai-400021.

# Dividend Mandate Form

{To be submitted to Registrar if shares are in physical form and
to the Depository Participant (DP) if shares are in demat/electronic form}.

Dear Sirs,

**Subject: Instruction to update the Bank Account Details**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | First/Sole Shareholder's Name | |
| 2. | Folio No. (If shares are not dematerialized) | |
| 3. | DPID & Client ID (If shares are dematerialized) | |
| 4. | Particulars of Bank Account | |
| 4.1 | Bank Name | |
| 4.2 | Branch Name & Address with City PIN Code | |
| 4.3 | Complete Account No. (as appearing on the Cheque Book) | |
| 4.4 | Account Type (Saving/Current/Cash Credit) | |
| 4.5 | IFSC (as appearing on the Cheque Book) | |
| 4.6 | MICR Code (9 digit) (as appearing on the Cheque Book) | |

**DECLARATION**

I, hereby, declare that the particulars given above are correct and complete. If the transaction is delayed or not effected at all for reasons of incomplete or incorrect information, I would not hold the user institution responsible. I understand that the bank also reserves the right to send the dividend payable to me by a physical warrant on account of any unforeseen circumstances beyond the control of the Bank, that may affect the payment of dividend through electronic means.

Yours Faithfully,

(_____)
Signature of the First/Sole Shareholder

Place :
Date :

**Encl.:**
1. **Self attested copy of PAN and**
2. **A original cancelled cheque leaf or attested Bank passbook of an active bank account showing name of account holder**

**Address of the Registrar**: Datamatics Business Solutions Ltd.
Unit : Union Bank of India,
Plot No. B-5, Part B,Crosslane,
MIDC, Andheri (East),
Mumbai-400 093.
Tel. No.:022-66712001- 6
E-mail Id:ubiinvestors@datamaticsbpm.com

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
अच्छे लोग, अच्छा बैंक
Union Bank of India
Good people to bank with

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
अच्छे लोग, अच्छा बैंक

Union Bank of India
Good people to bank with

**प्रधान कार्यालय :** यूनियन बैंक भवन, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021.

# प्रॉक्सी फॉर्म (फॉर्म 'बी')

(शेयरधारक द्वारा भरकर हस्ताक्षर किया जाए)

| |
|---|
| **रजि. फोलिओ क्र.**<br>(यदि डिमैटिरियलाइज्ड न हो) |
| **डीपीआईडी तथा क्लाइंट आईडी**<br>(यदि डिमैटिरियलाइज्ड हो) |

मैं/हम _____ राज्य_____ के_____जिले के निवासी _____ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई का एक शेयरधारक होने के नाते _____ राज्य के _____ जिले के निवासी श्री/श्रीमती _____ अथवा उनके असफल रहने पर _____ राज्य के _____ जिले _____ के निवासी श्री/श्रीमती _____ को **शुक्रवार, 28 जून, 2019 को प्रातः 11 बजे रामा एंड सुंदरी वाटूमल ऑडिटोरियम, के.सी.कॉलेज, दिनशा वाचा रोड, चर्चगेट, मुंबई - 400020** में होने वाली यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की **17वीं वार्षिक साधारण बैठक** या उसके स्थगित होने पर होने वाली बैठक में मेरे/हमारे लिए तथा मेरी/हमारी ओर से वोट डालने के लिए तथा उसके किसी भी स्थगन के लिए अपना प्रॉक्सी नियुक्त करता/करते हूँ/हैं.

_____ 2019 के _____ दिन हस्ताक्षरित.

कृपया राजस्व स्टाम्प लगाए

_____ _____

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर — प्रथम नामित/एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

**नाम :** _____

**पता :** _____

## प्रॉक्सी फॉर्म पर हस्ताक्षर करने तथा दर्ज करने के लिए निर्देश

1. कोई भी प्रॉक्सी लिखत वैध नहीं होगा जब तक
   ए) वैयक्तिक शेयरधारक के मामले में, इस पर उसके अथवा उसके अधिवक्ता द्वारा विधिवत लिखित रूप से अधिकृत करते हुए हस्ताक्षर न किया गया हो,
   बी) संयुक्त धारकों के मामले में, इस पर रजिस्टर में प्रथम नामित शेयरधारक द्वारा अथवा उसके अधिवक्ता द्वारा विधिवत लिखित रूप से अधिकृत करते हुए हस्ताक्षर न किया गया हो,
   सी) एक निगमित निकाय के मामले में इस पर इसके अधिकारी अथवा उसके अधिवक्ता द्वारा विधिवत लिखित रूप से अधिकृत करते हुए हस्ताक्षर न किया गया हो.
2. प्रॉक्सी लिखत पर किसी भी शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षर किया जाना पर्याप्त होगा जो किसी भी कारण से अपना नाम लिखने में असमर्थ है, बशर्ते उनके अंगूठे के निशान इसके साथ संलग्न है तथा इसे किसी जज, मजिस्ट्रेट, एश्योरेंस के पंजीयक या उप पंजीयक अथवा सरकारी राजपत्रित अधिकारी या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के किसी अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया हो.
3. निम्न के साथ प्रॉक्सी
   ए) मुख्तारनामा या कोई अन्य प्राधिकार(यदि कोई) जिसके अधीन इस पर हस्ताक्षर किया गया हो, या
   बी) नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित मुख्तारनामा या प्राधिकार की एक प्रति कंपनी सचिव, निवेशक सेवाएँ प्रभाग, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, 12 वीं मंजिल, यूनियन बैंक भवन, 239 विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400021 के पास वार्षिक साधारण बैठक की तिथि से **कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात बैंक कार्यकाल समाप्ति तक या उससे पहले अर्थात शुक्रवार, 21 जून, 2019 को सायं 5.00 बजे** जमा कर दिया जाना चाहिए.
4. जब तक विधिवत रूप से स्टैम्प न लगाया गया हो कोई भी प्रॉक्सी लिखत वैध नहीं होगा.
5. बैंक के पास जमा किया गया प्रॉक्सी का लिखत अप्रतिसंहरणीय तथा अंतिम होगा.
6. वैकल्पिक रूप से दो व्यक्तियों के पक्ष में अनुमत किए गए प्रॉक्सी लिखत के मामले में एक से अधिक फॉर्म निष्पादित नहीं किए जाएंगे.
7. शेयरधारक ने जिस वार्षिक साधारण बैठक से संबन्धित प्रॉक्सी लिखत निष्पादित किया है उसमें वह व्यक्तिगत रूप से वोट देने के लिए अधिकृत नहीं है.
8. ऐसे किसी भी व्यक्ति को विधिवत रूप से अधिकृत प्रतिनिधि अथवा प्रॉक्सी नहीं नियुक्त किया जाएगा जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का अधिकारी अथवा कर्मचारी है.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
अच्छे लोग, अच्छा बैंक
Union Bank of India
Good people to bank with

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
अच्छे लोग, अच्छा बैंक

Union Bank of India
Good people to bank with

**Head Office:** Union Bank Bhavan, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai-400021.

# PROXY FORM (FORM 'B')

(to be filled in and signed by the Shareholder)

| |
|---|
| **Regd. Folio** (If not dematerialised) |
| **DP ID & Client ID** (If dematerialised) |

I/We_____resident(s) of _____ in the district of _____ in the state of_____ being a shareholder(s) of Union Bank of India, Mumbai hereby appoint Shri/Smt._____ resident of _____ in the district of _____ in the state of _____or failing him / her, Shri/ Smt. _____resident of _____ in the district of _____ in the state of_____as my / our proxy to vote for me / us and on my / our behalf at the**17th Annual General Meeting** of the shareholders of Union Bank of India to be held on **Friday, 28th June 2019 at 11.00 a.m. at Rama & Sundri Watumull Auditorium, K. C. College, Dinshaw Wachha Road, Churchgate, Mumbai – 400020** and at any adjournment thereof.

Signed this _____ day of _____ 2019.

Please Affix Revenue Stamp

_____ Signature of Proxy

_____ Signature of First named/Sole Shareholder

**Name :** _____

**Address :**_____

**INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM**

1. No instrument of proxy shall be valid unless
   a) in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing,
   b) in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorised in writing,
   c) in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorised in writing.
2. An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his / her name, if his / her thumb impression is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Union Bank of India.
3. The proxy together with
   a) the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
   b) a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Head Office of Union Bank of India with the Company Secretary, Investor Services Division, Union Bank of India, 12th Floor, Union Bank Bhavan, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai – 400021 not less than FOUR DAYS before the date of the **Annual General Meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank i.e. 5.00 p.m. on Friday, 21st June, 2019.**
4. No instrument of Proxy shall be valid unless it is duly stamped.
5. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
6. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
7. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Annual General Meeting to which such instrument relates.
8. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Union Bank of India.

# हरित पहल - शेयरधारकों से अपील

नोटिस / वार्षिक रिपोर्टों तथा
अन्य पत्राचार ई-मेल के माध्यम से प्राप्त करना.

**डिमेट खातों में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने डिमेट खातों में ई-मेल आईडी दर्ज करें.**

**भौतिक रुप से शेयर रखने वाले शेयर धारकों से अनुरोध है कि -**

वे अपनी सहमति इस पत्र के नीचे दिये गये भाग को भरकर तथा उस पर हस्ताक्षर करके उसे हमारे रजिस्ट्रार के पास नीचे लिखे पते पर भिजवा दें:

डाटामैटिक्स बिजनेस सोल्यूशन लि.
यूनिट : यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
प्लॉट नं.बी-5, पार्ट बी, क्रॉस लेन, एमआईडीसी,
अंधेरी (पूर्व) मुम्बई - 400 093
दूरभाष क्र.: 022-66712001- 6
ई-मेल आईडी: ubiinvestors@datamaticsbpm.com

# GREEN INITIATIVE - APPEAL TO SHAREHOLDERS

TO GET NOTICES / ANNUAL REPORTS &
OTHER COMMUNICATION THROUGH E-MAIL

**Shareholders holding Shares in Demat Accounts are requested to :** Register an email ID their Demat A/c.

**Shareholders holding Shares in Physical form are requested to:**

Send their consent by filling up and signing the perforated portion of this communication to our Registrar & Share Transfer Agent at their address given hereunder:

Datamatics Business Solutions Ltd.
Unit : Union Bank of India,
Plot No.B-5, Part B, Crosslane,
MIDC, Andheri (East), Mumbai-400 093.
Tel. No.:022-66712001- 6
E-mail ID: ubiinvestors@datamaticsbpm.com

---

# यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की हरित पहल

दिनांक :

डाटामैटिक्स बिजनेस सोल्यूशन लि.
यूनिट : यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
प्लॉट नं.बी-5, पार्ट बी, क्रॉस लेन, एमआईडीसी,
अंधेरी (पूर्व) मुम्बई - 400 093
दूरभाष क्र.: 022-66712001- 6
ई-मेल आईडी : ubiinvestors@datamaticsbpm.com

प्रिय महोदय,

मैं/हम _____ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कॉर्पोरेट गवर्नेस के अधीन हरित पहल उपायों के एक प्रयास के रूप में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से सभी संदेश अपने नीचे दिये गए ई-मेल आईडी के माध्यम से प्राप्त करना चाहता हूँ/चाहते हैं. मेरे/हमारे पास बैंक के _____ शेयर भौतिक रूप में हैं.

फोलियो नम्बर _____
ई-मेल आईडी _____@_____
मोबाईल नं. _____

मैं/हम इस आशय से वचन देता हूँ/देते हैं कि मेरे/हमारे ई-मेल के माध्यम से प्राप्त संदेश को सही, विधिक तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा हमें भेजे गये दस्तावेजों की समुचित एवं पर्याप्त सुपुर्दगी माना जाएगा. मैं/हम यह भी वचन देता हूँ/देते हैं कि यदि किसी तकनीकी/अन्य कारणों से मेरा/हमारा ई-मेल आईडी हमें सही रूप में प्राप्त न होने के कारण संदेश प्राप्त नहीं हो पाता है तो हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसके किसी कर्मचारी, रजिस्ट्रार अथवा इसके कर्मचारियों को उत्तरदायी नहीं ठहरायेंगे.

_____
प्रथम/एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

# GREEN INITIATIVE OF UNION BANK OF INDIA

Date :

Datamatics Business Solutions Ltd.
Unit : Union Bank of India,
Plot No.B-5, Part B, Crosslane,
MIDC, Andheri (East), Mumbai-400 093.
Tel. No.:022-66712001- 6
E-mail ID: ubiinvestors@datamaticsbpm.com

Dear Sir,

I/We _____ holding _____ shares of Union Bank of India in physical form, intend to receive all communication from Union Bank of India through our email ID given hereunder, as a part of Green Initiative under Corporate Governance of Union Bank of India.

Folio Number:_____
Email ID _____@_____
Mobile No. _____

I/We also undertake that the communication received through my/our email id will be treated as proper, legal and sufficient delivery of documents sent to us by Union Bank of India. I/We further undertake that we would not hold Union Bank of India, any of its employees, Registrar or its employees, responsible in case of communication is not properly received at my/our email ID due to any technical/other failures.

_____
Signature of the First/Sole Shareholder

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
अच्छे लोग, अच्छा बैंक
Union Bank of India
Good people to bank with



# MAXIMISE YOUR BUSINESS POTENTIAL WITH UNION ENTERPRISES

**Union Bank offers quick & convenient business loans to meet the working capital needs of MSME / Enterprises. So give your business the opportunity to grow.**

| | | |
|---|---|---|
| **Eligibility** | : | All MSME units engaged in Manufacturing and Service activities* |
| **Quantum** | : | Minimum ₹10 lacs & Maximum ₹500 lacs |
| **Margin** | : | Minimum 20% for Working capital & 25% for Term loan |
| **Rate of Interest** | : | Starting from 1YMCLR+ 0.25% p.a. |
| **Repayment** | : | Maximum 84 installments including Moratorium of maximum 12 months |
| **Collateral Security** | : | Mortgage of immovable property (land/building) |

*T & C apply.

Proud to be associated with

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
अच्छे लोग, अच्छा बैंक

Union Bank of India
Good people to bank with

भारतीय बैंकिंग कोड एवं मानक बोर्ड के सदस्य Member of Banking Codes & Standards Board of India

Helpline Nos.: **1800 22 2244 / 1800 208 2244** (Toll free no.) | **080 6181 7110** (Chargeable) I **+91 80 6181 7110** (For NRIs)

www.unionbankofindia.co.in UnionBankOfIndia UnionBankTweets unionbankinsta UnionBankofIndiaUtube unionbankofindia

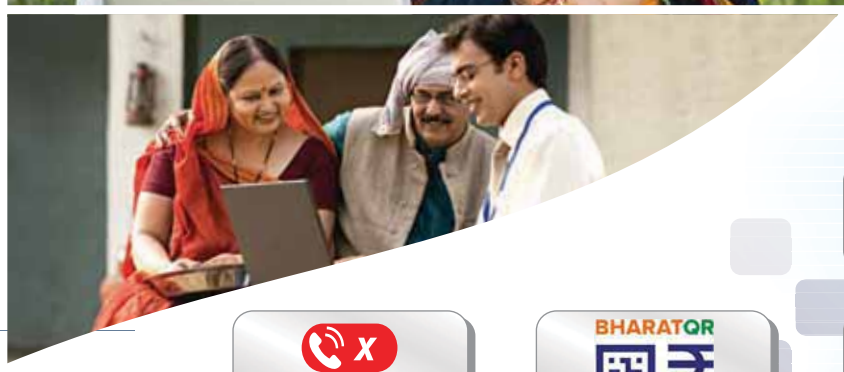
# डिजिटल है इंडिया
# डिजिटल हैं हम

## भारत की डिजिटल क्रांति के साथ कदम मिलाते हुए.











Lock-Unlock Credit Cards

Missed Call Facility

BHARATQR

COMBO CARD

BHIM AADHAAR

BHIM UPI

BHARAT BILLPAY

Prepaid Card & Gift Card

RUPAY NCMC CARD

Online Account Opening & Debit Card Application

Mobile Banking

FASTag

POS

CASH RECYCLER

IMPS IMMEDIATE PAYMENT SERVICE

Debit Card Switch ON/OFF through Mobile

Online

CHATBOT Ask UVA

शर्तें लागू.

गौरवशाली भागीदार

Digital India

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

अच्छे लोग, अच्छा बैंक

Union Bank of India

Good people to bank with

भारतीय बैंकिंग कोड एवं मानक बोर्ड के सदस्य

Member of Banking Codes & Standards Board of India

हेल्पलाइन नं.: 1800 22 2244 / 1800 208 2244 (टोल फ्री नं.) | 080 6181 7110 (सशुल्क) | +91 80 6181 7110 (एनआरआई के लिए)

www.unionbankofindia.co.in | UnionBankOfIndia UnionBankTweets unionbankinsta UnionBankofIndiaUtube unionbankofindia

# Reach from Rural Areas to Social Media





*The Union Bank encourage customer interaction through social media*

# TRANSITION OF **LOGO AND BYLINE**

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया **Union Bank of India**

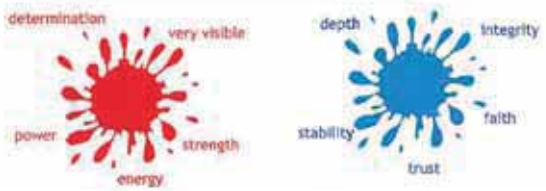
Logo revised to 'Shining Sun with 16 rays-standing for wider reach and range of services. The letters U & B were adapted in bilingual format in late 70's

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
अच्छे लोग अच्छा बैंक
**Union Bank of India**
*Good people to bank with*

In 2000, logo has been revised to colour with the Sun logo in orange and Union Bank lettering in blue on a white background

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
अच्छे लोग अच्छा बैंक
**Union Bank of India**
*Good people to bank with*

In 2002, at the time of Bank IPO, the logo was revised with orange gradation as the backdrop depicting the rising sun - this meant a new beginning




यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
अच्छे लोग, अच्छा बैंक
**Union Bank** of India
Good people to bank with

# UNVEILING NEW **BRAND IDENTITY**




*Mr MV Nair, former CMD, unveiling the new Union Bank Logo. Mr TY Prabhu, former ED, is also seen*



SKOCH AWARD



VIGILANCE EXCELLENCE AWARD






CIMSME AWARD




GLOBAL TRAINING & DEVELOPMENT LEADERSHIP AWARD




6th ASSOCHAM SMEs EXCELLENCE AWARD – 2018




यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
अच्छे लोग, अच्छा बैंक

Union Bank of India
Good people to bank with

Helpline Nos.: 1800 22 2244 (Toll free no.) • 080 2530 0175 (Chargeable) • 080 2530 2510 (For NRIs)

www.unionbankofindia.co.in @unionbankofindia @UnionBankTweets UnionBankInsta YouTube UnionBankofIndiaUtube unionbankofindia